हमारा समाज एवं संस्कृति-6

(इकाई-1 : इतिहास)

1. इतिहासः प्रारम्भिक परिचय

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए –

1. (अ) पाषाण काल 2. (स) सिंधु नदी के कारण 3. (द) ये सभी 4. (ब) कालिदास

ख. उचित मिलान कीजिए –

1. ब्राह्मण ग्रन्थ	आरण्यक
2. नागसेन	बौद्ध भिक्षु
3. अर्थशास्त्र	कौटिल्य
4. एलोरा की गुफाएँ	गुप्तकालीन धार्मिक विश्वास

ग. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

1. पुरातत्ववेत्ता 2. वेदव्यास 3. हस्तलिपि 4. फाह्यान

घ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए –

1. प्रागैतिहासिक काल 2. ऐतिहासिक स्त्रोत 3. सिंधु नदी (इंडस) के कारण 4. 12 वी सदीं का कश्मीर का इतिहास

ङ. निम्न पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालिए –

1. **(i) प्रागैतिहास :** इस काल में लेखन की कला का ज्ञान नहीं था। इस काल की जानकारी हमें यंत्रों, पात्रों, हथियारों आदि के द्वारा होती है।
   (ii) इतिहास : इस काल के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों, पत्थरों पर उत्कीर्ण लेखों, धार्मिक लेखों आदि से मिलती है।
   'इतिहास' लैटिन भाषा के 'हिस्टोरिया' शब्द तथा ग्रीक भाषा के 'हिस्टॉरिको' शब्दों से बना है। इसका अर्थ प्राचीन घटनाओं के वास्तविक विवरण से है। इतिहास प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक के लोगों, स्थानों एवं घटनाओं का कालक्रमानुसार दस्तावेज है।
2. **(i) धार्मिक साहित्य–** भारतीय धार्मिक साहित्य के अन्तर्गत ब्राह्मण साहित्य (वेद, स्मृति, उपनिषद, पुराण, आरण्यक आदि) तथा जैन-बौद्ध साहित्य सम्मिलित हैं। चारों वेद आर्यों के धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं।
   'रामायण' तथा 'महाभारत' महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। इनकी रचना क्रमशः महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास ने की। दोनों महाकाव्यों का हिन्दुओं के लिए अपार धार्मिक महत्त्व है। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। इनमें भगवान बुद्ध के धार्मिक विचार, बौद्ध संघों के नियम तथा बौद्ध दर्शन निहित हैं। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्वजन्मों की कहानियाँ हैं। श्रीलंका के ग्रन्थ 'महावंश' तथा 'दीपवंश' भारत के प्राचीन इतिहास का पर्याप्त वर्णन करते हैं। यवन (ग्रीक) राजा मिनाण्डर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक संवाद 'मिलिन्दपन्हो' में संकलित हैं। 'अंग' जैन ग्रन्थ हैं, जिनमें तत्कालीन समाज की आर्थिक व राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है।
3. हमारे जीवन में इतिहास का बहुत अधिक महत्त्व होता है। कुछ बिन्दु निम्नलिखित हैं -
   1. यह हमें मानव की सभ्यता एवं संस्कृति के क्रमिक विकास का ज्ञान उपलब्ध कराता है।

2. यह हमें अतीत की जानकारी देता है, जिससे हम अपने पूर्वजों के संघर्षों तथा उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
3. अतीत तथा वर्तमान की समस्याओं को समझने तथा उनका हल ढूँढ़ने में हमारी सहायता करता है।
4. हमें विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले, विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने वाले तथा विभिन्न रीति-रिवाजों व परम्पराओं का पालन करने वाले समाजों के उद्‌भव तथा विकास का ज्ञान प्राप्त कराता है।
5. यह हमें महान् राजाओं, राजनीतिज्ञों तथा अन्य महापुरुषों से लेकर सामान्य लोगों की जानकारी देता है।
6. हममें सहिष्णुता, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा सार्वभौम सौहार्द (भाईचारा) की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है।

4. **विदेशियों के वृत्तान्त -** यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपने 'इतिहास' में भारत का वर्णन किया है। चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपने ग्रन्थ 'इण्डिका' में भारत का वर्णन किया है। टॉलेमी (130 ई0) द्वारा लिखित 'भारत का भूगोल' (Geography of India) तथा ईसा की प्रथम शताब्दी के पूर्वार्द्ध में एक अज्ञात यूनानी विद्वान द्वारा रचित 'इरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस' (Periplus of the Erythraeian Sea) भारत पर लिखे गए महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। कालान्तर में चीनी यात्री फाह्यान (पाँचवीं शताब्दी), ह्वेनसांग (सातवीं शताब्दी) एवं ई-त्सिंग (सातवीं शताब्दी) ने समकालीन भारत के महत्त्वपूर्ण विवरण दिए। मुसलमान विद्वान अलबरूनी (1030 ई0) ने अपनी पुस्तक 'तहकीक-ए-हिन्द' में भारत के साहित्य, धर्म एवं सामाजिक संस्थाओं के रोचक विवरण दिए। वेनिस के प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो ने अपनी भारत यात्रा (1292-94 ई0) के समय दक्षिण भारतीयों के सामाजिक रीति-रिवाजों आदि का अभूतपूर्व वर्णन किया।

च. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर विस्तारपूर्वक दीजिए –

1. प्राचीन समय की घटनाओं अर्थात् अतीत को जानने के विषय में इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, भूविज्ञानी और अन्य लोग हमारी सहायता कर सकते हैं।

इतिहासकारों ने अतीत को दो भागों में विभाजित किया हैः प्रागैतिहास और इतिहास।

1. प्रागैतिहास : इस काल में लेखन की कला का ज्ञान नहीं था। इस काल की जानकारी हमें यंत्रों, पात्रों, हथियारों आदि के द्वारा होती है।

2. इतिहास : इस काल के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों, पत्थरों पर उत्कीर्ण लेखों, धार्मिक लेखों आदि से मिलती है।

'इतिहास' लैटिन भाषा के 'हिस्टोरिया' शब्द तथा ग्रीक भाषा के 'हिस्टॉरिको' शब्दों से बना है। इसका अर्थ प्राचीन घटनाओं के वास्तविक विवरण से है। इतिहास प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक के लोगों, स्थानों एवं घटनाओं का कालक्रमानुसार दस्तावेज है।

इतिहास का महत्व (Importance of History)

हमारे जीवन में इतिहास का बहुत अधिक महत्त्व होता है। कुछ बिन्दु निम्नलिखित हैं -

1. यह हमें मानव की सभ्यता एवं संस्कृति के क्रमिक विकास का ज्ञान उपलब्ध कराता है।
2. यह हमें अतीत की जानकारी देता है, जिससे हम अपने पूर्वजों के संघर्षों तथा उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

3. अतीत तथा वर्तमान की समस्याओं को समझने तथा उनका हल ढूँढ़ने में हमारी सहायता करता है।
4. हमें विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले, विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने वाले तथा विभिन्न रीति-रिवाजों व परम्पराओं का पालन करने वाले समाजों के उद्‌भव तथा विकास का ज्ञान प्राप्त कराता है।
5. यह हमें महान् राजाओं, राजनीतिज्ञों तथा अन्य महापुरुषों से लेकर सामान्य लोगों की जानकारी देता है।
6. हममें सहिष्णुता, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा सार्वभौम सौहार्द (भाईचारा) की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है।

प्राचीन इतिहास एवं इतिहास (Pre-history and History)

मानव इतिहास से पहले का समय, जिसको कोई लिखित प्रमाण (जानकारी) उपलब्ध नहीं है, 'प्रागैतिहासिक काल' अथवा 'पाषाण युग' कहलाता है। 'इतिहास' मानव सभ्यता का लिखित दस्तावेज है। ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बाँटा गया है– प्राचीन युग, मध्य युग एवं आधुनिक युग। प्रत्येक युग शताब्दियों का है। इन युगों की अवधि विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक भिन्न हो सकती है। भारत में प्राचीन युग का आरम्भ हड़प्पा काल से होता है। उसके बाद उत्तर भारत में हर्ष के शासनकाल तक तथा दक्षिण भारत में चालुक्य एवं पल्लवों के शासनकाल तक का समय प्राचीन युग का है।

2. **भारत का भौगोलिक स्वरूप (Geographical Framework of India)**

भारत को आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान आदि कहा जाता है। आर्यावर्त से अर्थ है कि यह देश आर्यों का निवास है। हमारे देश का नाम ऋग्वैदिक काल के लोगों के कारण 'भारत' पड़ा। इंडिया नाम इंडस नदी जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, के कारण हुआ। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर-पश्चिम पहाड़ी क्षेत्रों से भारत आए यूनानी लोगों ने इंडस को 'हिडोस' या इंडोस कहा। भारत को निम्नलिखित चार विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशों में बाँटा गया है - हिमालय प्रदेश, उत्तरी विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तटीय मैदान। महान् हिमालय श्रेणियाँ उत्तर में एक अडिग दीवार की भाँति स्थित हैं, जो उत्तर से होने वाले किसी भी विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करती रही हैं। हालाँकि उत्तर-पश्चिम में स्थित दर्रों से अनेक विदेशी आक्रमणकारी जातियों (ईरानी, ग्रीक, कुषाण, सीथियन, शक, तुर्क, तातार, मंगोल आदि) ने भारत में प्रवेश किया।

सिन्धु-गंगा-ब्रह्मपुत्र आदि नदियों से बना विशाल उत्तरी मैदान भारतीय इतिहास का प्रमुख साक्षी रहा है। सिन्धु नदी की उर्वर घाटी में ही भारत की प्रथम सभ्यता 'हड़प्पा' विकसित हुई थी। इसके पश्चात् सिन्धु-गंगा की घाटी (आर्यावर्त) में वैदिक सभ्यता फली-फूली। इन्हीं मैदानों में हिन्दू, जैन तथा बौद्ध धर्मों का उदय हुआ तथा अनेक राज्यों-साम्राज्यों के उत्थान एवं पतन हुए, परंतु विन्ध्य श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक विस्तृत दक्कन का पठार उत्तरी मैदान की राजनीतिक हलचलों से पूर्ण रूप से अप्रभावित रहा है। यहाँ सघन वन तथा पहाड़ियाँ हैं, जिनके कारण आवागमन की सुविधाओं से वंचित यह प्रदेश उत्तर के आक्रमणकारियों के सामने एक भौतिक बाधा बना रहा। इसी एकान्तता के कारण दक्षिण भारत में अबाध रूप से विशिष्ट द्रविड़ संस्कृति का जन्म हुआ।

उर्वर तटीय मैदानों में समुद्र की निकटता के कारण दक्षिणी राज्यों में सामुद्रिक व्यापार, समृद्ध

नगरों एवं पत्तनों का विकास सम्भव हुआ। इन राज्यों ने जावा, सुमात्रा, बर्मा (म्याँमार), स्याम (थाईलैण्ड) तथा इण्डोचीन के साथ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध बनाए।

हिमालय की उच्च श्रेणियाँ तथा मध्य एवं दक्षिणी भारत की वनाच्छादित पहाड़ियाँ अनेक जनजातियों (आदिवासी समूहों) का निवास रही हैं, जहाँ कई शताब्दियों से ये जनजातियाँ अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख रही हैं।

3. इतिहास के स्त्रोत (Sources of History)

जिन स्त्रोतों से इतिहास की जानकारी मिलती है और उसकी विश्वसनीयता बनी रहती है, उन्हें ऐतिहासिक स्त्रोत कहते हैं।

ऐतिहासिक स्त्रोत दो प्रकार के होते हैं– पुरातात्त्विक स्त्रोत एवं साहित्यिक स्त्रोत।

1. पुरातात्त्विक स्त्रोत

प्राचीन समय की भूमि में दबी सामग्री को खुदाई करके बाहर निकाला जाता है। ये पुरातात्विक स्त्रोत का कार्य करती है। पुरातात्त्विक स्त्रोत प्राचीन घटनाक्रमों व सभ्यता की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इनमें इमारतों के अवशेष, बर्तनों के टुकड़े, औजार व उपकरण, हथियार, मिट्टी की वस्तुएँ, मूर्तियाँ, चित्र और सिक्के शामिल हैं।

पुरातत्त्ववेत्ता इन सभी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं तथा प्राचीन समय की जानकारी एकत्रित करते हैं। प्राचीन समय की वस्तुओं का अध्ययन करने वाले ही पुरातत्त्ववेत्ता कहलाते हैं। वे प्राचीन समय के लोगों के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन को जानने का प्रयास करते हैं। खुदाई से प्राप्त साक्ष्य हमें प्राचीन काल के लोगों के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें बताते हैं। हर खोज की अपनी एक कहानी होती है और सभी खोज मिलकर हमें अतीत को बेहतर समझने में सहायता करती है। सिक्के और मुहरों के अध्ययन से प्राचीन काल की जानकारी मिलती है। सिक्कों को देश का राजा जारी करता था। इनसे अर्थव्यवस्था नियंत्रित होती थी। समय के साथ, सिक्कों पर राजा का नाम, युद्ध के दृश्य या लोगों के दैनिक जीवन के दृश्य उत्कीर्ण किए जाते थे। सिक्के सोने, चाँदी, ताँबे आदि धातुएँ के बनाए जाते थे। मुहरों पर हुई गुदाई से उस काल के विषय में जाना जाता है। सिंधु घाटी स्थल से प्राप्त कुछ मुहरों में जंतुओं के चित्र और भगवान की आकृतियाँ गुदी हुई हैं।

ये आकृतियाँ हमें प्राचीन लोगों के सांस्कृतिक जीवन की पुनर्रचना को जानने में सहायता करती हैं। तक्षशिला में प्राप्त नमूनों से कनिष्क के समय की गान्धार कला तथा कुषाण राजाओं के धार्मिक विश्वासों की तथा एलोरा की गुफाओं में संरक्षित मूर्तियों तथा चित्रों से गुप्तकालीन मूर्तिकला, लोगों के धार्मिक विश्वासों, तत्कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, कला आदि की जानकारी मिलती है।

2. साहित्यिक स्त्रोत (Literary Sources)

जिन स्त्रोतों से इतिहास की लिखित जानकारी मिलती है, उन्हें साहित्यिक स्त्रोत कहते हैं। हालाँकि भारतीय विद्वानों ने इतिहास-लेखन में कभी रुचि नहीं दिखाई, किन्तु उनकी कृतियों में ऐतिहासिक घटनाओं तथा परम्पराओं के बहुत प्रसंग मिलते हैं। हजारों वर्ष पूर्व जब कागज नहीं था और छपाई की कला भी ज्ञात नहीं थी, उस समय हमारे पूर्वज सूखे भोजपत्रों, वृक्षों की छालों, ताम्रपत्रों आदि पर अपने हाथों से लिखा करते थे। ऐसे हस्तलिखित लेखों को हस्तलिपि कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के 'मेनु' (हाथ) शब्द से उत्पन्न हुआ है। साहित्यक स्त्रोत दो प्रकार के होते हैं–

(i) धार्मिक साहित्य– भारतीय धार्मिक साहित्य के अन्तर्गत ब्राह्मण साहित्य (वेद, स्मृति, उपनिषद, पुराण, आरण्यक आदि) तथा जैन-बौद्ध साहित्य सम्मिलित हैं। वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। चारों वेद आर्यों के धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। गुप्तकाल रचित स्मृतियों में तत्कालीन लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं का चित्रण मिलता है।

'रामायण' तथा 'महाभारत' महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। इनकी रचना क्रमशः महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास ने की। दोनों महाकाव्यों का हिन्दुओं के लिए अपार धार्मिक महत्त्व है। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। इनमें भगवान बुद्ध के धार्मिक विचार, बौद्ध संघों के नियम तथा बौद्ध दर्शन निहित हैं। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्वजन्मों की कहानियाँ हैं। श्रीलंका के ग्रन्थ 'महावंश' तथा 'दीपवंश' भारत के प्राचीन इतिहास का पर्याप्त वर्णन करते हैं। यवन (ग्रीक) राजा मिनाण्डर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक संवाद 'मिलिन्दपन्हो' में संकलित हैं। 'अंग' जैन ग्रन्थ हैं, जिनमें तत्कालीन समाज की आर्थिक व राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है।

(ii) लौकिक साहित्य - धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त लौकिक साहित्यिक कृतियों में भी ऐतिहासिक घटनाओं एवं परम्पराओं के बहुत-से सन्दर्भ मिलते हैं। पाणिनि के 'अष्टाध्यायी' तथा पतंजलि के 'महाभाष्य' व्याकरण ग्रन्थ हैं, जिनमें उस समय की बहुमूल्य ऐतिहासिक सूचनाएँ हैं। विशाखदत्त तथा सोमदत्त द्वारा रचित क्रमशः 'मुद्राराक्षस' व 'कथासरित्सागर' में मौर्यकाल की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हैं। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनीति एवं शासन-पद्धति का उत्तम ग्रन्थ है।

अन्य कुछ ग्रन्थ इस प्रकार हैं, जिनमें ऐतिहासिक घटनाएँ भरी पड़ी हैं– कामन्दक कृत 'नीतिसार' (गुप्त शासक), कालिदास कृत 'मालविकाग्निमित्रम्' (शुंग राजवंश), बाणभट्ट कृत 'हर्षचरित' (हर्षवर्धन), बिल्हण कृत 'विक्रमांकदेवचरित' (चालुक्य राजा विक्रमादित्य) तथा कल्हण कृत 'राजतरंगिणी' (12वीं सदी का कश्मीर का इतिहास) आदि।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

2. मानव पाषण काल

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए –

1. (स) पत्थरों पर निर्भर था 2. (अ) 5,00,000 ई0पू0- 10,000 ई0पू0 3. (ब) आत्माओं पर 4. (स) नव पाषाण युग में

ख. सही मिलान कीजिए –

कच्चा मांस	मध्य पाषाण युग के प्रारम्भ में
अग्नि की खोज	पुरा पाषाण युग
फ्लिंट	मध्य प्रदेश
भीमबेटका	गहरे भूरे रंग का पत्थर

ग. सत्य और असत्य कथन पर क्रमशः (3) या (7) का निशान लगाइए–

1. (7) 2. (3) 3. (3) 4. (7)

घ. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए –

1. पाषाण युग में आदि मानव पत्थ्रों पर निर्भर था।
2. पाषाण युग के तीन उपभाग हैं

   (i) पुरापाषाण युग या प्राचीन पाषाण काल

   (ii) मध्यपाषाण युग या मध्यपाषाण काल

   (iii) नवपाषाण युग या नवपाषाण काल
3. आदि मानव मौसम तथा प्रकृति के प्रकोपों से डरता था।
4. पुरापाषाण काल के बड़े आकर के भद्दे और भारी उपकरणों की जगह बहुत छोटे नुकीले, तेज धारदार उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा, इन्हे माइक्रोलिथ कहते हैं।

ङ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए–

1. प्रागैतिहासिक काल में मानव पत्थरों द्वारा जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करता था तथा उन्हीं से शिकार भी करता था। वे पत्थ्रों से जानवरों की खाल उतारते तथा उनके मांस और हड्डियों को काटते थे। पत्थरों से ही आदि मानव फलों व जड़ों को काटता था। अतः आदि मानव पूरी तरह से जीने के लिए पत्थरों पर निर्भर था, इसीलिए यह काल पाषाण काल कहलाता है।
   पाषाण युग को तीन उपभागों में विभाजित किया गया है–

   (i) पुरापाषाण युग या प्राचीन पाषाण काल- पुरापाषाण युग का समय 5,00,000 ई0पू0- 10,000 ई0पू0 माना जाता है। इस युग में प्रारंभिक मानव पत्थरों से निर्मित अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। भारत में पुरा पाषाण युगीन पत्थर के औजार पाए गए; जैसे- ऊपरी झेलम घाटी पर, शिमला की पहाड़ियों पर, सिरसा, व्यास व बाणगंगा की घाटियों में, सोहन घाटी में, नर्मदा नदी, मेंवासा एंव प्रवरा, गोदावरी, तापी आदि घाटियों में, तीनवेली व तमिलनाडु के अन्य स्थानों पर, मालप्रभा व घटप्रभा व घाटियों में, चम्बल व बेलन की घाटियों में।

   (ii) मध्यपाषाण युग या मध्य पाषाण काल- मध्यपाषाण युग 10,000 ई0पू0 से 4,000 ई0पू0 तक माना जाता है। इस समय जलवायु गर्म व शुष्क थी। पुरा पाषाण काल के बड़े आकार के भद्दे और भारी उपकरणों की जगह बहुत छोटे नुकीले, तेज धारदार उपकरणों का प्रयोग होने लगा। इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। मध्यपाषाण युग के प्रारम्भ में आग की खोज हो गई थी। अब आदि मानव आग से अपने भोजन को भूनकर खाता था। जंगली जानवरों से रक्षा करने में आग बहुत उपयोगी थी। जलवायु के गर्म होने से आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा।

   (iii) नवपाषाण युग या नव पाषाण काल- मध्यपाषाण युग के बाद नवपाषाण युग आया। इस काल में आदि मानव का जीवन पूरी तरह बदल गया। इस युग में मानव ने लकड़ी और हड्डी के बने उपकरण प्रयोग करने शुरू कर दिए।

2. **आदि मानव का जीवन**

   आदि मानव शिकार तथा भोजन-संग्रहण करके आजीविका प्राप्त करता था। वह शिकार तथा भोजन की तलाश में इधर-उधर भटकता फिरता था। वह जंगली जानवरों का शिकार करता तथा जंगलों से खाने योग्य पौधे, जड़ें, फल, बेर आदि संग्रहीत करता था। जानवरों का शिकार करने, मांस को काटने, लकड़ी काटने, जड़ें खोदने आदि के लिए उसने पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया।

आदि मानव का धर्म

आदि मानव मौसम तथा प्रकृति के प्रकोपों से डरता था। उसका गहरा विश्वास था कि प्रकृति को प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, 'आत्मा' का निवास है। भय के कारण वह प्रकृति की पूजा तथा इन आत्माओं को प्रसन्न करने में लगा रहता था।

वह अपने मृतक पूर्वजों की पूजा करता था। वह मृतकों को उनके उपकरणों एवं भोज्य पदार्थों सहित दफनाता था, क्योंकि उसका विश्वास था कि मृत आत्मा को दूसरे संसार में इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। वह बिजली चमकने तथा मेघ गरजने से बहुत भयभीत होता था। उसका विश्वास था कि ये घटनाएँ दैवीय क्रोध की अभिव्यक्ति हैं। इसके अतिरिक्त वह जादुई शक्तियों में भी विश्वास करता था।

आदि मानव का रहन-सहन व खान-पान

आदि मानव जानवरों, पक्षियों एवं मछलियों का कच्चा माँस ही खाता था। उसके भोजन में वनों से एकत्रित किये गये पदार्थ भी सम्मिलित होते थे। वह नदियों तथा झरनों से मछलियाँ भी पकड़ता था। इस प्रकार वह अपने जीवन के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। स्वयं को शीत तथा वर्षा से बचाने के लिए वह जानवरों की खालें या वृक्षों की छालें पहनता था। मौसमी प्रकोपों तथा जंगली जानवरों से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए वह गुफाओं या घने वृक्षों की शाखाओं पर निवास करता था।

3. **आदि मानव के उपकरण एवं अस्त्र-शस्त्र**

आदि मानव जंगली जानवरों से कमजोर था। इसलिए वह उनसे बचने के लिए समूहों में रहता था। अतः उसने अपनी रक्षा तथा भोजन प्राप्त करने के लिए उपकरण (औजार) तथा अस्त्र-शस्त्र (हथियार) बनाए। उसने लकड़ी काटने-चीरने तथा नुकीले किनारे बनाने के लिए फ्लिंट (गहरे भूरे रंग का पत्थर) का प्रयोग किया। उसके हथियारों में फ्लिंट (गहरे भूरे रंग का पत्थर) से निर्मित अपरिष्कृत कुल्हाड़ियाँ, भाले, चाकू, हथौड़े तथा खुदाई करने के औजार आदि शामिल थे। पत्थर के ये औजार तथा हथियार जानवरों को मारने, उनकी खालें निकालने, मिट्टी खोदने आदि अनेक कार्यों में उपयोगी थे। ऐसे अनेक उपकरण हिमालय की तलहटी में शिवालिक पहाड़ियों से बहने वाली नदियों के साथ बहते-बहते पुंछ एवं जम्मू तथा दक्कन के पठार में खोजे गए हैं।

4. **पुरा-पाषाणकालीन कला**

अपने विकास के प्रारम्भिक चरण में मानव गुफाओं में रहता था। उसने गुफा की छतों तथा दीवारों पर कटी-फटी रेखाओं के रूप में चित्र (भद्दे) बनाए। इनमें जंगली भैंसे, भालू, घोड़े, हिरण तथा अन्य जानवरों के चित्र शामिल हैं। ऐसे गुफाचित्र भारत में भोपाल (मध्य प्रदेश) के निकट भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। आदि मानव ने ऐसी आकृतियाँ अपने औजारों पर भी बनाई। उसने हड्डियों, हाथी दाँत तथा सुन्दर पत्थरों से आभूषण भी बनाए। कला के ये नमूने आदि मानव के रीति-रिवाजों का चित्रण करते हैं।

5. **स्थायी जीवन का आरम्भ**

आदि मानव ने पत्थर के उपकरणों और हथियारों से कृषि के लिए भूमि साफ की। हँसिए से फसल को काटा और उसका संग्रहण किया। अब वे गुफाओं में रहने लगे। वे अब स्थायी जीवन जीने लगे थे। स्थापित जीवन के अधिकांश स्थल जल के स्रोतों, जैसे नदी और झीलों के पास थे। पत्थर और लकड़ी के उपकरण के महत्त्व के कारण वे महत्वपूर्ण थे। लोग उन स्थानों पर रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिलते थे। वे स्थान जहाँ उपकरण और हथियार बनाए जाते थे, कार्यशाला स्थल कहलाते थे।

लोगों ने भद्दे और रूखे पत्थरों से उपकरण बनाने सीखे। एक विशेष प्रकार के चकमक पत्थर से हथियार बनाए, जिसे छीलना सरल था।

शुरूआत में मानव ने फलों और सूखी वस्तुओं के लिए तिनकों और टहनियों से टोकरियाँ बनाई। तरल चीजों के संग्रहण के लिए उन पर मिट्टी का लेप किया जाता था। पहिए की खोज से मिट्टी के बर्तन बनाने में आसानी हुई। लोगों ने दैनिक प्रयोग के लिए कई प्रकार के बर्तन बनाने शुरू किए। उन्होंने उन्हें धूप में सुखाकर अग्नि की भट्टी से मजबूत किया और इनको चमकदार बनाकर सजाना आरम्भ किया।

स्थायी जीवन में मानव अब पशुओं को विभिन्न कारणों से पालने लगा। पालतू पशु गाड़ियाँ खींचते थे। अब वे परिवारों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक गाड़ियों में जाते थे। इस प्रकार पहला परिवहन का साधन मिला। बकरी, भेड़ और मवेशियों से दूध और ऊन प्राप्त की जाने लगी। घोड़े, ऊँट और गधे बोझा ढोने के लिए पाले जाते थे। कुत्ते खेतों के निकट बस्ती, घर और झोपड़ियों की देखभाल करते थे।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

3. सिन्धु घाटी सभ्यता का उदय

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए –

1. (ब) सिंधु घाटी में **2.** (अ) दुर्ग **3.** (द) हस्तिनापुर **4.** (स) आधुनिक कर्नाटक

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

1. मोहनजोदड़ो **2.** ईंट, प्लास्टर **3.** चित्रकला **4.** लोथल

ग. उचित मिलान कीजिए –

(अ)	(ब)
मोहनजोदड़ो	आलमगीरपुर
मृद्भाण्ड	मृतकों का टीला
सिन्धु घाटी स्थल	उर्वरता की देवी
मातृदेवी	मिट्टी के बर्तन

घ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त शब्दों में दीजिए –

1. भारतीय पुरातत्व विभाग ने सन् 1921 में पश्चिम पंजाब में रावी के तट पर मॉण्टगुमरी जिले में सिंधु घाटी सभ्यता (हड़प्पा स्थल) की खोज की।

2. हड़प्पा के नगरों की इमारतों के खण्डहर, मिट्टी के बर्तन, मोहरे तथा खिलौने हड़प्पा संस्कृति के चार स्त्रोत हैं।

3. 4000-3000 ई0पू0 के मध्य में सिन्धु नदी की घाटी में कृषक बस्तियों का विस्तार हुआ।

4. हड़प्पा संस्कृति के मुख्य स्थल हैं- पंजाब में सतलुज नदी पर रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल, रंगपुर तथा रोजदी, सिन्ध में आमरी तथा चन्हुदड़ो, हरियाणा में बनावली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर आदि।

5. हडप्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, सरसों, तिल आदि उगाते थे। वे गाय, भैंस, भेड़ तथा बकरियाँ पालते थे। अतः वे दूध, मांस आदि भी खाते थे। वे जंगलों से फल इकट्ठा करते थे तथा मछलियों का शिकार भी करते थे।

ङ. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–

1. **विशाल स्नानागार-** मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार लगभग 12 मीटर लंबा 7 मीटर चौड़ा तथा 2.4 मीटर गहरा था। इसकी सफाई नियमित रूप से की जाती थी। स्नानागार के चारों ओर वस्त्र बदलने के लिए छोटे कमरे भी थे। इस स्नानागार को ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था। इसके ऊपर पानी का रिसाव न हो, इसलिए चारकोल की व्यास्था की परट चढ़ाई गई थी। इसमें दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। संभवतः विशेष नागरिक ही यहाँ स्नान करते थे।
2. **हड़प्पा संस्कृति का विस्तार**- किए गए उत्खननों द्वारा सिन्धु घाटी सभ्यता के अनेक स्थल प्रकाश में आए हैं। हड़प्पा संस्कृति पंजाब में सतलुज नदी पर रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल, रंगपुर तथा रोजदी, सिन्ध में आमरी तथा चन्हुदड़ो, हरियाणा में बनावली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर आदि में फैली हुई थी।
3. **सिन्धु घाटी के लोगों का धर्म** सिन्धु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष को पवित्र मानते थे तथा शिव को लिंग रूप में पूजते थे। वे मातृदेवी (उर्वरता की देवी) की भी पूजा करते थे, किन्तु मन्दिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। वे मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास करते थे। वे मृतकों को दफनाते थे या उनका शवदाह करते थे। वे मृतकों के साथ भोजन, आभूषण तथा उनकी उपयोग की वस्तुएँ भी रखा करते थे, जिससे पता चलता है कि उनका मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास था।
4. **सिन्धु घाटी में व्यवसाय**

   सिन्धु घाटी के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन था। वे बाढ़ के जल से खेतों को सींचते थे। उनके गाँव तथा खेत भी नदी तट के निकट ही होते थे। उन लोगों ने बाढ़ के जल को नियन्त्रित करने के लिए बाँध तथा तटबन्ध भी बनाए थे। वे गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, कपास, मोटे अनाज, सब्जियाँ आदि उगाते थे। अन्य व्यवसायों में बर्तन बनाना, लोहारगिरी, कताई-बुनाई आदि प्रमुख थे।

   सिन्धु घाटी में व्यापार

   देशी तथा विदेशी व्यापार बहुत उन्नत था। मेसोपोटामिया से सिन्धु घाटी की मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि सिन्धुवासी मेसोपोटामिया के लोगों से व्यापार करते थे। गुजरात में लोथल स्थान इनका प्रमुख बन्दरगाह था, जहाँ से नावों द्वारा समुद्री व्यापार होता था। सिन्धुवासी दक्षिण भारत, बलूचिस्तान तथा फारस (ईरान) से व्यापार करते थे। टिन, ताँबा, सोना, चाँदी, इमारती लकड़ी तथा मूल्यवान रत्न व्यापार की प्रमुख वस्तुएँ थीं।

च. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तारपूर्वक दीजिए–

1. बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक इतिहासकारों को भारत के उत्तर-पश्चिम में, लगभग 4,500 वर्ष पूर्व, विकसित प्राचीन सभ्यता के अस्तित्व का ज्ञान नहीं था। भारतीय पुरातत्त्व विभाग ने सन् 1921 में पश्चिम पंजाब में रावी के तट पर मॉण्टगुमरी जिले में हड़प्पा स्थल की खोज की तथा सन् 1922 में सिन्ध प्रान्त में रावी नदी के तट पर एक अन्य खण्डहर नगर, मोहनजोदड़ो (मृतकों का टीला) की खोज की गयी। ये दोनों प्रान्त अब पाकिस्तान में हैं।

   लगभग 5,000 ई0पू0 से भारत और ईरान की सीमा पर बस्तियाँ बढ़ीं। ये बस्तियाँ स्थायी कृषकों के ग्रामीण समुदाय की थी, जो निर्वाह के लिए गेहूँ, जौ तथा अन्य फसलों की खेती करते थे तथा पशुपालन भी करते थे। ये सभी लोग पत्थर, ताँबे तथा काँसे से निर्मित उपकरणों का प्रयोग करते थे तथा उत्तम किस्म के चित्रित 'मृद्भाण्ड' (मिट्टी के बर्तन) बनाते थे। 4,000-3,000 ई0पू0 के मध्य में सिन्धु नदी की घाटी में कृषक बस्तियों का विस्तार हुआ।

लगभग 2,600 ई0पू0 में हड़प्पा तथा अन्य स्थलों पर पूर्णतः नगरीय समाज का अभ्युदय हुआ। इसलिए इस सभ्यता को 'प्रारम्भिक हड़प्पा' या 'प्रारम्भिक सिन्धु संस्कृति' कहा जाता है।

1. सिन्धु घाटी की सभ्यता का नगर नियोजन- सिन्धु घाटी सभ्यता के लोग नगर नियोजन में अत्यन्त दक्ष थे। वे नियोजित रूप से बसे हुए नगरों में निवास करते थे। नगर के दो प्रमुख भाग थे - (i) ऊपरी भाग या दुर्ग तथा (ii) निचला भाग या नगर।

(i) ऊपरी भाग या दुर्ग (The Citadel)— यह भाग पश्चिमी भाग में बना था। यह एक ऊँचे चबूतरे पर स्थित था। यह सम्भवतः प्रशासनिक (खण्ड) भवन था, जहाँ शासक वर्ग (पुरोहित तथा धनी व्यापारी) निवास करता था। दुर्ग मोटी तथा ऊँची दीवारों से घिरा था, जो इसे सिन्धु की बार-बार आने वाली बाढ़ों से सुरक्षित रखती थीं। दुर्ग के अन्दर धान्य कोठार तथा सभागार स्थित थे। यहाँ एक विशाल स्नानागार भी मिला है। इस स्नानागार को ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था। इसके ऊपर पानी का रिसाव न हो, इसलिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। संभवतः विशेष नागरिक ही यहाँ स्नान करते थे।

(ii) निचला भाग या नगर (The Lower Town) - इस भाग में साधारण लोग रहते थे। नगर आयताकार खण्डों में बँटा हुआ था। चौड़ी सड़कें तथा गलियाँ समकोण बनाते हुए जाल-सा बनाती थीं। सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था भी थी। सड़कें पकी हुई ईंटों से निर्मित तथा साफ-सुथरी होती थीं। नगर की सीमा के अन्दर कारखाने स्थापित करना निषेध था, जिससे प्रदूषण न फैले।

2. जल-निकास व्यवस्था (Drainage System)- यहाँ के नगरों; जैसे– मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल आदि में जल-निकासी की व्यवस्था उत्तम थी। जल-निकासी के लिए भूमिगत नालियों की व्यवस्था की गई थी। घरों के दूषित जल के बहाव के लिए ढकी हुई नालियों की व्यवस्था थी। इनमें स्थान-स्थान पर मेनहोल बनाए गए थे। इनकी सफाई नियमित रूप से होती थी।

कला, शिल्प और स्थापत्य कला

सिन्धुवासी बर्तन निर्माण-कला में बहुत निपुण थे। वे चमकीले तथा रंगीन मिट्टी व काँसे, सोने, चाँदी आदि धातुओं से बर्तन बनाते थे।

सिन्धुवासी चित्रकला के बहुत शौकीन थे। वे मिट्टी के बर्तनों पर पक्षी, जानवर इंसान तथा ज्यामितीय डिजाइन आदि बनाया करते थे।

सिन्धुवासी काँसे के उपकरण, हथियार, मूर्तियाँ आदि बनाते थे। मोहनजोदड़ो में नृत्य की मुद्रा में प्राप्त एक कांस्य मूर्ति धातुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है।

सिन्धुवासियों ने टेराकोटा के खिलौनों तथा पशुओं एवं मानव आकृतियों का निर्माण किया। मोहनजोदड़ो में प्राप्त योगी की मूर्ति सिन्धुवासियों की मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण है।

सिन्धु सभ्यता के लोग मुहरें बनाते थे। सिन्धु सभ्यता से सम्बन्धित 2000 से अधिक मोहरें विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। ये गोलाकार या बेलनाकार होती थीं तथा मिट्टी से बनायी जाती थीं। इन मोहरों पर हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः जानवरों के चित्र बनाते थे। व्यापारी लोग इनका प्रयोग अपने माल पर मोहर लगाने हेतु करते थे। इन मोहरों से हमें सिन्धुवासियों के वस्त्र, आभूषण, धार्मिक विश्वास, व्यापारिक सम्बन्ध आदि की विस्तृत जानकारी मिलती थी। एक मोहर में योगी की मुद्रा में आसीन देवता की आकृति भगवान पशुपति (शिव) के रूप में पहचानी गई है।

यहाँ मिले सबसे महत्त्वपूर्ण और आकर्षक वस्तुएँ मनके, बाट व फलक हैं। हड़प्पा के लोग सम्भवतः ताँबे का आयात राजस्थान, ओमान (पश्चिमी एशियाई देश) आदि से करते थे।

काँसा बनाने के लिए सिन्धु घाटी के लोग आधुनिक ईरान व अफगानिस्तान से टिन मँगाते थे। बहुमूल्य पत्थरों का आयात ईरान, गुजरात, अफगानिस्तान से किया जाता था तथा आधुनिक कर्नाटक से सोने का आयात किया जाता था।

2. **सिन्धु घाटी के लोगों का सामाजिक व आर्थिक जीवन**

सिन्धु घाटी के समाज में तीन प्रमुख वर्ग थे -

(i) शासक वर्ग दुर्ग में रहता था। इसमें धनी व्यापारी एवं ऊंचे पुरोहित सम्मिलित थे।

(ii) द्वितीय वर्ग में छोटे व्यापारी, शिल्पी तथा कारीगर आते थे। वे नगर के निचले भाग में रहते थे।

(iii) तीसरे वर्ग में श्रमिक तथा कृषक आते थे। श्रमिक नगर के बाहर छोटी झोपड़ियों तथा शिविरों में रहते थे। कृषक अपने खेतों के निकट गाँवों में रहते थे।

मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बड़े नगरों में आराम की वस्तुओं की खोज दर्शाती है कि सिंधु घाटी के लोग समृद्ध थे। उन्होंने आर्थिक विकास के बड़े आयामों को प्राप्त किया। लोग मूलतः कृषक और चरवाहे थे। वे गेहूँ, जौ, दालें, मटर, चावल, तिल, अलसी और सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग कृषि में बहुत से यंत्र प्रयोग करते थे लेकिन हाल की खुदाई में एक नया यंत्र हल मिला है, जो मृदा को पलटने के लिए भूमि की खुदाई और बीज बोने के काम आता है। हल लकड़ी का बना था इसलिए बच नहीं पाया। खिलौनों के नमूने भी मिले हैं। लोगों की आजीविका का दूसरा साधन पशुपालन भी था। वे हिरन और भालू जैसे जंगली जानवरों का शिकार और संग्रह भी करते थे।

3. **हड़प्पा सभ्यता का अंत (End of Harappan Civilization)**

लगभग 3900 वर्ष पहले अचानक ही यहाँ के नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ये निश्चित रूप से पता नहीं लगाया जा सका है। नगरों में कूड़े के ढेर जमा हो गए और धीरे-धीरे वहाँ सब नष्ट होता चला गया। कुछ विद्वानों के अनुसार, प्राकृतिक आपदा और मानव संयुक्त रूप से इस सम्पूर्ण विनाश के जिम्मेदार थे। सिन्धु में निरंतर बाढ़ से बड़े क्षेत्र डूब गए और मिट्टी की मोटी परतों में दब गए। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, वर्षा बहुत कम हो गयी थी और सिंध एक रेगिस्तान बन गया था। इसलिए लोग दूसरे स्थान पर विस्थापित हो गए। कुछ ज्ञानी लोगों का मानना है कि ईंटों को सुखाने और ताँबे की भट्टियों के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन चाहिए था, इसलिए वनों का कटान किया गया। मवेशियों, भेड़ों और बकरियों के बड़े-बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। अतः लोग पंजाब के उत्तरी भागों, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर पलायन कर गए।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

4. वैदिककालीन सभ्यता

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) सप्तसिन्धु प्रदेश 2. (ब) चार 3. (स) वेद व्यास 4. (द) शूद्र

ख. सत्य और असत्य कथन पर क्रमशः (3) या (7) का निशान लगाइए–

1. (7) 2. (3) 3. (7) 4. (3)

ग. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त रूप में दीजिए–

1. सम्भवतः आर्य मध्य एशिया से आए थे।
2. वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोत वेद, ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद् हैं।
3. वेदों की सख्या 4 है। उनके नाम हैं- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद।
4. आर्यों की वर्ण व्यवस्था में चार वर्ण थे- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र।
5. वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था मुख्यतः कबीलाई थी।

घ. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–

1. वेद चार हैं - ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ये वेद 'संस्कृत' में लिखे गए हैं और ये इस काल के प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं।

   ऋग्वेद- ऋग्वेद प्राचीन वेद है। इसकी रचना 3,500 वर्ष पहले हुई। इसमें 1,026 सूक्त (श्लोक) और प्रार्थनाएँ हैं, जो विभिन्न देवी-देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इन श्लोकों में अग्नि (आग के देवता), इन्द्र (गर्जन, वर्षा और युद्ध के देवता) और वरुण (सूर्य भगवान) की प्रार्थनाएँ की गई हैं। सोम एक पौधा था, जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। जो उत्सव के समय पिया जाता था।

   सामवेद इसमें 1,549 सूक्त हैं, जोकि अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं।

   यजुर्वेद- यह एक 'कर्मकाण्ड ग्रन्थ' है। इसमें यज्ञों के सिद्धान्त और विधियाँ दी गई हैं। इसमें लोगों की प्रथाओं और स्वभाव और यज्ञों की प्रक्रियाओं के साथ लोगों की आम प्रथाओं और स्वभाव को जोड़ा गया है।

   अथर्ववेद- यह ग्रन्थ विशेष प्रथाओं, शिष्टाचार, जादू और टोना से सम्बन्धित है। यह ग्रन्थ आर्य सभ्यता और संस्कृति के विकास पर भी प्रकाश डालता है।

   वेदों की रचना संतों (ऋषियों) द्वारा की गई थी। इन श्लोकों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्मरण कराकर आगे बढ़ाया जाता था। वेदों पर निर्भर जानकारी के कारण ही इस काल को वैदिक काल कहा गया।

2. **आर्यों का आर्थिक जीवन-** आर्यों की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि था। इस युग में सिंचाई के साधनों का विकास होने के कारण कृषि में सुधार आया। उन्नत हलों तथा गोबर की खाद के प्रयोग से भूमि की उर्वरता तथा उत्पादकता में वृद्धि सम्भव हुई। आर्य 'शकन' और 'करिश' नामक खाद का प्रयोग खेतों की उर्वरता को बढ़ाने में करते थे। वे गेहूँ, सरसों, चावल, मसूर, तिल, जौ आदि की खेती करते थे। आर्य लोग पशुपालन को बहुत महत्त्व देते थे। गाय को पवित्र तथा 'अध्न्या' (मारने के अयोग्य) माना जाता था। आर्य गाय, घोड़े के अतिरिक्त भैंस, बकरी, गधे, कुत्ते व भेड़ भी पालते थे। व्यापारियों ने स्वयं को 'श्रेणियों' (संघों) में संगठित कर लिया था। निष्क, सातमान, कृष्णमान सिक्के भी प्रचलित थे।

   वैदिक काल में बुनाई, चर्म-कार्य, बर्तन-निर्माण, धातु-ढलाई, बढ़ईगिरी, आभूषण बनाना आदि का व्यवसाय किया जाता था। इस युग के विशिष्ट बर्तनों को चित्रित धूसरभाण्ड (Painted Greyware) कहा जाता है। सीसा, टिन, चाँदी, सोना, ताँबा तथा लोहे की धातुओं का प्रयोग आभूषण, जलयान, उपकरण आदि बनाने में किया जाने लगा। रत्न-आभूषण, रंग, रथ-निर्माण, तीर-कमान जैसी अन्य वस्तुएँ भी बनायी जाने लगीं। शिल्पकारों की श्रेणियाँ (guilds) भी बन गयीं, जिनके अध्यक्षों को 'श्रेष्ठि' कहा जाता था।

3. रत्नी राजा का प्रशासनिक सहयोग 12 रत्नी करते थे। वे 12 रत्नी थे– पुरोहित, सेनानी,

ग्रामीण, महिषी (राजा की पत्नी), सूत (राजा का सारथी), क्षत्रि (प्रतिहार), संग्रहित (कोषाध्यक्ष), भागदुध (कर एकत्र करने वाला अधिकारी), अक्षवाप (लेखाधिकारी), गोविकृत (वनाधिकारी), पालागल (राजा का मित्र)।

4. **आर्य संस्कृति के प्रभाव-** आर्यों ने भारत को संस्कृत भाषा प्रदान की, जो शताब्दियों तक उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बाँधने वाली शक्ति बनी रही। इसी से अनेक प्रादेशिक भाषाएँ विकसित हुई। उन्होंने वनों को साफ करके उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था के लिए एक सुदृढ़ खेतिहर आधार विकसित किया। उन्होंने एक समृद्ध साहित्य की रचना की। आर्यों द्वारा दी गई संस्कृति सभ्यता, साहित्य आदि हमारे देश की धरोहर है।

ङ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तारपूर्वक दीजिए–

1. **वैदिक युग-** महत्वपूर्ण युग माना जाता है। इस युग में घुमक्कड़ आर्य पशुपालक कृषक बन गये। वे स्थायी हो गए। इसी युग में राजनीतिक व्यवस्था, धर्म एवं समाज में भी विकास हुआ। इस युग का सूत्रपात 2000 ई0पू0 के आसपास हुआ। वैदिक युग का आधार वेदों को माना जाता है।

   आर्यों ने धीरे-धीरे सम्पूर्ण उत्तरी भारत पर अधिकार किया। प्रारम्भ में ये 'सप्तसिन्धु' प्रदेश में बसे, जो सात नदियों (सिन्धु, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, सतलुज तथा सरस्वती) का प्रदेश था। आर्यों ने इस स्थान का नाम 'ब्रह्मावर्त' रखा। इस युग को पूर्व वैदिक युग (ऋग्वैदिक युग) कहा जाता है।

   वैदिक युग के साहित्यिक स्त्रोत- वैदिक युग के प्रमुखतः साहित्यिक स्त्रोत बेद हैं। पूर्व वैदिक युग में ही ऋग्वेद (प्रथम वेद) की रचना हुई थी। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है।

   'वेद' शब्द की उत्पत्ति 'विद' धातु से हुई है, जिसका अर्थ है- बुद्धि या ज्ञान। वेदों के प्रमुख ग्रंथ हैं - वेद, ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद्। वेद चार हैं- ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ये वेद 'संस्कृत' में लिखे गए हैं और ये इस काल के प्रमुख साहित्यिक स्त्रोत हैं।

   ऋग्वेद- ऋग्वेद प्राचीन वेद है। इसकी रचना 3,500 वर्ष पहले हुई। इसमें 1,026 सूक्त (श्लोक) और प्रार्थनाएँ हैं, जो विभिन्न देवी-देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इन श्लोकों में अग्नि (आग के देवता), इन्द्र (गर्जन, वर्षा और युद्ध के देवता) और वरुण (सूर्य भगवान) की प्रार्थनाएँ की गई हैं। सोम एक पौधा था, जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। जो उत्सव के समय पिया जाता था।

   सामवेद- इसमें 1,549 सूक्त हैं, जोकि अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं।

   यजुर्वेद- यह एक 'कर्मकाण्ड ग्रन्थ' है। इसमें यज्ञों के सिद्धान्त और विधियाँ दी गई हैं। इसमें लोगों की प्रथाओं और स्वभाव और यज्ञों की प्रक्रियाओं के साथ लोगों की आम प्रथाओं और स्वभाव को जोड़ा गया है।

   अथर्ववेद- यह ग्रन्थ विशेष प्रथाओं, शिष्टाचार, जादू और टोना से सम्बन्धित है। यह ग्रन्थ आर्य सभ्यता और संस्कृति के विकास पर भी प्रकाश डालता है। वेदों की रचना संतों (ऋषियों) द्वारा की गई थी। इन श्लोकों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्मरण कराकर आगे बढ़ाया जाता था। वेदों पर निर्भर जानकारी के कारण ही इस काल को वैदिक काल कहा गया। इस काल की जानकारी के अन्य स्त्रोत रामायण और महाभारत हैं। रामायण (वाल्मीकि), महाभारत (वेदव्यास) संस्कृत में तथा 'श्रीरामचरितमानस' (तुलसीदास) को हिन्दी में लिखा गया है। यह काव्य (महाकाव्य)

का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें लगभग 21,000 पद हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रन्थ है। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं।

2. **आर्यों का सामाजिक जीवन-** पूर्व वैदिक काल में वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य 'सवर्ण' कहलाते थे। ये उच्च जाति के लोग थे, जिन्हें अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। जबकि शूद्रों को निम्न जाति का माना जाता था तथा वे सवर्णों के विशेषाधिकारों से वंचित थे। उत्तर वैदिक काल के समाप्त होते-होते, वर्ण-व्यवस्था जाति-व्यवस्था में बदल गयी, जो व्यवसाय पर आधारित न होकर वंशानुगत हो गयी।

वैदिक काल में स्त्रियों को समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त था। उच्च जाति की स्त्रियाँ शिक्षा भी प्राप्त करती थीं तथा उन्हें अपने पति चुनने का भी अधिकार प्राप्त था। हालाँकि वे सभी सामाजिक तथा धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं। परन्तु उनका स्थान पुरुषों से निम्न था।

मनुष्य का औसत जीवन 100 वर्षों का माना जाता था, जिसे 25-25 वर्ष के चार आश्रमों - (1) ब्रह्मचर्य, (2) गृहस्थ, (3) वानप्रस्थ तथा (4) संन्यास - में बाँटा गया था।

उत्तर वैदिक काल में राजपुत्रों को गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता था, जहाँ वे साधारण परिवार के बच्चों के साथ ही शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षण कार्य प्रायः मौखिक होता था। स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। गार्गी एक महान् विदुषी थी। गुरुकुल में गणित व विज्ञान के अतिरिक्त धनुर्विद्या तथा अन्य युद्ध-कौशल भी सिखाए जाते थे।

आर्यों का आर्थिक जीवन- आर्यों की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि था। इस युग में सिंचाई के साधनों का विकास होने के कारण कृषि में सुधार आया। उन्नत हलों तथा गोबर की खाद के प्रयोग से भूमि की उर्वरता तथा उत्पादकता में वृद्धि सम्भव हुई। आर्य 'शकन' और 'करिश' नामक खाद का प्रयोग खेतों की उर्वरता को बढ़ाने में करते थे। वे गेहूँ, सरसों, चावल, मसूर, तिल, जौ आदि की खेती करते थे। आर्य लोग पशुपालन को बहुत महत्त्व देते थे। गाय को पवित्र तथा 'अध्न्या' (मारने के अयोग्य) माना जाता था। गो-वध करने वाले को देश निकाला या मृत्युदण्ड का प्रावधान था। आर्य गाय, घोड़े के अतिरिक्त भैंस, बकरी, गधे, कुत्ते व भेड़ भी पालते थे। व्यापारियों ने स्वयं को 'श्रेणियों' (संघों) में संगठित कर लिया था। निष्क, सातमान, कृष्णमान सिक्के भी प्रचलित थे।

वैदिक काल में बुनाई, चर्म-कार्य, बर्तन-निर्माण, धातु-ढलाई, बढ़ईगिरी, आभूषण बनाना आदि का व्यवसाय किया जाता था। इस युग के विशिष्ट बर्तनों को चित्रित धूसरभाण्ड (Painted Greyware) कहा जाता है। सीसा, टिन, चाँदी, सोना, ताँबा तथा लोहे की धातुओं का प्रयोग आभूषण, जलयान, उपकरण आदि बनाने में किया जाने लगा। रत्न-आभूषण, रंग, रथ-निर्माण, तीर-कमान जैसी अन्य वस्तुएँ भी बनायी जाने लगीं। शिल्पकारों की श्रेणियाँ (guilds) भी बन गयीं, जिनके अध्यक्षों को 'श्रेष्ठि' कहा जाता था।

आर्यों का राजनीतिक जीवन (Political Life of Aryas)

आर्यों की शासन व्यवस्था मुख्यतः कबीलाई थी। इनका प्रमुख राजा होता था। अतः वैदिक काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजा वंशानुगत होता था, परंतु जनता उसको हटा सकती थी। राजा जन विशेष का प्रधान होता था। राजा युद्ध का नेतृत्वकर्ता होता था। उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था। वह जनता द्वारा उसकी इच्छा से दिए गए भाग को वसूल करता था।

वैदिक काल में सभा, समिति तथा विद्थ नामक प्रशासनिक संस्थाएँ थीं। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, समिति आम जनप्रतिनिधि की सभा थी तथा विद्थ प्राचीन संस्था थी। राजा का

प्रशासनिक सहयोग 12 रत्नी करते थे। वे 12 रत्नी थे– पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण, महिषी (राजा की पत्नी), सूत (राजा का सारथी), क्षत्रि (प्रतिहार), संग्रहित (कोषाध्यक्ष), भागदुध (कर एकत्र करने वाला अधिकारी), अक्षवाप (लेखाधिकारी), गोविकृत (वनाधिकारी), पालागल (राजा का मित्र)। चारागाह के प्रधान को वाजपति तथा ग्राम का मुखिया ग्रामिणी कहलाता था।

रचनात्मक कार्य

स्वंय करो

5. जनपद और महाजनपद

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (ब) जन के राजा 2. (स) सोलह 3. (द) आठ कबीलों का संघ 4. (अ) दस

ख. सही मिलान कीजिए–

जनपद	राजधानी
मगध	शक्तिमती
पांचाली	पोटली
चेदि	तक्षशिला
अश्मक	गिरिव्रज
गान्धार	अहिच्छत्र, काम्पिल्य

ग. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. मथुरा 2. गोदावरी 3. राजतंत्र 4. आठ

घ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कम से कम शब्दों में दीजिए–

1. जन (लोगों) के बसने की जगह
2. कुछ जनपद अति महत्वपूर्ण व विस्तृत हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया।
3. मगध, पांचाल, कुरु अवन्ति
4. मंत्री को अमात्य कहा जाता था।
5. मगध महाजनपद में प्रत्येक गाँव की पृथक् सभाएँ थी, जिनका मुखिया ग्रामिका होता था।

ङ. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए–

1. राजतन्त्र व गणतन्त्र में मुख्यतः निम्नलिखित अन्तर था—
   1. राजा का पद वंशानुगत होता था, जबकि गणतन्त्र का मुखिया जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता था।
   2. राजतन्त्रों में प्रायः शासक निरंकुश होते थे, जबकि गणतन्त्रों में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था होती थी।
   3. राजतन्त्र में राजा अपनी सत्ता तथा साधनों को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रयुक्त करता था, जबकि गणतन्त्र में सत्ता का प्रयोग लोगों के कल्याण के लिए होता था।
   4. राजतन्त्र में राजा कानून बनाता था, जबकि गणतन्त्र में सभा कानून बनाती थी।
   5. गणतन्त्र में लोग जब चाहें शासक को बदल सकते थे, किन्तु राजतन्त्र में जनता को यह अधिकार नहीं था।

2. **(i) अंग–** अंग की राजधानी चम्पा थी। इस महाजनपद में आधुनिक बिहार के भागलपुर तथा मुँगेर जिले सम्मिलित थे।

(ii) मगध– मगध की राजधानी गिरिव्रज (आधुनिक राजगीर) थी। इसमें बिहार के पटना तथा गया जिले सम्मिलित थे।

(iii) काशी– इसकी राजधानी काशी (बनारस या वाराणसी) थी। काशी में उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला सम्मिलित था।

(iv) कोशल– कोशल में उत्तर प्रदेश का अवध प्रदेश सम्मिलित था। सरयू नदी इस महाजनपद को दो भागों में बाँटती थी - (i) उत्तरी कोशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी तथा (ii) दक्षिणी कोशल जिसकी राजधानी कुशावती थी।

3. **एक शक्तिशाली महाजनपद - मगध**

जनपद काल में साम्राज्यवाद के पनपने के कारण मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इसका विस्तार आधुनिक बिहार के पटना, गया तथा नालन्दा जिलों के क्षेत्र पर था। मगध का प्रथम प्रतापी राजा बिम्बिसार, हर्यंक वंश का था। वह गौतम बुद्ध तथा महावीर का समकालीन था। मगध की राजधानी पटना के निकट राजगीर में थी।

बिम्बिसार ने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। उसके अधिकार में लगभग 80,000 गाँव थे, प्रत्येक गाँव की पृथक् सभाएँ थीं, जिनका मुखिया 'ग्रामिका' होता था। उसने व्यापार तथा उद्योगों को प्रोत्साहित किया। मगध राज्य में लोहे की धातु के विशाल भण्डार मौजूद थे।

बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसका वध कर दिया तथा मगध के सिंहासन पर बैठा। वह एक अति महत्त्वाकांक्षी राजा था। उसने कोशल, काशी तथा वैशाली को पराजित किया। उसने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र (आधुनिक पटना) की स्थापना की।

हर्यंक वंश की समाप्ति के बाद मगध में नन्द वंश की स्थापना हुई। नन्द वंश की स्थापना महानन्दिन ने की थी, जिसका महापद्मनन्द ने वध कर दिया। वह इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसने दकन तथा कलिंग के विशाल क्षेत्रों पर अधिकार कर अपने साम्राज्य का विस्तार कुरु प्रदेश तक कर लिया। इस प्रकार सम्पूर्ण गंगाघाटी पर उसका अधिकार हो गया। नन्दों की विशाल सेना को देखकर मकदूनिया का महान राजा सिकन्दर भी वापस लौट गया था।

4. **वज्जि संघ**

मगध के पास ही वज्जि राज्य था। वृज्जि या वज्जि आठ भिन्न गणराज्यों का संघ था, जो आधुनिक बिहार के उत्तरी भाग में स्थित था। इसमें विदेह, लिच्छवी तथा ज्ञात्रिका गणराज्य सम्मिलित थे। लिच्छवी तथा सम्पूर्ण वज्जि संघ की राजधानी वैशाली थी, जो बिहार के आधुनिक मुजफ्फरपुर जिले में स्थित एक समृद्ध नगरी थी। इसमें अनेक द्वार, मीनारें, उद्यान, खेल कॉम्पलेक्स तथा ऊँची इमारतें स्थित थीं। लिच्छवी तथा वज्जि शक्तिशाली राज्य थे। भगवान् बुद्ध ने यहाँ अनेक बार उपदेश दिये थे, किन्तु आपसी कलहों, संघर्षों तथा एकता न होने के कारण वज्जि मगध की बढ़ती हुई शक्ति का सामना नहीं कर सका। अन्ततः मगध के राजा अजातशत्रु ने वज्जि को अपने साम्राज्य में मिला लिया। संघ में कई शासक होते थे, जो साथ बैठकर महत्त्वपूर्ण निर्णय, धार्मिक कार्य, चर्चाएँ किया करते थे।

च. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तारपूर्वक दीजिए–

जनपद और महाजनपद में मुख्यतः निम्नलिखित अन्तर था।

1. जनपद का अर्थ होता है- जन (लोगों) के बसने की जगह जनपद जो कि अति महत्त्वपूर्ण व विस्तृत हो गए, उन्हें महाजनपद कहा गया।

1. **महाजनपदों की शासन प्रणाली**

उन महाजनपदों में दो प्रकार की शासन प्रणालियाँ प्रचलित थीं - राजतन्त्र तथा गणतन्त्र।

1. राजतन्त्र (Monarchy)– यह वंशानुगत होती थी। सरकार में राजा का पद बहुत महत्त्वपूर्ण तथा शक्तिशाली होता था। उसे समाज व धर्म का संरक्षण तथा देवता की भाँति माना जाता था। राज्य में सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कायम रखने के लिए नियम तथा कानून बनाने में ब्राह्मण लोग राजा की सहायता करते थे। राजतन्त्र में पुरोहित का पद बहुत महत्त्वपूर्ण था। मन्त्री को अमात्य कहा जाता था।

2. गणतन्त्र (Republic)– बुद्ध के समय उत्तरी भारत में लगभग दस महाजनपद गणतन्त्र थे, जिनमें कपिलवस्तु, वैशाली, पावा, मल्ल, कुशीनगर आदि महत्त्वपूर्ण थे। इन गणतन्त्रों का प्रशासन 'राजा' के हाथ में होता था, जिसे स्वयं जनता चुनती थी। सभाओं में महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती थी। सभाओं के सदस्य भी जनता द्वारा चुने जाते थे। सभाओं में केवल क्षत्रियों का ही प्रतिनिधित्व होता था।

2. **महाजनपद-** कुछ जनपद अति महत्त्वपूर्ण व विस्तृत हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। भगवान् बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 600 ई0पू0 में उत्तरी भारत में सोलह जनपद थे।

1. **अंग–** अंग की राजधानी चम्पा थी। इस महाजनपद में आधुनिक बिहार के भागलपुर तथा मुँगेर जिले सम्मिलित थे।
2. **मगध–** मगध की राजधानी गिरिव्रज (आधुनिक राजगीर) थी। इसमें बिहार के पटना तथा गया जिले सम्मिलित थे।
3. **काशी–** इसकी राजधानी काशी (बनारस या वाराणसी) थी। काशी में उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला सम्मिलित था।
4. **कोशल–** कोशल में उत्तर प्रदेश का अवध प्रदेश सम्मिलित था। सरयू नदी इस महाजनपद को दो भागों में बाँटती थी - (i) उत्तरी कोशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी तथा (ii) दक्षिणी कोशल जिसकी राजधानी कुशावती थी।
5. **वत्स–** वत्स के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला सम्मिलित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी।
6. **शूरसेन–** शूरसेन में उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला सम्मिलित था। इसकी राजधानी मथुरा थी।
7. **पांचाल–** पांचाल के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश का वर्तमान रुहेलखण्ड मण्डल सम्मिलित था। यह एक विशाल राज्य था, जिसके उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिणी भाग की काम्पिल्य।
8. **कुरु–** इसमें वर्तमान मेरठ जिला, दिल्ली तथा दक्षिणी-पूर्वी हरियाणा सम्मिलित थे। इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, जो गंगा नदी की भयंकर बाढ़ों से नष्ट हो गयी। कालान्तर में इन्द्रप्रस्थ इसकी राजधानी बनी।
9. **मत्स्य–** इसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य राजस्थान में आधुनिक जयपुर के आसपास स्थित था।
10. **चेदि–** चेदि यमुना के तट पर स्थित था, जिसमें उत्तर प्रदेश का वर्तमान बुन्देलखण्ड प्रदेश सम्मिलित था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी।

11. **अवन्ति–** अवन्ति के अन्तर्गत मध्य प्रदेश का मालवा प्रदेश सम्मिलित था। इसके उत्तरी भाग की राजधानी उज्जयिनी (आधुनिक उज्जैन) तथा दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती थी।
12. **अश्मक–** इसकी राजधानी पोटली थी। अश्मक गोदावरी नदी के तट पर स्थित था।
13. **वज्जि–** वज्जि आठ कबीलों का संघ था, जिसमें विदेह, वज्जि तथा लिच्छवि प्रमुख थे। विदेह की राजधानी उत्तरी बिहार में स्थित वैशाली थी।
14. **मल्ल–** मल्ल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित था। यह दो भागों में विभाजित था, जिनकी राजधानी क्रमशः कुशीनगर तथा पावा थी।
15. **गान्धार–** गान्धार आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिण्डी जिलों पर विस्तृत था तथा इसमें अफगानिस्तान भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी।
16. **कम्बोज–** कम्बोज भारतीय उपमहाद्वीप के राजौरी तथा हजारा जिलों पर विस्तृत था। इसकी राजधानी हाटक थी।

उपर्युक्त महाजनपदों में कुछ 'राजतंत्र' थे, जो राजाओं द्वारा शासित होते थे तथा अन्य 'गणतन्त्र' थे, जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासित होते थे। ये सभी राज्य परस्पर लड़ते रहते थे। इनमें चार महाजनपद अत्यंत शक्तिशाली थे– वत्स, अवन्ति, कोशल एवं मगध।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

6. नए धार्मिक विचारों का प्रादुर्भाव

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (ब) वेदान्त 2. (अ) 700-600 ई0पू0 3. (स) पार्श्वनाथ 4. (द) गुजरात 5. (ब) सारनाथ, वाराणसी

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. वैदिक 2. महावीर स्वामी 3. 80, कुशीनगर, (पूर्वी उत्तर प्रदेश) 4. पाल वंश

ग. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए -

1. 108 2. गार्गी 3. ऋषभदेव 4. मोर्य सम्राट चन्द्रगुप्त 5. महाभिनिष्क्रमण 6. तृष्णा (इच्छा)

घ. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए -

1. उपनिषद् वैदिक ग्रन्थ है, जिनकी रचना 700-600 ई0पू0 हुई। उपनिषद् का साधारण अर्थ है- गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। उपनिषदों को प्रायः वेदान्त (वेदों का अन्त) कहा जाता है, क्योंकि ये वैदिक युग के अन्त में लिखे गये तथा वैदिक शिक्षा के अन्त में पढ़ाये जाते थे।
2. कालान्तर में वैदिक युग में आई कुरीतियों के कारण जैन धर्म व बौद्ध धर्म का उदय हुआ। लोग वैदिक धर्म की जटिल विधियों, प्रथाओं से ऊब गए थे। चमत्कार, जादू आदि अन्धविश्वासों के कारण लोगों का विश्वास वैदिक धर्म से उठ गया। ब्राह्मण अपनी स्वार्थ-पूर्ति के वशीभूत लोगों का शोषण करने लगे थे।

3. भगवान् महावीर के निर्वाण प्राप्त करने के लगभग दो सौ वर्षों बाद जैन धर्म दो सम्प्रदायों में बँट गया– दिगम्बर तथा श्वेताम्बर। दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुयायी रूढ़िवादी हैं, जो स्वयं को कष्ट देने में विश्वास करते हैं तथा नग्न रहते हैं। श्वेताम्बर भद्रबाहु के अनुयायी हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं।
4. बुद्ध ने प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया तथा पाँच शिष्यों को बौद्ध धर्म में प्रवर्तित किया। यह घटना 'धर्म-चक्र-प्रवर्तन' कहलाती है। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर (पूर्वी उत्तर प्रदेश) में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ।
5. तृष्णा की समाप्ति के लिए आठ प्रकार के उपाय करने चाहिए। ये आठ उपाय अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं -

(i) सम्यक् दृष्टि (ii) सम्यक् संकल्प,
(iii) सम्यक् वाणी (iv) सम्यक् शील,
(v) सम्यक् आजीविका (vi) सम्यक् व्यायाम (श्रम),
(vii) सम्यक् स्मृति तथा (viii) सम्यक् समाधि।

ङ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तारपूर्वक दीजिए -

1. जैन धर्म भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। यह आज भी प्रचलित है। यह धर्म अहिंसा पर आधारित आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर ऋषभदेव (आदिनाथ) थे। प्रथम बाइस तीर्थंकरों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और चौबीसवें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुण्डग्राम में लगभग 540 ई0पू0 में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। बचपन से ही वर्धमान चिन्तनशील प्रवृत्ति के थे। उनका लालन-पालन राजसी वैभव के साथ हुआ था, किन्तु 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया। अगले 12 वर्षों तक वे ध्यानमग्न रहे। कठिन तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया। अन्ततः उन्हें 'कैवल्य' (पूर्ण ज्ञान) की प्राप्ति हुई और वे 'जिन' कहलाये। उन्हें महावीर भी कहा जाने लगा। अपना शेष जीवन उन्होंने स्थान-स्थान पर जैन धर्म का प्रचार करने में लगाया। जैन धर्म पश्चिमी भारत (राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के मालवा) में अधिक लोकप्रिय हुआ। दकन तथा दक्षिण भारत (कर्नाटक, तमिलनाडु) में भी कुछ राजाओं (गंग, होयसल तथा राष्ट्रकूट) ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। व्यापारियों ने जैन धर्म का पर्याप्त रूप से समर्थन किया।

प्रमुख शिक्षाएँ– जैन धर्म की पाँच शिक्षाएँ प्रमुख हैं - (1) सत्य बोलना, (2) सम्पत्ति का संग्रह न करना, (3) अहिंसा का पालन करना, (4) किसी वस्तु को दान में न लेना तथा (5) पवित्र जीवन व्यतीत करना।

जैन धर्म की सबसे प्रमुख शिक्षा अहिंसा है। महावीर किसी भी प्रकार की जीव-हिंसा के विरुद्ध थे, चाहे वे कीड़े-मकोड़े हों या सूक्ष्म जीव।

जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष या निर्वाण या कैवल्य प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करके ही मनुष्य जीवन-मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जैन धर्म में निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं–

1. त्रिरत्न की प्राप्ति मोक्ष प्राप्त करने का महत्त्वपूर्ण साधन है। ये निम्नलिखित हैं–

(i) सम्यक् दर्शन– हमेशा सत्य के ही दर्शन करना।
(ii) सम्यक् ज्ञान– शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना।
(iii) सम्यक् चरित्र– शुद्ध आचरण रखना।

2. पंच महाव्रत जैन धर्म के पाँच प्रमुख सिद्धान्त हैं। इन सिद्धान्तों पर जैन धर्म में बहुत बल दिया जाता है। इन्हें ही पंच महाव्रत कहा जाता है।

(i) अहिंसा– किसी भी जीवित प्राणी को हानि न पहुँचाना।

(ii) सत्य– सदैव सत्य बोलना।

(iii) अस्तेय– किसी भी तरह की चोरी न करना।

(iv) अपरिग्रह– आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना।

(v) ब्रह्मचर्य– संयमित व सदाचारी जीवन जीना।

2. बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ई0पू0 में नेपाल के तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वह शाक्य राजा के पुत्र थे। उनकी माता का देहान्त होने पर उन्हें गौतमी ने पाला, इसीलिए वे गौतम कहलाये। सोलह वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ, जिनसे उनको राहुल नामक पुत्र हुआ। बचपन से ही सिद्धार्थ (बुद्ध का वास्तविक नाम) चिन्तनशील प्रकृति के थे। तीस वर्ष की आयु में कष्टों का निवारण ढूँढ़ने के लिए सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया। यह घटना महाभिनिष्क्रमण के रूप में मानी जाती है। उन्होंने गया के निकट उरुवेला के जंगलों में छः वर्षों तक घोर तप किया। बोधगया में एक बरगद के वृक्ष के नीचे 49 दिनों के बाद उन्हें 'बोध' (ज्ञान) प्राप्त हुआ तभी से वे 'बुद्ध' कहलाने लगे। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ बौद्ध लोगों का प्रमुख तीर्थ स्थान महाबोधि मन्दिर है।

बुद्ध ने प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया तथा पाँच शिष्यों को बौद्ध धर्म में प्रवर्तित किया। यह घटना 'धर्म-चक्र-प्रवर्तन' कहलाती है। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर (पूर्वी उत्तर प्रदेश) में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ।

प्रमुख शिक्षाएँ (Major Teachings)

बुद्ध ने चार आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया -

1. दुख।

2. दुख का कारण 'तृष्णा' (इच्छा) या क्षणिक सुख है।

3. दुखों से मुक्ति पाने के लिए तृष्णा को समाप्त कर देना चाहिए।

4. तृष्णा की समाप्ति के लिए आठ प्रकार के उपाय करने चाहिए। ये आठ उपाय अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं -

(i) सम्यक् दृष्टि (ii) सम्यक् संकल्प,

(iii) सम्यक् वाणी (iv) सम्यक् शील,

(v) सम्यक् आजीविका (vi) सम्यक् व्यायाम (श्रम),

(vii) सम्यक् स्मृति तथा (viii) सम्यक् समाधि।

इस अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही मनुष्य तृष्णा से छुटकारा पा सकता है तथा सदाचारी बन सकता है।

बुद्ध ने 'मध्यम मार्ग' के महत्त्व पर बल दिया। मध्यम मार्ग का अर्थ है- जीवन में अति से बचना; अर्थात् न तो उग्र तप करना चाहिए और न ही सांसारिक सुखों में लिप्त रहना चाहिए। उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में पशुबलि का निषेध किया। उन्होंने वेदों को सर्वोपरि मानने से इनकार कर दिया, जाति-व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया तथा सादा जीवन बिताने पर बल दिया।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

7. अशोक मौर्य-एक महान सम्राट

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) बिन्दुसार 2. (स) प्राकृत 3. (ब) कलिंग युद्ध 4. (द) 185 ई0पू0

ख. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

1. चन्द्रगुप्त मौर्य ने 322 ई0पू0 से 297 ई0पू0 तक तथा उसके पश्चात् उसके पुत्र बिन्दुसार ने 297 ई0पू0 से 273 ई0पू0 तक राज्य किया।
2. अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं।
3. अशोक ने अपनी प्रजा की समस्याओं का निदान करने के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जो कि स्थान-स्थान पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। यें अधिकारी ही धम्म महामात्रा कहलाते थे।
4. चन्द्रगुप्त और अशोक मौर्य का शासन पूर्वी-पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी भारत से दक्कन तक था।
5. 185 ई0पू0 में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य को नष्ट कर दिया।

ग. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त रूप में दीजिए -

1. चाणक्य एवं चन्द्रगुप्त ने अन्तिम नंद शासक को सिंहासन से हटाकर मौर्य वंश की नींव रखी। चन्द्रगुप्त ने अपने शासन का काफी विस्तार किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चन्द्रगुप्त मौर्य ने 322 ई0 पू0 से 297 ई0 पू0 तक तथा उसके पश्चात् उसके पुत्र बिन्दुसार ने 297 ई0 पू0 से 273 ई0 पू0 तक राज्य किया। बिन्दुसार के पश्चात् उसका पुत्र अशोक 273 ई0 पू0 में सिंहासन पर बैठा। अशोक को भारत का एक महान् सम्राट माना जाता है।
2. अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अन्य देशों में अपने दूत भेजे। उसने अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार- प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा।
3. अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी कमजोर सिद्ध हुए। सत्ता के कमजोर होने के कारण मौर्य साम्राज्य क्षीण होने लगा। अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने ब्राह्मणों में असन्तोष फैला दिया था। अतः धीरे-धीरे जनता में अशोक की धार्मिक नीतियों के प्रति असंतोष फैल गया। मौर्य शासकों ने अपने विलासी जीवन की पूर्ति तथा सेना पर अधिक खर्च करने के कारण जनता पर करों का अधिक बोझ डाल दिया। अशोक अपनी मृत्यु तक बौद्ध धर्म को देश-विदेश में फैलाने में व्यस्त रहा। इसलिए वह उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त के रास्तों की सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दे सका। अन्ततः 185 ई0 पू0 में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य को नष्ट कर दिया और शुंग वंश की नींव रखी।

घ. निम्नलिखित प्रश्नों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए–

1. बिन्दुसार के पश्चात् उसका पुत्र अशोक 273 ई0 पू0 में सिंहासन पर बैठा। अशोक को भारत का एक महान् सम्राट माना जाता है।

   अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे, जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुँचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। आरम्भ में अशोक ने भी अन्य मौर्य सम्राटों की तरह अपने राज्य का विस्तार किया, लेकिन कलिंग (ओडिशा) के युद्ध ने अशोक के जीवन का लक्ष्य ही बदल दिया।

अशोक का धम्म- कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और धम्म की स्थापना की। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड का स्थान नहीं था। उनका मानना था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्त्तव्य है कि वे अपनी प्रजा को निर्देश दें।

उस समय उनके साम्राज्य में अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे और इससे कई बार आपस में टकराव पैदा हो जाते थे। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने अनुभव किया कि उन्हें इन समस्याओं का निदान करना चाहिए। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति की जो कि स्थान-स्थान पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे।

अशोक ने अपने सन्देशों को कई स्थानों पर शिलाओं और स्तम्भों पर खुदवाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उसके सन्देश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएँ, जो पढ़ना नहीं जानते। उनका मानना था कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों को छोड़कर अपने दासों और नौकरों के प्रति अच्छा व्यवहार करें, सभी जीवों पर दया करें और ब्राह्मणों तथा श्रमिकों को दान दें। इस प्रकार सही अर्थों में धर्म का पालन होगा।

अशोक का मानना था कि लोग अपने धर्म की प्रशंसा तथा अन्य धर्मों की बुराई न करें। हमें दूसरे धर्मों के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए।

2. चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य पूर्वी-पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी भारत से दक्कन तक फैलाया। यह भारत के इतिहास का पहला विशाल साम्राज्य था। यह साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंदकुश और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था।

मौर्य साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर-पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने-जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे।

साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गाँव बसे थे। मध्य भारत का ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा था। वहाँ पर लोग फल-फूल का संग्रह करके और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आस-पास सम्राट का सीधा नियन्त्रण था। इस इलाके के गाँवों में और नगरों में रहने वाले लोगों (किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों) से कर एकत्र करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। जो लोग इन अधिकारियों की आज्ञा का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। इन सबसे ऊपर सम्राट था, जो राजपरिवार एवं वरिष्ठ मन्त्रियों की सहायता से सब पर नियन्त्रण रखता था।

मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत कई प्रान्त थे। इन पर तक्षशिला तथा उज्जैन जैसी प्रान्तीय राजधानियों से राज किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियन्त्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल (गर्वनर) नियुक्त किया जाता था।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

8. नगरीय एवं ग्राम्य जीवन (प्राचीन)

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (ब) हड़प्पा 2. (स) पाणिनि 3. (अ) लौह युग 4. (द) शिल्पादिकारम

ख. सही मिलान कीजिए–

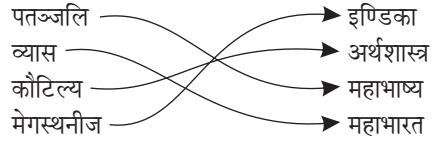

ग. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए–

1. उत्तरी भारत में नगरीकरण को तीन भागों में बाँटा जा सकता है- आर्योत्तर, मौर्यकाल तथा मौर्योत्तर काल।
2. दक्षिण भारत के प्रमुख ग्रन्थ हैं- तोलकप्पियम, शिलाप्पदिकरम, मणिमेखलइ।
3. मौर्योत्तर काल के प्रमुख शैक्षिक नगर थे- तक्षशिला एवं नालन्दा।
4. मदुरै, वञ्जी, उरैयुर, पुहार तथा कोरकाई प्रमुख तमिल नगर थे।

घ. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए–

1. हड़प्पा संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय संस्कृति थी। यह नगरीय समाज बड़े-बड़े नगरीय केन्द्रों के चारों ओर फैले गाँवों पर निर्भर था। हड़प्पा संस्कृति का प्रारम्भ लगभग 2350 ई0 पू0 में हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में 600 ई0 पू0 के आस-पास दूसरा नगरीकरण हुआ। उत्तर भारत में आर्यों तथा दक्षिण भारत में द्रविड़ लोगों ने नगरीकरण की नींव रखी। वाराणसी, पटना, मदुरै तथा काँचीपुरम प्राचीन नगरीकरण के प्रमाण हैं।
2. वैदिक युग के प्रारम्भ में लोग कृषक एवं पशुपालक थे, जो गाँवों में रहते थे। वैदिकोत्तर काल (800-600 ई0 पू0) में आर्य गंगा-यमुना के आस-पास के क्षेत्रों में रहने लगे। इस स्थान पर 'कुरु' (मेरठ-दिल्ली के आसपास) तथा 'पांचाल' (बरेली के निकट) रहते थे। यहाँ कुछ आर्य शासकों में परस्पर लड़ाइयाँ भी होती थी, जिनके कारण छोटे राज्यों तथा राजधानी नगरों का उद्भव हुआ; जैसे– अयोध्या, राजगीर, श्रावस्ती, वाराणसी, माहिष्मती, उज्जैन आदि।
   इन नगरों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण तत्कालीन आर्थिक संसाधन थे। आर्य लोग मुख्यतः लौह युग के लोग थे। वे लोहे का प्रयोग हल, कुल्हाड़ी, आरी तथा कृषि उपकरण बनाने में करते थे। इन उपकरणों से वे घने जंगलों को काटकर कृषि के योग्य भूमि साफ करते थे। लोहे के हल के प्रयोग से कृषि द्वारा अधिक उत्पादन सम्भव हुआ, जिससे नगरों का उद्भव हुआ। रथों, बैलों, गाड़ियों आदि के विकास के कारण व्यापार व वाणिज्य में वृद्धि हुई और नगरीकरण में वृद्धि हुई।
3. भारत के दक्षिण में तमिलनाडु एवं केरल राज्यों (आधुनिक) में नगरीकरण की प्रक्रिया हुई, जिससे विशिष्ट द्रविड़ संस्कृति का विकास हुआ। भारत में नगरीकरण के प्रथम चरण अर्थात्

हड़प्पा युग में नर्मदा एवं ताप्ती के मुहानों तक तथा मालवा के पठार पर नगरीय केन्द्र स्थापित हुए थे। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति दकन के पठार तक फैल गयी थी, किन्तु हड़प्पाकालीन नगरीकरण तथा द्रविड़ नगरीकरण के मध्य निरन्तरता दिखाई नहीं देती। द्रविड़ नगरीकरण का प्रादुर्भाव ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी में हुआ।

संगम साहित्य के अनुसार, द्रविड़ संस्कृति का स्तर उच्च था। नगरीकरण भी उच्च कोटि का था। शिल्पादिकारम् तथा मणिमेखलइ महाकाव्यों से पाण्ड्य तथा चेर राज्यों के नगरीय समाजों की जानकारी मिलती है। मदुरै, वञ्जी, उरैयुर, पुहार तथा कोरकाई प्रमुख तमिल नगर थे, जो पाण्ड्यों, चोलों तथा चेरों के प्रारम्भिक तमिल राज्यों की राजधानी थे। मेगस्थनीज तथा कौटिल्य ने भी मदुरै तथा काँचीपुरम नगरों का उल्लेख किया है। इस युग के प्रमुख नगर निम्नलिखित थे – पुहार, उरैयुर, कोरकाई, मदुरै, मुजीरी, वञ्जी एवं करूर। दक्षिणी राज्यों में प्रत्येक राज्य की दो राजधानियाँ होती थीं।

ङ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तारपूर्वक लिखिए–

1. **मौर्य व मौर्योत्तर काल में नगर-** मौर्य काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं - कौटिल्य का अर्थशास्त्र, फाह्यान के वृत्तान्त तथा मेगस्थनीज की इण्डिका। मौर्य काल के दौरान गंगा-यमुना के निचले मैदानों में (पूर्व की ओर) नगरीकरण पूर्ण रूप से हो गया। 600 ई0 पू0 के आसपास छोटे जनपद, महाजनपद में बदल गए। इस समय बिहार का मगध प्रदेश प्रमुख केन्द्र बन गया। धीरे-धीरे महाजनपदों की स्थापना के बावजूद नगरीकरण में निरन्तर वृद्धि होती चली गई।

   तत्कालीन संस्कृति का प्रमुख स्थल होने के कारण ये बड़े साम्राज्य नगरों के प्रमुख केन्द्र बन गए। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार इस समय निम्न प्रकार के नगर विद्यमान थे – राजधानी नगर, स्थानीय नगर (जनपदीय राजधानी), खर्वाट नगर (200 गाँवों का केन्द्रीय नगर), खेत नगर (खर्वाट से छोटा नगर), पूतभेदना (बड़ा वाणिज्यिक केन्द्र), निगम (साधारण बाजार केन्द्र), पत्तन (तटवर्ती व्यापारिक नगर) तथा द्रोणमुख (नदीय पत्तन)। उस समय धार्मिक एवं शैक्षिक नगरों का भी वर्चस्व था। तक्षशिला एवं नालन्दा मौर्योत्तर काल के प्रमुख शैक्षिक नगर थे।

   मौर्योत्तर काल में नगरीय समाज ग्रामीण समाज की तरह स्थापित था। इस समाज के प्रमुख अंग थे– राजा एवं उच्च अधिकारीगण, पुरोहित, निम्न अधिकारीगण, स्वतन्त्र व्यवसायी, व्यापारी, कारीगर तथा शिल्पी व संगीतज्ञ, नर्तक जैसे मनोरंजन करने वाले और धोबी, नाई, घरेलू नौकर आदि।

   ईसा की पाँचवीं शताब्दी में बाह्य आक्रमणों के कारण तक्षशिला, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र जैसे सुप्रसिद्ध नगर खण्डहर हो गए। केवल कन्नौज तथा नालन्दा जैसे नगर बचे रहे। इन नगरों के पतन के प्रमुख कारणों में प्राकृतिक प्रकोप व परस्पर युद्ध भी थे।

2. **प्राचीन तमिलनाडु (Ancient Tamil Nadu)**

   कृष्णा, तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों का दक्षिणवर्ती प्रदेश तमिल प्रदेश कहलाता है।

   महापाषाण कब्रें तथा निवास-स्थान दक्षिण भारत के इतिहास के प्रमुख पुरातात्त्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोतों में संगम साहित्य विशेष रूप में उल्लेखनीय है। संगम साहित्य द्वितीय शताब्दी ई0 पू0 से तृतीय शताब्दी ई0 तक तमिल भाषा का साहित्य है, जो तत्कालीन विद्वानों की परिषदों में प्रस्तुत किया जाता रहा। ये परिषदें कवियों और साहित्यकारों की मिलन-स्थली

थीं। इन रचनाओं में तत्कालीन घटनाओं और प्रसिद्ध चरित्रों के उल्लेख होते थे। संगम साहित्य से हमें तत्कालीन चोल, चेर तथा पाण्ड्य राज्यों के विवरण प्राप्त होते हैं। इस साहित्य के रचना-काल को 'संगम युग' कहा जाता है। यह साहित्य दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है।

चोल राज्य (The Chola Kingdom)- चोल राज्य कावेरी डेल्टा में पेन्नार तथा वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित था। यह 'चोलामण्डल' या 'कोरोमण्डल' कहलाता था। इसकी राजधानी उरैयुर (आधुनिक तिरुचिरापल्ली) थी। 190 ई0 के लगभग कारीकल एक प्रसिद्ध चोल शासक था। उसने पड़ोसी चेर तथा पाण्ड्य शासकों पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके पास एक विशाल जहाजी बेड़ा था। अपनी नौसैनिक शक्ति के बल पर ही उसने सिंहल द्वीप (आधुनिक श्रीलंका) के उत्तरी भाग पर भी अधिकार कर लिया था। उसने अपनी राजधानी उरैयुर से कावेरीपत्तनम या पुहार में स्थानान्तरित की। यह एक व्यापारिक नगर था। कारीकल ने कावेरी के किनारे 165 किमी लम्बे तटबन्ध का निर्माण किया तथा कावेरी नदी से नहरें निकालीं।

कारीकल के उत्तराधिकारी कमजोर शासक सिद्ध हुए, अतः चोलों की शक्ति तथा समृद्धि का तेजी से ह्रास होता गया। नवीं शताब्दी में चोलों की शक्ति का पुनरुत्थान हुआ।

पाण्ड्य राज्य (The Pandya Kingdom)- पाण्ड्य राज्य तमिलनाडु के आधुनिक तिनेवली, रामनाथपुरम् तथा मदुरै जिलों में विस्तृत था। उसकी राजधानी मदुरै थी। पाण्ड्य राज्य के विवरण 'महाभारत', 'जातक कथाओं', 'इण्डिका' और 'अशोक के शिलालेखों' में भी मिलते हैं। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में कलिंग-नरेश खारवेल के पाण्ड्यों के विरुद्ध अभियान के वर्णन मिलते हैं। नेदुनचेजियन एक प्रसिद्ध पाण्ड्य शासक था, जिसने चोलों और चेरों की सम्मिलित शक्ति को पराजित किया था। वह कला तथा साहित्य का प्रेमी था। पाण्ड्य शासक वैदिक अनुष्ठान करते थे तथा ब्राह्मणों का बहुत आदर करते थे।

चेर राज्य (The Chera Kingdom)- चेरों का राज्य केरल के मालाबार, कोच्चि तथा आधुनिक त्रावणकोर क्षेत्रों पर विस्तृत था। चेरों को 'केरलपुत्र' भी कहा जाता था। उनकी राजधानी वेगिं में थी। चेरों के प्रारम्भिक विवरण तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अशोक के शिलालेखों में मिलते हैं। चेर क्षेत्र अरब सागर तट तथा पश्चिमी घाट के मध्य विस्तृत एक सँकरी पट्टी में सीमित था। नेदुनजेरल अदन तथा सेंगुट्टुवन या लाल चेर शक्तिशाली चेर शासक थे।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

9. नए साम्राज्य और उनका राजनैतिक स्वरूप

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (स) रोम में 2. (अ) आंध्र के 3. (ब) बक्ट्रिया में 4. (द) कनिष्क ने
5. (अ) कश्मीर में 6. (स) शीलभद्र 7. (ब) समुद्रगुप्त को

ख. सत्य और असत्य कथनों पर क्रमशः (3) व (7) का निशान लगाइए–

1. (3) 2. (7) 3. (7) 4. (3) 5. (7)

ग. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए–

1. मुवेंदर 2. दक्षिणापथ के स्वामी 3. नगनिका 4 गांधार कला 5. रुद्रदमन 6. कनिष्क 7. चन्द्रगुप्त द्वितीय

घ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त रूप से लिखिए–

1. जिस समय उत्तर भारत में मौर्य और कुषाण शासक राज्य कर रहे थे तब दक्षिण भारत में कई राजवंश शासन में थे; जैसे– सातवाहन, चेर, चोल और पाण्ड्य। सातवाहन ने मुख्यतः महाराष्ट्र के भागों और कर्नाटक-आंध्र के क्षेत्रों पर शासन किया। चेर, चोल और पाण्ड्य ने सातवाहन क्षेत्र के दक्षिणी भाग में शासन किया। तमिल भाषा बोले जाने के कारण इस क्षेत्र को तमिलाकम कहा जाता था।
2. दक्षिण के विभिन्न नगरों और स्थानों से विभिन्न विद्वान, ज्ञानी आपसी वाद-विवाद के लिए एकत्र होते थे। इसी को संगम कहा गया। ये संगम निरंतरता से 200 ईसवी से 300 ईसवी के मध्य हुए। इसलिए इतिहासकारों ने इसे संगम युग कहा।
   पुरावेत्ताओं की खुदाई, पुराने और उत्कीर्ण सिक्के हमें संगम युग के लोगों के जीवन और संस्कृति के विषय में बताते हैं।
3. **शक-** इंडो-ग्रीक के बाद शकों ने भारत पर आक्रमण किया। शकों की पाँच शाखाएँ थीं, जो विभिन्न भागों से शासन करती थीं। सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदमन (130-150 ईसवी) था। उसने काठियावाड़ (गुजरात) में पुरानी सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। यह विशाल झील मौर्य शासन काल में बनी थी। रुद्रदमन संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था।
   पार्थियन- शकों के बाद भारत में ईरान से पार्थियन आए। उन्होंने पहली शताब्दी में उत्तर-पश्चिम भारत के छोटे से भाग पर शासन किया था। सबसे महत्वपूर्ण पार्थियन शासक गोंडोफारस था।
4. कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का कश्मीर में आयोजन किया। उसने अनेक बौद्ध मठों व बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। कनिष्क ने अशोक के बाद बौद्ध धर्म को मध्य तथा पूर्वी एशिया में फैला दिया।
5. चीन के लोग रेशम के कीट से कपड़ा बुनना जानते थे। चीन के व्यापारी जिस मार्ग से चीन का व्यापार करते थे, उसे रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता था। यह मार्ग प्राचीन एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका तक जाने वाला रास्ता था।
   कनिष्क ने रेशम मार्ग पर कब्जा जमाया और उसे अपने नियंत्रण में रखा। कुषाण शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। रेशम मार्ग पर जाने वाले व्यापारियों से उपहार के रूप में शुल्क व कीमती तोहफे प्राप्त होते थे, जिसके बदले में रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले शासक उन व्यापारियों की लुटेरों से रक्षा करते थे। संभवतः इसी शर्त पर कनिष्क ने रेशम मार्ग का नियंत्रण अपने हाथों में लिया।
6. फाह्यान एक बौद्ध व चीनी यात्री था। वह चीन से गोबी मरुस्थल को पार करता हुआ उत्तर-पश्चिम की ओर से भारत आया। वह पेशावर और तक्षशिला होता हुआ पाटलिपुत्र पहुँचा। वह छः वर्षों तक (405-411 ई0) गुप्त साम्राज्य का भ्रमण करता रहा। अन्ततः ताम्रलिप्ति (बंगाल) के बन्दरगाह से वह समुद्र के रास्ते चीन लौट गया। उसने अपनी भारत यात्रा तथा गुप्त साम्राज्य का विशेषतः वर्णन किया है।
   फाह्यान के अनुसार, गुप्त शासक उदार तथा कुशल प्रशासक थे। उन्होंने प्रजाहित के अनेक

कार्य किये। उन्होंने राजमार्गों पर विश्रामगृह (धर्मशालाएँ) बनवायीं। सड़कों का रख-रखाव बहुत अच्छा था। जनता ईमानदार थी और कानूनों का पालन करती थी। अधिकांश लोग शाकाहारी थे। साम्राज्य में पशुवध निषिद्ध था। शासक बौद्धों तथा ब्राह्मणों को उदारतापूर्वक दान देते थे।

ङ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तारपूर्वक दीजिए–

सातवाहन शासक

1. जिस समय उत्तर भारत में मौर्य और कुषाण शासक राज्य कर रहे थे तब दक्षिण भारत में कई राजवंश शासन में थे; जैसे– सातवाहन, चेर, चोल और पाण्ड्य। सातवाहन ने मुख्यतः महाराष्ट्र के भागों और कर्नाटक-आंध्र के क्षेत्रों पर शासन किया। चेर, चोल और पाण्ड्य ने सातवाहन क्षेत्र के दक्षिणी भाग में शासन किया। तमिल भाषा बोले जाने के कारण इस क्षेत्र को तमिलाकम कहा जाता था। चेर, चोल और पाण्ड्य को मुवेंदर कहा जाता था। संगम साहित्य में मुवेंदर का अर्थ होता है – राजा/शासक।

   सातवाहनों ने आंध्र पर 300 वर्ष से भी अधिक शासन किया। गौतमी बालाश्री के अनुसार, सातवाहनों में प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी (106-130 ई0) था।

   सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है – 'दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता'। सातवाहन समाज में नगनिका और गौतमी बालाश्री जैसी बुद्धिमान और पढ़ी-लिखी महिलाओं ने प्रशासन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संपत्ति पर महिलाओं का पूरा अधिकार था। अमरावती की मूर्तियाँ दर्शाती हैं कि पुरुषों के साथ महिलाएँ भी सभा और अतिथियों के स्वागत में सम्मिलित रहती थीं।

2. **कुषाण एवं कनिष्क-** पार्थियन के बाद भारत में अफगानिस्तान के रास्ते से कुषाण आए। धीरे-धीरे उन्होंने भारत में बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। उनका साम्राज्य पूर्व में बिहार तक फैला था। मथुरा उनकी दूसरी राजधानी थी। मुख्य कुषाण शासकों में कुलुज कडफिसेस तथा विमकडफिसेस प्रसिद्ध कुषाण शासक थे। कनिष्क 78 ईसवी में सिंहासन पर बैठा। उसने नया संवत् शक संवत् चलाया, जिसे अब भारतीय सरकार प्रयोग कर रही है। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था।

   कनिष्क महान कला और साहित्य प्रेमी था। एक संस्कृत विद्वान अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहता था। अश्वघोष ने 'बुद्धचरित', 'सौन्दरनन्द' तथा 'सूत्रालंकार' जैसी रचनाएँ लिखी। उसने कनिष्क द्वारा आयोजित बुद्ध समिति में भाग लिया। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, चरक और नागार्जुन जैसे विद्वान थे। चरक ने 'चरकसंहिता' लिखी, जिसमें अनेक पौधों और जड़ी-बूटियों का दवा के रूप में वर्णन है।

   कनिष्क ने कला की दो शैलियाँ विकसित की – गान्धार कला तथा मथुरा कला। मथुरा कला शैली उत्कृष्ट थी। मथुरा में मिली कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा कला-शैली की अनुपम कृति है। गान्धार कला शैली ग्रीको-रोमन तथा भारतीय शैली का मिश्रण है।

   बौद्ध धर्म का प्रसार- कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का कश्मीर में आयोजन किया। उसने अनेक बौद्ध मठों व बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। कनिष्क ने अशोक के बाद बौद्ध धर्म को मध्य तथा पूर्वी एशिया में फैला दिया।

   रेशम मार्ग और कनिष्क- चीन के लोग रेशम के कीट से कपड़ा बुनना जानते थे। चीन के व्यापारी जिस मार्ग से चीन का व्यापार करते थे, उसे रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता था। यह मार्ग प्राचीन एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका तक जाने वाला रास्ता था।

कनिष्क ने रेशम मार्ग पर कब्जा जमाया और उसे अपने नियंत्रण में रखा। कुषाण शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। रेशम मार्ग पर जाने वाले व्यापारियों से उपहार के रूप में शुल्क व कीमती तोहफे प्राप्त होते थे, जिसके बदले में रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले शासक उन व्यापारियों की लुटेरों से रक्षा करते थे। संभवतः इसी शर्त पर कनिष्क ने रेशम मार्ग का नियंत्रण अपने हाथों में लिया।

3. **नालंदा : बौद्ध शिक्षा का अद्‌भुत केन्द्र-** विभिन्न देशों के कई तीर्थयात्रियों ने देश की संगठित शिक्षा व्यवस्था का अपने यात्रा वृत्तान्तों में वर्णन किया है। मंदिर और मठ बड़े शिक्षा केन्द्र थे। विभिन्न मठ ज्ञान की विशेष शाखाओं के केन्द्र थे; जैसे– तक्षशिला में चिकित्सा विज्ञान, उज्जैन मठ में खगोलशास्त्र तथा गया में महाबोधनी विश्वविद्यालय आदि।

   क्सुंग जंग ने उस काल के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठ और सही रूप से परिभाषित 'महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड' नालंदा (बिहार) में अध्ययन में समय बिताया। इस मठ के प्रमुख शीलभद्र थे। क्सुंग जंग ने बताया कि नालंदा मठ पहले आम का बाग था और कई राजाओं के कीमती उपहारों और दान से यह बड़े विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। उसने पाँच वर्ष यहाँ अध्ययन किया और इसे इस रूप में परिभाषित किया– ''अध्यापक उच्च क्षमता और प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं। वे पूरी निष्ठा से बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। नियम कठोर हैं और सबको इन्हें मानना पड़ता है। पूरे दिन चर्चा चलती थी और वृद्ध तथा युवा एक-दूसरे की सहायता करते थे। ज्ञानी लोग अन्य नगरों से अपनी जिज्ञासा शांत करने यहाँ आते थे।''

4. चन्द्रगुप्त प्रथम (320-325 ई0) गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने 15 वर्षों तक मगध पर शासन किया। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार गंगा की मध्यवर्ती घाटी तक करने के बाद 'महाराजाधिराज' की उपाधि ग्रहण की। वैशाली के लिच्छवि वंश से विवाह सम्बन्ध स्थापित करने पर उनका राजनीतिक प्रभाव मगध से प्रयाग (इलाहाबाद) तक हो गया।

   समुद्रगुप्त (335-375 ई0) चन्द्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, जिसे गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है। वह एक महान् सेनानायक था। उसने अनेक राजाओं को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। समुद्रगुप्त का शासन बंगाल से दिल्ली तक विस्तृत था। पूर्व में सफल सैन्य अभियानों के कारण समुद्रगुप्त को 'भारत का नेपोलियन' कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक वीर योद्धा, कवि, संगीतज्ञ और सफल योग्य प्रशासक था। वह हिन्दू होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था।

   चन्द्रगुप्त द्वितीय (375-464 ई0) समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसे 'विक्रमादित्य' की उपाधि प्राप्त थी। उसने वैवाहिक सम्बन्धों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने अपनी पुत्री का विवाह उत्तरी दकन के एक वाकाटक राजकुमार से किया। उसने वाकाटकों की सहायता से गुजरात, सौराष्ट्र तथा मालवा क्षेत्र के शक्तिशाली और समृद्ध शकों को पराजित किया। अतएव उसे 'शकारि' की उपाधि भी दी गयी। उसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया।

   चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। चन्द्रगुप्त के दरबार में 'नवरत्न' थे। उनमें संस्कृत के महान् कवि कालिदास तथा संस्कृत के एक शब्दकोश के रचनाकार अमरसिंह भी थे। चन्द्रगुप्त के शासनकाल में चीनी यात्री फाह्यान भारत आया था। उसने चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के साम्राज्य का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है।

साम्राज्य का पतन (The Decline of the Gupta Empire)

चन्द्रगुप्त के बाद उसका पुत्र स्कन्दगुप्त गुप्त वंश का उत्तराधिकारी हुआ। उसने भारत को हूणों के आक्रमण से बचाए रखा। स्कन्दगुप्त के उत्तराधिकारी कमजोर तथा अयोग्य थे। वे अपने पूर्वजों का विशाल साम्राज्य कायम नहीं रख सके। सुदूरवर्ती अनेक क्षेत्रों के सामन्तों ने विद्रोह करके स्वयं को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। अन्ततः हूणों के आक्रमणों के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

10. प्राचीन कला और साहित्य

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (द) 1500 वर्ष पूर्व 2. (ब) टीला 3. (अ) महाराष्ट्र में 4. (स) वराहमिहिर

ख. निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए–

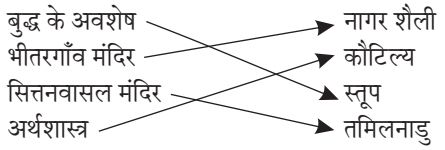

ग. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए–

1. स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बने वृत्ताकार प्रदक्षिणा पथ को एक रेलिंग से घेरा जाता था, जिसे वेदिका कहा जाता है। वेदिकाएँ सुंदर कला कृतियों से सजाई जाती थी।
2. तंजावुर का मंदिर लगभग 1001 ई0 में महान् राजराजा द्वारा बनवाया गया था।
3. बाघ गुफाएँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं।
4. दशमलव प्रणाली की खोज आर्यभट्ट ने की थी।

घ. निम्नलिखित पर संक्षिप्त रूप से टिप्पणी लिखिए–

1. **लौह स्तंभ-** दिल्ली के महरौली में बना लौह स्तंभ गुप्त काल के शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। यह स्तंभ 7.2 मीटर ऊँचा और 3 टन से भी ज्यादा भारी है। इसका निर्माण लगभग 1,500 वर्ष पहले हुआ था। यह लौह स्तंभ ढलवाँ लोहे से बना है, जिसका व्यास 40 सेमी0 है। इस स्तंभ पर जंग के निशान बहुत कम हैं। गुप्त काल में धातु को ढालने की कला चरम पर थी। अतः इतने वर्षों बाद भी इस पर जंग का न लगना अद्भुत है।
2. **स्तूप-** स्तूप ईंट और पत्थरों के बने गुम्बदाकार होते हैं। इसके शीर्ष पर एक छड़ और एक छतरी होती है, जो आध्यात्मिक संप्रभुता का प्रतीक है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ 'टीला' होता है। स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं – गोल, लम्बे, छोटे या बड़े। स्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष रखे जाते थे। इसमें दाँत, हड्डी, राख या बुद्ध या उनके अनुयाइयों के द्वारा प्रयुक्त कोई वस्तु, सिक्के, पत्थर आदि होते थे। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। यह वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ कहलाता था। प्रदक्षिणा पथ को एक रेलिंग से घेरा जाता था, जिसे वेदिका कहा जाता था। वेदिकाएँ सुंदर कलाकृतियों से सजाई जाती थी।

3. चित्रकला गुप्त काल में चित्रकारी की कला भव्यता और वैभव पर थी। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बने भित्तिचित्र गुप्त कला की चित्रकारी। कई गुफाएँ जैसे मध्य प्रदेश की बाघ गुफा और तमिलनाडु का सित्तनवासल मंदिर चट्टान से कटे कक्ष हैं, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं ने तीसरी शताब्दी ईसवी पूर्व खुदाई आरम्भ की थी, जो कि लगभग एक हजार वर्ष तक चलती रही। ये गुफाएँ स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला का भव्य संगम हैं।
4. **इमारतें-** प्राचीन इमारतों को देखकर यह पता चलता है कि गुप्त काल में स्थापत्य कला विकास के चरम पर थी। इस काल के कलात्मक अवशेष इन्हें स्तूप, स्तंभ, महल और गुफाओं के रूप में परिभाषित करते हैं। ये इमारतें ईंटों और पत्थरों की बनी थीं।

ङ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए–

1. पुरातात्विक स्रोत; जैसे – स्तूप, अभिलेख, स्तम्भ, गुफाएँ, इमारतें, दुर्ग आदि प्राचीन इतिहास की जानकारी देने में सहायता करते हैं। कुछ प्राचीन स्थापत्य नमूने नष्ट हो चुके हैं, लेकिन जो अभी सुरक्षित हैं, उनसे प्राचीन भारत के इतिहास की उपयोगी जानकारी मिलती है। आइए कुछ प्राचीन स्मारकों का अध्ययन करते हैं –

   (i) लौह स्तंभ- दिल्ली के महरौली में बना लौह स्तंभ गुप्त काल के शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। यह स्तंभ 7.2 मीटर ऊँचा और 3 टन से भी ज्यादा भारी है। इसका निर्माण लगभग 1,500 वर्ष पहले हुआ था। यह लौह स्तंभ ढलवाँ लोहे से बना है, जिसका व्यास 40 सेमी0 है। इस स्तंभ पर जंग के निशान बहुत कम हैं। गुप्त काल में धातु को ढालने की कला चरम पर थी। अतः इतने वर्षों बाद भी इस पर जंग का न लगना अद्भुत है।

   (ii) इमारतें- प्राचीन इमारतों को देखकर यह पता चलता है कि गुप्त काल में स्थापत्य कला विकास के चरम पर थी। इस काल के कलात्मक अवशेष इन्हें स्तूप, स्तंभ, महल और गुफाओं के रूप में परिभाषित करते हैं। ये इमारतें ईंटों और पत्थरों की बनी थीं।
2. पूरे दक्षिण में कई मंदिरों का निर्माण हुआ। शिव और विष्णु के दक्षिण भारतीय मंदिर अपनी भव्यता और विशालता के कारण भक्ति युग की श्रद्धा के जीवंत स्मारक हैं। गुप्तकाल के मंदिरों में स्थापत्य की दो शैलियों का प्रयोग हुआ है – नागर तथा द्रविड़। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगाँव मंदिर नागर शैली के हैं। महान् राजराजा द्वारा तंजावुर में लगभग 1,001 ई0 में बनाया गया महा शिव मंदिर स्थापत्य कला का सबसे बड़ा नमूना है। अधिकांश मंदिरों में खुले स्थान थे, जिन्हें मंडप कहा जाता था। जनसभाएँ, सामाजिक गोष्ठियाँ और धार्मिक कीर्तन इन मंडपों में निरंतर होते थे।

   तमिलनाडु में, जैसे मामल्लापुरम और ऐहोल में, पत्थरों को काटकर कुछ उत्कृष्ट मंदिर बनाए गए थे। मामल्लापुरम पुराना नाम है। इसे अब महाबलिपुरम कहते हैं। यह मंदिर तमिलनाडु में चेन्नई से 52 किमी दूर दक्षिण में महाबलिपुरम में स्थित है। यह मंदिर आकार नहीं अपितु आरेखन और निष्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
3. किसी भी काल का इतिहास समझने के लिए हमें साहित्य महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं। वैदिक काल के दो महान महाकाव्यों रामायण और महाभारत में बहुत-सी पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों के साथ उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक दशा पर प्रकाश डाला गया है।

   700 ई0 पू0 तमिल भाषा में अनेक काव्य, ग्रंथ रचे गए। शिलप्पदिकारम् और मणिमेकलै प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य हैं, जिन्हें क्रमशः इलांगो और सत्तानर द्वारा पहली-दूसरी शताब्दी ईसवी में संकलित किया गया था। साहित्य के क्षेत्र में मौर्य काल में बहुत प्रगति हुई। मौर्य काल की प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएँ हैं – कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी

आदि। गुप्तकाल में धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों तरह के साहित्यिक कार्य हुए। कालिदास, भास, विशाखदत्त और हरिषेण जैसे नाटककारों और कवियों ने कई प्रसिद्ध रचनाएँ लिखी। पुराण, महाभारत, रामायण इसी काल में लिखे गए।

आर्यभट्ट ने 'सूर्य सिद्धान्त' जैसे ग्रन्थ में सूर्यग्रहण तथा चन्द्रग्रहण के विषय में बताया। उन्होंने दशमलव प्रणाली की खोज की। उनका 'आर्यभटीयम्' ग्रन्थ गणित का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। पाँचवीं सदी के अन्त में वराहमिहिर ने 'पञ्च सिद्धान्तिका' ग्रन्थ की रचना की। वराहमिहिर प्रसिद्ध खगोलज्ञ व गणितज्ञ थे। उनके 'बृहत्संहिता' ग्रन्थ में भूगोल, वनस्पति, खगोल आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। ब्रह्मगुप्त ने अपने 'ब्रहमसिद्धान्त' ग्रन्थ में अंकगणितीय संक्रियाओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला।

प्रथम सदी में चरक भारतीय चिकित्सा के विशेषज्ञ थे। उन्होंने 'चरक संहिता' ग्रन्थ की रचना की। एक अन्य चिकित्सक विद्वान वाग्भट्ट ने 'अष्टांग-हृदय-संहिता' व 'अष्टांग-संग्रह' की रचना की। ये ग्रन्थ चिकित्सा की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

रचनात्मक कार्य

स्वंय करो

(इकाई-2: भूगोल)

1. पृथ्वी और सौरमंडल

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (ब) 15 करोड़ किमी 2. (ब) बृहस्पति 3. (अ) शुक्र 4. (अ) मंगल व बृहस्पति
5. (ब) उल्का पिंड

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

1. प्रकाश 2. आकाशगंगा (मिल्की वे) मंदाकिनी 3. अंतरिक्ष 4. क्षुद्र ग्रह 5. नील आर्मस्ट्राँग

ग. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए–

1. प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं।?
2. तारे समूहों अथवा गुच्छों में हो सकते हैं, जिन्हे मंदाकिनी कहते हैं। ब्रहमांड में अनगिनत मंदाकिनियाँ हैं। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा (मिल्की वे) मंदाकिनी का सदस्य है। आकाशगंगा मंदाकिनी में 5,000 करोड़ से भी अधिक तारे होते हैं।
3. सूर्य, आठ ग्रह और उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं।
4. पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है।
5. इडा एक क्षुद्र ग्रह है।

घ. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए–

1. **उपग्रह-** उपग्रह छोटे आकाशीय पिंड हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की तरह इनकी अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किमी है। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27.3 दिन में पूरी करता है। चंद्रमा का व्यास (लगभग 3,480 किमी) पृथ्वी के व्यास का 1/4 है।

सूर्य का परावर्तित प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक 1.3 सेकेण्ड में पहुँचता है। वायुमंडल और नमी की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। इसकी कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगा समय इसके अपने अक्ष पर घूमने के समय के बराबर है इसलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है।

2. **क्षुद्र ग्रह**- ग्रहों, उपग्रहों, तारों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र-ग्रह ग्रहों के ही भाग थे, जो किसी विस्फोट के कारण उनसे टूटकर अलग हो गए। इडा नामक एक क्षुद्र-ग्रह का अपना छोटा-सा उपग्रह भी है, जो सौरमंडल का ज्ञात सबसे छोटा उपग्रह है। सेरेस सबसे बड़ा क्षुद्र-ग्रह है। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं।
3. **धूमकेतु-** धूमकेतु के केन्द्र में ठोस बर्फ के साथ धुंधले पदार्थ होते हैं। इनका केन्द्र बहुत छोटा होता है और कुछ किलोमीटर तक विस्तृत होता है। ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और इनका परिक्रमण काल बहुत लंबा होता है। सूर्य के निकट आने पर ये चमकने लगते हैं तथा उनकी एक लंबी पूँछ बन जाती है, जो कि सूर्य के ताप के कारण इनकी धूल व गैसों के ताप में बदलने के कारण बनती है।

   हैले धूमकेतु प्रति 76 वर्ष बाद पृथ्वी की ओर लौटता है। यह 1986 ई0 में दिखाई दिया था। हाल ही में हैले नामक धूमकेतु मार्च 1997 में दिखाई दिया था।
4. **उल्का पिंड़-** चट्टानों या धातुओं के छोटे-छोटे टुकड़े सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। ये पृथ्वी के निकट से गुजरते हैं। चट्टान के ये टूटे कण पृथ्वी द्वारा आकर्षित होते हैं और वायुमंडल में तीव्रता से प्रवेश करते हैं। वायु के घर्षण के कारण ये जल जाते हैं। इस कारण ये चमकदार हो जाते हैं। इन्हें उल्का (सूदि) और 'टूटते हुए तारे' भी कहा जाता है। इनमें से कुछ छोटे होते हैं और पूर्णतः जल जाते हैं। पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरते रहते हैं। एरिजोना, अमेरिका में उल्का गड्ढ़ा इसी वजह से बना है। गुजरात (2006) में भी उल्का पिंडों के कण गिरे थे।

ङ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तारपूर्वक लिखिए–

1. **सौरमंडल**

   सूर्य, आठ ग्रह और उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह इसके केंद्र में स्थित है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए प्रकाश और ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। यह बहुत बड़ा है तथा अत्यंत गर्म गैसों से बना है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सौरमंडल स्थिर रहता है। सूर्य सौरमंडल में एकमात्र ऊष्मा व ऊर्जा का स्रोत है। यह पृथ्वी से 15 करोड़ किमी दूर है।

   ग्रह (Planets) ग्रह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द 'प्लेनेटाई' से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है– 'इधर-उधर घूमने वाला'। सौरमंडल में आठ ग्रह हैं। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इनकी अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकते हैं। ये ठोस पदार्थों के बने होते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के साथ ये अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रह हैं – बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण (यूरेनस) तथा वरुण (नेप्च्यून), शुक्र को पृथ्वी का जुड़वाँ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह आकृति व आकार में पृथ्वी के समान है।

नाम	महत्वपूर्ण तथ्य	खगोलीय चिह्न	व्यास	परिभ्रमणकाल	परिक्रमा काल	2019 तक खोजे गए उपग्रह
बुध	• सूर्य के सबसे निकट • सबसे छोटा और सबसे गरम ग्रह		4,878 किमी	58.6 पृथ्वी दिवस	88 पृथ्वी दिवस	0
शुक्र	• आकाश में सबसे चमकदार ग्रह • पृथ्वी के समान आकार वाला, पृथ्वी जैसा लोहे का अंतर्भाग		12,104 किमी	243 पृथ्वी दिवस	255 पृथ्वी दिवस	0
पृथ्वी	• आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा और घना • केवल यहीं जीवन है।		12,756 किमी	24 घंटे	365.25 पृथ्वी दिवस	1
मंगल	• अपने रंग के कारण लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध		6,750 किमी	24 घंटे 37 मिनट	687 पृथ्वी दिवस	2
बृहस्पति	• सबसे बड़ा ग्रह, लाल धब्बों के लिए प्रसिद्ध		1,42,984 किमी	10 घंटे	12 वर्ष	53
शनि	• चारों ओर तीन वलय (छल्ले)		1,20,536 किमी	10 घंटे 40 मिनट	29.05 वर्ष	62
अरुण	• बाह्य ग्रहों में सबसे बड़ा		51,118 किमी	17 घंटे 14 मिनट	84.07 वर्ष	27
वरुण	• मुख्य ग्रहों में सबसे ठंडा		49,528 किमी	लगभग 16 घंटे	164.8 वर्ष	13

2. पृथ्वी एक अद्‌भुत ग्रह है, जो सूर्य से 15 करोड़ किमी दूर है। यह सूर्य की परिक्रमा करती है। आकार में यह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरूण के बाद पाँचवाँ सबसे बड़ा ग्रह है, परन्तु सूर्य से दूरी के अनुसार यह बुध और शुक्र के बाद तीसरा ग्रह है। पृथ्वी आकार में गोलाकार है किन्तु ध्रुवों पर कुछ चपटी है। अंतरिक्ष से यह रंग में नीली दिखती है इसका कारण पृथ्वी की दो-तिहाई सतह पर जल का होना है। इसलिए इसे नीला ग्रहमी भी कहते हैं। अतः एकमात्र जीवन होने तथा उक्त कारणों की वजह से पृथ्वी को अद्‌भुत या अनोखा ग्रह कहते हैं।

3. **तारे**- तारे वे खगोलीय पिंड होते हैं, जो अपने प्रकाश के कारण चमकते हैं। इनमें बहुत-सी ऊष्मा उत्सर्जित है। वैसे तो ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं परंतु पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है। खगोलीय दूरियाँ अत्यन्त विशाल होती हैं। इन्हें प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रकाश द्‌वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह माप इसलिए प्रयोग की जाती है कि प्रकाश लगभग 3,00,000 किमी प्रति सेकंड की गति से बहुत अधिक दूरी तय कर सकता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुँचता है। तारे समूहों अथवा गुच्छों में हो सकते हैं, जिन्हें मंदाकिनी कहते हैं। ब्रह्मांड में अनगिनत मंदाकिनियाँ हैं। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा (मिल्की वे) मंदाकिनी का सदस्य है। आकाशगंगा मंदाकिनी में 5,000 करोड़ से भी अधिक तारे होते हैं। आकाश में कुछ तारों का समूह, जो एक निश्चित प्रतिरूप या आकृति का निर्माण करता है तारामंडल कहलाता है। ये विभिन्न आकार; जैसे– भालू, बिच्छू आदि के समान होते हैं। प्राप्त स्रोतों के आधार पर कहा जा सकता है कि हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। वैज्ञानिकों के अनुसार एक निहारिका (गैस और खगोलीय धूल का घूमता बादल) गैस के कई क्षेत्रों में टूट गई थी, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रहों में बदल गए।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

2. हमारा ग्लोब और मानचित्र

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (ब) त्रि-विमीय 2. (अ) पश्चिम से पूर्व की ओर 3. (स) अंशों में 4. (ब) द्वि-विमीय

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. विषुवत रेखा 2. मानक याम्योत्तर 3. एटलस 4. दिक्सूचक यन्त्र

ग. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए–

1. ग्लोब पृथ्वी का मॉडल अर्थात् वास्तविक अनुकृति है। ग्लोब पर ध्रुव, अक्षांश, देशान्तर, महासागर, महादीप आदि सभी को सही रूप में चित्रित किया जा सकता है। ग्लोब पृथ्वी का त्रि-विमीय चित्र होता है।
2. उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची गई रेखा विषुवत रेखा कहलाती है।
3. देशांतर रंखाएँ पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के बीच खींची गई लम्बवत् काल्पनिक रेखाओं का समूह है।
4. किसी भी स्थान पर जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु अर्थात् सिर पर होता है, उस समय दिन के 12 बजे का समय होता है। घाड़ियों 'मे' यह समय स्थानीय समय को दर्शाता है।

घ. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए–

1. **प्रधान याम्योत्तर रेखा-** उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला अर्ध वृत्त याम्योत्तर देशांतर कहलाता है। सभी देशांतर वृहत् वृत्त का निर्माण करते हैं क्योंकि ये ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ब्रिटिश रॉयल वेधशाला, ग्रीनविच जो लंदन इंग्लैंड के कुछ किलोमीटर पूर्व में है, से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा माना गया है। इसे शून्य अंश देशांतर माना जाता है और अन्य देशांतरों की गणना इसके सन्दर्भ में की जाती है। प्रमुख याम्योत्तर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्द्ध एवं पश्चिमी गोलार्द्ध में विभक्त करती है। इस याम्योत्तर से अन्य याम्योत्तर को 180ष्ट पूर्व और पश्चिम में नामांकित किया जाता है।
2. **मानक समय-** यदि सभी स्थानों पर स्थानीय समय प्रयोग होने लगे, रेलगाड़ियों या अन्य कार्यक्रमों में बहुत कठिनाइयाँ होंगी। इस भ्रम की स्थिति से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद् ने वाशिंगटन डी सी में विश्व को 24 समय क्षेत्रों में बाँटने का निर्णय किया, जिसमें ग्रीनविच को 0ष्ट याम्योत्तर लिया गया। हर समय क्षेत्र का अपना मानक याम्योत्तर है। वैसे तो भारत में गुजरात के द्वारिका और अरुणाचल प्रदेश के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। भारत में 82½° पू0 (82° 30' पू0) को मानक याम्योत्तर माना गया है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच याम्योत्तर समय 82½° है, जैसे 5½ घंटे 0–82½° पू0, जैसे 82.5 × 4 = 330 मिनट या 5½ घंटे। जब इंग्लैण्ड में सुबह के 11 बजते हैं, तो भारत में शाम के 6.30 बजते हैं।
3. सम्पूर्ण पृथ्वी को लघु रूप में ग्लोब के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किन्तु समस्त पृथ्वी या उसके किसी एक भाग की सूक्ष्म दशाओं को दिखाने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग का पैमाने से खींचा गया एक लघुकृत चित्र होता है, जो किसी मापक के अनुसार बनाया जाता है। यह एक द्वि-विमीय (two-dimensional) चित्र होता है, जिस पर लम्बाई तथा चौड़ाई को प्रदर्शित किया जाता है।

मानचित्र पर धरातल के विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया जाता है; जैसे–पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, सागर, महासागर आदि। यही नहीं, मानचित्र पर संसार के विभिन्न महाद्वीपों, देशों, राज्यों, नगरों आदि को भी दिखाया जाता है। अनेक प्रकार के भौतिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक तथ्यों का निरूपण मानचित्रों पर किया जाता है। मानचित्रों की पुस्तक को एटलस कहा जाता है।

4. **रेखाचित्र**- रेखाचित्र वह आरेखण होता है, जो एक निश्चित माप पर आधारित नहीं होता। ये आरेखण याद्दाश्त के आधार पर बनाए जाते हैं। कभी-कभी हमें किसी क्षेत्र विशेष के लिए कच्चे आरेख की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आप अपने किसी मित्र के शहर जाना चाहते हैं, इसके लिए आप अपने मित्र के शहर के रास्ते को कच्चे आरेख द्वारा दर्शाते हैं। इस प्रकार का आरेखण ही रेखाचित्र मानचित्र कहलाता है।

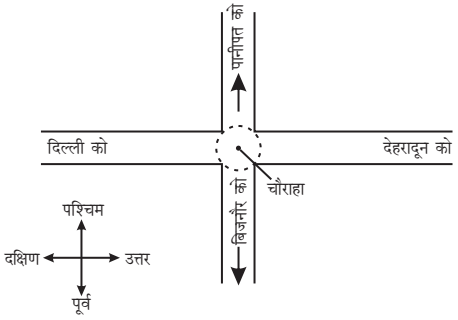

ङ. निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तारपूर्वक उत्तर दीजिए–

1. पृथ्वी गोलाकार है, परन्तु ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, परंतु पृथ्वी की आकृति को 'ग्लोब' के द्वारा बेहतर रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है, जो पृथ्वी का मॉडल या वास्तविक अनुकृति होता है। ग्लोब पर ध्रुव, अक्षांश, देशान्तर, महासागर, महाद्वीप आदि सभी को सही रूप में चित्रित किया जा सकता है। ग्लोब पृथ्वी का त्रि-विमीय चित्र होता है।

ग्लोब के गुण-दोष- हालाँकि ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक चित्रण करता है, परन्तु ग्लोब की कुछ सीमाएँ हैं। पृथ्वी बहुत विशाल है। इसमें पर्वत, पठार, मैदान आदि विशाल स्थलरूप स्थित हैं। ग्लोब पर इन सभी स्थलाकृतियों तथा अन्य सूक्ष्म सूचनाओं; जैसे–राज्य, जिले, नगर सड़कों आदि को चित्रित करना सम्भव नहीं है। दूसरे, ग्लोब को अन्य स्थानों पर ले जाने में भी कठिनाई होती है। परंतु प्लास्टिक के ग्लोब बनने लगे हैं, जिन्हें मोड़कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। ग्लोब की अब प्रमुख विशेषता है कि इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है, जैसे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है।

ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति ग्लोब की तरह ही है। पूर्व समय में बड़े ग्लोब प्रयुक्त होते थे। परंतु इन्हें लाना ले जाना कठिन होता था। लेकिन आजकल पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे और तकिए जैसे ग्लोब, जिनमें हवा भरी जा सकती है, उपलब्ध हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यह महाद्वीपों और महासागरों के प्रतिमान और पृथ्वी पर स्थानों के मध्य दूरियों को दर्शाता है। पृथ्वी की तरह किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाया नहीं जा सकता, इसलिए हमें कुछ बिंदुओं व रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता पड़ती है। ग्लोब एक सुई पर झुकी हुई अवस्था में होता है, उसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर जिन

दो बिंदुओं से सुई गुजरती है, वे मुख्यतः उत्तर व दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब से इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की तरह ही पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है।

इसी तरह पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दो प्राकृतिक सन्दर्भ बिंदु–उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव प्राप्त होते हैं। वे भौगोलिक ग्रिड के आधार हैं जो विभिन्न स्थलीय गुणों के स्थान निर्धारण के उद्देश्य से खींची गयी प्रतिच्छेदी रेखाओं का जाल है। ग्रिड में दो रेखाओं का समूह होता है–क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर।

2. **अक्षांश-** पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई क्षैतिज समानांतर वृत्तीय रेखाएँ अक्षांश कहलाती हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची गयी रेखा विषुवत् रेखा कहलाती है। इसे सबसे बड़ा वृत्त होने के कारण वृहत वृत्त कहा जाता है। अन्य सभी समानांतर विषुवत् से ध्रुवों की दूरी के समानुपात में छोटे होते जाते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएँ समानांतर अक्षांश कहलाती हैं। इन्हें अंशों में मापा जाता है। विषुवत् रेखा शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ध्रुवों का अक्षांश 90° उत्तर और 90° दक्षिण है। एक वृत्त में 360 अंश होते हैं। जिसमें विषुवत् को आधार रेखा मानते हुए ध्रुवों की दूरी 90° है। चूँकि, विषुवत् रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक-चौथाई है, अतः इसका माप होगा– 360 अंश का 1/4 अर्थात् 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को।

समानांतर अक्षांश रेखाएँ

ग्लोब में विषुवत् रेखा के समानांतर कई वृत्त हैं। विषुवत् से उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की दूरी को कोण में मापा जाता है। यह कोण किसी स्थान का अक्षांश है। इन वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। समानांतर अक्षांश रेखा को उनके अंश मूल्य के साथ उत्तरी गोलार्द्ध में 'N' से चिह्नित करते हैं। समानांतर अक्षांश रेखा को दक्षिणी गोलार्द्ध में 'S' से चिह्नित करते हैं। मुख्यतः समानांतर अक्षांश चार हैं।

विषुवत् रेखा के उत्तर में 23½° में स्थित वृत्त कर्क रेखा कहलाती है। इसी प्रकार विषुवत् रेखा के दक्षिण में 23½° में स्थित वृत्त मकर रेखा कहलाती है। 66½° उत्तर और 66½° दक्षिण में स्थित वृत्त क्रमशः आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त कहलाते हैं।

3. **पृथ्वी के ताप (उष्ण) कटिबंध**

पृथ्वी पर विभिन्न ताप कटिबंध इस प्रकार हैं –

1. गर्म अथवा उष्ण कटिबंध — सूर्य वर्ष में एक बार कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य सभी अक्षांशों पर दोपहर में ठीक सिर के ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है।

2. समशीतोष्ण कटिबंध— उष्ण कटिबंध क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण में यह उत्तरी गोलार्द्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के मध्य और दक्षिणी गोलार्द्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य स्थित है। यह क्षेत्र 23½° उत्तर से 66½° उत्तर तक और 23½° दक्षिण से 66½° दक्षिण में आता है। प्राप्त ऊष्मा ध्रुवों की ओर घटती है। सूर्य इस क्षेत्र में कभी सीधा ऊपर नहीं आता। यहाँ न तो अधिक ठंड होती है और न ही अधिक गर्मी, इसलिए इसे समशीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है।

3. ठंडा या शीत कटिबंध— उत्तरी गोलार्द्ध में उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के मध्य और दक्षिण गोलार्द्ध में दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य में ठंड बहुत अधिक होती है। यह पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। यहाँ सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं। वर्ष के कुछ

भाग में तो सूर्य की किरणें यहाँ पहुँचती ही नहीं हैं। इस कारण इस क्षेत्र का तापमान बहुत कम होता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु ठंडी और शीत ऋतु में भयंकर ठंड होती है। इसलिए इन्हें शीत कटिबंध कहा जाता है।

4. सम्पूर्ण पृथ्वी को लघु रूप में ग्लोब के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किन्तु समस्त पृथ्वी या उसके किसी एक भाग की सूक्ष्म दशाओं को दिखाने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग का पैमाने से खींचा गया एक लघुकृत चित्र होता है, जो किसी मापक के अनुसार बनाया जाता है। यह एक द्वि-विमीय चित्र होता है, जिस पर लम्बाई तथा चौड़ाई को प्रदर्शित किया जाता है।

मानचित्र पर धरातल के विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया जाता है; जैसे–पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, सागर, महासागर आदि। यही नहीं, मानचित्र पर संसार के विभिन्न महाद्वीपों, देशों, राज्यों, नगरों आदि को भी दिखाया जाता है। अनेक प्रकार के भौतिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक तथ्यों का निरूपण मानचित्रों पर किया जाता है। मानचित्रों की पुस्तक को एटलस (atlas) कहा जाता है।

मानचित्र के आवश्यक तत्त्व- मानचित्र को समझने के लिए हमें निम्न तत्त्वों की आवश्यकता पड़ती है–(1) शीर्षक, (2) मापनी, (3) दिशाएँ, (4) अक्षांश-देशान्तर रेखाओं का जाल एवं (5) सांकेतिक चिह्न। इन तत्त्वों को 'मानचित्र की भाषा' कहा जाता है। इनकी सहायता से किसी भी मानचित्र का अध्ययन-विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है।

1. शीर्षक – मानचित्र के शीर्षक से हमें यह जानकारी मिलती है कि उस पर क्या बातें दिखायी गयी हैं; जैसे–भारत के भौतिक मानचित्र पर धरातल सम्बन्धी लक्षणों (जैसे–पर्वत, पठार, मैदान आदि) को प्रदर्शित किया जाता है। वनस्पति मानचित्र पर किसी देश या क्षेत्र की वनस्पतियाँ प्रदर्शित की जाती हैं तथा जनसंख्या मानचित्र पर जनसंख्या सम्बन्धी विवरण अंकित किया जाता है।

2. मापनी– पृथ्वी पर स्थित विभिन्न स्थानों की वास्तविक दूरियों को हम एक सीमित कागज पर नहीं खींच सकते। इस समस्या को दूर करने के लिए हम दूरियों को कागज पर उतारते समय आनुपातिक रूप से कम कर लेते हैं। यह काम मापनी की सहायता से किया जाता है।

मापनी का अर्थ होता है–धरातल पर स्थित किन्हीं दो बिन्दुओं की वास्तविक दूरी तथा कागज पर अंकित उनकी दूरी के मध्य अनुपात। मापनी को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है– कथन विधि तथा रेखीय विधि

3. दिशाएँ – मानचित्र पर दिशाएँ दाहिनी ओर एक तीर द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। तीर के ऊपरी सिरे पर 'उत्तर' लिख दिया जाता है, जो उत्तर दिशा को सूचित करता है। प्रमुख दिशाएँ चार (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण) होती हैं। मानचित्र पर केवल उत्तर दिशा को ही प्रदर्शित किया जाता है।

उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए दिक्सूचक यन्त्र (compass) का प्रयोग किया जाता है। इस यन्त्र का आविष्कार चीन में हुआ था।

4. अक्षांश-देशान्तर रेखा-जाल– संपूर्ण पृथ्वी का मानचित्र बनाने के लिए ग्लोब की सभी काल्पनिक अक्षांश व देशान्तर रेखाओं का जाल बनाया जाता है। यदि किसी एक महाद्वीप या देश का मानचित्र बनाना है तो उसके अक्षांशीय तथा देशान्तरीय विस्तार के अनुसार अक्षांश तथा देशान्तर रेखाओं का जाल बनाना होता है।

5. सांकेतिक चिह्न– मानचित्र पर धरातलीय आकृतियों को यथावत् दिखाना सम्भव नहीं है। अतएव विभिन्न भौतिक (नदी, पर्वत, तालाब, झील आदि) तथा सांस्कृतिक (नगर, ग्राम, सड़कें, रेलमार्ग आदि) लक्षणों को दिखाने के लिए कुछ निश्चित चिह्नों का प्रयोग किया जाता है। ये चिह्न अन्तर्राष्ट्रीय सहमति से निश्चित किये जाते हैं। इन चिह्नों को रूढ़ चिह्न कहते हैं।

5. **मानचित्र के प्रकार**

मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं –

भौतिक मानचित्र– पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं; जैसे–पर्वत, नदियाँ, मैदान, महासागर, पठार आदि।

राजनैतिक मानचित्र– विभिन्न देशों व उनके राज्यों, नगरों, शहरों, गाँवों आदि की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं।

थिमैटिक मानचित्र– विभिन्न सड़कों, वर्षा, वन, उद्योग आदि के विवरण को दर्शाने वाले मानचित्र थिमैटिक मानचित्र कहलाते हैं।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

3. पृथ्वी की गतियाँ

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) घूर्णन के कारण 2. (ब) 24 घंटे 3. (स) 21 मार्च 4. (अ) 23 सितम्बर

ख. सही मिलान कीजिए–

घूर्णन	दिन-रात
परिक्रमण	मौसम
कर्क संक्रान्ति	22 दिसम्बर
मकर संक्रान्ति	21 जून

ग. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए–

1. पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने घूर्णन को पूरी करती है। घूर्णन के कारण ही दिन-रात होते हैं।
2. पृथ्वी की दूसरी गति, जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर होती है, परिक्रमण कहलाती है। पृथ्वी एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 $\frac{1}{4}$ दिन का समय लेती है। परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पर मौसम बदलता है।
3. 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होने के कारण दक्षिणी ध्रुव उससे दूर होता है। इस दिन कर्क रेखा पर 23 $\frac{1}{2}$° उ० गोलार्द्ध पर किरणें सीधी पड़ती हैं। इस कारण उत्तरी गोलार्द्ध में दिन बड़े व गर्म होते हैं। पृथ्वी की यह अवस्था उत्तरी अयनांत (कर्क संक्राति) कहलाती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होने के कारण उत्तरी ध्रुव उससे दूर होता है। इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अतः दक्षिणी गोलार्द्ध में दिन बड़े व गर्म होते हैं। पृथ्वी की यह अवस्था दक्षिणी अयनांत (मकर संक्रान्ति) कहलाती है।
4. उत्तरी गोलार्द्ध में 21 मार्च को वसंत होता है। इसलिए इसे वसंत विषुव कहते हैं।

घ. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए–

1. पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है, जिसके परिणामस्वरूप सूर्य के

उगने और डूबने की अद्‌भुत घटना घटती है। जब पृथ्वी घूर्णन करती है जब उसका आधा भाग सूर्य की ओर होता है, जबकि आधा उससे पीछे होता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं।

एक के बाद एक दिन और रात के आने के इस घटनाचक्र का कारण हर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं।

2. पृथ्वी की दूसरी गति, जो सूर्य के चारों ओर होती है, उसे 'परिक्रमण' कहते हैं। भूमध्य रेखा पर यह 1,600 किमी प्रति घंटे की गति से परिक्रमा करती है और एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365¼ दिन का समय लेती है। प्रत्येक चौथे वर्ष में हम 365 दिन और एक अधिक दिन (6 × 4 = 24 घंटे) को गिनते हैं, जिसे लीप वर्ष (अधिवर्ष) कहते हैं। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा गया है, जो सामान्यतः 28 दिनों को होता है लेकिन लीप वर्ष में इसमें 29 दिन होते हैं। कोई भी वर्ष जो 4 से विभाजित होता है, वे सभी वर्ष लीप वर्ष हैं।

   घूर्णन 24 घंटे या एक दिन लेता है, जबकि परिक्रमण में एक वर्ष लगता है। परिक्रमण के कारण मौसम बदलता है।

3. 21 मार्च एवं 23 सितम्बर को सूर्य की किरणें विषुवत् वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस दिन दोनों ध्रुव न तो सूर्य की ओर झुके होते हैं और उससे दूर होते हैं। विषुवत् रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इन दोनों दिनों में पूरे विश्व में दिन और रात की लम्बाई बराबर होती है। दोनों गोलार्द्ध में जलवायविक परिस्थितियाँ समान होती हैं, जिसमें न तो अधिक सर्दी होती है और न अधिक गर्मी। इस अवस्था को विषुव कहा जाता है।

ङ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तारपूर्वक लिखिए –

1. घूर्णन पृथ्वी अपने अक्ष (धुरी) पर घूमती है। अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी के केन्द्र से होकर गुजरती है, इसके दो सिरे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं। पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा के तल से 66½° और 23½° लम्बवत् झुका हुआ है।

   पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है, जिसके परिणामस्वरूप सूर्य के उगने और डूबने की अद्‌भुत घटना घटती है। जब पृथ्वी घूर्णन करती है जब उसका आधा भाग सूर्य की ओर होता है, जबकि आधा उससे पीछे होता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं।

   एक के बाद एक दिन और रात के आने के इस घटनाचक्र का कारण हर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं।

   पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होने के कारण ही चाँद, तारे दिखाई देते हैं, क्योंकि चन्द्रमा और तारे सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं।

   सुबह और शाम के समय सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। वे बड़े क्षेत्र पर पड़ती हैं, जिससे गर्मी कम होती है। लेकिन दोपहर में वे छोटे क्षेत्र में पड़ती हैं, जिसके कारण गर्मी बहुत अधिक होती है।

   सुबह का समय सूर्य के उगने का होता है जबकि शाम का समय सूर्य डूबने का होता है। रात और दोपहर के बीच में सुबह का समय होता है जबकि दोपहर और रात के बीच शाम का समय होता है। सुबह आकाश में सूर्य के बढ़ने को दर्शाता है, जबकि शाम आकाश में सूर्य के उतार को दर्शाता है। सुबह के समय सूर्य की किरणें पूर्वी क्षितिज पर और शाम के समय पश्चिमी क्षितिज पर फैलती हैं।

2. पृथ्वी की दूसरी गति, जो सूर्य के चारों ओर होती है, उसे 'परिक्रमण' कहते हैं। भूमध्य रेखा पर यह 1,600 किमी प्रति घंटे की गति से परिक्रमा करती है और एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365¼ दिन का समय लेती है। प्रत्येक चौथे वर्ष में हम 365 दिन और एक अधिक दिन (6 × 4 = 24 घंटे) को गिनते हैं, जिसे लीप वर्ष (अधिवर्ष) कहते हैं। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा गया है, जो सामान्यतः 28 दिनों को होता है लेकिन लीप वर्ष में इसमें 29 दिन होते हैं। कोई भी वर्ष जो 4 से विभाजित होता है, वे सभी वर्ष लीप वर्ष हैं।

   घूर्णन 24 घंटे या एक दिन लेता है, जबकि परिक्रमण में एक वर्ष लगता है। परिक्रमण के कारण मौसम बदलता है, जबकि घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं।

   पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की सतह से 66½° झुका हुआ है। अतः पृथ्वी का एक गोलार्द्ध सूर्य की ओर छह महीने तक झुका रहता है। इस काल में इस गोलार्द्ध का एक बड़ा क्षेत्र अधिक समय तक सूर्य की किरणें पाता है। अतः इस गोलार्द्ध के दिन लम्बे और रातें छोटी होती हैं, जबकि दूसरे गोलार्द्ध में दिन छोटे और रातें लम्बी होती हैं। जब उत्तरी गोलार्द्ध में दिन लम्बे होते हैं तब दक्षिणी गोलार्द्ध में रातें लम्बी होती हैं और जब उत्तरी गोलार्द्ध में दिन छोटे होते हैं तब दक्षिणी गोलार्द्ध में रातें छोटी होती हैं।

3. 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है और दक्षिणी ध्रुव उससे दूर होता है। इस दिन कर्क रेखा पर 23½° उ0 गोलार्द्ध पर किरणें सीधी पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्द्ध के अनेक क्षेत्रों की किरणें भरी रहती हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्द्ध में दिन बड़े और गर्म होते हैं व गर्मी का मौसम होता है। इस स्थिति को 'कर्क संक्राति' कहते हैं। पृथ्वी की यह अवस्था उत्तरी अयनांत कहलाती है।

   22 दिसम्बर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव उससे दूर होता है। इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अतः दिन बड़े और गर्म होते हैं व दक्षिणी गोलार्द्ध में गर्मी का मौसम होता है। इस प्रकार इंग्लैण्ड, भारत सर्दी में क्रिसमस का उत्सव मनाते हैं। इसे 'मकर संक्रांति' भी कहते हैं। पृथ्वी की यह अवस्था दक्षिणी अयनांत कहलाती है।

   21 मार्च एवं 23 सितम्बर को सूर्य की किरणें विषुवत् वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस दिन दोनों ध्रुव न तो सूर्य की ओर झुके होते हैं और उससे दूर होते हैं। विषुवत् रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इन दोनों दिनों में पूरे विश्व में दिन और रात की लम्बाई बराबर होती है। दोनों गोलार्द्ध में जलवायविक परिस्थितियाँ समान होती हैं, जिसमें न तो अधिक सर्दी होती है और न अधिक गर्मी। इस अवस्था को विषुव कहा जाता है।

   उत्तरी गोलार्द्ध में 21 मार्च को वसंत होता है। इसीलिए इसे वसंत विषुव कहते हैं तथा उत्तरी गोलार्द्ध में 23 सितम्बर को शरद ऋतु होती है; अतः इसे शरद विषुव कहते हैं।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

4. पृथ्वी के मुख्य परिमंडल

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (ब) तीन 2. (अ) मिट्टी की परतों से 3. (स) माउण्ट एवरेस्ट 4. (अ) पाँच 5. (स) त्रिभुजाकार

ख. सत्य और असत्य कथनों के लिए क्रमशः (3) व (7) का निशान लगाइए–

1. (3) 2. (7) 3. (7) 4. (3)

ग. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए–

1. पृथ्वी की सतह दो भूभागों में बँटी है- महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन।
2. पृथ्वी पर महादीपों की संख्या सात है- एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रलिया तथां अंटार्कटिका।
3. पृथ्वी पर पाँच महासागर हैं- प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर।
4. पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है।

घ. निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त रूप में लिखिए -

1. यह महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है। यह पृथ्वी के एक तिहाई क्षेत्रफल पर फैला है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर ही गुजरती है। एशिया महाद्वीप को पश्चिम में यूराल पर्वत अलग करता है। यह महाद्वीप भूमध्य सागर, अंध सागर (अटलांटिक महासागर), आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिन्द महासागर से घिरा है।
2. यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्द्ध में स्थित है। यह बहुत बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के मध्य में दक्षिणी ध्रुव स्थित है, इस कारण इस महाद्वीप पर बर्फ की मोटी तह बिछी है। यहाँ मानवीय बस्तियाँ नहीं हैं, इसलिए इस महाद्वीप को एकान्त महाद्वीप कहते हैं। यहाँ बहुत से देशों के शोध संस्थान स्थित हैं। भारत के भी दो शोध संस्थान यहाँ स्थित हैं – मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। यहाँ पेंगुइन जीव मुख्य रूप से पाए जाते हैं।
3. **प्रशांत महासागर-** यह सबसे बड़ा महासागर है, जो पृथ्वी के ⅓ भाग पर स्थित है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त इसी महासागर में स्थित है। इस महासागर के चारों ओर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित हैं।

   हिंद महासागर- यह महासागर त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप, पश्चिम में पूर्व अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। यह एकमात्र ऐसा महासागर है, जिसका नाम भारत (हिंदुस्तान) के नाम पर रखा गया है।
4. **जैवमण्डल-** जैवमण्डल पृथ्वी का वह परिमण्डल है, जहाँ जीवन पाया जाता है। यह पृथ्वी के अन्य परिमण्डलों की अपेक्षा बहुत सीमित क्षेत्र में व्याप्त है। जैवमण्डल धरातल पर एक संकीर्ण पेटी के रूप में विस्तृत है जहाँ स्थलमण्डल, जलमण्डल एवं वायुमण्डल परस्पर मिलते हैं। यह वायुमण्डल में 12 किमी की ऊँचाई तथा महासागर में 9 किमी की गहराई तक विस्तृत है। इस प्रकार से इसका विस्तार 21 किमी है। इसी परिमण्डल में जीवन की आदर्श दशाएँ उपलब्ध हैं। अतः समस्त प्रकार का जीवन–सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशालतम ह्वेल और हाथी भी यहाँ पाये जाते हैं। पृथ्वी पर लगभग एक लाख प्राणियों तथा तीन लाख पादपों (plants) की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

ङ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तारपूर्वक दीजिए -

1. पृथ्वी पर आवश्यक चार तरह के परिमण्डल हैं – भूमण्डल या स्थलमण्डल, वायुमण्डल, जलमण्डल तथा जैवमण्डल।

   भूमण्डल

   पर्वत- पृथ्वी का चट्टानी भाग भूमण्डल कहलाता है। यह मिट्टी की पतली परतों से बना

है। इसमें जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्त्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह दो भूभागों में बँटी है– महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन। विश्व के सभी महासागर एक-दूसरे से जुड़े हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउण्ट एवरेस्ट है, जो कि समुद्रतल से 8,848 मीटर ऊँचा है। प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा भाग है, जो कि 10994 मीटर गहरा है।

महाद्वीप (Continent)- पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। ये महाद्वीप पृथ्वी पर उपस्थित विस्तृत जल राशि के कारण अलग-अलग स्थित में हैं। पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या 7 है – एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका।

पृथ्वी की सतह पर जल की अधिकता है। पृथ्वी नीले रंग की इस पर जल की अधिकता के कारण ही दिखाई देती है। इसीलिए पृथ्वी को 'नीला ग्रह' (blue planet) भी कहा जाता है। जल का यह विशाल विस्तार पृथ्वी के 71% क्षेत्र को घेरे हुए है। जलमण्डल के अन्तर्गत संपूर्ण महासागर, सागर, हिमनदियाँ, भूमिगत जल, जलवाष्प आदि सम्मिलित हैं।

जलमण्डल- पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल में 97% जल महासागरों में पाया जाता है। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। पृथ्वी पर पाँच प्रकार के महासागर हैं। आकार में बड़े से छोटे के आधार पर क्रमशः ये महासागर हैं – प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर।

वायुमण्डल- पृथ्वी को चारों ओर से घेरे वायु के विशाल आवरण को, वायुमण्डल कहते हैं। यह पृथ्वी के धरातल से लगभग 1600 किमी की ऊँचाई तक विस्तृत है। वायुमण्डल की रचना अनेक गैसों, धूल तथा जलवाष्प से हुई है।

पृथ्वी की सतह के निकट की वायु सघन तथा ऊँचाई की ओर जाने पर यह विरल होती जाती है। वायुमण्डल हमें सूर्य के विकिरण से बचाता है। वायुमण्डल में विभिन्न गैसें हैं; जैसे- नाइट्रोजन (78%), ऑक्सीजन (21%), तथा अन्य गैसों में कार्बन डाइ-ऑक्साइड (0.03%), ऑर्गन (0.9%) आदि।

जैवमण्डल- जैवमण्डल पृथ्वी का वह परिमण्डल है, जहाँ जीवन पाया जाता है। यह पृथ्वी के अन्य परिमण्डलों की अपेक्षा बहुत सीमित क्षेत्र में व्याप्त है। जैवमण्डल धरातल पर एक संकीर्ण पेटी के रूप में विस्तृत है जहाँ स्थलमण्डल, जलमण्डल एवं वायुमण्डल परस्पर मिलते हैं। यह वायुमण्डल में 12 किमी की ऊँचाई तथा महासागर में 9 किमी की गहराई तक विस्तृत है। इस प्रकार से इसका विस्तार 21 किमी है। इसी परिमण्डल में जीवन की आदर्श दशाएँ उपलब्ध हैं। अतः समस्त प्रकार का जीवन–सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशालतम ह्वेल और हाथी भी यहाँ पाये जाते हैं। पृथ्वी पर लगभग एक लाख प्राणियों तथा तीन लाख पादपों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

2. पृथ्वी को चारों ओर से घेरते हुए वायु का विशाल आवरण मौजूद है जो पृथ्वी के धरातल से लगभग 1,600 किलोमीटर की ऊँचाई तक विस्तृत है। वायु के इस आवरण को वायुमण्डल कहा जाता है। वायुमण्डल की रचना अनेक गैसों, धूल तथा जलवाष्प से हुई है। पृथ्वी की सतह के निकट वायु सघन होती है तथा जैसे-जैसे हम ऊँचाई की ओर जाते हैं, यह विरल होती जाती है। वायुमण्डल हमें सूर्य के प्रचण्ड विकिरण से बचाने के लिए ढाल का काम करता है। वायुमण्डल में अनेक गैसें; जैसे–नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइ-ऑक्साइड, ओजोन, आर्गन, नियॉन, हीलियम तथा जलवाष्प सम्मिलित होती है। गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा

सर्वाधिक है। शुष्क वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा अन्य गैसों की मात्रा लगभग 1% होती है।

पृथ्वी पर जीवों के विकास के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइ-ऑक्साइड तथा ओजोन बड़े पैमाने पर उत्तरदायी हैं। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है, जो जीवों के विकास के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन सभी जीवधारियों के लिए प्राणवायु का कार्य करती है। ऑक्सीजन की कमी से साँस लेना मुश्किल हो जाता है। कार्बन डाइ-ऑक्साइड पेड़-पौधों के लिए आवश्यक है। ओजोन गैस की मात्रा बहुत अल्प होने के बावजूद इसका अपार महत्त्व है। यह सूर्य की विषैली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके हमारी रक्षा करती है। यद्यपि वायुमण्डल में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है, तथापि यह पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। इससे वर्षा प्राप्त होती है।

वायुमण्डल में विभिन्न गैसों का अनुपात (% में)			
नाइट्रोजन	78.080	कार्बन डाइ-ऑक्साइड	0.033
ऑक्सीजन	20.950	जलवाष्प एवं अन्य	0.003
आर्गन	0.934		

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

5. पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियाँ

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (ब) असमतल 2. (अ) आंतरिक प्रक्रिया 3. (स) वलित पर्वत 4. (द) तीव्र

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. पृथ्वी 2. अपरदन, निक्षेपण 3. शृंखलाओं 4. सभ्यता का पालना

ग. निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए–

1. अधित्यका या टेबल लैंड
2. हवाईद्वीप का मोनालुआ
3. फ्रांस के वास्जेस
4. सपाट तल और U आकार की घाटी

घ. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए–

1. आंतरिक प्रक्रियाएँ पृथ्वी के अंदर होती हैं। इसमें पृथ्वी की गति, ज्वालामुखी का फटना और भूकंप सम्मिलित हैं। इससे पृथ्वी की सतह पर दरारें, मोड़ अथवा लपेट होने से कहीं उत्थान तो कहीं धँसाव हो जाता है।
2. सूर्य, वर्षा और पवन-क्षरण के कारक-खुली चट्टानों के क्षय का कारण हैं। यह अपक्षय के रूप में जाना जाता है। नदी, हिमनद और पवन न केवल चट्टानों को तोड़ती हैं, बल्कि ढीली चट्टानी सामग्री को दूर तक ले जाती हैं।
3. महीन मृदा परत और ऊबड़-खाबड़ सतह के कारण पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है फिर भी यहाँ खनिज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए पठारों को खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट,

चूना-पत्थर और कई अन्य खनिजों के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ब्राजीली पठार लौह अयस्क और मैंगनीज के लिए जाने जाते हैं, जबकि बोलीविया के पठार टिन भण्डारण के लिए प्रसिद्ध हैं।

4. आज के संसार में आस-पास की पर्यावरण समस्याएँ लोगों ने ही पैदा की हैं और उनका हल भी उन्हें ही खोजना है। इस उद्देश्य से संसाधन की कमियों से बचने के लिए संसाधनों को संरक्षण के लिए कार्य करना होगा। उदाहरण के लिए औद्योगिक अपव्यय को नदियों में डालने से जल मैला हो जाता है, जिससे जलीय जीवन नष्ट हो जाता है। हमें पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, पौधे, जंतु और जीवाश्म ईंधन की संरक्षण करना चाहिए क्योंकि बिना ध्यान दिए उत्पत्ति स्थान नष्ट हो सकते हैं, संसाधन समाप्त हो सकते हैं और पृथ्वी को नुकसान हो सकता है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस प्रदूषण को रोकें। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा आज समय की माँग है।

ङ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तारपूर्वक दीजिए–

1. पृथ्वी की संरचना में कई स्थल-रूपों का उदय होता है। ये पर्वत, पठार और मैदान हैं।

पर्वत- धरातल से ऊँचा उठा एक उभार अथवा एक शृंखला का प्रसार पर्वत कहलाता है। पर्वतों का समूह शृंखला कहलाता है।

लगभग सभी बड़े पर्वत शृंखलाओं में समूहित हैं और तह किए कम्बल की भाँति दिखते हैं जिसके सिरे दबा दिए गए हों। आल्पस, एंडीज तथा हिमालय क्रमशः यूरोप, दक्षिणी अमेरिका तथा एशिया की पर्वत शृंखलाएँ हैं। कुछ पर्वत बादलों से ऊँचे होते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊँचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आस-पास के क्षेत्र से बहुत ऊँचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊँचे होते हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहते हैं।

पर्वत सदा उठाव बल, अपरदन बल और क्षरण बल का सामना करते हैं। ढाल पर बहता जल, जो नदी और धाराओं के रूप में एकत्र होता है, गहरी V आकार की घाटी काटता है। हिमनद सपाट तल और U आकार की घाटी बनाते हैं। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं– वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्पस वलित पर्वत हैं। भारत की अरावली पर्वत शृंखला सबसे पुरानी वलित शृंखला है। यूरोप की राईन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। अफ्रीका का माउण्ट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजीयामा ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं।

पठार- पठार उठी हुई एवं सपाट और क्षैतिज स्तर वाली भूमि होती है। ऊँचे पर्वतों से घिरे पठारों को छोड़कर अन्य पठार के ढ़ाल खड़े होते हैं। इसलिए इन्हें 'अधित्यका' या टेबल-लैंड भी कहा जाता है। पठारों की ऊँचाई समुद्रतल से कुछ सौ मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नये या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार, अर्जेंटीना का पेटागोनिया पठार और अमेरिका का आप्लेशियन पठार इसके उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊँचा पठार है, जिसकी ऊँचाई मुख्य समुद्रतल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है।

जबकि अपेक्षाकृत महीन मृदा परत और ऊबड़-खाबड़ सतह के कारण पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है फिर भी यहाँ खनिज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए पठारों को खजिनों का भंडार गृह भी कहा जाता है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, चूना-पत्थर और कई अन्य खनिजों के बहुत बड़े भंडार पाए

जाते हैं। ब्राजीली पठार लौह अयस्क और मैंगनीज के लिए जाने जाते हैं, जबकि बोलीविया के पठार टिन भण्डारण के लिए प्रसिद्ध हैं।

पठारी क्षेत्रों में नदियाँ तीव्र ढालों पर तेजी से बहती हैं और यहाँ बहुत से जलप्रपात होते हैं। छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात, इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। दक्कन के पठार की लावा युक्त मिट्टी उपजाऊ होती है एवं कपास की खेती के लिए काफी अच्छी होती है। पठारों में जल-विद्युत उत्पादन की संभावना है। पठार में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में होती है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है।

मैदान- समतल और नीचे तल वाला भूमि क्षेत्र मैदान कहलाता है। मैदान सामान्यतः समुद्री तल से 300 मीटर से अधिक ऊँचे नहीं होते हैं।

विश्व के अधिकांश मैदान नीचे तल वाले समतल क्षेत्र होते हैं परन्तु उनमें से कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। विश्व के अधिकांश प्रसिद्ध मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। इनका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट के निक्षेपण से हुआ है। भारत के विशाल उत्तरी मैदान, चीन, ह्वांग-हो मैदान और नील डेल्टा मैदान इस प्रकार के मैदान के उदाहरण हैं।

मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। उपजाऊ मिट्टी, परिवहन के सुलभ साधन, तीव्र गति विकसित होता औद्योगीकरण और नगरीकरण मैदानों जनसंख्या के उच्च घनत्व का कारण हैं। कई पुरानी सभ्यता मैदानों में ही विकसित हुई हैं और इसलिए अक्सर 'सभ्यताओं का पालना' भी कहा जाता है।

2. धरातल से ऊँचा उठा एक उभार अथवा एक शृंखला का प्रसार पर्वत कहलाता है। पर्वतों का समूह शृंखला कहलाता है।

पर्वतों का वर्गीकरण- निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पर्वत को चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

1. वलित पर्वत- पृथ्वी की आन्तरिक हलचलों के कारण परतदार शैलों में वलन (मोड़) पड़ते हैं। वलित परतदार शैलों के ऊपर उठने के फलस्वरूप बनी पर्वत श्रेणियों को वलित पर्वत कहते हैं। वलित परतदार शैलों पर कई वर्षों तक आन्तरिक क्षैतिज संपीडन बल लगते रहते हैं, जिस कारण वे मुड़ जाती हैं तथा उनमें उद्वलन व नतवलन पड़ जाते हैं। आगे चलकर ये अपनति व अभिनति के रूप में विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार की गतिविधियाँ समय-समय पर होती रहती है। जब वलित शैलें अधिक ऊँचाई प्राप्त कर लेती हैं, तो वे वलित पर्वतों का रूप धारण कर लेती हैं। एशिया के हिमालय यूरोप के आल्पस, उत्तर अमेरिका के रॉकी और दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत संसार के प्रमुख वलित पर्वत हैं। इन पर्वतों का निर्माण अतीव आधुनिक पर्वत निर्माणकर्ता युग में हुआ है। इसलिए इन्हें नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। हिमालय पर्वत अब भी ऊँचाई प्राप्त करने में लगे हुए हैं।

2. भ्रंश या खंड पर्वत– इन पर्वतों का निर्माण भी पृथ्वी की आन्तरिक गतिविधियों के कारण होता है। परतदार शैलों पर तनाव-बल लगने के कारण उनमें भ्रंश या दरारें पड़ जाती हैं। जब लगभग दो समानान्तर भ्रंशों के बीच की भूमि आसपास की भूमि की तुलना में अधिक ऊपर उठ जाती है, तो इस ऊपर उठी हुई भूमि को ही भ्रंश या खंड या भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। इन पर्वतों को होर्ट भी कहते हैं। जब दोनों भ्रंशों के बाहर की भूमि के नीचे बैठने से भ्रशों के बीच की भूमि ऊपर उठी रह जाए, तो इस परिस्थिति में भी भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। खण्ड पर्वतों में

शैलों की परतें वलित या समतल हो सकती हैं। फ्रांस के वास्जेस, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट, उत्तरी अमेरिका के सियेरा नेवादा आदि खंड पर्वतों के उदाहरण हैं।

3. ज्वालामुखी पर्वत– हम जानते हैं कि पृथ्वी का आन्तरिक भाग बहुत गर्म है। भूगर्भ के गहरे भागों में अत्यधिक तापमान के फलस्वरूप ठोस शैलें द्रवित मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं। जब यह पिघला मैग्मा ज्वालामुखी के उद्‌गार से बाहर आकर धरातल पर आ जाता है, तो वह उद्‌गार के आस-पास ठंडा होकर चारों ओर फैल जाता है। इस ठंडे मैग्मा को लावा कहते हैं। यह शंक्वाकार रूप में एकत्रित होता रहता है। जब इस शंकु की ऊँचाई अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है, तो इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। हवाईद्वीप का मोनालुआ, म्याँमार का माउण्ट पोपा, इटली का विसूवियस, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी तथा जापान का फ्यूजीयामा ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं।

4. अवशिष्ट पर्वत– अपक्षयों तथा अपरदनों के प्रमुख कारक नदियाँ, पवनें, हिमानी आदि धरातल पर निरन्तर कार्य करते रहते हैं। वे भूपर्पटी की ऊपरी सतह को कमजोर करने के साथ उसे काटते-छाँटते रहते हैं। जैसे– ही धरातल पर किसी पर्वत श्रेणी का उद्‌भव होता है, तो क्रमण के कारक अपरदन द्वारा उसे नीचा करना आरम्भ कर देते हैं। अपरदन कार्य शैलों की बनावट पर बहुत निर्भर करता है। हजारों वर्षों के बाद मुलायम शैलें कटकर बह जाती हैं तथा कठोर शैलों से बने भू-भाग उच्च भूखण्डों के रूप में ही खड़े रहते हैं। इन्हें ही अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। भारत में राजमहल की पहाड़ियाँ, नीलगिरि की पहाड़ियाँ, पारसनाथ की पहाड़ियाँ आदि अवशिष्ट पर्वत हैं।

3. **स्थल-रूप एवं लोग-** स्थल-रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवनयापन करते हैं। वैसे तो पर्वत मानव की लम्बे समय से कई प्रकार से रक्षा करते आये हैं परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि बहुत कम अथवा हानिकारक है क्योंकि कृषि योग्य अच्छी मृदा कुछ ही स्थानों पर पायी जाती है। उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों के मैदान लोगों से भरे हुए हैं। उनकी सपाट सतह और उपजाऊ जलोढ़ मृदा, सिंचाई के लिए जल-तल की निकटता, परिवहन के सुलभ साधन और संचार ने इन्हें विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या का घर बना दिया है। पठारीय क्षेत्रों के लिए लोगों का रुझान भिन्न है, क्योंकि यहाँ स्थलाकृति, मृदा और जलवायु में बड़ी भिन्नता है। कई पठारों के सिरों पर नदियों का बहाव बहुत तेज है, वहाँ कृषि के लिए उपजाऊ मृदा उपलब्ध है। यह जलवायु विद्‌युत उत्पादन को संभव बनाते हैं।

कभी-कभी प्राकृतिक आपदाएँ; जैसे–भूकंप, ज्वालामुखी उद्‌गार, तूफान या बाढ़ जीवन और संपत्ति का बहुत विनाश कर देते हैं। इन बुरे प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करके लोगों को इनके विनाशकारी प्रभावों को बेहतर रूप में सहन करने योग्य बना सकते हैं।

आज के संसार में आस-पास की पर्यावरण समस्याएँ लोगों ने ही पैदा की हैं और उनका हल भी उन्हें ही खोजना है। इस उद्‌देश्य से संसाधन की कमियों से बचने के लिए संसाधनों को संरक्षण के लिए कार्य करना होगा। उदाहरण के लिए औद्‌योगिक अपव्यय को नदियों में डालने से जल मैला हो जाता है, जिससे जलीय जीवन नष्ट हो जाता है। हमें पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, पौधे, जंतु और जीवाश्म ईंधन की संरक्षण करना चाहिए क्योंकि बिना ध्यान दिए उत्पत्ति स्थान नष्ट हो सकते हैं, संसाधन समाप्त हो सकते हैं और पृथ्वी को नुकसान हो सकता है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस प्रदूषण को रोकें। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा आज समय की माँग है।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

6. भारत-स्थिति और विभाजन

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) आर्यावर्त्त 2. (ब) सातवाँ 3. (द) 15200 किमी 4. (स) केंद्र शासित प्रदेश

ख. उचित मिलान कीजिए–

राज्य	राजधानी
असम	लेह
हरियाणा	दिसपुर
गुजरात	चंडीगढ़
लद्दाख	अहमदाबाद

ग. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए–

1. **भारत की प्राचीनता-** भारत विश्व के प्राचीनतम देशों में से एक है। यह बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। इसके उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यहाँ की सभ्यता 5000 वर्ष से अधिक पुरानी है। इसका प्राचीनतम नाम आर्यावर्त्त था, जो उत्तर भारत में रहने वाले आर्यों के नाम पर पड़ा। कालांतर में भरत नामक एक महान् राजा हुए, जिनके नाम पर इसे भारतवर्ष कहा जाने लगा। ईरानवासी सिंधु नदी के पूर्व रहने वाले आर्यों को हिन्दू कहते थे तथा उनके देश को हिन्दुस्तान कहते थे। यूरोपवासी सिंधु नदी को इंडस कहते थे तथा सिंधु नदी जहाँ बहती है उस देश को इंडिया कहते थे। स्वतन्त्रता के बाद भारत नाम को ही कानूनी रूप में मान्यता प्राप्त है।
2. **भौगोलिक स्थिति-** भारत उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है। कर्क रेखा लगभग देश के मध्य से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8°4' उत्तरी अक्षांश से 37°6' उत्तरी अक्षांश के बीच है। इसी प्रकार पश्चिम से पूर्व की ओर भारत का विस्तार 68°7' पूर्वी देशांतरों तथा 97°25' पूर्वी देशांतरों के बीच है।
   भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग 29° है। इसकी स्थलीय सीमा 15200 किमी तथा मुख्य स्थल की समुद्री सीमा 5100 किमी लम्बी है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,782 वर्ग किमी है। भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय है। दक्षिण की ओर की सीमाएँ प्राकृतिक हैं, जबकि उत्तर की सीमाएँ मानव द्वारा बनाई गई हैं।
3. **भारत के पड़ोसी देश-** हमारे देश की सीमा जिन देशों को छूती है या जो देश हमारे देश के समीप स्थित हैं उन देशों को भारत के पड़ोसी देश कहा जाता है। भारत के कुल नौ पड़ोसी देश हैं। उन देशों के नाम हैं–पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एवं मालद्वीप।
   पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के पश्चिमी पड़ोसी हैं। चीन, नेपाल, भूटान भारत के उत्तरी पड़ोसी हैं, बांग्लादेश और म्यांमार भारत के पूर्वी पड़ोसी हैं तथा श्रीलंका एवं मालद्वीप भारत के दक्षिणी पड़ोसी हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका एवं मालद्वीप भारत के समुद्री तट के समीप स्थित हैं।
4. अब तक भारत में 29 राज्य एवं 7 केन्द्र-शासित प्रदेश थे। जम्मू-कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के बाद भारत में 28 राज्य एवं 9 केन्द्र-शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को केंद्र-शासित प्रदेश बनाया गया है।

घ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तारपूर्वक दीजिए–

1. भारत विश्व का सातवाँ विशाल देश है। इसका कुल क्षेत्रफल सम्पूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा बड़ा देश है। विश्व की सम्पूर्ण जनसंख्या की 16% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत की विशाल शृंखलाएँ स्थित हैं। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में

   बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिन्द महासागर अपने पूर्ण विस्तार में स्थित है।

   भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। उत्तर में स्थित कश्मीर से लेकर दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3214 किमी है। इसी तरह पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में पोरबंदर तक यह लगभग 2933 किमी क्षेत्र में फैला है।

   भारत में विशाल पर्वत शृंखलाएँ, वृहद उपजाऊ, मैदान, असमान पठारी भू-भाग, मरुस्थल, तटीय सागरीय मैदान तथा 247 द्वीपों का समूह इसकी भौतिक विविधता को दर्शाते हैं। इसी तरह हिन्दू-मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध आदि सभी धर्मों के लोग यहाँ मिल-जुलकर रहते हैं। अलग-अलग वेशभूषा, खान-पान, रीति-रिवाज, रंग होते हुए हम भी सभी विश्व में एक पहचान भारतीय (Indians) से पहचाने जाते हैं। यह हमारे लिए गौरव का विषय है।

   भारत की मृदा उपजाऊ है तथा जलवायु काफी विविधतापूर्ण है। इसलिए यहाँ विश्व की लगभग हर प्रकार की फसलें, फूल एवं पौधे उगाए जाते हैं।

   भौगोलिक स्थिति- भारत उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है। कर्क रेखा लगभग देश के मध्य से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8°4' उत्तरी अक्षांश से 37°6' उत्तरी अक्षांश के बीच है। इसी प्रकार पश्चिम से पूर्व की ओर भारत का विस्तार 68°7' पूर्वी देशांतरों तथा 97°25' पूर्वी देशांतरों के बीच है।

   भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग 29° है। इसकी स्थलीय सीमा 15200 किमी तथा मुख्य स्थल की समुद्री सीमा 5100 किमी लम्बी है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,782 वर्ग किमी है। भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय है। दक्षिण की ओर की सीमाएँ प्राकृतिक हैं, जबकि उत्तर की सीमाएँ मानव द्वारा बनाई गई हैं।

2. **भारत के पड़ोसी देश-** हमारे देश की सीमा जिन देशों को छूती है या जो देश हमारे देश के समीप स्थित हैं उन देशों को भारत के पड़ोसी देश कहा जाता है। भारत के कुल नौ पड़ोसी देश हैं। उन देशों के नाम हैं–पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एवं मालद्वीप।

   पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के पश्चिमी पड़ोसी हैं। चीन, नेपाल, भूटान भारत के उत्तरी पड़ोसी हैं, बांग्लादेश और म्यांमार भारत के पूर्वी पड़ोसी हैं तथा श्रीलंका एवं मालद्वीप भारत के दक्षिणी पड़ोसी हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका एवं मालद्वीप भारत के समुद्री तट के समीप स्थित हैं।

क्र0	देश	राजधानी	मुद्रा	भाषा
1.	पाकिस्तान	इस्लामाबाद	पाकिस्तानी रुपया	उर्दू
2.	अफगानिस्तान	काबुल	अफगानी	पश्तो एवं दारी
3.	चीन	बीजिंग	युआन	चीनी
4.	नेपाल	काठमांडू	नेपाली रुपिया	नेपाली

5.	भूटान	थिम्पू	लगुलटूम	भूटानी
6.	बांग्लादेश	ढाका	टका	बांग्ला
7.	म्यांमार	यांगून	क्यात	वर्मी
8.	श्रीलंका	कोलंबो	श्रीलंकाई रुपया	सिंहली एवं तमिल
9.	मालदीव	माले	रुफिया	दिवेहि (माल्डिविअन)

3. **भारत के राजनैतिक विभाग-** भारत को 15 अगस्त, 1947 को आजादी 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी से मिली, परन्तु भारत दो स्वतन्त्र राजनीतिक इकाइयों–भारत एवं पाकिस्तान में बँट गया। 26 जनवरी, 1950 को भारत का नया संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु लोकतन्त्रीय गणराज्य बना। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ (Union of States) माना गया है। देशी राज्यों का भारत में विलय करके नए राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश बनाए गए। अब तक भारत में 29 राज्य एवं 7 केन्द्र-शासित प्रदेश थे। जम्मू-कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के बाद भारत में 28 राज्य एवं 9 केन्द्र-शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को केंद्र-शासित प्रदेश बनाया गया है।

रचनात्मक कार्य

स्वंय करो

7. भारत की जलवायु, वनस्पतियाँ एवं वन्य जीवन

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (ब) मानसूनी 2. (अ) शीत ऋतु 3. (स) तमिलनाडु में 4. (अ) पाँच

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. कम 2. मानसूनी 3. प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष (परोक्ष) 4. जीव, वन

ग. निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए–

1. किसी स्थान पर अनेक वर्षों से मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं।
2. भारत में सामान्यतः निम्न मौसम होते हैं –
   - दिसंबर से फरवरी तक शीत या सर्दी
   - मार्च से मई तक गर्मी
   - जून से सितंबर तक वर्षा तथा
   - अक्टूबर से नवम्बर तक शरद
3. भारत में पाँच प्रकार के प्रमुख वन पाये जाते हैं– (1) उष्ण-कटिबन्धीय वर्षा वन या चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन, (2) उष्ण-कटिबन्धीय पतझड़ वन या मानसूनी वन, (3) कँटीले वन, (4) ज्वारीय वन तथा (5) हिमालयीय (पर्वतीय) वन।
4. भारत में बड़ी संख्या में जन्तु, पक्षी, मछलियाँ, सरीसृप, उभयचर तथा कीट पाए जाते हैं। इसे ही वन्य जीव कहते हैं।

घ. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए–

1. **उष्ण-कटिबन्धीय पतझड़ वन या मानसूनी वन–** ये वन देश के उत्तरी तथा पूर्वी भागों में उगते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 100-200 सेमी होता है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते

हैं। लम्बी शुष्क ऋतु के दौरान इन वनों के वृक्षों की पत्तियाँ झड़ जाती हैं। साल, शीशम तथा सागौन (teak) इन वनों के वृक्षों की प्रमुख किस्में हैं। इन किस्मों का आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्त्व है।

2. **वन्य जीवन**- भारत में बड़ी संख्या में जन्तु, पक्षी, मछलियाँ, सरीसृप, उभयचर तथा कीट पाये जाते हैं। वन वन्य-जीवन के लिए उचित प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं।
   भारत में वन्य जीवों की विविध प्रजातियाँ मिलती हैं। हिमालय स्थित वनों में कस्तूरी मृग, हिमालयी भूरा रीछ, लाल पांडा, साकिन आदि जैसे दुर्लभ जानवर पाये जाते हैं। हिम तेंदुआ, चीरू तथा 'तहर' हिमालय के उच्च अल्पाइन घास क्षेत्रों तथा पथरीली चट्टानों पर पाये जाते हैं। पूर्वी दलदली भूमि और वन बाघों, हाथियों, गैण्डों, मगरमच्छों और घड़ियालों से भरे पड़े हैं। गुजरात (सौराष्ट्र) के गिर वनों में दुर्लभ एशियाई शेर पाये जाते हैं। कच्छ के रन तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप में जंगली गधे पाये जाते हैं। केरल, कर्नाटक और असम (अब असोम) में हाथियों की भरमार है। एक सींग वाला गैण्डा असोम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में मिलता है। बंगाल टाइगर सुन्दरवन में विचरण करते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के जंगल हाथी, तेंदुए और चीतों को आवास प्रदान करते हैं। थार का रेगिस्तान सोनचिड़िया तथा विलुप्तीकरण के कगार पर पायी जाने वाली पक्षी प्रजातियों का घर है। बन्दर, हिरन और चौसिंगा भारत के अधिकांश भागों में पाये जाते हैं। नीलगाय और जंगली भैंसे भी पूरे देश में पाये जाते हैं। बारहसिंघा व काला हिरन विलुप्तीकरण के कगार पर पहुँच चुकी हिरन की प्रजाति है।
   जन्तुओं के अतिरिक्त असंख्य प्रकार के कीट, पक्षी, सरीसृप जिनमें मगरमच्छ, कछुए, छिपकलियाँ तथा सर्पों की बहुत-सी प्रजातियाँ भी हमारे देश में पायी जाती हैं। पक्षियों में मोर, चील, बाज, कठफोड़वा, कबूतर, तोते, कौड़िल्ला (किंगफिशर), पाराकीट, मैना आदि प्रमुख हैं। सर्पों की विभिन्न प्रजातियों में कोबरा, करैत और अजगर सम्मिलित हैं।
3. **लू-** ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे तापमान अधिक हो जाता है। इस ऋतु के दौरान अप्रैल-मई के महीने में तेज गर्म हवाएँ चलती हैं, जिन्हें 'लू' कहा जाता है।
4. **दक्षिण-पश्चिम मानसून-** दक्षिण-पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम आगे बढ़ने का मौसम है। इस मौसम में पवनें बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की ओर बहती हैं। ये पवनें पहाड़ों से टकराकर भारत में वर्षा करती हैं।

ङ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तारपूर्वक दीजिए–

1. बिना मानवीय प्रयासों से उगी हुई वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। किसी भी देश की प्राकृतिक वनस्पति की विविधता में जलवायु का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें वर्षा की मात्रा का योगदान होता है।
   भारत में पाँच प्रकार के प्रमुख वन पाये जाते हैं–(1) उष्ण-कटिबन्धीय वर्षा वन या चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन, (2) उष्ण-कटिबन्धीय पतझड़ वन या मानसूनी वन, (3) कँटीले वन, (4) ज्वारीय वन तथा (5) हिमालयीय (पर्वतीय) वन।
   1. उष्ण-कटिबन्धीय वर्षा वन या चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन – ये वन भारी वर्षा (200 सेमी वार्षिक से अधिक) वाले प्रदेशों में मिलते हैं। इन वनों में किसी भी मौसम में पतझड़ नहीं होता। पश्चिमी घाटों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और अण्डमान-निकोबार द्वीप-समूहों में ऐसे वन उगते हैं। इन वनों में महोगनी, सिनकोना, जंगली रबर और बाँस जैसे वाणिज्यिक महत्त्व के वृक्ष उगते हैं।

2. उष्ण-कटिबन्धीय पतझड़ वन या मानसूनी वन– ये वन देश के उत्तरी तथा पूर्वी भागों में उगते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 100-200 सेमी होता है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। लम्बी शुष्क ऋतु के दौरान इन वनों के वृक्षों की पत्तियाँ झड़ जाती हैं। साल, शीशम तथा सागौन (teak) इन वनों के वृक्षों की प्रमुख किस्में हैं। इन किस्मों का आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्त्व है।

3. कँटीले वन– ये वन 50-100 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं। गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी भाग, पंजाब, हरियाणा तथा दकन के शुष्क पठारी क्षेत्रों में ये वन मिलते हैं। कीकर (बबूल), खैर, महुआ, जंगली ताड़, कँटीली झाड़ियाँ आदि किस्में हैं।

4. ज्वारीय वन– ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी नदियों के डेल्टाई भागों में मिलते हैं। समुद्रों के ज्वारीय जल से तटवर्ती डेल्टाई क्षेत्रों में सघन वनस्पति का विकास होता है। गंगा के डेल्टाई क्षेत्रों में 'सुन्दरी' वृक्ष अधिक उगता है, जिसके नाम पर ही गंगा डेल्टा का नामकरण (सुन्दरवन) हुआ है।

5. हिमालयीय (पर्वतीय) वन– विभिन्न ऊँचाई के क्षेत्रों में पर्वतीय वनस्पति का कटिबन्धीय वितरण निम्नलिखित है–

(i) पर्वतों की तलहटी में साल, बाँस, ओक, शीशम, चन्दन आदि के वृक्ष तथा सवाना घासें उगती हैं।

(ii) तलहटी के ऊपर 1600 मीटर की ऊँचाई तक उपोष्ण कटिबन्धीय मिश्रित वन (चौड़ी पत्ती के पतझड़ तथा कोणधारी सदाबहार) उगते हैं, जिनमें पाइन, ओक, मेपल, सिलवर-फर, जूनिपर, पोपलर, बर्च आदि सम्मिलित हैं।

(iii) 1600 से 3000 मीटर तक की ऊँचाई पर कोणधारी वृक्षों में पाइन, देवदार, एल्डर, बर्च, पोपलर, सिलवर-फर आदि की प्रधानता होती है।

(iv) 3500 मीटर से अधिक ऊँचाई पर पर्वतीय चरागाहों में कुछ झाड़ीदार वनस्पतियाँ भी उगती हैं। हिमरेखा के ऊपर कोई भी वनस्पति नहीं उगती।

2. किसी स्थान पर अनेक वर्षों से मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊँचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। भारत में जैसलमेर तथा बीकानेर (राजस्थान) बहुत गर्म स्थान है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में बर्फीली ठंड पड़ती है। समुद्री तटीय क्षेत्र मुंबई व कोलकाता की जलवायु मध्यम होती है। वहाँ न तो अधिक गर्मी है और न ही अधिक ठंड। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम, मेघालय में पड़ती है।

भारत में सामान्यतः निम्न मौसम होते हैं –

- दिसंबर से फरवरी तक शीत या सर्दी
- मार्च से मई तक गर्मी
- जून से सितंबर तक वर्षा तथा
- अक्टूबर से नवम्बर तक शरद

शीत ऋतु में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, फलस्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे तापमान अधिक हो जाता है। इस ऋतु के दौरान अप्रैल-मई के महीने में तेज गर्म हवाएँ चलती हैं, जिन्हें 'लू' कहा जाता है। दक्षिण-पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम आगे बढ़ने का मौसम है। इस मौसम में पवनें बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की ओर बहती हैं। ये पवनें पहाड़ों से टकराकर भारत में वर्षा करती हैं।

जब पवनें स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, तो वह मानसून के लौटने का समय होता है। इस समय भारत के दक्षिणी भागों में विशेष रूप से तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है।

3. वन से हमें बहुत लाभ हैं। इनसे हमें दो प्रकार के लाभ होते हैं–प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष (परोक्ष)। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं–

(i) वनों में पशुओं के लिए प्राकृतिक चरागाह भी उपलब्ध होते हैं।

(ii) वनों से हमें जलाने के लिए (ईंधन) लकड़ी, इमारती लकड़ी और अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थ; जैसे–लाख, रेजिन, गोंद और जड़ी-बूटियाँ प्राप्त होती हैं।

(iii) वन्य जीवों और पक्षियों के लिए वन प्राकृतिक आवास का कार्य करते हैं।

(iv) बहुत-सी जनजातियाँ अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर करती हैं।

(v) वनों पर आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल भी हमें उनसे मिलता है।

वनों के अप्रत्यक्ष लाभ भी बहुत हैं, क्योंकि वे प्रकृति के पर्यावरण सन्तुलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से वे क्षेत्र विशेष की जलवायु को बहुत प्रभावित करते हैं। उनके द्वारा जल और वायु से होने वाला मिट्टी का अपरदन व बाढ़ भी नियन्त्रित की जाती है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनों को क्षति पहुँचाई जा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर वनों का विनाश हुआ है। वर्तमान में भी आवास, कृषि, उद्योगों और सड़कों के निर्माण के लिए वनों को निर्दयतापूर्वक साफ किया जा रहा है। वनों का विनाश पर्यावरण के क्षय का कारण बना है। अतः हमें वनों के अनावश्यक दोहन को रोकना चाहिए, क्योंकि वन हमारी राष्ट्रीय सम्पदा है।

4. **वन्य जीव संरक्षण-** वन्य जीव और वन परस्पर निर्भर हैं। प्रत्येक प्रकार के जीवन का संसार में कोई-न-कोई उपयोग होता है तथा एक के विनाश का दुष्प्रभाव दूसरे के जीवन पर पड़ता है। वन क्षेत्र लगातार घट रहे हैं, जिससे मानव सहित समस्त जीवों का अस्तित्व खतरे में है। प्रकृति में प्रत्येक जीव 'खाद्य शृंखला' में अहम भूमिका निभाता है। एक जीव दूसरे का आहार होता है। उदाहरण के लिए, हिरन और चरने वाले पशु 'शाकाहारी' हैं जो घास या पेड़-पौधों पर निर्भर करते हैं, जिन्हें बदले में शेर व चीते जैसे 'मांसाहारी' प्राणी खाते हैं। अब यदि शेर और चीतों की संख्या घट जाती है तो हिरन और अन्य शाकाहारी जन्तुओं की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे वे पौधों को खाकर पर्यावरण को नष्ट कर देंगे। परिणामस्वरूप प्रकृति में सन्तुलन नहीं रहने पायेगा।

प्रकृति में सम्पूर्ण सन्तुलन स्थापित है। लेकिन मनुष्य ने जंगलों को काटकर धरातल का चेहरा बदल दिया है, जिसके कारण अनेक जन्तु प्रजातियाँ विलुप्त हो गयी हैं और कुछ विलुप्तीकरण के कगार पर हैं। ऐसी प्रजातियों को 'संकटापन्न प्रजातियाँ' कहते हैं। चीता और गैण्डा ऐसी ही प्रजातियाँ हैं। भारतीय चीता एक विलुप्त प्रजाति है।

पहले केवल कुछ विशेष प्रजाति के जीवों के संरक्षण के लिए भारत देश में नियम कानून बनाए गए थे, लेकिन 1972 में भारत देश के वन्य जीवन बोर्ड के बाद 'वन्य जीव संरक्षण' की नींव रखी गई।

भारत सरकार ने सन् 2015 तक पूरे देश में 112 राष्ट्रीय उद्यान, 515 वन्य-जीव अभयारण्य तथा 18 जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की है। तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में नीलगिरि, उत्तराखण्ड में नन्दा देवी, असम में मनास, पश्चिमी बंगाल में सुन्दरवन, गुजरात में कच्छ आदि में कुछ जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र हैं। ये राष्ट्रीय पार्क और

वन्य जीव अभयारण्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 'बाघ परियोजना' जैसी कुछ योजनाओं में अब तक 48 बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थापित किये गये हैं। हाथी परियोजना, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, गिर सिंह परियोजना तथा गैण्डा परियोजना ऐसी ही कुछ परियोजनाएँ हैं, जो विशेष जंगली जन्तुओं के संरक्षण के लिए प्रारम्भ की गयी हैं। कुछ गैर-सरकारी संगठन भी वन्य जीव संरक्षण में रुचि ले रहे हैं। लोगों को अमूल्य राष्ट्रीय सम्पदा की रक्षा और भविष्य में इसके संरक्षण के लिए शिक्षित करना जरूरी है, जिससे वे इस ओर सावधान हो सकें।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

(इकाई-3 : नागरिक शास्त्र)

1. विविधता और भेदभाव

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) 1652 2. (ब) इडली-डोसा 3. (द) 8% 4. (अ) रूढ़िबद्ध धारणा

ख. उचित मिलान कीजिए–

द्रविड़ भाषा	तेलुगू
उत्तर का प्रमुख खाद्यान्न	गेहूँ
अस्पृश्यता	छुआछूत
किसी के प्रति पूर्व में ही राय बनाना	पूर्वाग्रह

ग. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए–

1. भारत पर्वतों, नदियों, मैदानों, मरुस्थलों आदि से युक्त एक विशाल देश है। एक प्रदेश की जलवायु दूसरे प्रदेश की जलवायु से भिन्न है। भारत में दक्षिण एवं उत्तरी-दक्षिणी भारत के समान कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होती है, जबकि इसके विपरीत राजस्थान के मरुस्थल में अत्यधिक कम वर्षा होती है।
2. तेलुगू, तमिल, कन्नड़ आदि द्रविड़ भाषाएँ हैं।
3. बंगाल, महाराष्ट्र एवं केरल के तटीय क्षेत्रों के निवासी पूर्णतया मछली एवं अन्य समुद्री भोज्य-पदार्थों पर निर्भर रहते हैं।
4. जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उस राय या विचार को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं।
5. किसी विशिष्ट जाति या व्यक्ति के समूहों से दूर रहना, उनके स्पर्श से बचना या उनके द्वारा स्पर्श की गई किसी वस्तु को व्यर्थ समझना आदि अस्पृश्यता कहलाता है।

घ. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–

1. **भारत में भाषाई विविधता**- भारत में भाषाओं की भी विविधता है। भारत में विश्व के किसी भी देश की अपेक्षा ज्यादा भाषाई विविधता है। भारत में सरकार तथा अन्य भाषाई कार्यकर्ता इन भाषाओं को जीवंत रखने का कार्य करते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी एक प्रमुख राज भाषा है। भारत में एक कहावत अत्यंत मशहूर है – कोस-कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बाणी। यहाँ हिन्दी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, उडिया, असमी, बांग्ला, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, हरियाणवी, पंजाबी आदि विभिन्न भाषाएँ एवं बोलियाँ बोली जाती हैं। सन्

1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 भाषाएँ बोली जाती हैं। भारत के दक्षिण में विभिन्न द्रविड़ भाषाएँ बोली जाती हैं। तेलुगू, तमिल, कन्नड़ आदि द्रविड़ भाषाएँ हैं। विभिन्न भाषाओं और बोलियों के बोले जाने के बावजूद सभी भारतीय हैं। यहाँ प्रत्येक भाषा-भाषी परस्पर एक-दूसरे का सम्मान करते हैं।

2. **मिश्रित संस्कृति-** भारत को पंथों एवं सम्प्रदायों, रीति-रिवाजों एवं संस्कृतियों, आस्थाओं एवं भाषाओं, प्रजातियों के प्रकार और सामाजिक प्रणालियों का अजायबघर कहा जाता है लेकिन इन समस्त विविधताओं के होते हुए भारत में विचार, भावनाओं एवं जीवन-दशाओं में मूलभूत एकता है।

   भारतीयों की एक सामान्य विरासत, सामान्य इतिहास और अतीत के सामान्य प्रभाव हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संस्कृति को मिश्रित संस्कृति का नाम दिया है, जिसमें अनेक विभिन्न रुझानों, परम्पराओं एवं प्रभावों का समावेश है। निःसन्देह द्रविड़ एवं आर्यों ने भारतीय संस्कृति को आधार रूप प्रदान किया, लेकिन सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात् शिल्पकला, अन्तरिक्ष विज्ञान एवं गणित में यूनानियों का प्रभाव देखा जा सकता है। इस्लाम धर्म में दीर्घकालिक सम्पर्क से भारतीय जीवन का प्रत्येक पहलू, जैसे धर्म, कला, साहित्य एवं सामाजिक व्यवस्था प्रभावित हुई। अन्तिम दो सौ वर्षों की अवधि में पाश्चात्य विचार एवं संस्कृति ने भी भारतीय संस्कृति को अत्यधिक प्रभावित किया। इस प्रकार अनेक कारकों ने भारतीय संस्कृति को वर्तमान स्वरूप में ढाल दिया। भारत की भौगोलिक स्थितियों ने सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन के सृजन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया तथा इसे नया रंग और विविधता प्रदान की। देश के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्ति भिन्न-भिन्न व्यवहार करते हैं।

3. **पूर्वाग्रह-** जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उस राय या विचार को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह अधिकतर नकारात्मक ही होता है। हम किसी व्यक्ति को आलसी, किसी को बेईमान, किसी को कमजोर, कंजूस, कायर आदि मान लेते हैं। यह सब पूर्वाग्रह के ही अंतर्गत आता है। अक्सर हम मान लेते हैं कि किसी काम को करने का सही तरीका वही है, जो हम करते हैं, तो हम दूसरों के कार्य करने के ढंग को सही नहीं ठहरा पाते और उसकी इज्जत करना कम कर देते हैं। पूर्वाग्रह को समझने का एक आसान उदाहरण यह है कि यदि हम अंग्रेजी को सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, तो हम अन्य भाषाओं के प्रति नकारात्मक हो जाते हैं, यही नकारात्मकता पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह समाज के प्रत्येक हिस्से में व्याप्त है। समाज में लड़का-लड़की में किया गया भेदभाव, स्त्रियों को पुरुषों से कमतर आँकना आदि सब पूर्वाग्रह ही हैं।

4. **रूढ़िबद्ध धारणाएँ-** जब हम किसी के बारे में एक पक्की छवि या धारणाएँ बना लेते हैं तो इसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। हम कभी-कभी किसी विशेष धर्म, देश, जाति के प्रति एक पक्की धारणा बना बैठते हैं। मान लो यदि किसी धर्म के कुछ लोग गलत कार्य करते हैं, तो हम पूरे धर्म को ही उसका जिम्मेदार ठहरा देते हैं। यही बात देश, जाति पर भी लागू होती है। यह सब रूढ़िबद्ध धारणाओं के अन्तर्गत आता है। ये धारणाएँ एक बड़ी संख्या में लोगों को गलत खाँचे में धारण कर लेती हैं। लड़कियाँ ये नहीं कर सकती; अमुक जाति के सभी लोगों का स्वभाव ऐसा ही होता है; इस स्कूल के लड़के कभी कामयाब नहीं हो सकते; आदि ये सब बातें रूढ़िबद्ध धारणाएँ ही हैं। पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणाएँ देश, जाति, धर्म, समाज आदि की प्रगति में बाधक बनते हैं।

ङ. निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए–

1. भारत की विविधताओं का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है–

1. विविध भौतिक विशेषताएँ- भारत की उत्तर दिशा में अनेक उच्च पर्वत चोटियाँ एवं घाटियाँ हैं। गंगा एवं सिन्धु नदी के मैदानों में अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग उपजाऊ प्रदेश है। अतः भारत में जलवायु में अत्यधिक विभिन्नता के कारण भारत विविध प्राकृतिक वनस्पति में समृद्ध है। भारत में कहीं मरुस्थल हैं तो कहीं हरे-भरे क्षेत्र। अतः भारत में भौतिक विविधताएँ भरी पड़ी हैं।

हमारे देश में अनेक प्रजातियों के लोग रहते हैं; जैसे–द्रविड, इंडो आर्यंस, तुर्की, ईरानी तथा मंगोलियाई आदि।

2. धार्मिक एवं साम्प्रदायिक विविधताएँ- भारत में धार्मिक एवं साम्प्रदायिक विविधताएँ भी दृष्टिगोचर होती हैं। देश में अनेक धार्मिक सम्प्रदायों के मध्य धार्मिक एकता की अंतरधारा प्रवाहित रहती है। शिव एवं विष्णु की पूजा समस्त भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक अनेक भिन्न-भिन्न नामों से की जाती है, तथापि भारत में समस्त विश्व के धर्मों के मानने वाले व्यक्ति रहते हैं; जैसे–हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी, बौद्ध एवं जैन। भारत अनेक पंथ एवं संप्रदायों का संग्रहालय है।

3. सांस्कृतिक विविधताएँ

(i) भाषाओं की विविधता- भारत में भाषाओं की भी विविधता है। भारत में विश्व के किसी भी देश की अपेक्षा ज्यादा भाषाई विविधता है। भारत में सरकार तथा अन्य भाषाई कार्यकर्ता इन भाषाओं को जीवंत रखने का कार्य करते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी एक प्रमुख राज भाषा है। भारत में एक कहावत अत्यंत मशहूर है – कोस-कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बाणी। यहाँ हिन्दी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, उडिया, असमी, बांग्ला, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, हरियाणवी, पंजाबी आदि विभिन्न भाषाएँ एवं बोलियाँ बोली जाती हैं। सन् 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 भाषाएँ बोली जाती हैं। भारत के दक्षिण में विभिन्न द्रविड़ भाषाएँ बोली जाती हैं। तेलुगू, तमिल, कन्नड़ आदि द्रविड़ भाषाएँ हैं। विभिन्न भाषाओं और बोलियों के बोले जाने के बावजूद सभी भारतीय हैं। यहाँ प्रत्येक भाषा-भाषी परस्पर एक-दूसरे का सम्मान करते हैं।

(ii) खान-पान में विविधता- भारत में खान-पान में भी अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। इसके निवासियों के खान-पान में सांस्कृतिक विविधता परिलक्षित होती है। भोजन पकाने में प्रयुक्त सामान एवं मसाले क्षेत्र-क्षेत्र में विविधता रखते हैं। भारत के दक्षिणी भाग एवं तटीय क्षेत्रों में भोजन पकाने में नारियल का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तर भारत में प्रायः सरसों का प्रयोग किया जाता है। उत्तर और पश्चिम में गेहूँ प्रमुख खाद्यान्न है, जबकि दक्षिणी एवं भारत के पूर्वी प्रदेशों में अधिकांशतः चावल का प्रयोग किया जाता है। बंगाल, महाराष्ट्र एवं केरल के तटीय क्षेत्रों के निवासी पूर्णतया मछली एवं अन्य समुद्री भोज्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। उत्तरी भारत में गेहूँ से तैयार नान, रोटी एवं पराठा आदि सामान्य हैं। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन प्राप्ति के लिए शाकाहारी व्यक्ति अधिकतर अनेक प्रकार की साबुत एवं दली हुई दालों तथा डेयरी उत्पादों पर आश्रित होते हैं। भारत में प्रत्येक राज्य का अपना प्रिय व्यंजन है। दक्षिण में जहाँ इडली, डोसा, साँभर प्रसिद्ध हैं, तो वहीं उत्तर में मक्का की रोटी, सरसों का साग, दही, मट्ठा आदि प्रसिद्ध हैं।

(iii) धर्म में विविधता- भारत एक धार्मिक भूमि है। यहाँ अनेक पवित्र स्थल हैं। भारत में विश्व के किसी भी अन्य देश से अधिक धर्मों को मानने वाले व्यक्ति निवास करते हैं। भारत में विश्व के लगभग सभी धर्मों के व्यक्ति निवास करते हैं। हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, जैन, ईसाई, मुस्लिम, सिख धर्म आदि प्रमुख धर्म भारत में हैं। धर्म भारतीय संस्कृति का केन्द्र है तथा भारत में जीवन के प्रत्येक पहलू में धार्मिक गतिविधियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या धर्मावलंबी है।

भारत में 8 प्रतिशत भारतीय इस्लाम धर्मावलंबी, 5 प्रतिशत सिक्ख एवं 5 प्रतिशत ईसाई तथा अन्य (4.5 करोड़) बौद्ध, जैन, पारसी एवं बहाई आदि हैं।

2. धार्मिक, भाषाई एवं अन्य विविधताओं के होते हुए भी, भारत की सांस्कृतिक एकता देश की शक्ति का स्रोत मानी जाती है। जब अंग्रेजों ने भारत में शासन किया, तो पूरे भारत में चारों ओर उनके विरुद्ध असन्तोष था। गरम दल व नरम दल नेताओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी हिंसक गतिविधियाँ जारी रखी। भारतीयों को अंग्रेज सरकार में कोई आस्था नहीं शेष रह गई थी। उन्हें विश्वास हो गया कि वे अपने अधिकारों की प्राप्ति प्रार्थना, याचिका एवं अपीलों के माध्यम से नहीं कर सकते। इसके लिए स्वराज की प्राप्ति ही जरूरी थी। इस उद्देश्य के लिए सभी भारतीयों ने संयुक्त रूप से कार्य करने का निश्चय किया। वे साथ-साथ जेलों में गए तथा अंग्रेजों का विरोध अनेकानेक प्रकार से किया। रुचिकर बात यह थी कि अंग्रेजों ने आन्दोलन को समाप्त करने के लिए दमनकारी नीतियाँ अपनाई। अंग्रेजों ने सोचा कि वे भारतीयों की विविधता का लाभ उठाकर और उनमें फूट डालकर निरन्तर शासन कर सकते हैं, लेकिन भारतीय व्यक्तियों के अन्दर राष्ट्रीयता की भावना समाप्त नहीं हुई। भारतीयों ने अंग्रेजों को दर्शाया कि वे अनेक प्रकार से विविधता के बावजूद एकता के सूत्र में बँधे रह सकते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी क्रान्ति एवं आन्दोलन जारी रखा। अतः भारतीयों में प्रबल राष्ट्र भावना के कारण विविधता में एकता विद्यमान है।

3. **असमानता व भेदभाव-** किसी भी व्यक्ति के अन्दर असमानता व भेदभाव की भावना तब आती है, जब लोगों के अन्दर पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाएँ विकसित होती हैं। लोग एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। घृणा, ईर्ष्या, अस्पृश्यता आदि भावनाएँ इन्हीं कारणों से पैदा होती हैं। भेदभाव कई प्रकार का हो सकता है – धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातिगत, क्षेत्रीय, राज्यीय आदि।

पूर्वाग्रह- जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उस राय या विचार को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह अधिकतर नकारात्मक ही होता है। हम किसी व्यक्ति को आलसी, किसी को बेईमान, किसी को कमजोर, कंजूस, कायर आदि मान लेते हैं। यह सब पूर्वाग्रह के ही अंतर्गत आता है। अक्सर हम मान लेते हैं कि किसी काम को करने का सही तरीका वही है, जो हम करते हैं, तो हम दूसरों के कार्य करने के ढंग को सही नहीं ठहरा पाते और उसकी इज्जत करना कम कर देते हैं। पूर्वाग्रह को समझने का एक आसान उदाहरण यह है कि यदि हम अंग्रेजी को सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, तो हम अन्य भाषाओं के प्रति नकारात्मक हो जाते हैं, यही नकारात्मकता पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह समाज के प्रत्येक हिस्से में व्याप्त है। समाज में लड़का-लड़की में किया गया भेदभाव, स्त्रियों को पुरुषों से कमतर आँकना आदि सब पूर्वाग्रह ही हैं।

रूढ़िबद्ध धारणाएँ- जब हम किसी के बारे में एक पक्की छवि या धारणाएँ बना लेते हैं तो इसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। हम कभी-कभी किसी विशेष धर्म, देश, जाति के प्रति एक पक्की धारणा बना बैठते हैं। मान लो यदि किसी धर्म के कुछ लोग गलत कार्य करते हैं, तो हम पूरे धर्म को ही उसका जिम्मेदार ठहरा देते हैं। यही बात देश, जाति पर भी लागू होती है। यह सब रूढ़िबद्ध धारणाओं के अन्तर्गत आता है। ये धारणाएँ एक बड़ी संख्या में लोगों को गलत खाँचे में धारण कर लेती हैं। लड़कियाँ ये नहीं कर सकती; अमुक जाति के सभी लोगों का स्वभाव ऐसा ही होता है; इस स्कूल के लड़के कभी कामयाब नहीं हो सकते; आदि ये सब बातें रूढ़िबद्ध धारणाएँ ही हैं। पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणाएँ देश, जाति, धर्म, समाज आदि की प्रगति में बाधक बनते हैं।

अस्पृश्यता- अस्पृश्यता या छुआछूत एक सामान्य शब्द है, जिसका अर्थ है – न छूना। किसी विशिष्ट जाति या व्यक्ति के समूहों से दूर रहना, उनके स्पर्श से बचना या उनके द्वारा स्पर्श की गई किसी वस्तु को व्यर्थ समझना आदि अस्पृश्यता कहलाता है। हिन्दू धर्म के प्राचीन समाज में यह समस्या, बहुत बुरी तरह से व्याप्त थी। प्राचीन 'वर्ण-व्यवस्था' का 'जातिगत-व्यवस्था' में ढल जाने के कारण उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों की परछाईं तथा छूने से बचते थे। उनका मानना था कि उनके छूने से हम अपवित्र हो जायेंगे। लेकिन आगे चलकर विभिन्न समाज सुधारकों; जैसे – ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानन्द, महात्मा गाँधी, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबाफूले आदि के अथक प्रयासों के कारण इस समस्या को कानून बनाकर खत्म कर दिया गया, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में यह समस्या अब भी बनी हुई है, इसके प्रति हमें और अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

2. हमारी सरकार

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (स) सरकार पर 2. (अ) सुरक्षा 3. (अ) तीन 4. (ब) जर्मनी का तानाशाह

ख. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए–

1. सरकार तीन भिन्न स्तरों पर कार्य करती है- स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय या केंद्र स्तर पर
2. राज्य स्तर पर सरकार का कार्य किसी भी राज्य का पूर्णतः संचालन करना है।
3. इंग्लैंड में अब भी राजतंत्र देखने को मिलता है।
4. हमारा संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।

ग. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए–

1. स्थानीय स्तर का महत्त्व आपके गाँव, कस्बा या बस्ती में होता है। इसका अर्थ है कि स्थानीय स्वशासित संस्था जिला परिषद, नगरपालिका एवं ग्राम पंचायत आदि हैं। ग्रामीण और कस्बों के लोगों को स्थानीय स्वशासित संस्था में भाग लेने का अवसर मिलता है। ये गाँव, कस्बा या बस्ती के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करती हैं। लोकतांत्रिक देश में इसकी बड़ी भूमिका है। स्थानीय सरकार नागरिकों के बीच आम मामलों में साझा हित और साथ ही इन मामलों में देखभाल के लिए आम कर्त्तव्य भावना बनाती है जिससे ये मामले कुशलता और ईमानदारी से प्रशासित होते हैं।

2. **कानून और सरकार (Law and Government)**- सरकार देश चलाने के लिए कानून बनाती है। इनका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। यह सरकार सही चलाने का एकमात्र तरीका है। सरकार के पास कानून बनाने और जनता द्वारा इनका पालन कराने की शक्ति होती है। उदाहरण के लिए, कानून कहता है कि मोटर वाहन चलाने वाले सभी व्यक्तियों के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाले व्यक्ति को सजा अथवा भारी धन का जुर्माना हो सकता है। बिना इन कानूनों के सरकार की निर्णय लेने की शक्ति का कोई महत्त्व नहीं रह जाएगा।
3. सरकार का अन्य रूप राजतंत्र होता है। इस प्रकार की सरकार में सम्राट (राजा अथवा रानी) के पास सरकार को चलाने की शक्ति होती है। उनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद् होती है। राजतंत्र उत्तराधिकार से चलता है और शासन करने वाले राजा अपने उत्तराधिकारी को नामित करते हैं। राज्य को राजा चलाते हैं जिनके पास सेना, राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक जैसी राज्य की सभी शक्तियाँ होती हैं। वे मंत्री परिषद् की सहायता से प्रशासन चलाते हैं परन्तु अंतिम निर्णय उनका ही होता है। केन्द्र का सचिवालय राजा के निजी दिशा-निर्देशों और देखरेख में चलता है। प्रांतीय राज्यपाल और उनके अधीनस्थ अधिकारी उसके नियंत्रण और दिशा-निर्देशों में होते हैं। सभी दृष्टि से, राजा एक सर्वशक्तिमान शासक होता है। उदाहरण के लिए, नेपाल का साम्राज्य, अभी तक यह राजतंत्र था परन्तु अब यह लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया है।
4. सरकार का अन्य रूप तानाशाही है जिसमें एक व्यक्ति अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति बिना जवाबदेही के राज्य पर शासन करता है। जर्मनी का एडोल्फ हिटलर, इटली का मुसोलिनी आदि तानाशाह थे। तानाशाही सरकार किसी भी देश के लिए दुर्भाग्यशाली होती है।

घ. निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए–

1. सरकार की कई जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि सरकार यह सब कैसे करती है? सरकार तीन भिन्न स्तरों पर कार्य करती है; स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय या केन्द्र स्तर पर।

   स्थानीय सरकार (Rural Government)– स्थानीय स्तर का महत्त्व आपके गाँव, कस्बा या बस्ती में होता है। इसका अर्थ है कि स्थानीय स्वशासित संस्था जिला परिषद, नगरपालिका एवं ग्राम पंचायत आदि हैं। ग्रामीण और कस्बों के लोगों को स्थानीय स्वशासित संस्था में भाग लेने का अवसर मिलता है। ये गाँव, कस्बा या बस्ती के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करती हैं। लोकतांत्रिक देश में इसकी बड़ी भूमिका है। स्थानीय सरकार नागरिकों के बीच आम मामलों में साझा हित और साथ ही इन मामलों में देखभाल के लिए आम कर्त्तव्य भावना बनाती है जिससे ये मामले कुशलता और ईमानदारी से प्रशासित होते हैं।

   राज्य सरकार (State Government)– राज्य स्तर का अर्थ है एक राज्य जैसे – उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड जैसे पूरे राज्य का संचालन करना।

   केन्द्र सरकार (Central Government)– केन्द्र सरकार पूरे देश को देखती है। भारत में संसदीय सरकार है।
2. सरकार के प्रकार **(Types of Government)–** सरकार के कई प्रकार होते हैं, जो अपने देशों में कानून बनने और अनुशासन लागू करने के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ये इस प्रकार हैं :

   1. लोकतंत्र– लोकतंत्र सरकार का वह स्वरूप है, जिसमें समुदाय अपनी शक्ति सरकार को

देता है। दूसरे शब्दों में, यह जनता द्वारा चुनी गयी सरकार का रूप है। यह उनके लिए है और उनसे ही सम्बन्धित है। लोकतंत्र दो प्रमुख सिद्धान्त - स्वतन्त्रता और समानता पर आधारित है। लोकतंत्र में समान अवसर दिए जाते हैं। इसलिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के साथ प्रत्येक की गरिमा का ध्यान भी रखा जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं। यह सब चुनावी प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को वोट देकर चुनती है।

2. राजतंत्र- सरकार का अन्य रूप राजतंत्र होता है। इस प्रकार की सरकार में सम्राट (राजा अथवा रानी) के पास सरकार को चलाने की शक्ति होती है। उनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद् होती है। राजतंत्र उत्तराधिकार से चलता है और शासन करने वाले राजा अपने उत्तराधिकारी को नामित करते हैं। राज्य को राजा चलाते हैं जिनके पास सेना, राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक जैसी राज्य की सभी शक्तियाँ होती हैं। वे मंत्री परिषद् की सहायता से प्रशासन चलाते हैं परन्तु अंतिम निर्णय उनका ही होता है। केन्द्र का सचिवालय राजा के निजी दिशा-निर्देशों और देखरेख में चलता है। प्रांतीय राज्यपाल और उनके अधीनस्थ अधिकारी उसके नियंत्रण और दिशा-निर्देशों में होते हैं। सभी दृष्टि से, राजा एक सर्वशक्तिमान शासक होता है। उदाहरण के लिए, नेपाल का साम्राज्य, अभी तक यह राजतंत्र था परन्तु अब यह लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया है।

3. तानाशाही- सरकार का अन्य रूप तानाशाही है जिसमें एक व्यक्ति अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति बिना जवाबदेही के राज्य पर शासन करता है। जर्मनी का एडोल्फ हिटलर, इटली का मुसोलिनी आदि तानाशाह थे। तानाशाही सरकार किसी भी देश के लिए दुर्भाग्यशाली होती है।

3. **लोकतांत्रिक सरकारों का स्वरूप-** भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लिंग, धर्म, जाति या वर्ण से हटकर सब नागरिकों के पास समान राजनीतिक अधिकार हैं। राजनीतिक अधिकार का आशय है कि विरोधों के बाद भी सबके पास अपना एक मत होगा। भारत को ये लोकतंत्र लंबे और घटनापूर्ण संघर्ष के बाद मिला है।

लोकतंत्र में देश के नागरिक अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं। चुनाव के समय सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले सदस्य चुने जाते हैं। यदि प्रबुद्ध नागरिक मतदानाधिकार का प्रयोग नहीं करते तो औसत दर्जे का व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। जहाँ मतदाता सामाजिक रूप से जागरूक हैं, वहाँ वे अपने अधिकारों की बात दृढ़ता से कह सकते हैं। वह ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका मत पाने वाला व्यक्ति जीतने के बाद भी उनकी बात सुनेगा। केवल यही काफी नहीं है कि हर व्यक्ति अपने मतदानाधिकार का प्रयोग करे। यह नागरिकों की जिम्मेदारी है कि स्वयं को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ें। प्रबुद्ध नागरिकों के सक्रिय भागीदारी से यह सुनिश्चित हो जाता है कि स्वार्थ-सेवी राजनीतिज्ञ राजनैतिक प्रक्रिया को भ्रष्ट नहीं करेंगे।

हर वयस्क नागरिक चाहे वह किसी जाति, धर्म, वर्ग या लिंग का हो, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। इसमें संपत्ति अथवा शिक्षा की कोई योग्यता नहीं है। केवल पागल, छोटे, दिवालिया, अपराधी और विदेशी लोगों को मतदान का अधिकार नहीं है और शेष सभी को ये अधिकार बिना भेदभाव के दिया गया है, लेकिन ये सदा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब सरकारें महिलाओं और गरीबों को मतदानाधिकार नहीं देती थीं। प्रारंभिक बनी सरकार में केवल निजी संपत्ति वाले तथा शिक्षित व्यक्ति मतदानाधिकार रखते थे। अतः महिलाओं, गरीबों, संपत्ति-विहीन और अनपढ़ों को मतदानाधिकार नहीं था।

भारत में स्वतंत्रता से पहले एक बहुत छोटे वर्ग को मतदान का अधिकार था और वे ही बड़े वर्ग का भाग्य तय करते थे। गाँधी जी और अन्य बड़े नेताओं ने भारतीय लोगों के लिए अधिक राजनैतिक अधिकारों की माँग की। 1934 के आरंभ में कांग्रेस ने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के चुनाव हेतु सार्वभौमिक वयस्क मतदानाधिकार की माँग की। भारत के लोगों ने देश को गणतंत्र बनाने का निर्णय लिया और इसके अनुसार 26 जनवरी, 1950 को नया संविधान लागू किया गया। नए संविधान ने यह प्रावधान किया है कि 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के हर भारतीय को मतदानाधिकार है। संविधान ने सभी नागरिकों को समानता सहित कई मूलभूत अधिकार भी दिए हैं।

3. लोकतन्त्र सरकार-मुख्य तत्व

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (स) लोकतन्त्रात्मक 2. (अ) पाँच 3. (ब) चुनावी प्रक्रिया द्वारा 4. (द) तानाशाही

ख. निम्न में सत्य व असत्य विकल्पों के लिए क्रमशः (3) व (7) का निशान लगाइए–

1. (7) 2. (3) 3. (3) 4. (7)

ग. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए–

1. लोकतंत्रात्मक सरकार लोगों की, लोगों के द्वारा तथा लोगों के लिए होती है।
2. लोग नाराज होने पर सरकार का विरोध धरना, रैली, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि द्वारा करते हैं।
3. आर्थिक न्याय का अर्थ है, नागरिकों को अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन कमाने तथा खर्च करने के समान अवसर प्राप्त हों।
4. अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन दास प्रथा के विरुद्ध लड़ने वाले नेता थे।

घ. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए -

1. लोकतन्त्रात्मक सरकार एक उत्तरदायी सरकार होती है। चुने हुए प्रतिनिधि अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि वे लोगों की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करते, तो वे दोबारा नहीं चुने जा सकते। इसलिए सभी प्रतिनिधियों को जनता के कल्याण के लिए कठोर प्रयत्न करना आवश्यक है। मन्त्रीगण भी विधायिका तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
2. समाज तथा देश में विवादों तथा झगड़ों का होना स्वाभाविक है। यदि जनता के साथ भेदभाव होता है, तो झगड़ा अनिवार्य तत्व बन जाता है। जब भिन्न संस्कृतियों, धर्मों या आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग आपस में सहमत नहीं होते या वे अनुभव करते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है तो विवाद उत्पन्न होते हैं। लोग अपने झगड़ों को सुलझाने के लिए हिंसा का सहारा ले सकते हैं। इससे किसी क्षेत्र या प्रदेश में भय तथा तनाव का वातावरण उत्पन्न होता है। सरकार इन विवादों का निपटारा करने के लिए उत्तरदायी होती है। उदाहरणार्थ, कुछ धार्मिक अवसरों पर जुलूस निकाले जाते हैं। जुलूस के मार्ग भी विवाद पैदा कर सकते हैं। अतएव सम्बन्धित समुदाय के लोग स्थानीय सरकारी अधिकारियों (प्रशासन एवं पुलिस) से मिलकर जुलूस की सुरक्षा करने का अनुरोध करते हैं, तब पुलिस जुलूस के साथ-साथ चलकर उसे सुरक्षा प्रदान करती है। वह यह सुनिश्चित करती है कि जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या बाधा न हो।

3. न्याय की संकल्पना के विभिन्न रूप हैं –

सामाजिक न्याय– इस न्याय से तात्पर्य उस न्याय से है, जिसके अन्तर्गत समाज के सभी प्राणियों को आत्म-विश्वास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। धर्म, जाति, वर्ण आदि के आधार पर व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता हो।

आर्थिक न्याय– इसका अर्थ है कि नागरिकों को अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन कमाने तथा खर्च करने के समान अवसर प्राप्त हो।

वैधानिक न्याय– यह न्याय कानून द्वारा स्थापित किया जाता है। लोकतन्त्र में कानून तथा न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह दो अर्थों में लागू होता है– (1) न्यायपूर्ण कानून बनाना तथा (2) कानूनों को न्यायपूर्वक लागू करना।

4. **सरकार एवं लोकतन्त्र के बीच सम्बन्ध-** लोकतन्त्र में लोगों की समान सहभागिता होती है और उन्हीं के सहयोग से सरकार बनती है। लोकतन्त्रात्मक सरकार में हर विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाता है। लोकतन्त्र में तानाशाही एक अवांछित तत्व है। इसमें लोगों के सार्वजनिक हितों को प्रमुखता दी जाती है, जिसके लिए समानता, सहिष्णुता, न्याय तथा प्रतिष्ठा के उच्च आदर्श निश्चित किए जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी एक प्रकार से जनता के सेवक होते हैं और अपने क्षेत्र के प्रति किए गए कार्यों के जवाबदेह होते हैं।

ङ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए -

1. लोकतन्त्र सरकार सर्वोत्तम होती है। लेकिन इसके सफल संचालन के लिए मूलभूत तत्वों की आवश्यकता होती है। आइए यहाँ हम उन मुख्य तत्वों का अध्ययन करते हैं –

1. भागीदारी या सहभागिता- लोकतन्त्रात्मक सरकार का सबसे मुख्य तत्व भागीदारी या सहभागिता है, क्योंकि लोकतन्त्र में सरकार लोगों की, लोगों के द्वारा तथा लोगों के लिए होती है। लोगों की सहभागिता के बिना लोकतन्त्र न तो वास्तविक हो सकता है और न ही उपयोगी। सहभागिता से अभिप्राय सरकार चलाने में लोगों के भाग लेने से है। लोकतन्त्र में लोगों को बिना किसी भेदभाव के, सभी सरकारी क्रियाकलापों में सभी स्तरों पर कार्य करने के अधिकार तथा अवसर प्रदान किये जाते हैं। सरकार बनाने के लिए जनता की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। वे स्वतन्त्र रूप से वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनकर सरकार बनाने में सहयोग करते हैं।

भारत में सभी सरकारें पाँच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए चुनी जाती हैं। एक बार चुने जाने पर सरकार पाँच वर्ष के लिए सत्ता में रह सकती है। यदि सरकारें सत्ता में बनी रहना चाहती हैं तो उन्हें दोबारा चुनाव जीतना पड़ता है। इस प्रकार नियमित चुनावों द्वारा ही सरकार की सत्ता (शक्ति) निश्चित होती है।

मताधिकार का प्रयोग सरकार बनाने की प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता की एक विधि है। लोग सरकार की कार्य-प्रणाली में रुचि लेकर तथा आवश्यकता पड़ने पर उसकी आलोचना द्वारा भी सहभागिता कर सकते हैं।

लोग अपनी विभिन्न प्रतिक्रियाओं द्वारा सरकार के नियमों का समर्थन या विरोध करते हैं। इनमें 'धरना', 'रैली', 'हड़ताल', हस्ताक्षर अभियान आदि सम्मिलित हैं। मीड़िया (समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, दूरदर्शन सहित) की भी सरकारी मुद्दों तथा उत्तरदायित्वों पर महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

2. जवाबदेही (Accountability)- लोकतन्त्रात्मक सरकार एक उत्तरदायी सरकार होती है। चुने हुए प्रतिनिधि अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि वे लोगों की

इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करते, तो वे दोबारा नहीं चुने जा सकते। इसलिए सभी प्रतिनिधियों को जनता के कल्याण के लिए कठोर प्रयत्न करना आवश्यक है। मन्त्रीगण भी विधायिका तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

3. विवाद का समाधान (Resolution of Conflict)- समाज तथा देश में विवादों तथा झगड़ों का होना स्वाभाविक है। यदि जनता के साथ भेदभाव होता है, तो झगड़ा अनिवार्य तत्व बन जाता है। जब भिन्न संस्कृतियों, धर्मों या आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग आपस में सहमत नहीं होते या वे अनुभव करते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है तो विवाद उत्पन्न होते हैं। लोग अपने झगड़ों को सुलझाने के लिए हिंसा का सहारा ले सकते हैं। इससे किसी क्षेत्र या प्रदेश में भय तथा तनाव का वातावरण उत्पन्न होता है। सरकार इन विवादों का निपटारा करने के लिए उत्तरदायी होती है। उदाहरणार्थ, कुछ धार्मिक अवसरों पर जुलूस निकाले जाते हैं। जुलूस के मार्ग भी विवाद पैदा कर सकते हैं। अतएव सम्बन्धित समुदाय के लोग स्थानीय सरकारी अधिकारियों (प्रशासन एवं पुलिस) से मिलकर जुलूस की सुरक्षा करने का अनुरोध करते हैं, तब पुलिस जुलूस के साथ-साथ चलकर उसे सुरक्षा प्रदान करती है। वह यह सुनिश्चित करती है कि जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या बाधा न हो।

4. समानता एवं न्याय (Equality and Justice)- लोकतन्त्रात्मक सरकार समानता तथा न्याय के लिए वचनबद्ध होती है। ये लोकतन्त्र के प्रमुख आदर्श हैं। न्याय एवं समानता को अलग नहीं माना जा सकता। लोकतन्त्र में जाति, वर्ण, धर्म या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, केवल योग्यता को ही महत्त्व दिया जाता है। कानून की दृष्टि से सभी समान हैं तथा सभी लोगों पर एक जैसे कानून लागू होते हैं। सभी को सार्वजनिक पद प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता तथा कोई भी कानून के लिए विशिष्ट नहीं होता।

लोकतन्त्र में न्याय प्रमुख तत्व होता है। न्याय का अर्थ उन सामाजिक स्थितियों से है, जिनके द्वारा व्यक्ति के आचरण तथा समाज के कल्याण के मध्य उचित सन्तुलन बना रहता है। न्याय की संकल्पना के विभिन्न रूप हैं –

सामाजिक न्याय– इस न्याय से तात्पर्य उस न्याय से है, जिसके अन्तर्गत समाज के सभी प्राणियों को आत्म-विश्वास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। धर्म, जाति, वर्ण आदि के आधार पर व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता हो।

आर्थिक न्याय– इसका अर्थ है कि नागरिकों को अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन कमाने तथा खर्च करने के समान अवसर प्राप्त हो।

वैधानिक न्याय– यह न्याय कानून द्वारा स्थापित किया जाता है। लोकतन्त्र में कानून तथा न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह दो अर्थों में लागू होता है– (1) न्यायपूर्ण कानून बनाना तथा (2) कानूनों को न्यायपूर्वक लागू करना।

2. **रंगभेद नीति के विरुद्ध संघर्ष (Anti-Apartheid Struggle)–** रंगभेद (प्रजातीय भेदभाव) की नीति संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका में कुछ समय तक प्रचलित रही। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतन्त्रता के बाद अश्वेत लोगों को दासता से छुटकारा पाने के लिए लम्बे समय तक संघर्ष करना पड़ा। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को दास प्रथा को दूर करने के लिए अपने प्राण गँवाने पड़े। संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी मूल के अश्वेत लोगों को प्रजातीय भेदभाव से छुटकारा पाने के लिए आधी शताब्दी से भी अधिक का समय लगा। ड्युबॉइस तथा उनकी पार्टी 'नेशनल एसोसिएशन' ने प्रजातीय भेदभाव की नीति के विरुद्ध आन्दोलन

चलाया तथा अन्ततः वे प्रजातीय भेदभाव तथा सामाजिक पृथकता को दूर करने में सफल हुए। रंगभेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में 1994 ई0 तक वहाँ की अल्पसंख्यक श्वेत सरकार के द्वारा भी अपनायी जाती रही। दक्षिण अफ्रीका में अनेक प्रजाति के लोग रहते हैं। यहाँ गोरे लोगों तथा भारतीयों के क्रमशः व्यापारियों तथा श्रमिकों के रूप में आकर बसने से पूर्व अश्वेत मूल निवासी रहते थे। स्वतन्त्रता (1994 ई0) के पूर्व यहाँ गोरी सरकार का शासन था। कानून के अनुसार अश्वेत, भारतीय तथा काले वर्ण के लोगों को एक-दूसरे के साथ मिलने तथा गोरे लोगों द्वारा प्रयुक्त एम्बुलेन्स, परिवहन जैसी सामान्य सुविधाएँ प्रयोग करने तक का अधिकार नहीं था। मूल निवासियों तथा श्वेत लोगों के लिए पृथक् ट्रेनें, बसें यहाँ तक कि बस-स्टॉप भी थे। अश्वेत लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। गोरे लोग सर्वोत्तम भूमि के स्वामी थे, जब कि अश्वेत लोग बेकार भूमि पर रहते थे। गोरे लोग 'अफ्रीकन' भाषा बोलते थे, जबकि अश्वेत लोग 'जुलु' भाषा का प्रयोग करते थे। अश्वेत लोगों को अफ्रीकन भाषा सीखने तथा बोलने को मजबूर किया जाता था।

अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए नेल्सन मण्डेला ने नस्लीय भेदभाव का विरोध किया और उसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। वे बार-बार जेल गए। अन्ततः 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतन्त्र का प्रादुर्भाव हुआ और नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध कानून बना।

4. पंचायती राज

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) तीन 2. (ब) ग्राम सभा 3. (स) पंचायत 4. (ब) ग्राम पंचायत

ख. निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

1. स्थानीय क्षेत्रों गाँव, कस्बों आदि की समस्याओं जैसे कूड़ा, स्वच्छता, विद्युत, सड़के आदि को हल करने के लिए स्थानीय सरकार की आवश्यकता पड़ती है।
2. पंचायत का गठन न्यायिक आधार पर होता है। वार्ड पंच व सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन पाँच साल के लिए करते हैं।
3. 500 या अधिक जनसंख्या वाला गाँव ग्राम सभा क्षेत्र घोषित किया जाता है।
4. ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच या प्रधान होता है।
5. न्याय पंचायत का सदस्य होने के लिए शिक्षित होना आवश्यक है।

ग. निम्न पर टिप्पणी लिखिए –

1. **सरपंच-** ग्राम पंचायत का मुखिया, सरपंच अथवा प्रधान होता है, जिसका चयन ग्राम पंचायत के सदस्य करते हैं। प्रधान ग्राम सभा और पंचायत की बैठक बुलाता है। वह बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। प्रधान गाँव की विभिन्न समस्याओं को देखता है और गाँव की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाता है।
2. **ग्राम सभा-** ग्राम सभा में वे सभी वयस्क आते हैं, जो पंचायत क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हैं। 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। 500 या अधिक जनसंख्या वाला गाँव ग्राम सभा क्षेत्र घोषित किया जाता है। गाँव के सभी वयस्क ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य सरपंच या प्रधान का चुनाव करते हैं। ग्राम सभा द्वारा गाँव का बजट बनाया जाता है तथा वही हिसाब-किताब रखती है। यह ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत

वार्षिक रिपोर्ट देखती है और आने वाले वर्षों की विकास योजनाएँ बनाती है। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है।

3. **ग्राम पंचायत-** ग्राम पंचायत के कार्यों में ग्राम सभा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ही ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएँ रखती हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों की जवाबदेह होती है। वह पंचायत के मनमाने कार्यों का विरोध कर उन पर रोक लगाती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों को ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पाँच वर्षों के लिए चुना जाता है। ग्राम पंचायत में सामान्यतः 7–31 सदस्य होते हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए पद आरक्षित करने आवश्यक होते हैं।

   ग्राम पंचायत का मुखिया, सरपंच अथवा प्रधान होता है, जिसका चयन ग्राम पंचायत के सदस्य करते हैं। प्रधान ग्राम सभा और पंचायत की बैठक बुलाता है। वह बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। प्रधान गाँव की विभिन्न समस्याओं को देखता है और गाँव की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाता है। ग्राम पंचायत उप-प्रधान का चुनाव भी करती है, जो प्रधान की अनुपस्थिति में कार्य करता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत कई वार्डों (छोटे क्षेत्रों) में बँटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य ही सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन पाँच साल के लिए करते हैं।

4. **न्याय पंचायत-** कुछ स्थानों पर पंचायत ही न्यायालय का काम करती है। अन्य राज्यों में न्याय पंचायत एक अलग संस्था है जो गाँव का न्यायिक प्रबंधन है। कई ग्राम पंचायतों की एक न्याय पंचायत हो सकती है। ग्राम पंचायत द्वारा न्याय पंचायत के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य एक बार में न्याय पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता। न्याय पंचायत के सदस्य का शिक्षित होना आवश्यक होता है। न्याय पंचायत बिना अधिक खर्च के तुरंत निर्णय देती है। यह छोटे अपराधी और दीवानी मामले देखती है। यह 500-1000 रुपये तक जुर्माना लगा सकती है। परंतु यह किसी को जेल नहीं भेज सकती। न्याय पंचायत एक उपयोगी संस्था है। यदि कोई न्याय पंचायत के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उच्च न्यायालय में जा सकता है।

   पंचायत राज के मुख्यतः तीन स्तर होते हैं–

   ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति तथा जिला परिषद्।

घ. निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तारपूर्वक दीजिए -

1. वर्तमान समय में ग्राम पंचायत तीन मुख्य स्वतंत्र सभा/निकायों से मिलकर बनी होती है-

   1. ग्राम सभा 2. ग्राम पंचायत 3. न्याय पंचायत

   ग्राम सभा- ग्राम सभा में वे सभी वयस्क आते हैं, जो पंचायत क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हैं। 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। 500 या अधिक जनसंख्या वाला गाँव ग्राम सभा क्षेत्र घोषित किया जाता है। गाँव के सभी वयस्क ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य सरपंच या प्रधान का चुनाव करते हैं। ग्राम सभा द्वारा गाँव का बजट बनाया जाता है तथा वही हिसाब-किताब रखती है। यह ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट देखती है और आने वाले वर्षों की विकास योजनाएँ बनाती है। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है।

   ग्राम पंचायत- ग्राम पंचायत के कार्यों में ग्राम सभा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ही ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएँ रखती हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों की

जवाबदेह होती है। वह पंचायत के मनमाने कार्यों का विरोध कर उन पर रोक लगाती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों को ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पाँच वर्षों के लिए चुना जाता है। ग्राम पंचायत में सामान्यतः 7–31 सदस्य होते हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए पद आरक्षित करने आवश्यक होते हैं।

ग्राम पंचायत का मुखिया, सरपंच अथवा प्रधान होता है, जिसका चयन ग्राम पंचायत के सदस्य करते हैं। प्रधान ग्राम सभा और पंचायत की बैठक बुलाता है। वह बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। प्रधान गाँव की विभिन्न समस्याओं को देखता है और गाँव की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत कई वार्डों (छोटे क्षेत्रों) में बँटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य ही सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन पाँच साल के लिए करते हैं।

ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी कार्यवाइयाँ हुई हों उनका लेखा रखना।

न्याय पंचायत- कुछ स्थानों पर पंचायत ही न्यायालय का काम करती है। अन्य राज्यों में न्याय पंचायत एक अलग संस्था है जो गाँव का न्यायिक प्रबंधन है। कई ग्राम पंचायतों की एक न्याय पंचायत हो सकती है। ग्राम पंचायत द्वारा न्याय पंचायत के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य एक बार में न्याय पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता। न्याय पंचायत के सदस्य का शिक्षित होना आवश्यक होता है। न्याय पंचायत बिना अधिक खर्च के तुरंत निर्णय देती है। यह छोटे अपराधी और दीवानी मामले देखती है। यह 500-1000 रुपये तक जुर्माना लगा सकती है। परंतु यह किसी को जेल नहीं भेज सकती। न्याय पंचायत एक उपयोगी संस्था है। यदि कोई न्याय पंचायत के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उच्च न्यायालय में जा सकता है।

पंचायत राज के मुख्यतः तीन स्तर होते हैं–

ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति तथा जिला परिषद्।

2. **ब्लॉक या विकास खंड समिति-** ब्लॉक समिति को कई राज्यों में विकास खंड समिति या क्षेत्रीय समिति के नाम से जाना जाता है। यह पंचायत राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। सामान्यतः कुछ ब्लॉक में आने वाले सभी गाँवों की ग्राम पंचायत के प्रधान और पंच ब्लॉक समिति के सदस्य होते हैं। इनके अतिरिक्त उस क्षेत्र से चुने गए लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद् के सदस्य ब्लॉक समिति के सदस्य होते हैं। एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। हर समिति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को शामिल करना अनिवार्य होता है। समिति के सदस्य अपना अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। वह रोजाना समिति के कार्यों को देखता है। ब्लॉक समिति की विकास योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी (बी0डी0ओ0) की होती है।

ब्लॉक समिति की सहायता के लिए खंड विकास अधिकारी (बी0डी0ओ0) और ग्राम विकास अधिकारी (वी0डी0ओ0) होते हैं। ब्लॉक समिति के कार्य ग्राम पंचायत जैसे होते हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त, यह विकास योजनाएँ बनाती है, इसके अधीन सभी पंचायतों के कार्य की देखरेख करती है और उनके बजट की जाँच करती है। यह बीज, उर्वरक और कृषि योजनाओं का वितरण करती है। यह राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त करती है।

जिला परिषद्- पंचायत समिति का सबसे उच्च स्तर जिला परिषद् या जिला समिति होता है। यह जिले में ब्लॉक समिति और राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। यह पंचायत राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। उस जिले की ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष, उस जिले से चुने गए लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद् के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य होते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष भी इसके सदस्य होते हैं। जिला परिषद् बड़े स्तर पर कई काम करती है। ये प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण और देखभाल करती है। अब सरकार ने गाँव के प्रतिभावान छात्रों को पहचानने और उन्हें उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य से नवोदय विद्यालय खोले हैं। ये अस्पताल, चिकित्सा केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करती और उनकी देखरेख करती है। यह सिंचाई कार्य, सहकारी संस्थाओं के गठन में सहयोग, शिक्षा के लिए कई समितियों की देखरेख, सफाई, जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का कार्य देखती है। जिला परिषद् राज्य सरकार से प्राप्त आवंटित राशि को पंचायत समिति की सहायता से वितरित करती है।

5. ग्रामीण प्रशासन और आजीविका

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (ब) पुलिस अधीक्षक 2. (स) पटवारी को 3. (अ) 69% 4. (द) भूमिहीन किसान

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. शान्ति, सुरक्षा 2. कृषि 3. पटवारी 4. 5

ग. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए–

1. जिन किसानों के पास भूमि नहीं होती, वे भूमिहीन किसान होते हैं। ये बड़े किसानों के यहाँ वेतन या बँटाई पर काम करते हैं।
2. मध्यम किसान अपनी ही भूमि पर खेती करते हैं तथा अपने उपभोग के लिए ही फसलें उगाते हैं। इस प्रकार की खेती को जीविका निर्वाहक कृषि, कहते हैं।
3. कृषि के अन्तर्गत भूमि का वर्गीकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्ही के आधार पर राजस्व एकत्रित किया जाता है। इसे ही भूमि अभिलेखन कहते है।
4. पटवारी के अन्य नाम हैं- लेखपाल, कानूनगो, ग्राम अधिकारी आदि।

घ. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए–

1. नागरिकों को जीने के लिए शान्ति तथा सुरक्षा अनिवार्य होती है, अतः कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना प्रशासन का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य पुलिस विभाग द्वारा किया जाता है। सामान्यतः पुलिस अधीक्षक किसी जिले का उच्चतम पुलिस अधिकारी होता है। कमिश्नरी के मुख्यालय में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होता है। उसकी सहायता के लिए पुलिस उपाधीक्षक (Deputy Superintendent of Police : Dy. S.P.), इन्स्पेक्टर, सब-इन्स्पेक्टर, हवलदार तथा कॉन्स्टेबल आदि होते हैं।

   पुलिस प्रशासन के लिए सम्पूर्ण जिले को अनेक सर्किलों में बाँटा जाता है। प्रत्येक सर्किल का अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक (Dy. S.P.) होता है। प्रत्येक सर्किल को अनेक थानों में बाँटा जाता है। थानाध्यक्ष (Station Officer : S.O.) थाने का प्रमुख अधिकारी होता है।

   प्रत्येक क्षेत्र में एक पुलिस स्टेशन होता है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन के नियन्त्रण में एक निश्चित

क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र के सभी लोग पुलिस को चोरी, एक्सीडेण्ट, चोट, लड़ाई-झगड़े आदि की सूचना दे सकते हैं। यह उस स्टेशन की पुलिस का कर्त्तव्य है कि वह केस के बारे में पूछताछ व खोजबीन कर उचित कार्यवाही करे।

प्रायः गाँव में धनी तथा सम्पन्न लोगों या दबंगों द्वारा भूमि-हथियाने आदि अथवा विभिन्न मामलों में लड़ाई-झगड़ों के बारे में सुनते हैं। निर्धन तथा कमजोर व्यक्ति इसका प्रतिवाद नहीं कर सकते, किन्तु मामले की रिपोर्ट थानाध्यक्ष को कर सकते हैं, जो प्रायः छोटी-मोटी शिकायतों को दर्ज करने में आनाकानी करते हैं। जब शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report : FIR) दर्ज हो जाती है, तब कॉन्स्टेबल को घटना की जाँच-पड़ताल करने के लिए भेजा जाता है तथा आगे की कार्यवाही की जाती है।

2. भूमि की माप (पैमाइश) करना तथा उनका रिकॉर्ड रखना 'पटवारी' का मुख्य कार्य होता है। पटवारी को विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। कुछ गाँवों में उसे 'लेखपाल' कहा जाता है, जबकि कहीं-कहीं उसे 'कानूनगो' या 'ग्राम अधिकारी' कहते हैं। प्रत्येक पटवारी गाँव की भूमि तथा उनकी ताजा स्थिति के अभिलेख (records) रखता है। वह यह भी नोट करता है कि अमुक खेत में कुआँ खोदा गया है। ऐसे अभिलेख को 'खसरा' कहते हैं। पटवारी खेतों की पैमाइश के लिए अनेक उपकरणों का प्रयोग करता है, जिनमें चेन सबसे महत्त्वपूर्ण है। इसके बाद वह अभिलेखों को रजिस्टर में रखता है। पटवारी किसानों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर क्षेत्र में उगायी गयी फसलों तथा उसमें हुए परिवर्तनों का भी रिकॉर्ड रखता है। पटवारी के कार्य का अधीक्षण इस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी करते हैं।

3. बड़े किसानों के पास 5 हेक्टेयर से अधिक आकार वाले खेत होते हैं। आमतौर पर ये लोग किसान के रूप में कार्य नहीं करते। ये अपनी भूमि को ठेके पर दे देते हैं तथा फसल को बाँट लेते हैं। कभी-कभी ये लोग भूमिहीन किसानों को नियुक्त करते हैं तथा उन्हें नकद (cash) या फसल के रूप में वेतन देते हैं। ये लोग आधुनिक तथा उन्नत प्रकार के कृषि उपकरण, पम्पसेट, ट्यूबवेल आदि प्रयुक्त करते हैं। ये बड़े और पक्के घरों में रहते हैं। अत्यधिक धनी होने के कारण ये लोग विलासी जीवन व्यतीत करते हैं। खेती के अतिरिक्त कुछ किसान व्यापार, व्यवसाय, विनिर्माण आदि का कार्य भी करते हैं।

4. **मध्यम किसान-** कुछ किसान 2-5 हेक्टेयर भूमि पर खेती करते हैं, उन्हें मध्यम किसान कहते हैं। अधिकांशतः ये अपनी ही भूमि पर खेती करते हैं तथा अपने उपभोग के लिए ही फसलें उगाते हैं। इस प्रकार की खेती को 'जीविका निर्वाहक कृषि' कहा जाता है। ऐसे किसान प्रायः पुराने किस्म के कृषि उपकरणों का प्रयोग करते हैं, किन्तु कभी-कभी ये ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि किराये पर भी ले लेते हैं। ये लोग अधिकांशतः गेहूँ, जौ, चावल, मक्का आदि खाद्यान्न अपने उपभोग के लिए उगाते हैं।

3. छोटे किसान- कुछ किसान 2 हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक होते हैं। ये अपने परिवार के पोषण के लायक भी उत्पादन नहीं कर पाते, क्योंकि खेती से प्राप्त उत्पादन उनकी पारिवारिक आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है।

ङ. निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तारपूर्वक उत्तर लिखिए–

1. भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 121 करोड़ है। इनमें से अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। भारत में 6 लाख से अधिक गाँव हैं। गाँव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। गाँव में जलापूर्ति, बिजली, सड़कें, खेती की जमीन का रिकॉर्ड

रखना आदि सभी कार्यों के लिए एक व्यवस्थित तंत्र प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है।

कानून एवं व्यवस्था- नागरिकों को जीने के लिए शान्ति तथा सुरक्षा अनिवार्य होती है, अतः कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना प्रशासन का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य पुलिस विभाग द्वारा किया जाता है। सामान्यतः पुलिस अधीक्षक किसी जिले का उच्चतम पुलिस अधिकारी होता है। कमिश्नरी के मुख्यालय में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होता है। उसकी सहायता के लिए पुलिस उपाधीक्षक इन्स्पेक्टर, सब-इन्स्पेक्टर, हवलदार तथा कॉन्स्टेबल आदि होते हैं।

पुलिस प्रशासन के लिए सम्पूर्ण जिले को अनेक सर्किलों में बाँटा जाता है। प्रत्येक सर्किल का अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक होता है। प्रत्येक सर्किल को अनेक थानों में बाँटा जाता है। थानाध्यक्ष थाने का प्रमुख अधिकारी होता है।

प्रत्येक क्षेत्र में एक पुलिस स्टेशन होता है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन के नियन्त्रण में एक निश्चित क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र के सभी लोग पुलिस को चोरी, एक्सीडेण्ट, चोट, लड़ाई-झगड़े आदि की सूचना दे सकते हैं। यह उस स्टेशन की पुलिस का कर्त्तव्य है कि वह केस के बारे में पूछताछ व खोजबीन कर उचित कार्यवाही करे।

प्रायः गाँव में धनी तथा सम्पन्न लोगों या दबंगों द्वारा भूमि-हथियाने आदि अथवा विभिन्न मामलों में लड़ाई-झगड़ों के बारे में सुनते हैं। निर्धन तथा कमजोर व्यक्ति इसका प्रतिवाद नहीं कर सकते, किन्तु मामले की रिपोर्ट थानाध्यक्ष को कर सकते हैं, जो प्रायः छोटी-मोटी शिकायतों को दर्ज करने में आनाकानी करते हैं। जब शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, तब कॉन्स्टेबल को घटना की जाँच-पड़ताल करने के लिए भेजा जाता है तथा आगे की कार्यवाही की जाती है।

2. **ग्रामीण आजीविका -** ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से अर्जित करते हैं। मुख्य रूप से ग्रामीण लोग खेती करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं।

भारत लगभग छः लाख गाँवों का देश है। ये गाँव विभिन्न प्रकार के परिवेश में स्थित है; जैसे–मैदान, पठार, पहाड़ियों, समुद्रतटीय क्षेत्रों, वनाच्छादित क्षेत्रों आदि। भारत की लगभग 69% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। कृषि या खेती गाँववासियों का प्रमुख व्यवसाय है। खेती के कार्यों में भूमि तैयार करना, बीज बोना, घास-फूस निकालना, फसल को सींचना, काटना आदि सम्मिलित हैं। चूँकि फसलें एक विशेष ऋतु में ही उगती हैं, अतएव कृषि एक मौसमी क्रिया है। फसल बोने तथा काटने के समय किसान लोग अधिक व्यस्त रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं, जो व्यापार और अन्य कार्य कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेती करते हैं। खेतों (जोतों) के आकार के आधार पर किसान चार तरह के होते हैं –

(i) बड़े किसान- बड़े किसानों के पास 5 हेक्टेयर से अधिक आकार वाले खेत होते हैं। आमतौर पर ये लोग किसान के रूप में कार्य नहीं करते। ये अपनी भूमि को ठेके पर दे देते हैं तथा फसल को बाँट लेते हैं। कभी-कभी ये लोग भूमिहीन किसानों को नियुक्त करते हैं तथा उन्हें नकद (cash) या फसल के रूप में वेतन देते हैं।

(ii) मध्यम किसान - कुछ किसान 2-5 हेक्टेयर भूमि पर खेती करते हैं, उन्हें मध्यम किसान कहते हैं। अधिकांशतः ये अपनी ही भूमि पर खेती करते हैं तथा अपने उपभोग के लिए ही फसलें उगाते हैं। इस प्रकार की खेती को 'जीविका निर्वाहक कृषि' कहा जाता है। हार्वेस्टर आदि किराये पर भी ले लेते हैं।

(iii) छोटे किसान- कुछ किसान 2 हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक होते हैं। ये अपने परिवार के पोषण के लायक भी उत्पादन नहीं कर पाते, क्योंकि खेती से प्राप्त उत्पादन उनकी पारिवारिक आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है।

(iv) भूमिहीन किसान- ये किसान भूमि नहीं रखते। इन्हें बड़े किसानों के यहाँ वेतन या बँटाई पर काम करना पड़ता है। इनकी दशा शोचनीय होती है। ये लोग अपना भरण-पोषण तक नहीं कर पाते। अतः ये नगरों में दैनिक वेतन पर मजदूरों की तरह कार्य करने के लिए गाँवों से शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं।

गाँव के छोटे तथा मध्यम किसानों के पास बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीदने तथा सिंचाई का मूल्य चुकाने लायक भी धन नहीं होता। अतः उन्हें भारी ब्याज दरों पर महाजनों से ऋण लेना पड़ता है। कभी-कभी वर्षा न होने या फसल के रोगग्रस्त होने पर उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, तब वे उधार लिये गये धन को लौटा नहीं पाते। ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी भूमि बेचनी पड़ जाती है। भारत के अधिकांश छोटे तथा मध्यम किसान महाजनों के शिकंजे में फँसे रहते हैं। हम प्रायः समाचार-पत्रों में अथवा दूरदर्शन पर किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने के बारे में पढ़ते-सुनते हैं। ऐसी दुर्घटनाएँ घोर दरिद्रता के कारण होती हैं। गरीब किसान शिक्षा, अस्पताल एवं अन्य संसाधनों से वंचित होते हैं।

विभिन्न प्रकार के किसान (Different Types of Farmers)- गाँवों में कुछ शिल्प कार्य; जैसे–बढ़ईगिरी, कपड़ा बुनना, डलिया बनाना, बर्तन बनाना, ईंटें बनाना, लोहे का काम करना आदि कृषि के अतिरिक्त कार्य भी होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग सेवाएँ प्रदान करते हैं; जैसे–धोबी, दर्जी, नाई, मोची, शिक्षक, नर्स, लुहार, जुलाहा, मेकैनिक, इलेक्ट्रीशियन आदि। कुछ दुकानदार तथा व्यापारी भी होते हैं। गाँवों में अनेक प्रकार की छोटी दुकानें; जैसे–किराने की दुकान, कपड़े, नाई, दर्जी, बीज तथा उर्वरक आदि की होती हैं।

गाँव के कुछ लोग पशुपालन करते हैं। कुछ किसान प्रायः खेती के कार्य तथा दूध के लिए पशु पालते हैं। दुग्ध व्यवसाय किसानों की अतिरिक्त आय का स्रोत होता है। तटीय इलाकों में मछली पकड़ना आजीविका का प्रमुख साधन होता है।

6. नगरीय प्रशासन और आजीविका

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) नगरीय 2.(स) तीन लाख से अधिक 3. (ब) बीस हजार से तीन लाख तक 4.(द) परिवहन

ख. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए–

1. तीन लाख से अधिक जनसख्या वाले बड़े नगरों में स्थानीय, प्रशासन के लिए नगर की महापालिका व्यवस्था होती है।
2. यहा पालिका के सदस्य अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसे मेयर या महापौर कहते हैं।
3. नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए आयु कम-से-कम 25 वर्ष होनी चाहिए।
4. नगर पालिका अनेक समितियों की नियुक्ति करती है, जो विशिष्ट कार्यों की देख-रेख रहती है। प्रत्येक समिति का अध्यक्ष चेयरमैन होता है।
5. (i) नगर में सड़कों, गलियों, नाले-नालियों की सफाई (ii) स्वच्छ पेयजल का प्रबंध।
6. कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि प्राथमिक व्यवसाय कहे जाते हैं।

ग. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए–

1. **महापालिका के पदाधिकारी-** महापालिका के सदस्य कुछ अतिविशिष्ट व्यक्तियों का चुनाव करते हैं। साथ ही महापालिका के सदस्य अपने अध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं, जिसे 'मेयर' या 'महापौर' कहा जाता है। इसी प्रकार, एक डिप्टी मेयर या उपमहापौर का भी चुनाव होता है। नगरपालिकाओं की ही भाँति महापालिकाएँ भी अनेक विशिष्ट समितियों की नियुक्ति करती हैं, जो विशेष कार्यों को संचालित करती हैं; जैसे–स्वास्थ्य, शिक्षा, जल सम्भरण, सफाई आदि। प्रत्येक समिति का एक चेयरमैन होता है।

   नगर महापालिका का मुख्य अधिशासी अधिकारी 'म्युनिसिपल कमिश्नर' कहलाता है। यह एक सरकारी कर्मचारी होता है। यह राज्य सरकार तथा नगर महापालिका के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। यह महापालिका के प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख करता है तथा महापालिका के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है। इसकी सहायता के लिए अनेक विभागीय अधिकारी होते हैं, जो महापालिका के स्थायी कर्मचारी होते हैं।

2. **नगरपालिका का संगठन-** प्रत्येक खण्ड से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। चुनाव में सभी वयस्क मतदाताओं को मत देने का अधिकार होता है। नगरपालिका का चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी की आयु कम-से-कम 25 वर्ष होनी चाहिए।

   नगरपालिका के चुने हुए सदस्य नगर के कुछ सम्मानित तथा अनुभवी नागरिकों का भी चुनाव करते हैं। ऐसे नागरिक 'एल्डरमैन' (alderman) कहलाते हैं। नगरपालिका का एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए तथा कुछ स्थान अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षित होते हैं। नगरपालिका के सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है।

3. नगरपालिकाओं तथा महापालिकाओं के कार्य दो प्रकार से होते हैं–

   अनिवार्य कार्य– (i) नगर में सड़कों, गलियों, नाले-नालियों की सफाई, (ii) स्वच्छ पेयजल का प्रबन्ध, (iii) अस्पतालों का प्रबन्ध, समय-समय पर टी0बी0, चेचक, हैजा आदि के टीके लगाना, बच्चों और माताओं की देख-रेख आदि के लिए केन्द्र की व्यवस्था करना, (iv) घरों तथा गलियों में रोशनी का प्रबन्ध, (v) फल, सब्जी, उपभोक्ता वस्तुओं के विक्रय के लिए बाजारों की व्यवस्था, (vi) शवदाह गृह, कब्रिस्तान आदि की व्यवस्था, (vii) बच्चों की शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूल तथा अध्यापकों की व्यवस्था, (viii) पुस्तकालय, वाचनालय आदि की व्यवस्था, (ix) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, (x) सड़कों, पुलों आदि का निर्माण तथा मरम्मत।

   ऐच्छिक कार्य– ये कार्य इस प्रकार होते हैं– (i) सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, (ii) पार्क, खेल के मैदान, वाहन पार्किंग स्थल आदि का निर्माण, (iii) मनोरंजन के लिए सिनेमाघरों तथा नाटक-गृहों को लाइसेन्स, (iv) जल सम्भरण, विद्युत सम्भरण तथा स्थानीय बस-सेवाओं का प्रबन्ध करना, (v) आग बुझाने के लिए अग्निशामक गाड़ियों की व्यवस्था, (vi) स्वच्छ जल की आपूर्ति।

4. नगरपालिकाओं तथा महापालिकाओं के विभिन्न कार्य निम्न विभागों द्वारा सम्पन्न होते हैं–

   1. शिक्षा विभाग– यह विभाग लड़के तथा लड़कियों के लिए प्राथमिक पाठशालाओं तथा प्रौढ़ों की शिक्षा का प्रबन्ध करता है। इस विभाग का अधिकारी शिक्षा अधिकारी होता है।

   2. इंजीनियरिंग विभाग– यह विभाग सड़कों, गलियों, नालियों, तालाबों, टंकियों, बाजारों, विद्यालयों आदि का निर्माण करता है। इस विभाग का अध्यक्ष पालिका इंजीनियर होता है।

3. स्वास्थ्य विभाग– यह विभाग एक स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन कार्य करता है। सफाई निरीक्षक तथा टीके लगाने वाले कर्मचारी स्वास्थ्य अधिकारी की सहायता करते हैं। यह विभाग म्युनिसिपल औषधालयों तथा चिकित्सालयों का प्रबन्ध करता है।

4. चुंगी विभाग– नगर की सीमा पर चुंगियाँ स्थापित की जाती हैं, जो चुंगी कर की वसूली करती हैं। अनेक नगरपालिकाओं ने इस विभाग को समाप्त कर दिया है।

1. **स्थानीय नगरीय निकायों का वर्गीकरण-** प्रत्येक नगर आकार में अलग-अलग होते हैं। उनके आकार का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।

संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा भारत के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाओं की व्यवस्था की गई, जो निम्नवत् है–

1. नगर महापालिका
2. नगरपालिका
3. नगर पंचायत

(अ) नगर क्षेत्र समिति(ब) अधिसूचित क्षेत्र समिति नगर महापालिका-

संगठन- तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों में स्थानीय प्रशासन के लिए नगर महापालिका की व्यवस्था होती है। महापालिका के सदस्यों की संख्या महानगर की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है। उदाहरणार्थ, मुम्बई महापालिका में 227, जबकि दिल्ली में 272 सदस्य हैं।

महानगर में महापालिका के सदस्यों के चुनाव के लिए सर्वप्रथम नगर को अनेक वार्डों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। कुछ स्थान महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित होते हैं।

पदाधिकारी- महापालिका के सदस्य कुछ अतिविशिष्ट व्यक्तियों (aldermen) का चुनाव करते हैं। साथ ही महापालिका के सदस्य अपने अध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं, जिसे 'मेयर' या 'महापौर' कहा जाता है। इसी प्रकार, एक डिप्टी मेयर या उपमहापौर का भी चुनाव होता है। नगरपालिकाओं की ही भाँति महापालिकाएँ भी अनेक विशिष्ट समितियों की नियुक्ति करती हैं, जो विशेष कार्यों को संचालित करती हैं; जैसे–स्वास्थ्य, शिक्षा, जल सम्भरण, सफाई आदि। प्रत्येक समिति का एक चेयरमैन होता है।

नगर महापालिका का मुख्य अधिशासी अधिकारी 'म्युनिसिपल कमिश्नर' कहलाता है। यह एक सरकारी कर्मचारी होता है। यह राज्य सरकार तथा नगर महापालिका के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। यह महापालिका के प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख करता है तथा महापालिका के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है। इसकी सहायता के लिए अनेक विभागीय अधिकारी होते हैं, जो महापालिका के स्थायी कर्मचारी होते हैं।

नगरपालिका- बीस हजार से अधिक तथा तीन लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में नगरपालिका की व्यवस्था होती है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, जौनपुर आदि नगरों में नगरपालिकाएँ कार्यरत हैं। नगरपालिका के सदस्यों की संख्या नगर की आबादी के अनुसार निश्चित होती है। सदस्यों के चुनाव के लिए नगर को अनेक खण्डों (वार्डों) में बाँटा जाता है।

संगठन- प्रत्येक खण्ड से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। चुनाव में सभी वयस्क मतदाताओं को मत देने का अधिकार होता है। नगरपालिका का चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी की आयु कम-से-कम 25 वर्ष होनी चाहिए।

नगरपालिका के चुने हुए सदस्य नगर के कुछ सम्मानित तथा अनुभवी नागरिकों का भी चुनाव करते हैं। ऐसे नागरिक 'एल्डरमैन' कहलाते हैं। नगरपालिका का एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए तथा कुछ स्थान अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षित होते हैं। नगरपालिका के सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है।

पदाधिकारी- नगरपालिका के सदस्य अपने चेयरमैन (अध्यक्ष) का स्वयं चुनाव करते हैं, जो नगरपालिका की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा निकाय के सभी कार्यों में हस्तक्षेप रखता है। उसके द्वारा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी कार्यों की देखरेख की जाती है। नगरपालिका अनेक समितियों की नियुक्ति करती है, जो विशिष्ट कार्यों (विभागों) की देखरेख करती है। प्रत्येक समिति की अध्यक्षता एक चेयरमैन करता है। नगरपालिकाओं में कुछ स्थायी कर्मचारी होते हैं; जैसे–प्रशासनिक अधिकारी, सेक्रेटरी, स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई इंस्पेक्टर, म्युनिसिपल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, चुंगी इंस्पेक्टर, शिक्षा अधिकारी आदि सम्मिलित हैं। ये सभी अधिकारी चेयरमैन की सहायता करते हैं। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा तथा कुछ की नगरपालिका द्वारा होती है।

2. आजीविका के लिए लोगों को कोई-न-कोई कार्य (व्यवसाय) करना ही पड़ता है। व्यवसायों को तीन प्रमुख प्रकारों में बाँटा जाता है– (i) प्राथमिक, (ii) द्वितीयक एवं (iii) तृतीयक।

(i) प्राथमिक व्यवसाय (Primary Occupations)– प्राकृतिक संसाधनों से उपयोगी वस्तुएँ प्राप्त करना प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। दूसरे शब्दों में, लोग भूमि, वन, पशु आदि प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं; जैसे–लोग भूमि पर खेती करके फसलें उगाते हैं (कृषि)। वे वनों से लकड़ी काटते हैं तथा इनसे प्राप्त वस्तुएँ एकत्रित करते हैं। पशु पालते हैं तथा मछली पालन करते हैं। ये सभी व्यवसाय कृषि, वानिकी, पशुपालन तथा मत्स्य-पालन प्राथमिक व्यवसाय कहे जाते हैं।

(ii) द्वितीयक व्यवसाय (Secondary Occupations)–इसके अन्तर्गत वे कच्चे मालों (कृषीय फसलें, खनिज, वनोपज, मछलियाँ आदि) का प्रयोग करके मशीनों द्वारा उपयोगी वस्तुएँ तैयार की जाती हैं। वस्त्र उद्योग, लोहा एवं इस्पात, कागज, चीनी, सीमेंट, चमड़ा, मशीन-निर्माण, परिवहन उपकरण निर्माण, रसायन आदि उद्योग द्वितीयक व्यवसाय के वर्ग में आते हैं।

(iii) तृतीयक व्यवसाय (Tertiary Occupations)–ये वे व्यवसाय हैं जिनमें किसी वस्तु या सामान का उत्पादन नहीं किया जाता, अपितु लोग अपनी विशिष्ट सेवाएँ तथा जानकारी प्रदान करते हैं। शिक्षण, बैंकिंग, वकालत, चिकित्सकीय सेवाएँ, व्यापार, परिवहन, संचार, निर्माण-कार्य आदि तृतीयक प्रकार के व्यवसाय हैं।

सभी प्रकार के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जो विभिन्न व्यवसायों में संलग्न है। इनमें कारखानों के श्रमिक, दुकानदार, व्यापारी, व्यवसायी (जैसे–शिक्षक, डॉक्टर, वकील, क्लर्क, बैंक कर्मी आदि), छोटे विक्रेता, घरेलू नौकर आदि सम्मिलित हैं।

कारखाना श्रमिक – ये लोग नगरीय जनसंख्या का एक विशिष्ट भाग होते हैं, क्योंकि नगरों में या नगरों के आसपास छोटे-बड़े अनेक कारखाने स्थित होते हैं।

दुकानदार एवं व्यापारी– ये लोग घरेलू तथा अन्य कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय-विक्रय करते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़ी संख्या में पाये जाते हैं, क्योंकि भारत में अधिकांश नगर व्यापारिक नगरों के वर्ग में आते हैं। वस्तुतः यह प्रकार्य अर्थात् व्यापार सभी भारतीय नगरों में सार्वभौमिक रूप से प्रचलित है।

हमारा समाज एवं संस्कृति-7

(इकाई-1 : इतिहास)

1. नए राजा तथा राज्य

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए –

1. (अ) महमूद गजनवी 2. (अ) गोपाल 3. (स) सोमनाथ के मंदिर को लूटना
4. (अ) पृथ्वीराज चौहान

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. राजपूत 2. गुर्जर-प्रतिहार 3. सम्पूर्ण श्रीलंका को जीतकर 4. पूर्वी चालुक्यों

ग. सही कथन पर (3) तथा गलत कथन पर (7) का चिह्न लगाइए–

1. (3) 2. (7) 3. (3) 4. (7)

घ. अति लघुउत्तरीय प्रश्न–

1. पाल वंश के शासकों ने बंगाल पर 750 ई0 से 11740 ई0 तक शासन किया।
2. राजपूतों के काल में प्रसिद्ध चार वंश हैं- पाल वंश, राजपूत वंश, गुर्जर-प्रतिहार वंश, चाहमान (चौहान) वंश।
3. काकतीय पश्चिमी चालुक्यों के सामन्त थे। उन्होंने आन्ध्र प्रदेश (वर्तमान तेलंगाना राज्य) के वारंगल पर राज्य किया।

ङ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. **भारत पर तुर्की आक्रमण-** सिंध के मार्ग से भारत में प्रवेश करने वाले सबसे पहले मुसलमान अरब के आक्रमणकारी थे, लेकिन उनके आक्रमणों को बुरी तरह विफल कर दिया गया। अरब आक्रमणकारियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को तुर्कों ने पूरा किया। तुर्क वास्तव में बगदाद के खलीफाओं के जागीरदार थे, लेकिन जब खलीफा कमजोर हो गए, तो तुर्कों ने स्वतंत्र राज्यों के शासक का स्थान लेना प्रारंभ कर दिया। बगदाद के खलीफा अरब के आक्रमणकारियों से अधिक आक्रामक, शक्तिशाली महत्वाकांक्षी एवं भौतिकतावादी थे।
2. महमूद गजनवी प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। गजनवी अफगानिस्तान के एक छोटे-से राज्य गजनी का शासक था। महमूद गजनवी सन् 998 ई0 में गद्दी पर बैठा।
   उसने एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखा, जिसके लिए उसे एक विशाल युद्ध-सामग्री से समृद्ध सेना एवं राजधानी की आवश्यकता थी। उसने भारतीय मंदिरों एवं महलों की धनसंपदा के विषय में सुन रखा था। अपने शासन के पच्चीस वर्षों के दौरान 1000 से 1025 ई0 के कालखंड में उसने भारत पर सत्रह बार आक्रमण किए तथा वहाँ से बड़ी मात्रा में सोना-चाँदी अपने साथ ले गया, जिससे उसके साम्राज्य को अत्यधिक गौरव प्राप्त हुआ। इन आक्रमणों में सोमनाथ का आक्रमण सर्वाधिक विनाशकारी था। महमूद गजनवी ने सन् 1025 ई0 में, सोमनाथ पर धावा बोलकर सोमनाथ के मंदिर को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया तथा वहाँ से सोना तथा जवाहरात आदि लूटकर और उन्हें ऊँटों पर लादकर अफगानिस्तान ले गया।

च. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. **राजपूत काल-** सातवीं-आठवीं शताब्दी से राजपूतों का उदय माना जाता है। बारहवीं शताब्दी तक उत्तर भारत में उनके 36 वंश प्रसिद्ध हो गए।

   उन्होंने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया। इस समय को इतिहास में राजपूत काल कहा जाता है। राजपूत राज्य हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। परस्पर निरंतर संघर्षों से उनकी शक्ति इतनी क्षीण हो गई कि उत्तर-पश्चिम के आक्रमणों से वे अपनी रक्षा तक नहीं कर सके।

   राजपूतों के उदय के संबंध में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं। 'राजपूत' शब्द का शाब्दिक अर्थ है– राजा अथवा शासक का पुत्र। वे प्रायः दो क्षत्रिय वंशों – राम का सूर्यवंश (सूर्य परिवार) तथा कृष्ण का चंद्रवंश (चंद्र परिवार) में से किसी एक के वंशज होने का दावा करते हैं। कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि चार महत्वपूर्ण वंश– प्रतिहार, चौहान, सोलंकी तथा परमार अग्निकुल (अग्नि परिवार) से संबंध रखते हैं। वशिष्ठ ऋषि द्वारा माउंट आबू पर्वत पर बलि-यज्ञ आयोजित किए जाने के पश्चात् इन योद्धा वंशों को राजपूत नाम से जाना गया। एवं मध्यकालीन युग में अनेक राजपूत वंश के शासकों ने पश्चिमी तथा मध्य भारत में शासन करना प्रारंभ किया। वे आपस में बार-बार लड़ते रहते थे।

   गुर्जर-प्रतिहार वंश (730-1018 ई0)- राजस्थान के गुर्जरात्रा प्रदेश में प्रतिहार वंश की स्थापना हुई। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। नागभट्ट प्रथम इस वंश का प्रथम शासक था। यह बड़ा प्रतापी शासक था। इसका दरबार 'नागावलोक का दरबार' कहलाता था। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को 'नारायण' और 'म्लेच्छों का नाशक' कहा गया है। मिहिरभोज प्रथम (836-885 ई0) इस वंश का अन्य महान प्रतापी शासक था। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसने राष्ट्रकूटों को हराकर उज्जैन पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर अभिलेख में इन्हें 'आदिवराह' तथा दौलतपुर अभिलेख में 'प्रभास' कहा गया है। महेन्द्रपाल प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर रहते थे। इन्होंने 'कर्पूरमंजरी', 'काव्य-मीमांसा', 'बाल रामायण' आदि ग्रन्थों की रचना की। इस वंश के महिपाल प्रथम, राजपाल, यशपाल अन्य शासक थे। वंश 1018 ई0 में इस वंश के शासक राजपाल को मुहम्मद गजनवी ने आक्रमण कर हरा दिया।

   चाहमान (चौहान) वंश- चौहान वंश राजपूत समाज की महत्त्वपूर्ण जातियों में से एक है। पृथ्वीराज चौहान इस वंश के सबसे सफल और प्रसिद्ध शासक थे। चौहान वंश ने उत्तरी भारत में और भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में कई स्थानों पर खुद को स्थापित किया था। चौहानों का राज्य पृथ्वीराज चौहान के अधीन उत्तरी भारत में अग्रणी राज्य और एक शक्तिशाली राज्य बन गया, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता था। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया और इसके साथ ही चौहान राज्य का पतन हो गया।

   शिलालेखों से पता चलता है कि चौहान वंश जयपुर की खारे पानी की झील 'सांभर' के आस-पास फैले हुए थे। 11वीं शताब्दी में चौहानों ने अपने राज्य के दक्षिण भाग में अजमेर की स्थापना की तथा 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया।

2. **तराई के युद्ध-** मुहम्मद गौरी के पंजाब आधिपत्य और उसके गंगा-दोआब क्षेत्र में पैर बढ़ाने के प्रयास से शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका प्रत्यक्ष युद्ध आरंभ हो गया। वह गौरी का सर्वाधिक खतरनाक शत्रु भी था। पृथ्वीराज, कन्नौज के राजा जयचंद के अतिरिक्त उत्तरी भारत के समस्त राजाओं का सहयोग प्राप्त करने में सक्षम था। लेकिन तुर्कों की सुसंगठित घुड़सवार सेना और तीव्र आक्रमण प्रसिद्ध था। अतः इन दोनों महत्वाकांक्षी शासकों के मध्य

युद्ध हो गया था। दोनों शासकों में भटिंडा पर विजय प्राप्ति के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। सन् 1191 में लड़े गए तराई के प्रथम युद्ध में मुहम्मद गौरी की सेना के अधिकांश सैनिक मारे गए तथा मुहम्मद गौरी भी बाल-बाल बचा। पृथ्वीराज ने भटिंडा पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन उसने दुर्ग की रक्षा एवं गौरी के लोगों को पंजाब से भगाने के लिए कोई प्रभावी प्रयास नहीं किए। जिसके परिणामस्वरूप बाद में मुहम्मद गौरी को अपनी सेनाएँ पुनः एकत्रित करने एवं भारत में दुबारा आगे बढ़ने के लिए तैयारियाँ करने का एक अवसर प्राप्त हो गया।

सन् 1192 ई0 में लड़े गए तराईन के द्वितीय युद्ध को भारतीय इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकारी घटनाक्रम माना जाता है। मुहम्मद गौरी ने इस युद्ध के लिए अत्यधिक सावधानी से तैयारियाँ कीं। पृथ्वीराज को संभवतया अब अनुभव हुआ कि मुहम्मद गौरी का यह आक्रमण किसी आकस्मिक धावे से बहुत बड़ा था। अतः उसने उत्तरी भारत के समस्त राजाओं से गौरी के विरुद्ध एकत्रित होने का अनुरोध किया। अनेक राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता के लिए सैन्य दल भेजे, लेकिन कन्नौज के शासक जयचंद ने पृथ्वीराज की कोई सहायता नहीं की। तराईन के मैदान में तुर्क एवं राजपूत सेनाओं का पुनः सामना हुआ। भारतीय सेना में सैनिकों की संख्या अधिक थी, लेकिन तुर्क सेना सुसंगठित थी। असंख्य भारतीय सैनिक युद्ध-भूमि में मारे गए। पृथ्वीराज ने बचकर भागने का प्रयास किया, परंतु सारसुती के निकट उसे बंदी बना लिया गया। तुर्की सेनाओं ने हाँसी, सारसुती एवं समाना के दुर्गों पर आधिपत्य करने के पश्चात् अजमेर पर भी कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज को कुछ समय तक अजमेर पर शासन करने की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन शीघ्र ही एक षड्यंत्र के आरोप में इसे हटा दिया गया तथा पराधीनता की शर्त पर पृथ्वीराज के पुत्र को अजमेर की सत्ता का कार्यभार सौंप दिया गया, लेकिन पृथ्वीराज के भाई के नेतृत्व में चौहानों ने पराधीनता के विरुद्ध विद्रोही सेना संगठित की। बाद में अजमेर में तुर्की साम्राज्य स्थापित हो गया। तराईन के युद्ध के पश्चात् भारत के सभी मामलों की देख-रेख का दायित्व अपने विश्वासपात्र गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर मुहम्मद गौरी गौर लौट गया। सन् 1194 में मुहम्मद गोरी पुनः भारत आया। यमुना नदी पार करने के पश्चात् अपनी 50,000 अश्वारोही सेना के साथ वह कन्नौज की ओर बढ़ा। उसने कन्नौज के निकट चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित कर दिया। इस तरह तराईन व चंदावर के युद्धों ने उत्तर भारत में तुर्क शासन की नींव रख दी। सन् 1206 ई0 में, मुहम्मद गौरी मारा गया तथा कुतुबुद्दीन ऐबक उसके भारतीय साम्राज्य का शासक बन बैठा।

3. **उत्तर भारत में समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और ज्ञान, भाषा और साहित्य तथा धर्म (700-1200 ई0)**

समाज– इस काल में समाज को प्रायः राजपूत काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें पारंपरिक रूप से वर्ण (जातियाँ) थे, जो कालांतर में अनेक जातियों में विभक्त हो गए। उनमें से कुछ तथाकथित छोटी जातियों के साथ अछूत व्यवहार किया जाता था। समाज में ब्राह्मणों को उच्च सम्मान प्राप्त था। क्षत्रियों की समाज में उच्च जाति थी। जाति-प्रथा ने राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न की।

समाज में स्त्रियों की सम्मानीय स्थिति थी। वे 'स्वयंवर' में अपने पति का चुनाव कर सकती थी। उन्हें पुरुषों द्वारा सुरक्षा एवं सम्मान दिया जाता था। उन्हें उत्तराधिकार में सम्पत्ति प्राप्त करने एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। मुसलमानों के संपर्क में आने के पश्चात् स्त्रियों में पर्दा-प्रथा प्रारंभ हो गई।

पति की मृत्यु के पश्चात् आक्रमणकारियों के हाथों में जाने से बचने के लिए स्त्रियों में सती-प्रथा प्रचलित हो गई थी।

अर्थव्यवस्था– इस युग के साहित्य द्वारा अनेक प्रकार की मिट्टियों, अनाजों की किस्मों, कृषि यन्त्रों तथा मिट्टी की उर्वरता आदि कृषि के वैज्ञानिक ज्ञान में प्रगति की जानकारी प्राप्त होती है। रहट आदि अनेक सिंचाई के साधनों की जानकारी लोगों को मुसलमान शासको के भारत आगमन के पूर्व काल से ही थी। उद्योगों के क्षेत्र में ऊनी, रेशम व सूत उद्योग का प्रमुख स्थान रहा था। धातुकर्म बहुत प्रचलित एवं सुंदर था। उस काल की ताँबे, पीतल, शीशे, टिन, चाँदी एवं सोने की बनी वस्तुएँ मिलती हैं।

अनेक प्रकार के व्यापार-समूह हस्तकला एवं उद्योगों की विभिन्न शाखाओं में फल-फूल रहे थे। एक समूह के व्यक्ति एक सामान्य व्यवसाय से संबंधित होते थे; जैसे– व्यापारियों का समूह, कारीगरों का समूह तथा महाजनों का समूह आदि। कारीगर लोग ग्राम एवं शहर दोनों में कार्य करते थे। इस युग के शिलालेखों एवं साहित्य से कार्य-समूहों की दशा का स्पष्ट वर्णन मिलता है।

इस युग में अरबवासियों, चीनियों तथा भारतीयों द्वारा व्यापार फल-फूल रहा था। भारत के माध्यम से दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया के मध्य निरंतर व्यापार होता था। अरब भ्रमणकारियों ने भारत के विविध प्रकार के पदार्थों; जैसे– मुसब्बर की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, कपूर, ढिबरी, लौंग तथा अन्य गर्म मसालों, नारियल, सब्जियों, सूती वस्त्रों, धातुओं, बहुमूल्य एवं अद्र्ध-बहूमूल्य नगों, मोतियों तथा मछलियों के निर्यात के विषय में अपनी पुस्तकों में लिखा। उस समय भारत में प्रमुख रूप से घोड़ों का आयात होता था।

शिक्षा एवं ज्ञान– इस युग में हमें अनेक प्रकार के शिक्षा के केंद्रों; जैसे- मठों, घटिकाओं, अग्रहारों तथा विहारों की जानकारी मिलती है। मंदिरों को सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं के रूप में विकसित किया गया था। मंदिरों में ही बैंकों, कोषागारों, न्यायालयों, शिक्षा के केंद्रों एवं अस्पतालों की गतिविधियाँ संचालित की जाती थीं। मंदिरों एवं विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिनसे विद्यालय संबद्ध थे।

इस युग की प्रमुख भाषा आमजन में प्रचलित संस्कृत का अपभ्रंश रूप थी।

4. **दकन के राज्य-** दकन के राज्यों में राष्ट्रकूट, पश्चिमी चालुक्य, यादव, काकतीय एवं होयसल सम्मिलित हैं। इनमें से अधिकांश राजवंश सामन्त थे, जो बाद में स्वतन्त्र हो गए। अधिकांश राजवंश परस्पर युद्धरत रहते थे, किन्तु उन्होंने अपने क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास में बहुत योगदान दिया।

कल्याणी के चालुक्य : 973-1200 ई0 कल्याणी के चालुक्यों को पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। इस राजवंश की स्थापना 973 ई0 में तैलप द्वितीय ने की थी। उसका साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में आन्ध्र प्रदेश के वेंगी तक विस्तृत था। वेंगी पर पूर्वी चालुक्यों का अधिकार था। पश्चिमी चालुक्य राष्ट्रकूटों के सामन्त थे।

देवगिरि के यादव : 1185-1312 ई0 भिल्लामा ने 1185 ई0 में यादव वंश की स्थापना की थी। यादवों की राजधानी महाराष्ट्र में दौलताबाद के निकट देवगिरि में थी। सन् 1200 ई0 तक उन्होंने गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के मध्य के प्रदेश पर अपना शासन कायम कर लिया। अन्तिम यादव शासक रामचन्द्र अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के हाथों 1309 ई0 में पराजित हुआ तथा यादव राज्य को खिलजी साम्राज्य में मिला लिया गया।

द्वारसमुद्र के होयसल : होयसल राजवंश की स्थापना 1110 ई0 में बिट्टिगा विष्णुवर्द्धन ने की थी। होयसल चोलों तथा पश्चिमी चालुक्यों के सामन्त थे। उनकी राजधानी मैसूर के निकट

द्वारसमुद्र में थी। वे मैसूर (कर्नाटक) तथा तमिलनाडु के कुछ भागों पर शासन करते थे। वे पाण्ड्यों तथा चोलों के साथ सदैव युद्ध करते रहते थे।

वारंगल के काकतीय : 1120-1310 ई0 (Kakatiyas of Warangal : 1120-1310 AD)– काकतीय पश्चिमी चालुक्यों के सामन्त थे। उन्होंने आन्ध्र प्रदेश (वर्तमान तेलंगाना राज्य) के वारंगल पर राज्य किया। रुद्रदेव (वस्तुतः रुद्राम्बा नामक रानी) इस राजवंश का एक कुशल शासक था। तेरहवीं शताब्दी के अन्त में यह राज्य दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया।

5. **दक्षिण भारत के राज्य-** पल्लव, पाण्ड्य तथा चोल दक्षिण भारत के शक्तिशाली राज्य थे।

कांची के पल्लव– पल्लव तमिलनाडु के मैदानी भागों पर शासन करते थे। उनकी राजधानी कांची में थीं। वे आन्ध्र के सातवाहनों के सामन्त थे, जो बाद में स्वतन्त्र हो गए। इस राजवंश की स्थापना सिंहविष्णु (565-600 ई0) ने की थी। वे कला एवं स्थापत्य के महान् संरक्षक थे। उन्होंने रथ-मन्दिरों का निर्माण कराया।

पाण्ड्य– सातवीं शताब्दी में पाण्ड्यों ने तमिलनाडु में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। उनकी राजधानी मदुरै में थी। जातवर्मन सुन्दरा एक शक्तिशाली पाण्ड्य शासक था। पाण्ड्य शासकों ने समुद्री व्यापार को बहुत महत्त्व दिया।

चोल- चोल आठवीं शताब्दी के शक्तिशाली शासक थे। विजयालय (846-871 ई0) शाही चोल वंश का संस्थापक था। उसके पुत्र परान्तक प्रथम (907-953 ई0) ने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए पाण्ड्यों को हराकर मदुरै को छीन लिया। उसने 'मदुरैकोण्ड' (मदुरै का विजेता) की उपाधि धारण की।

राजराजा प्रथम (985-1016 ई0) तथा उसका पुत्र राजेन्द्र प्रथम (1012-1044 ई0) महान् चोल शासक थे। राजराजा प्रथम ने अपने कुशल संगठन तथा व्यापार के बल पर चोल साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया। उसने अपनी सेना तथा नौसेना का विस्तार किया तथा एक महान शक्ति बन गया। उसने केरल के चेरों तथा पाण्ड्यों को पराजित किया। उसका सबसे महत्त्वपूर्ण अभियान श्रीलंका के विरुद्ध था। उसने श्रीलंका के उत्तरी भागों को जीतकर उन्हें 'मुम्मादी चोलमण्डलम' नाम से एक चोल प्रान्त बना दिया। उसने कलिंग, मालदीव तथा लक्षद्वीपों को भी जीत लिया। उसने पश्चिमी चालुक्यों को पराजित करके पूर्वी चालुक्यों से वैवाहिक सम्बन्ध बनाए। वास्तव में राजराजा एक महान योद्धा, विजेता, योग्य शासक, कला एवं साहित्य का संरक्षक, महान निर्माता तथा एक सहिष्णु शासक था। राजराजा ने तंजौर में सुप्रसिद्ध बृहदेश्वर मन्दिर का निर्माण करवाया, इसे 'राजराजेश्वर मन्दिर' भी कहा जाता है।

राजेन्द्र प्रथम ने सम्पूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। 'गंगईकोण्ड' की उपाधि धारण की तथा धर्मपाल कावेरी के मुहाने एक नयी राजधानी 'गंगईकोण्डचोलपुरम्' की स्थापना की।

राजेन्द्र प्रथम के पास एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा था। सन् 1025 ई0 में उसने मलाया, जावा तथा सुमात्रा में श्रीविजय साम्राज्य को जीतने के लिए एक नौसैनिक अभियान भेजा। उसने श्रीविजय साम्राज्य के अनेक बन्दरगाहों को जीत लिया। चोल शासकों ने चीन में भी अपने दूत भेजे।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

2. दिल्ली सल्तनत

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए –

1. (अ) तराइन के युद्ध में 2. (स) कुतुबूद्दीन ऐबक 3. (स) जलालुद्दीन खिलजी 4. (अ) गाजी मलिक

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. तराइन 2. रजिया सुल्ताना 3. खिलजी 4. जलालुददीन 5. तैमूर

ग. सही कथन पर (3) तथा गलत कथन पर (7) का चिह्न लगाइए–

1. (7) 2. (3) 3. (3) 4. (7) 5. (3)

घ. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. गुलाम वंश के शासकों का शानकाल 1206 से 1210 तक का था।
2. रजिया सुल्ताना मध्यकालीन विश्व की प्रथम एवं अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी।
3. खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था।
4. तुगलक वंश का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक था।
5. मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानान्तरित की थी।

ङ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. कुतुबुद्दीन ऐबक (1206-1210 ई0)- गौरी की मृत्यु के पश्चात् कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, सन् 1206 से 1210 तक भारत में शासन किया। उसने मुहम्मद बख्तियार खिलजी की सहायता से गौरी के विजय-अभियान को आगे बढ़ाया तथा संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधीन कर लिया।

   कुतुबुद्दीन ने लगभग चार वर्षों तक राज्य किया। उसने दिल्ली में कुतुबमीनार का निर्माण प्रारंभ किया तथा अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण किया। उदार शासक होने के कारण ऐबक को लाल बख्श की उपाधि दी गई थी।
2. गयासुद्दीन बलबन एक क्रूरतम शासक था। अपने साहसी, कूटनीतिक तथा तीक्ष्ण बुद्धि के गुण के कारण वह गुलाम वंश का शासक बन गया। उसने सबसे पहले इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए चालीस अमीर सरदारों के दल, जिसे 'तिर्कान-ए-चहलगानी' कहा जाता था, को नष्ट कर दिया। वह अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज को सदा के लिए बंद कर देता था। इसलिए उसे गुलामवंश का क्रूर शासक कहा जाता है। बलबन ने ईरानी प्रथा सजदा (सुलतान को झुककर सलाम करना) तथा पैबोस (दंडवत् लेटकर सुल्तान के पैर के अगूँठे को चूमना) को अनिवार्य कर दिया। अतः बलबन ने 'रक्त एवं लौह' की नीति का अनुसरण किया तथा अपने राज्य की मंगोल आक्रमणकारियों से भी रक्षा की।
3. जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली थी। जब जलालुद्दीन सुल्तान बना, तब वह 70 वर्षीय वृद्ध था। उसने एक मधुर एवं उदार नीति अपनाई। उसके चरित्र एवं कमजोर नीति ने सामंत वर्ग के मध्य विद्रोहों को प्रोत्साहित किया। उस समय दिल्ली की स्थिति के लिए यह सब उपयुक्त नहीं था। सल्तनत ने अनेक बाह्य एवं आंतरिक शत्रुओं का सामना किया, जिससे जनता में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई। इससे सुल्तान की शक्ति भी क्षीण हुई। जलालुद्दीन के छह वर्ष के अल्पकालिक शासन काल के पश्चात् उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन ने 1296 ई0 में उसका वध कर दिया।
4. गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था, जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ई0 में गद्दी पर बैठा। उसने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो को पराजित किया एवं उसका वध करके गद्दी छीन ली। वह एक अनुभवी राजनीतिज्ञ था। उसके सुदृढ एवं शक्तिशाली प्रशासन ने जनता को शांति एवं समृद्धि प्रदान की। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए उसने प्रभावशाली कदम उठाए। अपने अधिकारियों को तुच्छ प्रलोभनों से मुक्त रखने के

लिए उसने उन्हें अच्छे वेतन दिए। राजकीय अधिकारियों को कहा गया था कि वे कृषकों के साथ निर्दयता का व्यवहार न करके उनके कल्याण के लिए कार्य करें। उसकी सैन्य व्यवस्था भी कुशल एवं प्रशिक्षित थी। वह एक सक्षम सेनाध्यक्ष था तथा अपने सैनिकों को ऐसे प्यार करता था, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्रों को प्यार करता है। 1324 ई0 में सुल्तान का रहस्यमयी स्थितियों में वध कर दिया गया। उसका पुत्र मुहम्मद-बिन-तुगलक गद्दी पर आसीन हुआ।

5. 1388 ई0 में फिरोजशाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात् उसका पौत्र अबू बक्र गद्दी पर बैठा। उसी समय फिरोज के गुलामों की सहायता से फिरोजशाह तुगलक के एक पुत्र मुहम्मद ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। इससे दो शत्रु सुल्तानों के मध्य झगड़ा पैदा हो गया। अंत में अबू बक्र को मुहम्मद के पक्ष में समर्पण करना पड़ा। बाद में नसीरूद्दीन उसका उत्तराधिकारी बना, जिसने 1412 ई0 तक शासन किया। लेकिन वह महत्वाकांक्षी सामंतों को नियंत्रित करने में असफल रहा। उसके समय में तैमूर ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर दिया।

च. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. इस वंश के सभी शासक गुलाम थे। इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। इसे 'मामलूक वंश' के नाम से भी कहा जाता है। कुतुबुदीन ऐबक मुहम्मद गौरी का, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का तथा बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था।

   कुतुबुद्दीन ऐबक (1206-1210 ई0)- गौरी की मृत्यु के पश्चात् कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, सन् 1206 से 1210 तक भारत में शासन किया। उसने मुहम्मद बख्तियार खिलजी की सहायता से गौरी के विजय-अभियान को आगे बढ़ाया तथा संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधीन कर लिया।

   कुतुबुद्दीन ने लगभग चार वर्षों तक राज्य किया। उसने दिल्ली में कुतुबमीनार का निर्माण प्रारंभ किया तथा अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण किया। उदार शासक होने के कारण ऐबक को लाल बख्श की उपाधि दी गई थी।

   इल्तुतमिश (1210-1236 ई0)- कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात् तुर्की सामंतों के एक समूह ने उसके पुत्र आरामशाह को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन वह कमजोर एवं अयोग्य सिद्ध हुआ। अतः ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने उसे सत्ता से अलग कर दिया। इस कार्य में उसे दिल्ली के तुर्की सामंतों की भी सहायता प्राप्त हुई थी। इस प्रकार पिता के बाद पुत्र के उत्तराधिकारी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। इल्तुतमिश ने 1210 ई0 से 1236 ई0 तक शासन किया।

   इल्तुतमिश ने इक्ता, सेना एवं मुद्रा जैसी सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं की उन्नति एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

   उसने सल्तनत के लिए दो प्रमुख सिक्के-चाँदी का टंका और ताँबे का जीतल प्रचलित किए। संपूर्ण सल्तनत में इन सिक्कों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था। उसने बड़े पैमाने पर तुर्कों को नकद वेतन के स्थान पर भूमि का टुकड़ा (इक्ता) प्रदान किए। जो लोग इक्ता ग्रहण करते थे, उन्हें इक्तेदार कहा जाता था। ये इक्तेदार भू-राजस्व संग्रहण का कार्य करते थे।

   रजिया सुल्तान (1236-1240) ई0- रजिया सुल्तान मध्यकालीन विश्व की प्रथम एवं अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी। रजिया अपने सभी भाइयों की अपेक्षा अधिक योग्य एवं निपुण थी। अतः इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। रजिया शक्तिशाली एवं व्यवहार-कुशल थी। उसने राज्य के प्रशासन, सार्वजनिक न्याय और युद्ध में सेना के नेतृत्व में सीधी भागेदारी लेनी प्रारंभ कर दी।

सामंतों ने अनुभव किया कि एक महिला होते हुए भी रजिया उनके हाथों की कठपुतली नहीं होना चाहती थी। जब उसने उच्च पदों पर गैर-तुर्की को आसीन करके दिल्ली में लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया, तो इसे देखकर सामंतों ने उसके विरुद्ध सूबों में विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने उस पर स्त्रीवत् नम्र स्वभाव को तिलांजलि देने तथा अबीसियाई सामंत याकूत खाँ से अत्यधिक मैत्री संबंध होने का आरोप लगाया। रजिया को पराजित करके सामंतों ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार उसके संक्षिप्त शासन काल का 1240 ई0 में अंत हो गया।

गयासुद्दीन बलबन (1266-1287 ई0)- गयासुद्दीन बलबन एक क्रूरतम शासक था। अपने साहसी, कूटनीतिक तथा तीक्ष्ण बुद्धि के गुण के कारण वह गुलाम वंश का शासक बन गया। उसने सबसे पहले इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए चालीस अमीर सरदारों के दल, जिसे 'तिर्कान-ए-चहलगानी' कहा जाता था, को नष्ट कर दिया। वह अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज को सदा के लिए बंद कर देता था। इसलिए उसे गुलामवंश का क्रूर शासक कहा जाता है। बलबन ने ईरानी प्रथा सजदा (सुलतान को झुककर सलाम करना) तथा पैबोस (दंडवत् लेटकर सुल्तान के पैर के अगूँठे को चूमना) को अनिवार्य कर दिया। अतः बलबन ने 'रक्त एवं लौह' की नीति का अनुसरण किया तथा अपने राज्य की मंगोल आक्रमणकारियों से भी रक्षा की।

2. **अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन**- अलाउद्दीन एक योग्य संगठनकर्ता एवं श्रेष्ठ प्रशासक था। उसने अपनी विस्तारवादी एवं एकीकरण नीति अपनाकर अपने क्षेत्रीय विजयी अभियान की शुरूआत की। सामंत वर्ग पर नियंत्रण रखने के लिए उसने अनेक सुधार किए। उसके द्वारा किए गए सुधार हैं–

1. उसका सबसे पहला साहसिक कदम भूमि-अनुदान को समाप्त करना था। जो सामंत वर्ग, सरकारी अधिकारियों तथा व्यक्तियों को उपहार, दान अथवा पारितोषिक के रूप में राज्य की ओर से मिला हुआ था। मालिक (स्वामित्व अधिकार), इनाम (पारितोषिक), अदालत (पेंशन) तथा वक्फ (धार्मिक दान) को 'खालिसा' अर्थात् राज्य का अधिकांश भुगतान अब नगदी में होने लगा।

2. उसने अपनी जनता, विशेषकर सैनिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित किया।

3. उसने घोड़ों पर 'दाग' लगाने की प्रथा का सूत्रपात किया, ताकि अवलोकन के समय किसी भी घोड़े को दूसरी बार पेश न किया जा सके अथवा एक शक्तिशाली घोड़े को एक कमजोर घोड़े से बदला न जा सके।

4. उसने युद्ध के शस्त्रों में सुधार किया।

5. जनता के लिए मदिरा-पान निषिद्ध कर दिया तथा सामंतों के विवाह समारोहों एवं सामाजिक सभाओं को वर्जित कर दिया गया।

6. उसने विभिन्न वस्तुओं की खरीद-बिक्री के लिए दिल्ली में तीन पृथक् बाजार स्थापित किए। ये बाजार अनाज बाजार (मंडी), वस्त्र बाजार (सराय अद्ल) तथा घोड़ों, गुलामों एवं पालतू पशुओं के बाजार थे।

7. दो आब में भू-राजस्व का संग्रह सरकारी अधिकारियों अथवा 'आमिल' द्वारा किया जाने लगा। राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए भूमि-कर बढ़ाकर उत्पादन का 50 प्रतिशत कर दिया गया।

8. अलाउद्दीन ने सेना में अनुशासन स्थापित करने के लिए अत्यधिक सतर्कता बरती। भ्रष्टाचार एवं प्रतिनिधि व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उसने 'हुलिया' प्रथा का आरंभ

किया। 'हुलिया' से तात्पर्य प्रत्येक सैनिक के वर्णनात्मक पहचान से था, जिसे दीवान-ए-अर्ज द्वारा तैयार किया जाता था।

1316 ई0 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात् कुछ दिनों के लिए उसका वफादार मलिक काफूर दिल्ली की गद्दी पर बैठा।

3. **खिलजी वंश (Khilji Dynasty 1290-1320 ई0)-** खिलजी वंश मध्यकालीन भारत का मूलतः तुर्किस्तान का राजवंश था। इसने दिल्ली पर 1290-1320 ई0 तक शासन किया। गुलाम वंश के बाद यह दिल्ली का दूसरा सुल्तान वंश था।

जलालुद्दीन खिलजी (1290-1296 ई0)- जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली थी। जब जलालुद्दीन सुल्तान बना, तब वह 70 वर्षीय वृद्ध था। उसने एक मधुर एवं उदार नीति अपनाई। उसके चरित्र एवं कमजोर नीति ने सामंत वर्ग के मध्य विद्रोहों को प्रोत्साहित किया। उस समय दिल्ली की स्थिति के लिए यह सब उपयुक्त नहीं था। सल्तनत ने अनेक बाह्य एवं आंतरिक शत्रुओं का सामना किया, जिससे जनता में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई। इससे सुल्तान की शक्ति भी क्षीण हुई। जलालुद्दीन के छह वर्ष के अल्पकालिक शासन काल के पश्चात् उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन ने 1296 ई0 में उसका वध कर दिया।

अलाउददीन खिलजी (1296-1316 ई0)- अलाउद्दीन जलालुद्दीन का महत्त्वाकांक्षी भतीजा एवं दामाद था। उसने युद्धकला में अति उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसने सत्ता के संघर्ष में अपने चाचा की सहायता की थी, जिसके लिए उसे अमीर-ए-तुजुक (समारोहों का स्वामी) नियुक्त किया गया। बाद में मलिक छज्जू के विरुद्ध अपने सफल विजयी अभियान के पश्चात् उसे कड़ा का वायसराय बना दिया गया। 1294 ई0 में, उसने प्रथम तुर्की युद्ध-अभियान जो दक्षिण भारत की ओर था, में प्रधान भूमिका निभाई तथा देवगिरि को लूटा। उसके सफल युद्ध अभियान ने यह सिद्ध कर दिया कि अलाउद्दीन एक प्रतिभाशाली सैनिक, अत्यंत साहसी, संसाधन-संपन्न एवं योग्य संगठनकर्ता था। यह विजय उसके मन-मस्तिष्क में रच-बस गई थी और अब उसके मन में दिल्ली की गद्दी पाने की इच्छा हिलोरे मार रही थी। उसे प्रायः भारत में तुर्की साम्राज्य का प्रथम निर्माता कहा जाता है।

4. **तुगलक वंश (1320-1412 ई0)-** तुगलक वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक था। 1320 ई0 में ग्यासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश की सत्ता का तख्ता पलटकर रख दिया तथा तुगलक वंश की स्थापना की, जिसने 1320 ई0 से 1414 ई0 तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक, मुहम्मद-बिन-तुगलक तथा फिरोज तुगलक इस वंश के सबसे योग्य शासक थे। इसके नेतृत्व में सल्तनत की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार हुआ, लेकिन इनके शासन के उत्तर काल में विघटनकारी शक्तियाँ उत्पन्न हो गईं तथा फिरोज तुगलक के बाद सल्तनत छोटे-छोटे प्रांतीय राज्यों में टूट गई।

गयासुद्दीन तुगलक (1320-1324 ई0)- गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था, जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ई0 में गद्दी पर बैठा। उसने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो को पराजित किया एवं उसका वध करके गद्दी छीन ली। वह एक अनुभवी राजनीतिज्ञ था। उसके सुदृढ एवं शक्तिशाली प्रशासन ने जनता को शांति एवं समृद्धि प्रदान की। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए उसने प्रभावशाली कदम उठाए। अपने अधिकारियों को तुच्छ प्रलोभनों से मुक्त रखने के लिए उसने उन्हें अच्छे वेतन

दिए। राजकीय अधिकारियों को कहा गया था कि वे कृषकों के साथ निर्दयता का व्यवहार न करके उनके कल्याण के लिए कार्य करें। उसकी सैन्य व्यवस्था भी कुशल एवं प्रशिक्षित थी। वह एक सक्षम सेनाध्यक्ष था तथा अपने सैनिकों को ऐसे प्यार करता था, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्रों को प्यार करता है। 1324 ई0 में सुल्तान का रहस्यमयी स्थितियों में वध कर दिया गया। उसका पुत्र मुहम्मद-बिन-तुगलक गद्दी पर आसीन हुआ।

मुहम्मद-बिन-तुगलक (1324-1351 ई0)- मुहम्मद-बिन-तुगलक एक प्रसिद्ध विद्वान एवं विचारक था, जिसने अनेक योजनाओं; जैसे– राजधानी-परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा तथा विजय की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं आदि का सूत्रपात किया। वह भारत की राजनैतिक एकता चाहता था। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी।

वह एक अद्भुत व्यक्तित्व का धनी था, जिसमें तीव्र स्मरण-शक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि एवं ज्ञान-पिपासा थी। उसके तार्किक मस्तिष्क ने 'उलेमा' को राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। उसने अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएँ उसके चतुर एवं आदर्शवादी मस्तिष्क की उपज थी, लेकिन उसकी ये परियोजनाएँ असफल हुईं तथा जनता की रुष्टता का कारण बनीं। यही कारण है कि उसे प्रायः 'दुर्भाग्यशाली आदर्शवादी' कहा जाता है।

फिरोजशाह तुगलक (1351-1388 ई0)- मुहम्मद-बिन-तुगलक की मृत्यु के पश्चात् फिरोजशाह तुगलक सुल्तान बना। उसका राज्याभिषेक रक्तविहीन था। फिरोजशाह पूरे शान-ओ-शौकत के साथ गद्दी पर बैठा। वह मुहम्मद-बिन-तुगलक का भतीजा था। अतः उसने उन सभी क्षतियों में शीघ्र ही सुधार करना प्रारंभ किया, जो मुहम्मद तुगलक की नीतियों के कारण पैदा हुई थीं। उसने उन समस्त उलेमाओं एवं अमीरों को पुनः नियुक्त किया, जिन्हें उसके पूर्व शासक ने पदच्युत कर दिया था। उसने सुल्तान मुहम्मद-बिन-तुगलक द्वारा उत्पीड़न करके मार डाले गए व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को अच्छी क्षतिपूर्ति के साथ-साथ क्षमायाचना पत्र दिए।

फिरोजशाह तुगलक अमीरों एवं उलेमाओं की सहायता से गद्दी पर बैठा था, अतः उसने 'इक्ता' व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया तथा इसे वंशानुगत आधार प्रदान किया। उसने सामंती आधार पर सेना का पुनर्गठन किया तथा उन्हें भूमि अनुदानस्वरूप दी। उलेमाओं को मनाने के लिए उसने यह जताने का प्रयास किया कि वह एक सच्चा मुस्लिम शासक था। उलेमाओं की अनुशंसा पर उसने ब्राह्मणों सहित सभी हिंदुओं पर 'जजिया' थोप दिया।

एक सुल्तान के रूप में फिरोज ने अनेक लोक कल्याणकारी उपाय लागू किए। कृषि के विकास हेतु उसने नहरों, कुओं एवं तालाबों का निर्माण कराया। उसने अस्पतालों (शफाखाना) खुलवाए। जहाँ जनता को निःशुल्क औषधि उपलब्ध कराई जाती थी।

अपने अनेक सुधारों के कारण फिरोजशाह तुगलक ने लोकप्रियता अर्जित की, लेकिन उसकी उदारता, मधुरता एवं प्रशासनिक अक्षमता ने राज्य को कमजोर कर दिया। इन सुधारों से सामाजिक वर्गों में ईर्ष्या एवं द्वेष फैल गया। जिसने तुगलक वंश एवं सल्तनत को अत्यधिक हानि पहुँचाई। परिणामस्वरूप, सल्तनत की विघटन की प्रक्रिया निरंतर जारी रही तथा समय के साथ-साथ नए शक्तिशाली मुस्लिम प्रांतीय राज्य सामने आ गए।

5. **दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण-** दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण वैसे तो तैमूर का आक्रमण था, लेकिन अन्य प्रमुख कारण भी थे, जिससे दिल्ली सल्तनत का पतन होना आरम्भ हुआ–

1. फिरोजशाह तुगलक ने स्थायी सेना को समाप्त कर दिया तथा सामन्ती सेना का गठन किया। सैनिकों को वेतन के बदले भूमि अनुदान दिया गया तथा सैनिकों को भी वंशानुगत कर दिया गया, जिससे वे स्वच्छन्द हो गए और भोग-विलास में लिप्त होकर आलसी हो गए। जिसका लाभ अन्य बाहरी आक्रमणकारियों ने उठाया।

2. दिल्ली के सुल्तानों को गुलामों का शौक था। उन्होंने गुलामों को प्रशिक्षण दिया तथा पर्याप्त वेतन के साथ-साथ उन्हें अन्य राजकीय सुविधाएँ दी गई। फलस्वरूप दास (गुलाम) संगठित हो गए और उन्होंने सुल्तानों के प्रति विद्रोह कर दिया।

3. दिल्ली के सुल्तान कट्टर मुस्लिम शासक थे। उन्होंने हिन्दुओं के प्रति हमेशा पक्षपाती व्यवहार रखा, तथा उन पर जजिया जैसे अनेक धार्मिक कर लगाए। अतः हिन्दू सुल्तानों के विरुद्ध हो गए।

4. सुल्तान न्याय व्यवस्था के प्रति लापरवाह हो गए थे। वे केवल अपने विद्रोहियों को ही मृत्युदण्ड देते थे, जिससे प्रजा स्वतंत्र रूप से स्वेच्छाचारी हो गई।

5. बाद के सुल्तानों ने प्रजा के प्रति अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी सुख-सुविधा के लिए दिल-खोलकर राजकोष लुटाया। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कर-वसूली में भी नम्रता बरती तथा कृषि के विकास के लिए अनेक नहरों का निर्माण करवाया। फलस्वरूप सुल्तानों पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया।

6. सुल्तानों ने दीवान-ए-खैरात विभाग के अन्तर्गत निर्धनों की सहायता के लिए उन्हें धन का दान दिया। अनेक मीनारों, मस्जिदों का निर्माण करवाया तथा शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक ग्रन्थों का अनुवाद कार्य किया, जिससे राजकोष रिक्त होता चला गया।

अतः आर्थिक संकट, सुख-सुविधा के प्रति अधिक ध्यान देना तथा तैमूर के आक्रमण आदि कारणों से दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

3. मुगल साम्राज्य

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (स) मुगल 2. (अ) बाबर 3. (स) चौसा के युद्ध में 4. (अ) दीन-ए-इलाही

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. अकबर 2. हल्दीघाटी 3. जहाँगीर 4. स्वर्णयुग 5. आलमगीर

ग. सही कथन पर (3) तथा गलत कथन पर (7) का चिह्न लगाइए–

1. (7) 2. (3) 3. (3) 4. (3) 5. (3)

घ. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई (1526) में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की।
2. खानवा का युद्ध 1527 ई0 में हुआ था।
3. 1539 ई0 में हुमायूँ शेरशाह सूरी (अफगान शासक) के हाथों पराजित हुआ था।
4. शेरशाह सूरी जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार का पुत्र था। उसका वास्तविक नाम फरीद था।
5. अकबर ने 'दीन-ए-इलाही' धर्म चलाया था।

ङ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। वह मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में मध्य एशिया की एक छोटी जागीर फरगाना का शासक बना। बाबर मध्य एशिया से अपने साथ तोपखाना भी लाया था। वह एक कुशल सेनानायक था। उसने 1526 ई0 में पानीपत के प्रथम युद्ध में अन्तिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया। उसकी यह विजय भारत में मुगल शासन की शुरूआत थी। इसके बाद बाबर ने खानवा के युद्ध में 1527 ई0 में मेवाड़ के राणा साँगा को, सन् 1528 ई0 में चन्देरी के युद्ध में मालवा के शासक मेदिनीराय को तथा अन्त में 1529 ई0 में इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को घाघरा के युद्ध में पराजित किया। बाबर का नियन्त्रण अब उत्तरी भारत पर हो गया, किन्तु उसे अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का समय नहीं मिला। सन् 1530 ई0 में उसकी मृत्यु हो गई।

   हमें बाबर के जीवन तथा उसकी उपलब्धियों की जानकारी उसकी आत्मकथा 'तुजुक-ए-बाबरी' से मिलती है, जो उसने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखी थी। बाबर अच्छा कवि व लेखक था। उसे बाग-बगीचे लगवाने का भी बहुत शौक था।

2. शेरशाह जौनपुर के एक छोटे-से जागीरदार का पुत्र था। उसका वास्तविक नाम फरीद था। वह बिहार के शासक की सेना में नियुक्त हो गया तथा बाद में बाबर की सेना में भर्ती हो गया, जहाँ उसने मुगलों के सैन्य संगठन का बारीकी से अध्ययन किया। वह धीरे-धीरे शक्तिशाली होता गया तथा उसने दक्षिणी बिहार पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित कर लिया। उसने बंगाल के शासक के रिश्तेदार से मित्रता कर ली। फिर उसने एक विधवा से विवाह कर लिया, जिससे उसे चुनार का किला प्राप्त हुआ।

   शेरशाह ने हुमायूँ को 1539 ई0 में चौसा के युद्ध में तथा 1540 ई0 में कन्नौज के युद्ध में पराजित किया। अब वह भारत का सम्राट बन गया। उसने पाँच वर्ष की लघु अवधि (1540-1545 ई0) तक शासन किया। इस दौरान उसने ग्वालियर (1542 ई0), रायसेन (1543 ई0), पंजाब, मुल्तान, सिन्ध एवं मारवाड़ (1544 ई0) को भी जीत लिया। उसका साम्राज्य अब पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में झेलम नदी तक विस्तृत हो गया। 1545 ई0 में बुन्देलखण्ड में स्थित कालिंजर के किले पर आक्रमण करते हुए एक बारूदी विस्फोट में वह घायल हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

3. बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूँ 1530 ई0 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने पिता से एक विशाल साम्राज्य विरासत में प्राप्त किया था। राजपूतों और अफगानों का अभी तक दमन नहीं किया जा सका था। सरदार और उसके भाई भी नए सम्राट के विरुद्ध षड्यन्त्र कर रहे थे। इसके अतिरिक्त गुजरात तथा मालवा का शक्तिशाली शासक बहादुरशाह राजपूताना पर विजय का स्वप्न देख रहा था। उधर, बिहार तथा बंगाल का अफगान शासक शेरशाह सूरी हुमायूँ का सबसे बड़ा शत्रु था, जिसके हाथों चौसा (1539 ई0) तथा कन्नौज के युद्ध (1540 ई0) में हुमायूँ की पराजय हुई थीं और उसे लगभग 15 वर्षों तक (1540-1555 ई0) तक एकान्तवास भोगना पड़ा। इसके बाद 1555 ई0 में उसने पुनः सिंहासन प्राप्त किया और 1556 ई0 में उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई।

4. शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर हुमायूँ की वापसी का रास्ता साफ हो गया। शेरशाह के उत्तराधिकारी कमजोर शासक थे तथा अफगान सरदार विद्रोह करने लगे। इन परिस्थितियों में हुमायूँ बैरम खाँ की सहायता से दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने में सफल हो गया। सन् 1556 ई0 में हुमायूँ की मृत्यु के बाद एक छोटे से नगर कलानौर में

अकबर का राज्याभिषेक किया गया, वह तेरह वर्ष की अल्पायु में गद्दी पर बैठा। अकबर के वयस्क होने तक बैरम खाँ उसका संरक्षक बना रहा।

सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बंगाल के शासक आदिल शाह सूर के प्रधानमंत्री हेमू के साथ संघर्ष किया। पानीपत के द्वितीय ऐतिहासिक युद्ध में 1556 ई0 में हेमू की पराजय तथा मुगलों की विजय हुई। दिल्ली और आगरा पर मुगलों का अधिकार हो गया। आगरा को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। 1560 ई0 में अकबर ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली।

5. उत्तराधिकार के युद्ध में सफल होने के बाद औरंगजेब 'आलमगीर' के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसके अधीन मुगल साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत तथा चरमोत्कर्ष पर था, किन्तु उसके शासनकाल में ही अनेक राजनीतिक हलचलें हुईं।

औरंगजेब के राजनीतिक जीवन-काल को दो अवस्थाओं में बाँटा जा सकता है– (1) प्रथम अवस्था (1658-81 ई0) जिसके दौरान वह उत्तरी भारत में व्यस्त रहा तथा (2) द्वितीय अवस्था (1682-1707 ई0) जब वह दकन में रहा।

च. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. पानीपत की पहली लड़ाई (1526 ई0) में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उस समय अनेक शासक स्वतन्त्र हो चुके थे, जिससे देश में अराजकता का माहौल बन गया था।

बाबर : 1526-1530 ई0- बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। वह मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में मध्य एशिया की एक छोटी जागीर फरगाना का शासक बना। बाबर मध्य एशिया से अपने साथ तोपखाना भी लाया था। वह एक कुशल सेनानायक था। उसने 1526 ई0 में पानीपत के प्रथम युद्ध में अन्तिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया। उसकी यह विजय भारत में मुगल शासन की शुरूआत थी। इसके बाद बाबर ने खानवा के युद्ध में 1527 ई0 में मेवाड़ के राणा साँगा को, सन् 1528 ई0 में चन्देरी के युद्ध में मालवा के शासक मेदिनीराय को तथा अन्त में 1529 ई0 में इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को घाघरा के युद्ध में पराजित किया। बाबर का नियन्त्रण अब उत्तरी भारत पर हो गया, किन्तु उसे अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का समय नहीं मिला। सन् 1530 ई0 में उसकी मृत्यु हो गई।

हमें बाबर के जीवन तथा उसकी उपलब्धियों की जानकारी उसकी आत्मकथा 'तुजुक-ए-बाबरी' से मिलती है, जो उसने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखी थी। बाबर अच्छा कवि व लेखक था। उसे बाग-बगीचे लगवाने का भी बहुत शौक था।

हुमायूँ : 1530-1556 ई0- बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूँ 1530 ई0 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने पिता से एक विशाल साम्राज्य विरासत में प्राप्त किया था। राजपूतों और अफगानों का अभी तक दमन नहीं किया जा सका था। सरदार और उसके भाई भी नए सम्राट के विरुद्ध षड्यन्त्र कर रहे थे। इसके अतिरिक्त गुजरात तथा मालवा का शक्तिशाली शासक बहादुरशाह राजपूताना पर विजय का स्वप्न देख रहा था। उधर, बिहार तथा बंगाल का अफगान शासक शेरशाह सूरी हुमायूँ का सबसे बड़ा शत्रु था, जिसके हाथों चौसा (1539 ई0) तथा कन्नौज के युद्ध (1540 ई0) में हुमायूँ की पराजय हुई थीं और उसे लगभग 15 वर्षों तक (1540-1555 ई0) तक एकान्तवास भोगना पड़ा। इसके बाद 1555 ई0 में उसने पुनः सिंहासन प्राप्त किया और 1556 ई0 में उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई।

अकबर : 1556-1605 ई0- शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर हुमायूँ की वापसी का रास्ता साफ हो गया। शेरशाह के उत्तराधिकारी कमजोर शासक थे तथा अफगान सरदार विद्रोह करने लगे। इन परिस्थितियों में हुमायूँ बैरम खाँ की सहायता से दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने में सफल हो गया। सन् 1556 ई0 में हुमायूँ की मृत्यु के बाद एक छोटे से नगर कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक किया गया, वह तेरह वर्ष की अल्पायु में गद्दी पर बैठा। अकबर के वयस्क होने तक बैरम खाँ उसका संरक्षक बना रहा।

सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बंगाल के शासक आदिल शाह सूर के प्रधानमंत्री हेमू के साथ संघर्ष किया। पानीपत के द्वितीय ऐतिहासिक युद्ध में 1556 ई0 में हेमू की पराजय तथा मुगलों की विजय हुई। दिल्ली और आगरा पर मुगलों का अधिकार हो गया। आगरा को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। 1560 ई0 में अकबर ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली।

जहाँगीर : 1605-1627 ई0- सन् 1605 ई0 में जहाँगीर अपने पिता अकबर की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट बना।

जहाँगीर ने अपने पिता अकबर के सैन्य अभियानों का आगे का मार्ग प्रशस्त किया। उसके सामने मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। आगे सिक्ख, अहोम, अहमदनगर आदि के विरुद्ध उसके अभियान असफल हो गए।

नूरजहाँ एक महत्त्वाकांक्षी स्त्री थी। उसने प्रशासन की बागडोर अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले ली तथा सिंहासन के पीछे वास्तविक शासिका बन बैठी। सभी सरकारी काम-काजों में उसका दखल था। सिक्कों पर उसका नाम लिखा होता था तथा शाही फरमानों पर उसके हस्ताक्षर होते थे। उसवे प्रभाव में आकर जहाँगीर विलासी तथा अकर्मण्य बन सरकारी दायित्वों तक को भूल गया। अत्यधिक शराब के सेवन से उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, परिणामतः 1627 ई0 में उसकी मृत्यु हो गई।

जहाँगीर एक विद्वान तथा विद्वानों का संरक्षक था। उसकी आत्मकथा 'तुजुक-ए-जहाँगीरी', एक महान ऐतिहासिक रचना है। उसे संगीत तथा चित्रकला से बहुत प्रेम था।

शाहजहाँ : 1628-1658 ई0 (Shah Jahan : 1628-1658 AD)- जहाँगीर के बाद उसका पुत्र खुर्रम शाहजहाँ के नाम से 1628 ई0 में सिंहासन पर बैठा। वह बुद्धिमान, वीर और महत्त्वाकांक्षी था। उसने अनेक सफल अभियानों का नेतृत्व किया था। सिंहासन पर बैठने के बाद शाहजहाँ ने अनेक सैनिक अभियान किए।

सन् 1628 ई0 में शाहजहाँ ने दकन के गवर्नर के विद्रोह का दमन किया। उसने सन् 1638 ई0 तक बीजापुर तथा गोलकुण्डा को पराजित करके औरंगजेब को दकन का गवर्नर नियुक्त किया।

शाहजहाँ के शासनकाल में पूर्व में अनेक यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियाँ सक्रिय थीं। शाहजहाँ का शासनकाल स्थापत्य के विकास, मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरे के लिए विख्यात है। वह एक महान निर्माता था। उसने अनेक शानदार इमारतों तथा स्मारकों का निर्माण कराया, जिनमें ताजमहल सर्वश्रेष्ठ है। शाहजहाँ का शासनकाल मुगलकाल का 'स्वर्णयुग' कहलाता है।

औरंगजेब : 1658-1707 ई0 (Aurangzeb : 1658-1707 AD)- उत्तराधिकार के युद्ध में सफल होने के बाद औरंगजेब 'आलमगीर' के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसके अधीन मुगल साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत तथा चरमोत्कर्ष पर था, किन्तु उसके शासनकाल में ही अनेक राजनीतिक हलचलें हुईं।

औरंगजेब के राजनीतिक जीवन-काल को दो अवस्थाओं में बाँटा जा सकता है– (1) प्रथम

अवस्था (1658-81 ई0) जिसके दौरान वह उत्तरी भारत में व्यस्त रहा तथा (2) द्वितीय अवस्था (1682-1707 ई0) जब वह दकन में रहा।

प्रथम अवस्था में औरंगजेब ने अराकान के शासक को पराजित किया तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित सोनद्वीप (द्वीपसमूह) पर अधिकार कर लिया। उत्तर-पश्चिम में अफगान जातियाँ शुरू से ही मुगलों के लिए समस्या तथा संकट का कारण रही थीं। उसने यूसूफजाइयों तथा अफरीदियों का दमन किया तथा तत्पश्चात् जोधपुर में राजपूतों के विद्रोह को दबा दिया और मेवाड़ को भी तहस-नहस कर दिया। नारनौल के सतनामियों के विद्रोह को भी दबा दिया गया। मथुरा में जाटों ने भी अनेक बार विद्रोह किए। अन्ततः वे पराजित हो गए। बुन्देल राजपूतों ने भी चम्पतराय तथा उसके पुत्र छत्रसाल के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने पूर्वी मालवा में एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की। औरंगजेब ने सिक्खों को भी बहुत परेशान किया। उसने नवें गुरु तेग बहादुर तथा उनके दो पुत्रों को यातनाएँ दे-देकर मार दिया।

2. **शेरशाह सूरी : 1540-1545 ई0**

शेरशाह जौनपुर के एक छोटे-से जागीरदार का पुत्र था। उसका वास्तविक नाम फरीद था। वह बिहार के शासक की सेना में नियुक्त हो गया तथा बाद में बाबर की सेना में भर्ती हो गया, जहाँ उसने मुगलों के सैन्य संगठन का बारीकी से अध्ययन किया। वह धीरे-धीरे शक्तिशाली होता गया तथा उसने दक्षिणी बिहार पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित कर लिया। उसने बंगाल के शासक के रिश्तेदार से मित्रता कर ली। फिर उसने एक विधवा से विवाह कर लिया, जिससे उसे चुनार का किला प्राप्त हुआ।

शेरशाह ने हुमायूँ को 1539 ई0 में चौसा के युद्ध में तथा 1540 ई0 में कन्नौज के युद्ध में पराजित किया। अब वह भारत का सम्राट बन गया। उसने पाँच वर्ष की लघु अवधि (1540-1545 ई0) तक शासन किया। इस दौरान उसने ग्वालियर (1542 ई0), रायसेन (1543 ई0), पंजाब, मुल्तान, सिन्ध एवं मारवाड़ (1544 ई0) को भी जीत लिया। उसका साम्राज्य अब पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में झेलम नदी तक विस्तृत हो गया। 1545 ई0 में बुन्देलखण्ड में स्थित कालिंजर के किले पर आक्रमण करते हुए एक बारूदी विस्फोट में वह घायल हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

शेरशाह ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए तथा प्रशासन में अनेक सुधार किए। उसने अपने साम्राज्य को सरकारों (प्रान्तों) में बाँटा तथा सरकारों को पुनः परगनों (जिलों) में बाँटा। उसने न्याय के लिए समान कानून लागू किए तथा चाँदी के सिक्के (जिसे 'रुपया' कहा जाता था) का चलन किया, जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में भी जारी रहा।

शेरशाह के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें पैदल, घुड़सवार तथा हाथी सम्मिलित थे। वह अपने सैनिकों की भर्ती में स्वयं रुचि लेता था। उसने घुड़सवार सेना तथा सैनिकों के अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया। वह अपने अधिकारियों तथा सैनिकों को नकद वेतन देता था।

शेरशाह एक सहिष्णु तथा उदार शासक था। उसने जनहित में अनेक कार्य किए; जैसे– सड़कों के किनारों पर छायादार वृक्ष लगवाना, यात्रियों के लिए कुओं तथा सरायों की व्यवस्था करना आदि। उसने कलकत्ता (कोलकाता) से पेशावर के बीच ग्राण्ड ट्रंक रोड का पुनरुद्धार कराया। उसने दिल्ली के निकट शेरगढ़ तथा पंजाब में रोहतास नगर बसाया। उसने सासाराम में अपने लिए तथा नारनौल में अपने दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा बनवाया।

3. शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर हुमायूँ की वापसी का रास्ता साफ हो गया। शेरशाह के उत्तराधिकारी कमजोर शासक थे तथा अफगान सरदार विद्रोह करने लगे।

इन परिस्थितियों में हुमायूँ बैरम खाँ की सहायता से दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने में सफल हो गया। सन् 1556 ई0 में हुमायूँ की मृत्यु के बाद एक छोटे से नगर कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक किया गया, वह तेरह वर्ष की अल्पायु में गद्दी पर बैठा। अकबर के वयस्क होने तक बैरम खाँ उसका संरक्षक बना रहा।

सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बंगाल के शासक आदिल शाह सूर के प्रधानमंत्री हेमू के साथ संघर्ष किया। पानीपत के द्वितीय ऐतिहासिक युद्ध में 1556 ई0 में हेमू की पराजय तथा मुगलों की विजय हुई। दिल्ली और आगरा पर मुगलों का अधिकार हो गया। आगरा को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। 1560 ई0 में अकबर ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली।

अगले चालीस वर्षों तक अकबर ने विजय तथा अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने की नीति अपनाई। उसने मालवा तथा गोण्डवाना (1561-1564 ई0), राजपूताना (1568-1599 ई0), गुजरात (1584 ई0), बंगाल (1592 ई0) आदि राज्यों तथा उत्तर-पश्चिमी (काबुल, कश्मीर, सिन्ध एवं कन्धार) तथा दकन (1596-1601 ई0) को अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार अकबर का साम्राज्य पश्चिम में हिन्दुकुश से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक एवं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी के ऊपरी भाग तक विस्तृत हो गया।

अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण एवं वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए तथा उन्हें उच्च स्थान प्रदान किए। अकबर ने मित्र राजपूत राज्यों को सुरक्षा प्रदान की। मेवाड़ ही एकमात्र राज्य था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। फलस्वरूप 1576 ई0 में हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप तथा मुगल सेना का आमना-सामना हुआ। मुगलों ने युद्ध तो जीत लिया, किन्तु वे महाराणा प्रताप की मृत्यु होने तक मेवाड़ को झुका नहीं सके।

अकबर ने 'दीन-ए-इलाही' के नाम से अपना निजी धर्म चलाया।

अपने शासन के अंतिम वर्ष अकबर के लिए कष्टदाई रहे। उसके पुत्र सलीम ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अन्ततः वही जहाँगीर के रूप में अकबर के बाद मुगल सम्राट बना।

4. औरंगजेब के राजनीतिक जीवन-काल को दो अवस्थाओं में बाँटा जा सकता है– (i) प्रथम अवस्था (1658-81 ई0) जिसके दौरान वह उत्तरी भारत में व्यस्त रहा तथा (ii) द्वितीय अवस्था (1682-1707 ई0) जब वह दकन में रहा।

प्रथम अवस्था में औरंगजेब ने अराकान के शासक को पराजित किया तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित सोनद्वीप (द्वीपसमूह) पर अधिकार कर लिया। उत्तर-पश्चिम में अफगान जातियाँ शुरू से ही मुगलों के लिए समस्या तथा संकट का कारण रही थीं। उसने यूसूफजाइयों तथा अफरीदियों का दमन किया तथा तत्पश्चात् जोधपुर में राजपूतों के विद्रोह को दबा दिया और मेवाड़ को भी तहस-नहस कर दिया। नारनौल के सतनामियों के विद्रोह को भी दबा दिया गया। मथुरा में जाटों ने भी अनेक बार विद्रोह किए। अन्ततः वे पराजित हो गए। बुन्देल राजपूतों ने भी चम्पतराय तथा उसके पुत्र छत्रसाल के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने पूर्वी मालवा में एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की। औरंगजेब ने सिक्खों को भी बहुत परेशान किया। उसने नवें गुरु तेग बहादुर तथा उनके दो पुत्रों को यातनाएँ दे-देकर मार दिया।

औरंगजेब की दक्षिण नीति के परिणाम-औरंगजेब ने अपने जीवन के अन्तिम 25 वर्ष दकन में बिताए। उसका प्रमुख उद्देश्य बीजापुर तथा गोलकुण्डा राज्यों को जीतना तथा मराठों की शक्ति को क्षीण करना था। सन् 1686 ई0 में बीजापुर राज्य को तथा 1687 ई0 में

गोलकुण्डा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, किन्तु औरंगजेब की दूरदर्शिता तथा धर्मान्धता ने मुगल साम्राज्य के पतन को सुनिश्चित कर दिया।

दकन ने औरंगजेब तथा उसके साम्राज्य को बरबादी की कगार पर ला दिया। औरंगजेब के लम्बे समय तक दकन में रहने से उत्तर भारत पर उसका नियन्त्रण ढीला पड़ गया, जिससे उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का विघटन होने लगा। लगातार युद्धों ने मुगल सेना को कमजोर कर दिया तथा खजाना भी खाली हो गया। दकन में मुगल सेना का मनोबल टूट गया तथा सैनिक अपने घर लौटने को बेचैन होने लगे। इसके अतिरिक्त औरंगजेब ने मित्रों से अधिक शत्रु बना लिए। वह सब ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ था। वस्तुतः दकन ने उसे बरबाद कर दिया। दक्षिण में सैन्य अभियान के पीछे वस्तुतः औरंगजेब की यह नीति थी–

- औरंगजेब साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, इसलिए वह दक्षिण के राज्यों को जीतना चाहता था। दक्षिण के प्रति उसकी नीति राजनीतिक हित और आंशिक रूप से धार्मिक विचारों से अभिप्रेरित थी।
- दक्षिण में मराठा शासक शिवाजी के नेतृत्व में शिया शासकों का प्रभुत्व था। अतः औरंगजेब वहाँ दोनों ही शक्तियों को कुचलना चाहता था।

5. मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था का हम निम्नलिखित रूप में वर्णन कर सकते हैं–

1. केंद्रीय प्रशासन– मुगल प्रशासन में बादशाह शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह प्रधान सेनापति व न्याय का प्रधानाधिकारी था। बादशाह की शक्ति असीमित थी। उसके बाद वकील सभी विभागों का अध्यक्ष होता था। प्रारंभ में उसे मंत्रियों की नियुक्ति-अनियुक्ति का अधिकार था परन्तु बैरम खाँ के बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया। दीवान वित्त तथा आर्थिक मामलों का सलाहकार था। मीर बख्शी सैनिक प्रशासन का प्रधान था। वह सेना में नियुक्ति, वेतन, मनसबदारों की सेनाओं का निरीक्षण आदि कार्य देखता था। काजी उल कुजात प्रधान काजी या न्यायाधीश होता था। वह इस्लामी कानून के आधार पर फैसले करता था। सद्र उस सुदुर प्रधान पद था। वह शाही परिवार के द्वारा विद्वानों, फकीरों, उलेमाओं आदि को दिए जाने वाले दान, सहायता आदि की देखरेख करता था। मीर समा महल, हरम, रसोई आदि का प्रबंधक होता था।

2. प्रांतीय प्रशासन– मुगलकाल में प्रांतों को सूबा कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में सूबों की संख्या 15 तथा औरंगजेब के समय 21 थी। सूबेदार सूबे का प्रमुख तथा बादशाह का प्रतिनिधि होता था। दीवान सूबेदार के नियंत्रण में न रहकर केंद्रीय दीवान का अधीनस्थ होता था। कोतवाल थाना स्तर पर पुलिस अधिकारी होता था। प्रत्येक सूबा कई जिलों में बँटा होता था। जिलों को सरकार कहा जाता था। फौजदार जिले का सैनिक अधिकारी होता था, इसका कार्य जिले में शांति व सुरक्षा बनाए रखना था। अमलगुजार जिला स्तर पर राजस्व अधिकारी होता था। जो किसानों को कर्ज बाँटने तथा वसूल रकम को शाही खजाने में जमा करने का काम करता था। बितिकची अमलगुजार का सहायक होता था, जो कृषि संबंधी रिकार्ड और आँकड़े रखता था। शिकदार परगना का मुख्य अधिकारी होता था। फोतदार परगने के खजांची को कहते थे।

3. सैन्य प्रशासन– बादशाह प्रधान सेनापति होता था। सेना मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित थी– (अ) मनसबदारों की फौज (ब) अहदी (वे सिपाही, जो मनसब में नहीं रखे जाते थे) (स) राजपूतों की सहायक सेनाएँ।

सेना के पाँच विभाग थे– (अ) पैदल, (ब) घुड़सवार, (स) हाथी, (द) तोपखाना, (य) जल सेना।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

4. स्थापत्य कला एवं स्मारक

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (द) नागर 2. (अ) भुवनेश्वर 3. (ब) राष्ट्रकूटों ने 4. (द) शाहजहाँ

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. राजस्थानी 2. द्रविड़ 3. तुगलकाबाद, फिरोजशाह तुगलक 4. सीरी

ग. सही मिलान कीजिए–

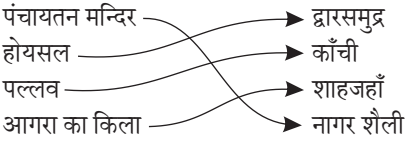

घ. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. सोमनाथ मन्दिर सोलंकी वंश की शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है।
2. कन्दरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं।
3. तुर्कों ने स्थापत्य की इण्डो-इस्लामी शैली विकसित की।
4. बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है।

ङ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. **नागर शैली-** इस शैली पर आधारित मंदिर गुप्तकालीन मंदिर हैं, विशेष रूप से देवगढ़ के दशावतार मंदिर और भितरगाँव के ईंट निर्मित मंदिर। इस स्थापत्य शैली की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं- इसकी विशिष्ट योजना और विमान।

   इस स्थापत्य शैली की मुख्य भूमि आयताकार होती है, जिसमें बीच के दोनों और क्रमिक विमान होते हैं, जिनके चलते इसका पूर्ण आकार तिकोना हो जाता है। यदि दोनो पार्श्वों में एक-एक विमान हो, तो वह त्रिरथ कहलाता है तथा दो-दो विमानों वाले मध्य भाग को सप्टरथ और चार-चार विमानों वाले भाग को नवरथ कहते हैं।

   बेसर शैली- इस स्थापत्य शैली का प्रादुर्भाव पूर्व मध्यकाल में हुआ। वास्तव में यह एक मिश्रित शैली है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की विशेषताएँ होती हैं। दक्कन भाग में कल्याणी के परवर्ती चालुक्यों द्वारा तथा होयसलों के द्वारा बनाए गए मंदिर बेसर शैली के उदाहरण है। बेसर शैली में बौद्ध चैत्यों के समान अर्धचंद्राकार संरचना भी देखी जाती है; जैसे- एहोल का दुर्गामंदिर।
2. राजराजा प्रथम द्वारा निर्मित 'राजराजेश्वर मन्दिर' भूमि से 94 मीटर ऊँचा है। इसके पूर्व में गोप्पुरम स्थित है। चोल शासकों ने विशाल मूर्तियाँ भी बनवायीं, जिनमें अनेक देवी-देवताओं की पाषाण तथा कांस्य प्रतिमाएँ भी सम्मिलित हैं। नटराज की कांस्य मूर्ति इस तरह का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।
3. तंजौर का 'बृहदेश्वर मन्दिर' द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। मन्दिर का बहुमंजिला

शिखर, सूक्ष्म प्रतिमाओं से सुसज्जित है। इसमें एक स्तम्भयुक्त भवन या 'मण्डप', एक सभागार तथा गर्भगृह के चारों ओर गलियारा है। स्तम्भों पर अद्‌भुत चित्रकारी की गई है। मन्दिर का प्रांगण विशाल तथा गोपुरम (द्वार तोरण) ऊँचे हैं। मन्दिर के प्रवेश द्वार पर नन्दी बैल की मूर्ति है।

4. तुर्क अपने साथ पश्चिमी एवं मध्य एशिया तथा दक्षिण-पश्चिमी यूरोप की कलाएँ लाए थे। विभिन्न शैलियों के सम्मिश्रण से एक नयी स्थापत्य शैली 'इण्डो-इस्लामी' का विकास हुआ। सल्तनत युग की अधिकांश प्रारम्भिक इमारतों में सही अनुपात का अभाव दिखायी देता है, किन्तु बाद की इमारतों में सममितता तथा उचित तालमेल मिलता है। इनमें हिन्दू चित्रकारी तथा इस्लामी स्थापत्य शैली का सम्मिश्रण पाया जाता है। अधिकांश इमारतें ईंट तथा पत्थरों से निर्मित हैं। स्मारकों में भव्यता का अभाव है। तुर्क लोगों ने इमारतों में रोमन शैली की एक प्रमुख विशेषता गुम्बजों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। उन्होंने इमारतों की सजावट के लिए खुशखती का प्रयोग किया। इमारतों पर कुरान की आयतें उकेरी गयी तथा हिन्दू चित्र बनाए गए। इन भवनों के निर्माण में लाल तथा पीला बालू का पत्थर एवं संगमरमर का प्रयोग किया गया था।

   दिल्ली की महत्त्वपूर्ण स्थापत्य संरचनाओं में कुतुबमीनार तथा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद प्रमुख हैं।

5. शाहजहाँ को 'मुगलकाल का इंजीनियर' कहा जाता है। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमल का निर्माण करवाया। यह सफेद संगमरमर से बनी विश्व की सबसे खूबसूरत रचना है। आगरा का किला, शाहजहाँ द्वारा निर्मित हिन्दू व स्थापत्य कला का बहुत खूबसूरत नमूना है।

च. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. **उत्तर भारत में स्थापत्य कला (600-1200 ई0)-** राजपूतों ने बड़ी संख्या में महलों, किलों, मन्दिरों एवं अन्य कलात्मक वस्तुओं का निर्माण कराया। उत्तर भारत के मन्दिरों में स्थापत्य की दो विशिष्ट शैलियों का प्रयोग किया गया है– उत्तर भारत में 'नागर' शैली तथा मध्य भारत में 'बेसर' शैली।

   राजस्थान में बड़ी संख्या में मन्दिर मिलते हैं। जोधपुर के निकट अनेक मन्दिर, जो आठवीं तथा नवीं शताब्दी के हैं, नागर शैली में निर्मित हैं। ओसिया के 'पंचायतन मन्दिर' तथा 'सूर्य मन्दिर' सौन्दर्य तथा शैली में अतुल्य हैं। दिलवाड़ा (माउण्ट आबू, राजस्थान) के जैन मन्दिर, मन्दिर-स्थापत्य के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। ये मन्दिर श्वेत संगमरमर के बने हैं। इनके भीतरी भाग में सूक्ष्म कलाकृतियाँ उत्कीर्ण मिलती हैं, जबकि इनका बाह्य भाग साधारण है। गुजरात के मन्दिर राजस्थानी शैली के ही हैं। सोलंकी शासकों ने उदारतापूर्वक दान देकर मन्दिरों का निर्माण कराया था। 'सोमनाथ मन्दिर' सोलंकी शैली का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है।

   उड़ीसा (ओडिशा) के शासकों को मन्दिर-निर्माण में विशेष रुचि थी। भुवनेश्वर तथा उसके निकट अनेक मन्दिर स्थित हैं, जिनमें 'परशुराम मन्दिर', 'मुक्तेश्वर मन्दिर' तथा 'राजा-रानी मन्दिर' उल्लेखनीय हैं। 'लिंगराज मन्दिर', मन्दिर निर्माण-कला का अप्रतिम उदाहरण है। पुरी का 'विष्णु-परशुराम मन्दिर' तथा कोणार्क का 'सूर्य मन्दिर' भी अद्वितीय हैं। मध्य भारत में बड़ी संख्या में मन्दिर स्थित हैं। अमरकण्टक प्रदेश में 'केशवनारायण मन्दिर', 'मत्स्येन्द्रनाथ मन्दिर' तथा सोहागपुर (रीवा) में 'विराटेश्वर मन्दिर' आदि महत्त्वपूर्ण हैं। मन्दिर-स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण चन्देल शासकों द्वारा निर्मित 'खजुराहो के मन्दिर' हैं। 'कन्दरिया महादेव मन्दिर', 'पार्श्वनाथ मन्दिर' आदि कला भी उत्कृष्ट स्थापत्य कला के नमूने हैं।

2. **दक्षिणी भारत में स्थापत्य कला (800-1200 ई0) (Architecture in South India 800-1200 AD)-** दकन के राष्ट्रकूट, कांची के पल्लव, द्वारसमुद्र के होयसल तथा तमिलनाडु के चोल शासक कला एवं स्थापत्य के महान संरक्षक थे। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण-प्रथम ने नवीं शताब्दी में एलोरा में सुप्रसिद्ध 'कैलाश मन्दिर' का निर्माण कराया, जो शिलाओं को काटकर बनाए गए थे। यह मन्दिर रामायण तथा महाभारत के कथा-प्रसंगों पर आधारित तराशी हुई प्रतिमाओं से सुसज्जित है। इस मन्दिर को विश्व में स्थापत्य का एक अनूठा उदाहरण माना जाता है। राष्ट्रकूटों ने एलिफेण्टा द्वीप पर शिलाओं को काटकर बनाए गए 'शिव मन्दिर' का निर्माण भी कराया।

पल्लवों द्वारा मामल्लपुरम (महाबलिपुरम) में निर्मित 'रथ-मन्दिर' कला के अनूठे उदाहरण हैं। ये एक ही शिला को तराशकर बनाए गए हैं। नन्दिवर्मन ने कांची में 'मुक्तेश्वर मन्दिर' तथा 'बैकुण्ठ पेरूमल मन्दिर' का निर्माण कराया। होयसलों ने हेलेबिड में 'होयसलेश्वर मन्दिर' बनवाया। चोल शासकों ने स्थापत्य-कला को अनुपम योगदान दिया। उनके तंजौर तथा गंगईकोण्डचोलपुरम नगर बागों, भवनों, मन्दिरों तथा महलों से सुसज्जित थे।

तंजौर का 'बृहदेश्वर मन्दिर' द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। मन्दिर का बहुमंजिला शिखर, सूक्ष्म प्रतिमाओं से सुसज्जित है। इसमें एक स्तम्भयुक्त भवन या 'मण्डप', एक सभागार तथा गर्भगृह के चारों ओर गलियारा है। स्तम्भों पर अद्‌भुत चित्रकारी की गई है। मन्दिर का प्रांगण विशाल तथा गोपुरम (द्वार तोरण) ऊँचे हैं। मन्दिर के प्रवेश द्वार पर नन्दी बैल की मूर्ति है।

राजराजा प्रथम द्वारा निर्मित 'राजराजेश्वर मन्दिर' भूमि से 94 मीटर ऊँचा है। इसके पूर्व में गोप्पुरम स्थित है।

चोल शासकों ने विशाल मूर्तियाँ भी बनवायीं, जिनमें अनेक देवी-देवताओं की पाषाण तथा कांस्य प्रतिमाएँ भी सम्मिलित हैं। नटराज की कांस्य मूर्ति इस तरह का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।

3. तुर्क अपने साथ पश्चिमी एवं मध्य एशिया तथा दक्षिण-पश्चिमी यूरोप की कलाएँ लाए थे। विभिन्न शैलियों के सम्मिश्रण से एक नयी स्थापत्य शैली 'इण्डो-इस्लामी' का विकास हुआ। सल्तनत युग की अधिकांश प्रारम्भिक इमारतों में सही अनुपात का अभाव दिखायी देता है, किन्तु बाद की इमारतों में सममितता तथा उचित तालमेल मिलता है। इनमें हिन्दू चित्रकारी तथा इस्लामी स्थापत्य शैली का सम्मिश्रण पाया जाता है। अधिकांश इमारतें ईंट तथा पत्थरों से निर्मित हैं। स्मारकों में भव्यता का अभाव है। तुर्क लोगों ने इमारतों में रोमन शैली की एक प्रमुख विशेषता गुम्बजों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। उन्होंने इमारतों की सजावट के लिए खुशखती का प्रयोग किया। इमारतों पर कुरान की आयतें उकेरी गयी तथा हिन्दू चित्र बनाए गए। इन भवनों के निर्माण में लाल तथा पीला बालू का पत्थर एवं संगमरमर का प्रयोग किया गया था।

दिल्ली की महत्त्वपूर्ण स्थापत्य संरचनाओं में कुतुबमीनार तथा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद प्रमुख हैं। अलाउद्‌दीन खिलजी ने कुतुब कॉम्प्लेक्स के निकट एक नई राजधानी सीरी का निर्माण कराया। उसने कुतुब कॉम्प्लेक्स का प्रवेश द्वार भी बनवाया था, जिसे अलाई दरवाजा कहा जाता है।

गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद तथा फिरोजशाह तुगलक ने कोटला फिरोजशाह की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की आकृति 'अष्टभुजीय' है। लोदी सुल्तानों की कब्रें बागों के भीतर बनवाई गई थी। लोदी इमारतें ऊँचे चबूतरों पर बनाई जाती थीं। लोदी

सुल्तान बागों के शौकीन थे, अतः उन्होंने इन इमारतों के चारों ओर बाग बनवाए। दिल्ली का लोदी गार्डन इसका सुन्दर उदाहरण है।

जौनपुर के शर्की शासकों ने इण्डो-इस्लामिक शैली में सुन्दर मस्जिदें बनवाईं। गुजरात के शासक अहमदशाह ने अहमदाबाद नगर बसाया। मालवा के शासकों ने महल तथा किले बनवाए। कश्मीर के शासकों ने इमारतों में लकड़ी का प्रयोग किया जबकि बंगाल की इमारतें मुख्य रूप से ईंटों से निर्मित हैं। बहमनी सुल्तानों द्वारा निर्मित बीजापुर का गोल गुम्बद एशिया का विशालतम गुम्बज है।

4. मुगल शासकों ने हिन्दू तथा फारसी स्थापत्य शैलियों के मिश्रण से निर्मित अनेक स्मारकों का निर्माण करवाया।

बाबर द्वारा निर्मित अधिकांश इमारतें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं; केवल तीन ही अभी स्थित हैं, जिनमें एक पानीपत के काबुली बाग में, दूसरी सम्भल (उ0प्र0) में जामी मस्जिद तथा तीसरी आगरा के पुरानी लोदी किले में स्थित है। हुमायूँ ने दो इमारते बनवायीं, जिनमें हिसार के फतेहाबाद में एक विशाल मस्जिद सम्मिलित है।

शेरशाह सूरी ने दिल्ली में (पुराना किला) विशाल महल बनवाया। बिहार के शाहाबाद जिले के सासाराम में शेरशाह का मकबरा तथा नारनौल (हरियाणा) में उसके पिता का मकबरा इण्डो-इस्लामी शैली में निर्मित हैं।

अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक प्रसिद्ध नगर बसाया तथा आगरे का लालकिला बनवाया। अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी का बुलन्द दरवाजा एक प्रभावशाली प्रवेश द्वार है। इसी स्थान पर अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारकें व इमारते हैं।

जहाँगीर ने चित्रकला तथा बागों के निर्माण में अधिक रुचि दिखाई। जहाँगीर ने कश्मीर में निशात बाग का निर्माण करवाया। उसने सिकन्दरा में अकबर द्वारा निर्मित मकबरों का निर्माण पूरा कराया। नूरजहाँ ने ऐतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया, जो 'पीट्रा-ड्यूरा' संगमरमर से बनाया गया है।

शाहजहाँ को 'मुगलकाल का इंजीनियर' कहा जाता है। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमल का निर्माण करवाया। यह सफेद संगमरमर से बनी विश्व की सबसे खूबसूरत रचना है। आगरा का किला, शाहजहाँ द्वारा निर्मित हिन्दू व स्थापत्य कला का बहुत खूबसूरत नमूना है।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

5. नगर, व्यापारी एवं शिल्पकार

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (द) ये सभी 2. (अ) मालखेद 3. (स) सीरी 4. (स) कर्नाटक

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. दक्षिण 2. महमूद गजनवी 3. कृष्णा, तुंगभद्रा 4. आन्ध्र प्रदेश

ग. सही मिलान कीजिए–

(अ)	(ब)
चोल, पाण्डय, चेर	मराठों की राजधानी
हम्पी	दक्षिण राज्य
पुणे	प्राचीन पत्तन
ताम्रलिप्ति	विजयनगर

घ. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. यादवों की राजधानी देवगिरि में स्थित थी।
2. बहमनी अहमदाबाद, बीजापुर तथा गोलकुण्डा में राज्य करते थे।
3. मुगलकाल के दो व्यापारिक नगर थे- खम्भात व सूरत।
4. मूर मुस्लिम सौदागरों का सामूहिक नाम था।

ङ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. मध्यकाल में नगरीकरण का सम्बन्ध समकालीन शासकों तथा राजनीतिक कारणों से रहा है। विभिन्न विदेशी यात्रियों अलबरुनी (1017-1030), इब्नबतूता (1333-1342), मार्को पोलो (1288 ई0) आदि के वृत्तान्तों से हमें नगरीकरण तथा शिल्प-व्यापार की महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में तमिल साहित्य नगरीकरण पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं।
2. **उत्तर भारत में नगरीकरण-** सन् 600-1000 ई0 के दौरान छोटे हिन्दू राजाओं के संरक्षण में उत्तर भारत में नगरीकरण की प्रगति धीमी रही। राजपूत राजाओं ने मारवाड़, मेवाड़ तथा मालवा में अनेक नगर स्थापित किये, जबकि पाल राजाओं ने गंगा डेल्टा में नगरीकरण का विकास किया। गंगा के मैदान में प्राचीन तथा प्रतिष्ठित नगरों ने राजवंशों के उत्थान एवं पतन के साथ अनेक चढ़ाव तथा उतार देखे।

   महमूद गजनवी के आक्रमण ने उत्तर-पश्चिमी तथा पश्चिमी भारत के नगरों को तहस-नहस कर दिया। बाद में सुल्तानों ने वर्तमान दिल्ली के स्थान पर अनेक नगर बसाये। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बसाया गया सीरी (अब खण्डहर) तथा तुगलकों द्वारा बसाये गये तुगलकाबाद एवं जहानाबाद नगर वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित हैं।

   अलबरूनी तथा इब्नबतूता ने 1000-1526 ई0 तक के लगभग 50 नगरों का उल्लेख किया है, जो पहले भी विद्यमान थे। उत्तर भारत के दो प्रमुख नगर दिल्ली तथा आगरा थे। दिल्ली आज भी देश का प्रमुख नगर बना हुआ है। मथुरा, थानेश्वर, इलाहाबाद, वाराणसी, पाटलिपुत्र, ग्वालियर, उज्जैन, धार, सोमनाथ, मेरठ, पानीपत, भड़ौच, बड़ौदा तथा श्रीनगर अन्य प्रमुख नगर थे।
3. हम्पी वास्तुकला की दृष्टि से विशिष्टि है। यहाँ के शाही महलों में भव्य गुंबद व मेहराब थे। यहाँ स्तम्भों वाले कई बड़े-बड़े कक्ष थे। यहाँ सुनियोजित बाग-बगीचों का भी निर्माण किया गया था। 15-16 वीं शताब्दी में हम्पी व्यापारिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। उन दिनों बाजार में चेट्टियो, पुर्तगालियों, मूरों (मुस्लिम सौदागरों का सामूहिक नाम) आदि व्यापारियों की भीड़ लगी रहती थी। मंदिरों में भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती रहती थी।
4. भारत में अनेक धार्मिक नगर एवं तीर्थ स्थान हैं। हिन्दुओं के प्रमुख तीर्थ- हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वाराणसी (प्राचीनकाल में काशी), प्रयाग (आधुनिक इलाहाबाद अब प्रयागराज), कांची, शृंगेरी, द्वारकापुरी इत्यादि हैं। बौद्धों के बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर आदि, जैनियों का श्रवणबेलगोला, अमृतसर, ननकाना साहब, पटना आदि प्रमुख धार्मिक केन्द्र हैं।

च. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. दकन एवं दक्षिणी भारत में नगरीकरण 800-1300 ई0 दक्षिण भारत में विभिन्न राजवंशों के उदय होने के फलस्वरूप नगरीकरण को पर्याप्त बढ़ावा मिला। दकन में बादामी (चालुक्य), वेंगी (कल्याणी के चालुक्य), मालखेद (राष्ट्रकूट), द्वारसमुद्र (होयसल), देवगिरि (यादव) तथा दक्षिण में काँची (पल्लव), मदुरै (पाण्ड्य) एवं तंजौर (शाही चोल) प्रमुख राजवंशों के राजधानी नगर थे। चोलों ने तमिल प्रदेशों में 900-1300 ई0 के दौरान शासन किया। यहाँ तंजौर, कुम्भकोणम, तिरुचिरापल्ली, कुद्धलौर, नागपट्टिनम आदि अनेक नगर विकसित हुए, जो आज भी विद्यमान हैं।

   बाद में दकन अनेक मुस्लिम तथा हिन्दू राज्यों में बँट गया था। अहमदाबाद, बीजापुर तथा गोलकुण्डा के बहमनी राज्यों को विजयनगर साम्राज्य के तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। मराठों की शक्ति का विकास सत्रहवीं शताब्दी में हुआ। उन्होंने पुणे में अपनी राजधानी को स्थापित किया। उन्होंने दक्षिण में मदुरै तथा तंजौर तक अपना नियन्त्रण रखा।

   दकन में गोलकुण्डा, बीजापुर, अहमदनगर, गुलबर्गा, बादामी, कोल्हापुर, पुणे, हम्पी तथा हैदराबाद प्रमुख नगर हैं। इनमें कुछ नगर आज भी महत्त्वपूर्ण हैं। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुण्डा तथा हैदराबाद मुसलमान शासकों की राजधानियाँ थे, जबकि हम्पी तथा पुणे हिन्दू राजनीतिक शक्ति के प्रतीक थे। दक्षिण में चोल, पाण्ड्य, चेर आदि के प्राचीन राज्य समाप्त हो चुके थे। वहाँ नगरीकरण स्थिर-प्राय रहा। मराठों तथा स्थानीय शासकों ने दक्षिण के मन्दिर-नगरों की पूर्ववर्ती समृद्धि को कायम रखा।

2. मुगलकाल में नगरीकरण मुगल काल राजनीतिक स्थिरता तथा आर्थिक सम्पन्नता का युग था। यहाँ पुराने स्थापित नगरों का पुनरुत्थान हुआ तथा कुछ नए नगर बसाए गए।

   आगरा, सीकरी, दिल्ली, अहमदाबाद, कैम्बे, एलिचपुर, बुरहानपुर, अजमेर, उज्जैन, माण्डू, अवध, लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, बिहार एवं कटक सोलह बड़े नगर थे। इनमें से चार बड़े नगर दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ तथा वाराणसी आज भी मौजूद है। कुछ नगर जैसे– सीकरी, नष्ट हो चुके हैं। मुगलों ने नये नगरों की स्थापना की अपेक्षा पुराने नगरों को ही पुनर्जीवित किया।

   राजधानी नगर अपने समय के सबसे बड़े तथा प्रभावशाली नगर हुआ करते थे, मुगलकाल में दिल्ली, सीकरी तथा आगरा राजधानी नगर रहे। पुणे का उदय मराठों की राजधानी के रूप में हुआ।

   मुगलकाल में नगरीकरण का एक प्रमुख कारक परम्परागत वस्त्र, धातुकर्म तथा विभिन्न कलाओं, शिल्पों तथा उद्योगों का विकास रहा। ढाका, वाराणसी तथा हैदराबाद उद्योग एवं शिल्पों के प्रमुख नगरीय केन्द्र थे। शिल्पों तथा उद्योगों के स्वामी धनाढ्य लोग होते थे, किन्तु शिल्पी तथा कारीगर नगरीय समाज के निर्धन लोग होते थे। ऐसे नगर राजधानी नगरों की अपेक्षा छोटे होते थे।

   विदेशी व्यापार का विकास भी नगरीकरण का एक प्रमुख कारक रहा है। खम्भात, सूरत, बुरहानपुर, सतगाँव, चटगाँव तथा हुगली इस युग के सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नगर थे। मालवा में स्थित बुरहानपुर मुगल साम्राज्य तथा दकन राज्यों के मध्य व्यापार का प्रमुख केन्द्र था। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशी व्यापार बहुत उन्नत रहा है। अतएव पश्चिमी तथा पूर्वी तट पर अनेक पत्तन नगर विकसित हो गए। खम्भात, सोपाड़ा, भड़ौच, सूरत, कोचीन,

गोवा तथा क्विलोन अफ्रीकी, दक्षिण-पश्चिम एशियाई तथा अनेक यूरोपीय देशों के साथ उन्नत व्यापार के कारण भारत के पश्चिमी तट पर विकसित हुए।

पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति (आधुनिक तामलुक) बंगाल का एक प्राचीन पत्तन था। पुहार या कावेरीपत्तनम आधुनिक तमिलनाडु के तट पर स्थित पत्तन था। मसुलीपत्तनम भी एक अन्य पत्तन नगर था।

3. **(i) हम्पी : एक स्थापित नगर**- हम्पी (पूर्ववती विजयनगर) कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटियों में विकसित है। यह नगर 1336 ई0 में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख केन्द्र था। यह नगर दक्षिण भारत में विस्तृत विशाल विजयनगर साम्राज्य के संगम, सलुव तथा तुलुव राजवंशों की राजधानी रहा है। इसकी स्थापना चौदहवीं शताब्दी के मध्य में की गयी थी, किन्तु इसे 1565 ई0 में बीजापुर, गोलकुण्डा तथा अहमदनगर के सुल्तानों की सेनाओं ने जलाकर नष्ट कर दिया। अनेक फारसी, इतालवी तथा पुर्तगाली पर्यटकों ने राजधानी की भव्यता का वर्णन किया है। पूर्ववर्ती विजयनगर साम्राज्य के खण्डहर, वर्तमान हम्पी गाँव तथा निकटवर्ती खेतों आदि में देखे जा सकते हैं।

(ii) मसुलीपत्तनम : एक पत्तन नगर- कृष्णा नदी के डेल्टा पर, आन्ध्र प्रदेश राज्य में मसुलीपत्तनम (आधुनिक मछलीपत्तनम) स्थित है, जो प्रथम डच उपनिवेश था। डच लोगों ने इसे 1620 ई0 में अंग्रेजों को सौंप दिया था। इसका प्रवेश मार्ग दलदली भूमि से होकर जाता था। आज यहाँ ध्वस्त दीवारों के खण्डहरों से अधिक कुछ नहीं है, किन्तु इसके स्वर्णिम दिनों में इसका बहुत महत्त्व था। इसी कारण इस पर अनेक बार विविध शक्तियों ने अधिकार किया। ऐसा माना जाता है कि इस नगर की स्थापना अरब के व्यापारियों द्वारा चौदहवीं शताब्दी में की गयी थी। सातवाहनों के काल में यह उन्नत समुद्री पत्तन था, जो बहुत समय तक वारंगल के हिन्दू राजा के अधिकार में रहा। सन् 1478 ई0 में इस पर उड़ीसा (ओडिशा) के मुसलमान शासक ने अधिकार कर लिया। सन् 1589 ई0 में इस पर विजयनगर शासकों का आधिपत्य रहा। डच यहाँ 1605 ई0 में, अंग्रेज 1611 ई0 में तथा फ्रेंच 1750-59 ई0 में आए। अन्ततः 1759 ई0 में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। सन् 1854 ई0 में यहाँ आए एक भयंकर समुद्री तूफान (चक्रवात) तथा विनाशकारी ज्वारीय लहरों ने इस नगर को नष्ट कर दिया। किले के खण्डहर अब भी शेष हैं।

(iii) सूरतः एक व्यापारिक नगर- सूरत नगर खम्भात की खाड़ी में ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस नगर की स्थापना 'गोपी' नामक एक हिन्दू ब्राह्मण ने 1516 ई0 में की थी। इस नगर पर मुसलमान, पुर्तगाली, मुगल, मराठा आदि आक्रान्ताओं ने बारहवीं से पन्द्रहवीं शताब्दियों के मध्य अनेक आक्रमण किये। सन् 1514 ई0 में पुर्तगाली यात्री दुआर्त बारडोसा ने सूरत का वर्णन एक अग्रणी पत्तन के रूप में किया। सन् 1512-30 ई0 के मध्य पुर्तगालियों ने इस नगर को जला डाला। कालान्तर में यह नगर वस्त्र तथा स्वर्ण का प्रमुख निर्यातक बन गया। इसके प्रमुख उद्योग वस्त्रोत्पादन तथा जलपोत निर्माण थे। अंग्रेजों ने 1612 ई0 में यहाँ अपनी प्रथम भारतीय 'फैक्ट्री' (व्यापारिक चौकी) की स्थापना की। अठारहवीं शताब्दी के दौरान यह नगर पतनोन्मुख रहा। इस पर ब्रिटिश तथा डच दोनों शक्तियों ने अपना नियन्त्रण जताया, अन्ततः 1800 ई0 में यह ब्रिटिश नियन्त्रण में आ गया।

(iv) नगरों में शिल्प- बीदर में ताँबे तथा चाँदी की जड़ाई का काम होता था। यहाँ के शिल्पी जड़ाई के काम में बहुत प्रसिद्ध थे, जिसके कारण 'बीदरी' शिल्प का विकास हुआ। विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत बढ़ई, सुनार, लोहार, कसेरे तथा राजमिस्त्री आते
थे, जो मंदिरों के निर्माण तथा अन्य शिल्प कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। इस समुदाय को पांचाल भी कहा जाता था। ये तालाब, बड़े-बड़े भवन आदि का निर्माण भी करते थे। मंदिरों को भारी दान-दक्षिणा देने में सालियार या कैक्कोलार प्रमुख थे। ये बुनकर थे। उस समय वस्त्र-निर्माण से संबंधित अन्य प्रमुख स्वतंत्र व्यवसाय थे– कपास की सफाई, कताई, रँगाई आदि।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

6. जनजातियाँ व खानाबदोश समुदाय

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (स) गुजरात 2. (ब) मध्य प्रदेश 3. (अ) खानाबदोशों को 4. (द) कामरूप

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. अप्रवास 2. घुमंतू 3. 8.2 प्रतिशत 4. असम

ग. सही कथन पर (3) का तथा गलत कथन पर (7) का चिह्न लगाइए–

1. (3) 2. (7) 3. (7) 4. (3)

घ. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. स्थानान्तरण के दो पहलू हैं- अप्रवास तथा उत्प्रवास।
2. बंजारा जाति के लोगों के कारवाँ को टांडा कहा जाता था।
3. स्थानांतरित जनजाति कृषक असम, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड में रहते है।
4. गोंड जनजाति के लोग पहाड़ी ढालों पर सोपानी खेती बनाकर भी कृषि करते हैं, जिसे पेंडा कृषि कहा जाता है।
5. अहोम लोगों की महान उपलब्धि मुगलों को असम में प्रवेश करने से रोकना था।

ङ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. व्यक्ति विभिन्न कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये कारण विभिन्न प्रकार के होते हैं– आर्थिक, राजनीतिक तथा पर्यावरणीय। प्रभुत्व, युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता आदि राजनीतिक कारक हैं, जो किसी समुदाय को किसी अन्य स्थान पर जाकर शरण लेने हेतु विवश करते हैं। आर्थिक कारकों में भुखमरी, सूखा, अकाल, बेरोजगारी आदि सम्मिलित हैं जो लोगों को अपना घर हमेशा के लिए छोड़कर अन्यत्र बस जाने हेतु बाध्य करते हैं। तूफान, बाढ़ तथा भूकंप जैसे प्रतिकूल पर्यावरणीय कारणों से लोगों के खेत, घर आदि नष्ट हो जाते हैं, तब उन्हें इधर-उधर शरण लेनी पड़ती है।
2. खानाबदोशों को चारावाहे भी कहा जाता है। ये अपने जानवरों के साथ दूर-दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध व अन्य पशु-उत्पादों पर निर्भर था। खानाबदोश लोग स्थायी लोगों से अनाज, कपड़े, बर्तन के लिए घी व अन्य पशु-उत्पादों का विनिमय करते थे। कुछ खानाबदोश अपने पशुओं पर सामानों की ढुलाई का भी काम करते थे।
   खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं, जो अपने पशुओं के झुंड के साथ एक चारागाह से दूसरे

चारागाहों पर घूमते रहते हैं। बंजारा जाति के लोगों को खानाबदोश कहा जाता था। वे कारवाँ बनाकर चलते थे तथा उनके कारवाँ को टांडा कहा जाता था।

3. गोंड, संथाल, भील क्रमशः भारत की सबसे बड़ी जनजातियाँ हैं। ''एक समान बोली बोलने वाले, एक समान क्षेत्र में रहने वाले तथा समान संस्कृति अपनाने वाले लोग जनजाति कहलाते हैं। न्याय के आंतरिक प्रशासन तथा बाह्य संबंधों की दृष्टि से ये एक राजनीतिक इकाई होते हैं।''
4. ये लोग स्थानांतरी कृषि करते हैं, जिसे स्थानीय रूप से 'दिप्पा-कृषि' कहा जाता है। यह असम की 'झूम-कृषि' जैसी है। ये लोग पहाड़ी ढालों पर सोपानी खेती-बनाकर भी कृषि करते हैं, जिसे 'पेंडा कृषि' कहा जाता है। ये कृषि-श्रमिकों के रूप में भी कार्य करते हैं। कुछ उपवर्ग मत्स्योत्पादन करते हैं। पशुपालन भी इनकी आजीविका का स्रोत है। ये वनोपज संग्रह भी करते हैं।
5. आंतरिक मतभेदों एवं गृहयुद्धों ने अहोम राज्य के सभी संसाधनों का विनाश कर दिया। सन् 1818 ई0 में बर्मी लोगों ने असम पर आक्रमण करके अहोम राजा को देश छोड़ने पर मज़बूर कर दिया। अंततः 1826 ई0 में ब्रिटिश लोगों ने हस्तक्षेप करके बर्मी लोगों को असम से भगा दिया तथा यांदाबू की संधि के अनुसार असम पर ब्रिटिशों ने अधिकार कर लिया।

च. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. **जनजातियाँ, बंजारे तथा घुमक्कड़ समूह-** भारत की अधिकांश जनसंख्या स्थायी जीवन व्यतीत करती है, किंतु व्यक्तियों के कुछ ऐसे समूह हैं, जो स्थानांतरणशील तथा आदिवासी जीवन बिताते हैं। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) की जनसंख्या 8.2 प्रतिशत है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली तथा पांडिचेरी (वर्तमान पदुच्चेरि) को छोड़कर शेष लगभग सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में जनजातियों की जनसंख्या के विचार से मध्य प्रदेश राज्य सर्वोपरि है। झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा (वर्तमान ओडिशा), छत्तीसगढ तथा आंध्र प्रदेश में भी क्रमशः जनजातियों की जनंसख्या अधिक है। चारावाहे खानाबदोश कहलाते हैं। उनका जीवन दूध, पशु-उत्पादों आदि पर निर्भर होता है। खानाबदोश लोग स्थायी लोगो से अनाज कपड़े, बर्तन के लिए धी व अन्य पशु-उत्पादों का विनिमय करते थे। कुछ खानाबदोश उपने पशुओं पर सामनों की दुलाई का भी काम करते थे।

   गोंड, संथाल, भील क्रमशः भारत की सबसे बड़ी जनजातियाँ हैं। ''एक समान बोली बोलने वाले, एक समान क्षेत्र में रहने वाले तथा समान संस्कृति अपनाने वाले लोग जनजाति कहलाते हैं। न्याय के आंतरिक प्रशासन तथा बाह्य संबंधों की दृष्टि से ये एक राजनीतिक इकाई होते हैं।''

   भारतीय जनजातियों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। आजीविका के साधनों के आधार पर इन्हें चार वर्गों में रखा जा सकता है–

   1. कृषक, कारीगर एवं जातियाँ; जैसे– मध्य प्रदेश के गोंड तथा झारखंड के संथाल एवं ओराँव।
   2. घुमक्कड़ी या बंजारे वर्ग।
   3. स्थानांतरित कृषक; जैसे– असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के जनजाति वर्ग।
   4. आखेटक, मछुआरे, भोजन संग्रहकर्त्ता; जैसे– अंडमान द्वीपों के ओंगे तथा जरावाँ।

   बंजारा वर्ग में झारखंड के बिरहोर, उड़ीसा के पेंटिया, राजस्थान के गाड़िया-लुहार, हिमाचल प्रदेश के गद्दी तथा गुजरात के रबाड़ी, बंजारे तथा लंबाड़ी।

   पड़ोसी समुदायों से संपर्कों के कारण जनजातियों में अत्यधिक परिवर्तन हुए हैं। उदाहरणार्थ, पहले भील लोग मुख्यतः आखेट, भोजन-संग्रह तथा पशुचारण क्रियाओं में संलग्न रहते थे,

किंतु अब वे पूर्णतः स्थायी कृषक बन चुके हैं। इसके विपरीत उत्तराखंड के थारू जनजाति के लोग तराई के दलदली, वनाच्छादित तथा निवास के प्रतिकूल पर्यावरण में आज भी स्थायी रूप से मूल निवासी हैं। कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय है। नागा लोग मुख्यतः कृषक हैं, वे स्थानांतरी कृषि करते हैं तथा साथ ही आखेट व मत्स्योत्पादन भी करते हैं। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति अर्द्ध-घुमक्कड़ी है। वस्तुतः वे 'मौसमी स्थांनातरण' अपनाते हैं, साथ ही कृषि भी करते हैं।

2. **गोंडवाना राज्य-** गोंडवाना को 'गोंडारण्य' भी कहते हैं। यह मध्य भारत का एक ऐतिहासिक प्रदेश है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में है। यहाँ द्रविड़ वर्ग की गोंड जनजाति निवास करती है, जिसकी जनसंख्या 75 लाख से अधिक है। मुस्लिम वृत्तांतों में इसका सर्वप्रथम उल्लेख चौदहवीं शताब्दी में किया गया था। गोंड जनजाति राज्य-निर्माण का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। मानवशास्त्री के अनुसार ये प्राक-द्रविड़ हैं। इनकी नाक चपटी, त्वचा का रंग गहरा (श्याम वर्ण), मोटे होंठ, सीधे बाल तथा ठिगना कद, इनके विशिष्ट शारीरिक लक्षण हैं। गोंडी तथा मात्री इनकी भाषा है, जो इंडो-आर्य वर्ग से मिलती-जुलती है। ये लोग स्थानांतरी कृषि करते हैं, जिसे स्थानीय रूप से 'दिप्पा-कृषि' कहा जाता है। यह असम की 'झूम-कृषि' जैसी है। ये लोग पहाड़ी ढालों पर सोपानी खेती-बनाकर भी कृषि करते हैं, जिसे 'पेंडा कृषि' कहा जाता है। ये कृषि-श्रमिकों के रूप में भी कार्य करते हैं। कुछ उपवर्ग मत्स्योत्पादन करते हैं। पशुपालन भी इनकी आजीविका का स्रोत है। ये वनोपज संग्रह भी करते हैं।

   गोंड शासक-परिवारों ने अनेक प्राचीन राज्यों की स्थापना की थी। चौदहवीं से अठारहवीं शताब्दी के मध्य इस क्षेत्र में शक्तिशाली गोंड राजवंश विद्यमान थे। वे या तो स्वतंत्र रहे या मुगलों के आधीन सेवारत रहे। अठारहवीं शताब्दी में मराठों ने इस क्षेत्र को विजित कर लिया, तब गोंडवाना राज्य के अधिकांश भाग को नागपुर के भोंसले राजाओं या हैदराबाद के निजाम के क्षेत्रों में मिला लिया गया। तब गोंड लोगों ने भागकर दुर्गम पहाड़ियों में शरण ली तथा जनजातीय लुटेरे बन गए। सन् 1818-53 ई0 के मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग पर ब्रिटिश लोगों का अधिकार हो गया। कुछ छोटे राज्यों में गोंड राजाओं ने 1947 ई0 में भारत के स्वतंत्र होने तक शासन किया।

   जबलपुर के आस-पास गढ़-मांडला क्षेत्र के अतिरिक्त गोंडों के दो अन्य उल्लेखनीय ऐतिहासिक केंद्र देवगढ़ तथा चंद्रपुर हैं। देवगढ़ के गोंड राजा बख्त बुलंद ने नागपुर की स्थापना की थी, जिसके दक्षिण में महाराष्ट्र में चंद्रपुर स्थित है।

3. **अहोम राज्य-** 'अहोम' शब्द से 'असम' की उत्पत्ति हुई है। अहोम जनजाति तेरहवीं शताब्दी में 1838 ई0 से ब्रिटिश शासन की स्थापना होने तक अधिकांश असम प्रदेश में शासन करती रही। अहोम लोगों का उद्‌गम चीन के युन्नान प्रांत से माना जाता है, जो ईसा की प्रथम शताब्दी में इंडो चीन तथा उत्तरी म्याँमार (पूर्ववर्ती बर्मा) होते हुए भारत में प्रविष्ट हुई थी। सबसे आरंभ में असम कामरूप राज्य का एक भाग था, जिसकी राजधानी आधुनिक गुवाहाटी (प्राग्ज्योतिषपुर) थी। प्राचीन कामरूप राज्य रंगपुर प्रदेश (बांग्लादेश), ब्रहमपुत्र घाटी, कूचबिहार (पश्चिम बंगाल) तक विस्तृत था। असम में काचारी, चुटिया, पाल, कोच आदि राजवंशों का शासन रहा। अहोम लोगों के आगमन (तेरहवीं शताब्दी) तक इनमें परस्पर युद्ध होते रहे। अहोम लोगों ने म्याँमार से पटकोई श्रेणी पार करके ऊपरी असम घाटी (मैदान) पर नियंत्रण कर लिया। पंद्रहवीं शताब्दी में अहोम ऊपरी असम में सबसे शक्तिशाली थे। दो

शताब्दियों के बाद उन्होंने कचारा, कोच तथा स्थानीय शासकों के साथ मिलकर ग्वालपाड़ा तक के निचले असम प्रदेश पर नियंत्रण कर लिया।

अहोम लोगों की महान उपलब्धि मुगलों को असम में प्रवेश करने से रोकना था। मुगलों ने असम पर अधिकार के लिए बार-बार प्रयास किए। अंततः 1661 ई0 में औरंगजेब ने मीर जुमला को असम को विजयी करने के लिए भेजा। सन् 1662 ई0 में मीर जुमला ने अहोम क्षेत्र पर धावा बोल दिया, जिससे अहोम राजा जयध्वज सिंह को भागकर पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। महामारी, बाढ़ तथा अहोमों से निरंतर संघर्ष ने मीर जुमला को 1663 ई0 में संधि करने पर मजबूर कर दिया। सन् 1671 ई0 में पुनः गुवाहाटी के निकट अहोमों तथा मुगलों का युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की पराजय हुई। अहोमों की शक्ति एवं समृद्धि राजा रुद्रसिंह (1696-1714 ई0) के शासन-काल में शिखर पर पहुँच गई। किंतु अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अहोमों की शक्ति पतनोन्मुख हो गई। आंतरिक मतभेदों एवं गृहयुद्धों ने अहोम राज्य के सभी संसाधनों का विनाश कर दिया। सन् 1818 ई0 में बर्मी लोगों ने असम पर आक्रमण करके अहोम राजा को देश छोड़ने पर मज़बूर कर दिया। अंततः 1826 ई0 में ब्रिटिश लोगों ने हस्तक्षेप करके बर्मी लोगों को असम से भगा दिया तथा यांदाबू की संधि के अनुसार असम पर ब्रिटिशों ने अधिकार कर लिया।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

7. भक्ति आन्दोलन

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) शंकराचार्य 2. (ब) शैव संत 3. (स) अद्वैतवाद 4. (द) दाता बख्शी

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. बौद्ध 2. बंगाल 3. खानकाह 4. गुरु अर्जुनदेव

ग. सही मिलान कीजिए–

(अ)	(ब)
अलवार	उत्तर भारत
रामानुज	वैष्णव संत
ज्ञानेश्वरी	गुरु गोविन्द सिंह
पाँच ककार	भगवद्गीता पर टीका

घ. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. भक्ति आन्दोलन का उद्भव मुख्यतः दक्षिण भारत में हुआ।
2. कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के सन्त थे।
3. 'श्रीरामचरितमानस' की रचना तुलसीदास ने तथा 'सूरसागर' की रचना 'सूरदास' ने की।
4. फिरदोसी तथा शत्तारी सम्प्रदाय, जो सुहरावर्दी सम्प्रदाय की शाखाएँ थे,बंगाल में प्रचलित थे।
5. सिक्ख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे।

ङ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल में हिन्दू व इस्लाम दो प्रमुख धर्म थे। बड़े-बड़े राज्यों के उदय

होने से पहले सभी लोगों के अपने-अपने इष्ट देव थे। वे विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा करते थे। हिन्दू धर्म वर्ण-जाति-व्यवस्था के कारण जटिल हो गया था। मुस्लिमों में अनेक कुरीतियाँ तथा बुराइयाँ व्याप्त थीं। अतः इन सबसे दूर भागते लोगों में विभिन्न विचारों का उदय हुआ और भक्ति आन्दोलन का सूत्रपात हुआ।

2. अनेक भक्ति-संतों ने भारत के विभिन्न भागों में अपने मतों व उपदेशों का प्रचार किया। उनमें से एक शंकराचार्य थे, जिनका जन्म 8 वीं सदी में केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा व परमात्मा दोनों एक ही हैं तथा परम सत्य हैं। उन्होंने संसार को मिथ्या या माया कहा और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने के लिए तथा मुक्ति (मोक्ष) के मार्ग के लिए संन्यास को एकमात्र विकल्प बताया।
3. दक्षिण में बसवन्ना और अल्लमा प्रभु व अक्कमहादेवी जैसे संतों ने वीरशैव आन्दोलन का प्रारंभ कियाा। यह 12 वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति व नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने विचार रखे तथा सभी प्रकार के कर्मकांडों व मूर्तिपूजा का विरोध किया।
4. सूफी शब्द अरबी भाषा के 'सफा' शब्द से बना है, जिसका अर्थ है– पवित्र। मुसलमान सन्तों द्वारा प्रतिपादित शुद्धता एवं त्यागपूर्ण जीवन ही सूफीवाद कहलाया। सूफी सन्तों के अनुसार समस्त बहुदेववाद तथा वास्तविकता के पीछे एकता विद्यमान है। यह सिद्धान्त शेख मुईनुद्दीन अब्दुल अरबी (1165-1240 ई0) द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये सूफी सन्त बड़ी संख्या में नीची जातियों के हिन्दुओं को इस्लाम में प्रविष्ट कराने में सफल हुए। उन्होंने उर्दू भाषा का भी विकास किया, जो मुसलमानों तथा भारतीय लोगों के मध्य मेल-जोल का साधन बनी। सूफी सन्त अपने व्यवहार तथा क्रिया-कलापों में भारतीय साधु जैसे लगते थे। भारत में सूफीवाद के संस्थापक दाता बख्श थे।

च. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. **भक्ति आन्दोलन-** भक्ति आन्दोलन का इतिहास महान सुधारक शंकराचार्य से प्रारम्भ होता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म का तीव्र विरोध किया तथा हिन्दू धर्म को एक ठोस दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान की। उन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना तार्किक आधार पर की तथा मोक्ष-प्राप्ति के लिए ज्ञान पर बल दिया, किन्तु जनमानस इसे सहजता से स्वीकार नहीं कर सका। जनसाधारण को आकर्षित करने के लिए मध्ययुगीन धार्मिक विचारकों ने 'भक्ति' पर बल दिया, जिसका अर्थ है– किसी अनुष्ठान के बिना ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत पूजा।

   ईश्वर सगुण या निर्गुण हो सकता है। सगुण भक्ति के उपासक अनेक देवी-देवताओं में विश्वास करते हैं, जबकि निर्गुण भक्ति के उपासक मूर्ति-पूजा में विश्वास नहीं करते। वे मानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, वह मानव के हृदय में वास करता है। किन्तु सगुण तथा निर्गुण उपासक दोनों ही उपनिषदों के अद्वैत दर्शन में विश्वास करते हैं। भक्ति सन्तों ने मोक्ष-प्राप्ति के लिए गुरु से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति पर बल दिया।

   भक्ति आन्दोलन का मूलभूत सिद्धान्त भक्त तथा उसकी निजी देवी-देवता के मध्य प्रेम का सम्बन्ध था। अधिकांश भक्ति-सन्त गैर-ब्राह्मण थे। उन्होंने पूजा-विधि के रूप में बलियों तथा विधि-विधानों को अस्वीकृत किया एवं हृदय तथा मन की शुद्धता पर बल दिया। उन्होंने जात एवं धर्म के आधार पर समाज में भेदभाव को भी अस्वीकार किया। उन्होंने सरल भाषा में भक्ति का प्रचार किया। इन सभी कारणों से भक्ति आन्दोलन एक जन-आन्दोलन बन गया।

भक्ति आन्दोलन का मुख्यतः उद्‌भव दक्षिण भारत में हुआ। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच नए धार्मिक आंदोलनों का उद्‌भव हुआ। इस आन्दोलन का नेतृत्व नयनारों (शैव संत) तथा अलवारों (वैष्णव संतों) ने किया। इनमें 'पुलैया' तथा 'पनार' जैसी अछूत समझी जाने वाली जातियों के लोग भी सम्मिलित थे। उन्होंने बौद्धों व जैनों के मतों का खण्डन किया। उनके अनुसार शिव तथा विष्णु ही सच्चे प्रेम व मुक्ति के मार्ग थे। नयनारों तथा अलवारों ने संगम साहित्य में समाहित आदर्शों का उदाहरण दे-देकर भक्ति के मूल्यों को स्थापित किया। ये लोग घुमक्कड़ साधु या संत थे। वे स्थानीय देवी-देवताओं की स्तुति में गीत-कविताएँ रचते थे।

भक्ति सन्त- अनेक भक्ति-संतों ने भारत के विभिन्न भागों में अपने मतों व उपदेशों का प्रचार किया। उनमें से एक शंकराचार्य थे, जिनका जन्म 8 वीं सदी में केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा व परमात्मा दोनों एक ही हैं तथा परम सत्य हैं। उन्होंने संसार को मिथ्या या माया कहा और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने के लिए तथा मुक्ति (मोक्ष) के मार्ग के लिए संन्यास को एकमात्र विकल्प बताया।

रामानुज (1137 ई0) भक्ति आन्दोलन के प्रथम सन्त थे। वे दक्षिण भारत के निवासी तथा भक्ति प्रचारक थे।

उत्तर भारत में रामानुज के शिष्य रामानन्द ने अपने गुरु के सन्देश का प्रसार किया। रविदास (रैदास) तथा कबीर उनके प्रमुख शिष्य थे, जो निम्न जाति के थे। रामानन्द ने समाज में न्याय, एकता तथा समानता पर बल दिया।

कबीर (1440-1518 ई0) व्यवसाय से जुलाहे और निर्गुण भक्ति शाखा के सन्त थे। उन्होंने हिन्दुओं तथा मुसलमानों दोनों की समान रूप से व्यर्थ के धार्मिक विधि-विधानों के लिए आलोचना की। उन्होंने वेद, कुरान तथा ब्राह्मणों और मुल्लाओं के वर्चस्व को अस्वीकार किया। वह जाति-प्रथा तथा मूर्ति-पूजा के विरुद्ध थे। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से प्रेम तथा भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए बल दिया, जिसे जनसाधारण ने बहुत सराहा। रविदास एक अन्य भक्ति सन्त थे, जो व्यवसाय से मोची थे। गुरुनानक भी निर्गुण भक्ति के सन्त थे।

सगुण भक्ति सन्तों में चैतन्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास आदि उल्लेखनीय हैं।

चैतन्य (1485-1534 ई0) कृष्ण के भक्त थे। वे बंगाल के महानतम भक्ति सन्त थे। वल्लभाचार्य भी कृष्णभक्त थे, वे एक तेलुगू ब्राह्मण थे। मीराबाई चित्तौड़ के राणा साँगा के पुत्र भोजराज की पत्नी तथा मेड़ता की राजकुमारी थीं, जो बचपन से ही कृष्ण की परम भक्त थीं। उन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में अनेक भजनों की रचना की। सूरदास (1479-1584 ई0) कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने 'सूरसागर' की रचना की। उनकी कविता कृष्ण के प्रेम तथा भक्ति से ओत-प्रोत है। तुलसीदास (1532-1623 ई0) राम के भक्त थे। उन्होंने 'श्रीरामचरितमानस' की रचना की। शंकरदेव कृष्ण के भक्त थे, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वे असम के धर्म-सुधारक थे। नरसी मेहता ने गुजराती भाषा में राधा एवं कृष्ण के पवित्र प्रेम के भजन लिखे। महाराष्ट्र में सन्त ज्ञानेश्वर ने भक्ति आन्दोलन प्रारम्भ किया। उन्होंने 'ज्ञानेश्वरी' की रचना की, जो मराठी भाषा में 'भगवद्‌गीता' पर टीका है। नामदेव, तुकाराम, रामदास आदि महाराष्ट्र के अन्य प्रमुख भक्ति सन्त थे। गुरु रामदास का शिवाजी पर भरपूर प्रभाव पड़ा था।

दक्षिण में बसवन्ना और अल्लमा प्रभु व अक्कमहादेवी जैसे संतों ने वीरशैव आन्दोलन का प्रारंभ कियाा। यह 12 वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों

की समानता के पक्ष में और जाति व नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने विचार रखे तथा सभी प्रकार के कर्मकांडों व मूर्तिपूजा का विरोध किया।

2. **सूफीवाद-** सूफी शब्द अरबी भाषा के 'सफा' शब्द से बना है, जिसका अर्थ है– पवित्र। मुसलमान सन्तों द्वारा प्रतिपादित शुद्धता एवं त्यागपूर्ण जीवन ही सूफीवाद कहलाया। सूफी सन्तों के अनुसार समस्त बहुदेववाद तथा वास्तविकता के पीछे एकता विद्यमान है। यह सिद्धान्त शेख मुईनुद्दीन अब्दुल अरबी (1165-1240 ई0) द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये सूफी सन्त बड़ी संख्या में नीची जातियों के हिन्दुओं को इस्लाम में प्रविष्ट कराने में सफल हुए। उन्होंने उर्दू भाषा का भी विकास किया, जो मुसलमानों तथा भारतीय लोगों के मध्य मेल-जोल का साधन बनी। सूफी सन्त अपने व्यवहार तथा क्रिया-कलापों में भारतीय साधु जैसे लगते थे। भारत में सूफीवाद के संस्थापक दाता बख्श थे।

सूफी सिलसिले- सूफी अनेक सिलसिलों (धार्मिक क्रमों) में संगठित थे। उनके सिद्धान्त अलग-अलग थे। भारत में चिश्ती, सुहरावर्दी तथा नक्शबन्दी सबसे पुराने सूफी क्रम (सम्प्रदाय) हैं। प्रत्येक सूफी सम्प्रदाय की एक 'खानकाह' होती थी। अबुल फजल के अनुसार पन्द्रहवीं शताब्दी के भारत में चौदह सूफी क्रम प्रचलित थे, जिनमें प्रमुख निम्नवत् हैं–

(i) सुहरावर्दी सम्प्रदाय (Suhrawardy Sect)– इसकी स्थापना शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी (1145-1234 ई0) ने की थी। भारत में इसकी स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी (1182-1263 ई0) द्वारा की गयी, जो शेख शिहाबुद्दीन के शिष्य थे। यह सम्प्रदाय सिन्ध तथा मुल्तान में (अब पाकिस्तान में) लोकप्रिय था। शेख बहाउद्दीन का विशुद्धता तथा वैराग्य में विश्वास नहीं था। वह विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे तथा वह राजनीति में बहुत रुचि लेते थे।

फिरदोसी तथा शत्तारी सम्प्रदाय; जो सुहरावर्दी सम्प्रदाय की शाखाएँ थीं; बंगाल में प्रचलित थे।

(ii) नक्शबन्दी सम्प्रदाय– इसकी स्थापना सोलहवीं शताब्दी में ख्वाजा बकी बिना ने की थी। शेख अहमद सरहिन्दी इस सम्प्रदाय के प्रमुख सूफी थे।

(iii) चिश्ती सम्प्रदाय– इसकी स्थापना हेरात में ख्वाजा अब्दुल चिश्ती द्वारा की गई थी। भारत में इसका आगमन ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती (1141-1236 ई0) द्वारा हुआ, जो अजमेर में बस गए। भारत में चिश्ती सम्प्रदाय बहुत लोकप्रिय हुआ। हिन्दू तथा मुसलमान दोनों इसके अनुयायी बने। बाबा फरीद, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया तथा शेख सलीम चिश्ती इस सम्प्रदाय के प्रमुख सन्त थे। अजमेर तथा दिल्ली इस सम्प्रदाय के बड़े केन्द्र हैं।

3. **सिक्ख धर्म-** सिक्ख धर्म के संस्थापक गुरुनानक थे। गुरुनानक का जन्म तलवण्डी (पाकिस्तान स्थित ननकाना साहब) में 1469 ई0 में हुआ था। बचपन से ही नानक का मस्तिष्क विचारशील था। उनका मन सांसारिक बातों में नहीं लगता था। वह साधुओं और सूफियों की संगत में प्रसन्न रहते थे। सन् 1469 ई0 की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को एक आध्यात्मिक पुनर्जीवन का अनुभव हुआ। उन्होंने सम्पूर्ण भारत में घूम-घूमकर अपने सन्देश तथा शिक्षाओं का प्रसार किया। वह मक्का, मदीना, बगदाद तथा श्रीलंका भी गए। उनकी शिक्षाएँ 'आदिग्रन्थ' में संकलित हैं, जो सिक्खों का पवित्र ग्रन्थ है।

गुरुनानक की मुख्य शिक्षाएँ

1. वर्ग-भिन्नताएँ निरर्थक हैं, क्योंकि इनसे मानव जाति का विभाजन होता है।

2. ईश्वर एक है। वह ब्रह्माण्ड का रचयिता है।

3. उन्होंने हिन्दू तथा मुसलमानों के रूढ़ रीति-रिवाजों की निन्दा की।

4. उन्होंने अपने अनुयायियों को लंगर की व्यवस्था करने का आदेश दिया था।

5. गुरु नानक सत्कार्यों तथा सच्ची भक्ति में विश्वास करते थे।

6. ईश्वर ही सत्य है।

नानक का विश्वास था कि ईश्वर निराकार है। उसे चाहे राम कहो या रहीम, रब, हरि, गोविंद या कुछ और। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। उन्होंने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सामूहिक भोजनालय स्थापित किए। उन्होंने अनेक स्थानों पर संगत तथा पंगत भी स्थापित किए, जहाँ उनके शिष्य नियमित रूप से मिलते थे। सन् 1539 ई0 में करतार में अपनी मृत्यु से 20 दिन पूर्व उन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाया तथा गुरु की गद्दी की स्थापना की। उन्होंने अंगद को अपना उत्तराधिकारी चुना जो सिक्खों के दूसरे गुरु बने।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

8. क्षेत्रीय संस्कृति का विकास

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (ब) जयदेव 2. (स) नेमिचन्द्र 3. (अ) विजयनगर में 4. (द) केरल

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. अपभ्रंश 2. संगम साहित्य 3. संस्कृत 4. आंध्र प्रदेश

ग. सही कथन पर (3) का तथा गलत कथन पर (7) का चिह्न लगाइए–

1. (3) 2. (7) 3. (7) 4. (3)

घ. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. पृथ्वीराज रासो के रचयिता कवि चंद्रबरदाई थे।
2. तमिल के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं- शिल्पादिकारम तथा मणिमेखलइ।
3. दक्षिण भारत में वर्तमान में प्रचलित दो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं- तमिल (तमिलनाडु) तथा मलयालम (केरल)
4. अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ जैसे मुगलशासकों ने अपने दरबार में चित्रकला को संरक्षण दिया।
5. कत्थक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा अर्थात् कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी।

ङ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. क्षेत्रीय संस्कृति से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत, सभ्यता, परंपरा आदि से है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं, वे समय के साथ-साथ रूपांतरित या विकसित हुई हैं। इनका विकास जटिल प्रक्रियाओं से हुआ है। अक्सर हम देखते हैं कि एक विशेष क्षेत्र में कुछ परंपराएँ तो उनकी अपनी होती हैं और कुछ भिन्न क्षेत्रों में समान दिखती हैं।
2. दक्षिण में तमिल साहित्य और भाषा का इतिहास सबसे प्राचीन है। प्राचीन तमिल साहित्य को 'संगम साहित्य' कहते हैं। 'शिल्पादिकारम्' तथा 'मणिमेखलइ' तमिल के दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। कम्बन ने तमिल भाषा में रामायण लिखी।

मलयालम केरल की भाषा है। इस भाषा में लिखी प्रथम कृति 12वीं-13वीं सदी में लिखी 'रामचरितम्' है। कन्नड़ भाषा में साहित्य के प्रमाण छठीं शताब्दी में मिलते हैं। कन्नड़ की कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं– नृपतुंग कृत 'कविराजमार्ग', नेमिचन्द्र द्वारा लिखित उपन्यास 'लीलावती' आदि। पंपा, पोना और राणा को कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न कहा जाता है। तेलुगू साहित्य 10वीं, 11वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत लिखा गया।

दक्षिण भारत में वर्तमान में प्रचलित चार मुख्य क्षेत्रीय भाषाएँ हैं– तमिल (तमिलनाडु), मलयालम (केरल), कन्नड़ (कर्नाटक) तथा तेलुगू (आंध्र प्रदेश)।

3. बंगाली साहित्य दो वर्गों में विभाजित है– पहले संस्कृत का और दूसरा अपना स्वतंत्र साहित्य। पहले में संस्कृत महाकाव्यों का अनुवाद आता है तथा दूसरे में गीतों और कहानियों की रचनाएँ आती हैं। पहले वर्ग से संबंधित साहित्य का काल बताना आसान है क्योंकि इसमें विभिन्न हस्तलेख पाए जाते हैं। दूसरे वर्ग से संबंधित साहित्य की रचना पंद्रहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तथा अठारहवीं शताब्दी के मध्यकाल के बीच की गई। इस साहित्य को मौखिक रूप से ही प्रचलित हुआ बताया जा सकता है; अतः उनका काल ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता।

   बंगाल में, बंगाली साहित्य के साथ संस्कृत साहित्य भी चारों ओर फला-फूला। चैतन्य (1486-1533 ई0) जिन्होंने बंगाल में भक्ति आंदोलन चलाया, ने भी संस्कृत और बंगाली साहित्य में योगदान दिया। मुगल काल में बंगाली साहित्य चैतन्य द्वारा चलाए गए वैष्णव आंदोलन से प्रभावित था। चैतन्य की विभिन्न जीवनियाँ संस्कृत और बंगाली दोनों में लिखी गईं। 1586 ई0 में, जब अकबर ने बंगाल को जीता, यह बंगाल सूबे का केंद्र था। जबकि फारसी प्रशासनिक भाषा थी, बंगाल क्षेत्रीय भाषा में विकसित हुई। यद्यपि बंगाली संस्कृत से ली गई है, यह विकास के विभिन्न स्तरों से गुजरी और अनेक शब्द जनजातीय भाषाओं से लिए गए। फारसी और यूरोपियन भाषाएँ आधुनिक बंगाली का हिस्सा बन गई हैं।

4. सल्तनत काल में, चित्रकला का प्रयोग पुस्तकों में चित्र बनाने के लिए और व्यक्तियों के चित्र बनाने के लिए किया जाता था। राजपूत शासकों के दरबार में इसका विकास जारी रहा। विजयनगर राज्य में, चित्रकला और लकड़ी में नक्काशी कला ने खूब उन्नति की। दिल्ली के ज्यादातर सुल्तानों ने चित्रकला में ज्यादा रुचि नहीं ली।

च. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. **क्षेत्रीय भाषाएँ व साहित्य-** प्रारंभिक मध्य युग में क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य में बहुत विकास हुआ। कुछ राजा विशेषकर राजपूत राजा साहित्य के महान् संरक्षक थे। राजा मुंज एक महान् कवि थे, जबकि राजा भोज ने विभिन्न विषयों; जैसे– आयुर्वेद, खगोलशास्त्र, व्याकरण, धर्म और निर्माण कला आदि विषयों पर कई पुस्तकें लिखीं, जयदेव इस काल के एक मेधावी कवि थे, जिन्होंने 'गीत गोविंद' लिखी जिसमें कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन है। इस काल की कुछ अन्य प्रसिद्ध रचनाएँ थीं– दण्डी द्वारा कृत दशकुमारचरितम, बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित, कादंबरी; कल्हण कृत राजतरंगिणी और चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासौ।

   इस काल में संस्कृत साधारण लोगों की भाषा न होकर विद्वानों की भाषा थी और साधारण लोगों द्वारा बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाएँ अपभ्रंश के नाम से जानी गईं। आधुनिक प्रादेशिक भाषाओं; जैसे– हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली आदि की नींव राजपूत काल में ही पड़ चुकी थी।

   दक्षिण में तमिल साहित्य और भाषा का इतिहास सबसे प्राचीन है। प्राचीन तमिल साहित्य को

'संगम साहित्य' कहते हैं। 'शिल्पादिकारम्' तथा 'मणिमेखलइ' तमिल के दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। कम्बन ने तमिल भाषा में रामायण लिखी।

मलयालम केरल की भाषा है। इस भाषा में लिखी प्रथम कृति 12वीं-13वीं सदी में लिखी 'रामचरितम्' है। कन्नड़ भाषा में साहित्य के प्रमाण छठीं शताब्दी में मिलते हैं। कन्नड़ की कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं– नृपतुंग कृत 'कविराजमार्ग', नेमिचन्द्र द्वारा लिखित उपन्यास 'लीलावती' आदि। पंपा, पोना और राणा को कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न कहा जाता है।

तेलुगू साहित्य 10वीं, 11वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत लिखा गया।

दक्षिण भारत में वर्तमान में प्रचलित चार मुख्य क्षेत्रीय भाषाएँ हैं– तमिल (तमिलनाडु), मलयालम (केरल), कन्नड़ (कर्नाटक) तथा तेलुगू (आंध्र प्रदेश)।

बंगाली साहित्य दो वर्गों में विभाजित है– पहले संस्कृत का और दूसरा अपना स्वतंत्र साहित्य। पहले में संस्कृत महाकाव्यों का अनुवाद आता है तथा दूसरे में गीतों और कहानियों की रचनाएँ आती हैं। पहले वर्ग से संबंधित साहित्य का काल बताना आसान है क्योंकि इसमें विभिन्न हस्तलेख पाए जाते हैं। दूसरे वर्ग से संबंधित साहित्य की रचना पंद्रहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तथा अठारहवीं शताब्दी के मध्यकाल के बीच की गई। इस साहित्य को मौखिक रूप से ही प्रचलित हुआ बताया जा सकता है; अतः उनका काल ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता।

बंगाल में, बंगाली साहित्य के साथ संस्कृत साहित्य भी चारों ओर फला-फूला। चैतन्य (1486-1533 ई0) जिन्होंने बंगाल में भक्ति आंदोलन चलाया, ने भी संस्कृत और बंगाली साहित्य में योगदान दिया। मुगल काल में बंगाली साहित्य चैतन्य द्वारा चलाए गए वैष्णव आंदोलन से प्रभावित था। चैतन्य की विभिन्न जीवनियाँ संस्कृत और बंगाली दोनों में लिखी गईं। 1586 ई0 में, जब अकबर ने बंगाल को जीता, यह बंगाल सूबे का केंद्र था। जबकि फारसी प्रशासनिक भाषा थी, बंगाल क्षेत्रीय भाषा में विकसित हुई। यद्यपि बंगाली संस्कृत से ली गई है, यह विकास के विभिन्न स्तरों से गुजरी और अनेक शब्द जनजातीय भाषाओं से लिए गए। फारसी और यूरोपियन भाषाएँ आधुनिक बंगाली का हिस्सा बन गई हैं।

2. **चित्रकला-** पूर्व-मध्यकाल में उत्तरी भारत में, राजपूत और दूसरे शासकों के अधीन चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ। चित्रकला के दो रूप विकसित थे– राजस्थानी चित्रकला एवं पहाड़ी चित्रकला। चित्रकला की घना शैलियों की तकनीकी समान थी। चित्रकला की राजस्थानी शैली में कृष्ण लीला, नायिका-भेद (प्रेमिका को विभिन्न मुद्राओं में दिखाना), दरबारी दृश्य, शाही उत्सवों के दृश्य, जुलूस और शिकार आदि दिखाए गए थे। चित्रकला की पहाड़ी शैली को चित्रकला की कांगड़ी शैली भी कहा जाता था। ये चित्रकलाएँ भक्ति उपासना से प्रभावित थीं। राधा-कृष्ण की भक्ति, प्यार और रामायण तथा महाभारत के दृश्य इस चित्रकला के विषय थे। सल्तनत काल में, चित्रकला का प्रयोग पुस्तकों में चित्र बनाने के लिए और व्यक्तियों के चित्र बनाने के लिए किया जाता था। राजपूत शासकों के दरबार में इसका विकास जारी रहा। विजयनगर राज्य में, चित्रकला और लकड़ी में नक्काशी कला ने खूब उन्नति की। दिल्ली के ज्यादातर सुल्तानों ने चित्रकला में ज्यादा रूचि नहीं ली।

अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ जैसे मुगल शासकों ने अपने दरबार में कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। वे मूल रूप से इतिहास और काव्य-रचनाओं की पाण्डुलिपियाँ चित्रित करते थे। इनमें दरबार के दृश्य, शिकार के दृश्य, युद्ध के दृश्य आदि चित्र चटकदार रंगों से चित्रित किए जाते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अनेक चित्रकार क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण के क्षेत्रीय और राजस्थान के राजपूती दरबार इससे प्रभावित हुए। परिणामतः पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण हुआ।

3. **संगीत और नृत्य का विकास-** पूर्व मध्य युग में, उत्तर और दक्षिण के शासक, विशेष रूप से राजपूत और चोल संगीत और नृत्य के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में संगीत और नृत्य के कार्यक्रम एक सामान्य बात थी। यहाँ तक कि इस काल के बने सभी मंदिरों में चौखटे हैं, जहाँ संगीत और नृत्य के विभिन्न दृश्य आज भी देखे जा सकते हैं। वे शिव की पूजा करने वाले थे, जिन्हें ज्यादातर नृत्य मुद्रा में दिखाया गया है और नटराज की तरह वर्णित किया गया है। राग विधि पर आधारित भारतीय शास्त्रीय संगीत इस काल में चरम सीमा पर पहुँचा। भारतीय-शैली और कर्नाटक-शैली संगीत की प्रमुख शैलियाँ थीं।

सल्तनत काल में, फारसी और अरबी संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रभाव के फलस्वरूप हिंदुस्तानी शैली विकसित हुई। समूह गायन का फारसी रूप, जिसे 'कव्वाली' कहते हैं, सूफी संतों द्वारा प्रसिद्ध हुआ। नए संगीत वाद्य; जैसे– तबला, सितार और सारंगी आदि का प्रचार हुआ।

तत्कालीन औरंगजेब को छोड़कर सभी मुगल सम्राट संगीत के महान प्रेमी थे। अकबर के दरबार में तानसेन जैसे संगीतज्ञ थे। संगीत भारतीय और फारसी शैलियों का मिश्रण था। उस समय संगीत के विभिन्न रूपों का विकास हुआ; जैसे– ठुमरी, ख्याल, गजल आदि।

कत्थक की कहानी- भारत में नृत्य की विविध शैलियाँ हैं। कत्थक उत्तर भारत का महत्त्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है। कत्थक शब्द 'कथा' से निकला है, जो संस्कृत और दूसरी भाषाओं में कहानी के लिए प्रयुक्त शब्द है। कत्थक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा अर्थात् कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। कत्थक भक्ति आन्दोलन के फैलने के साथ पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में नृत्य के भिन्न-भिन्न रूपों में विकसित होना शुरू हुआ। राधा-कृष्ण की पौराणिक कथा को लोक नाटक में खेला जाता है जिसे 'रास-लीला' कहते हैं। इसमें कत्थक कहानी कहने वाले की मुद्राओं के साथ लोक नृत्य भी होता है।

मुगल सम्राट और सामंतों के शासनकाल में कत्थक दरबार में दिखाया जाता था; जहाँ इसने अपने वर्तमान रूपों को प्राप्त किया और आगे चलकर यह नृत्य शैली के रूप में विकसित हुआ। बाद में, यह दो परंपराओं में या घराना में विकसित हुआ। पहला राजस्थान (जयपुर) के दरबार में और दूसरा लखनऊ में। अवध के आखिरी नवाज वाजिद अलीशाह के संरक्षण में, यह मुख्य कला के रूप में विकसित हुआ। बाद में समीपवर्ती क्षेत्रों; जैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश में यह एक महत्त्वपूर्ण नृत्य के रूप में विकसित हुआ। स्वतंत्रता के बाद इसकी पहचान देश में छह शास्त्रीय नृत्यों के रूपों में से एक रूप में होने लगी। कुछ अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं– भरतनाट्यम (तमिलनाडु), कथकली (केरल), ओडिसी (उड़ीसा), कुचीपुड़ी (आंध्र प्रदेश) और मणिपुरी (मणिपुर) आदि।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

9. राजनैतिक संगठन (18वीं शताब्दी)

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (ब) औरंगजेब 2. (अ) मुर्शीद कुली खान 3. (द) आसफजहाँ 4. (स) 1627 ई0

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. सिराज-उद्- दौला 2. दल खालसा 3. जाट 4. हैदर अली

ग. सही मिलान कीजिए–

(अ)	(ब)
निजाम	हैदराबाद
जाट नेता	भरतपुर, मथुरा
नवाब	अवध
मैसूर का चीता	टीपू सुल्तान

घ. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. अठारहवी शताब्दी में निम्न नवीन राज्यों का उदय हुआ- (i) बंगालु हैदराबाद तथा अबक्ध (ii) राजपूत प्रदेश तथा (iii) मराठा, सिक्ख व जाट
2. अपनी बैठकों में दल खालसा (जत्थों और मिस्लों की संयुक्त सेनाएँ) महत्वपूर्व निर्णय लेते थे। इन निर्णयों को गुरमत्ता (गुरु का प्रस्ताव) कहा जाता था।
3. सूरजमल के शासन क्षेत्र थे- भरतपुर, मथुरा, आगरा, धौलपुर, अलीगढ़, इटावा तथा मेरठ।
4. 1674 ई0 में पुणे के निकट रायगढ़ में एक शानदार दरबार में छत्रपति के रूप मे शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था।
5. अहमदशाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में (1761 ई0) में मराठा शक्ति को लगभग नष्ट कर दिया था।

ङ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. अठारहवीं शताब्दी का समय ऐसा था, जब भारत में राजनीतिक गतिविधियाँ छोटे से समयांतराल के अन्तर्गत तेजी से बदलने लगी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी दक्षिण नीति के कारण मुगल साम्राज्य को पतनोन्मुख कर दिया। प्रशासन में अकुशलता आने से मनसबदार स्वछंद हो गए, जिससे केन्द्रीय सत्ता अव्यवस्थित हो गई। सूबेदारों ने अपने प्रांतों पर नियंत्रण कर लिया, जिससे राजधानी में राजस्व की कमी आती चली गई। फलस्वरूप नवीन राजनैतिक शक्तियों का उदय हुआ।
2. 18 वीं शताब्दी में सिक्खों ने पहले 'जत्थों' के रूप में तथा बाद में 'मिस्लों' के रूप में स्वयं को संगठित किया। जत्थों और मिस्लों की ये संयुक्त सेनाएँ 'दल खालसा' कहलाती थी। अपनी बैठकों में ये दल महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते थे। इन निर्णयों को गुरमत्ता (गुरु का प्रस्ताव) कहा जाता था। सिक्ख किसानों से उपज का 20 प्रतिशत कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। इसे 'राखी व्यवस्था' कहा जाता था।
3. मराठों के अधीन राज्यों से राजस्व प्राप्ति के लिए शिवाजी ने राजस्व का नवीन स्रोत प्रारंभ किया। इन राज्यों को दो प्रकार के कर-चौथ एवं सरदेशमुखी देने होते थे। इन करों से शिवाजी को एक विशाल सैन्य शक्ति के रख-रखाव में सहायता मिली, लेकिन पड़ोसी राज्यों में उसके राज्य की ख्याति समाप्त हो गई। यह मराठों के पतन का एक मुख्य कारण बना।
4. बाजीराव-प्रथम के पश्चात बालाजी बाजीराव (1740-1761 ई0) पेशवा बना। तृतीय पेशवा के अधीन मराठों की शक्ति प्रतिष्ठा एवं यश में वृद्धि हुई। उसने अपने राजधानी सतारा से पुणे में स्थानांतरित की। उसके शासनकाल में मराठा सेनाएँ पूर्व में बिहार एवं उड़ीसा तथा उत्तर में दिल्ली एवं पंजाब तक पहुँच गई थीं। मैसूर एवं हैदराबाद राज्यों को अपने राज्यों तक सीमित रहने की सहायता राशि देने के लिए विवश किया गया था। 1761 ई0 में मराठा पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमदशाह अब्दाली द्वारा पराजित हो गए और शनैः-शनैः उनकी शक्ति का ह्रास हो गया।

च. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. **क्षेत्रीय शक्तियों का उदय-** मुगल शक्ति के पतन के पश्चात् भारत के विभिन्न भागों में अनेक स्वतंत्र राज्य उभरकर आए। बाद में उनमें से अनेक भारत के आधुनिक राज्य बन गए। अठारहवीं शताब्दी में नवीन राज्यों का उदय निम्न रूप से हुआ– (i) बंगाल, हैदराबाद तथा अवध, जो कि मुगल प्रांत थे। (ii) राजपूतप्रदेश (iii) मराठा, सिक्ख तथा जाट। इनमें से कुछ राज्य आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध थे तथा उनके पास स्वयं की विशाल सेनाएँ थीं, लेकिन वे आक्रमणकारियों के विरुद्ध संगठित नहीं हो पाए।

   बंगाल- मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल मुगलों के नियंत्रण से बाहर हो गया। 1717 से 1727 ई0 तक बंगाल के शासकों मुर्शीद कुली खाँ, शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खाँ ने बंगाल में दीर्घ काल तक शांति का साम्राज्य स्थापित करने के साथ-साथ व्यापार एवं उद्योग को बढ़ावा दिया। जून, 1727 ई0 तक शुजाउद्दीन ने कासिम बाजार स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार करने के साथ-साथ कलकत्ता (कोलकाता) एवं फोर्ट विलियम पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था, लेकिन किसी कारणवश उसे मुर्शिदाबाद वापस जाना पड़ा। इन तीन शासकों ने बहुत कुशलतापूर्वक शासन किया तथा बंगाल को समृद्धशाली राज्यों में से एक बना दिया। एडमिरल वाटसन तथा कर्नल रॉबर्ट क्लाइव के अधीन मद्रास की सेना की सहायता से अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार स्थापित करके नवाब सिराज-उद्-दौला को अपनी माँगें स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। नवाब को समर्पण कराने में कंपनी को उसके विरोध का सामना करना पड़ा। परिणातः कंपनी एवं उसके मध्य प्लासी युद्ध जून, 1757 ई0 में सिराज-उद्-दौला प्लासी के युद्ध में पराजित हो गया तथा उसके सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया।

   हैदराबाद- मुगल साम्राज्य के छह दक्कन सूबों को मिलाकर हैदराबाद का गठन किया गया था। 1724 ई0 में मुगल बादशाह मुहम्मद शाह का मंत्री चिन-कुलिच खाँ दक्कन में बस गया तथा उसने दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारियों की प्रतिस्पर्द्धा का लाभ उठाकर निजाम-उल-मुल्क आसफजहाँ के नाम से हैदराबाद राज्य की स्थापना की। वह हैदराबाद का प्रथम निजाम था जो एक कूटनीतिज्ञ शासक था। उसने विद्रोही सेनापतियों को कुचल दिया। उसके प्रशासन में हैदराबाद राज्य ने प्रगति की। उसने व्यापार को बढ़ावा दिया तथा एक धार्मिक नीति का अनुसरण किया। उसने मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। 1748 ई0 में अपनी मृत्यु के समय तक उसने स्वतंत्रतापूर्वक दक्कन पर शासन किया। उसके उत्तराधिकारी हैदराबाद के निजाम कहलाए। 1798 ई0 में हैदराबाद अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया।

   अवध- 1722 ई0 में बुरहान-उल-मुल्क सआदत खाँ के नेतृत्व में अवध सूबा मुगलों के नियंत्रण से बाहर हो गया। वह एक फारसी शिया था, जिसे मुगल सम्राट् मुहम्मदशाह ने अवध का शासक नियुक्त किया था। सआदत खाँ शीघ्र ही शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध हो गया। अवध एक समृद्ध प्रदेश था। यह गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला था। उत्तरी भारत व बंगाल के मध्य का मुख्य व्यापारिक मार्ग उसी से होकर गुजरता था। बुरहान-उल-मुल्क ने अवध में मुगलों का प्रभाव न्यून करने के लिए मुगलों द्वारा नियुक्त जागीरदारों की संख्या में घटोत्तरी कर दी और वहाँ पर अपने विश्वासपात्र सेवकों को नियुक्त कर दिया।

   सिक्ख शासक (Sikh Ruler)- गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिक्खों का नेतृत्व बंदा

बहादुर ने किया। उसने सतलुज यमुना नदी के मध्य क्षेत्र में अपने प्रशासन की नींव रखी। उसने 1716 ई0 में अपनी मृत्यु तक मुगलों के विरुद्ध लगातार संषर्ष किया। उसकी मृत्यु के पश्चात् सिक्खों की शक्ति का पतन हो गया।

जाट शासक (Jat Ruler)- इसी काल में राजाराम तथा चूड़ामन जैसे ग्रामीण मुखियाओं के व्यक्तिगत नेतृत्व में जाटों ने दिल्ली तक आगरा के आस-पास अपनी शक्ति में वृद्धि कर ली थी। एक अन्य नेता बदन सिंह ने आगरा एवं मथुरा के लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके पुत्र सूरजमल ने भरतपुर, मथुरा, आगरा, धौलपुर, अलीगढ़, इटावा तथा मेरठ के एक विशाल क्षेत्र पर अपनी सत्ता स्थापित की। भारत के इतिहास में वे प्रथम जाट राज्य की स्थापना करने में सफल हो गए। वे एक महान योद्धा थे तथा योग्य राजनीतिज्ञ भी थे। 1763 ई0 में उनकी मृत्यु हो गई।

राजपूत शासक (Rajput Ruler)- राजपूत शासक श्रेष्ठ योद्धा होने के साथ-साथ श्रेष्ठ प्रशासक भी थे, लेकिन राजपूत कभी भी एक शक्ति के रूप में संगठित नहीं हो सके। वे हमेशा परस्पर छोटे-छोटे संघर्ष करते रहते थे, जिसके कारण वे कभी भी केन्द्रीय सत्ता के रूप में नहीं उभर सकें। प्रमुख राजपूत राज्य मेवाड़ (उदयपुर), मारवाड़ (जोधपुर) एवं आमेर (जयपुर) औरंगजेब की धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य से अलग थे। मेवाड़ का शासन मुगलों के हाथ में नहीं था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् जोधपुर एवं जयपुर ने दिल्ली की राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। जोधपुर एवं जयपुर के महाराजाओं ने उत्तरकालीन मुगलों के शासन काल में साम्राज्य के एक विशाल भाग पर अधिकार करके अपने राज्यों में मिला लिया।

जयपुर के जयसिंह द्वितीय को सूरत का शासक बनाने के साथ-साथ कुछ समय पश्चात् आगरा का शासक भी बना दिया गया। अजीत सिंह अजमेर एवं गुजरात का शासक बना रहा। अपने स्वयं के पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्यों पर नियंत्रण के अतिरिक्त आगरा से सूरत तक फैले राज्य क्षेत्र से इन दो राजपूत राजाओं को अपने राज्यों को सशक्त एवं समृद्ध बनाने में सहायता मिली।

2. **सिक्ख शासक (Sikh Ruler)-** गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिक्खों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया। उसने सतलुज यमुना नदी के मध्य क्षेत्र में अपने प्रशासन की नींव रखी। उसने 1716 ई0 में अपनी मृत्यु तक मुगलों के विरुद्ध लगातार संषर्ष किया। उसकी मृत्यु के पश्चात् सिक्खों की शक्ति का पतन हो गया।

18 वीं शताब्दी में सिक्खों ने पहले 'जत्थो' के रूप में तथा बाद में 'मिस्लों' के रूप में स्वयं को संगठित किया। जत्थों और मिस्लों की ये संयुक्त सेनाएँ 'दल खालसा' कहलाती थी। अपनी बैठकों में ये दल महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते थे। इन निर्णयों को गुरमत्ता (गुरु का प्रस्ताव) कहा जाता था। सिक्ख किसानों से उपज का 20 प्रतिशत कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। इसे 'राखी व्यवस्था' कहा जाता था। उस समय अहमदशाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद सरकार को अपने अधिकार में कर रखा था। अतः सिक्खों ने अपने राज्य की अपने सुदृढ़ संगठन से मुगल सूबेदारों के साथ-साथ अहमदशाह अब्दाली से भी रक्षा की। खालसा (सिक्खों का संगठन) ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर अपने सार्वभौमिक शासन की घोषणा की।

18वीं शताब्दी के अन्त में सिक्खों का राज्य सिंधु से यमुना तक विस्तृत था। परन्तु वे विभिन्न शासकों में बँटे थे। महाराजा रणजीत सिंह ने सिक्खों को पुनः संगठित कर एक संगठित राज्य

की स्थापना की। उन्होंने 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया।

3. **मैसूर का उदय -** तालीकोटा के युद्ध (1565 ई0) से ही मैसूर एक स्वतंत्र राज्य रहा था। 1761 ई0 में हैदर अली तत्कालीन राजा को हराकर स्वयं शासक बन बैठा। हैदर अली एवं उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने दक्षिण में ब्रिटिश सत्ता के प्रसार को अस्थाई रूप से नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

   हैदर अली ने 1782 ई0 तक मैसूर पर शासन किया। वह एक महान प्रशासक था। उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। उसने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया। 1769 ई0 में, हैदर अली ने मैसूर युद्ध में ब्रिटिश एवं निजाम की संयुक्त सेनाओं को परास्त कर दिया। 1780 ई0 में द्वितीय अंग्रेज-मैसूर युद्ध में प्रारंभ में तो हैदर अली ने ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया। लेकिन 1781 ई0 में उसे पराजय का सामना करना पड़ा तथा 1782 ई0 में उसकी मृत्यु हो गई।

   उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। सभी विजयों की परस्पर पूर्वावस्था के साथ 1784 ई0 में मंगलौर सन्धि से अंग्रेज-मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। अपनी प्रजा की अच्छी प्रकार सेवा करने वाले कुछ भारतीय शासकों में टीपू सुल्तान की गणना की जाती है। उसके शासन काल में उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहित किया गया तथा कृषकों का उचित ध्यान रखा गया। विदेशी इतिहासकारों ने भी उसके राज्य को हरे-भरे खेतों से युक्त तथा वाणिज्यिक लोगों, नवीन शहरों एवं कस्बों से घिरे हुए एक समृद्ध राज्य में वर्णित किया था। अपने राज्यक्षेत्र की सुरक्षा के लिए टीपू सुल्तान ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध वीरतापूर्वक लड़ा।

   उसने अपने सिक्कों पर हिंदू पंचांग एवं देवी-देवताओं के चित्रों का प्रयोग किया। अपने प्रशासन एवं युद्ध में पाश्चात्य तौर-तरीकों के प्रयोग का प्रयास करने वाला प्रथम भारतीय शासक टीपू सुल्तान था।

4. शिवाजी का जन्म 1627 ई0 में हुआ था। वे बीजापुर राज्य के एक छोटे जागीरदार शाहजी भोंसले के पुत्र थे। उन्होंने पुणे के दादाजी कोंडदेव की देखरेख एवं मार्गदर्शन में सैन्य एवं प्रशासनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनकी माता जीजाबाई ने शिवाजी के अंतर्मन में अपने देश एवं अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए देशभक्ति एवं दृढ संकल्प की भावना कूट-कूटकर भर दी थीं। बीस वर्ष की आयु में शिवाजी ने तोरण एवं पुरंदर के अनेक किलों पर अधिकार स्थापित कर अपनी सैन्य शक्ति एवं कूटनीति का परिचय दिया। उसके पश्चात् उन्होंने पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य स्थित कोंकण के संकरे क्षेत्र की ओर रुख किया। उनकी बढ़ती हुई शक्ति से बीजापुर राज्य तथा दक्कन के मुगल उनके शत्रु बन गए। बीजापुर राज्य के दुर्बल होने पर उन्होंने किलों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए गुरिल्ला व्यूह-नीति का प्रयोग किया।

   शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति ने बीजापुर के राजा को सावधान कर दिया था। उसने शिवाजी को पराजित करने एवं उनका वध करने के लिए बीजापुर के सुल्तान के सेनापति अफजल खाँ के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन शिवाजी ने अफजल खाँ का वध करने में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात् बीजापुर की सेना को पराजित कर उन्होंने विशाल मात्रा में लूट का माल जब्त कर लिया।

   शिवाजी ने दक्कन में मुगल शक्ति का सामना किया। औरंगजेब ने शाइस्ता खाँ के नेतृत्व में मराठों के विरुद्ध मुगल सेनाएँ भेजी, लेकिन उनके हाथ सफलता नहीं लगी। शिवाजी ने मुगल

सैनिक मार गिराए, लेकिन शाइस्ता खाँ अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। इससे क्रोधित होकर औरंगजेब ने शिवाजी को अपने अधीन करने के लिए अजमेर के राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने पुरंदर के किले पर अधिकार कर लिया। काफी लंबे संघर्ष के पश्चात् शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी। जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में भेज दिया। परंतु वहाँ शिवाजी को अपमानित करके उन्हें बन्दी बनाकर कारागार में डाल दिया। शिवाजी अपनी चतुरता से अपने पुत्र शंभाजी सहित कारागार से बच निकलने में सफल हो गए।

अपने राज्य में पहुँचने के बाद शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध गतिविधियाँ तेज कर दीं। उन्होंने सूरत को लूट लिया तथा स्वयं को वहाँ का शासक घोषित कर दिया। औरंगजेब को मजबूरन उन्हें स्वतंत्र शासक के रूप में मानना भी पड़ा। शिवाजी का राज्याभिषेक परंपरागत हिंदू शैली में किया गया तथा 1674 ई0 में पुणे के निकट रायगढ़ में एक शानदार दरबार में छत्रपति के रूप में उनका राज्याभिषेक हो गया। इस प्रकार उन्होंने मराठा राज्य की नींव डाली। शिवाजी ने अनेक युद्ध अभियान किए। उन्होंने गिंगी तथा वैल्लोर एवं मैसूर के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। 1680 ई0 में उनका निधन हो गया।

5. **शिवाजी का प्रशासन-** शिवाजी निर्भीक एवं सफल प्रशासक थे। उन्होंने अपनी परिषद् अष्ट् प्रधान मंडल में आठ मंत्री नियुक्त किए। पेशवा (प्रधानमंत्री), सेनापति (सेनाध्यक्ष) तथा पंडित राव (धार्मिक मामलों के प्रभारी मंत्री) उनकी परिषद् में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री थे। अधिकांश मंत्री सैन्य अभियानों में भाग लेते थे।

शिवाजी एक महान् सेनाध्यक्ष होने के साथ-साथ एक श्रेष्ठ प्रशासक थे। उनका राज्य तीन भागों में विभाजित था, जिन्हें मराठों को राजस्व देना पड़ता था। ये भाग थे– स्वराज्य (स्वयं का राज्य), जो मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। मुल्क-ए-कदीम (प्राचीन राज्यक्षेत्र) एवं मुगलई (मुगल राज्यक्षेत्र का समीपवर्ती) स्वराज्य 'प्रांतों' में विभाजित था, जिन्हें 'परगनाओं' एवं 'तरफा' में उप-विभाजित किया गया था। ग्राम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, जिसकी अध्यक्षता 'पाटिल' करते थे।

राजस्व व्यवस्था- मराठों के अधीन राज्यों से राजस्व प्राप्ति के लिए शिवाजी ने राजस्व का नवीन स्रोत प्रारंभ किया। इन राज्यों को दो प्रकार के कर-चौथ एवं सरदेशमुखी देने होते थे। इन करों से शिवाजी को एक विशाल सैन्य शक्ति के रख-रखाव में सहायता मिली, लेकिन पड़ोसी राज्यों में उसके राज्य की ख्याति समाप्त हो गई। यह मराठों के पतन का एक मुख्य कारण बना।

सैन्य प्रशासन- शिवाजी के पास एक सुप्रशिक्षित एवं अनुशासित सेना थी, जिसमें शक्तिशाली घुड़सवार एवं पैदल सेना थी। सैनिकों को नियमित रूप से नकद वेतन मिलता था। उन्होंने अपने सैनिकों में उच्च सैनिक मूल्यों को कूट-कूटकर भर रखा था। उनकी सेना 'गुरिल्ला युद्ध' में सुप्रशिक्षित थी। शिवाजी ने पुर्तगालियों एवं अंग्रेज सेना की विरोधी गतिविधियों को कुचलने के लिए जल सेना भी तैयार की थी। दुर्ग-निर्माण एक विशिष्ट विशेषता थी। उनके अधिकार क्षेत्र में लगभग 280 दुर्ग थे। प्रत्येक दुर्ग एक 'हवलदार' के अधीन होता था। नागरिक एवं राजस्व प्रशासन में एक ब्राह्मण 'सूबेदार' उसकी सहायता करता था। 1680 ई0 में शिवाजी की मृत्यु के पश्चात् उनके बड़े पुत्र शंभाजी कमजोर शासक थे। वे अपने राज्यों को सुरक्षित नहीं रख सके। इसके अतिरिक्त 1707 ई0 में औरंगजेब की मृत्यु

के पश्चात् मुगल गद्दी के लिए एक गृहयुद्ध प्रारंभ हो गया तथा मराठे दो शत्रु खेमों में विभाजित हो गए। इसी समय, साहू के पेशवा बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में मराठा सरकार की एक नवीन प्रणाली विकसित हुई।

6. **मराठों का पतन-** पानीपत के तीसरे युद्ध में (1761 ई0) अहमदशाह अब्दाली ने मराठा शक्ति को लगभग नष्ट कर दिया था। मराठों के पतन के अन्य कारण निम्नलिखित हैं–

1. एकता का अभाव– मराठों में शिवाजी के बाद एकता का अभाव था। सामंत प्रथा के कारण मराठा साम्राज्य कई छोटे-बड़े राज्यों में बँटा हुआ था। पेशवा माधोराव के बाद केंद्रीय सत्ता शिथिल पड़ जाने के कारण एकता का अभाव हो गया। मराठों में आपसी अंतर्कलह का समावेश हो गया था। अतः मराठा अपने स्वार्थ के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित मोर्चा नहीं बना पाए।

2. दृढ़ संगठन की कमी– मराठों का साम्राज्य विशाल होने के बावजूद संगठित नहीं था। इस साम्राज्य का प्रत्येक अंग स्वतंत्र था। मराठा परस्पर एक-दूसरे के प्रति षड्यन्त्र करते रहते थे। इस कारण मराठों का संघ प्रतिस्पर्धा का केन्द्र बन गया था। अपनी इसी कमी के कारण वे एक नहीं हो पाए। अतः दृढ़ संगठन की कमी के कारण वे परास्त होते चले गए।

3. कूटनीतिक असफलता– मराठों में कूटनीति के नाम पर कुछ नहीं था। वे भारत के मुसलमान शासकों के साथ-साथ जाट और राजपूत शासकों को भी अपनी ओर मिला नहीं पाए, जिस कारण अंग्रेजों ने उन पर आसानी से सफलता प्राप्त कर ली।

4. जागीरदारी प्रथा– हालाँकि पेशवा बाजीराव प्रथम ने जागीरदारी प्रथा को बन्द करने का प्रयास किया था, परन्तु वह सफल नहीं हुए थे। प्रत्येक मराठा सरदार अपनी-अपनी जागीरों का एकछत्र स्वामी था। इससे मराठों की एकता नष्ट हो गई। अतः असंगठित शासक ब्रिटिशों पर अधिकार नहीं कर पाए।

5. योग्य नेतृत्व की कमी– पेशवा माधवराव, महादजी सिंधिया, यशवंतराव होल्कर आदि मराठा शासकों के बाद मराठाओं में कोई भी ऐसा वीर, साहसी व योग्य नेता नहीं हुआ, जो मराठों को संगठित कर सके और उनका नेतृत्व कर सके। अतः योग्य नेतृत्व की कमी के कारण मराठा शक्ति शनैः-शनैः ह्रास होती चली गई।

6. आदर्शों व नैतिकता का त्याग– शिवाजी के समय में मराठा अपनी राष्ट्रभक्ति, सादगी, समानता का भाव, कर्तव्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की दृढ़ भावना, संयमित जीवन आदि श्रेष्ठ गुणों के कारण सफल बने थे। लेकिन धीरे-धीरे उनमें इन नैतिक गुणों का ह्रास होता चला गया। वे जात-पात, ऊँच-नीच, सामंतवाद आदि नीच भावनाओं से घिर गए। उनमें राजनीतिक और सामाजिक रूप से दरार पड़ गई। अतः फलस्वरूप वे पराजित हो गए।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

(इकाई-2: भूगोल)

1. हमारा पर्यावरण

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (द) ये सभी 2. (द) ये सभी 3. (अ) जैवमंडल में 4. (ब) तालाब में

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. अजैव, जैविक 2. हमारे चारों ओर का आवरण 3. स्थलमंडल 4. पारस्परिक

ग. सही कथन पर (3) का तथा गलत कथन पर (7) का चिह्न लगाइए–

1. (7) 2. (3) 3. (3) 4. (7)

घ. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है- परि + आवरण अर्थात् हमारे चारों ओर का आवरण।
2. भूमि, जल, वायु, जीव-जंतु व पेड़-पौधे परस्पर मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं।
3. पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल को उसके स्थान पर स्थिर रखता है।
4. वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन ही मौसम व जलवायु मे होने वाले परिवर्तन का कारण बनते हैं।
5. पर्यावरण में अवांछित तत्वों का सम्मिलित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है।

ङ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. किसी भी जीव, समुदाय के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएँ आदि को पर्यावरण कहते हैं।

   पर्यावरण के दोनों अंग अजैव तथा जैविक परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। अतः इन्हें एक-दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। ये सदैव एक-दूसरे पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं। यदि भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण में कोई परिवर्तन होता है, तो यह जैविक पर्यावरण को भी परावर्तित कर देता है। मानवीय पर्यावरण में मानव की अन्योन्याश्रित क्रियाएँ, उनकी गतिविधियाँ आदि सम्मिलित हैं।

   हमारी पृथ्वी स्थल, जल वनस्पति, जीव-जन्तु एवं वायुमण्डल का सुन्दर समन्वय है। इन्हीं समस्त प्राकृतिक दशाओं को पर्यावरण की संज्ञा दी गई है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है– परि+आवरण। परि का अर्थ है– चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है– घेरा। अतः पर्यावरण हमारे आस-पास पाए जाने वाले प्रभावकारी तत्वों के घेरे को कहा जाता है। पर्यावरण का सभी जीवधारियों के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
2. **पारितन्त्र-** पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव-जंतु, प्राणी व पेड़-पौधे अपने आस-पास के पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। वे परस्पर एक-दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। सभी सजीवों व पर्यावरण का यह संबंध ही पारितन्त्र कहलाता है। पारितन्त्र कहीं भी संभव हो सकता है। रेगिस्तान, झील, तालाब, नदी, घास के मैदान, वर्षा-वन, सागर आदि स्थानों पर भी पारितन्त्र संभव होता है।
3. **मानवीय पर्यावरण (Human Environment)-** मानव अपने आस-पास के पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंध बनाता है। वह आवश्यकतानुसार अपने लिए पर्यावरण में परिवर्तन भी करता रहता है। वह या तो स्वयं को पर्यावरण के अनुसार ढाल लेता है या पर्यावरण को ही अपने अनुसार बदल देता है। आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक का सफर मानव व पर्यावरण की इसी पारस्परिक क्रिया का महत्वपूर्ण साक्षी है।
4. पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं–
   1. प्राकृतिक संसाधनों का अधिक प्रयोग।
   2. कारखानों से निकलने वाला घातक धुआँ, विषैली गैसें एवं कर्कश ध्वनि।
   3. दूषित जल एवं मल का निष्कासन।
   4. अपशिष्ट पदार्थों को फेंकना।

5. सभ्यता के विकास से ही मनुष्य ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण का लगातार परिवर्तन किया है। उसके विविध आर्थिक क्रियाकलापों ने पर्यावरण में स्थायी परिवर्तन कर दिए हैं। इन परिवर्तनों का जीवों के प्राकृतिक पर्यावरण पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। अतः हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण की बहुत आवश्यकता है।

पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है–

(i) पर्यावरण हमें लकड़ी, ईंधन, खनिज तथा ऊर्जा जैसे उपयोगी संसाधन प्रदान करता है।

(ii) वन, चरागाह, खेतिहर भूमि तथा खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से पर्यावरण का बहुत विनाश हुआ है।

(iii) पर्यावरण हमारे जीवन की आधारभूत व्यवस्था है। यह हमें जीने के लिए वायु, जल तथा भोजन प्रदान करता है, जो हमारे जीवन के लिए अनवार्य हैं।

(iv) मानव की आर्थिक क्रियाओं ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

च. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. प्रकृति प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती है। भूमि, जल, वायु, जीव-जंतु व पेड़-पौधे परस्पर मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत स्थलमण्डल कहलाती है। यह खनिजों व चट्टानों से बनी होती है। यह मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। स्थलमंडल में वन, मानव, कृषि, चरागाह आदि क्षेत्र होते हैं। यह खनिज संपदा का प्रमुख स्रोत होता है। स्थलमंडल पर स्थलाकृतियाँ विषम होती हैं। इस पर पठार, घाटी, मैदान, पर्वत आदि स्थलाकृतियाँ होती हैं।

   जल का क्षेत्र जलमंडल कहलाता है। जलमंडल नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि से मिलकर बनता है। जलमंडल पर्यावरण का महत्त्वपूर्ण घटक है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत वायुमंडल कहलाती है। वायुमंडल हमारे लिए बहुत लाभदायक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल को उसके स्थान पर स्थिर रखता है। वायुमंडल से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा होती है। ये किरणें अत्यधिक गर्म होती हैं, जो हमारी त्वचा के लिए खतरनाक हो सकती हैं। वायुमंडल में जलवाष्प, विभिन्न प्रकार की गैसें, धूल के कण आदि उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन ही मौसम व जलवायु में होने वाले परिवर्तन का कारण बनते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रकार के पेड़-पौधे व जीव-जंतु मिलकर एक सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जिसे जैवमण्डल कहा जाता है। जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, जहाँ जल, स्थल व वायु मिलकर जीवन की संभावना बनाते हैं।

2. **पर्यावरण प्रदूषण-** सन्तुलित पर्यावरण में भौतिक एवं जैविक तत्त्व एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं तथा एक ऐसे पारिस्थितिक तन्त्र का निर्माण करते हैं, जिससे प्राणियों का विकास स्वाभाविक ढ़ंग से होता है। मानव की समस्त उन्नत सभ्यताओं का विकास प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में हुआ। प्रगति के नाम पर मनुष्य ने अपने आस-पास की प्रकृति सम्पदा का शोषण कर पर्यावरण के विभिन्न भौतिक एवं जैविक कारकों के मध्य परस्पर पूरकता की श्रृंखलाओं को छिन्न-भिन्न कर दिया। इसे पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। अतः पर्यावरण में अवांछित तत्वों का सम्मिलित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है।

   आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण इतना विकराल हो गया है कि यह पृथ्वी पर मानव और अन्य प्राणियों के अस्तित्व को नष्ट कर देने को तत्पर है। वायु, जल और मृदा में ऐसे

अवांछनीय पदार्थों की वृद्धि या वांछित पदार्थों का अभाव है, जिससे वे प्राणियों के लिए अनुपयोगी बन जाए, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं–

1. प्राकृतिक संसाधनों का अधिक प्रयोग।
2. कारखानों से निकलने वाला घातक धुआँ, विषैली गैसें एवं कर्कश ध्वनि।
3. दूषित जल एवं मल का निष्कासन।
4. अपशिष्ट पदार्थों को फेंकना।
5. नदियों के स्वच्छ जल में गन्दा और दूषित जल मिलाना, शव बहाना तथा राख डालना।
6. वाहनों से निकलने वाला धुआँ एवं कर्कश ध्वनि।
7. वायुमण्डल में दहन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन-डाइ-ऑक्साइड की मात्रा में भारी वृद्धि।
8. रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का भारी उपयोग।
9. वनों का भयंकर विनाश।
10. तीव्र गति से जनसंख्या का बढ़ जाना।

पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता सभ्यता के विकास से ही मनुष्य ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण का लगातार परिवर्तन किया है। उसके विविध आर्थिक क्रियाकलापों ने पर्यावरण में स्थायी परिवर्तन कर दिए हैं। इन परिवर्तनों का जीवों के प्राकृतिक पर्यावरण पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। अतः हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण की बहुत आवश्यकता है।

पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है–

1. पर्यावरण हमें लकड़ी, ईंधन, खनिज तथा ऊर्जा जैसे उपयोगी संसाधन प्रदान करता है।
2. वन, चरागाह, खेतिहर भूमि तथा खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से पर्यावरण का बहुत विनाश हुआ है।
3. पर्यावरण हमारे जीवन की आधारभूत व्यवस्था है। यह हमें जीने के लिए वायु, जल तथा भोजन प्रदान करता है, जो हमारे जीवन के लिए अनवार्य हैं।
4. मानव की आर्थिक क्रियाओं ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

पर्यावरण का महत्त्व- पर्यावरण का हमारे लिए बड़ा महत्त्व है। पर्यावरण के बिना हम पृथ्वी के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण के महत्व निम्नलिखित हैं–

1. पर्यावरण हमारे लिए उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना कि भोजन।
2. भोजन के अभाव में शरीर नष्ट हो सकता है, परन्तु पर्यावरण के अभाव में सम्पूर्ण सभ्यता ही नष्ट हो सकती है।
3. मनुष्य पर्यावरण की देन है। इसके बिना मानव का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा।
4. पर्यावरण के अभाव में न पृथ्वी रहेगी और न उस पर जीवन रहेगा।
5. पर्यावरण ही मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कराता है। पर्यावरण के अभाव में उनकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

2. पृथ्वी की आंतरिक रचना

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (ब) तीन 2. (अ) सिएल 3. (स) 2900 किमी 4. (द) संगमरमर

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. भू-पर्पटी 2. चट्टानों 3. आग्नेय शैलों 4. अकार्बनिक

ग. सही मिलान कीजिए–

(अ)	(ब)
पिघली चट्टानें	अवसादी शैल
ग्रेनाइट	रूपांतरित शैल
बालू पत्थर	मैग्मा
ग्रेफाइट	आग्नेय शैल

घ. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. भू-पर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है। यह ठोस होती है। सागरों में नीचे यह ठोस, हल्के वजन तथा 2.7 धनत्व की होती है। पर्पटी महाद्वीपीय संहति में 35 किमी व समुद्री सतह पर 5किमी तक विस्तृत है।
2. पृथ्वी की आंतरिक ठोस परतों को मैंटल कोर कहते हैं।
3. पृथ्वी की वास्तवि क भू-पर्पटी आग्नेय शैलों से बनी है। इसलिए इन शैलों (चट्टानों) को प्राथमिक चट्टानें कहते हैं।
4. पौधों तथा जंतुओं के शव जो इन परतो के बीच फँस जाते हैं तथा बहुत समय तक इन्ही चट्टानों में रहते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं।
5. खनिजों को दो बर्गों में विभाजित किया गया है- धात्विक तथा अधात्विक खनिज।
6. पुथ्वी पर परिवर्तन प्रायः बहुत मंद गति से होते हैं। कभी-कभी ये परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। पृथ्वी की जो गतियाँ विशाल परिवर्तन लाती है,उन्हें भू- स्तरीय गतियाँ कहते हैं।

ङ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. भू-पर्पटी या सियाल- भू-पर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है। यह ठोस होती है। सागरों में नीचे यह ठोस, हल्के वजन तथा 2.7 घनत्व की हीती है। पर्पटी महाद्वीपीय संहति में 35 किमी व समुद्री सतह पर 5 किमी तक विस्तृत है। महाद्वीपीय संहति का निर्माण सिलिका व ऐलुमिना जैसे खनिजों से हुआ है इसलिए इसे 'सिएल' (सि-सिलिका तथा एलुमिना) कहा जाता है। महासागर में पर्पटी का निर्माण सिलिका व मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसे 'सिमै' (सि-सिलिका तथा मैग्नीशियम) कहते हैं।
2. चट्टानें या शैले मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं– आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित शैलें।
3. खनिज एक प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व है, जिसमें कठोरता, रंग तथा रूप का एक निश्चित भौतिक गुण होता है। खनिज का एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। खनिज तत्व या यौगिक कोई भी हो सकता है। प्रत्येक खनिज सामान्यतः दो या दो से अधिक तत्वों से बना होता है। खनिज पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में तथा समुद्र तट पर पाए जाते हैं। खनिजों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है– धात्विक तथा अधात्विक खनिज।

4. खनिजों का आधुनिक समाज में संसाधन के रूप में एक बड़ा और विशाल महत्त्व है। इसके महत्त्व के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता इस प्रकार है–

(i) बहुत-से खनिजों का उपयोग ईंधन तथा शक्ति स्रोतों के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए– कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसें। इनका उपयोग शक्ति उत्पन्न करने के लिए करते हैं।

(ii) खनिजों का प्रयोग इमारत निर्माण के पदार्थों में होता है। उदाहरण के लिए– मिट्टी, चूना पत्थर, बालू पत्थर, ग्रेनाइट आदि।

च. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. पृथ्वी वह ग्रह है, जो अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है।

पृथ्वी तीन ठोस परतों से बनी हैं– कोर या केन्द्रीय भाग (लोहा और निकिल से बनी है), भू-पर्पटी या क्रस्ट (ठोस चट्टानों से बनी) तथा मैंटल (सिलिका और मैग्नीशियम से बनी)।

भू-पर्पटी या सियाल- भू-पर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है। यह ठोस होती है। सागरों में नीचे यह ठोस, हल्के वजन तथा 2.7 घनत्व की होती है। पर्पटी महाद्वीपीय संहति में 35 किमी व समुद्री सतह पर 5 किमी तक विस्तृत है। महाद्वीपीय संहति का निर्माण सिलिका व ऐलुमिना जैसे खनिजों से हुआ है इसलिए इसे 'सिएल' (सि-सिलिका तथा एलुमिना) कहा जाता है। महासागर में पर्पटी का निर्माण सिलिका व मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसे 'सिमै' (सि-सिलिका तथा मैग्नीशियम) कहते हैं।

मैंटल- पृथ्वी की आंतरिक ठोस परतों को मैंटल कोर कहते हैं। मैंटल का संगठन बहुत सघन चट्टानों से होता है। मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका का आंतरिक विस्तार 2,900 किमी है, जो पृथ्वी के आयतन का 85 प्रतिशत है। कभी-कभी इसके ऊपरी भाग को 'प्लास्टिक' (कोमल और लचीला) कहते हैं। यद्यपि यह ठोस है, गति करता है। मेंटल का बाहरी भाग तथा भू-पर्पटी के मिश्रित रूप को स्थलमंडल कहते हैं।

स्थलमंडल विशाल समतल भूमि जो निरंतर गतिमान है, से निर्मित हुआ है।

कोर या केंद्रीय भाग- पृथ्वी का केंद्रीय भाग धात्विक होता है, जो निकिल तथा लोहा धातु से निर्मित है इसलिए इसे निफे (नि-निकिल-फे-फैरस) भी कहा जाता है। यह निचली परत पृथ्वी के केंद्र से ऊपर की ओर विस्तारित तथा भारी घनत्व की है।

बाहरी कोर लगभग 1,400 मील (2,253 किमी) मोटी तथा मुख्यतः तरल लोहे के साथ निकिल तथा अन्य तत्वों की है। आंतरिक कोर लगभग 1,287 किमी मोटी, ठोस तथा 9,000°C गर्म है।

पृथ्वी – बाहर से

पृथ्वी – अंदर से

2. स्थलमंडल शब्द का अर्थ है 'चट्टानों का मंडल'। वास्तव में, ग्रीक भाषा के 'लिथोस' शब्द का अर्थ है– चट्टान। चट्टानों या शैलों का निर्माण खनिज से हुआ है, जो मुख्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। प्रत्येक खनिज से साधारणतः दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं जो तत्व कहलाते हैं तथा जिन्हें संपूर्ण पृथ्वी बनाती है। सिलिका, कार्बोनेट और ऑक्साइड

सामान्य खनिज चट्टानों के घटक हैं। खनिज जैसे रासायनिक पदार्थ प्रकृति में मिलने वाले अन्य तत्व या यौगिक हो सकते हैं। धात्विक खनिज जैसे ताँबा, शीशा और सोने की तरह अधात्विक खनिज जैसे खड़िया मिट्टी, क्वार्टज या स्कैटिक और अभ्रक है।

चट्टानें या शैले मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं– आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित शैलें।

आग्नेय चट्टान- ये पिघली चट्टान जिसे मैग्मा कहते हैं, से बनी होती हैं। ये मैग्मा पृथ्वी की भू-पर्पटी के नीचे होती हैं। इन शैलों की रचना भू-गर्भ में स्थित गरम द्रव से बनी होती है, जो सतह से 60-100 किमी गति करता है जब वाष्प दबाव के ऊपर सतह पर आने से होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुँचने पर यह कठोर हो जाता है। जब यह कठोर हो जाता है तो आग्नेय चट्टानें बनती हैं।

पृथ्वी की वास्तविक भू-पर्पटी आग्नेय शैलों से बनी हैं। इसलिए इन शैलों (चट्टानों) को प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। खनिज घटकों के क्रिस्टलों के एक-दूसरे से मिलने से इनका संगठन होता है। ग्रेनाइट तथा वेसाल्ट, आग्नेय शैल के दो सामान्य उदाहरण हैं। ग्रेनाइट रवेदार व दानेदार तथा हल्के रंग की शैल तथा बेसाल्ट दानेदार तथा गहरे रंग की शैल (चट्टान) होती है।

अवसादी चट्टान- ये मुख्यतः पृथ्वी की सतह पर फैली रहती हैं। ये शैल के कणों से बनी हैं। वर्षा इन शैलों को भूमि पर छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। नदी, ग्लेशियर तथा वायु इन शैल कणों को झीलों तथा समुद्रों में ले जाते हैं और उन्हें समुद्र के तल या भू-भाग पर परतों में जमा करते हैं। इन जमी परतों की मोटाई हजारों मीटर होती है।

जल्दी ही ये बिखरे और असंगठित खनिज शैल रेत और मिट्टी, कठोर और ठोस चट्टानों जैसे बालू पत्थर तथा शैल के रूप में बदल जाते हैं। ये परतदार या तहनुमा संरचना में होते हैं। इसी कारण इन्हें तहनुमा चट्टानें भी कहते हैं। परतदार चट्टानों में जीवाश्म भी मिलते हैं। पौधों तथा जंतुओं के शव जो इन परतों के बीच फँस जाते हैं तथा बहुत समय तक इन्हीं चट्टानों में रहते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। बालू पत्थर, शैल तथा चूना पत्थर कुछ सामान्य परतदार चट्टानें हैं।

रूपांतरित चट्टान- सभी चट्टानों में बदलाव होते हैं। जब इन चटटानों के वास्तविक रंग, कठोरता, बनावट तथा खनिज संगठन अनुकूल स्थितियों में ताप व दाब के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से बदल जाते हैं तो रूपांतरित शैल का निर्माण होता है।

आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों का बदला रूप ही रूपांतरित चट्टानें हैं। ये चट्टानें आग्नेय चट्टानों के समान स्थितियों के अनुकूल बनती हैं।

रूपांतरित शैल का निर्माण गहराई में अवसादी शैल तथा आग्नेय शैल में दाब के परिणाम के फलस्वरूप होता है। इस स्थिति में ग्रेनाइट का परिवर्तन जिनेसिस में, मिट्टी तथा शैल का परिवर्तन द्विमेरु में पृथ्वी की भू-पर्पटी की गहराई में होता है। संगमरमर एक रूपांतरित शैल है जो परतदार चूना पत्थर के परिवर्तन के परिणामस्वरूप बनती है। 90 प्रतिशत से ज्यादा कार्बन के साथ कोयला, कोयला पत्थर तथा ग्रेफाइट में बदल जाता है।

रूपांतरित चट्टानें बहुत कठोर, पास-पास सटी क्रिस्टलों की संरचना द्वारा निर्मित होती हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया में, न केवल नए और मूल्यवान खनिज; जैसे– रत्न, माणिक, नीलम उत्पन्न होते हैं किंतु क्रिस्टलों के बड़े और पुनर्गठन से बने तत्वों में मैग्मा चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है।

चट्टानें हमारे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण और उपयोगी हैं। कठोर चट्टानों का प्रयोग, सड़क, घर तथा इमारतों को बनाने में किया जाता है; जैसे– कुतुबमीनार का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है और ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर से हुआ है।

3. **शैल चक्र-** अनुकूल परिस्थितियों में एक प्रकार की चट्टानें अन्य प्रकार की चट्टानों में बदल जाती हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक चट्टान दूसरे प्रकार की चट्टानों में स्थानांतरित हो जाती है, उसे शैल चक्र कहते हैं।

तरल मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। ये आग्नेय शैलें समय के साथ-साथ छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती हैं तथा इनसे अवसादी शैलों का निर्माण हो जाता है। अत्यधिक ताप व दाब के कारण अवसादी शैलें रूपांतरित हो जाती हैं और रूपांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती हैं। ये शैलें पुनः पिघलकर तरल मैग्मा बन जाती हैं और फिर से ठंडी होकर आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाती हैं। अतः इस तरह प्रकृति में यह शैल चक्र चलता रहता है।

शैल चक्र

4. खनिज एक प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व है, जिसमें कठोरता, रंग तथा रूप का एक निश्चित भौतिक गुण होता है। खनिज का एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। खनिज तत्व या यौगिक कोई भी हो सकता है। प्रत्येक खनिज सामान्यतः दो या दो से अधिक तत्वों से बना होता है। खनिज पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में तथा समुद्र तट पर पाए जाते हैं।

खनिजों के प्रकार- खनिजों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है– धात्विक तथा अधात्विक खनिज।

धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं, जिनसे लोहा, ताँबा, सोना, मैग्नीज, निकिल आदि धातु प्राप्त होते हैं। ये धातुएँ बहुत उपयोगी हैं।

अधात्विक खनिज में धातु की मात्रा नहीं होती है। लवण, सल्फर, कोयला तथा पेट्रोल इस समूह से संबंध रखते हैं। खनिजों की प्रवृत्ति अकार्बनिक होती है।

खनिजों का महत्त्व

खनिजों का आधुनिक समाज में संसाधन के रूप में एक बड़ा और विशाल महत्त्व है। इसके महत्त्व के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता इस प्रकार है–

1. बहुत-से खनिजों का उपयोग ईंधन तथा शक्ति स्त्रोतों के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए– कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसें। इनका उपयोग शक्ति उत्पन्न करने के लिए करते हैं।

2. खनिजों का प्रयोग इमारत निर्माण के पदार्थों में होता है। उदाहरण के लिए– मिट्टी, चूना पत्थर, बालू पत्थर, ग्रेनाइट आदि।

3. धातु जैसे लोहा, ताँबा, जिंक, शीशा, एल्युमीनियम, चाँदी हमें धातु चट्टानों से प्राप्त होती हैं। इन धातुओं को मिश्रधातु में बदलकर विभिन्न रूप से उपयोगी बनाया जाता है। इनका उपयोग बहुत-से उद्योगों में किया जाता है।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

3. पृथ्वी की गतियाँ

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) तीन 2. (स) विषम 3. (ब) वलित पर्वत 4. (द) अवशिष्ट

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. ज्वालामुखी 2. मन्द 3. सुप्त 4. अधिकेन्द्र

ग. सही मिलान कीजिए

(अ)	(ब)
आल्पस पर्वत	भ्रंश
विंध्याचल पर्वत	प्रशांत महासागर
माउण्ट पोपा	वलित
अग्नि वलय	मृत ज्वालामुखी

घ. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. पृथ्वी का स्थलमंडल विभिन्न प्लेटों में बँटा हुआ है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं।
2. भारत का विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत ब्लाक पर्वत के उदाहरण हैं।
3. सिसली में माउण्ट एटना तथा जापान में फ्यूजीयामा सक्रिय ज्वालामुखी के दो उदाहरण हैं।
4. भू-पर्पटी के अंदर जहाँ कंपन आरम्भ होता है, उसे उद्‌गम केन्द्र कहते हैं।
5. भू-सतह पर उदगम केन्द्र के निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं।
6. भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे भूकंप मापी कहते हैं। भूकंपकी तीव्रता को रिक्टर पैमान पर मापा जाता है।

ङ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. पृथ्वी का स्थलमंडल विभिन्न प्लेटों में बँटा हुआ है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें मंद गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। प्लेटों की इन गतियों के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी में होने वाली ये गतियाँ पृथ्वी के आंतरिक या बाहरी भाग में घटित होने वाले बलों के कारण होती हैं।
2. पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की पपड़ी पर दरारें पड़ जाती हैं, ये दरारें भू-गर्भ में काम कर रही तनाव की शक्तियों के लम्बवत दिशा में कार्य करने से पड़ती हैं। इन शक्तियों के कारण पृथ्वी का एक तरफ का भाग ऊपर उठ जाए या किसी क्षेत्र के आस-पास का भाग नीचे धँस जाए, तो ऊपर उठे भाग को भ्रंश पर्वत कहते हैं। भारत का विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत, फ्रांस का वास्जेस, जर्मनी का ब्लैक फॉरेक्ट, पाकिस्तान की साल्ट श्रेणियाँ आदि भ्रंश पर्वत के उदाहरण हैं।
3. **भ्रंशोत्थ–** जब दो या अधिक समानान्तर भ्रंशों के मध्य का भाग ऊँचा उठ जाता है, तब भ्रंशों का निर्माण होता है, जिसे ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है।
4. जब तक उष्ण तथा द्रवित पदार्थ पृथ्वी के धरातल के भीतर रहता है, तब तक उसे 'मैग्मा' कहा जाता है, किन्तु जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आता है, तब इसे 'लावा' कहते हैं। लावा का प्रवाह उसकी 'श्यानता' या चिपचिपाहट तथा गाढ़ेपन पर निर्भर करता है। मैग्मा में उपस्थित जल तथा सिलिका की मात्रा लावा के गाढ़ेपन को प्रभावित करती है। सिलिका की

मात्रा अधिक होने पर लावा गाढ़ा होता है, जबकि जल की मात्रा अधिक तथा सिलिका की मात्रा कम होने पर लावा कम गाढ़ा होता है।

5. पर्वतों के पाद में स्थित या पर्वत शृंखलाओं से जुड़े वे पठार, जिनके दूसरी ओर मैदान या समुद्र होते हैं, उन्हें पीडमॉण्ट या गिरिपद पठार कहते हैं। इन पठारों का क्षेत्रफल प्रायः कम होता है। इनका निर्माण कठोर शैलों से होता है। भारत में मालवा का पठार, दक्षिण अमेरिका में पैटेगोनिया का पठार, जिसके एक ओर अटलांटिक महासागर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एप्लेशियन पर्वत आदि पीडमॉण्ट पठार के उदाहरण हैं। ये पठार किसी समय में बहुत ऊँचे थे। लगातार विभिन्न प्रकार के अपरदनों के कारण ये घिसकर छोटे रह गए हैं। इस कारण इन पठारों को 'अपरदन के पठार' भी कहा जाता है।

च. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. **पर्वत-** भूमि से अत्यधिक ऊपर उठा भू-भाग पर्वत कहलाता है। ऊँचाई तथा निर्माण के आधार पर ये अत्यधिक विविधतापूर्ण होते हैं। इनमें से अधिकांश पृथ्वी की धीमी आन्तरिक गतियों से उत्पन्न होते हैं। जिन्हें पटल विरूपणकारी गतियाँ कहा जाता है। ये गतियाँ पृथ्वी के आन्तरिक भाग में उत्पन्न होती हैं। पर्वत मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं–

   वलित पर्वत – वलित पर्वतों का निर्माण तलछटी चट्टानों में मोड़ पड़ने के कारण होता है। ये विश्व के विशालतम तथा उच्चतम पर्वत हैं। ये पृथ्वी की आन्तरिक शक्तियाँ द्वारा बड़े पैमाने पर होने वाली वलन क्रिया से उत्पन्न होते हैं। ये शक्तियाँ क्षैतिज गतियों को उत्पन्न करती हैं। एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉक, दक्षिण अमेरिका में एण्डीज आदि सभी वलित पर्वत हैं।

   भ्रंश अथवा ब्लॉक पर्वत– पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की पपड़ी पर दरारें पड़ जाती हैं, ये दरारें भू-गर्भ में काम कर रही तनाव की शक्तियों के लम्बवत दिशा में कार्य करने से पड़ती हैं। इन शक्तियों के कारण पृथ्वी का एक तरफ का भाग ऊपर उठ जाए या किसी क्षेत्र के आस-पास का भाग नीचे धँस जाए, तो ऊपर उठे भाग को भ्रंश पर्वत कहते हैं। भारत का विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत, फ्रांस का वास्जेस, जर्मनी का ब्लैक फॉरेक्ट, पाकिस्तान की साल्ट श्रेणियाँ आदि भ्रंश पर्वत के उदाहरण हैं।

   ज्वालामुखी पर्वत– धरती के अंदर से निकला तरल मैग्मा बाहर निकलकर ठंडा हो जाता है और एक जगह जमा होता रहता है। इस तरह से वह काफी ऊँचाई तक जमा हो जाता है। इस तरह के पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जापान का फ्यूजीयामा, म्यांमार का पोपा तथा हवाई द्वीप समूह का मोनालोआ आदि ज्वालामुखी पर्वत हैं।

   अवशिष्ट पर्वत– इस तरह के पर्वत का निर्माण अपक्षय, नदियों आदि द्वारा हुआ है। ये बाह्य शक्तियाँ धरातल को काट-छाँट देती हैं जिससे पृथ्वी का धरातल अत्यधिक विच्छेदित हो जाता है। भारत में नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, मध्य स्पेन में सीयरा, अमेरिका में गैसा एवं बूटे की पहाड़ियाँ आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं।

2. **पठार-** इनकी स्थिति पर्वतों तथा मैदानों के मध्य होती है। ये आस-पास की भूमि से एकाएक ऊपर उठे होते हैं। इनका धरातल कठोर तथा चट्टानी होने के कारण कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है, किन्तु ये खनिज संसाधनों में सम्पन्न होते हैं। तिब्बत तथा बोलिविया जैसे पठार पर्वतों से भी ऊँचे हैं।

   पठार एक विस्तृत व ऊँचा भूभाग होता है, जिसका सबसे ऊपरी भाग पर्वत की अपेक्षा लम्बा-चौड़ा व लगभग समतल होता है।

पठारों का वर्गीकरण- भौगोलिक स्थिति तथा संरचना के आधार पर पठार तीन वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं–

(i) अन्तरा-पर्वतीय-पठार – चारों ओर से ऊँची-पर्वत श्रृंखलाओं से पूर्णरूपेण या आंशिक रूप से घिरा भूभाग अन्तरा-पर्वतीय पठार कहलाता है। उर्ध्वाधर हलचलें लगभग क्षैतिज संस्तरों वाली शैलों के बहुत बड़े भूभाग को समुद्र तल से हजारों मीटर ऊँचा उठा देती है। संसार के लगभग सभी ऊँचे पठार अन्तरा-पर्वतीय पठार होते हैं। इन पठारों की औसतन ऊँचाई 3000 मी (लगभग) होती है। तिब्बत का विस्तृत एवं ऊँचा पठार 4500 मी ऊँचा है। यह अन्तरा-पर्वतीय पठार (तिब्बत का पठार) हिमालय, कराकोरम, क्यूनलून, तियशान पर्वतों से दो ओर से घिरा है। कोलोरेडो, मेक्सिको, बोलीविया, ईरान, हंगरी आदि के पठार भी अन्तरापर्वतीय पठार हैं।

(ii) पीडमॉण्ट पठार– पर्वतों के पाद में स्थित या पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़े वे पठार, जिनके दूसरी ओर मैदान या समुद्र होते हैं, उन्हें पीडमॉण्ट या गिरिपद पठार कहते हैं। इन पठारों का क्षेत्रफल प्रायः कम होता है। इनका निर्माण कठोर शैलों से होता है। भारत में मालवा का पठार, दक्षिण अमेरिका में पैटेगोनिया का पठार, जिसके एक ओर अटलांटिक महासागर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एप्लेशियन पर्वत आदि पीडमॉण्ट पठार के उदाहरण हैं। ये पठार किसी समय में बहुत ऊँचे थे। लगातार विभिन्न प्रकार के अपरदनों के कारण ये घिसकर छोटे रह गए हैं। इस कारण इन पठारों को 'अपरदन के पठार' भी कहा जाता है।

(iii) महाद्वीपीय पठार – धरातल के एक बहुत बड़े भू-भाग के ऊपर उठने या लावा की परतों के अत्यंत ऊँचाई तक जाने से महाद्वीपीय पठारों का निर्माण होता है। ये पठार 'निक्षेपण के पठार' भी कहलाते हैं। ये अपने आस-पास के क्षेत्रों तथा समुद्रतल से स्पष्टतः ऊँचे उठे दिखते हैं। इनका विस्तार सर्वाधिक होता है। महाराष्ट्र का लावा पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नेक नदी का पठार, ब्राजील का पठार, अरब का पठार, ग्रीनलैण्ड का पठार, स्पेन का पठार, अंटार्कटिका के पठार, ऑस्टेलिया के पठार तथा अफ्रीका के पठार आदि महाद्वीपीय पठारों के ही उदाहरण हैं।

3. **पृथ्वी के स्थल रूपों में परिवर्तन-** स्थलरूपों में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। अनेक आन्तरिक-बाह्य शक्तियाँ तथा प्रक्रियाएँ वर्तमान स्थलाकृति में परिवर्तन करती रहती हैं। ये परिवर्तन धीरे-धीरे या अदृश्य रूप से तथा अचानक दोनों प्रकार से होते हैं। धीमे परिवर्तनों को हम अपने जीवनकाल में देख तथा अनुभव नहीं कर पाते हैं किन्तु आकस्मिक परिवर्तनों को सहज ही देखा जा सकता है। धीमी गतियों द्वारा दो प्रमुख आकार (लक्षण) बनते हैं– वलन (मोड़) तथा भ्रंश।

(i) वलन – पृथ्वी के भीतर धीमी गतियों के कारण धरातलीय शैलें मुड़ जाती हैं, जिनसे वलन उत्पन्न होते हैं। वलन का ऊपरी उठा हुआ भाग अपनति कहलाता है। जबकि भीतर धँसे हुए भाग को अभिनति कहा जाता है।

(ii) भ्रंश – भूपटल पर अनेक विभंग या दरारें पाई जाती हैं, जिनके सहारे स्थलखण्डों का विस्थापन होता है। शैल परतों में तनाव के कारण दरार उत्पन्न हो जाती है, जिससे भ्रंश विकसित होते हैं। शैलों के भ्रंशन तथा विस्थापन से अनेक प्रकार के विशिष्ट स्थलरूप विकसित होते हैं, उन्हें भ्रंश कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं।

(a) भ्रंश घाटी – जब दो या अधिक समानान्तर भ्रंशों के मध्य का स्थलखण्ड (भू-भाग) नीचे

धँसता है तो घाटी के आकार की आकृति विकसित होती है, जिसे भ्रंश घाटी कहते हैं।

(b) भ्रंशोत्थ – जब दो या अधिक समानान्तर भ्रंशों के मध्य का भाग ऊँचा उठ जाता है,तब भ्रंशों का निर्माण होता है, जिसे ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है-

4. **ज्वालामुखी**- ज्वालामुखी पृथ्वी की पपडी में दरार होता है, जिससे पिघले हुए पदार्थ बाहर निकलकर आस-पास के क्षेत्र में जम जाते हैं। यह जमाव ही ज्वालामुखी पर्वत का आकार ले लेता है।

ज्वालामुखी एक विशिष्ट आकृति होती है, जिसका एक क्रेटर, ग्रीवा (नलिका) तथा शंकु होता है। वह गहरी दरार या नलिका जिससे होकर लावा बाहर आता है, 'ग्रीवा' कहलाता है। प्याले की आकृति का मुख 'क्रेटर' कहलाता है तथा लावा का शंक्वाकार ढेर, जो जमकर एक पहाड़ी का रूप धारण कर लेता है, 'शंकु' कहलाता है। लावा के उद्‌गार होने तथा जमने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को 'ज्वालामुखी क्रिया' कहा जाता है।

जब तक उष्ण तथा द्रवित पदार्थ पृथ्वी के धरातल के भीतर रहता है, तब तक उसे 'मैग्मा' कहा जाता है, किन्तु जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आता है, तब इसे 'लावा' कहते हैं। लावा का प्रवाह उसकी 'श्यानता' या चिपचिपाहट तथा गाढ़ेपन पर निर्भर करता है। मैग्मा में उपस्थित जल तथा सिलिका की मात्रा लावा के गाढ़ेपन को प्रभावित करती है। सिलिका की मात्रा अधिक होने पर लावा गाढ़ा होता है, जबकि जल की मात्रा अधिक तथा सिलिका की मात्रा कम होने पर लावा कम गाढ़ा होता है।

ज्वालामुखी विस्फोट अनेक कारणों से होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल के नीचे तापमान बढ़ने के कारण शैलें द्रवित अवस्था में होती हैं, जिसे 'लावा' कहते हैं। जब वर्षा का जल या समुद्री जल छिद्रों से होकर पृथ्वी के भीतरी भागों में पहुँचता है तो ऊष्मा वाष्प तथा गैस में बदल जाती हैं। जब कभी लावा तथा गर्म गैसों को कोई कमजोर शैलों वाला क्षेत्र या दरार या छिद्र मिल जाता है तो वे एक विस्फोट के साथ पृथ्वी के धरातल पर आ जाते हैं।

ज्वालामुखी के प्रकार- ज्वालामुखी विभिन्न प्रकार के होते हैं; लेकिन क्रियाशीलता के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं– सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी तथा मृत ज्वालामुखी।

(i) सक्रिय ज्वालामुखी – ये ज्वालामुखी सदैव सक्रिय रहते हैं, अर्थात् इनसे निरन्तर विस्फोट होता रहता है। विश्व में 500 से भी अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनमें से अधिकांश प्रशान्त महासागर के किनारे एक वलयाकार पेटी में स्थित हैं, जिसे 'अग्नि वलय' कहा जाता है। सिसली में माउण्ट एटना, जापान में फ्यूजीयामा तथा बंगाल की खाड़ी (भारत) में बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण हैं।

(ii) सुप्त ज्वालामुखी – ये वे ज्वालामुखी हैं, जिनमें अतीत काल में विस्फोट हुआ था। अब वे शान्त हैं, किन्तु उनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। इटली में विसूवियस सुप्त ज्वालामुखी का उत्तम उदाहरण है। ये ज्वालामुखी बहुत हानिकारक होते हैं क्योंकि ये धोखे में रखते हैं। इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है तथा लोगों को उसकी चेतावनी भी नहीं मिलती है। विसूवियस ज्वालमुखी में सर्वप्रथम 79 ई0 में विस्फोट हुआ था तथा यह 1700 वर्षों तक सुप्त अवस्था में रहा।

(iii) मृत ज्वालामुखी– ये वे ज्वालामुखी हैं, जिनमें कभी अत्यंत प्राचीन समय में विस्फोट हुआ था, किन्तु अब वे सक्रिय नहीं हैं तथा इनकी भविष्य में भी सक्रिय होने की सम्भावना नहीं है। म्याँमार का माउण्ट पोपा मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है।

5. भूकम्प- स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन

पृथ्वी के चारों तरफ गति करता है। इसी कंपन को भूकम्प कहते हैं। भू-पर्पटी के अंदर जहाँ कंपन आरम्भ होता है, उसे उद्‌गम केन्द्र कहते हैं। भू-सतह पर उद्‌गम केन्द्र के निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेन्द्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गति करते हैं। अधिकेन्द्र के आस-पास के क्षेत्र में भूकंप द्वारा सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेन्द्र से ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ती है, त्यों-त्यों भूकंप की तीव्रता कम होती जाती है। भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करना असंभव है, परन्तु यदि हम पूर्व ही तैयार रहें तो भूकंप के प्रभाव से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है।

भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे भूकंपमापी कहते हैं। भूकम्प की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। जिस भूकम्प की तीव्रता 6.0 या 7.0 होती है या उससे भी अधिक, वह भूकम्प अत्यधिक शक्तिशाली होता है। इससे होने वाली क्षति की भरपाई करना असम्भव होता है। यह जान-माल को बहुत नुकसान पहुँचाता है। 5.0 की तीव्रता वाले भूकंप कम क्षति वाले होती है, जबकि 2.0 की तीव्रता या उससे कम की तीव्रता वाले भूकम्प न के बराबर ही अपना प्रभाव छोड़ते हैं।

यह उल्लेखनीय तथ्य है कि पृथ्वी पर भूकम्प के क्षेत्र कमजोर शैलों के क्षेत्रों से सम्बद्ध हैं। ज्वालामुखी की सक्रियता वाले क्षेत्रों में अर्थात् प्रशान्त महासागर के किनारे स्थित 'अग्नि वलय' में विनाशकारी भूकम्प आते हैं।

भारत में भूकम्पों की आवृत्ति हिमालय तथा उसकी तलहटी एवं गंगा-ब्रह्मपुत्र घाटी में सर्वाधिक मिलती है। असम, उत्तरी बिहार, कश्मीर, उत्तराखण्ड तथा कच्छ में सर्वाधिक तीव्रता वाले भूकम्प आते हैं। जब तक कोयना नगर (1667ई0) में भूकम्प नहीं आया था, तब तक दकन के पठार को प्रायः भूकम्परहित क्षेत्र माना जाता था। 26 जनवरी, 2001 को भुज (गुजरात) में भीषण भूकम्प आया, जिसमें लगभग 30,000 लोग मारे गए। अक्तूबर, 2005 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा भारत में विनाशकारी भूकम्प आया, जिसमें 40,000 से अधिक लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। 25 अप्रैल, 2015 को नेपाल में 7.9 तीव्रता का एक विनाशकारी भूकम्प आया, जिससे नेपाल, भारत, बांग्लादेश, चीन आदि देश प्रभावित हुए। इस भूकम्प से नेपाल में 8000 से अधिक तथा भारत में 100 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। इस भूकम्प के पश्चात् राहत कार्य चल ही रहा था कि 12 मई, 2015 को पुनः 7.3 तीव्रता वाला एक और भूकम्प नेपाल में आ गया। इस भूकम्प का प्रभाव क्षेत्र नेपाल, भारत, चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि देशों में रहा। इस भूकम्प के परिणाम स्वरूप भी बड़ी मात्रा में जान-माल की हानि हुई। 4 जनवरी, 2016 को भारत के सिक्किम राज्य में 6.7 तीव्रता का भूकम्प आया, जिसमें 11लोगों की मृत्यु हो गयी तथा 200 से अधिक लोग घायल हुए।

भूकम्पों के प्रभाव- भूकम्प मात्र कुछ सेकण्ड के लिए आता है तथा यह पृथ्वी पर सर्वाधिक शक्तिशाली शक्तियों में गिना जाता है। एक तीव्र भूकम्प से इतनी ऊर्जा बाहर निकलती है, जो परमाणु बम की उर्जा से 10,000 गुना अधिक होती है। भूकम्प के विनाशकारी प्रभाव निम्नलिखित हैं–

(i) जन-जीवन की बहुत हानि होती है।

(ii) इमारतें, सड़कें, पुल तथा अन्य संरचनाएँ क्षतिग्रस्त तथा नष्ट हो जाती हैं।

(iii) अधःसागरीय भूकम्पीय तरंगें, जिन्हें 'सूनामी' कहा जाता है, अत्यन्त हानिकारक होती हैं।

(iv) बिजली के तारों में आग लगने से भयंकर हानि होती है।

(v) पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलनों से हानि होती है।

(vi) नदियों के मार्ग बदल जाते हैं।

(vii) खतरनाक रसायनों के बिखरने से भी बहुत हानि होती है।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

4. वायुमण्डल

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (ब) 78% 2. (अ) ऑक्सीजन 3. (अ) समताप मंडल 4. (ब) दाब घटता है

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. वायुमंडल 2. पराबैंगनी 3. 50 4. आयनमंडल

ग. सही कथन पर (3) का तथा गलत कथन पर (7) का चिह्न लगाइए–

1. (7) 2. (3) 3. (3) 4. (7)

घ. अति लघुउत्तरीय प्रश्न–

1. पृथ्वी चारों ओर से गैसों के पतले आवरण से ढकी हुई है, इसे ही वायुमंडल कहते हैं।
2. वायुमंडल में कार्बनडाइऑक्साइड की मात्रा केवल 0.3% होती है।
3. क्षोभमंडल और समतापमंडल के बीच की सीख को ट्रोपोपेज कहते हैं।
4. AC या रेफ्रीजरेटर से उत्सर्जित होने वाली गैस क्लोरो फ्लोरो कार्बन ओजोन परत को नष्ट करने की उत्तरदायी होती है।

ङ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. नाइट्रोजन (78%) तथा ऑक्सीजन (21%) गैसों से वायुमण्डल के एक बड़े भाग का निर्माण हुआ है। अन्य गैसें (0.04%) कार्बन डाइ-ऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, हाइड्रोजन आदि बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं।
2. **आयन मंडल या बाह्य वायुमण्डल** – बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊँचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है। आयन मंडल इसी परत का एक भाग है।
   आयनमंडल में विद्युतीय कण मिलते हैं, जो संचार संकेतों के प्रसारण में सहायता करते हैं। पृथ्वी रेडियो तरंगें इस परत से वापस भेजती है। संचार उपग्रह प्रसारण संकेतों को पृथ्वी पर वापस जाने में सहायता करता है। यह परत 80 किमी से 400 किमी तक ऊपर की ओर विस्तरित होती है।
3. **वायुमंडल के लाभ**
   (i) यह हमारी सुरक्षा अंतरिक्ष से गिरने वाले मलिन पदार्थों से करता है।
   (ii) यह हमें श्वसन के लिए वायु प्रदान करता है।
   (iii) यह हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करता है।
   (iv) यह हमारी परम ताप से सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा छत्र बनाता है।
   (v) यह हमें बादल तथा वर्षा प्रदान करता है।
4. पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल

लगाती है। परन्तु वायुदाब हमारे शरीर पर सभी दिशाओं से लगता है और शरीर विपरीत बल लगाता है, जिसके कारण हमें वायुदाब का अनुभव नहीं होता।

च. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. पृथ्वी चारों ओर से गैसों के पतले आवरण से ढकी हुई है, इसे ही वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन की संभावना वायुमंडल के कारण ही संभव है। वायुमंडल में उपस्थित प्राणदायिनी वायु (ऑक्सीजन) हमें प्राण देती है। वायुमंडल द्वारा ही पृथ्वी पर तापमान संतुलित अवस्था में होता है। यह वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थिर रहता है।

वायुमंडल हमारे लिए एक सुरक्षा छत्र की भाँति है। यह अंतरिक्ष में पृथ्वी पर आने वाले उल्कापिंडों तथा कचरे से हमें बचाता है। उल्कापिंड सामान्यतः जलती हुई राख है, जिसका कारण वायुमंडल के साथ घर्षण है। ये कभी-कभार ही हम तक पहुँचते हैं। वायुमंडल औसतन 1600 किमी से ऊपर तक विस्तारित है किंतु इसका 90% से अधिक 32किमी पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। इसके साथ ही, वायुमंडल की अवस्था में स्थान-स्थान तथा समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं।

वायुमंडल को पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है–

(i) क्षोभमंडल– क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। 'ट्रोपो' लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है– बदलना या परिवर्तन। यह मंडल मौसम की स्थिति संबंधी परिवर्तन को दर्शाता है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत और महत्वपूर्ण परत है। यह दिन में सूर्य के ताप से हमारी सुरक्षा करती है तथा रात में पृथ्वी को गर्म रखती है। क्षोभमंडल, वायुमंडल की सबसे घनी परत है तथा इस परत में ताप ऊँचाई पर घटता है। वह मान जिससे ताप घटता है, 1°C प्रति 165 मीटर है। इसे अतिपत्ति मान लेपसेरेट कहते है। मौसम संबंधी सभी घटनाएँ; जैसे– बादल, वर्षा, तूफान इसी परत में विस्तारित हैं। क्षोभमंडल और समतापमंडल के बीच की सीमा को ट्रोपोपेज कहते हैं।

(ii) समताप मंडल– क्षोभमंडल का ऊपरी भाग समताप मंडल कहलाता है। यह परत पृथ्वी की सतह से 50 किमी ऊपर स्थित होती है। समताप मंडल पर विक्षोभ नहीं होता है। वायु की परतें ज्यादातर सीधी या क्षैतिज और बिना विक्षोभ की होती हैं इसलिए इसे समताप के नाम से जानते हैं जिसका अर्थ है– सीधा। इस पर न तो बादल, न ही मौसम परिवर्तन और न ही विक्षोभ तत्व होते हैं। इस परत पर हवाई यात्रा सुरक्षित होती है। जेट हवाई जहाज इस परत में अधिकतर उड़ते हैं क्योंकि यहाँ अव्यवस्थित वायु नहीं है। इस परत में ओजोन गैस की एक परत होती है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है।

आजकल हम जो अपने घरों में AC या रेफ्रीजरेटर (फ्रीज) का उपयोग करते हैं, उनसे उत्सर्जित होने वाली गैस क्लोरो फ्लोरो कार्बन ओजोन परत को नष्ट करने की उत्तरदायी होती है।

(iii) मध्यमंडल– यह परत 80 किमी ऊँचाई पर समताप मंडल से ऊपर विस्तारित रहती है। यहाँ तापमान ऊँचाई पर घटता है तथा यह मध्यमंडल के अंत में 100°C तक होता है। इस परत पर वायुमंडल का सबसे कम ताप होता है। इस परत का ऊपरी मैसोफेज भाग इसे आयन मंडल से अलग करता है।

(iv) आयन मंडल या बाह्य वायुमण्डल– बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊँचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है। आयन मंडल इसी परत का एक भाग है।

आयनमंडल में विद्युतीय कण मिलते हैं, जो संचार संकेतों के प्रसारण में सहायता करते हैं। पृथ्वी रेडियो तरंगें इस परत से वापस भेजती है। संचार उपग्रह प्रसारण संकेतों को पृथ्वी पर

वापस जाने में सहायता करता है। यह परत 80 किमी से 400 किमी तक ऊपर की ओर विस्तरित होती है।

(v) अंतमंडल या बर्हिमंडल– यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी व बाह्यतम परत है, जो अंतरिक्ष के बाहरी ओर तक फैली है। सौर विकिरण के कारण इस परत पर तापमान तेजी से बढ़ता है। यहाँ हीलियम व हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें तैरती रहती हैं।

2. **वायुदाब-** पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। परन्तु वायुदाब हमारे शरीर पर सभी दिशाओं से लगता है और शरीर विपरीत बल लगाता है, जिसके कारण हमें वायुदाब का अनुभव नहीं होता।

समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊँचाई के साथ-साथ यह घटता जाता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न दाब क्षेत्र बनता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। यहाँ वायु भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण करती है। यहाँ आकाश स्वच्छ व स्पष्ट होता है। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

5. जलमण्डल

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) तीन 2. (स) 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम 3. (ब) 700 किमी 4. (ब) ठंडी जल धारा

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. 70 2. तीन 3. नौसंचालन 4. सुनामी

ग. सही कथन पर (3) का तथा गलत कथन पर (7) का चिह्न लगाइए–

1. (7) 2. (3) 3. (3) 4. (3)

घ. अति लघुउत्तरीय प्रश्न–

1. महसागरों का जल वाष्प के रूप में वायु में जाता है। वहाँ से यह वर्षा के रूप में स्थल या सागर में ही फिर वापस आता है। वर्षा का जल नदियों द्वारा फिर समुद्र में वापस जाता है। जल की यह गति 'जल-चक्र' कहलाती है।
2. वर्षा का जल छिद्रित चट्टानों से रिसकर भूमि के अंदर जाता है, जिसे भूमिगत जल कहते हैं।
3. तूफान के समय जब पवन की गति बहुत तेज होती है तो समुद्र की लहरे बहुत ऊँची उठती हैं। ऐसी लहरे तटीय क्षेत्रों पर विनाशकारी होती है। इन लहरों का यही विनाशकारी रूप सुनामी कहलाता है।
4. समुद्र के जल के ऊपर उठने (सूर्य या चंद्रमा के गुरूत्वाकर्षण के कारण) को उच्च ज्वार कहते हैं।
5. मोजांबिक एक गर्म जलधारा है।

ङ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. ज्वार-भाटा– समुद्र का जल प्रतिदिन दो बार लगभग नियमित अंतराल पर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऐसा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से होता है। इसे ही 'ज्वार भाटा' कहते हैं। समुद्र के जल के ऊपर उठने को 'उच्च ज्वार' तथा इसके नीचे गिरने को 'निम्न ज्वार' या

'भाटा' कहते हैं। ज्वार-भाटा मछली पकड़ने तथा नौ-संचालन में सहायक होता है। कभी-कभी उच्च ज्वार बड़े जलयानों को पोताश्रय तक आने तथा पोताश्रय से बाहर जाने में सहायक होते हैं। हुगली पर स्थित कोलकाता बंदरगाह ज्वार-भाटा के उपयोग का एक अच्छा उदाहरण है।

2. महासागरों, नदियों, झीलों या तालाबों में विद्यमान जल के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ने से वाष्पीकरण होता है। पादप अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल ग्रहण करते हैं और अपनी पत्तियों द्वारा उसे जलवाष्प के रूप में पुनः वायु को दे देते हैं। पादपों की इस जल वापस देने की प्रक्रिया को 'वाष्पोत्सर्जन' कहते हैं।

3. ठंडी तथा गर्म धाराओं के मिलने से मछलियों के भोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इन क्षेत्रों में मछली पकड़ना एक प्रमुख व्यवसाय है। कनाडा के पूर्वी तट पर जहाँ गर्म धारा गल्फ स्ट्रीम एवं ठंडी धारा लेब्रोडोर मिलती है, वहाँ मछली पकड़ना मुख्य व्यवसाय है।

महासागरीय धाराएँ नौ-संचालन में भी सहायक होती हैं क्योंकि धाराओं की दिशा में जलयान अधिक गति से चलते हैं, जबकि धाराओं की विपरीत दिशा में नौ-संचालन कठिनाई से होता है क्योंकि जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं, वहाँ कुहरे वाला मौसम बन जाता है।

च. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का अधिकांश भाग महासागर में है, परंतु महासागरों के जल का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से घरेलू कार्यों अथवा सिंचाई के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जल लवणीय (खारा) होता है। इसका कारण यह है कि समुद्र में जो नदियाँ मिलती हैं, वे अपने साथ विभिन्न प्रकार के खनिज लवण लाती हैं, जो समुद्र के पानी में मिल जाते हैं। समुद्र का जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परंतु ये पदार्थ समुद्र में ही रह जाते हैं। अतः समुद्र में लवण की मात्रा, वाष्पीकरण की मात्रा, समुद्र में आकर मिलने वाली नदियों पर निर्भर करती है। समुद्री जल की औसत लवणशीलता लगभग 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। समुद्र का जल सदैव गतिशील रहता है। समुद्र के जल में तीन प्रकार की गतियाँ होती हैं– (i) लहरें या तरंगें, (ii) ज्वार भाटा (iii) महासागरीय धाराएँ।

(i) लहरें– समुद्र तट के पास हम इन तरंगों का अनुभव कर सकते हैं। किसी तालाब या झील में यदि पत्थर फेंके तो पत्थर फेंकने से तालाब या झील के पानी में तरंगे उठती हैं। इसी तरह समुद्र पर चलने वाली हवाएँ बड़ी तरंगें उत्पन्न करती हैं, जिन्हें 'लहरें' कहते हैं। लहरों की विशालता पवन की गति पर निर्भर करती है। तूफान के समय जब पवन की गति बहुत तेज होती है तो लहरें बहुत ऊँची उठती हैं। ऐसी लहर कभी-कभी विनाशकारी होती है। सुनामी इसका एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। ये लहरें भूकंप, महासागरों के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट या ऐसी अन्य हलचलों से उत्पन्न होती हैं। आजकल इन लहरों की शक्ति का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सुनामी विशाल जल तरंगें होती हैं, जो 15 मी0 से भी अधिक ऊँची उठ सकती हैं। ये तरंगें 700 किमी से भी अधिक तेजी से गति करती हैं। 2004 में सुनामी के कारण भारत के तटीय क्षेत्रों पर भारी विनाश हुआ था।

(ii) ज्वार-भाटा– समुद्र का जल प्रतिदिन दो बार लगभग नियमित अंतराल पर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऐसा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से होता है। इसे ही 'ज्वार भाटा' कहते हैं। समुद्र के जल के ऊपर उठने को 'उच्च ज्वार' तथा इसके नीचे गिरने को 'निम्न ज्वार' या 'भाटा' कहते हैं। ज्वार-भाटा मछली पकड़ने तथा नौ-संचालन में सहायक होता है। कभी-कभी उच्च ज्वार बड़े जलयानों को पोताश्रय तक आने तथा पोताश्रय से बाहर जाने में सहायक होते हैं। हुगली पर स्थित कोलकाता बंदरगाह ज्वार-भाटा के उपयोग का एक अच्छा उदाहरण है।

(iii) महासागरीय धाराएँ– समुद्र के जल के निश्चित दिशा में निरंतर चलते रहने से महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति होती है। इन धाराओं की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन एवं पवनों के कारण होती है। जलधाराएँ महासागरीय जल के गर्म और ठंडे होने से भी बनती हैं। ठंडा जल सघन और भारी होता है तथा गर्म जल अपेक्षाकृत कम सघन और हल्का होता है इसलिए ठंडा जल नीचे बैठ जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों का ठंडा जल समुद्र की तलहटी के साथ-साथ विषुवत् रेखा की ओर गतिशील होता है। विषुवत् रेखा के निकट से गर्म जल महासागरों की सतह पर ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने लगता है। जो धाराएँ ध्रुवीय प्रदेशों (उच्च अक्षांशों) से विषुवत् रेखा (निम्न आक्षांशों) से ध्रुवों (उच्च अक्षांशों) की ओर चलती हैं, उन्हें 'गर्म धाराएँ' कहते हैं।

महासागरीय धाराओं का तटीय क्षेत्रों की जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। गर्म महासागरी धाराएँ तटीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती हैं तथा ठंडी महासागरीय धाराएँ तटीय क्षेत्रों के तापमान को कम कर देती हैं।

जापान के तट के निकट क्यूरोशियो गर्म तथा ओयाशियो ठंडी जलधाराएँ हैं। इसी प्रकार गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर एक गर्म जलधारा है। जिन तटीय क्षेत्रों के निकट गर्म जल धाराएँ बहती हैं, वहीं प्रायः वर्षा होती है, क्योंकि गर्म वायु अधिक आर्द्रता ग्रहण करती है। इसके विपरीत ठंडी जल धाराओं से प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। अफ्रीका के दक्षिण भाग के पश्चिमी तट पर पूर्वी भाग की अपेक्षा कम होने का यही प्रमुख कारण है। अफ्रीका के दक्षिणी भाग के पश्चिमी तट पर बैंगुएला ठंडी जलधारा विषुवत् रेखा की ओर बहती है, जबकि पूर्वी तट पर मोजांबिक गर्म जलधारा विषुवत् रेखीय क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहती है।

2. महासागरों, नदियों, झीलों या तालाबों में विद्यमान जल के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ने से वाष्पीकरण होता है। पादप अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल ग्रहण करते हैं और अपनी पत्तियों द्वारा उसे जलवाष्प के रूप में पुनः वायु को दे देते हैं। पादपों की इस जल वापस देने की प्रक्रिया को 'वाष्पोत्सर्जन' कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में वसंत ऋतु में बर्फ पिघलने या वर्षा के कारण अधिक जल एकत्र हो जाता है। इस अतिरिक्त जल के कारण जल-संतुलन बिगड़ जाता है। इसके विपरीत स्थिति भी हो सकती है। गर्मियों में वाष्पीकरण बढ़ जाता है, जिससे मौसम शुष्क हो जाता है तथा जल आपूर्ति कम हो होती है। हमें जल के प्रयोग को नियंत्रित करना चाहिए। नगरों व उद्योगों में प्रयोग होने वाले जल का बड़ा भाग नदियों या महासागरों में अनुपयोगी जल के रूप में वापस चला जाता है। इसमें प्रायः हानिकारक पदार्थ होते हैं। हम जल की मात्रा को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वह सीमित है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त जल हो इसके लिए हमें

जल के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रखने के लिए जल-संरक्षण बहुत ही आवश्यक है।

जल प्रदूषण को कम करके एवं जल का सावधानीपूर्वक प्रयोग करके हम इस जल का संरक्षण कर सकते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण करना भी जल संरक्षण का एक उपाय है। वर्षा के जल को घरों में संग्रह करने की तकनीक भी अब विकसित हो चुकी है। दूषित जल को स्वच्छ करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। जल की शुद्धता बनाए रखने के लिए हमें नगरों का कूड़ा-करकट एवं औद्योगिक अवशिष्ट जल स्रोतों में न फेंककर उनका अन्य स्थानों पर संग्रहण करना चाहिए।

अतः जल संरक्षण से हम जल की व्यर्थता पर विराम लगा सकते हैं।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

6. प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीवन

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) 200 सेमी 2. (ब) उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन 3. (स) सवाना 4. (अ) टुंड्रा वनों में

ख. रिक्त स्थानों का पूर्ति कीजिए–

1. तापमान 2. पर्णपाती 3. शंकुधारीवन 4. कँटीले

ग. सही मिलान कीजिए–

(अ)	(ब)
उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन	महोगनी, रोजवुड, ऐबोनी
उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन	शीशम, टीक, चंदन
टैगा प्रदेश	शंकुधारी वन
दलदली वन	सुंदरी वृक्ष

घ. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. उष्ण कटिबंधीय सहाबहार बन अमेजन तटीसय क्षेत्र (दक्षिण अमेरिका) अफ्रीका (जायरे के तटीय क्षेत्र), दक्षिण पश्चिम एशियाई देश; जैसे- मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैड आदि और भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं।
2. कंटीले वन मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते है।
3. शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्द्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं।
4. उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में हाथी, जिराफ, जेब्रा, हिरन और गैंडे साधारणतः पाए जाते हैं।

ङ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. उत्तरी गोलार्द्ध के उच्च अक्षांशों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को टैगा प्रदेश भी कहते हैं। इस प्रकार के वन अत्यधिक ऊँचाइयों पर पाए जाते हैं। हिमालय पर इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ के वृक्ष सदाबहार, अधिक लंबे व नरम होते हैं। यहाँ के वृक्षों का प्रयोग कागज बनाने के लिए होता है। नरम काष्ठीय लकड़ी माचिस की तीलियाँ बनाने के काम आती है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष चीड़, देवदार आदि हैं। यहाँ ध्रुवीय भालू, श्वेत लोमड़ी आदि जानवर पाए जाते हैं।
2. **आर्द्रभूमि, तटीय व दलदली वन-** भारत आर्द्र भूमि वाला धनी देश है। लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र में धान की खेती होती है। आम्रकुंज वन भी इसी श्रेणी में आते हैं। ये अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में अधिक विकसित होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र महानदी, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा हैं। इन वनों पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है और उन्हें प्राकृतिक संरक्षण की आवश्यकता है। आम्रकुंज और सुंदरी वृक्ष साधारणतः बंगाल के गंगा डेल्टा में पाए जाते हैं। ये सुंदरवन कहे जाते हैं।
3. **उष्णकटिबंधीय घास के मैदान-** ये घास के मैदान भूमध्य क्षेत्र के किसी भी स्थान पर उगते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक विस्तृत हैं। यह वनस्पति मध्यम से निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में उगती है। इन क्षेत्रों की घास 3 से 4 मी ऊँची होती है। अफ्रीका के सवाना घास के मैदान इसी प्रकार के हैं। इन उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में हाथी, जिराफ, जेब्रा, हिरन और गैंडे साधारणतः पाए जाते हैं।

4. टैगा प्रदेशों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्द्ध के उच्च अक्षांशो का क्षेत्र टैगा प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह अत्यधिक ऊँचाई का क्षेत्र होता है; जैसे हिमालय। यहाँ के वृक्ष सदाबहार, अधिक लंबे व नरम होते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष चीड़ व देवदार हैं।
ध्रुवीय ठडे क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश कहलाते है। इन क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम उगती है, वह भी केवल छोटे से ग्रीष्म काल में ही उगती है। यहाँ काई, लाइकेन व छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है।

च. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. संसार में निम्नलिखित प्रकार के वन पाए जाते हैं–
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन- ये वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहलाते हैं। ये कर्क रेखा के उष्ण एवं नम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जिसमें 200 सेमी प्रतिवर्ष वर्षा होती है। इन स्थानों पर तापमान उच्च होता है क्योंकि सूर्य की किरणें पूरे वर्ष लगातार समानांतर रहती हैं। यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूर्णरूप से नहीं झड़ती, इसलिए ये वन सदाबहार वन कहलाते हैं। ऐसे वन बहुत सघन, बड़ी पत्तियों तथा कठोर लकड़ी वाले होते हैं। ये वन, अमेजन तटीय क्षेत्र (दक्षिण अमेरिका), अफ्रीका (जाएरे के तटीय क्षेत्र), दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों; जैसे– मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड आदि और भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। वृक्ष इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भूमि तक नहीं पहुँचता है। ऊँचाई लगभग 70 से 100 मी तक होती है। इन पेड़ों की शाखाएँ और पत्तियाँ एक वितान बनाकर सूर्य के प्रकाश को जमीन तक नहीं पहुँचने देती।
वन्यजीवन वृक्षों तथा भूमि पर निवास करने वाले अनेक रूप में मिलता है। यहाँ बंदर, साँप, चींटीखोर, चमगादड़, मांसभक्षी पशु तथा नदियों में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं। इन वनों में अनेक प्रकार के जहरीले कीड़े और सर्प पाए जाते हैं। इन वनों का आर्थिक रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है। महोगनी, रोजवुड और ऐबोनी यहाँ के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, जो औद्यौगिक रूप से उपयोगी हैं।
उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या पर्णपाती वन- ये वन उन स्थानों पर पाए जाते हैं, जहाँ प्रतिवर्ष 100 से 200 सेमी भारी वर्षा होती है। ये वन भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा ग्रीष्म में अल्प-समय के लिए होती है, जिससे ये वन वर्षभर हरे-भरे नहीं रह पाते। शुष्क मौसम में यहाँ वृक्ष अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इसीलिए ये पर्णपाती वन कहलाते हैं। ये वन संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। साल, टीक, शीशम, चंदन, खैर, बाँस आदि इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। इन वनों की लकड़ियाँ आर्थिक रूप से उपयोगी हैं। मानसूनी क्षेत्रों में जनसंख्या के उच्च घनत्व के कारण इन लकड़ियों की माँग बढ़ गई है। मानसूनी वन के अत्यधिक दोहन के कारण वनस्रोत प्रभावित हुए हैं। यहाँ चीते, शेर, लंगूर, बंदर आदि जानवर पाए जाते हैं।
कँटीले वन- ये वन मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ खजूर, बबूल, सेहुड, नागफनी, और अन्य कंटीले पौधे पाए जाते हैं। यहाँ चीटियाँ, टिड्डे, तितैये, बिच्छू, मकड़ी, छिपकली, रेंगने वाले जीव, साँप और बड़ी संख्या में कीटभक्षी; जैसे तेज गति से चलने वाले और अबाबील, बीज खाने वाले पक्षी, डब और रेगिस्तान में मिलने वाले चूहे, खरगोश, लोमड़ी और गीदड़ और अनेक प्रकार की बिल्लियाँ, रेगिस्तानी पशु, सामान्यतः मिलते हैं।
आर्द्रभूमि, तटीय व दलदली वन- भारत आर्द्र भूमि वाला धनी देश है। लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र में धान की खेती होती है। आम्रकुंज वन भी इसी श्रेणी में आते हैं। ये अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में अधिक विकसित होते हैं। अन्य

महत्वपूर्ण क्षेत्र महानदी, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा हैं। इन वनों पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है और उन्हें प्राकृतिक संरक्षण की आवश्यकता है। आम्रकुंज और सुंदरी वृक्ष साधारणतः बंगाल के गंगा डेल्टा में पाए जाते हैं। ये सुंदरवन कहे जाते हैं।

हिमालयी वनस्पति या शंकुधारी वन- उत्तरी गोलार्द्ध के उच्च अक्षांशों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को टैगा प्रदेश भी कहते हैं। इस प्रकार के वन अत्यधिक ऊँचाइयों पर पाए जाते हैं। हिमालय पर इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ के वृक्ष सदाबहार, अधिक लंबे व नरम होते हैं। यहाँ के वृक्षों का प्रयोग कागज बनाने के लिए होता है। नरम काष्ठीय लकड़ी माचिस की तीलियाँ बनाने के काम आती है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष चीड़, देवदार आदि हैं। यहाँ ध्रुवीय भालू, श्वेत लोमड़ी आदि जानवर पाए जाते हैं।

2. संसार में विभिन्न प्रकार के वन और उनमें विशिष्ट प्रकार का व काफी वन्यजीवन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में बंदर, साँप, चींटीखोर, चमगादड़, मांसभक्षी पशु तथा नदियों में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ मिलती है। इन वनों में अनेक प्रकार के जहरीले कीड़े और सर्प पाए जाते हैं।

उष्णकटिबंधीय मानसूनी अर्थात् पर्णपाती वनों में चीते, शेर, लंगूर, बंदर आदि वन्य जीव पाए जाते हैं।

कँटीले वन मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलते हैं। इन वनों में चींटियाँ, टिड्डे, ततैये, बिच्छू, मकड़ी, छिपकली, रेंगने वाले जीव, साँप और बड़ी संख्या में कीटभक्षी जैसे तेज गति से चलने वाले अबाबील, डब, रेगिस्तानी चूहे, खरगोश, लोमड़ी, गीदड़, बिल्लियाँ, ऊँट आदि बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं।

तटीय क्षेत्रों की भूमि, आर्द्रभूमि आदि में दलदली वन पाए जाते हैं; जैसे- सुंदरवन। इन वनों में मगरमच्छ, बाघ, चीते आदि जानवर मिलते हैं।

टैगा व टुण्ड्रा प्रदेशों में ध्रुवीय भालू, श्वेत लोमड़ी, सील, दरियाई घोड़े, आर्कटिक उल्लू, आदि पशु पाए जाते हैं।

घास के मैदानों में हाथी, जिराफ, जेब्रा, हिरन, गैंडे, जंगली भैसे, शेर, बाघ, तेंदुए आदि भारी मात्रा में वन्य जीवन पाया जाता है।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

7. मानवीय पर्यावरणः बस्तियाँ, परिवहन तथा संचार

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (ब) सांस्कृतिक पर्यावरण 2. (अ) सिंधु 3. (स)गाँव 4. (अ) चार

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. परिवहन 2. सड़क 3. पत्तनों 4. सूचना

ग. सही मिलान कीजिए–

(अ)	(ब)
मेट्रो	अस्थायी बस्ती
झोंपड़ियाँ	ई-मेल
लम्बी दूरी	भूमिगत रेलमार्ग
संदेश	रेल परिवहन

घ. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. मानवीय पर्यावरण मानव-निर्मित होता है। इसके अन्तर्गत मानव-बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार के साधन सम्मिलित होते हैं।
2. जिन स्थानों पर मानव अपने लिए घर बनाते हैं, उन्हें बस्तियाँ कहते हैं।
3. वाणिज्य, व्यापार, परिवहन आदि तृतीयक व्यवसाय के अन्तर्गत आते हैं।
4. परिवहन के चार मुख्य साधन हैं- सड़क मार्ग; रेल मार्ग, जलमार्ग एवं वायुमार्ग।

ङ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. प्रारम्भिक मानव-बस्तियाँ प्राकृतिक गुफाओं के रूप में विकसित हुईं, किन्तु ये बस्तियाँ अस्थायी थीं। कृषि का विकास होने पर स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। इन बस्तियों में मिट्टी-गारे, लकड़ी, पत्तियों, घास-फूस के छप्परों से निर्मित कुछ अस्थायी झोपड़ियाँ होती थीं, जिन्हें झाड़ियों या मिट्टी की चहारदीवारी से घेर दिया जाता था। ये प्रारम्भिक बस्तियाँ 'गाँव' कहलाती थीं, जो प्रायः नदी के निकट बसी होती थीं, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता था। व्यापार, वाणिज्य, संचार आदि में होते निरंतर विकास के कारण मानव बस्तियाँ बड़ी होती गईं तथा स्थायी होती चली गईं।

   बस्तियों की स्थिति में जल की उपलब्धता तथा उच्चावच दो प्रमुख कारक हैं, जो बस्तियों के स्थान के चयन को निर्धारित करते हैं। समतल तथा उर्वर भूमि, मध्यम जलवायु, परिवहन के साधन तथा आर्थिक संसाधन अन्य प्रेरक कारक हैं, जो बस्तियों के विकास में सहायक होते हैं। कोई बस्ती 'अस्थायी' या 'स्थायी'भी हो सकती है। अस्थायी बस्तियाँ वे हैं, जिन्हें थोड़े समय के लिए प्रयोग में लाया जाता है, फिर उन्हें त्याग दिया जाता है। आदिमानव की गुफा-बस्तियाँ इसी प्रकार की हैं। आज भी अनेक आदिम जातियों के वर्ग जो उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वनों, मरुस्थलों, टुण्ड्रा आदि प्रदेशों के कठोर पर्यावरण में रहते हैं, अस्थायी झोपड़ियाँ या बस्तियाँ बनाते हैं। इसके विपरीत, स्थायी बस्तियाँ लम्बे समय तक प्रयोग में आती हैं।
2. परिवहन द्वारा लोग आवागमन करते हैं तथा अपने सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। परिवहन के अन्तर्गत वे सभी साधन सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा लोगों तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया व ले जाया जा सकता है। परिवहन लोगों की आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाओं तथा उनके बीच सह-सम्बन्धों को भी प्रभावित करता है। एक विकसित परिवहन व्यवस्था द्वारा किसी क्षेत्र के अतिरिक्त उत्पादनों को उन क्षेत्रों में भेजा जा सकता है, जहाँ उनकी कमी है। इससे विभिन्न स्थानों के बीच सामान के विनिमय (exchange) में सुविधा होती है। इस प्रकार परिवहन से किसी क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास होता है।
3. नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्त्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं– अफ्रीका में नील नदी, भारत में गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र व उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक।

   सेटेलाइट की खोज के कारण संचार माध्यम अत्यन्त तीव्र हो गया है। वनों के सर्वेक्षण, तेल की खोज, खनिज संपदा तलाशना, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान करना आदि कार्य सेटेलाइट के द्वारा ही संभव हुए हैं।

च. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. मानवीय पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। यह मानव-निर्मित होता है। इसके अन्तर्गत मानव-बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार के साधन सम्मिलित होते हैं। किसी क्षेत्र या प्रदेश का सांस्कृतिक पर्यावरण उसकी सभ्यता के विकास के स्तर को दर्शाता है। मनुष्य ने

समय के साथ नए कौशलों को विकसित करके खाद्य, घर, बस्तियाँ, परिवहन तथा संचार के साधनों में दिनों-दिन प्रगति की है।

सिंधु घाटी सभ्यता, टिगरिस, नील व हवांग्हो नदी घाटी सभ्यताएँ आदि नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं।

बस्तियाँ- ये वे स्थान होते हैं, जहाँ मानव अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारम्भिक मानव-बस्तियाँ प्राकृतिक गुफाओं के रूप में विकसित हुईं, किन्तु ये बस्तियाँ अस्थायी थीं। कृषि का विकास होने पर स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। इन बस्तियों में मिट्टी-गारे, लकड़ी, पत्तियों, घास-फूस के छप्परों से निर्मित कुछ अस्थायी झोपड़िया होती थीं, जिन्हें झाड़ियों या मिट्टी की चहारदीवारी से घेर दिया जाता था। ये प्रारम्भिक बस्तियाँ 'गाँव' कहलाती थीं, जो प्रायः नदी के निकट बसी होती थीं, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता था। व्यापार, वाणिज्य, संचार आदि में होते निरंतर विकास के कारण मानव बस्तियाँ बड़ी होती गईं तथा स्थायी होती चली गईं।

बस्तियों की स्थिति में जल की उपलब्धता तथा उच्चावच दो प्रमुख कारक हैं, जो बस्तियों के स्थान के चयन को निर्धारित करते हैं। समतल तथा उर्वर भूमि, मध्यम जलवायु, परिवहन के साधन तथा आर्थिक संसाधन अन्य प्रेरक कारक हैं, जो बस्तियों के विकास में सहायक होते हैं। कोई बस्ती 'अस्थायी' या 'स्थायी' भी हो सकती है। अस्थायी बस्तियाँ वे हैं, जिन्हें थोड़े समय के लिए प्रयोग में लाया जाता है, फिर उन्हें त्याग दिया जाता है। आदिमानव की गुफा-बस्तियाँ इसी प्रकार की हैं। आज भी अनेक आदिम जातियों के वर्ग जो उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वनों, मरुस्थलों, टुण्ड्रा आदि प्रदेशों के कठोर पर्यावरण में रहते हैं, अस्थायी झोपड़ियाँ या बस्तियाँ बनाते हैं। इसके विपरीत, स्थायी बस्तियाँ लम्बे समय तक प्रयोग में आती हैं।

बस्तियाँ ग्रामीण तथा नगरीय दो प्रकार की होती हैं। ग्रामीण बस्तियाँ वे हैं, जिनके निवासी कृषि, मत्स्य-पालन, वनोद्योग आदि प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न रहते हैं। इसके विपरीत नगरीय बस्तियों के निवासी विनिर्माणी उद्योगों (द्वितीयक व्यवसाय), वाणिज्य, व्यापार, परिवहन आदि (तृतीयक व्यवसाय) में संलग्न रहते हैं। कस्बों, नगरों तथा पत्तनों में नगरीय बस्तियाँ पायी जाती हैं।

2. **परिवहन व उनके साधन-** परिवहन द्वारा लोग आवागमन करते हैं तथा अपने सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। परिवहन के अन्तर्गत वे सभी साधन सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा लोगों तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया व ले जाया जा सकता है। परिवहन लोगों की आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाओं तथा उनके बीच सह-सम्बन्धों को भी प्रभावित करता है। एक विकसित परिवहन व्यवस्था द्वारा किसी क्षेत्र के अतिरिक्त उत्पादनों को उन क्षेत्रों में भेजा जा सकता है, जहाँ उनकी कमी है। इससे विभिन्न स्थानों के बीच सामान के विनिमय में सुविधा होती है। इस प्रकार परिवहन से किसी क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास होता है। ऐसे कस्बे या नगर शीघ्र ही संस्कृति तथा वाणिज्य-केन्द्रों के रूप में विकसित हो जाते हैं। भारत में ऐसे नगरों के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जो वाणिज्यिक क्रियाकलापों के कारण स्थापित हुए हैं। प्रमुख परिवहन मार्गों पर स्थित नगर विदेशी व्यापार की सुविधा प्रदान करने वाले पत्तन भी विगत दशकों में बड़े नगरों के रूप में विकसित हो गए हैं। काँदला तथा विशाखापत्तनम ऐसे नगरों के उल्लेखनीय उदाहरण हैं, जो विगत दो-तीन दशकों में छोटे आकार से बढ़कर बड़े नगरों की श्रेणी में आ गए हैं।

पहिये की खोज से पूर्व लोगों का तथा सामान का स्थानान्तरण बहुत सीमित दूरी तक होता था, क्योंकि लोगों को पैदल ही दूरियाँ तय करनी पड़ती थीं। बाद में बोझ लादने के लिए पशुओं

को काम में लाया जाने लगा। यह व्यवस्था आज भी मरुस्थलों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचलित है।

पहिये की खोज परिवहन के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। इससे पहियों वाली गाड़ियों का प्रयोग होने लगा। बाद में पक्की सड़कों, रेलों, मोटरकार, वायुयान आदि के आविष्कारों ने परिवहन में क्रान्ति उत्पन्न कर दी। अब लंबी दूरियाँ कुछ ही घंटों में तय हो जाती हैं।

परिवहन के चार मुख्य साधन हैं– सड़क मार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग एवं वायुमार्ग। सड़क तथा रेलमार्ग स्थलीय परिवहन की श्रेणी में आते हैं।

सड़क परिवहन का उपयोग सबसे अधिक होता है। ये कम दूरी की यात्राओं के लिए विशेष उपयोगी हैं। स्वचालित वाहनों के लिए चौड़ी तथा पक्की सड़कें आवश्यक होती हैं। आज सभी विकसित देशों में 'एक्सप्रेस मार्ग' या 'फ्री वे' विकसित हैं। भारत मे ंराष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न राज्यों को जोड़ते हैं। प्रान्तीय राजमार्ग राज्यों के भीतर के स्थानों को तथा जिला मार्ग एवं ग्राम मार्ग क्रमशः नगरों एवं गाँवों को जोड़ते हैं।

मैदानों में सड़कों का निर्माण करना पर्वतों या पठारों की अपेक्षा अधिक आसान है। यही कारण है कि उत्तरी भारत में मैदानों में सड़कों का उत्तम जाल बिछा है। सड़क परिवहन द्वारा लोगों तथा सामान का यातायात शीघ्रतापूर्वक होता है। इससे फल, सब्जी, दूध, अण्डे आदि शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों को ट्रकों द्वारा सुदूर स्थानों पर सीधे भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना तथा सैन्य बलों के लिए आवश्यक सामग्री भेजने में सड़क परिवहन बहुत उपयोगी है। पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ रेलमार्ग प्रायः नहीं है तथा दुर्गम वनाच्छादित क्षेत्रों में भी सड़कें ही परिवहन का उपयोगी साधन हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली-लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊँचे सड़क मार्गों में से एक है।

3. **संचार के साधन-** संचार द्वारा सूचना का प्रेषण होता है। समय के साथ-साथ तकनीक के विकास के कारण संचार के तीव्र साधनों की वृद्धि होती है। संचार का क्षेत्र विकसित होने से विश्व में सूचना क्रांति आई हैा समाचार-पत्रों, रेडियो व टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी मात्रा में लोगों के साथ संचार करते हैं। इसलिए इन्हें जनसंपर्क का माध्यम कहते हैं। सेटेलाइट की खोज के कारण संचार माध्यम अत्यन्त तीव्र हो गया है। वनों के सर्वेक्षण, तेल की खोज, खनिज संपदा तलाशना, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान करना आदि कार्य सेटेलाइट के द्वारा ही संभव हुए हैं। इंटरनेट के माध्यम से ई-मेल द्वारा कुछ ही सेकण्डों में मैसेज (संदेश) इधर-उधर प्रेषित हो जाते हैं। अतः संचार के द्वारा विस्तृत, विशाल विश्व अब एक समाज के रूप में विकसित हो गया है।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

8. उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण प्रदेश तथा मरुस्थलीय जीवन

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (ब) उत्तरी अमेरिका में 2. (स) रैन्च 3. (अ) दक्षिण अफ्रीका में 4. (द) ब्राजील में
5. (अ) ऊँट

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. अन्योन्याश्रित 2. खाद्य प्रसंस्करण 3. गर्म 4. लेह

ग. सही मिलान कीजिए–

(अ)	(ब)
चिनूक	चक्रवातीय तूफान
सेल्वा वन	जोहांसबर्ग
स्वर्ण राजधानी	गर्म पवनें
पश्चिमी विक्षोभ	अमेजन बेसिन

घ. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. प्रेयरी में मिसीसिपी (संयुक्त राज्य अमेरिका) तथा उसकी सहायक नदियाँ (मिसौरी, अरकसास, टेनेसी एवं ओहियो बहती है)
2. प्रेयरी गेहूँ के फार्म के लिए विख्यात है।
3. ऑरेन्ज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लम्बी नदी है।
4. अमेज़न नदी पश्चिम में पीरु के एण्डीज पर्वतों से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई अटलाण्टिक महासागर में गिरती है।
5. गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बांग्लादेश में एक विशाल डेल्टा बनाती हैं, जो विश्व का विशालतम डेल्टा है, इसे सुन्दरवन कहते हैं।
6. सहारा रेगिस्तान में कही-कहीं पर बजरी से ढके मैदान भी मिलते हैं, जिन्हे 'रेग' या 'सेरिर' कहा जाता है।
7. मिस्र में नील नदी की घाटी में 'फेलाहिन' कृषक बेसिन सिंचाई पद्धति द्वारा कृषि करते है।
8. लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है।

ङ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. प्रेयरी के घास के मैदान महाद्वीप के मध्य स्थित हैं। इसलिए यहाँ की जलवायु चरम तापमान वाली महाद्वीपीय है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान लगभग 20% सेल्सियस होता है। शीत ऋतु में यह तापमान –20% सेल्सियस तक चला जाता है। अतः यहाँ शीत ऋतु में बर्फ की मोटी चादर बिछी रहती है। यहाँ की वार्षिक वर्षा सामान्य होती है। इसलिए यहाँ घास का विकास होता है। यहाँ 'चिनूक' नामक स्थानीय पवनें चलती हैं। ये पवनें गर्म होती हैं, जो शीत ऋतु में चलती हैं। ये थोड़े समय में ही तापमान में वृद्धि कर देती हैं। जिसके कारण बर्फ पिघल जाती है और विशाल चारागाह के मैदान दृष्टिगोचर हो जाते हैं।
2. प्रेयरी घास के मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं का स्थानीय नाम चिनूक के नाम से जाना जाता है।
3. यहाँ मक्का (प्रमुख फसल), गेहूँ, जौ, जई, आलू, तम्बाकू, कपास, गन्ना आदि उगाए जाते हैं।
4. अमेजन बेसिन में सघन उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वन पाये जाते हैं, जिन्हें 'सेल्वा' कहा जाता है। इन वनों में हजारों किस्म के वृक्ष, पौधे, झाड़ियाँ, लताएँ आदि आर्द्र धरातल पर उगते हैं। वृक्षों के वितान इतने सघन होते हैं कि सूर्य की किरणें भी वनों के भीतरी भाग में प्रविष्ट नहीं हो पातीं। यहाँ ताड़ तथा कठोर लकड़ी वाले वृक्षों की अनेक किस्में; जैसे– महोगनी, रोज़वुड, आबनूस आदि उगती हैं। बालसा वृक्ष की हल्की लकड़ी का प्रयोग नाव बनाने में होता है। कारनोबा ताड़ के वृक्ष से सोत तथा सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त होती है। चिकल से 'चुइंग गम' बनाया जाता है। वनों से जंगली रबड़, रेजिन, सेल्युलोज़, तेल, रेशे आदि भी प्राप्त होते हैं।
5. लद्दाख के वन्य-जन्तुओं में जंगली बकरियाँ, याक, खरगोश, कियांग (खच्चरनुमा जन्तु) तथा

बारहसिंघा प्रमुख हैं। कबूतर, चिकार, कैरम क्रौ (कौआ), ग्रे-हेरोन, पिनटेल आदि लद्दाख के विशिष्ट पक्षी हैं। छिपकली लद्दाख का एकमात्र सरीसृप है।

च. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. प्रेयरी उत्तरी अमेरिका के विस्तृत शीतोष्ण घास प्रदेश हैं। प्रेयरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाड़ा के कुछ भागों तक फैले हैं। प्रेयरी का धरातल चौरस तथा हल्का-सा लहरदार है, जो पश्चिम की ओर धीमे-धीमे ऊँचा होता गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका वाले खण्ड में मिसीसिपी तथा उसकी सहायक नदियाँ (मिसौरी, अरकन्सास, टेनेसी एवं ओहियो) बहती हैं। कनाड़ा के खण्ड में सास्केचवान तथा उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। इन नदियों का बेसिन बहुत उपजाऊ है।

   प्रेयरी के घास के मैदान महाद्वीप के मध्य स्थित हैं। इसलिए यहाँ की जलवायु चरम तापमान वाली महाद्वीपीय है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान लगभग 20° सेल्सियस होता है। शीत ऋतु में यह तापमान 20° सेल्सियस तक चला जाता है। अतः यहाँ शीत ऋतु में बर्फ की मोटी चादर बिछी रहती है। यहाँ की वार्षिक वर्षा सामान्य होती है। इसलिए यहाँ घास का विकास होता है। यहाँ 'चिनूक' नामक स्थानीय पवनें चलती हैं। ये पवनें गर्म होती हैं, जो शीत ऋतु में चलती हैं। ये थोड़े समय में ही तापमान में वृद्धि कर देती हैं। जिसके कारण बर्फ पिघल जाती है और विशाल चारागाह के मैदान दृष्टिगोचर हो जाते हैं।

   वनस्पति एवं वन्य जीवन- विरल वर्षा के कारण प्रायः प्रेयरी में वृक्ष नहीं होते हैं। यहाँ पूर्वी आर्द्र भाग में लम्बी घास तथा पश्चिमी शुष्क भाग में छोटी घास उगती है। रॉकी पर्वतों के ढालों पर विलो, एल्डर तथा पोपलर के वृक्ष उगते हैं। आज प्रेयरी की प्रमुख वनस्पति घास को साफ करके यहाँ फसलें उगाने तथा पशुओं को पालने के लिए फार्म बना दिए गए हैं।

   प्रेयरी के घास के मैदानों में जंगली भैंसें तथा भेड़िये रहते थे, जो विलुप्त हो चुके हैं। यहाँ प्रेयरी कुत्ते, कोयोट, जैक रैबिट, बैजर, रैटल स्नेक, लॉर्क, हॉक आदि जन्तु, सर्प एवं पक्षी पाए जाते हैं। प्रेयरी में पशुपालन बड़े-बड़े फार्मों में किया जाता है, जिन्हें 'रैन्च' कहते हैं। इन्हीं फार्मों में सूअर भी पाले जाते हैं, जिन्हें मक्का खिलाकर मोटा किया जाता है। ग्रीष्म तथा शरद (पतझड) ऋतु में गर्म चिनूक पवने घास को चारे में बदल देती हैं, जो पशुओं का मुख्य आहार होता है। चरवाहे पशुओं के झुण्डों की देख-रेख करते हैं।

   प्रेयरी में गेहूँ के विस्तृत फार्म हैं। ये फार्म मशीनीकृत होते हैं तथा यहाँ परिवहन एवं संचार की सभी नवीनतम सुविधाएँ उपलब्ध हैं। प्रेयरी में गेहूँ, जौ तथा जई अन्य फसलें उगाई जाती हैं। प्रेयरी के पूर्वी किनारे पर स्थित शिकागो विश्व में मांस की सबसे बड़ी मण्डी, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख वाणिज्यिक तथा औद्योगिक केन्द्र है।

   प्रेयरी में सभी आर्थिक गतिविधियाँ कृषि पर आधारित हैं। मांस पैकिंग तथा खाद्य-प्रसंस्करण यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। अन्य उद्योगों में तेलशोधन, पेट्रो-रसायन, प्लास्टिक, सिन्थेटिक रेशे, सिन्थेटिक रबड़ आदि सम्मिलित हैं। लोहा एवं इस्पात, मोटरगाड़ी जलयान निर्माण आदि प्रेयरी के पूर्व में स्थित विशाल झीलों के निकट केन्द्रित हैं।

2. वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका के पठार के पूर्वी भाग में स्थित उपोष्ण कटिबन्धीय घास प्रदेश हैं। इनका विस्तार केप प्रान्त के पूर्वी भाग, सम्पूर्ण ऑरेन्ज फ्री स्टेट तथा ट्रांसवाल के अधिकांश भाग पर है। वेल्ड एक पठारी प्रदेश है जिसकी समुद्र तल से ऊँचाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न है। इसे तीन भागों में बाँटा जा सकता है– (1) उच्च वेल्ड, (2) मध्य वेल्ड तथा (3) निम्न वेल्ड। उच्च वेल्ड पूर्व में स्थित है, जो 1,120 से 1,670 मीटर तक ऊँचा है। मध्य वेल्ड 610

से 1,120 मीटर तक ऊँचा है तथा निम्न वेल्ड 610 मीटर से कम ऊँचा है। उच्च वेल्ड एक मध्यवर्ती कटक (श्रेणी) है, जो इस प्रदेश में जल-विभाजक का कार्य करती है। यह पठार लगभग चौरस है। इसमें कहीं-कहीं गहरी घाटियाँ तथा तीव्र ढालों वाली पहाडियाँ स्थित है।

पठार पर उच्च वेल्ड से ऑरेन्ज, वाल, लिम्पोपो तथा साबी नदियाँ अनेक प्रपात तथा द्रुतवाह बनाते हुए बहती हैं। लिम्पोपो नदी मापुतो की खाड़ी में प्रवाहित होती है जबकि ऑरेन्ज, जो दक्षिण अफ्रीका की सबसे लम्बी नदी है, अटलाण्टिक महासागर में गिरती है।

हिंद महासागर के कारण यहाँ की जलवायु नम होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु छोटी तथा गर्म होती है और शीत ऋतु ठण्डी व शुष्क होती है। यहाँ वर्षा कम होती है।

वनस्पति एवं वन्य तथा आर्थिक जीवन- कम वर्षा के कारण वेल्ड की प्रधान वनस्पति घास है। शीत ऋतु में यहाँ अकाल की स्थिति हो जाती है। पश्चिम के शुष्क भागों में वनस्पति की शुष्क मौसम को सहन करने वाली किस्में उगती हैं। निम्न क्षेत्रों में, जहाँ अधिक जल उपलब्ध है, वहाँ एकेसिया तथा मरूला के वृक्ष उगते हैं।

वेल्ड प्रदेश में आखेट तथा जन्तुओं के अवैध शिकार से वन्य-जीवन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यहाँ संरक्षित क्षेत्रों में सिंह, चीता, तेंदुआ, जिराफ, ओरिक्स, स्प्रिंगबोक तथा सेबल जैसे जन्तु पाए जाते हैं।

प्रेयरी के विपरीत वेल्ड कृषि के अयोग्य है। इसका कारण यहाँ का चट्टानी व अनुपजाऊ धरातल है। यहाँ की मिट्टियाँ बहुत पतली हैं। जल के सीमित संसाधनों के कारण कृषि में बाधा पड़ती रहती है। फिर भी यहाँ मक्का (प्रमुख फसल), गेहूँ, जौ, जई, आलू, तम्बाकू, कपास, गन्ना आदि उगाए जाते हैं।यहाँ पश्चिमी शुष्क भागों में भेड़पालन होता है। भेड़े मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती हैं। वेल्ड खनिज संपन्न है। यहाँ लोहा व कोयला तथा इस्पात के कारण इनसे संबंधित उद्योग विकसित हैं। इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय सोना व हीरे का खनन करना है। जोहांसबर्ग विश्व की स्वर्ण राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। किंबरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रचुर खनिज संपदा होने के साथ-साथ यातायात की सुविकसित व्यवस्था है।

3. अमेजन बेसिन उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है।

अमेजन नील नदी के बाद, विश्व की द्वितीय विशालतम नदी है; किन्तु जल की मात्रा के विचार से अमेजन विश्व में सबसे विशाल है। इसका अपवाह क्षेत्र विश्व में विशालतम है।

अमेजन बेसिन मुख्यतः ब्राजील के अन्तर्गत है तथा पश्चिम की ओर इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका के बोलीविया, पीरू, इक्वेडोर, कोलम्बिया तथा वेनेजुएला देशों में है। उत्तर-पूर्व में यह बेसिन गुयान के तट के सहारे फैला है।

अमेजन बेसिन विश्व के प्रमुख मैदानों में से है। अमेज़न नदी पश्चिम में पीरू के एण्डीज पर्वतों से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई अटलाण्टिक महासागर में गिरती है। इस बेसिन की रचना अमेजन तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा पर्वतों से लाकर बिछायी गयी महीन मिट्टियों से हुई है, किन्तु भारी वर्षा के कारण मिट्टी के पोषक तत्व निक्षालन की क्रिया द्वारा बहा दिये जाते हैं, जिससे मिट्टियाँ अनुपजाऊ हो गयी हैं।

अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आस-पास फैला है। अतः यहाँ गर्म व नम जलवायु रहती है। दैनिक तथा वार्षिक तापान्तर बहुत कम होते हैं। रातें कुछ ठण्डी होती हैं। वर्ष भर आर्द्रता रहने के कारण शरीर चिपचिपा रहता है।

प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन- अमेजन बेसिन में सघन उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वन

पाये जाते हैं, जिन्हें 'सेल्वा' कहा जाता है। इन वनों में हजारों किस्म के वृक्ष, पौधे, झाड़ियाँ, लताएँ आदि आर्द्र धरातल पर उगते हैं। वृक्षों के वितान इतने सघन होते हैं कि सूर्य की किरणें भी वनों के भीतरी भाग में प्रविष्ट नहीं हो पातीं। यहाँ ताड़ तथा कठोर लकड़ी वाले वृक्षों की अनेक किस्में; जैसे– महोगनी, रोज़वुड, आबनूस आदि उगती हैं। बालसा वृक्ष की हल्की लकड़ी का प्रयोग नाव बनाने में होता है। कारनोबा ताड़ के वृक्ष से सोत तथा सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त होती है। चिकल से 'चुइंग गम' बनाया जाता है। वनों से जंगली रबड़, रेजिन, सेल्युलोज़, तेल, रेशे आदि भी प्राप्त होते हैं।

अमेजन बेसिन वन्य-जीवन में बहुत समृद्ध है। यहाँ बन्दरों की अनेक प्रजातियाँ, रंग-बिरंगे पक्षी, स्लोथ, टेपिर, आण्ट-ईटर, आर्माडिलो, जैगुआर, प्यूमा, असंख्य चमगादड़, कीड़े, पतंगे आदि मिलते हैं। सरीसृपों (reptiles) मगरमच्छ, विशालकाय एनाकोण्डा सर्प आदि प्रमुख हैं। जलाशयों तथा नदियों में अनेक प्रकार की मछलियाँ भी पाई जाती हैं, जिनमें मांसभक्षी, पिरान्हा मछली उल्लेखनीय है।

4. गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। गंगा का मैदान ब्रह्मपुत्र के मैदान से अधिक विस्तृत है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में है तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत में असम राज्य में ही है। इस मैदान में काँप अर्थात जलोढ़ मिट्टी का विस्तृत क्षेत्र है। इसलिए यह मैदान विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान कहलाता है।

ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तथा असम में एक सँकरी घाटी में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वहाँ यह गंगा से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बांग्लादेश में एक विशाल डेल्टा बनाती हैं, जो विश्व का विशालतम डेल्टा है। इसे सुन्दरवन कहते हैं। बंगाल की खाडी में गिरने से पूर्व दोनों नदियाँ अनेक शाखाओं में बँट जाती हैं, जिन्हें 'वितरिका' कहा जाता है। गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन में भयंकर बाढ़ आती रहती है। इसलिए ब्रह्मपुत्र को 'असम का शोक' कहते हैं।

गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म तथा शीत ऋतु ठण्डी होती है। प्रदेश में अधिकांश वर्षा जुलाई से अक्टूबर के मध्य दक्षिण-पश्चिमी मानसूनों द्वारा होती है। प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुछ वर्षा शीत ऋतु में भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातीय तूफानों से होती है, जिन्हें 'पश्चिमी विक्षोभ' कहा जाता है। असम राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है।

प्राचीन काल में गंगा बेसिन सघन उष्ण कटिबन्धीय वनों से ढका था, जिसे कृषि योग्य भूमि के विस्तार के लिए साफ कर दिया गया। ब्रह्मपुत्र बेसिन में अब भी उष्ण कटिबन्धीय वन मिलते हैं। असम में साल तथा बाँस अधिक मिलता है। डेल्टाई क्षेत्र में ज्वारीय वन मिलते हैं, जिन्हें 'मैग्रोव' कहा जाता है। सुन्दरी वृक्ष की बहुतायत के कारण इस डेल्टा को 'सुन्दरवन' नाम दिया गया है।

गंगा बेसिन में अब बहुत कम वन्य-जीवन मिलता है। ब्रह्मपुत्र मैदान में एक सींग वाला गेण्डा, हाथी, बाघ, लकड़बग्घा, हिरण, बन्दर, साँप तथा अनेक प्रकार के पक्षी मिलते हैं। सुन्दरवन रॉयल बंगाल बाघ का प्राकृतिक आवास है। इसके अतिरिक्त मगरमच्छ, दलदली हिरण आदि एवं मछलियाँ भी पायी जाती हैं।

5. जहाँ का वातावरण अत्यंत कष्टकारी होता है तथा तापमान अत्यधिक ठण्डा व अत्यधिक गर्म

होता है, वहाँ के जीवन को मरुस्थलीय जीवन कहते हैं। अतः तापमान के आधार पर रेगिस्तान ठण्डे व गर्म दोनों हो सकते हैं।

सहारा : गर्म मरुस्थल- सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पूर्व में लाल सागर से लेकर पश्चिम में अटलाण्टिक महासागर तक अफ्रीका के उत्तरी भाग में विस्तृत है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किमी तक फैला है। यह एक उष्ण कटिबन्धीय तथा रेतीला मरुस्थल है। इस मरुस्थल के प्रमुख धरातलीय लक्षण रेत के टीले हैं। ये टीले निरंतर गति करते रहते है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है– अल्जीरिया, चाड़, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिशिया तथा पश्चिमी सहारा। रेत के निक्षेपों का विशाल विस्तार अर्ग कहलाता है। यहाँ कहीं-कहीं पर बजरी से ढके मैदान भी मिलते हैं, जिन्हें 'रेग' या 'सेरिर' कहा जाता है। चट्टानी तथा पठारी धरातल वाला मरुस्थल 'हमादा' कहलाता है। मरुस्थल में वायु की अपवाहन क्रिया से निर्मित, समुद्र तल से भी नीचे (गहरे) विशाल गर्त पाये जाते है। 'कटारा' ऐसा ही गर्त है, जो समुद्र तल से 133 मीटर गहरा है। इसके अतिरिक्त मरुस्थल में जल के निकट उपजाऊ क्षेत्र मिलते हैं, जिन्हें मरुद्यान कहते हैं। मिस्र में 'सिवा गर्त' प्रसिद्ध मरुद्यान है।

नील नदी विश्व की विशालतम (सबसे लम्बी) नदी है, जो मरुस्थल के पूर्वी भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह भूमध्य सागर में गिरती है। प्रदेश के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में नाइजर नदी बहती है। इसके अतिरिक्त मरुस्थल में अनेक चौरस तली वाली जलधाराएँ भी बहती हैं, जिन्हें 'वादी' कहा जाता है। वादियाँ प्रायः शुष्क होती हैं, किन्तु वर्षाकाल में ये मरुस्थलों में बाढ़ें उत्पन्न करती हैं।सहारा मरुस्थल की जलवायु अधिक गर्म व शुष्क है। यहाँ वर्षा न के बराबर होती है। आकाश बिल्कुल स्पष्ट व स्वच्छ रहता है। यहाँ दिन अतिशय गर्म होते हैं। दिन के समय यहाँ तापमान 50° सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। परन्तु रातें यहाँ बहुत ठंडी हो जाती हैं। जितनी जल्दी रेत गर्म होती है, उससे भी ज्यादा जल्दी रात में ठण्डी हो जाती है। रात में तापमान 0° सेल्सियस तक पहुँच जाता है।

लद्दाख : शीत मरुस्थल- लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है। यह जम्मू-कश्मीर के पूर्व में हिमालय में स्थित है।

यह विश्व के सर्वोच्च भागों में से एक है। यह एक चट्टानी मरुस्थल है, जिसमें उच्च मैदान गहरी घाटियों द्वारा विच्छेदित हैं। प्रदेश के उत्तर में कराकोरम श्रेणी तथा दक्षिण में जॉस्कर श्रेणी स्थित है। इन दोनों के मध्य लद्दाख श्रेणी विस्तृत है। दक्षिण-पूर्व में रूपशू झील है, जो समुद्रतल से लगभग 4,100 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। इस प्रदेश की प्रमुख नदी सिन्धु है। सिन्धु की सहायक जॉस्कर तथा श्योक हैं। कराकोरम श्रेणी में अनेक हिमनद स्थित हैं। जैसे– गैंग्री हिमनद।

लद्दाख की जलवायु ठण्डी तथा शुष्क है। इसकी राजधानी लेह सबसे ठण्डा स्थान है। यहाँ जनवरी में तापमान –28° सेग्रे0 तक पहुँच जाता हैं। यहाँ की वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, जिसका औसत 84 मिलीमीटर है।

लद्दाख की जलवायु कठोर है। अतः यहाँ विरल वनस्पति पाई जाती है। पर्वतों के ढालों पर घासें तथा झाड़ियाँ उगती हैं। नदी घाटियों में मुख्यतः बौने विलों तथा पोपलर एवं उच्च पर्वतीय ढालों पर जूनिपर वृक्ष उगते हैं।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

(इकाई-3 : नागरिक शास्त्र)

1. प्रजातंत्र का उत्कर्ष

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (ब) प्रजातंत्र 2. (स) अब्राहम लिंकन 3. (द) ये सभी 4. (ब) लोकतांत्रिक व्यवस्था में

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. प्रजातांत्रिक 2. वंशानुगत 3. भागीदारी

ग. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. प्रजातंत्र से अर्थ उस शासन-व्यवस्था एवं सरकार से है, जिसकी शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है।
2. प्रजातंत्र को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है-
   (i) प्रत्यक्ष प्रजातंत्र (ii) अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र
3. फ्रांस में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है।
4. अपनी पसंद के प्रतिनिधि के लिए मत देने का अधिकार मताधिकार कहलाता है।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. अमरीकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र की परिभाषा इस प्रकार की है– ''जनता का शासन, जनता द्वारा, जनता के लिए है।''
   यूनानी इतिहासकार व दार्शनिक हेरोडोटस ने लोकतंत्र की यह परिभाषा दी है– ''लोकतन्त्र सरकार का वह प्रकार है, जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता सम्पूर्ण समुदाय के सदस्यों में निहित होती है।''
2. प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है, जिसमें समस्त वयस्क नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव सामूहिक रूप में प्रत्यक्ष करते हैं। सभी निर्णय साधारण सभा में लिए जाते हैं तथा कानून पारित किए जाते हैं, नियुक्तियाँ की जाती हैं तथा सभा में करों का मूल्यांकन किया जाता है, जहाँ सभी वयस्क नागरिक उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं।
3. अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मंत्रिमंडल व संसद का राष्ट्रपति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। राष्ट्रपति को ही सरकार के वास्तविक अध्यक्ष व नाममात्र दोनों का अधिकार प्राप्त होता है।
4. प्रजातंत्र में किसी भी पद पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के रूप में भाग लेने का अधिकार देश के सभी वयस्क नागरिक का है। वह मंत्री, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन राजतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली में यह स्थिति संभव नही है।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. **आधुनिक समाज में प्रजातंत्र का उद्भव-** सरकार की प्रजातांत्रिक संरचना राजतंत्र के समान प्राचीन है। प्रजातंत्र का प्रारंभ सर्वप्रथम 2,500 वर्ष पूर्व ऐथेंस के ग्रीक शहर में हुआ था। आधुनिक प्रजातंत्र प्राचीन काल में यूनान में प्रचलित प्रजातंत्र से बिलकुल भिन्न है।
   भारत में प्रजातंत्र की स्थापना में ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे अनेक राजनैतिक दलों के गठन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने देश में प्रजातंत्र की स्थापना कराने में जनता को सक्रिय भागीदार बना दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने सन् 1936

ई0 में फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में संबोधित करते हुए प्रजातंत्र की स्थापना को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था, ''कांग्रेस आज भारत में पूर्ण प्रजातंत्र के लिए खड़ी है तथा प्रजातंत्रात्मक राज्य की स्थापना का वचन देती है।''

प्रजातंत्र का विचार कानून के शासन, उत्तरदायित्व की भावना के सिद्धांत, वयस्क मताधिकार के सिद्धांत तथा राजनैतिक समानता से लेकर आर्थिक समानता जैसे सशक्त सिद्धांत तक व्यापक हो गया था।

2. **प्रजातांत्रिक सरकार के विभिन्न रूप**

प्रजातंत्रात्मक सरकार के कुछ विभिन्न रूप इस प्रकार हैं–

(i) संसदात्मक सरकार– संसद सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था होती है। देश का राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है। वास्तविक शासन शक्ति केंद्र में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संगठित मंत्रिपरिषद् व राज्यों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संगठित मन्त्रिपरिषद् में निहित होती है। वे अपने विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं यदि वे विधानमंडल की इच्छा के विपरीत या देश व राज्य की सरकार के संचालन कार्य में असफल सिद्ध होते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उन्हें पद से हटा दिया जाता है। प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल ही वास्तविक शक्ति है, जबकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् के परामर्श पर कार्य करता है। राष्ट्रपति को केवल संवैधानिक व नाममात्र की शक्ति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है।

(ii) अध्यक्षात्मक सरकार– अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मंत्रिमंडल व संसद का राष्ट्रपति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। राष्ट्रपति को ही सरकार के वास्तविक अध्यक्ष व नाममात्र दोनों का अधिकार प्राप्त होता है।

(iii) एकात्मक सरकार– एकात्मक सरकार में एक केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों को नियंत्रित किया जाता है। राज्य केंद्र द्वारा प्रारंभ की गई नीतियों एवं निर्णयों के संबंध में शक्ति नहीं रखते हैं तथा इस संबंध में उन्हें कुछ कहने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। आपातकाल के समय केंद्र राज्य की सारी शक्तियों को ले सकता है।

(iv) संघात्मक सरकार– संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन दो स्तरों–केंद्र व राज्य स्तरों पर होता है। इस प्रकार की सरकार में संविधान लिखित व कठोर होता है। यदि किसी विषय-विशेष के संदर्भ में केंद्रीय कानून व राज्य कानून में कोई विवाद है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय कानून कार्य करता है।

3. **प्रजातंत्र को लोकप्रिय बनाने वाले महत्वपूर्ण तत्त्व-** वर्तमान लोकतंत्र के महत्वपूर्ण तत्व ऐसे हैं, जो समकालीन विश्व में प्रजातंत्र को लगातार लोकप्रिय बनाने के लिए रत हैं। उनमें से प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं–

समानता– प्रजातंत्र में समानता का सिद्धांत प्रमुख है। कानून की दृष्टि में राज्य के सभी नागरिक समान हैं। सभी को समान सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक अधिकार प्राप्त हैं व राज्य नागरिकों के साथ जाति, धर्म व संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। सभी को अपने प्रतिनिधि के चयन का समान अधिकार है।

स्वतंत्रता– लोकतंत्रात्मक सरकार में सभी को अपने विचारों को निर्भीकतापूर्वक व्यक्त करने का अधिकार है। इस प्रावधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने व प्रचार-प्रसार करने का अधिकार रखता है। प्रत्येक व्यक्ति अभिव्यक्ति, आलोचना की तथा प्रेस की स्वतन्त्रता रखता है।

निर्णय लेने की व्यवस्था– प्रजातंत्रात्मक सरकार में शासक के व्यक्तिगत निर्णयों का कोई महत्व नहीं होता। प्रशासन जनता की इच्छा पर निर्भर होता है और जनता के विचारों से ही उसे शक्ति मिलती है। लोकतंत्र में तानाशाही को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में होती है, जो चुनाव में अपने वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक प्रजातंत्रात्मक सरकार में निश्चित संस्थाएँ होती हैं, जो निर्णय लेती हैं। विधानमंडल, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका सरकार के कार्यों के अनुपालन को विकसित करती हैं। प्रत्येक संस्था विधि-विधान के अनुसार कार्य करती है तथा विशेष तौर पर लिखित प्रावधानों पर अधिक जोर देती है।

नागरिकों की सक्रिय भागीदारी– प्रजातंत्र में किसी भी पद पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के रूप में भाग लेने का अधिकार देश के सभी वयस्क नागरिक का है। वह मंत्री, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन राजतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली में यह स्थिति संभव नही है।

2. राज्य सरकार

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (द) ये सभी 2. (ब) राज्यपाल 3. (अ) विधायक 4. (स) 6 वर्ष

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. सरकार 2. राज्य विधायिका 3. द्विसदनीय 4. मुख्यमंत्री

ग. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. राच्यपाल के लिए निर्धारितउम्र 35 वर्ष और उससे अधिक होती है।
2. वर्तमान समय में निम्न लिखित राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
3. विधायक का चुनाव जनता द्वारा होता है।
4. राज्य में मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन का मुखिया और केन्द्र बिन्दु होता है।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. राज्यपाल बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी आवश्यक हैं–
   (i) उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।
   (ii) वह भारत का नागरिक हो।
   (iii) वह संसद तथा विधान मण्डल का सदस्य है, तो राज्यपाल बनने से पहले उसे त्याग-पत्र देना अनिवार्य है।
   (iv) वह किसी सरकारी अथवा लाभ के पद पर न हो।
2. मुख्यमंत्री के कार्य- मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन का केन्द्र बिन्दु होता है। वह मंत्रिपरिषद् के परामर्श से राज्य के लिए नीतियों का निर्धारण करता है। उसके कार्य निम्नलिखित हैं–
   (i) वह मंत्रिपरिषद् की बैठक बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है।
   (ii) मुख्यमंत्री राज्यपाल के परामर्श से मंत्रिपरिषद् का निर्माण करता है।
   (iii) राज्य में उच्च पदों पर अधिकारी की नियुक्ति करने तथा उन्हें पद से हटाने के लिए वह राज्यपाल को परामर्श देता है।
   (iv) वह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् के बीच कड़ी का कार्य करता है।

(v) वह विधान सभा में राज्य की ओर से प्रमुख वक्ता होता है।

(vi) वह मंत्रियों को उनके विभागों का बँटवारा करता है।

3. विधान परिषद के सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।

(i) वह पागल या दिवालिया न हो।

(ii) वह भारत का नागरिक हो।

(iii) वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।

(iv) वह संसद या विधि द्वारा इस पद के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो।

(v) वह केन्द्र या राज्य सरकार के लाभ के पद पर कार्य न करता हो।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. राज्य विधायिका में राज्यपाल, मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद सम्मिलित होते हैं। इसकी संरचना संघीय विधायिका के समान ही होती है।

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल राज्य विधायिका का नाम-मात्र का प्रधान होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है।

राज्यपाल के कार्य और अधिकार- राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति दोनों की स्थिति लगभग समान होती है। राज्यपाल के कार्य व अधिकार निम्नलिखित हैं–

(i) राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से राज्य प्रशासन के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है।

(ii) राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

(iii) वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर कर उन्हें कानून का रूप प्रदान करता है।

(iv) राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है।

(v) वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है।

(vi) वह मुख्यमंत्री के परामर्श से विधानसभा का सत्र बुलाता है तथा उसे भंग करता है।

(vii) राज्यपाल राज्य के कानून के अन्तर्गत दी गई अपराधियों की सजाओं को क्षमा कर सकता है।

(viii) विधानमंडल का सत्र न चलने की दशा में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है।

(ix) वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।

(x) वह वित्त विधेयकों को पेश होने से पूर्व स्वीकृति प्रदान करता है।

2. **राज्य विधानमण्डल-** प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। लेकिन प्रत्येक राज्य का विधान मंडल द्विसदनीय नहीं होता। राज्य का विधान मंडल, राज्यपाल और एक या दो सदनों से बना होता है। वह राज्य जहाँ दो सदन होते हैं, वहाँ निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है।

वर्तमान समय में निम्नलिखित राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है– उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।

विधानसभा- राज्य विधानमण्डल का निचला सदन विधानसभा होता है। इसके सदस्यों का चुनाव राज्य की जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसके सदस्यों की संख्या राज्य के आकार और जनसंख्या के अनुसार पृथक्-पृथक् होती है। विधान सभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक होती है। विधानसभा के सदस्य को

'विधायक या एम एल ए' कहा जाता है। विधायक का चुनाव जनता द्वारा होता है। विधान सभा का सदस्य बनने के बाद वे सरकार बनाते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है।

विधान परिषद्- राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद् कहलाता है। यह एक स्थायी सदन है। प्रत्येक दो वर्ष के बाद इसके एक तिहाई सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान सभा के विपरीत विधान परिषद के सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।

(i) वह पागल या दिवालिया न हो।

(ii) वह भारत का नागरिक हो।

(iii) वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।

(iv) वह संसद या विधि द्वारा इस पद के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो।

(v) वह केन्द्र या राज्य सरकार के लाभ के पद पर कार्य न करता हो।

विधान सभा और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। इनका चुनाव सदस्यों के द्वारा अपने ही मध्य से किया जाता है।

राज्य विधान मंडल का मुख्य कार्य विधेयक (बिल) पारित कर कानून बनाना है। विधान मंडल से पारित विधेयक राज्यपाल के पास भेजे जाते हैं। उनके हस्ताक्षर हो जाने के बाद विधेयक कानून का रूप ले लेता है।

3. राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर बनती है। राज्य में मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन का मुखिया और केन्द्र बिन्दु होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत वाले दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। एक दल का स्पष्ट बहुमत न होने पर संयुक्त दल में सर्वमान्य दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है।

मुख्यमंत्री के कार्य- मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन का केन्द्र बिन्दु होता है। वह मंत्रिपरिषद् के परामर्श से राज्य के लिए नीतियों का निर्धारण करता है। उसके कार्य निम्नलिखित हैं–

(i) वह मंत्रिपरिषद् की बैठक बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है।

(ii) मुख्यमंत्री राज्यपाल के परामर्श से मंत्रिपरिषद् का निर्माण करता है।

(iii) राज्य में उच्च पदों पर अधिकारी की नियुक्ति करने तथा उन्हें पद से हटाने के लिए वह राज्यपाल को परामर्श देता है।

(iv) वह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् के बीच कड़ी का कार्य करता है।

(v) वह विधान सभा में राज्य की ओर से प्रमुख वक्ता होता है।

(vi) वह मंत्रियों को उनके विभागों का बँटवारा करता है।

मुख्यमंत्री का राज्य के प्रशासन में बड़ा महत्त्व होता है। वह राज्य प्रशासन मंडल का आधार स्तम्भ होता है। वह विधान सभा मंडल का आधार स्तम्भ होता है। वह विधानसभा में बहुमत होने तक अपने पद पर बना रहता है।

राज्य मंत्री परिषद्- राज्य मंत्रिपरिषद् का गठन मुख्यमंत्री राज्यपाल के परामर्श से करता है। इसमें भी केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की तरह तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। मुख्यमंत्री प्रत्येक मंत्री को उसका विभाग सौंपता है। प्रत्येक मंत्री अपने से सम्बन्धित विभाग के कार्य देखता है। पूरा मंत्रिमंडल एक टीम की तरह कार्य करता है तथा मुख्य मंत्री द्वारा त्याग-पत्र देने पर मंत्रिमंडल ही उसे पद से हटा सकता है।

3. लैंगिक भेदभाव

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (ब) महिला 2. (ब)धार्मिक धारणाएँ 3. (अ) पर्दा प्रथा 4. (द) ये सभी

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. पुरुषों 2. शिक्षा, रोजगार 3. परिवार 4. दहेज

ग. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. लिंग के आधार पर किए गए विभिन्न प्रकार के भेदभाव को ही लैंगिक असमानता कहते हैं।
2. महिलाओं के प्रति कार्य करने वाले दो समाज-सुधारक हैं- राजा राममोहन राय तथा ईश्वर चन्द्र विद्यासागर।
3. UNDP (Union National Development Programme) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, जो महिलाओं को समानता व स्वतंत्रता प्रदान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. लड़के तथा लड़कियों के विषय में कुछ मुख्य छवियाँ निम्नलिखित हैं–
   - लड़के शारीरिक तौर पर मजबूत होते हैं।
   - लड़के उपद्रवी/शैतान होते हैं।
   - लड़के नटखट होते हैं।
   - लड़के खेलकूद में अच्छे होते हैं।
   - लड़कियाँ मृदुभाषी तथा विनम्र होती हैं।
   - लड़कियाँ भोजन पकाने में अच्छी होती हैं।
   - लड़कियाँ भावुक होती हैं।
   - लड़कियाँ नृत्य तथा पेन्टिंग में अच्छी होती है।
2. **पितृसत्तात्मक व्यवस्था–** भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्बे के अनुसार, ''पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया व व्यवस्था है; जिसमें पुरुष महिला पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है।'' महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक घटना है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का मूल आधार धार्मिक भावनाएँ व धारणाएँ रही हैं। हमारे समाज का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी रहा है कि प्रचलित सामाजिक-सांस्कृतिक स्थितियों के कारण महिलाओं ने पुरुषों के अधीन अपनी स्थिति को स्वीकृति दे दी है और वे भी इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रमुख अंग बन चुकी हैं।
3. **महिला सशक्तिकरण-** महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता व्यक्त करना महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत आता है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिससे महिलाओं की स्थिति को पुरुषों की अपेक्षा कमतर न आँकी जाए। वैश्विक रूप से नारीवादी आंदोलनों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) आदि महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों ने महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता की भूमिका निभायी है। प्रस्तुत महिला सशक्तिकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास उत्पन्न कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. **लैंगिक असमानता के सामाजिक व आर्थिक पहलू-** कुछ सुनिश्चित आचार तथा मूल्य परिवार, समुदाय, विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलों पर लड़के और लड़कियों की भूमिका को निर्धारित करते हैं। ये आचार तथा मूल्य पुरुष तथा स्त्रियों के बारे में पूर्वाग्रहों से सम्बन्धित हैं।

हम प्रायः लोगों को एक निश्चित छवि में ढले हुए रूढ़िबद्ध रूप में ही देखते हैं। इस तथ्य के उदाहरण कुछ कथनों के द्वारा दिए जा सकते हैं– ''रोओ मत, तुम एक लड़के हो।'' ''लड़के बहादुर होते हैं, वे रोते नहीं।'' इस प्रकार रोना एक ऐसा गुण है, जो प्रायः लड़कियों तथा स्त्रियों से जुड़ा हुआ है। जब एक बच्चा (बालक) गिर जाता है तथा उसे चोट लग जाती है, तो उसके माता-पिता या परिवार के सदस्य प्रायः उपर्युक्त कथनों द्वारा उसे धीरज बँधाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे विश्वास करना प्रारम्भ करते हैं कि लड़के रोते नहीं, क्योंकि वे बहादुर होते हैं तथा रोना दुर्बलता का लक्षण है। अतः यदि वह रोएगा तो अन्य बच्चे एवं बड़े उसे चिढ़ाएँगे तथा उस पर हँसेगे। इसलिए वे लड़कों को 'न रोना' सिखाते हैं।

प्रायः ग्रामीण परिवारों तथा समुदायों में लड़कियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे घर पर रहकर अपनी माताओं को खाना बनाने, घर साफ करने, कपड़े धोने तथा अन्य घरेलू कार्यों में सहायता करेंगी। इसीलिए उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता। यदि उन्हें स्कूल भेजा भी जाता है तो उन्हें गम्भीर होकर पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। प्रायः मामूली कारणों से उन्हें स्कूल से हटा लिया जाता है। यही कारण है कि गाँवों में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या अधिक होती है।

भारत में सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को घर की चहारदीवारी के अन्दर ही रहना चाहिए, घरेलू काम करने चाहिए तथा विवाह के बाद उन्हें बच्चों को पालना चाहिए। इसके विपरीत, लड़कों को भावी रोजी-रोटी कमाने वाला माना जाता है। इसलिए उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है तथा उन्हें बेहतर भोजन भी दिया जाता है।

परिवार में प्रायः लड़के-लड़कियों के बीच भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को सन्तुलित आहार नहीं दिया जाता तथा उनके स्वास्थ्य की भी उचित देखभाल नहीं की जाती है। जब वे बड़ी हो जाती हैं, विवाहित हो जाती हैं तथा माँ बनती हैं तब भी उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्हें आवश्यक चिकित्सा भी उपलब्ध नहीं होती। यही कारण है कि हमारे देश में मातृत्व मर्त्यता की दर बहुत ऊँची है। बालिका-शिशु हत्या तथा बलिका-भ्रूण हत्या के उदाहरण सामान्य है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियाँ घरेलू कार्य, भाई-बहनों की देखभाल, बीमार तथा बूढ़ों की देखभाल, खाना पकाना, घर की सफाई, जलाने की लकड़ी एकत्रित करना, मवेशियों को नहलाना, धुलाना आदि कार्य करती है। उनके माता-पिता उन्हें स्कूल भेजने के लिए उत्सुक नहीं होते। लड़कियों की भौतिक सुरक्षा विशेषतः जब उन्हें लम्बी दूरी तय करके स्कूल पढ़ने जाना होता है; या अन्य कारणों से उनकी शिक्षा में बाधा पड़ती है।

हालाँकि नगरों में लड़कियों को शिक्षा तथा रोजगार के अवसर भी मिलते हैं, जबकि लड़कों की तुलना में लड़कियों के आँकड़े कम ही हैं। यह एक प्रोत्साहनकारी बात है कि लड़कियाँ प्रत्येक स्तर पर लड़कों से बेहतर होती है। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भी वे उच्चतम स्थान प्राप्त करती है। शिक्षा के अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों; जैसे– व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रशासन, उद्योग, प्रतिरक्षा आदि में भी लड़कियाँ प्रवेश कर रही हैं; किन्तु सामान्यतः लड़कियों का भाग्य घरेलू कार्यों से ही जुड़ा है, जिसे प्रायः कोई सम्मानजनक स्थान नहीं दिया जाता।

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में बहुत-सी महिलाएँ घरेलू कार्यों के अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायों में संलग्न रहती हैं; जैसे– घरेलू नौकर, श्रमिक, फुटकर विक्रेता आदि के रूप में; किन्तु उनके योगदान का समुचित मूल्यांकन नहीं किया जाता। उन्हें प्रायः रोजगार कानूनों आदि से सुरक्षा

उपलब्ध नहीं होती तथा उन्हें समान कार्य के लिए पुरुषों से कम वेतन भी दिया जाता है।

2. **लिंग-आधारित असमानता के मूल कारक- (i) पितृसत्तात्मक व्यवस्था–** भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्बे के अनुसार, ''पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया व व्यवस्था है; जिसमें पुरुष महिला पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है।'' महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक घटना है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का मूल आधार धार्मिक भावनाएँ व धारणाएँ रही हैं। हमारे समाज का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी रहा है कि प्रचलित सामाजिक-सांस्कृतिक स्थितियों के कारण महिलाओं ने पुरुषों के अधीन अपनी स्थिति को स्वीकृति दे दी है और वे भी इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रमुख अंग बन चुकी हैं।

(ii) बालिका सन्तान के प्रति भेदभाव– बालिका सन्तान के साथ भेदभाव के अनेक कारण हैं। परिवार में लड़के के जन्म पर खुशियाँ मनायी जाती हैं; क्योंकि उससे वंश चलता है, जबकि लड़कियाँ अपने विवाह के बाद ससुराल चली जाती हैं।

लड़कियों का जन्म परिवार पर बोझ समझा जाता है। इसका कारण यह है कि उसके लालन-पालन पर धन व्यय करने के बाद भी विवाह के अवसर पर दहेज देना पड़ता है। इसीलिए अनेक राज्यों तथा क्षेत्रों में कन्या के जन्म लेते ही उसे मार दिया जाता है। नगरीय क्षेत्रों में भी कन्या-भ्रूण हत्या एक सामान्य दशा है। स्त्रियों को जीने के अधिकार से वंचित किया जाता है। यह स्त्रियों की हीन दशा की पराकाष्ठा है।

(iii) समाज में महिलाओं का निम्न स्तर– उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक दशाओं में गिरावट आने लगी तथा मध्य युग तक समाज में स्त्रियों का स्तर गिरता ही गया। उन्हें 'पर्दा' करने के लिए विवश किया जाता था। सती-प्रथा प्रचलित थी। बहुपत्नी विवाह के कारण उनकी सामाजिक-आर्थिक दशा में और भी गिरावट आयी। स्त्रियाँ आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर थीं तथा उन्हें पिता एवं पति की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं था। उन्हें पुरुषों से नीचा समझा जाता था।

(iv) स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा– स्त्रियों को शिक्षा देना व्यर्थ समझा जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उन्हें रोजगार की आवश्यकता नहीं है।

3. भारत में महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए 19 वीं सदी में विभिन्न प्रयास किए गए। विभिन्न समाज सुधारकों; जैसे– राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द, सर सैयद अहमद खान आदि ने महिलाओं के सुधार के लिए काफी सराहनीय प्रयास किए। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया तथा राजा राममोहन राय के ही प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानूनी रूप से निषिद्ध किया। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने महिलाओं के लिए अनेक स्कूल खोले तथा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में प्रचलित पर्दा प्रथा तथा बहुपत्नी की निन्दा की तथा मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा की वकालत की।

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सरकार ने निम्नलिखित कानूनी प्रावधानों द्वारा लैंगिक असमानता को दूर करने के प्रयास किए–

(i) बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए पृथक् स्कूल तथा कॉलेज खोले गये।

(ii) महिलाओं को सार्वभौम वयस्क मताधिकार द्वारा पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए।

(iii) महिलाओं को अपने पिता की सम्पत्ति में पुत्रों के बराबर अधिकार दिलाया गया। 'हिन्दू कोड बिल' तथा 'कमला ऐक्ट' इसी दिशा में किए गए प्रयास थे।

(iv) सरकार ने दहेज को अवैध घोषित कर दिया तथा दहेज माँगने वालों को दण्डित करने का प्रावधान निश्चित किया।

4. मीडिया की भूमिका

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) समाचार-पत्र 2. (ब) निम्न 3. (स)12 अक्टूबर, 2005 4. (द) सिनेमा

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. जन संचार 2. लोकतन्त्र 3. व्यावसायिक , सामाजिक

ग. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. जनता से सम्पर्क स्थापित करने की विभिन्न विधियों को मीडिया कहते हैं।
2. प्रेस को लोकतन्त्र का प्रकाश स्तम्भ कहा गया है।
3. जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं- रेडियो, दूरदर्शन तथा सिनेमा।
4. सूचना के अधिकार से तात्पर्य है- सूचना पाने का वह अधिकार जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिको को प्रदान करता है।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. जनता से सम्पर्क स्थापित करने की विभिन्न विधियों को 'मीडिया' कहते हैं। आधुनिक लोकतन्त्र में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। लोकतन्त्र का शासन-बल प्रयोग से नहीं चलता। यह आपसी सहमति से चलता है। यही कारण है कि प्रत्येक लोकतान्त्रिक देश जनता को जनमत बनाने तथा अपने विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता के सभी अवसर प्रदान करता है। जनसम्पर्क तथा जनसंचार के विभिन्न साधन जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीडिया विश्व में होने वाली प्रत्येक घटना की सूचना उपलब्ध कराने, लोगों को प्रबुद्ध रखने तथा स्वस्थ जनमत विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2. संचार माध्यमों से नागरिक यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। नागरिक चाहे तो वे सरकार के कार्यों के प्रति अपना विरोध या सहमति प्रकट कर सकते हैं। जानकारी का सत्यापित व संतुलित होना बहुत आवश्यक होता है अर्थात् समाचार पत्रों को चाहिए कि वे मिथ्या समाचार या अफवाहें न प्रसारित करें। इससे जनता भ्रमित हो सकती है। लोकतन्त्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है अर्थात् संचार माध्यमों पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण या दबाव नहीं होना चाहिए। संचार माध्यमों द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर नागरिक कार्यवाही करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि यह जानकारी तटस्थ व विश्वसनीय हो।
3. जिस माध्यम का उपयोग करके उत्पाद या सेवाओं के विषय में उपभोक्ता को जानकारी दी जाती है, जिससे वह प्रभावित होकर उस सेवा या उत्पाद का उपयोग कर सके, उसे विज्ञापन कहा जाता है।

   विज्ञापन अधिकांशतः किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। किन्तु ऐसे भी उदाहरण हैं, जिनमें विज्ञापन के माध्यम से लोगों को सुरक्षापूर्वक गाड़ी चलाने, दान देने या

किसी राजनीतिक उम्मीदवार को वोट देने आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विज्ञापन के सभी प्रकार निजी या गैर-व्यक्तिगत संवाद तथा किसी विशिष्ट प्रायोजक द्वारा उत्पादों तथा सेवाओं की बढ़ोतरी या विचारों को सम्मिलित किया जाता है। विज्ञापन प्रिन्ट मीडिया (समाचार-पत्र, मैगजीन, बिलबोर्ड आदि) या प्रसारण (रेडिया तथा दूरदर्शन) के माध्यम से किए जाते हैं।

4. विज्ञापन देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए–

(i) उपभोक्ताओं को उत्पादों के वजन, गुणवत्ता, मूल्य, उत्पादन-तिथि आदि की सही सूचना देनी चाहिए।

(ii) विज्ञापन का डिजाइन देश के कानूनों के अनुसार होना चाहिए।

(iii) विज्ञापन नैतिकता, मर्यादा तथा लोगों की धार्मिक संवेदनशीलता के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।

(iv) विज्ञापन में अन्य उत्पादों या सेवाओं के प्रति कोई अपमानजनक सन्दर्भ नहीं होना चाहिए।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. **मीडिया के प्रमुख साधन-** प्रेस अथवा समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ तथा इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार के साधन (जैसे– रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा) आदि मीडिया के प्रमुख साधन हैं।

प्रिंट मीडिया और लोकतंत्र- प्रिंट मीडिया या प्रेस के अन्तर्गत समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ आदि सम्मिलित हैं। बुद्धिजीवी लोग अपनी राय समाचार-पत्रों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। समाचार-पत्र प्रतिदिन घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण तथा राजनीतिक समस्याओं का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक समस्याओं की व्याख्या से लोगों में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की समस्याओं के विषय में रुचि जागृत होती है। समाचार-पत्र सरकार के जन-विरोधी कार्यों की आलोचना व समीक्षा करते हैं। इसीलिए प्रेस को 'लोकतन्त्र का प्रकाश स्तम्भ' कहा गया है।

संचार माध्यमों से नागरिक यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। नागरिक चाहे तो वे सरकार के कार्यों के प्रति अपना विरोध या सहमति प्रकट कर सकते हैं। जानकारी का सत्यापित व संतुलित होना बहुत आवश्यक होता है अर्थात् समाचार पत्रों को चाहिए कि वे मिथ्या समाचार या अफवाहें न प्रसारित करें। इससे जनता भ्रमित हो सकती है। लोकतन्त्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है अर्थात् संचार माध्यमों पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण या दबाव नहीं होना चाहिए। संचार माध्यमों द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर नागरिक कार्यवाही करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि यह जानकारी तटस्थ व विश्वसनीय हो।

जनसंचार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम- जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा आदि हैं। रेडियो तथा दूरदर्शन समाचार-पत्रों की अपेक्षा बेहतर होते हैं; क्योंकि इनकी पहुँच समाज के हर तबके तक होती है। इसके अतिरिक्त, रेडियो तथा दूरदर्शन देश के दूर-दराज स्थानों तथा गाँवों में भी पहुँच रखते हैं। देश के किसी भी भाग में लोग समाचार, नेताओं के भाषण तथा राजनीतिक वार्ताएँ सुन सकते हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में साक्षरता की दर निम्न है तथा यहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ व अनेक भाषाएँ भी प्रचलित हैं, जिसमें दूरदर्शन प्रसारण का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। भारत का राष्ट्रीय दूरदर्शन नेटवर्क विश्व के विशालतम स्थलीय नेटवर्कों में गिना जाता है।

सिनेमा मनोरंजन का बहुत महत्त्वपूर्ण साधन है। सिनेमा अनेक सामाजिक समस्याओं तथा उनके समाधान को प्रकाश में लाता है। प्रत्येक फिल्म का एक सन्देश होता है।

2. **सूचना के अधिकार का कानून-** सूचना के अधिकार से तात्पर्य है– सूचना पाने का वह अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। लोकतन्त्र में जनता अपने द्वारा चुनी गई सरकार से अपेक्षा करती है कि वह पूरी ईमानदारी व कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करें। लेकिन कुछ भ्रष्ट प्रतिनिधि या अधिकारी अपने कर्त्तव्यों के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाते और जनता की आँखों में धूल झोंकते हैं। ऐसे लोगों से ही सूचना के अधिकार के माध्यम से उनके कार्य के प्रति उनकी जवाबदेही माँगी जाती है। प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स भरता है, जिससे देश का विकास संभव हो सके। इसलिए उसका अधिकार है कि वह यह जान सके कि उसके द्वारा दिए गए पैसे का उपयोग किस प्रकार और कहाँ-कहाँ हुआ है?

   सूचना के उपर्युक्त अधिकार को प्राप्त करने के लिए लोगों को दीर्घकाल तक कठिन संघर्ष करना पड़ा। उन्हें धरना, प्रदर्शन तथा अधिकारियों का घेराव जैसे उपाय अपनाने पड़े। अन्ततः राज्य सरकारों को सूचना के अधिकार सम्बन्धी कानून पारित करने पड़े। इस दिशा में राजस्थान सरकार ने पहल करते हुए 'राजस्थान सूचना का अधिकार कानून, 2000' पारित किया।

   15 जून, 2005 को सूचना के अधिकार को अधिनियमित किया गया तथा 12 अक्टूबर, 2005 को सम्पूर्ण धाराओं के साथ इसे लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य देश के विकास के प्रति किए गए कार्यों में पारदर्शिता लाना है।

3. **विज्ञापन-** जिस माध्यम का उपयोग करके उत्पाद या सेवाओं के विषय में उपभोक्ता को जानकारी दी जाती है, जिससे वह प्रभावित होकर उस सेवा या उत्पाद का उपयोग कर सके, उसे विज्ञापन कहा जाता है।

   विज्ञापन अधिकांशतः किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। किन्तु ऐसे भी उदाहरण हैं, जिनमें विज्ञापन के माध्यम से लोगों को सुरक्षापूर्वक गाड़ी चलाने, दान देने या किसी राजनीतिक उम्मीदवार को वोट देने आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विज्ञापन के सभी प्रकार निजी या गैर-व्यक्तिगत संवाद तथा किसी विशिष्ट प्रायोजक द्वारा उत्पादों तथा सेवाओं की बढ़ोतरी- या विचारों को सम्मिलित किया जाता है। विज्ञापन प्रिन्ट मीडिया (समाचार-पत्र, मैगजीन, बिलबोर्ड आदि) या प्रसारण (रेडियो तथा दूरदर्शन) के माध्यम से किए जाते हैं।

   विज्ञापन का सर्वाधिक प्रचलित माध्यम समाचार-पत्र हैं, जिनमें विज्ञापनकर्ताओं को उनके व्यवसाय-क्षेत्र के निकट ही एक विशाल तथा व्यापार संचार-क्षेत्र उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त विज्ञापनकर्ता एक ही विज्ञापन को नियमित रूप से अथवा उसमें कुछ संशोधन या परिवर्तन करके समाचार-पत्र पढ़ने वालों तक पहुँचा सकते हैं। इसी तरह पत्रिकाएँ भी विज्ञापन का लोकप्रिय प्रिन्ट माध्यम हैं, जिनके माध्यम से सामान्य विषयों में रुचि रखने वाले या विशिष्ट विषयों (जैसे– खेलकूद, साहित्य, कम्प्यूटर आदि) में रुचि लेने वाले व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

   रेडियो तथा दूरदर्शन पर नियमित कार्यक्रमों के बीच-बीच में अनेक विज्ञापन दिए जाते हैं। ऐसे

प्रसारण विज्ञापनों में प्रायः एक श्रव्य या दृश्य कथ्य होता है, जो 15 सेकण्ड से लेकर 30 या 60 सेकण्ड तक होता है। ऐसे प्रसारण 'कामर्शियल सूचना' के अन्तर्गत आते हैं।

विज्ञापन के प्रकार- (i) व्यावसायिक विज्ञापन– इसके अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर विलासिता की वस्तुएँ आती हैं। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में केवल प्रेस विज्ञापन ही प्रचलित थे, जिनमें ब्रिटिश प्रशासकों तथा राजाओं-नवाबों के परिवारों को विलासिता की वस्तुओं, यात्राओं तथा अन्य सेवाओं के प्रस्ताव दिए जाते थे। सन् 1930 के दशक में रेडियो तथा सिनेमा विज्ञापन के लोकप्रिय साधन बनकर उभरे।

स्वतन्त्रता के बाद भारतीय मध्यम वर्ग का प्रादुर्भाव होने का विज्ञापन का केन्द्र-बिन्दु स्तर-आधारित वस्तुओं से हटकर सुविधा तथा उपभोक्ता आधारित वस्तुओं पर टिक गया। आधुनिक समय में भोज्य पदार्थ, दुग्ध पदार्थ, ग्रोसरी की वस्तुएँ, वस्त्र एवं परिधान, फ्रिज, टी0 वी0, वाशिंग मशीन, हीटर, माइक्रोवेव ऑवन, एयरकण्डीशनर इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ उपभोक्ता वस्तुएँ बन गयी हैं। इनके उत्पादक उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार के विज्ञापन के साधन अपनाते हैं।

उपभोक्ता विज्ञापन- व्याापारियों तथा फुटकर विक्रेताओं, ठेले वालों आदि के द्वारा किए जाते हैं।

(ii) सामाजिक विज्ञापन– इस प्रकार के विज्ञापन महत्त्वपूर्ण सामाजिक विषयों; जैसे– परिवार नियोजन, कैन्सर तथा एड्स जैसे घातक रोगों के प्रति जागरूकता, बालिका सन्तान के प्रति आदर, साम्प्रदायिक एकता, प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों की सहायता, राष्ट्रीयता समेकन इत्यादि को प्रोत्साहित करते हैं।

5. बाजार

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) दो 2. (ब) फुटकर बाजार 3. (स) साप्ताहिक बाजार

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. फुटकर बाजार 2. हाट 3. थोड़ी 4. मध्यस्थों

ग. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. फुटकर बाज़ार वह होता है, जहाँ थोड़ी मात्रा में सामान बेचा जाता है।
2. थोक बाज़ार वह होता है, जहाँ बड़ी मात्रा में सामान बेचा जाता है।
3. समीपवर्ती दुकानें फुटकर बाजार के अन्तर्गत आती है।
4. थोक बाजार के ग्राहक फुटकर विक्रेता होते हैं।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. साप्ताहिक बाजार अथवा हाट एक अन्य प्रकार का फुटकर बाजार होता है। इसे साप्ताहिक बाजार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बाजार सप्ताह के एक निश्चित दिन लगता है। इन बाजारों में अस्थायी दुकाने होती हैं। व्यापारी एक दिन के लिए दुकाने लगाते हैं तथा उन्हें शाम के समय समेट लेते हैं। अगली बार वे अपनी दुकान बाजार में किसी भिन्न स्थान पर लगाते हैं। भारत के ग्रामों, कस्बों एवं शहरों में इस प्रकार के बाजार पाए जाते हैं, जहाँ लोग अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ खरीद सकते हैं। उन्हें भी हाट व्यापारी कहा जाता है।

2. **आय-चक्र-** दुकानदार को चाहिए कि वह उपभोक्ताओं के आर्थिक स्तर को ध्यान में रखें। उसे अपने यहाँ उच्च, मध्यम एवं निम्न मूल्य दर की विभिन्न वस्तुओं का भंडार बनाकर रखना चाहिए। दुकानदार को ही अपने ग्राहक का चुनाव करने एवं उसकी आवश्यकतानुसार अपने भंडार को बनाए रखने का निर्णय करना होता है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे सभी प्रकार के ग्राहकों की संतुष्टि करनी है, अतः उसे सस्ती एवं महँगी दोनों तरह की सभी किस्मों की वस्तुएँ रखनी चाहिए।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. बाजार वह स्थान होता है, जहाँ क्रेता तथा विक्रेता परस्पर वस्तुओं की क्रमशः खरीददारी व ब्रिकी करते हैं। बाजार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं– फुटकर या खुदरा बाजार तथा थोक बाजार। खुदरा (फुटकर) बाजार में थोड़ी मात्रा में तथा थोक बाजार में बड़ी मात्रा में व्यापार होता है।

फुटकर या खुदरा बाजार- प्रत्येक मोहल्ले या बस्ती में एक फुटकर बाजार होता है। बिग बाजार जैसी संस्थाएँ फुटकर बाजार ही हैं। जहाँ से उपभोक्ता उचित मूल्य पर उत्पादों की विस्तृत शृंखला छोटी मात्रा में क्रय कर सकते हैं। कुछ दुकानें फल एवं सब्जियों का विक्रय करती हैं, जबकि अन्य ब्रेड, मक्खन, बिस्कुट, केक, अंडा एवं दूध आदि का विक्रय करती हैं। लेखन-सामग्री एवं पुस्तकों का विक्रय करने वाली दुकानें स्कूलों एवं मोहल्लों के आस-पास खोली जाती हैं। आजकल बच्चे इन दुकानों से अनेक प्रकार के हस्तशिल्प सामग्री क्रय कर सकते हैं। फुटकर बाजार सप्ताह में छः दिन प्रातः 9:00 या 10:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक खुलता है। अतः फुटकर बाजार जहाँ-तहाँ फैले उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के मध्य कड़ी का काम करता है। कैमिस्ट की दुकान सप्ताह में सातों दिन खुलती हैं। ये दुकानें जल्दी खुलती हैं और देर तक खुली रहती हैं, जिससे लोग किसी स्वास्थ्य समस्या से बचाव हेतु दवाइयाँ प्राप्त कर सकें। नगर के आकार एवं उसकी जनसंख्या के अनुसार फुटकर बाजार अनेक प्रकार के होते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा इस प्रकार के बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल होते हैं तथा समीपवर्ती बाजार और दुकान से जनता की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।

साप्ताहिक बाजार अथवा हाट एक अन्य प्रकार का फुटकर बाजार होता है। इसे साप्ताहिक बाजार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बाजार सप्ताह के एक निश्चित दिन लगता है। इन बाजारों में अस्थायी दुकाने होती हैं। व्यापारी एक दिन के लिए दुकाने लगाते हैं तथा उन्हें शाम के समय समेट लेते हैं। अगली बार वे अपनी दुकान बाजार में किसी भिन्न स्थान पर लगाते हैं। भारत के ग्रामों, कस्बों एवं शहरों में इस प्रकार के बाजार पाए जाते हैं, जहाँ लोग अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ खरीद सकते हैं। उन्हें भी हाट व्यापारी कहा जाता है।

थोक बाजार- थोक व्यापार से तात्पर्य व्यापारियों को विशाल मात्रा में सामान एवं वस्तुओं का विक्रय करने से है, जिसे वे उपभोक्ताओं को पुनः विक्रय करते हैं।

एक थोक ब्रिकेता उत्पादकों एवं निर्माताओं से भारी मात्रा में सामान एवं वस्तुओं का क्रय करता है, क्योंकि दुकानदार विशाल मात्रा में विभिन्न वस्तुओं का क्रय करते हैं। थोक विक्रेता उत्पादकों एवं फुटकर विक्रेताओं के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। वे वस्तुओं एवं सामान का क्रय भारी मात्रा में करके उनका विक्रय छोटी-छोटी मात्रा में फुटकर विक्रेताओं अथवा औद्योगिक उपभोक्ताओं को करते हैं।

थोक विक्रेता एक विशेष प्रकार की वस्तु अथवा सामान के क्रय पर बड़ी धनराशि व्यय करते हैं। उन्हें वस्तुओं एवं सामान का भंडार रखना पड़ता है, इस प्रकार वे एक बड़ा जोखिम उठाते हैं। कभी-कभी जब वे उत्पादकों से माल खरीदते हैं, तो सामग्री की लागत कभी कम तो कभी ज्यादा हो जाती है, इस तरह फुटकर विक्रेता को आपूर्ति के समय माल की लागत में भी उतार-चढ़ाव रहता है। अतः वे एक बड़ी जोखिम का सामना करते हैं। थोक विक्रेता को किसी निश्चित स्थान पर दुकान की आवश्यकता नहीं होती है और न ही उसे विज्ञापन अथवा शोरूम पर धन व्यय करना होता है। फुटकर विक्रेता की अपेक्षा उनके लाभ का अंतर कम होता है। उन्हें अपने ग्राहकों को विक्रय उपरांत सेवा प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा न ही उन्हें उपभोक्ताओं को सामान वितरित करना होता है। उनके ग्राहक फुटकर विक्रेता हैं तथा विक्रय उपरांत सेवा प्रदान करना फुटकर विक्रेता का दायित्व है।

2. बाजारों में उपभोक्ताओं का प्रवेश अनेक कारकों पर निर्भर करता है, अथवा अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता अपने बाजार का चुनाव कैसे करता है। ये कारक निम्नवत् हैं–

(i) उत्पादों की उपलब्धता- बाजार उपभोक्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति एक ही स्थान पर करता है। यदि दैनिक उपयोग की वस्तुएँ; जैसे– साबुन, टूथपेस्ट, दुग्ध, मक्खन, शीतल पेय, सब्जियाँ, किराने का सामान आदि की पूर्ति एक ही बाजार में हो जाए, तो उपभोक्ता ऐसे बाजार में जाना पसंद करते हैं।

(ii) सुविधा- आजकल के व्यस्त जीवन में लोग दूर स्थित बाजारों में जाने से कतराते हैं। वे अपनी पहुँच के निकटतम बाजारों से सामान खरीदना अधिक पसंद करते हैं।

(iii) साख- सेवारत वर्ग के लोग साख अर्थात् उधार पर वस्तुएँ क्रय करना पसंद करते हैं तथा आगामी मास के प्रथम सप्ताह में अपना वेतन मिलने पर उधार की धनराशि चुका देते हैं। साख सुविधाएँ बाजार की लोकप्रियता में वृद्धि करती हैं। उपभोक्ताओं से भली-भाँति परिचित कुछ दुकानदार यह सुविधा प्रदान करते हैं।

(iv) उत्पादों की गुणवत्ता- ग्राहक हमेशा श्रेष्ठ गुणवत्ता एवं उच्च कोटि के उत्पाद खरीदना अधिक पसंद करते हैं। यदि बाजार में उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखा जाए तथा उच्च मूल्य एवं निम्न गुणवत्ता के सामान न बेचे जाएँ तो इससे बाजार की लोकप्रियता की वृद्धि होती है।

(v) मूल्य- दुकानदार प्रायः निर्धारित फुटकर मूल्य की अपेक्षा उच्च मूल्य वसूलता है। तब वस्तुओं का मूल्य उचित होना चाहिए। यदि कोई दुकानदार बाजार में लोकप्रियता व स्थिरता प्राप्त करना चाहता है तो उसे उचित मूल्य पर श्रेष्ठ एवं उच्च गुणवत्ता के उत्पाद बेचने चाहिए।

(vi) आय-चक्र- दुकानदार को चाहिए कि वह उपभोक्ताओं के आर्थिक स्तर को ध्यान में रखें। उसे अपने यहाँ उच्च, मध्यम एवं निम्न मूल्य दर की विभिन्न वस्तुओं का भंडार बनाकर रखना चाहिए। दुकानदार को ही अपने ग्राहक का चुनाव करने एवं उसकी आवश्यकतानुसार अपने भंडार को बनाए रखने का निर्णय करना होता है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे सभी प्रकार के ग्राहकों की संतुष्टि करनी है, अतः उसे सस्ती एवं महँगी दोनों तरह की सभी किस्मों की वस्तुएँ रखनी चाहिए।

3. **मध्यस्थों या बिचौलियों की भूमिका-** किसानों को अपने उत्पादन या उपज को बाजार तक पहुँचाने में तथा अपने उत्पादन की कीमत तय करने के लिए मध्यस्थों या बिचौलियों की आवश्यकता पड़ती है। बाजार में कई मध्यस्थ मिल जाते हैं। किसानों के लिए यह सम्भव नहीं होता कि वह स्वयं अपने उत्पादन को बाजार तक पहुँचा सकें या सीधे प्रत्यक्ष रूप से ग्राहक को बेच सकें। हालाँकि ऐसा करने से उन्हें अपने उत्पादन का अधिक मूल्य मिलने की संभावना होती है, परंतु इसके लिए उन्हें अपनी उपज को स्थानीय बाजार तक पहुँचाने में परिवहन के माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यदि उत्पादक (किसान) बाजार से अधिक दूर रहता है, तो इससे उस पर परिवहन का अधिक खर्च उठाना पड़ता है तथा उपज के देख-रेख की भी जरूरत होती है, जिससे निश्चित ग्राहक या बाजार को उत्पादन को सही-सलामत पहुँचाया जाए। अतः इन सबसे बचने के लिए उत्पादक मध्यस्थों (बिचौलियों) को तलाशते हैं, जो उनके उत्पादन को बड़ी मात्रा में खरीदकर स्वयं परिवहन की व्यवस्था करके बाजार तक उत्पादन को पहुँचाते हैं। इससे उत्पादक का समय भी बच जाता है। अतः बाजार में मध्यस्थों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

हमारा समाज एवं संस्कृति- 8

(इकाई- 1 : इतिहास)

1. आधुनिक युग व उसके स्रोत

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए –

1. (स) औरंगजेब 2. (अ) रेडक्लिफ ने 3. (ब) 18 वीं शताब्दी 4. (द) पुरातात्विक अवशेष

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. पंद्रहवीं सदी 2. मराठों 3. औरंगजेब 4. प्राथमिक, द्वितीयक

ग. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

1. पंद्रहवी सदी के आस-पास पुनर्जागरण (यूरोप में) तथा धर्म-सुधार आंदोलन के दौरान आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ।
2. सन् 1919 ई0 से 1934 ई0 के मध्य महात्मा गाँधी के नेतृत्व में जन आन्दोलन का सूत्रपात हुआ।
3. 26 जनवरी, 1950 को भारत प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया।
4. आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान; श्रीलंका आदि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं।
5. भारत स्वतंत्रता अधिनियम (1947) द्वारा भारत का दो भागों में विभाजन कर दिया गया।
6. 1707 ई0 में औरंगजेब की मृत्यु हुई।
7. पानीपत का तृतीय युद्ध (1761 ई0) मराठों तथा मुगलों के बीच हुआ।
8. आधुनिक इतिहास को जानने के मुख्यतः दो स्रोत हैं- प्राथमिक एवं द्वितीयक।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. पंद्रहवीं सदी के आस-पास पुनर्जागरण (यूरोप में) तथा धर्म-सुधार आंदोलन के दौरान आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ आधुनिक युग तर्क का युग था। यह मध्यकालीन युग से बिल्कुल पृथक् था। ब्रिटिश शासन के दौरान धीरे-धीरे भारत में भी आधुनिक युग ने अपने पैर पसारने शुरु कर दिए। 18 वीं सदी में भारत पूर्णतः आधुनिक युग के रंग में रँग चुका था।
2. भारत की राजनीतिक अस्थिरता ने यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों में देश पर अपना प्रभुत्व जमाने की प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न की। इसका देश के सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कृषि में गतिरोध पैदा हो गया था, जबकि किसान ऊँचे लगानों के बोझ से दबे हुए थे। व्यापार एक प्रमुख आर्थिक क्रिया थी तथा भारतीय हस्तशिल्प विश्वभर में प्रसिद्ध थे। किन्तु विनिर्माणी उद्योगों तथा व्यापार के विकास से शिल्पी तथा कारीगरों को लाभ नहीं पहुँचा। व्यापार के विकास ने भारत में एक नये कुलीन वर्ग को जन्म दिया, जिसे तकनीकी परिवर्तनों को अपनाने में कोई रुचि नहीं थी। विभिन्न कलाओं का भी ह्रास हुआ। अंग्रेजों द्वारा भारतीय व्यापार को अपनी हाथों में लेने से कारीगरों एवं शिल्पकारों का पतन होता चला गया।
3. आधुनिक युग के इतिहास को जानने के मुख्यतः दो स्रोत हैं– प्राथमिक एवं द्वितीयक।

प्राथमिक स्त्रोत- मौलिक दस्तावेज, साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्त्विक अवशेष, घटनाओं के ऑडियो कैसेट, फिल्में, वीडियो टेप तथा प्रमुख व्यक्तियों के साक्षात्कार आदि।

द्वितीयक स्त्रोत- महान इतिहासकारों तथा विद्वानों की रचनाएँ एवं कृतियाँ, लेख, समीक्षा, पुस्तकें तथा समाचार-पत्र आदि

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. अन्तिम मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु (1707 ई0) से भारतीय इतिहास का आधुनिक युग प्रारम्भ हुआ। मुगल साम्राज्य धीरे-धीरे अनेक स्वायत्तशासी राज्यों में विघटित हो रहा था तथा ब्रिटिश शक्ति का उत्तरोत्तर विकास हो रहा था।

   सन् 1757 से 1857 ई0 के मध्य अंग्रेज भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना तथा प्रसार करने में व्यस्त रहे। उन्होंने बंगाल तथा अवध में अपनी सत्ता स्थापित की, मराठों को पराजित किया तथा बर्मा एवं सिंध पर अधिकार कर लिया। सिक्ख भी पराजित हो गये।

   भारत में ब्रिटिश शासन के महान सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव हुए। इसने अनेक सामाजिक-धार्मिक सुधारों तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान को प्रेरित किया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारतीय लोग पाश्चात्य विज्ञान, दर्शन, साहित्य एवं विचारधारा से परिचित हुए, भारतीयों में स्वतन्त्रता, समानता एवं बन्धुत्व के उच्च आदर्श जाग्रत हुए। विश्वव्यापी राष्ट्रीयता की भावना ने भी राष्ट्रवादी भारतीयों के हाथों जनता में उदार तथा राजनीतिक विचारों को फैलाने में एक मजबूत हथियार का काम किया। ब्रिटिशों की शोषण तथा भेदभावपूर्ण नीति ने समाज के सभी वर्गों में घोर असन्तोष व्याप्त कर दिया। सन् 1857 ई0 के विद्रोह ने भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। सन् 1858 ई0 में कम्पनी का शासन समाप्त हो गया तथा राजनीतिक सत्ता ब्रिटिश सम्राज्ञी के हाथों में आ गयी।

   सन् 1905 में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए संघर्ष प्रारम्भ हुआ। सन् 1919 ई0 से 1934 ई0 के मध्य महात्मा गाँधी के नेतृत्व में जन आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। गाँधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व किया। अनेक क्रान्तिकारियों ने स्वतन्त्रता संघर्षों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

   स्वतन्त्रता (1947) के पश्चात् राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना का कार्य प्रारम्भ हुआ। 26 जनवरी, 1950 को भारत प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन गया। विभिन्न राज्यों का भारतीय संघ में एकीकरण सरदार पटेल द्वारा किया गया। प्रादेशिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न चरणों में राज्यों का पुनर्गठन किया गया।

2. अठारहवीं शताब्दी भारतीय इतिहास का सबसे अन्धकारपूर्ण युग है। सन् 1707 ई0 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही महान मुगल शासन की समाप्ति हो गयी। वस्तुतः औरंगजेब के शासनकाल के अन्तिम 25 वर्षों के दौरान ही मुगल साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हो गया था। राजपूतों, जाटों, बुन्देलों, सतनामियों तथा सिक्खों के कठोर विद्रोह हुए। दकन में मराठों के उत्कर्ष से औरंगजेब के शासनकाल में ही मुगल साम्राज्य की जड़ें हिलने लगी थीं। नादिरशाह के आक्रमण (1739 ई0), अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण (1748-57 ई0) तथा पानीपत के तृतीय युद्ध (1761 ई0) मराठों तथा मुगलों के लिए घातक सिद्ध हुए। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बंगाल में आधिपत्य जमाने का अवसर मिला, जिससे भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

2. भारत में ब्रिटिश स्थापना

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए –

1. (स) पुर्तगाल 2. (अ) 1746-48 3.(ब)प्लासी का युद्ध 4. (स) 1765 ई0

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. भारतीय शिल्प 2. बक्सर 3. नवाब 4. कृष्णदेव राजा 5. मुगल साम्राज्य

ग. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

1. कर्नाटक का युद्ध फ्रांसीसियों व अंग्रेजों के मध्य हुआ।
2. कर्नाटक का तृतीय युद्ध (1756-1760) इंगलैण्ड और फ्रांस के बीच यूरोप में 1757 ई0 में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था।
3. मीर कासिम बंगाल के नवाब मीरजाफर का दामाद या, जिसे मीर ज़ाफर के स्थान पर अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया।
4. प्रारंभ में (18 वी सदी में) मैसूर पर कृष्ण देव राजा का शासन था। बाद में हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने 1760 ई0 से लगभग 1792 ई0 तक मैसूर पर शासन किया।
5. टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी।
6. पंजाब बन्दा बहादुर के समय से 12 सिक्ख राज्यों 'मे' बँटा था।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. कर्नाटक के तृतीय युद्ध (1756-1760) में सफल होने से अंग्रेज भारत में सबसे बड़ी यूरोपीय शक्ति के रूप में उभरकर सामने आये। यह युद्ध इंग्लैण्ड और फ्रांस के बीच यूरोप में 1757 ई0 में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। फ्रेंच गवर्नर एवं जनरल लाली को 1760 ई0 में इंग्लैण्ड के जनरल आयरकूट ने वाण्डीवाश के युद्ध में हरा दिया। भारत में सभी फ्रेंच क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया।
2. **ब्रिटिश शासन का विस्तार (1767 ई0 से 1805 ई0)-** धीरे-धीरे अंग्रेज ईस्ट इण्डिया कम्पनी 1767 ई0 से 1805 ई0 की अवधि में एक व्यापारिक संस्था से उठकर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। बंगाल में क्लाइव ने दोहरी शासन व्यवस्था कायम की। लोगों के कल्याणकार्यों का उत्तरदायित्व नवाब पर था। लेकिन वास्तविक शासन अंग्रेजों के अधीन था। कम्पनी की ओर से नियुक्त उप-दीवान कम्पनी के लिये राजस्व एकत्रित करते थे। राजस्व का कुछ भाग कम्पनी प्रशासन पर व्यय कर शेष ब्रिटेन भेज देती थी। इस प्रकार बंगाल (भारत) का धन धीरे-धीरे देश से बाहर जाने लगा। 1772 ई0 में वारेन हेस्टिंग्स का बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बम्बई (मुम्बई), मद्रास (चेन्नई) पर सीधा नियन्त्रण तथा कर्नाटक एवं अवध पर परोक्ष नियन्त्रण था। इस समय पंजाब में सिक्ख, हैदराबाद में निजाम, दक्षिण के पश्चिम भाग में मराठे, मैसूर में हैदर अली तथा त्रावणकोर (केरल) स्वतन्त्र राज्य थे। साम्राज्य विस्तार के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इन स्वतन्त्र राज्यों के शासकों को युद्ध में पराजित कर दिया तथा कूटनीतिक संधियों से उन पर नियंत्रण करने की नीति अपनाई। कूटनीतिक सन्धियाँ अस्थायी थीं क्योंकि ये सैन्य एवं राजनीतिक सुविधा प्राप्त करने के लिये थीं।
3. क्लाइव ने बक्सर युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 'इलाहाबाद की संधि' की। इस संधि के द्वारा शाह आलम को मुगल

सम्राट स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उसे 26 लाख रुपये वार्षिक देना तय किया तथा इसके बदले में शाहआलम को अंग्रेजों को बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल की दीवानी देनी पड़ी। इस तरह कम्पनी को भारत में राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया। अंग्रेजी कम्पनी का बंगाल में सीधा शासन करने का यह प्रथम कदम था। नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपये वार्षिक देकर अवध को पुनः प्राप्त कर लिया। अब अंग्रेज इलाहाबाद की संधि के कारण इलाहाबाद, अवध, बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल के स्वामी बन गये। मुगल सम्राट उनके संरक्षण में मात्र पेंशनर रह गया।

4. चतुर्थ मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लार्ड वेलेजली था। भारत को ब्रिटिश साम्राज्य बनाने के इरादे से वेलेजली भारत आया था। उसने अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिये सहायक संधि की नीति अपनायी। यह सन्धि अत्यन्त सरल नियमों पर आधारित थी। जो भारतीय शासक इस संधि के लिये बुलाये जाते थे, उनसे यह आशा की जाती थी कि वे ब्रिटिश अनुमति के बिना न तो किसी से सम्बन्ध स्थापित करेंगे और न ही किसी से युद्ध करेंगे। ऐसे राज्य को अपने यहाँ शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये ब्रिटिश जनरल के नेतृत्व में एक सेना रखनी होती थी। उस सेना के खर्च के लिए उस राज्य को अपना एक क्षेत्र कम्पनी को देना पड़ता था अथवा वार्षिक अनुदान देना पड़ता था। कम्पनी इसके बदले में सहायक राज्य को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा देती थी। सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने यह संधि स्वीकार की परन्तु टीपू ने इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। अंग्रेजों ने टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध को लड़ते हुए टीपू भी मारा गया। श्रीरंगपट्टनम कोयम्बटूर एवं कनारा सहित अंग्रेजों ने मैसूर के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार कर लिया।

5. भारत को ब्रिटिश साम्राज्य बनाने के इरादे से वेलेजली भारत आया था। उसने अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिये सहायक संधि की नीति अपनायी। यह सन्धि अत्यन्त सरल नियमों पर आधारित थी। जो भारतीय शासक इस संधि के लिये बुलाये जाते थे, उनसे यह आशा की जाती थी कि वे ब्रिटिश अनुमति के बिना न तो किसी से सम्बन्ध स्थापित करेंगे और न ही किसी से युद्ध करेंगे। ऐसे राज्य को अपने यहाँ शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये ब्रिटिश जनरल के नेतृत्व में एक सेना रखनी होती थी। उस सेना के खर्च के लिए उस राज्य को अपना एक क्षेत्र कम्पनी को देना पड़ता था अथवा वार्षिक अनुदान देना पड़ता था। कम्पनी इसके बदले में सहायक राज्य को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा देती थी।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. कर्नाटक का युद्ध 1746-1760- अंग्रेजों ने दक्षिण भारत से अपना विजय अभियान शुरू किया। हैदराबाद के निजाम-उल-मुल्क की मृत्यु के बाद 1748 ई0 में उसके पुत्र नासिर जंग और उसकी बेटी के पुत्र मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध आरम्भ हो गया। इसी तरह का युद्ध कर्नाटक (अर्काट) के नवाब अनवरूद्दीन के पुत्रों के मध्य हुआ। इन दोनों युद्धों में फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों ने परस्पर विरोधी शक्तियों का साथ दिया। कर्नाटक के प्रथम युद्ध (1746-48) में डूप्ले ने अर्काट के नवाब को हराकर अपनी शक्ति का महत्त्वपूर्ण प्रदर्शन किया। इसके दो वर्ष पश्चात् कर्नाटक के द्वितीय युद्ध (1749-54) में
पाण्डिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर डूप्ले ने हैदराबाद और कर्नाटक (अर्काट) के सिंहासन पर अपने उम्मीदवार को विजयश्री दिलाने में सफलता प्राप्त की। इस दूसरी विजय से डूप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। परन्तु 1750 ई0 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसियों से अर्काट का सिंहासन छीन लिया और अपने उम्मीदवार को गद्दी पर बैठा दिया।

कर्नाटक के तृतीय युद्ध (1756-1760) में सफल होने से अंग्रेज भारत में सबसे बड़ी यूरोपीय शक्ति के रूप में उभरकर सामने आये। यह युद्ध इंग्लैण्ड और फ्रांस के बीच यूरोप में 1757 ई0 में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। फ्रेंच गवर्नर एवं जनरल लाली को 1760 ई0 में इंग्लैण्ड के जनरल आयरकूट ने वाण्डीवाश के युद्ध में हरा दिया। भारत में सभी फ्रेंच क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1763 ई0 में यूरोप में पेरिस की संधि के बाद वहाँ युद्ध समाप्त होने पर भारत में भी फ्रांसीसियों व अंग्रेजों के मध्य युद्ध समाप्त हो गया।

2. **मराठा युद्ध-** मराठों और अंग्रेजों का युद्ध 43 वर्ष (1775-1818 ई0) तक चला। अहमदशाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित कर दिया। उसके बाद महादजी सिंधिया एवं माधवराव प्रथम के संरक्षण में मराठो ने पुनः उभरना आरम्भ किया। मराठों में एकता न थी। पेशवा की शक्ति कमजोर हो गई थी। मराठा सरदार स्वतन्त्र रहना चाहते थे। गुजरात (बड़ौदा) के गायकवाड स्थापित हो गये थे। इसके अतिरिक्त ग्वालियर में सिन्धिया, इन्दौर में होल्कर तथा नागपुर में भोंसले स्वतन्त्र होने का प्रयत्न कर रहे थे।

पहला मराठा युद्ध- 1772 ई0 में पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरम्भ हो गये। क्योंकि माधवराव प्रथम की कोई सन्तान नहीं थी। नाना फड़नवीस ने कम्पनी के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से सन्धि कर ली, जबकि रघुनाथ राव ने कम्पनी के गवर्नर से सन्धि की। यह उत्तराधिकार का युद्ध सात वर्ष तक चलता रहा। 1782 ई0 में माधव राव द्वितीय को सालवाई की संधि द्वारा पेशवा स्वीकार कर लिया गया। इसके बदले में साल्सेट द्वीप अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। अंग्रेजों एवं मराठों के बीच इस संधि द्वारा 20 वर्षों तक शान्ति कायम रही।

दूसरा मराठा युद्ध- 1776 ई0 में बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। 1800 ई0 में नाना फड़नवीस की मृत्यु हो गई, जो मराठों की अपूर्णनीय क्षति थी। इस कारण पेशवा की शक्ति का पतन हो गया तथा मराठे सरदार पूना पर अपना अधिकार करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय एवं सिन्धिया ने होल्कर के युद्ध में आपस में सन्धि कर ली। लेकिन उन दोनों की संयुक्त सेनाओं की 1802 ई0 में पराजय हुई। 1802 ई0 में बाजीराव द्वितीय ने बसई की संधि पर पर हस्ताक्षर किये। पेशवा को फिर से पूना की गद्दी पर बिठाया गया। इस सन्धि के द्वारा मराठे अंग्रेजों के अधीन हो गये। इसके बाद वेलेजली ने समस्त मराठा सरदारों को दबाने की योजना बनाई। अंग्रेजों से गायकवाड ने सहायक संधि कर ली। सिन्धिया और भोंसले अंग्रेजों के विरुद्ध आपस में मिल गये; लेकिन अंग्रेजों ने दोनों को पराजित कर सहायक सन्धि के लिये मजबूर कर दिया उसी दौरान वेलजली को वापस बुलाकर उसके स्थान पर जार्जवालों को भारत का गवर्नर जनरल (1805-1807) बनाकर भेजा गया, जिसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाकर होल्कर से सन्धि कर ली उसने भोंसले को भी उसके प्रदेश वापस कर दिये।

तीसरा मराठा युद्ध- सैनिकों के रूप में पिण्डारियों को मराठों ने अपनी सेना में भर्ती किया था। मराठों का पतन होने के बाद ये पिण्डारी मध्य भारत में लूटपाट कर अराजकता फैलाने लगे। वारेन हेस्टिंग्स ने उन्हें दबाने के लिये उनके एक नेता अमीर खान को राजपूताने की एक छोटी-सी रियासत टोंक का नवाब बना दिया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स ने पिण्डारियों एवं मराठों को एक संयुक्त शक्ति बनने से रोक दिया। 1802 ई0 में बसई की संधि से पेशवा सन्तुष्ट न था। वह अंग्रेजों के चंगुल से निकलना चाहता था। अंग्रेज रेजीडेन्ट एल्फिंस्टन ने एक और सहायक सन्धि करके पेशवा को मराठा परिसंघ की अध्यक्षता छोड़ने के लिये मजबूर कर दिया। इस पर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया; लेकिन

पूना के पास वह किरकी का युद्ध अंग्रेजों से हार गया। होल्कर एवं भोंसले भी पराजित कर दिये गये। बाजीराव द्वितीय को कैद कर कानपुर के पास बिठूर भेजा गया और उसे 8 लाख रूपये वार्षिक पेंशन देना तय हुआ। पेशवा के क्षेत्रों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। शिवाजी के एक वंशज को सतारा की गद्दी पर बैठा दिया गया। होल्कर एवं भोंसले ने भी सहायक सन्धि स्वीकार कर ली। इस प्रकार मराठों की शक्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो गई।

3. **मराठों के पतन के कारण-** मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठों का उदय हुआ था। उनका साम्राज्य विशाल था तथा वे एक बड़ी सेना अपने पास रखते थे। मराठे निडर एवं बहादुर योद्धा थे। फिर भी मराठे अंग्रेजों के विरुद्ध असफल रहे। इसके निम्नलिखित कारण थे–

(i) मराठों का साम्राज्य विशाल होने के बावजूद असंगठित था। उनके सरदार अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतन्त्र शासन करते थे। अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया।

(ii) मराठों ने वित्त विभाग की उचित व्यवस्था नहीं की। उन्हें जब भी धन की आवश्यकता होती, तो वे लूटपाट करते थे। मराठों का शासन शोषण पर आधारित था।

(iii) मराठे आमने-सामने के युद्ध में निपुण नहीं थे। वे गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे।

(iv) मराठों का भौगोलिक ज्ञान भी अपूर्ण था, जबकि अंग्रेजों को स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी थी। इसी कारण वे मराठों के विरुद्ध सफल हुए।

(v) अंग्रेजों के पास अनन्त साधन थे। वे कूटनीति में भी निपुण थे।

(vi) मराठों ने सैन्य, प्रशिक्षित पैदल सेना तथा तोपखाने की ओर भी ध्यान नहीं दिया।

(vii) मराठों में संगठन का भी अभाव था। वे कभी भी शत्रु के विरुद्ध एकजुट नहीं होते थे।

(viii) मराठे अपने द्वारा विजीत क्षेत्रों से सरदेशमुखी एवं चौथ वसूल करते थे। जिस कारण वे अपनी जनता में भी लोकप्रिय न हो सके।

(ix) उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में अधिकांश मराठा नेता मृत्यु को प्राप्त हो गये थे।

(x) मराठों में राष्ट्रीय भावना की कमी थी तथा उनका दृष्टिकोण भी संकीर्ण था। वे जनहित के बदले अपने स्वार्थों को सर्वोपरि मानते थे।

4. मुगलों ने सिक्खों के पाँचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी थी। तदुपरान्त सिक्ख एक योद्धा संगठन या सम्प्रदाय के रूप में उभरे। गुरु गोविन्द सिंह के समय तक सिक्ख शक्तिशाली बन गये थे। पंजाब बन्दा बहादुर के समय से 12 सिक्ख राज्यों में बँटा था जो मिस्ल कहलाते थे। 1802 ई0 में रणजीत सिंह अमृतसर के सरदार बन गए तथा 1806 ई0 तक वे पंजाब के सबसे शक्तिशाली शासक बन गये थे। उनका राज्य पंजाब से सतलज नदी तक फैल गया था। रणजीत सिंह ने 1811 ई0 में कांगड़ा, 1818 ई0 में अटक तथा गुजरात, 1819 ई0 में हजारा एवं कश्मीर, 1834 ई0 में पेशावर तथा 1836 ई0 में लद्दाख पर अपना अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह अंग्रेजों से टकराने से बचते रहे और अपने को सुदृढ़ करते रहे। उन्हें 'पंजाब का शेर' कहा जाता था। 1839 ई0 में रणजीत सिंह की मृत्यु होने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब में अशान्ति उत्पन्न कर दी। रणजीत सिंह के तीन पुत्रों को मार दिया गया तथा उनके सबसे छोटे पुत्र दलीप सिंह को जो अभी नाबलिग था, को गद्दी पर बैठाया गया। उसकी माता रीजेण्ट बन गयी। पंजाब के अनेक भ्रष्ट सरदार दलीप सिंह के विरुद्ध षडयन्त्र करते रहते थे। अंग्रेजों ने इस राजनीतिक अस्थिरता का भरपूर लाभ उठाया।

पहला सिक्ख युद्ध- जब अमृतसर सन्धि (1809 ई0) को भंग कर सिक्ख सेना ने सतलज नदी पार की, तो अंग्रेजों ने युद्ध की घोषणा कर दी। खालसा सेना का कोई नेता न था, फिर भी सिक्खों ने हेनरी स्मिथ को बुद्धिबल से युद्ध में पराजित कर दिया। अंग्रेजों ने 1846 ई0 में

इस पर अधिकार कर लिया। सिक्ख आलीवाल के युद्धों में अंग्रेजों से हार गये। इसी बीच लाहौर में गुलाब सिंह का वर्चस्व स्थापित हो गया। स्वार्थपूर्ति के लिये उसने अंग्रेजों से बातचीत शुरू की। सबरॉय की लड़ाई में सिक्ख पराजित हुए। 1846 ई0 में अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा इसी वर्ष लाहौर सन्धि पर भी हस्ताक्षर किये गये। इस सन्धि के अनुसार सतलज तथा व्यास नदियों के बीच का जालन्धर दोआब क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गया तथा जम्मू एवं कश्मीर गुलाब सिंह को प्राप्त हो गये और इसके बदले में अंग्रेजों ने 5 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति वसूल की। लाहौर में ब्रिटिश रेजीमेन्ट की नियुक्ति की गई।

दूसरा सिक्ख युद्ध- अंग्रेजों ने पंजाब में 1847-1849 ई0 में कई सुधार किये, जो कि सिक्ख सरदारों को पसन्द न थे। मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया परन्तु उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। षड्यन्त्र का आरोप लगातार रानी जिन्दाँ को हटा दिया गया। लार्ड डलहौजी ने अक्टूबर 1848 ई0 में युद्ध की घोषणा कर दी। मुल्तान पर घेरा डालकर 1849 ई0 में अंग्रेजों ने उस पर अधिकार कर लिया। गुजरात एवं चिलियाँवाला की लड़ाई में भी सिक्खों को बहुत नुकसान हुआ। अन्ततः 1849 ई0 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। महाराज दलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैण्ड भेज दिया गया। दलीप सिंह से कोहिनूर हीरा छीनकर उसे महारानी विक्टोरिया को नज़र कर दिया गया।

5. **भारतीय राज्यों की हार के कारण-** भारत में 1700 ई0 से 1850 ई0 के मध्य लम्बे समय तक मुस्लिम शासन होने और बाहरी दुनिया के साथ सम्पर्क न होने के कारण भारतीयों की सामाजिक दशा अत्यंत दुखद रही। मुगल साम्राज्य का पतन होते ही विदेशी शक्तियाँ अपनी स्वार्थपूर्ण गतिविधियों में लिप्त हो गई। भारत उस समय अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बँटा था। उनमें एकता एवं केन्द्रीय शक्ति का अभाव था। अतः विदेशी शक्तियाँ भारत की कमजोरी का भरपूर लाभ उठाती रहीं। इसी कारण अंग्रेज भारत में अपना राज्य स्थापित करने में सफल हुए। लार्ड हेस्टिंग्स के बाद लार्ड डलहौजी सबसे बड़ा अधिग्रहणवादी था। उसने क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए केवल विजय ही नहीं वरन् अनेक स्वार्थपूरक नीतियों का भी सहारा लिया। उसने झाँसी, जैतपुर, भगत, उदयपुर, नागपुर, सतारा का अधिग्रहण करने में विलय नीति का सहारा लिया। उसने कुशासन का आरोप लगाकर अवध एवं बरार का अधिग्रहण किया। तन्जौर एवं कर्नाटक राज्यों का अधिग्रहण करके उसने वहाँ के शासकों की उपाधियाँ एवं पेंशन भी समाप्त कर दी। परंतु भारत में अंग्रेजों की विजय ने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की। लार्ड डलहौजी के भारत छोड़ते समय ब्रिटिश भारत की सीमाएँ हिमालय से कन्याकुमारी तक तथा हिन्दू कुश से बर्मा तक विस्तृत हो गईं। इस विस्तृत एकीकरण से भारत को विदेशी सत्ता से स्वतन्त्रता प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण सफलता मिली।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

3. ब्रिटिश शासन व शिक्षा

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए –

1. (अ)1770-71 में 2. (ब) 1773 में 3. (स) लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 4. (द) वुड्स डिस्पैच को

ख. सत्य और असत्य चुनिए–

1. सत्य 2. सत्य 3. असत्य 4. सत्य

ग. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

1. कंपनी के अधिकारियों की अव्यवहारिकता व शोषण करने वाली प्रशासनिक नीतियों के कारण बंगाल की दशा शोचनीय हो गई। अतः ब्रिटिश संसद को भारत में कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए 1773 ई0 में रेग्युलेटिंग एक्ट को पारित करना पड़ा।
2. रेग्युलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए और कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में प्रशासन को कुशल एवं जिम्मेदार बनाने के लिए 1784 ई0 में पिट का इंडिया एक्ट पारित किया गया।
3. भारत में सिविल सर्विसेज़ का प्रारम्भ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया।
4. 1793 ई0 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कानून संहिता लागू की, जो कॉर्नवालिस संहिता कही गई। इसका उद्देश्य पंरपरामों पर आधारित कानूनों के स्थानों पर लिखित कानूनों के अनुसार न्याय करना था।
5. लॉर्ड मैकाले के अनुसार, भारत में शिक्षा का उद्देश्य ऐसे मानस वर्ग को तैयार करना होना चाहिए, जो कि वक्त व वर्ण से भारतीय होते हुए भी अपनी अभिरुचियों व मत में वस्तुतः अंग्रेज़ ही हो।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. इस एक्ट के अनुसार ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद् (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) की स्थापना की गई। इस नियंत्रण परिषद् के माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों पर पूर्ण नियंत्रण रख सकती थी। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों की दोहरी शासन व्यवस्था लागू हो गई।

   इस एक्ट के प्रावधान से भारत में ब्रिटिश प्रशासन के आधार बने। इस एक्ट के पारित होने से अब गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का वास्तविक शासक बना जो पूर्णतया ब्रिटिश संसद के अधीन कार्य करने लगा। गर्वनर जनरल; सेना, पुलिस, सरकारी नौकरों तथा न्यायपालिका के माध्यम से शासन चलाता था। कंपनी की सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या बहुत अधिक थी। इसके साथ-साथ ब्रिटिश सैनिक भी थे। ब्रिटिश सैनिकों को भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक वेतन तथा अधिक सुविधाएँ दी जाती थीं। भारतीय केवल सूबेदार के पद तक पहुँच सकते थे। सेना के सभी बड़े अफसर अंग्रेज होते थे।
2. अंग्रेजों ने कुछ समय तक भारत में प्रचलित कानूनों को ही चलाया। भारतीय पंरपरा के अनुसार विवाह, उत्तराधिकार आदि संबंधित कानून रीति-रिवाजों तथा धर्मशास्त्रों पर आधारित थे। 1793 ई0 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कानून संहिता लागू की, जो कॉर्नवालिस संहिता कही गई। इसका उद्देश्य परंपराओं पर आधारित कानूनों के स्थानों पर लिखित कानूनों के अनुसार न्याय करना था। ये कानून सैद्धान्तिक रूप से सभी पर लागू होते थे। परंतु व्यावहारिक रूप से अंग्रेजों के मुकदमें की पैरवी विशेष अदालतों में ब्रिटिश न्यायाधीशों द्वारा होती थी।
3. शिक्षा में ब्रिटिश सरकार की रुचि उन्नीसवीं शताब्दी के द्वितीय दशक में जाग्रत हुई। सरकार ने यह अनुभव किया कि शिक्षित भारतीयों को रोजगार देना बेहतर होगा, जिससे प्रशासन के खर्चों में भी भारी कटौती होगी तथा शिक्षित भारतीय पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में सरकार के प्रति वफादार होंगे। सर्वोपरि, ऐसा प्रशिक्षित वर्ग ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं को सहजता से अपनाएगा। लार्ड मैकाले ने भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति को नगण्य बताया। उसके अनुसार, भारत में शिक्षा का उद्देश्य ऐसे मानस वर्ग को तैयार करना होना चाहिए, जो कि रक्त व वर्ण से भारतीय होते हुए भी अपनी अभिरुचियों व मत में वस्तुतः अंग्रेज ही हो।
4. लॉर्ड रिपिन द्वारा 1882 ई0 में हण्टर कमीशन नियुक्त किया गया, जिसने शिक्षा के लिए

अनेक संस्तुतियाँ कीं। अगले कुछ दशकों में उच्च शिक्षा में तेजी से प्रगति हुई। सन् 1902 ई0 में लॉर्ड कर्जन ने भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थितियों के सर्वेक्षण हेतु रैले कमीशन नियुक्त किया। इसकी संस्तुतियाँ 'युनिवर्सिटी एक्ट-1904' में निहित थीं। भारतीयों ने इस एक्ट का विरोध किया, क्योंकि उनका यह मानना था कि इससे युवा भारतीयों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर सीमित हो जाएँगे। इस एक्ट ने भारतीय नेताओं में कटुता भर दी तथा लॉर्ड कर्जन को शिक्षित भारतीयों में बहुत अलोकप्रिय बना दिया।

5. सन् 1854 ई0 में राज्य-सेक्रेटरी चार्ल्स वुड ने एक आधिकारिक रिपोर्ट भेजी, जिसने भारत की शिक्षा-नीति में अनेक परिवर्तन किये। उसकी रिपोर्ट को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का 'मैग्ना कार्टा' या वुड का नीतिपत्र या वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। इस योजना के अन्तर्गत स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों की एक श्रृंखला खोली जानी थी। स्कूलों को प्राइमरी, मिडिल तथा सेकण्डरी स्तरों पर श्रेणीबद्ध किया गया, जिसमें शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी में रखा गया। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाले विद्यालय भी खोले गये। सन् 1857 ई0 में मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित किये गये। सन् 1887 ई0 तक इलाहाबाद तथा लाहौर विश्वविद्यालय भी स्थापित किये गये। शिक्षा विभाग की स्थापना की गयी किन्तु तकनीकी शिक्षा उपेक्षित ही रही। रूड़की में केवल एक इंजीनियरिंग कॉलेज तथा प्रेसिडेन्सी नगरों में तीन मेडिकल कॉलेज थे।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. **रेग्युलेटिंग एक्ट-** कंपनी के अधिकारियों की अव्यवहारिकता व शोषण करने वाली प्रशासनिक नीतियों के कारण बंगाल की दशा शोचनीय हो गई और फलतः ब्रिटिश संसद को भारत में कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए 1773 ई0 में 'रेग्युलेटिंग एक्ट' को पारित करना पड़ा।

   अब ब्रिटिश सरकार का भारत के मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था। इसका उद्देश्य कंपनी के अधिकारियों से राजनीतिक सत्ता छीनना था। कंपनी के निर्देशकों को यह आदेश दिया गया कि वे असैनिक, सैनिक व राजस्व संबंधी सभी प्रपत्र ब्रिटिश सरकार के सम्मुख उपस्थित करें। कंपनी की कलकत्ता फैक्ट्री के अध्यक्ष को जो बंगाल का गवर्नर होता था, कंपनी से सभी और मद्रास के गवर्नरों को उसके अधीन रखा गया। उसे चार सदस्यों की एक समिति रखनी होती थी। न्याय की व्यवस्था के लिए इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई। कंपनी के अधिकारियों की धोखाधड़ियों को रोकने के लिए एक्ट के अनुसार प्रत्येक अधिकारी के लिए आवश्यक हो गया कि वह इंग्लैंड वापस लौटते समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें और बताएँ कि उसने संपत्ति कैसे प्राप्त की।

   इस एक्ट की कुछ अपनी कमियाँ थीं जो जल्दी ही स्पष्ट होने लगीं। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और उसकी परिषद् के बीच झगड़े होने लगे। सर्वोच्च न्यायालय ठीक से काम नहीं कर सका, क्योंकि उसके अधिकार और परिषद के साथ उसके सम्बन्ध स्पष्ट नहीं थे।

2. **कंपनी के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था-** कंपनी के अधीन प्रशासनिक व्यवस्थालॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस दल का गठन किया। 1791 ई0 में कलकत्ता में पुलिस सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुआ और अन्य शहरों में कोतवाल नियुक्त किए गए। जिलों को थानों में विभाजित करके उनकी जिम्मेदारी दरोगाओं को दे दी गई। परंपरागत ग्राम रक्षक को चौकीदार कहा गया। बाद में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट का पद बना। पुलिस में सभी उच्च पद अंग्रेजों को दिए जाते थे। नीचे के पुलिस अधिकारियों

को कम वेतन मिलता था, परंतु फिर भी उनके पास काफी अधिकार थे। वे स्थानीय संस्थाओं के प्रति जवाबदेह नहीं थे। इसके कारण वे भ्रष्ट हो गए और जनता को परेशान करने लगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सर्विसेज़ का प्रारम्भ किया। इसलिए उन्हें भारत में सिविल सर्विस का जनक माना गया। उसने प्रशासन की वाणिज्य तथा राजस्व शाखाओं को अलग करके शासन के कर्मचारियों का उपहार स्वीकार करना बंद करवा दिया और उनके लिए अच्छे वेतनों की व्यवस्था की। बाद में सिविल सर्विस के सदस्य संसार में सबसे ऊँचा वेतन पाने वाले पदाधिकारी बन गए।

सिविल सर्विस प्रभावशाली पद और ऊँचा वेतन प्रदान करती थी। इसलिए इंग्लैंड के खानदानी परिवारों के तरुण इसके लिए लालायित रहते थे। लंबे समय तक कंपनी के निर्देशक ही सिविल सर्विस के सदस्यों को नियुक्त करते थे। इसलिए कंपनी की सिविल सर्विस में इंग्लैण्ड के कुछ प्रभावशाली परिवारों का वर्चस्व हो गया। नियुक्ति की यह व्यवस्था 1853 ई0 तक चली। उसके बाद प्रतियोगिता-परीक्षा की व्यवस्था आरंभ हुई। भारतीयों को सिविल सर्विस के सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी। 1793 ई0 में यह नियम बनाया गया कि 500 पौंड या इससे अधिक वेतन पाने वाले पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अतः न्याय व्यवस्था, इंजीनियरिंग तथा अन्य सेवाओं के लिए भारतीयों पर प्रतिबंध लगाए गए थे।

सामान्यतः कलेक्टर जिले का प्रमुख होता था। इन सभी पदों पर सिविल सर्विस के सदस्यों को ही नियुक्त किया जाता था। उन्हें व्यापक अधिकार मिले हुए थे, परंतु उनका प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था।

4. **नयी शिक्षा-प्रणाली का प्रभाव-** नयी शिक्षा-प्रणाली के कारण परम्परागत प्राथमिक शिक्षा भी मुरझा गयी। शिक्षा केन्द्र मुख्यतः नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित थे। लड़कियों के लिए शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं था। गम्भीर कमियाँ होते हुए भी अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के एक छोटे-से-वर्ग को आधुनिक ज्ञान तथा स्वतन्त्रता, समानता, लोकतन्त्र एवं राष्ट्रीयता के पाश्चात्य विचारों से परिचित कराया। इससे वे विश्व के अन्य भागों में होने वाले परिवर्तनों से परिचित हुए। शिक्षित वर्ग देश का आधुनिकीकरण करने के विषय में सोचने लगा। कुछ लोग समाज-सुधार आन्दोलन तथा बाद में भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रणेता बने। सन् 1854 ई0 में राज्य-सेक्रेटरी चार्ल्स वुड ने एक आधिकारिक रिपोर्ट भेजी, जिसने भारत की शिक्षा-नीति में अनेक परिवर्तन किये। उसकी रिपोर्ट को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का 'मैग्ना कार्टा' या वुड का नीतिपत्र या वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। इस योजना के अन्तर्गत स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों की एक शृंखला खोली जानी थी। स्कूलों को प्राइमरी, मिडिल तथा सेकण्डरी स्तरों पर श्रेणीबद्ध किया गया, जिसमें शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी में रखा गया। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाले विद्यालय भी खोले गये। सन् 1857 ई0 में मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित किये गये। सन् 1887 ई0 तक इलाहाबाद तथा लाहौर विश्वविद्यालय भी स्थापित किये गये। शिक्षा विभाग की स्थापना की गयी किन्तु तकनीकी शिक्षा उपेक्षित ही रही। रूड़की में केवल एक इंजीनियरिंग कॉलेज तथा प्रेसिडेन्सी नगरों में तीन मेडिकल कॉलेज थे।

लॉर्ड रिपिन द्वारा 1882 ई0 में हण्टर कमीशन नियुक्त किया गया, जिसने शिक्षा के लिए अनेक संस्तुतियाँ कीं। अगले कुछ दशकों में उच्च शिक्षा में तेजी से प्रगति हुई। सन् 1902 ई0 में लॉर्ड कर्जन ने भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थितियों के सर्वेक्षण हेतु रैले कमीशन नियुक्त किया। इसकी संस्तुतियाँ 'युनिवर्सिटी एक्ट-1904' में निहित थीं।

भारतीयों ने इस एक्ट का विरोध किया, क्योंकि उनका यह मानना था कि इससे युवा भारतीयों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर सीमित हो जाएँगे। इस एक्ट ने भारतीय नेताओं में कटुता भर दी तथा लॉर्ड कर्जन को शिक्षित भारतीयों में बहुत अलोकप्रिय बना दिया।

सन् 1913 ई0 में एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा की नीति को स्पष्ट किया गया था। इनमें सभी प्रान्तों में नये शिक्षण तथा आवासीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया। बनारस तथा पटना में विश्वविद्यालयों की स्थापना क्रमशः 1916 तथा 1917 ई0 में की गयी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को सुलझाने के लिए सेडलर कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन ने 1919 ई0 में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की; जिसमें स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान किया गया था। हाईस्कूल तक शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा तथा इसके ऊपर अंग्रेजी होना था। सन् 1920 ई0 में ढाका तथा लखनऊ विश्वविद्यालय तथा 1922 ई0 में दिल्ली विश्वविद्यालय स्थापित किये गये। भारत सरकार अधिनियम (एक्ट) 1919 के अन्तर्गत शिक्षा विभाग को भारतीय मन्त्रियों के हाथों में सौंपा गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अन्तर्गत सम्पूर्ण विश्वविद्यालयी शिक्षा को प्रान्तीय सरकारों के नियन्त्रण में रख दिया गया।

रचनात्मक कार्य

स्वंय करो

4. ग्रामीण समाज एवं जनजातीय विद्रोह

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1.(अ) 1764 में 2.(स) 1793 में 3.(ब) थॉमसन मुनरो 4.(द) 8.6%(देश की जनसंख्या की)

ख. सही मिलान कीजिए–

स्पष्ट करें

ग. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

1. स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ।
2. रैयतवाड़ी व्यवस्था थौमसन मुनरो द्वारा कर्नाटक तथा मैसूर में लागू की गई।
3. पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब के कुछ भागों में महालवाड़ी बन्दोबस्त की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसके अन्तर्गत अनेक गाँवों के समूहों में भूमि के सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था प्रचलित थी, जिन्हे महाल कहा जाता था।
4. सन् 1830 ई0 के दशक में कृषि में वाणिज्यीकरण होने लगा।
5. नील की खेती ब्रिटिश शासन द्वारा बिहार तथा बंगाल में की जाती थी।
6. जनजाति शब्द का प्रयोग भारत के दुर्गम वनों, पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियो के लिए किया जाता है।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. इजारादारी व्यवस्था- सन् 1764 ई0 में बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात् ब्रिटिश कम्पनी ने 'दीवानी' (राजस्व वसूलने के अधिकार) प्राप्त की। कम्पनी के भ्रष्ट कर्मचारियों ने अपने निजी लाभ के लिए किसानों का शोषण करना प्रारम्भ कर दिया। भूमि के लगान की दरें बहुत ऊँची निश्चित की गयीं। राजस्व वसूली बहुत कठोर हो गयी। राजस्व का भुगतान नकद होना आवश्यक था। भुगतान की वसूली निर्दयतापूर्वक की जाती थी। परिणामतः बड़ी संख्या में किसान भूमिहीन हो गये।

वारेन हेस्टिंग्स ने एक राजस्व बोर्ड की स्थापना की। उसने 'इजारादारी' व्यवस्था प्रारम्भ की, जिसके अन्तर्गत राजस्व वसूलने का अधिकार सबसे ऊँची नीलामी करने वाले व्यक्ति को पाँच वर्ष के लिए दिया जाता था। इस व्यवस्था ने किसानों के कष्टों में और भी वृद्धि कर दी; क्योंकि नीलामी में ऊँची बोली लगाने वाले व्यापारी धनी होते थे। जो केवल राजस्व की वसूली में रुचि रखते थे, उन्हें भूमि की उत्पादकता से कोई मतलब नहीं था। इसके अतिरिक्त, भूमि की नीलामी सामयिक होती थी। नये जमींदारों को कृषि–भूमि के सुधार में कोई रूचि नहीं होती थी। अतएव यह व्यवस्था असफल ही रही, क्योंकि इससे कम्पनी को अपेक्षित आय नहीं हुई, किसानों का उत्पीड़न किया गया था तथा जमींदार स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे। अतएव पाँच वर्षीय बन्दोबस्त को 1777 ई0 में समाप्त कर दिया गया तथा इसके स्थान पर वार्षिक बन्दोबस्त पुनः लागू किया गया।

2. **रैयतवाड़ी व्यवस्था : 1802 ई0**- 18वीं सदी के पूरे होने तक कंपनी लगभग पूरे भारत में अपना प्रसार कर चुकी थी। थॉमसन मुनरो द्वारा कर्नाटक तथा मैसूर में रैयतवाड़ी बन्दोबस्त प्रणाली लागू की गयी। ब्रिटिश लोग टीपू सुल्तान द्वारा शासित क्षेत्रों में राजस्व वसूली की व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे। उसमें कोई बिचौलिया (जमींदार) नहीं होता था तथा किसानों से सीधे राजस्व वसूल किया जाता था, जिन्हें 'रैयत' कहा जाता था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1820 ई0 में कर्नाटक तथा मैसूर के उन क्षेत्रों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, जो अंग्रेजों को सौपे जा चुके थे। आगे चलकर बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेन्सियों में भी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी गई।

   रैयतवाड़ी व्यवस्था के अन्तर्गत 30 वर्षों के लिए राजस्व निश्चित कर दिया जाता था। यह भूमि की गुणवत्ता तथा फसल के प्रकार पर निर्भर होता था। राजस्व दर बहुत ऊँची (कुल उपज की आधी) होती थी। वसूली कठोर थी। यह व्यवस्था किसानों के लिए लाभकारी थी, क्योंकि उन्हें अपनी भूमि पर अधिकार प्राप्त था। किन्तु वसूली के कठोर होने के कारण वे महाजनों की दया पर आश्रित रहते थे। अतः रैयतवाड़ी व्यवस्था का दीर्घकालीन प्रभाव बंगाल में प्रचलित स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था से कुछ अधिक भिन्न नहीं था।

3. **कृषि के वाणिज्यीकरण के परिणाम-** कृषि के वाणिज्यीकरण के निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण परिणाम हुए–

   (i) काश्तकार किसानों को विवश किया गया कि वे जमींदार की इच्छानुसार फसलें उगाए। काश्तकारों को महाजनों से धन उधार लेना पड़ता था, जिससे वे ऋणों के बोझ से ग्रस्त हो जाते थे। परिणामस्वरूप निर्धन किसान और भी निर्धन होते गये तो धनी जमींदारों का धन बढ़ता गया।

   (ii) कृषि का वाणिज्यीकरण ग्रामीण व्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई। इसके पूर्व भारतीय गाँव आत्मनिर्भर इकाई थे। किसान अपनी तथा गाँव वालो की आवश्यकता के लिए पर्याप्त खाद्यान्न तथा अन्य फसलें उगाते थे। जब खाद्यान्नों की खेती के स्थान पर नगदी फसलें उगाई जाने लगीं तो इनसे अनुपस्थित जमींदारों को तो लाभ पहुँचा किन्तु किसानों तथा अन्य गाँव वालों के लिए खाद्यान्नों की कमी उत्पन्न हो गयी।

4. जनजाति शब्द जातियता की दशा को सूचित करता है जो प्रजातीय भी है तथा राजनीतिक भी। जनजाति को 'आदिवासी' भी कहा जाता है। आन्द्रे बेतीली का मत है कि ''जनजाति एक आदर्श राज्य, आत्मनिर्भर इकाई तथा स्वयं में एक समाज है।''

   'जनजाति' शब्द का प्रयोग सामान्यतः भारत के दुर्गम वनों, पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में रहने

वाले मूल निवासियों के लिए किया जाता है। एक जनजातीय समूह एक निश्चित भाषा बोलता है, निश्चित प्रजातीय वर्ग से सम्बन्धित होता है, एक विशिष्ट धर्म को अपनाता है तथा विभिन्न विधि-विधानों का पालन करता है। जनजातियाँ सदियों से एकान्तवास करती रही हैं, किन्तु विगत कुछ दशकों में इन मूल निवासियों पर विकास परियोजनाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ये अपनी परम्परागत भूमियों तथा जीवन की विधियों से विस्थापित कर दिये गये हैं। अपनी आजीविका के साधनों से भी वंचित किये जाने के साथ-साथ ये एक नयी जीवन-शैली अपनाने को विवश किये गये हैं।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. **बंगाल का स्थायी बन्दोबस्त-** वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में कर संग्रहण की जो नीति अपनाई, उससे कृषकों की दशा शोचनीय हो गई। अतः इस स्थिति में सुधार करने हेतु कंपनी सरकार ने लॉर्ड कार्नवालिस को स्थायी सुधार के लिए नियुक्त किया। लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में 22 मार्च, 1793 को एक समझौता लागू किया। उसने एक स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया। यह बंदोबस्त ईस्ट इण्डिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से सम्बन्धित एक स्थायी समझौता था।

   प्रणाली के लाभ-

   (i) इस प्रणाली ने जमींदारों में स्थायित्व तथा सुरक्षा की भावना उत्पन्न की जिससे वे भूमि उत्पादकता के सुधार पर जोर देने लगे। ऐसा करने से उनकी आय में वृद्धि होने लगी।

   (ii) कम्पनी के लिए भूमि राजस्व वसूलने हेतु अधिकारियों को नियुक्त करने की अपेक्षा जमींदारों द्वारा राजस्व की वसूली आसान तथा सस्ती हो गयी।

   (iii) राज्य को व्यक्तियों से निश्चित भूमि-राजस्व प्राप्त होने लगा।

   (iv) इस व्यवस्था से वार्षिक बन्दोबस्त तय करने में लगने वाले समय तथा श्रम की बचत सम्भव हुई।

   (v) जमींदारों को भूमि स्वामित्व प्रदान करके ब्रिटिश सरकार ने उनकी वफादारी हासिल कर ली।

   प्रणाली के दोष-

   (i) जमींदार अपनी जमीनों के विकास में पर्याप्त रूचि नहीं लेते थे। वे अनुपस्थित जमींदार मात्र थे।

   (ii) स्थायी बन्दोबस्त का जमींदारों पर प्रभाव घातक था। जो लोग अपने काश्तकारों से राजस्व वसूल नहीं कर सके, वे समय पर सरकार को धन अदा नहीं कर सके। ऐसे जमींदारों की जमीनें बेच दी गयीं।

   (iii) चूँकि राजस्व कठोरता से वसूला जाता था, इसलिए किसानों को ऊँची ब्याज दरों पर महाजनों तथा जमींदारों से धन उधार लेना पड़ता था। धन लौटाने में असमर्थ रहने पर उनकी भूमि छीन ली जाती थी। तब उन्हें भूमिहीन श्रमिकों या 'बेगार' के रूप में काम करना पड़ता था। अनेक लोग नगरीय क्षेत्रों को प्रवास कर जाते थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी मद्रास तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थायी बन्दोबस्त से कृषि की अवनति हुई तथा कृषक निर्धन होते गये।

   (iv) स्थायी बन्दोबस्त ने काश्तकारों के अधिकारों तथा हितों की उपेक्षा की। वे अपने जमींदारों की दया पर निर्भर थे।

   (v) सरकार की आय में भी कमी आयी।

   (vi) बंगाल में 1893 ई0 तक भूमि के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। अतः काश्तकारों तथा जमींदारों में मुकदमे होते रहते थे।

2. **भूमि राजस्व नीतियों के प्रभाव-** (i) कृषि में गतिरोध तथा अधोगति की स्थिति उत्पन्न हो गयी, जिससे भूमि की उत्पादकता में अत्यधिक गिरावट आयी। यह स्थिति जमींदारी प्रणाली,

छोटे तथा अनार्थिक जोत, आधुनिक कृषि उपकरणों की कमी, सिंचाई के साधनों की कमी, दुर्भिक्षों (अकाल) की पुनरावृत्ति, कृषि के प्रति सरकार की उदासीनता आदि कारणों से उत्पन्न हुई।

(ii) अनेक जमींदारों ने अपनी आय में वृद्धि करने के लिए खाद्यान्नों के स्थान पर वाणिज्यिक (नकदी) फसलें उगाना प्रारम्भ कर दिया, किन्तु इससे किसानों को कोई लाभ नहीं पहुँचा। कृषि में उत्पन्न हुई इन नयी प्रवृत्तियों से धनी लोग अधिक धनवान तथा निर्धन लोग निर्धनतर होते चले गये। किन्तु इससे भारतीय कृषि उत्पादन को अवश्य लाभ पहुँचा, क्योंकि कृषि अब बाजारोन्मुखी हो गयी थी। भारत में ब्रिटिश लोगों ने अफीम की खेती को प्रोत्साहन दिया, जिसका चीन में बहुत बड़ा बाजार था। इसी प्रकार कपास, जूट, चाय, कहवा आदि के निर्यात से बहुत लाभ हुआ।

(iii) भूमि राजस्व नीति के अन्तर्गत भूमि को बेचने की वस्तु बना दिया गया। जब कभी कोई किसान या जमींदार धनराशि अदा करने में असमर्थ होता था तो वह भूमि को रेहन (गिरवी) अथवा बेच देता था।

(iv) राजस्व की नकद अदायगी की व्यवस्था ने धन के महत्त्व में वृद्धि कर दी। किसान अपनी देय धनराशि चुकाने के लिए ऊँची ब्याज दरों पर धन उधार लेने लगे। इससे किसानों की ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, जिसका परिणाम 'बेगारी' के रूप में देखने को मिला।

(v) अंग्रेजों ने कृषि की विधियों को सुधारने या सिंचाई परियोजनाओं को प्रारम्भ करने की कोई पहल नहीं की।

3. **वाणिज्यिक फसलों का विकास-** सन् 1830 ई0 के दशक में कृषि में वाणिज्यीकरण होने लगा। यूरोपीय निवेशकर्त्ताओं ने नील, जूट, चाय, कहवा, अफीम, कपास, गन्ना, तिलहन, सिनकोना जैसी वाणिज्यिक फसलों की खेती में रूचि लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इनसे अधिक धन की प्राप्ति होती थी। इन फसलों की बागानी खेती प्रारम्भ की गयी। बागानों के मालिकों के पास विशाल बागान होते थे। सस्ता श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। उत्पादन की लागत बहुत कम थी तथा उपज की प्रति हेक्टेयर प्राप्ति अत्यधिक लाभदायक थी। इन सब कारणों से बागानी कृषि का तेजी से विकास हुआ, किन्तु खाद्य फसलों का उत्पादन गिर गया। खाद्यान्नों की कमी से किसानों तथा समूचे देश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण- कृषि के वाणिज्यीकरण के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे– **(i) बागानी कृषि** – बागानी कृषि के अन्तर्गत बड़े फार्मों पर मशीनों, फार्म श्रमिकों, पूँजी तथा परिश्रमिता से एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। एक बागान प्रायः एक उद्योग होता है। भारत की जलवायु अनेक प्रकार की बागानी फसलों; जैसे– नील, गन्ना, चाय, कहवा, नारियल आदि की खेती के लिए उपयुक्त थी। अतएव ब्रिटिश लोग भारत में बागानी कृषि की ओर आकर्षित हुए। बागानों से होने वाले लाभों से प्रोत्साहित होकर उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में बागानी खेती का विकास किया। गन्ने तथा तिलहन की खेती भारतीयों द्वारा ही की जाती थी, किन्तु अन्य बागानी फसलों पर ब्रिटिश लोगों का सम्प्रभुत्व था। अठारहवीं शताब्दी में ब्रिटिश लोगों ने बिहार तथा बंगाल में नील की बागानी खेती करने वाले (निलहो) को स्वामित्व के अधिकार प्रदान किये। सन् 1850 ई0 तक नील भारत से निर्यात होने वाली एक प्रमुख मद बन गया था। किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में कृत्रिम रंगों के प्रयोग के कारण इस उन्नत व्यापार का पतन हो गया। नील की खेती पर ब्रिटिश लोगों का एकाधिकार था। ब्रिटिश बागानों के मालिक नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। इससे तंग आकर 1859-60 ई0 में नील की खेती करने वाले हजारों किसान विद्रोह करने को तैयार हो गए।

चाय का उत्पादन ब्रिटिश लोगों के लिए एक अन्य आकर्षक उद्यम था। लॉर्ड बेण्टिक के समय में चाय के उत्पादन में गहरी रुचि ली गयी। असम चाय का परम्परागत गृह था। असम चाय कम्पनी 1839 ई0 में स्थापित हुई थी। असम-बंगाल रेलवे खुल जाने के बाद चाय के बागानों में तेजी से वृद्धि हुई। चटगाँव पत्तन चाय के निर्यात के लिए ही विकसित किया गया था। दक्षिण भारत भी चाय के बगानों के लिए आदर्श था। दोनों ही प्रदेशों में चाय के उत्पादन में ब्रिटिश लोगों का एकाधिकार था।

जूट की बागानी खेती भी बहुत फायदेमन्द थी। सिनकोना की खेती कुनैन (मलेरिया प्रतिरोधी दवा) निकालने के लिए की जाती थी। रबड़ तथा कहवा का उत्पादन दक्षिण भारत में होता था। अमेरिकी गृह-युद्ध (1861-65 ई0) के दौरान अमेरिका ने ब्रिटेन को कपास का निर्यात बन्द कर दिया तब ब्रिटिश लोग भारत में कपास उत्पादन का विकास करने के लिए उत्सुक हुए। नील का प्रयोग वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए होता था। चाय तथा कहवा यूरोप में लोकप्रिय पेय के रूप में प्रचलित थे। ये सभी मद भारी लाभ प्रदान करते थे। इनके बागानों पर ब्रिटिश लोगों का स्वामित्व था जबकि स्थानीय लोग श्रमिकों के तौर पर काम करते थे।

(ii) अनुपस्थित जमींदारों का उदय – पुराने जमींदारों, जो भूमि राजस्व की भारी धनराशि चुका नहीं सके थे, की जमीनें नीलाम कर दी गयी, उन जमीनों को धनाढ्य व्यापारियों ने खरीद लिया, जो कृषि के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वे नगरों में रहना पसन्द करते थे। अनुपस्थित जमींदारों का यह नया वर्ग अधिकाधिक लाभ कमाने की इच्छा से वाणिज्यिक फसलें उगाने में रुचि रखता था।

(iii) इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति– इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति के कारण उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में अनेक प्रकार के कच्चे मालों की आवश्यकता हुई। इंग्लैण्ड को वस्त्र उद्योग के लिए कपास चाहिए थी, जो भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। इसलिए भारतीय किसानों को कपास की खेती करने के लिए मजबूर किया।

4. **बिरसा मुण्डा-** 'मुण्डा' झारखण्ड में छोटा नागपुर के पठार पर रहने वाली एक प्रमुख जनजाति है। मुण्डा 'होरोको' भी कहलाते हैं। ये लोग स्थायी कृषक हैं।

वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद भी जनजातीय विद्रोह जारी रहे। एक ऐसे ही विद्रोह का प्रयास बिरसा मुण्डा ने किया था। सन् 1895 ई0 में उसने एक नये धर्म का प्रचार किया। बिरसा मुण्डा को लोग भगवान मानते थे। बिरसा मुण्डा की लोकप्रियता से ब्रिटिश सरकार सतर्क हो गयी। ब्रिटिश अधिकारियों ने उसको बन्दी बना लिया, किन्तु जनजातियों के कठोर प्रतिरोध के कारण जनवरी, 1898 में उसको छोड़ना पड़ा।

मुक्त होते ही बिरसा मुण्डा ने अपनी गतिविधियाँ पुनः प्रारम्भ कर दीं। भयंकर अकाल तथा महामारियों का सामना करते हुए आदिवासियों ने उन पर थोपे गये गैर-जनजातीय कृषकों को भी झेला। कुछ गाँवों में आदिवासी लोग खेतिहर मजदूर बनकर रह गये। अतएव बिरसा मुण्डा ने एक सैन्य-शक्ति का गठन कर उन्हें युद्ध-कला में प्रशिक्षित करना प्रारम्भ कर दिया। उसके प्रशिक्षित अनुयायियों ने मिशन अवासों, ब्रिटिश बस्तियों, पुलिस स्टेशनों तथा नये जमींदारों के घरों पर आक्रमण किये। मुठभेड़ की गतिविधियों में कुछ विद्रोहियों को बन्दी बना लिया गया, जब कि अन्य कई मारे गये। बिरसा मुण्डा को जेल में डाल दिया गया, जहाँ जून 1900 में हैजे के कारण उसकी मृत्यु हो गयी।

रचनात्मक कार्य

स्वंय करो

5. 1857 की क्रान्ति या विद्रोह

अभ्यास

क. निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (स) मेरठ से 2. (स) बैरखपुर 3. (ब) बहादुरशाह जफर 4. (स) लखनऊ में

ख. सही कथन पर (3) का तथा गलत कथन पर (7) का चिह्न लगाइए–

1. (7) 2. (3) 3. (3) 4. (3)

ग. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

1. 1857 की क्रान्ति का प्रारंभ 10 मई, 1857 ई0 को मेरठ से हुआ।
2. दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली एवं झाँसी विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे।
3. मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित किया गया।
4. बिहार के विद्रोह का प्रमुख संगठनकर्ता जगदीशपुर का जमींदार कुँवर सिंह था।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. **राजनीतिक कारण-** भारतीय राज्यों के विलय संबंधी ब्रिटिश नीति ने अनेक भारतीय शासकों एवं मुख्य पदाधिकारियों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सहायक संधि एवं राज्य हड़पने के सिद्धान्त के सशक्त क्रियान्वयन ने राज्यों के शासकों में आक्रोश भर दिया था। झाँसी के विलय से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की कट्टर शत्रु बन गई थीं। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहिब को पिता की मृत्यु के पश्चात् पेंशन देना बंद कर दिया गया। वह इस विद्रोह के महान नेता बन गए।
2. भारतीय समाज में ब्रिटिश सरकार के भेदभाव पूर्ण कार्यों के कारण असंतोष बढ़ता जा रहा था। इसे भड़काने के लिए मात्र एक चिंगारी की आवश्यकता थी। इस चिंगारी को इस अफवाह से बल मिला कि सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। बंदूक में डाले जाने से पूर्व समस्त कारतूसों को मुँह से खोला जाता था। कोई भी हिंदू गाय तथा मुस्लिम सूअर की चर्बी से बने कारतूसों को छूना पसंद नहीं करता था। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ने कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। उन पर विद्रोह करने का आरोप लगाया गया। यहीं से 1857 ई0 के विद्रोह का प्रारम्भ हुआ।
3. **विद्रोह का प्रारम्भ-** गाय एवं सूअर के चर्बीयुक्त कारतूसों के बारे में बातें त्वरित रूप से फैल गईं। यह व्रिदोह 10 मई, 1857 ई0 को बैरकपुर की छावनी से प्रारम्भ हुआ। चर्बी से बने कारतूसों के प्रयोग से मना करने वाला सर्वप्रथम सैनिक मंगल पांडे था। वह बैरकपुर में तैनात 34वीं पैदल सेना का सैनिक था। उसने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इंकार कर दिया तथा दो अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया। उसे फाँसी की सजा दी गई। अपने देश की जनता ने उसे शहीद के रूप में घोषित किया। 9 मई के दिन दिल्ली से 57 किमी. दूर मेरठ में सेना की छावनियों में तैनात सेना के 19 सैनिकों ने भी इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। उनमें से 85 निहत्थे थे, उन्हें गिरफ्तार कर कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन 10 मई को मेरठ की संपूर्ण सेना ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने जेलों पर धावा बोलकर जेल में बंद कैदियों को मुक्त कर दिया तथा ब्रिटिश अधिकारियों को गोलियों से भूनकर विद्रोह की शुरूआत कर दी गई।
4. विद्रोह को कुचल दिया गया। परन्तु यह विद्रोह पूर्ण रूप से विफल नहीं हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश-भारत के इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटना थी। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के

दोषपूर्ण शासन का अंत हो गया। भारतीय सम्राज्य प्रत्यक्षतः ब्रिटिश राजशाही के अधीन हो गया। रानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दी गई। मुगलों तथा पेशवाओं के शासन का अंत हो गया। शासकों को दत्तक पुत्र का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ब्रिटेन की सरकार ने राजकुमारों को आश्वस्त किया कि उनके साथ की गई संधि की शर्तों का अक्षरशः पालन एवं सम्मान किया जाएगा तथा भविष्य में कभी भी किसी भी राज्य का विलय ब्रिटिश राज्य-क्षेत्र में नहीं किया जाएगा।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. **(i) राजनीतिक कारण-** भारतीय राज्यों के विलय संबंधी ब्रिटिश नीति ने अनेक भारतीय शासकों एवं मुख्य पदाधिकारियों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सहायक संधि एवं राज्य हड़पने के सिद्धान्त के सशक्त क्रियान्वयन ने राज्यों के शासकों में आक्रोश भर दिया था। झाँसी के विलय से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की कट्टर शत्रु बन गई थीं। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहिब को पिता की मृत्यु के पश्चात् पेंशन देना बंद कर दिया गया। वह इस विद्रोह के महान नेता बन गए।

   (ii) आर्थिक कारण- ब्रिटिश शासन काल में भारतीय अर्थ-व्यवस्था पतन के कगार पर आ गई थी। व्यापार एवं वाणिज्य को काफी क्षति पहुँची तथा भारतीय उद्योगों एवं हस्तशिल्प का पतन हो गया। कृषकों, दस्तकारों तथा व्यापारियों की भाग्यदशा दयनीय हो गई थी। निर्धन कृषकों के शोषण द्वारा साहूकार तथा छोटे-छोटे सरकारी कर्मचारी फल-फूल रहे थे। इस विद्रोह में कृषकों एवं दस्तकारों ने सक्रिय भाग लिया। राजस्व की माँग में वृद्धि कर दी गई। इन सब कारणों ने जमींदारों के मध्य अत्यधिक असंतोष फैलाया।

   ब्रिटिश शासन अधिक कठोर था। कर राशि अत्यधिक थी तथा कर में वृद्धि से जनता में आक्रोश व्याप्त था।

   (iii) सामाजिक एवं धार्मिक कारण- विद्रोह के फैलने का एक मुख्य धार्मिक कारण भी था। जनता का मानना था कि ब्रिटिश सरकार उनके धर्म को नष्ट करके उन्हें ईसाइयों में परिवर्तित कर देगी। राज्य की शासकीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के ईसाई मिशनरियों ने धन, नौकरी एवं सामाजिक स्तर का प्रलोभन देकर भारतीय जनता का धर्मांतरण कराया। ये ईसाई मिशनरी हिंदू धार्मिक व्यवस्था एवं रीति-रिवाजों का उपहास एवं निंदा करते थे। सन् 1850 में सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया, जिसके अनुसार हिंदू व्यक्तियों को ईसाई धर्मांतरण करने के बावजूद अपनी पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने का उत्तराधिकार पूर्ववत् प्राप्त रहेगा। जनता ने इस कानून के माध्यम से धर्मांतरण को सरकारी प्रोत्साहन के रूप में समझा। अनेक सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों ने कुछ धार्मिक संगठनों को सरकार के विरुद्ध खड़ा कर दिया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा 'हिंदू विधवा पुनर्विवाह' को कानून द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई। हिंदू व्यक्तियों ने इन सामाजिक सुधारों को अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में समझा। सामाजिक रूप से भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था तथा उन्हें न्याय नहीं मिलता था। वे स्वयं को अंग्रेजों की अपेक्षा निम्न जाति का अनुभव करने लगे। शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर पदोन्नति अथवा नियुक्ति से वंचित कर दिया जाता था। योग्य होते हुए भी उन्हें छोटी नौकरियों से संतुष्ट होना पड़ता था।

   (iv) सैन्य कारण- साधारण नागरिक की भाँति सैनिक भी कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका कोई व्यावसायिक भविष्य नहीं था। उनके लिए सेना में सूबेदार का पद सर्वोच्च पद था। जिसका मासिक वेतन मात्र 60 रुपये था। इससे उच्च पद की आकांक्षा कोई भी भारतीय योग्य

होते हुए भी नहीं रख सकता था। सैनिकों के मन में अपने धर्म एवं जाति के संबंध में व्याकुलता थी। 1856 ई0 में पारित एक कानून के अनुसार नए भर्ती हुए सैनिकों को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार सेवा करने के लिए भेज दिया जाता था। इससे उनकी धार्मिक भावनाएँ आहत हुईं। उनका मानना था कि समुद्र पार करते ही उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण एवं अन्य उच्च जाति के सैनिकों में इसके प्रति रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया।

(v) त्वरित कारण- भारतीय समाज में ब्रिटिश सरकार के भेदभाव पूर्ण कार्यों के कारण असंतोष बढ़ता जा रहा था। इसे भड़काने के लिए मात्र एक चिंगारी की आवश्यकता थी। इस चिंगारी को इस अफवाह से बल मिला कि सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। बंदूक में डाले जाने से पूर्व समस्त कारतूसों को मुँह से खोला जाता था। कोई भी हिंदू गाय तथा मुस्लिम सूअर की चर्बी से बने कारतूसों को छूना पसंद नहीं करता था। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ने कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। उन पर विद्रोह करने का आरोप लगाया गया। यहीं से 1857 ई0 के विद्रोह का प्रारम्भ हुआ।

2. **विद्रोह के प्रमुख केंद्र-** दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली एवं झाँसी विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। सैनिकों तथा साधारण नागरिकों ने हिंदू-मुस्लिम एकता की आश्चर्यजनक भावना अभिव्यक्त की। इन विद्रोहियों ने मुगल शासक को अपने सम्राट् के रूप में मान्यता दी।

मुगल बादशाह बहादुरशाह इतना वृद्ध हो गया था कि वह इस विद्रोह का वीरतापूर्वक नेतृत्व नहीं कर सकता था। उसे इस विद्रोह के नेतृत्व की शृंखला में सबसे कमजोर कड़ी माना जा सकता है। अन्ततः बहादुरशाह को पकड़ लिया गया तथा उसके दो पुत्रों को गोली से उड़ा दिया गया। बाद में बहादुरशाह पर अभियोग चलाया गया तथा बर्मा के रंगून में निर्वासित कर दिया गया। बख्त खाँ लखनऊ चला गया तथा वहाँ से फरार हो गया। दिल्ली में लूटपाट एवं मारकाट की घटनाएँ हुईं। संपूर्ण दिल्ली में भय व्याप्त हो गया।

नाना साहेब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया तथा कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। उसने कानपुर से ब्रिटिश सेनाओं को भगा दिया। नगर में समस्त ब्रिटिश पुरुष, स्त्री एवं बच्चों को मृत्युदंड दिया गया। यह एक भयानक कृत्य था। उसके सुयोग्य सेनापति ताँत्या टोपे की देशभक्ति की भावना एवं गुरिल्ला युद्ध नीति की निपुणता ने उसे अमर बना दिया। जनरल हेवलोक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाओं ने विद्रोहियों से यूरोपीय नागरिकों की हत्या का भयंकर प्रतिशोध लिया। उन्हें मृत्युदंड दिया गया उन्हें तोप के मुँह से बाँधकर उनके टुकड़े कर दिए गए। नाना साहेब सुरक्षित बचकर नेपाल भागने में सफल हो गए।

अवध की बेगम हजरत महल ने लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया, जो अपने अवयस्क पुत्र के लिए प्रतिशासक का कार्य कर रही थी। अवध की सेना से निष्कासित सैनिकों ने विद्रोही सैनिकों की सहायता की। अंग्रेजों की पराजय हुई। सेनापतियों, सैनिकों एवं साधारण नागरिकों ने रेजीडेंसी भवन में प्रवेश कर लिया तथा उसमें लंबे समय तक रहे। 1858 ई0 में जनरल कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाओं ने पुनः लखनऊ पर अधिकार स्थापित कर लिया तथा गैरीसन को सुरक्षित बचा लिया गया। बेगम जान बचाकर नेपाल चली गईं।

झाँसी की रानी विद्रोह के महानतम नेताओं में से एक थीं। एक सच्ची वीरांगना की भाँति उसने सर ह्यूरोज के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेनाओं के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया। उसके शौर्य एवं वीरता की कथाएँ आज भी भारतीय जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अपने दुर्ग पर खड़े होकर उसने प्रत्येक घर एवं गली की सुरक्षा की। जब विजय के सभी अवसर समाप्त हो गए,

तो रानी जान बचाकर चली गईं तथा काल्पी में ताँत्या टोपे के साथ सम्मिलित हो गईं। अंग्रेज जनरल सर ह्यूरोज ने उसका पीछा ग्वालियर तक किया तथा वहीं पर उसको पराजित कर दिया। अंत में 17 जून, 1858 ई0 को रानी वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई

बिहार के जगदीशपुर का एक असंतुष्ट जमींदार कुँवर सिंह जिसकी आयु 18 वर्ष थी, बिहार के विद्रोह का प्रमुख संगठनकर्ता था। उसने अनेक स्थानों पर ब्रिटिश सेनाओं को पराजित किया था। बाद में वह नाना साहेब के साथ सम्मिलित हो गया तथा अप्रैल, 1858 ई0 में लड़ते-लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो गया।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

6. भारतीय समाज में सुधार

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (स)1930 ई0 2. (द) राजस्थान में 3. (ब) राजा राममोहन राय ने
4. (अ) ज्योतिबा गोविन्दराव फुले

ख. सही मिलान कीजिए–

विधवा-पुनर्विवाह एक्ट	केशवचन्द्र सेन
आर्य समाज	गोविन्दराव फुले
प्रार्थना समाज	स्वामी दयानंद
सत्यशोधक समाज	ईश्वर चन्द्र विद्यासागर

ग. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

1. वर्तमान में लड़कियों के लिए विवाह की आयु 18वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
2. बहुपत्नी विवाह के अन्तंर्गत पुरूष एक से अधिक पत्नियाँ रख सकते थे या विधुर होने के बाद पुर्वविवाह कर सकते थे।
3. परदा प्रथा हिन्दू तथा मुसलमानों दोनों में प्रचलित थी। इसके अनृगति औरत को चेहरा व शरीर ढककर रखना पड़ता है।
4. राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद केशव चन्द्रसेन ने एक नए समाज का गठन किया, जिसे भारत का ब्रहम समाज कहा गया।
5. सन् 1829 ई0 में सती प्रथा निषिद्ध घोषित हुई।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. (i) 'सती' एक पुरातन प्रथा है, जिसमें विधवा स्त्री को उसके पति की चिता पर जीवित ही जला दिया जाता था। यह प्रथा कभी स्त्रियों के लिए स्वैच्छिक थी, किन्तु कालान्तर में आर्थिक कारणों की वजह से यह एक सामाजिक प्रथा बन गई। सातवीं शताब्दी में सती प्रथा पर्याप्त लोकप्रिय हो गयी थी। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में सती प्रथा बंगाल के हुगली तथा नादिया जिलों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तथा बिहार के शाहाबाद जिलों में प्रचलित थी। दक्षिण भारत में यह प्रथा उड़ीसा के कुछ स्थानों, आन्ध्र प्रदेश के मसुलीपत्तनम तथा तमिलनाडु के तंजौर जिलों में प्रचलित थी। राजस्थान, पंजाब तथा कश्मीर में यह प्रथा उच्च जातियों में प्रचलित थी।

   (ii) सन् 1960 ई0 से विवाह में दहेज लेना तथा देना अवैध घोषित कर दिया गया है। इसके

बावजूद दहेज प्रथा प्रचलित है। प्रायः दहेज पूरा न करने की स्थिति में ससुराल वाले नवविवाहिता की हत्या कर देते हैं। प्रत्येक वर्ष सैकड़ों विवाहित स्त्रियाँ दहेज-हत्या का शिकार होती हैं। दहेज के कारण ही परिवार में कन्या के जन्म को अभिशाप माना जाता है तथा पुत्रों को वरीयता दी जाती है। यही कारण है कि 'कन्या-भ्रूण-हत्या' तथा 'कन्या-शिशु वध' की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है।

2. ईश्वर चन्द्र विद्यासागर एक महान् विद्वान, सुधारक, बुद्धिवादी तथा मानवतावादी थे। वे स्त्रियों की शिक्षा के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने 7 मई 1849 में जान इलियट ड्रिंकवाटर बेथून को बेथून स्कूल की स्थापना करने में सहायता दी, जो लड़कियों के लिए प्रथम भारतीय स्कूल था। उन्होंने लड़कियों के लिए 35 स्कूल खोले। उनका महानतम योगदान विधवाओं के उत्थान तथा लड़कियों की शिक्षा के लिए था। गर्वनर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भी उनके प्रयासों की प्रशंसा की। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के ही प्रयासों से 'विधवा-पुनर्विवाह एक्ट' (1856 ई0) बनाया जा सका।

3. केशवचन्द्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा के परिणामस्वरूप 1867 ई0 में मुम्बई में 'प्रार्थना समाज' की स्थापना हुई। आत्माराम पाण्डुरंग, आर0जी0 भण्डारकर, महादेव गोविन्द रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले तथा एन0एम0 जोशी जैसे नेताओं ने इस समाज की गतिविधियों को बहुत शक्ति प्रदान की। इस समाज ने कामकाजी लोगों के लिए 'रात्रि-पाठशालाएँ' चलायीं तथा लड़कियों की शिक्षा के लिए महिला संगठन स्थापित किये। इस समाज ने पण्ढरपुर में एक अनाथालय तथा एक आश्रम भी स्थापित किया। महादेव गोविन्द रानाडे तथा आर0 जी0 भण्डारकर इस समाज के दो महान सदस्य थे।

4. रूकैया हुसैन ये एक बंगाली महिला थीं, जिन्होंने बिहार में अपने पति की सहायता से मुसलमान लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। मुस्लिम महिला संगठन के सदस्य के रूप में वे अनेक गतिविधियों में संलग्न रहीं। उन्होंने अनेक निबन्ध लिखे, जिनमें से अनेक पर्दा प्रथा के विषय में है। उन्हें भी आलोचना झेलनी पड़ी।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. पिछली कई शताब्दियों से भारत में महिलाओं के स्तर में अनेक परिवर्तन हुए हैं। प्राचीन भारतीय समाज से लेकर मध्यकालीन समाज तक समाज में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके थे। अनेक कुरीतियाँ, परम्पराएँ, प्रथाएँ समाज में खतरनाक विसंगति का रूप ले चुकी थीं। औपनिवेशिक काल में महिलाओं के स्तर में मिश्रित व्यवहार देखा गया।

   ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था, जिनमें महिलाओं के प्रति समाज का बेरुखी भरा व्यवहार प्रमुख था। महिलाएँ अनेक प्रकार की अयोग्यताओं से ग्रस्त थीं, जिनमें समाज में निम्न स्तर, शिक्षा की उपेक्षा, बाल-विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह का निषेध, परदा प्रथा, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, सम्पत्ति में अधिकार न होना आदि।

   प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, किन्तु मध्य युग में उनकी शिक्षा की मान्य उपेक्षा की गयी, क्योंकि उनके लिए रोजगार करने तथा धर्म ग्रन्थों के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी।

   हिन्दू समाज में दहेज प्रथा के साथ-साथ ही बाल विवाह भी प्रचलित था। यद्यपि 1860 ई0 में कानून द्वारा बाल-विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया था, फिर भी अनेक क्षेत्रों में विशेषतः राजस्थान में यह आज भी एक सामान्य प्रथा है। सन् 1860 ई0 के कानून द्वारा कन्या का विवाह न्यूनतम योग्यता 10 वर्ष निश्चित की गयी, जिसे 1891 ई0 में 12 वर्ष तक 1925

ई0 में 13 वर्ष कर दिया गया। शारदा एक्ट (1930 ई0) के द्वारा विवाह की आयु 14 वर्ष मानी गयी, जिसे हिन्दू मैरिज एक्ट (1955 ई0) द्वारा 15 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान समय में लड़कियों के लिए विवाह आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

'सती' एक पुरातन प्रथा है, जिसमें विधवा स्त्री को उसके पति की चिता पर जीवित ही जला दिया जाता था। यह प्रथा कभी स्त्रियों के लिए स्वैच्छिक थी, किन्तु कालान्तर में आर्थिक कारणों की वजह से यह एक सामाजिक प्रथा बन गई। सातवीं शताब्दी में सती प्रथा पर्याप्त लोकप्रिय हो गयी थी। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में सती प्रथा बंगाल के हुगली तथा नादिया जिलों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तथा बिहार के शाहाबाद जिलों में प्रचलित थी। दक्षिण भारत में यह प्रथा उड़ीसा के कुछ स्थानों, आन्ध्र प्रदेश के मसुलीपत्तनम तथा तमिलनाडु के तंजौर जिलों में प्रचलित थी। राजस्थान, पंजाब तथा कश्मीर में यह प्रथा उच्च जातियों में प्रचलित थी।

बहुपत्नी विवाह प्रथा चरम पर थीं जिसमें पुरुष एक से अधिक पत्नियाँ रख सकते थे या विधुर होने के बाद पुनर्विवाह कर सकते थे, किन्तु विधवा स्त्रियों को विवाह की अनुमति नहीं थी। इस कारण विधवाओं का जीवन अत्यन्त कष्टमय, तिरस्कारपूर्ण तथा उपेक्षित हो गया।

परदा प्रथा हिन्दू तथा मुसलमान दोनों समुदायों की स्त्रियों में (मुसलमानों में अधिक) प्रचलित थी।

प्राचीन काल में विवाह के समय पिता अपनी पुत्री को वस्त्र-आभूषण भेंट करता था। उसी प्रकार 'वर-दक्षिणा' में पिता वर को भी उपहार भेंट करता था। इसे ही सामान्य रूप से दहेज प्रथा कहा जाता है। यह प्रथा समाज में आज एक भयावह रूप ले चुकी है।

सन् 1960 ई0 से विवाह में दहेज लेना तथा देना अवैध घोषित कर दिया गया है। इसके बावजूद दहेज प्रथा प्रचलित है। प्रायः दहेज पूरा न करने की स्थिति में ससुराल वाले नवविवाहिता की हत्या कर देते हैं। प्रत्येक वर्ष सैकड़ों विवाहित स्त्रियाँ दहेज-हत्या का शिकार होती हैं। दहेज के कारण ही परिवार में कन्या के जन्म को अभिशाप माना जाता है तथा पुत्रों को वरीयता दी जाती है। यही कारण है कि 'कन्या-भ्रूण-हत्या' तथा 'कन्या-शिशु वध' की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है।

घरेलू हिंसा शारीरिक रूप से कष्ट देने के रूप में भी देखी जाती है। यह निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों में अधिक प्रचलित है। प्रतिदिन पतियों द्वारा पत्नियों की पिटाई करने के उदाहरण मिलते हैं, जिनमें स्त्रियाँ गम्भीर रूप से घायल हो जाती हैं।

हिन्दू समाज में पिता अथवा पति की सम्पत्ति में स्त्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, किन्तु अब कानून ने इसमें परिवर्तन कर दिया है।

2. **कुछ प्रमुख समाज सुधारक-** उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारतीय समाज स्त्रियों के उत्पीड़न तथा सती प्रथा, कन्या-शिशु-वध जैसी अमानवीय प्रथाओं से ग्रस्त था। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से कुछ शिक्षित भारतीय मानवतावाद तथा हेतुवाद पर आधारित पाश्चात्य जगत के उदारवादी दर्शन से गहन रूप से प्रभावित हुए। उन्होंने अनेक परिवर्तनकारी सुधार आन्दोलनों का नेतृत्व किया। कुछ प्रमुख सुधारकों के कार्यों के विवरण निम्नलिखित हैं–

राजा राममोहन राय- राजा राममोहन राय बंगाल के हुगली जिले के एक सम्मानित तथा शिक्षित परिवार में जन्मे थे। वह एक महान विद्वान, धर्म-सुधारक, समाज-सुधारक, शिक्षाविद्, पत्रकार तथा अन्तर्राष्ट्रीयतावादी थे। सन् 1828 ई0 में उन्होनें 'ब्रह्म सभा' की स्थापना की, जो प्रगतिशील विचारकों का एक समूह था। सन् 1830 ई0 में इसका नाम बदलकर 'ब्रह्म समाज' कर दिया गया। राजा राममोहन राय ने सामाजिक सुधार का बीड़ा उठाया। उन्होंने सती प्रथा की घोर निन्दा की तथा इसे समाप्त करने पर बल दिया। उन्होंने सती

प्रथा के विरुद्ध एक दृढ़ जनमत का निर्माण किया तथा गर्वनर जनरल लॉर्ड विलियम बेण्टिक से सती प्रथा को समाप्त करने तथा कानूनी रूप से दण्डनीय बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने बहुपत्नी-विवाह, बाल विवाह, कन्या-शिशु-वध आदि की समाप्ति तथा स्त्रियों की शिक्षा एवं विधवा-विवाह के लिए आवाज उठायी।

राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद केशव चन्द्रसेन ने एक नये समाज का गठन किया, जिसे 'भारत का ब्रह्म समाज' कहा गया। इस नयी शाखा ने सामाजिक सुधार के संघर्ष पर गहरा प्रभाव डाला। इसने स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, विधवा-विवाह की अनुमति तथा बाल विवाह रोकने हेतु कानून बनवाने के लिए अभियान चलाया।

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर- ईश्वर चन्द्र विद्यासागर एक महान् विद्वान, सुधारक, बुद्धिवादी तथा मानवतावादी थे। वे स्त्रियों की शिक्षा के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने 7 मई 1849 में जान इलियट ड्रिंकवाटर बेथून को बेथून स्कूल की स्थापना करने में सहायता दी, जो लड़कियों के लिए प्रथम भारतीय स्कूल था। उन्होंने लड़कियों के लिए 35 स्कूल खोले। उनका महानतम योगदान विधवाओं के उत्थान तथा लड़कियों की शिक्षा के लिए था। गर्वनर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भी उनके प्रयासों की प्रशंसा की। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के ही प्रयासों से 'विधवा-पुनर्विवाह एक्ट' (1856 ई0) बनाया जा सका।

ज्योतिबा गोविन्दराव फुले- ज्योतिबा गोविन्दराव फुले को 'ज्योतिबा' या 'महात्मा फुले' भी कहा जाता है। उन्होंने 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना की थी। वे एक उत्साही समाज-सुधारक थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के दलित लोगों तथा स्त्रियों के हित के लिए कार्य किया। उन्होंने विधवा स्त्रियों के पुनर्विवाह में सहायता की।

प्रार्थना समाज- केशवचन्द्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा के परिणामस्वरूप 1867 ई0 में मुम्बई में 'प्रार्थना समाज' की स्थापना हुई। आत्माराम पाण्डुरंग, आर0जी0 भण्डारकर, महादेव गोविन्द रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले तथा एन0एम0 जोशी जैसे नेताओं ने इस समाज की गतिविधियों को बहुत शक्ति प्रदान की। इस समाज ने कामकाजी लोगों के लिए 'रात्रि-पाठशालाएँ' चलायीं तथा लड़कियों की शिक्षा के लिए महिला संगठन स्थापित किये।

महादेव गोविन्द रानाडे- महादेव गोविन्द रानाडे एक प्रसिद्ध समाज-सुधारक एवं विद्वान थे। उन्होंने बाल-विवाह एवं पर्दा प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया तथा विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। वे हिन्दू-मुस्लिम एकता के महान समर्थक थे। उन्होंने एक विशेष शुद्धि आन्दोलन चलाया जिसमें मद्य निषेध (शराब बन्दी), नृत्य-विरोधी, अन्य धर्मों से हिन्दू धर्म में प्रवेश तथा दहेज प्रथा का विरोध सम्मिलित थे। उनके आध्यात्मिक निर्देशन में 1884 ई0 में 'दकन एजुकेशन सोसाइटी' की स्थापना की गयी। यह एक छोटा-सा विद्यालय था, जो कालान्तर में पुणे प्रसिद्ध फर्ग्युसन कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। रानाडे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे।

स्वामी दयानन्द सरस्वती- स्वामी दयानन्द का जन्म 1824 ई0 में गुजरात के एक कट्टर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जीवन के प्रारम्भ में ही मूर्तिपूजा से उनका विश्वास उठ गया था। सन् 1875 ई0 में उन्होंने राजकोट में आर्य समाज की स्थापना की। यह समाज शीघ्र ही सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध एक गढ़ बन गया। उसने स्त्रियों की शिक्षा, विधवा-विवाह तथा लड़कियों के स्कूल खोलने जैसे सामाजिक कार्यों का दृढ़तापूर्वक प्रचार किया तथा स्त्रियों के उत्थान एवं उद्धार के लिए कार्य किया।

3. महिलाओं द्वारा समाज में सुधार के कार्य करना आसान नहीं था। पितृ सत्तात्मक समाज में

महिलाओं को अपनी पहचान बनाने में युद्ध स्तर पर संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन प्रगतिशील परिवारों की कई शिक्षित महिलाओं ने समाज में स्वयं की तो पहचान बनाई ही, साथ ही महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए समाज में अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारक कार्य भी किए। उनमें से कुछ अग्रलिखित हैं–

सावित्री बाई (1831-97 ई0)- सावित्री बाई आधुनिक महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थीं। उनका विवाह नौ वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले से हुआ था। ज्योतिबा फुले की सहायता से उन्होंने अध्ययन किया। सन् 1848 में दोनों ने मिलकर पुणे में पाँच स्कूल खोले तथा 1815 ई0 में दलित वर्ग की लड़कियों के लिए एक विशेष स्कूल खोला। उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रम भी खोले। उनके मरने के सौ वर्षों उपरान्त डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया।

पण्डिता रमाबाई- पण्डिता रमाबाई ने भारत में महिलाओं के मुक्ति आन्दोलन की आधारशिला रखी। 1883 ई0 में इंग्लैण्ड तथा 1886-89 ई0 के आन्दोलन में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की, जिसका उद्देश्य पुणे में स्थित विधवाश्रम 'शारदा सदन' के लिए धन एकत्रित करना था। सन् 1897 में प्लेग के दौरान महिला रोगियों के प्रति व्यवहार के बारे में बम्बई के गर्वनर को लिखे गये रमाबाई के पत्र ने ब्रिटिश संसद में हलचल मचा दी। उन्हें अपने उदारवादी तरीकों के लिए रूढ़िवादी समाज का क्रोध झेलना पड़ा।

रूकैया हुसैन- ये एक बंगाली महिला थीं, जिन्होंने बिहार में अपने पति की सहायता से मुसलमान लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। मुस्लिम महिला संगठन के सदस्य के रूप में वे अनेक गतिविधियों में संलग्न रहीं। उन्होंने अनेक निबन्ध लिखे, जिनमें से अनेक पर्दा प्रथा के विषय में है। उन्हें भी आलोचना झेलनी पड़ी।

सरोजनी नायडू (1879- 1949 ई0)- ये सुप्रसद्धि महिला कवि तथा सामाजिक कार्यकत्री थीं। इन्होंने अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेन्स की स्थापना में सहायता की तथा 1917 ई0 में महिलाओं के लिए पूर्ण मताधिकार की माँग की।

4. गलत रीति-रिवाजो व परम्पराओं के विरुद्ध अनेक सुधार आन्दोलनों के फलस्वरूप नए कानून प्रभाव में आए जो अग्रलिखित हैं–

(i) सन् 1795 एवं 1802 ई0 में कन्या-शिशु वध निषेध सम्बन्धी कानून पारित किये गये।

(ii) सन् 1829 ई0 में सती प्रथा निषिद्ध घोषित हुई।

(iii) सन् 1843 ई0 में दासता (गुलामी) को अवैध घोषित किया गया।

(iv) सन् 1856 ई0 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध घोषित किया गया।

(v) सन् 1872 ई0 में अन्तर्जातीय विवाह वैध घोषित किये गये।

(vi) सन् 1930 ई0 में शारदा एक्ट के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह योग्य न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निश्चित की गयी। वर्तमान में लड़कियों के लिए विवाह योग्य न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है।

अनेक सुधारकों के प्रयासों ने स्त्रियों को भी शिक्षित होने के लिए प्रोत्साहन दिया तथा उन्हें सम्पत्ति का उत्तराधिकार भी प्राप्त हुआ। किन्तु स्त्रियों के स्तर में सुधार होने के बावजूद अभी भी अनेक कमियाँ मौजूद हैं।

यद्यपि भारत में आज भी स्त्रियाँ देश के अनेक भागों में, ग्रामीण समुदायों तथा कुछ विशेष संस्कृतियों में भेदभाव का सामना कर रही हैं फिर भी सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उनके अधिकारों में दृढ़तापूर्वक वृद्धि हो रही है। अब स्त्रियों को जीवन के अनेक क्षेत्रों में

जैसे– मताधिकार, सरकारी नौकरियाँ, शिक्षा, सैन्य सेवाओं, वाणिज्यिक विभागों, धार्मिक क्रियाओं आदि में समानता प्राप्त हो रही है, किन्तु स्त्रियों की पूर्ण समानता प्राप्ति के लिए अब भी बहुत कुछ करना शेष है।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

7. चित्रकला, साहित्य एवं स्थापत्य

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) चार्ल्स-डि-ओयली 2. (स) राजा रवि वर्मा 3. (द) बम्बई 4. (अ) दिल्ली

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. कम्पनी चित्रकला 2. पाश्चात्य शैक्षिक 3. नोबेल 4. साइनबोर्ड-पेन्टर

ग. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

1. 1780 के दशक के प्रमुख चित्रकार हैं- जेम्स फोर्ब्स, जॉन ग्राण्ट्स, जेम्स वेली, फ्रेजर, चार्ल्स-डि ओयली आदि।
2. 1905 ई0 में राष्ट्रवादी चरण का प्रारम्भ हुआ।
3. पी0वी0 जानकीरमन (मद्रास) व प्रदोष दास गुप्ता (दिल्ली) दो प्रमुख मूर्तिकार थे।
4. भारत के प्रमुख कोरियोग्राफर उदयट शंकर ने 1920 के दशक में इंग्लैण्ड में दो नृत्य नाटिकाएँ प्रस्तुत की।
5. संगीत, नृत्य तथा नाटक (थियेटर) को प्रमुख रूप से क्रियात्मक कलाएँ कहा जाता हैं।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. **राजा रवि वर्मा (1848-1906 ई0)-** ये त्रावणकोर के शाही परिवार के वंशज थे। वे स्वतः शिक्षित तैल चित्रकार थे तथा कला के पाश्चात्य चरण के प्रमुख केंद्रबिन्दु थे। वे प्रसिद्ध पौराणिक चित्रकार थे। उन्होंने बम्बई के बाहरी हिस्से में अपनी निजी ओलियोग्राफी प्रेस स्थापित की थी, जिसमें वे बड़े पैमाने पर अपने चित्रों का उत्पादन कर सकें।
2. स्वतन्त्रता बाद के समय में रामकिंकर बजाज तथा मीरा मुखर्जी ने विशाल काँस्य प्रतिमाएँ बनायीं। सोमनाथ मोरे ने काँसे की छोटी कलात्मक वस्तुएँ निर्मित कीं। मद्रास में पी0वी0 जानकीरमन तथा एस0 धनपाल ने काँसे तथा ताँबे की मूर्तियाँ बनायीं। बम्बई के पीलू पोचखानवाला तथा आदी डेवियरवाला तथा दिल्ली के प्रदोष दास गुप्ता, अमरनाथ सहगल तथा संखो चौधरी अन्य प्रमुख मूर्तिकार थे। नागाजी पटेल तथा राघव कनेरिया ने पत्थर की सुन्दर प्रतिमाएँ बनायीं। हिम्मत शाह तथा के0 जी0 सुब्रह्मण्यम ने मिट्टी तथा टेर्राकोटा की वस्तुओं का निर्माण किया।
3. **नृत्य-** मणिपुर, कथकली, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुडी, ओडिसी आदि विभिन्न शास्त्रीय नृत्य शैली हैं। कलाक्षेत्र, केरल कला मण्डलम, सिद्धेन्द्र कला क्षेत्र, भारतीय कला केन्द्र, कथक कला केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी आदि संस्थान नृत्य नाटिकाएँ प्रस्तुत करते हैं। छाया जैसे लोक नृत्य भी मुख्यधारा से जोड़े गये तथा कोरियोग्राफी (नृत्य निर्देशन) में प्रयुक्त किये गये।

   भारत के प्रमुख कोरियोग्राफर (नृत्य-निर्देशक) उदयशंकर ने 1920 के दशक में इग्लैण्ड में

दो नृत्य नाटिकाएँ प्रस्तुत कीं। सन् 1932-60 के दौरान उन्होंने नियमित रूप से अमेरिका में प्रदर्शन किये। सन् 1938 ई0 में उन्होंने अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) में 'उदयशंकर इण्डिया कल्चर हण्टर' की स्थापना की, जहाँ उन्होंने प्राच्य शैली के नर्तकों की पीढ़ी को प्रशिक्षित किया।

सन् 1920 के दशक में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी दक्षिणी-पूर्वी एशिया की नृत्य-परम्पराओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने शान्ति निकेतन में नृत्य को पाठ्यक्रम में शामिल किया। रविन्द्र नृत्य या 'टैगोर स्कूल ऑफ डान्स' पर्याप्त प्रसिद्ध हो गया।

सन् 1980 ई0 के दशक में प्रमुख शास्त्रीय नृत्यांगनाएँ– मृणालिनी साराभाई एवं उनकी पुत्री मल्लिका, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, चन्द्रलेखा, कुमुदिनी लाखिया आदि लोकप्रिय हुईं।

4. आधुनिक भारतीय साहित्य के प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं–

(i) लेखकों ने अतीत का महिमामण्डन किया। उन्होंने पुरानी परम्पराओं तथा प्रचलित रीतियों की आलोचना भी की।

(ii) भारतीय लेखकों ने कविता में 'सोनेट', 'ओड' तथा 'ब्लैंक वर्स' (मुक्तक छन्द) तथा वर्णनात्मक गद्य, उपन्यास जैसे यूरोपीय साहित्यिक स्वरूपों को अपनी साहित्यिक परम्पराओं के साथ-साथ अपनाया।

(iii) साहित्य का विषय देशी या स्थानीय था।

(iv) भारतीय लेखकों ने प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य लिखे।

(v) भारतीय साहित्य का स्वरूप राष्ट्रवादी था। इसमें राष्ट्रीय मुक्ति पर बल दिया गया।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. भारत में आधुनिक कला के विकास में अनेक ऐसे कारक थे, जिन्होंने भारतीय आधुनिक कला को प्रभावित किया।

पहले भारतीय कला नवाबों तथा राजाओं के संरक्षण में थी। अंग्रेजों के आगमन तथा औपनिवेशिक नियन्त्रण से इसमें परिवर्तन हुए। 1780 के दशक में कई अंग्रेज चित्रकार जैसे– जेम्स फोर्ब्स, जॉन ग्राण्ट्स, जेम्स वेली, फ्रेजर, चार्ल्स डि-ओयली भारत आए, जो अपने साथ तैल-चित्रकला, नक्काशी, पत्थर की छपाई आदि अनेक तकनीक लाए। प्रारम्भिक तथा मध्य उन्नीसवीं शताब्दी तक प्राच्य विषयों पर पाश्चात्य शैली के तैल-चित्रों का प्रचलन था। लगभग उसी समय 'इतिहास चित्रकला' का भी विकास हुआ। ब्रिटिश चित्रकारों ने अपने चित्रों में साम्राज्यवादी शक्ति का महिमामण्डन किया।

अठारहवीं शताब्दी के अंत में मुर्शिदाबाद, अवध, हैदराबाद, अर्काट, तंजौर आदि के प्रान्तीय दरबारों में सूक्ष्म चित्रों तथा माया तैल चित्रकला का अधिक प्रचलन था। राजनीतिक शक्ति (सत्ता) में परिवर्तन का कला के संरक्षण पर प्रभाव पड़ा। परिणामतः सूक्ष्म चित्रकारों का स्थान क्रमशः ब्रिटिश सूक्ष्म चित्रकारों ने ले लिया।

एक नयी चित्रकला शैली 'कम्पनी चित्रकला' का उद्भव हुआ। यह शैली औपनिवेशिक स्वामियों की माँग अनुसार विकसित हुई, जिसमें पृष्ठभूमि के दृश्य, अंग्रेजों की जीवन-शैली आदि के ज्यों-के-त्यों चित्र बनाये जाते थे।

लोकप्रिय चित्रों का उत्पादन मन्दिरों, तीर्थस्थलों तथा औपनिवेशिक नगरों के निकट विकसित हुआ। इसे 'बाजार कला' नाम दिया गया। इस शैली का सर्वोत्तम विकास कलकत्ता के कालीघाट चित्रों में देखा जा सकता है।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में, चित्रों की छपाई तथा यान्त्रिक रूप से प्रतिमूर्ति बनाने का कार्य प्रारम्भ हुआ। इनके विषय पंचांगों से लेकर धर्म-ग्रन्थों तक तथा रोमाण्टिक से लेकर साहसिक गल्प (कथा साहित्य) तक होते थे।

सन् 1880 के दशक तक उपर्युक्त शैलियों का तेजी से लोप हो गया तथा छपाई की नयी तकनीकें; जैसे– पत्थर की छपाई, तैलीय चित्रकला, छायाकरण शारीरिक चित्रकला आदि विकसित हुई।

2. सोलहवीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों का आगमन हुआ। भारत में यूरोपीय स्थापत्य युग प्रारम्भ हुआ। अरब सागर में 1516 ई0 में चोल (महाराष्ट्र) तथा 1536 ई0 में दीव (गुजरात) में अरबसागरीय दुर्ग पुर्तगाली उपनिवेशों के सैन्य दुर्गों के ज्वलन्त उदाहरण हैं। पुराने गोवा के गिरजाघर भारत में गिरजाघर सम्बन्धी बरोक शैली के सर्वोत्तम नमूने हैं। 'सी' कैथेड्रल (1562-1651 ई0) दक्षिण एशिया का विशालतम कैथेड्रल है। निकट ही बैसिलिका ऑफ बोम जीसस (1605 ई0) समान रूप से भव्य है। यह गिरजाघर क्रूसीफार्म प्लान को प्रस्तुत करता है। तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित ट्रंगमबाडी में डेनबोर्ग डेनिश सैन्य स्थापत्य (1620 ई0) का उत्तम उदाहरण है।

ब्रिटिश बस्तियों का स्वरूप भी सैन्य प्रकार का था, जैसा कलकत्ता के फोर्ट विलियम (1757 ई0) तथा मद्रास के फोर्ट सेण्ट जॉर्ज (1783 ई0) में सितारा-आकार के बहुभुजीय विस्तार से इस स्वरूप का पता चलता है। इंग्लिश चर्च स्थापत्य को नव-शास्त्रीय कहा जा सकता है, जिसका उदाहरण मुम्बई में सेण्ट थॉमस का कैथेड्रल चर्च है। नव-गॉथिक स्थापत्य उन्नीसवीं शताब्दी में लोकप्रिय हुआ। कलकत्ता का सेण्ट पॉल कैथेड्रेल (1839-80 ई0) तथा इलाहाबाद (उ0प्र0) का ऑल सेण्ट्स कैथेड्रल इस स्थापत्य के उदाहरण हैं।

ब्रिटिश नागरिक स्मारकों में भी इन्हीं शैलियों का मिश्रण पाया जाता है। कलकत्ता का राजभवन (1799-1802 ई0) नव-शास्त्रीय शैली की विशाल कृति है। अन्य नव-शास्त्रीय परियोजनाओं में– चेन्नई का राजीरोजी हॉल (1802 ई0), मुम्बई का टाउन हॉल (1833 ई0) तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय का सीनेट हॉल (1864 ई0) सम्मिलित हैं। अनेक देशी राजाओं के आवासों में भी ऐसे ही तत्त्व पाये जाते हैं। मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) में आईना महल (1829-37 ई0) तथा हैदराबाद का फलकनामा महल (1872 ई0) प्रमुख उदाहरण हैं।

नव गॉथिक शैली ब्रिटिश नागरिक स्मारकों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुई। बम्बई विश्वविद्यालय का राजा बाई टावर तथा कन्वोकेशन हॉल (1869-74 ई0), हाईकोर्ट (1869 ई0), विक्टोरिया टर्मिनस (1888 ई0) तथा रेलवे कार्यालय (1894 ई0) इसी शैली में निर्मित है। नव-गॉथिक इमारतें वाराणसी में क्वीन्स कॉलेज (1847 ई0) तथा कलकत्ता के हाईकोर्ट (1864-72 ई0) में भी पायी जाती है।

इस युग की इमारतों में एक नया परिवर्तन इण्डो-सारासेनिक शैली के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जिसे नव-गॉथिक शैली के तत्वों का कल्पनापूर्ण मिश्रण मुगल स्थापत्य के शिखरयुक्त मेहराबों, छतरी तथा बल्बनुमा गुम्बदों के साथ किया गया है। इण्डो-सारासेनिक शैली के स्मारकों में तिरुवन्तपुरम (केरल) का आर्ट म्यूजियम (1872), चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय का सीनेट हाउस (1874-79), बड़ोदरा में लक्ष्मी विलास महल (1881), जयपुर में सेण्ट्रल म्यूजियम (1875-85), इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सीनेट हाउस (1883) तथा लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज (1912) सम्मिलित हैं।

मुम्बई में स्थित प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियस (1908-15 ई0) तथा जनरल पोस्ट ऑफिस (1909-14 ई0), हैदराबाद के हाईकार्ट (1916) तथा उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल (1919) में इस्लामी शैली पुनर्जीवित हुई हैं, जबकि नयी दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मन्दिर (1938) में हिन्दू शैली पुनर्जीवित हुई।

दिल्ली के राजपथ पर स्थित राष्ट्रवादी भवन (1912-29) तथा इसके निकट ही गोलाकार संसद भवन (एडविन लुट्येन्स कृत) नव-शास्त्रीय शैली की स्थापत्य कला के स्मारक हैं। कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल (1921) नव-शास्त्रीय शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका डिजाइन विलियम इमर्सन द्वारा तैयार किया गया था। डेको कला शैली में निर्मित जोधपुर (राजस्थान) का उम्मेद भवन (1929-44) हेनरी वाघन लैन्चेस्टर द्वारा डिजाइन किया गया।

3. 19वीं शताब्दी में पाश्चात्य संस्कृति के सम्पर्क के कारण भारत में नव-साहित्य का सृजन हुआ। कुछ शिक्षित भारतीयों ने प्राचीन भारत के शानदार अतीत को खोजना प्रारम्भ किया, जिसने उनका आत्मविश्वास वापस लौटाया। समाज-सुधारकों ने प्रादेशिक भाषाओं में प्रवचन प्रारम्भ किये।

उन्नीसवीं तथा प्रारम्भिक बीसवीं शताब्दी में भारतीय साहित्य की शैली तथा विषय में अनेक परिवर्तन हुए। प्रारम्भिक रचनाएँ मुख्यतः छन्दों (पद्य) में लिखी गयी थीं, किन्तु अब विद्वान् गद्य में लिखने तथा नाटक, लघु कथाएँ, उपन्यास, कविताएँ आदि साहित्य के नये रूप महाकाव्यों तथा अन्य बृहत् ग्रन्थों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हो गये। इस समय के लेखकों ने समकालीन मानवतावादी पहलुओं पर लिखा, जबकि इसके पूर्व की रचनाएँ धर्म, पुराण तथा शासकों के जीवन पर आधारित होती थीं।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

8. भारतीय राष्ट्रवाद का उदय

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) बहावियों को 2. (ब) कूका आन्दोलन 3. (स) सुरेंद्रनाथ बनर्जी 4. (द) लॉर्ड कर्जन

ख. सही मिलान कीजिए–

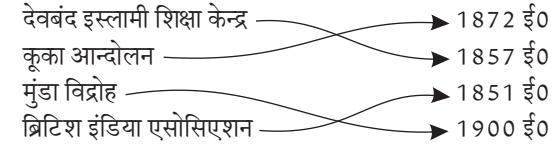

ग. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

1. इस्लाम की धार्मिक शिक्षा के लिए देवबंद (उत्तर प्रदेश) में 1857 ई0 में दारूल-उलूम की स्थापना हुई।
2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ई0 में बंबई में हुई।
3. कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित हुए कुछ प्रमुख भारतीय नेता थे- दादा भाई नौरोजी, का शीनाथ त्रिबंक तेलंगु, फिरोजशाह मेहता, एस0 सुब्रहमण्या अय्यर, पी0 आनंद चार्लू, दिनशाएदल जी वाचा, गोपाल गणेश आगरकर, एम0 वीर राघव वारियर, एन0जी0 चंदावरकर, रहमतुल्ला, एम0 सयानी और उमेशचंद्र बनर्जी।

4. कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 मे कलकत्ता (कोलकाता) मे हुआ।
5. लाल-पाल-बाल क्रमशः लाला लाजपतराय, विपिनचंद्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक थे।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. सन् 1857 के बाद कई किसान विद्रोह भी हुए। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले आदिवासियों ने भी विद्रोह किए। बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों ने 1890 ई0 के दशक में विद्रोह किया। 1900 ई0 में इस विद्रोह को कुचल दिया गया। बिरसा मुंडा को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई।
   महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 ई0 में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। मगर यह विद्रोह अधिक दिनों तक नहीं चला। फड़के को पकड़ लिया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। ऐसे और भी अनेक सशस्त्र विद्रोह हुए। परंतु स्थानीय विद्रोह होने के कारण ये ब्रिटिश शासन के लिए खतरनाक साबित न हो सके।
2. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता (कोलकाता) में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए थे, परन्तु बिना किसी ठोस कारण के उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने दिसंबर 1883 में कलकत्ता (कोलकाता) में आयोजित एक अखिल भारतीय सम्मेलन में देश के सभी भागों के लोगों को एकत्र किया। 25 दिसंबर, 1885 को इसका दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता (कोलकाता) में हुआ। यह भारतीय राजनीतिव संगठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इस राष्ट्रीय सम्मेलन के कारण ही सुरेन्द्रनाथ बनर्जी भारतीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल न हो सके।
3. इसके प्रथम अध्यक्ष उमेशचंद्र बनर्जी थे। उनके द्वारा घोषित कांग्रेस के उद्देश्य थे– देश के विभिन्न भागों के नेताओं को एकजुट करना, जाति, धर्म तथा क्षेत्र से संबंधित सभी संभव विद्वेषों को खत्म करना, देश के सम्मुख उपस्थित प्रमुख समस्याओं पर विचार-विमर्श करना और निर्णय करना कि भारतीय नेताओं को कौन-से कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस के पास हुए नौ प्रस्तावों में ब्रिटिश नीति में परिवर्तन करने और प्रशासन में सुधार करने की माँग की गई।
4. कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौराजी थे। वे तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी चुने गए और वहाँ उन्होंने भारत के हितों की आवाज उठाई। उन्हें भारतीय राजनीति के 'पितामह' के नाम से जाना जाता है।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. 1857 ई0 के बाद भी बहावियों की विद्रोही गतिविधियाँ जारी रहीं। बहावियों को अंततः 1870 ई0 के दशक में कुचलने के लिए अंग्रेजों को हजारों सैनिकों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस्लाम की धार्मिक शिक्षा के लिए देवबंद (उत्तर प्रदेश) में 1857 ई0 में एक विद्या केंद्र (दारूल-उलूम) की स्थापना हुई। यह केंद्र इस्लामी शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह की भावना जगाता रहा।
   इन्हीं दिनों पंजाब के सिखों ने गुरु रामसिंह के नेतृत्व में एक नया आंदोलन चलाया, जो कूका आन्दोलन के नाम से प्रसिद्ध है।
   कूकाओं ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। 1872 ई0 में इस विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया गया। कई कूका विद्रोहियों को फाँसी दी गई।
   सन् 1857 के बाद कई किसान विद्रोह भी हुए। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले आदिवासियों ने भी विद्रोह किए। बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा

आदिवासियों ने 1890 ई0 के दशक में विद्रोह किया। 1900 ई0 में इस विद्रोह को कुचल दिया गया। बिरसा मुंडा को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई।

महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 ई0 में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। मगर यह विद्रोह अधिक दिनों तक नहीं चला। फड़के को पकड़ लिया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। ऐसे और भी अनेक सशस्त्र विद्रोह हुए। परंतु स्थानीय विद्रोह होने के कारण ये ब्रिटिश शासन के लिए खतरनाक साबित न हो सके।

2. **राजनीतिक सभाओं का उत्कर्ष-** उन्नीसवीं सदी के मध्य अनेक भारतीय राजनीतिक सभाओं की स्थापना होने लगी थी। इनकी स्थापना कलकत्ता (कोलकाता), बंबई (मुंबई) तथा मद्रास (चेन्नई) जैसे प्रांतीय नगरों में हुई। 1851 ई0 में कलकत्ता (कोलकाता) में ''ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन' की स्थापना हुई। इसने अन्य बातों के अलावा देश के प्रशासन में भारतीयों को भागीदार बनने की माँग उठाई। भारतीय जनता के कल्याणार्थ भारत तथा ब्रिटेन के ब्रिटिश अधिकारियों के पास अभिवेदनों को भेजने के लिए 1852 ई0 में 'बंबई एसोसिएशन' की स्थापना हुई। ऐसे ही उद्देश्य के लिए 1852 ई0 में 'मद्रास नेटिव एसोसिएशन' की स्थापना हुई। इसके तहत इस बात की भी माँग उठाई गई कि भारतीयों को प्रशासन में उच्च पद मिलने चाहिए। इन सभी एसोसिएशन्स' के सदस्य भारतीय समाज के उच्च वर्गों के थे। ये सभी संगठन अपने उद्देश्यों को मनवाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों के पास याचनाएँ भेजते थे।

   बाद में कुछ ऐसे संगठन स्थापित हुए, जो उपर्युक्त सभाओं की अपेक्षा जनता का अधिक प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसे कुछ संगठन थे– 1870 ई0 में स्थापित पुणे सार्वजनिक सभा, 1876 ई0 में स्थापित इंडिया एसोसिएशन, 1884 ई0 में स्थापित मद्रास महाजन सभा और 1885 ई0 में स्थापित बॉम्बे एसोसिएशन। ये संगठन सरकार की आलोचना करने से पहले के संगठनों की अपेक्षा अधिक कठोर थे और भारतीयों के प्रति सरकार द्वारा अपनाई गई भेदभाव और दमन की नीतियों के खिलाफ सभाएँ आयोजित करने में हिचकिचाते थे। परंतु इन संगठनों की गतिविधियाँ भी अपने-अपने क्षेत्रों तक ही सीमित थीं।

   ब्रिटिश सरकार ने इन संगठनों की गतिविधियों को दबाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए, जिनसे असंतोष की भावना और अधिक फैली। 1878 ई0 में 'शस्त्र कानून' के अंतर्गत भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसी वर्ष भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों पर कड़े प्रतिबन्ध लगाए गए। 1883 ई0 में सरकार ने इलबर्ट विधेयक वापस ले लिया। अब भारत की जनता यह अनुभव कर चुकी थी कि एक सशक्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता थी, जो अखिल भारतीय संगठन के रूप में नेतृत्व कर सके।

   सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता (कोलकाता) में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए थे, परन्तु बिना किसी ठोस कारण के उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने दिसंबर 1883 में कलकत्ता (कोलकाता) में आयोजित एक अखिल भारतीय सम्मेलन में देश के सभी भागों के लोगों को एकत्र किया। 25 दिसंबर, 1885 को इसका दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता (कोलकाता) में हुआ। यह भारतीय राजनीतिक संगठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इस राष्ट्रीय सम्मेलन के कारण ही सुरेन्द्रनाथ बनर्जी भारतीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल न हो सके।

3. **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभिक दौर-** कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता (कोलकाता) में हुआ। इसमें करीब 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सुरेंद्रनाथ

बनर्जी और इंडियन एसोसिएशन के अन्य नेता इस बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौराजी थे। वे तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी चुने गए और वहाँ उन्होंने भारत के हितों की आवाज उठाई। उन्हें भारतीय राजनीति के 'पितामह' के नाम से जाना जाता है।

1887 ई0 में मद्रास (चेन्नई) में आयोजित कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बदरुद्दीन ने कहा था– ''यह कांग्रेस भारत के किसी एक समुदाय या किसी एक बिरादरी या भारत के एक भाग के प्रतिनिधियों की नहीं है, बल्कि भारत के विभिन्न समुदायों की है।'' कांग्रेस के आरंभिक दौर में कुछ अंग्रेज भी इसके नेता रहे।

1888 ई0 में इलाहाबाद में आयोजित अधिवेशन में करीब 1,300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जार्ज यूले नामक अंग्रेज इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे।

1885 से 1905 तक कांग्रेस का सफर मुख्यतः नरम दलों का रहा। इस काल में कांग्रेस ने धीरे-धीरे सुधार लागू करने और सरकार तथा प्रशासन में भारतीयों को अधिकाधिक स्थान देने की माँग उठाई। इसने विधानसभाओं को ज्यादा अधिकार देने और इन सभाओं के सदस्यों को निर्वाचित करके विधान सभाओं की प्रतिनिधि संस्थाएँ बनाने की माँग उठाई। कांग्रेस ने यह भी माँग उठाई कि जिन प्रांतों में विधान सभाएँ नहीं हैं वहाँ उनकी स्थापना की जाए। इसने माँग की कि भारतीयों को उच्च सरकारी पदों पर भर्ती किया जाए और सिविल सर्विस की परीक्षाएँ भारत में ही हों। इसने यह माँग भी उठाई कि भू-राजस्व में कमी की जाए और भारतीय उद्योगों के विकास के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया जाए। इसने प्रशासन तथा सेना पर होने वाले भारी खर्च तथा भारतीय धन को विदेश ले जाने का विरोध किया। अन्य प्रमुख माँगें थी– भाषण तथा बोलने की आजादी, लोक कल्याण की योजनाओं का विस्तार और शिक्षा का प्रसार।

इस दौर में कांग्रेस नेता भारतीय समाज के उच्च वर्गों के थे। वे अंग्रेजी शिक्षित थे और वे सोचते थे कि उनकी जायज माँगें सरकार स्वीकार कर लेगी। उन्होंने प्रस्ताव पास किए और प्रतिवेदन तैयार करके विचारार्थ सरकार के पास भेजे। परंतु ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की माँगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। आरंभ में ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेस के प्रति कुछ सहानुभूति दर्शाई थी और कुछ ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग भी लेते थे। मगर जल्दी ही उन्होंने विरोधी रवैया अपनाया। जैसे-जैसे कांग्रेस का प्रभाव बढ़ता गया, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता को धर्म के आधार पर बाँटना शुरू किया। उन्होंने अफवाह फैलाई कि हिंदू और मुसलमानों के हित अलग-अलग हैं। वे कुछ उच्चवर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस की गतिविधियों में भाग लेने से रोकने लगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की माँगों को स्वीकार करने से उनके हितों का नुकसान होगा। अतः इस दौरान ब्रिटिश शासन ने 'फूट डालो राज करो' की नीति अपनाई।

4. **कांग्रेस में नई प्रवृत्तियों का उदय-** उन्नीसवीं सदी के अंत में सरकार ने अपनी दमनकारी नीतियों में बढ़ावा कर दिया। लार्ड कर्जन, जो 1898 ई0 में गवर्नर जनरल बना, ने खुली घोषणा की कि भारतीय लोग महत्वपूर्ण पदों को सँभालने के लिए योग्य नहीं है। उसने पुरानी 'फूट डालो और शासन करो' की नीति अपनाई। इस दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम था– बंगाल का विभाजन।

उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशक में राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्तियों को उभारने वाले नेता थे– बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिनचंद्र पाल। इन्हें गरम दल के नेताओं के

रूप में जाना जाता है। ये जनता में लाल-पाल-बाल के रूप में प्रसिद्ध थे। इन नए नेताओं ने कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रशासन में सुधारों की माँग करना पर्याप्त नहीं है। भारतीय जनता का उद्देश्य होना चाहिए- स्वराज प्राप्त करना। तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया– ''स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा।'' जनता में इन नेताओं के विचार अधिक लोकप्रिय होते गए। उन्होंने जनता में देश भक्ति की भावना को जगाया। तिलक का 'केसरी पत्र' (एक समाचार पत्र) राष्ट्रवादियों के इस समूह का प्रवक्ता बना। इन नेताओं ने जनता को राजनीतिक दृष्टि से जाग्रत करने के लिए लोकप्रिय उत्सवों का भी उपयोग किया। उन्होंने हड़तालों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे राजनीतिक आंदोलनों का सूत्रपात किया।

1905 में राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में एक नई विचारधारा की शुरूआत हुई। अब कांग्रेस का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना था।

रचनात्मक कार्य

स्वंय करो

9. स्वतंत्रता के बाद भारत

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (स)15 अगस्त, 1947 2. (द) 600 3. (अ) महाराजा हरिसिंह 4. (द) ये सभी

ख. सही कथन पर (3) का तथा गलत कथन पर (7) का चिह्न लगाइए–

1. (7) 2. (3) 3. (3) 4. (7) 5. (3)

ग. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

1. देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार बल्ल्नभभाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2. जम्मू-कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़ इन तीन देशी रियासतों ने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया।
3. गोवा, दमन-दीव व दादरा-नागर हवेली पर पुर्तगालियों का तथा पांडिचेरी व माहे, करैकल, यमन व चंडनगर पर फ्रांसिसियों का कब्जा था।
4. हमारे देश में 22 राष्ट्रीय भाषाएँ हैं।
5. 1955 ई0 में इंडोनेशिया में बांडुंग सम्मेलन हुआ।
6. केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग (NITI- National Institute for Transforming India) में बदल दिया। अब आयोग का कार्य केवल नीति निर्माण करना है।
7. वे समस्त देश, जिनकी सीमाएँ भारत से मिलती हैं, भारत के पड़ोसी देश है.
8. भारत के चार पड़ोसी देश हैं- चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश व भूटान।
9. 1971 ई0 में पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में उद्भव हुआ।
10. शिमला समझौता 28जून, 1970 को हुआ।
11. म्यांमार को सूदूर पूर्व का चावल का कटोरा, कहा जाता है।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. **फ्रेंच और पुर्तगाली प्रदेशों की मुक्ति**- अंग्रेज 15 अगस्त, 1947 ई0 को भारत छोड़

गए थे लेकिन अभी भी गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली में पुर्तगाली बसे हुए थे, जो भारतीय संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें इसे छोड़ने के लिए मनाने के सभी प्रयास विफल हुए। बाद में भारत ने गोवा और अन्य क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब ये क्षेत्र भारत के अभिन्न अंग हैं। कुछ ही वर्षों उपरान्त फ्रेंच कब्जे वाले पांडिचेरी और माहे क्षेत्र भी भारतीय संघ में आ गए।

दक्षिण भारत में फ्रेंच कब्जे वाले क्षेत्र पांडिचेरी, करैकल, माहे और यमन और कलकत्ता के निकट चंद्रनगर थे। पांडिचेरी उनकी सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बस्ती थी। 1954 ई0 में फ्रेंच पांडिचेरी और अन्य स्थानों से चले गए।

2. **पंचशील-** सिद्धान्त हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति से संबंधित उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए पंचशील सिद्धांतों की संरचना की। 24 अप्रैल, 1954 ई0 को भारत-चीन समझौते के अवसर पर इन्हें व्यक्त किया गया।

भारत निम्नलिखित 'पंचशील' अथवा पाँच सिद्धांतों का प्रयोग अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना हेतु करता है–

(i) आपसी अनाक्रमण संधि का पालन।

(ii) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।

(iii) एक-दूसरे की आंतरिक समस्याओं में किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप न करना।

(iv) समानता एवं आपसी हित लाभ।

(v) एक-दूसरे की भू-भागीय अखंडता एवं प्रभुत्वता का परस्पर सम्मान करना।

3. **भारत एवं चीन-** शताब्दियों तक भारत एवं चीन मैत्रीपूर्ण शर्तों के साथ जुड़े रहे तथा उनमें महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक संबंध थे। 1949 ई0 में चीन में साम्यवादी सरकार बनी। भारत ने साम्यवादी चीन के साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई तथा संयुक्त राष्ट्र में उसके हितों का समर्थन किया। पंचशील सहमति पर 1954 ई0 में हस्ताक्षर के साथ ही चीन की नई सरकार ने भारत-चीन मैत्री को मजबूती प्रदान की। लेकिन बाद में चीन ने भारत के प्रति अमैत्रीपूर्ण एवं शत्रुवत् रवैया अपनाया। चीन ने हमारे भू-भाग पर अपना अधिकार जताना प्रारम्भ कर दिया। चीन ने बड़ी धूर्तता के साथ भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के भागों में अधिकार करने का प्रयास किया। 20 अक्टूबर, 1962 ई0 को चीनी सेना ने उत्तर-पूर्व प्रदेश पर आक्रमण कर दिया तथा हमारे राज्य क्षेत्र के एक भाग पर अधिकार कर लिया।

युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो गया। लेकिन चीन के साथ पुराने संबंध आज तक पुनः वापस नहीं हो सके। चीन ने सामान्यतः भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया। यद्यपि वह युद्ध में सक्रिय भागीदार नहीं बना। विदेशी मामलों के संबंध में उसने सामान्यतः भिन्न दृष्टिकोण रखा। दोनों के बीच राजदूत स्तर पर कूटनीतिज्ञ संबंध अब पुनः स्थापित हो गए हैं।

4. **भारत एवं म्यांमार-** 4 जनवरी, 1948 ई0 को म्यांमार एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इस देश को 'सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा' के नाम से लोकप्रियता प्राप्त है। दोनों देशों के बीच संबंध परस्पर विश्वास एवं सहयोग पर आधारित हैं।

भारत ने म्यांमार की स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् उसके संविधान-निर्माण में सहायता की। 1951 ई0 में दोनों देशों ने अपने मध्य द्विपक्षीय संबंधों के क्षेत्र में विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया। 1970 ई0 में म्यांमार के निर्यात का एक-चौथाई भाग भारत की ओर मुड़ गया।

1993 ई0 में औषधियों एवं मादक पदार्थों की आवाजाही एवं आतंकी गतिविधियों की विभीषिका से बचाव हेतु एक औपचारिक संधि पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। 1999 ई0 में दोनों देशों ने विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में, मई, 2001 ई0 में ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने आधारभूत विनिर्माण सुविधाओं एवं मानव संसाधन विभाग के मामले में म्यांमार की अत्यधिक सहायता की है।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. **देशी राज्यों का एकीकरण**- स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व देश का राज्य क्षेत्र दो भागों ब्रिटिश भारतीय प्रांत एवं देशी रियासतों में विभाजित था ये देशी रियासतें संपूर्ण भारत में फैली हुई थीं, जिनमें ब्रिटिश सत्ता के अधीन भारत के देशी शासक शासन करते थे। इन राज्यों में वंशानुगत शासन-प्रणाली थी। उनकी जागीरों का न तो समान आकार था तथा न ही वे समान स्तर की थीं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ई0 के अंतर्गत लगभग 600 देशी रियासतों को भारत एवं पाकिस्तान में से कोई से एक में सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। स्वाभाविक रूप से अधिकांश रियासतें स्वेच्छापूर्वक भारत में सम्मिलित हो गईं।

   केंद्र सरकार में रियासती मंत्रालय का प्रभार लौह पुरुष सरदार पटेल को मिला। वे एक यथार्थवादी नेता थे तथा उन्होंने संगठित भारत के गौरवशाली स्वरूप का स्वप्न संजोया था। स्वतंत्रता से पूर्व अपने द्वारा अपनाए मार्ग से वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने देशी रजवाड़ों को स्वतंत्र भारत का एक संगठित एवं अभिन्न अंग बना दिया।

   जुलाई, 1947 ई0 में राज्य मंत्री के रूप में सरदार वल्लभभाई पटेल ने देशी रियासतों के भारत के साथ एकीकरण की अति आवश्यक तथा सार्थक आवश्यकता का अनुभव किया। उनमें से कुछ राज्यों ने अपने विशेषाधिकार का लाभ उठाते हुए अपने लिए स्वतंत्रता के संकल्प की घोषणा कर दी, केवल तीन देशी रियासतों-जूनागढ़, हैदराबाद तथा कश्मीर ने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया। जूनागढ़ पश्चिमी भारत में काठियावाड़ के समुद्री तट पर एक छोटा-सा राज्य था। इसमें 85 प्रतिशत जनसंख्या हिंदू थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका शासक मुस्लिम था; अतः उसकी व्यक्तिगत इच्छा पाकिस्तान में विलय की थी, जबकि वहाँ की समस्त हिन्दू जनता भारत के साथ सम्मिलित होना चाहती थी। बाद में नवाब पाकिस्तान भाग गया तथा भारतीय सेनाओं ने वहाँ प्रवेश कर प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। जम्मू एवं कश्मीर में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। यहाँ की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम थी, लेकिन महाराजा हिंदू थे। पाकिस्तान को भय था कि कहीं ऐसा न हो कि महाराजा हरिसिंह भारत संघ के साथ सम्मिलित न हो जाए। पाकिस्तान सरकार ने उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत के कबीलाई व्यक्तियों को कश्मीर पर आक्रमण करने हेतु प्रोत्साहित किया। अक्टूबर 1947 ई0 में जब ये लोग कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 18 किमी तक घुस आए, तो महाराज ने भारत को सत्ता स्थानांतरित करके केंद्रीय सैन्य सहायता माँगी। भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर में सेना भेज दी तथा 1948 ई0 के अंत तक ये घुसपैठिए कश्मीर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र से बाहर खदेड दिए गए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ से कश्मीर छोड़ने के लिए पाकिस्तान को विवश करने हेतु सहायता की माँग की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के फलस्वरूप जनवरी, 1949 ई0 में युद्ध विराम हो गया, लेकिन युद्ध विराम के पश्चात् कश्मीर का पश्चिमी भाग पाकिस्तान के नियंत्रण में ही बना रहा। जम्मू एवं कश्मीर की संयुक्त विधानसभा ने प्रजातांत्रिक रूप से राज्य की सत्ता भारत को सौंपने की विधिसम्मत घोषणा कर

दी। इसी दौरान पाकिस्तान राज्य के निवासियों द्वारा जनमत-संग्रह के आधार पर निर्णय के लिए निरंतर माँग करता रहा अर्थात् यहाँ के निवासी भारत एवं पाकिस्तान जिस किसी एक देश में रहना चाहें, जनमत-संग्रह से तय किया जाए। यह जनमत-संग्रह की अवधारणा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ई0 के पूर्णतया विपरीत थी। इसके अनुसार वहाँ के महाराजा को अपने राज्य की सत्ता के हस्तांतरण का पूर्ण अधिकार था। महाराजा ने इसका भारत में विलय का निर्णय लिया, जिसको विधानसभा में स्वीकृति मिली।

हैदराबाद सर्वाधिक समृद्ध देशी रजवाड़ों में से एक था। इसमें एक समृद्ध मुस्लिम निजाम का शासन था, लेकिन इसकी अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी। कासिम रिजवी ने एक 'मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन' का गठन किया जिसे रजाकार कहा गया। इस संगठन ने अपने निर्णय से असहमत असंख्य व्यक्तियों को अमानवीय प्रताड़नाएँ दीं। अतः 1947 ई0 में हैदराबाद में आंतरिक विद्रोह ने जन्म ले लिया। वहाँ की आंतरिक स्थिति ऐसी हो गई कि राज्य के विलय के विषय में निर्णय लेना आवश्यक हो गया। सरदार पटेल ने ठीक ही कहा था, ''हैदराबाद भारत के पेट में फोड़े के समान है।'' भारत सरकार ने तुरंत ही रजाकारों को शीघ्र ही अलग कर देने के लिए कहा, लेकिन निजाम अपनी हठ पर अड़ा रहा। अतः 30 सितंबर, 1948 ई0 को भारतीय सेनाएँ हैदराबाद रियासत में प्रवेश कर गईं।

भारत सरकार को विवशतावश निजाम के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी, क्योंकि चारों ओर कानून एवं व्यवस्था में निरंतर गिरावट हो रही थी तथा कासिम रिजवी अहंकार में दिल्ली के लालकिले पर ध्वजारोहण की बातें करता था। किन्तु शीघ्र ही निजाम ने पाया कि अब युद्ध संबंधी तैयारियों का कोई औचित्य नहीं था। अतः रजाकार तथा उनके नेता रिजवी वहाँ से भाग खड़े हुए। उसने महसूस किया कि अब उसके पास समर्पण के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं है, अतः चार दिनों की सैनिक कार्यवाही के पश्चात् ही हैदराबाद की सेना ने समर्पण कर दिया तथा निजाम शीघ्र ही भारत संघ में अपने राज्य के विलय के लिए सहमत हो गया।

हैदराबाद को प्रत्येक दशा में भारत में विलय किया जाना अति आवश्यक था तथा पटेल ने चार दिन की सैनिक कार्यवाही के बल पर इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जिसका संपूर्ण राज्य की जनता ने गर्मजोशी से स्वागत किया। निजाम को राज्य का राज प्रमुख नियुक्त कर दिया गया।

2. **राज्यों का पुनर्गठन**- ब्रिटिश शासन के समय भारत के लगभग दो-तिहाई भाग पर ब्रिटिश शाही सरकार का प्रत्यक्ष शासन था। यह क्षेत्र अनेक प्रांतों में विभाजित था।

जब संविधान को अंगीकृत किया गया, तो इसमें भारत में संघात्मक शासन-व्यवस्था को अपनाया गया यद्यपि भारतीय संविधान में कहीं भी संघशासन शब्द का प्रयोग तक नहीं किया गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, अनेक व्यक्तियों के साक्षात्कार लिए और परीक्षण किया तथा इनके आधार पर 30 सितंबर, 1955 ई0 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट के अनुसार केवल भाषा अथवा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना देश के राष्ट्रीय हित में नहीं था। देश में अखंडता की स्थापना अधिक महत्वपूर्ण थी। इसके बावजूद राज्य पुनर्गठन आयोग ने सामान्य रूप से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की संस्तुति की। मुंबई एवं पंजाब ही केवल ऐसे राज्य थे, जिनमें द्विभाषा की अनुमति दी गई।

इसके अतिरिक्त अन्य सभी राज्य भाषाई आधार पर निर्मित हुए। इसके साथ-साथ सभी

भाषाओं का विकास किया गया तथा विद्यार्थियों से सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा की गई। यह प्रस्ताव तय हुआ कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को राष्ट्र के समस्त नागरिकों के बीच विचारों के आदान-प्रदान की कड़ी के रूप में प्रयोग किया जाए, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ-हित प्रभावित होते देखकर इसमें असहमति व्यक्त की। पंडित नेहरू ने भरोसा दिलाया कि गैर-हिंदी भाषी व्यक्तियों के लिए भारत की सरकारी भाषा हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी को भी बनाया जाएगा, जब तक गैर-हिंदी भाषी व्यक्ति इसे बोलने की इच्छा करते रहेंगे। अंग्रेजी सरकारी कार्यों की भाषा बनी रहेगी। हमारे देश में 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं और हमें उन सभी भाषाओं की समृद्धि करनी चाहिए। सरकारी कामकाज के साथ-साथ विचारों के आदान-प्रदान के लिए संपर्क भाषा के रूप में आवश्यक है। अंग्रेजी भारत के विभिन्न प्रदेशों के व्यक्तियों के लिए संपर्क भाषा का कार्य करती है।

3. **विदेश नीति-** 1947 ई0 में देश के स्वतंत्र होने के पश्चात् भारत ने विश्व के अन्य देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र विदेश नीति की नींव रखी। भारतीय विदेश नीति देश के राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। किसी भी देश की विदेश नीति संबंधित राष्ट्र के इतिहास, भूगोल, अर्थ-व्यवस्था, परंपराओं, विचारधाराओं तथा देश की नेतृत्व क्षमता के साथ-साथ समकालीन विश्व परिस्थितियों से निर्धारित होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य को भी प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। भारत एक विकासशील राष्ट्र है, जिसके कारण देश को नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान एवं विकसित राष्ट्रों की कुशल तकनीकी तथा भौतिक रूप से विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। अन्य देशों की भाँति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को विकसित करने तथा इन हितों को प्रोत्साहित करने हेतु भारत ने अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त विदेश नीति का विकास किया है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, दलित राष्ट्रों के राष्ट्रीय संघर्ष में समर्थन, जातीय भेदभाव के विरोध, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एवं साम्राज्यवादी राष्ट्रों के बीच युद्ध एवं विश्व शांति स्थापना में विश्वास रखता है।

स्वतंत्र भारत के विश्व के अन्य देशों के साथ अपने मैत्री सिद्धांत हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति एवं हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से युक्त बनाने में सहायक हुए। हमारी विदेश नीति में शांति, मानव जाति की गरिमा, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना जिसका अर्थ संपूर्ण मानव जाति को एक परिवार के रूप में देखने से है, सम्मिलित हैं। हमारी विदेश नीति के पाँच आधारभूत सिद्धांत हैं–

(i) पंचशील- हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति से संबंधित उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए पंचशील सिद्धांतों की संरचना की। 24 अप्रैल, 1954 ई0 को भारत-चीन समझौते के अवसर पर इन्हें व्यक्त किया गया।

भारत निम्नलिखित 'पंचशील' अथवा पाँच सिद्धांतों का प्रयोग अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना हेतु करता है–

(a) आपसी अनाक्रमण संधि का पालन।

(b) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।

(c) एक-दूसरे की आंतरिक समस्याओं में किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप न करना।

(d) समानता एवं आपसी हित लाभ।

(e) एक-दूसरे की भू-भागीय अखंडता एवं प्रभुत्वता का परस्पर सम्मान करना।

बांडुंग सम्मेलन- जवाहरलाल नेहरू ने 1955 ई0 में इंडोनेशिया के बांडुंग नामक स्थान पर आयोजित अफ्रीका-एशिया सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में चीन के चाऊ एनलाई तथा इंडोनेशिया के सुकर्णो सहित एशिया एवं अफ्रीका के अनेक देशों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस सम्मेलन में पंचशील पर विचार-विमर्श किया गया।

(ii) निर्गुट अथवा गुट निरपेक्ष आंदोलन- 15 अगस्त, 1947 ई0 को भारत के स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय संपूर्ण विश्व दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ में विभाजित था। इन दो महाशक्तियों के बीच परस्पर अविश्वास एवं संदेह के परिणामस्वरूप शीतयुद्ध की स्थिति बनी हुई थी। इसके अतिरिक्त सैनिक समझौतों एवं मैत्री के रूप में दक्षिण-पूर्व एशियन औपचारिक संधि संगठन (सीटो) ने भी विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्तियों को विभाजित कर दिया था।

तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार भारत ने विश्व की दोनों महाशक्तियों में से किसी एक के साथ भी स्वयं को नहीं जोड़ा। भारत ने गुट-निरपेक्ष नीति का अनुसरण किया तथा दोनों महाशक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। गुट-निरपेक्षता की नीति ने देश के आर्थिक विकास में अभूतपूर्व सहायता प्रदान की है।

सितंबर, 1961 ई0 को यूगोस्लाविया में आयोजित सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में गुट-निरपेक्ष देशों का संगठन बना। निर्गुट राष्ट्रों के इस प्रथम सम्मेलन में एक यूरोपीय एवं 25 अफ्रीकी एवं एशियाई राष्ट्रों ने भागीदारी की। इसके अतिरिक्त तीन रोमन अमेरिकी राष्ट्रों ने दर्शकों एवं प्रेक्षकों के रूप में भाग लिया। नेहरू, नासिर एवं मार्शल टीटो के अधिकारिक प्रयासों की पहल बेलग्रेड सम्मेलन में हुई। इस सम्मेलन में 27-सूत्रीय घोषणा की गई, जिसमें दोनों महाशक्तियों से विश्व शांति एवं सुरक्षा की अपील की गई तथा इस सम्मेलन में इन राष्ट्रों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति पर बल दिया गया।

4. **भारत एवं पाकिस्तान-** पाकिस्तान का इस्लामी गणराज्य भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप यह देश 14 अगस्त, 1947 ई0 को अस्तित्व में आया। भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों की जनता में बहुत-सी बातें सामान्य हैं, क्योंकि पाकिस्तान विभाजन से पूर्व भारत का अंग था। ये दोनों देश सांस्कृतिक दृष्टिकोण से स्वयं को एक-दूसरे के निकट पाते थे।

लेकिन दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। देश के विभाजन के परिणामस्वरूप दोनों देशों की जनता के बीच हिंसा, घृणा एवं अत्यधिक दुर्भावना पैदा हो गई थी। इन दोनों देशों के बीच अनेक प्रकार के तनाव एवं विवाद थे, जिनमें सीमा विवाद तथा नदी जल का बँटवारा आदि थे। हमारे देश को पाकिस्तान से चार बार 1949 ई0, 1965 ई0, 1971 ई0 एवं 1999 ई0 में युद्ध करने पड़े।

पाकिस्तान पश्चिमी सैन्य संगठन में शामिल हो गया और सीटो और बगदाद समझौते का सदस्य बन गया। पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमेरिका से मदद के रूप में अत्यधिक मात्रा में अस्त्र-शस्त्र प्राप्त हुए। इसके कारण पाकिस्तान आक्रमण एवं वैमनस्यता की नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित हुआ।

5 अगस्त, 1965 ई0 को पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने अधिकार में करने के लिए एक

अन्य बड़ा प्रयास किया। संयुक्त राष्ट्र ने इसमें हस्तक्षेप किया तथा युद्ध-विराम की घोषणा कर दी गई। 10 जनवरी, 1966 ई0 को भारत एवं पाकिस्तान में एक समझौते के रूप में जाना जाता है। शांति की स्थापना तो अवश्य हो गई, लेकिन प्रेम एवं मैत्री विकसित नहीं हो सकी।

1971 ई0 का भारत-पाक युद्ध एवं बांग्लादेश का उद्भव- 1971 ई0 में पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में उद्भव हुआ। पाकिस्तान में आयोजित सामान्य निर्वाचनों एवं पाकिस्तान के सैनिक कानून द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में आतंक का राज व्याप्त हो जाने के फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में एक गृह-युद्ध हो गया। इससे भारत के सामने गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो गईं। पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी भारत आ गए। जिससे भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर अत्यधिक कुप्रभाव पड़ा। भारत ने बांग्लादेश (पहले पूर्वी पाकिस्तान) की स्वतंत्रता के लिए हरसंभव प्रयास किए। कुछ दिनों तक चले युद्ध के उपरांत पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के सामने आत्म-समर्पण कर दिया। भारत ने भी पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में किए गए अवैध अधिकृत क्षेत्र के एक भाग को वापस प्राप्त कर लिया। दोनों देशों के बीच एक समझौता 'शिमला समझौता' (28 जून, 1970 ई0) हो गया। इस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों के बीच स्थायी शांतिपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए प्रस्ताव तय किया गया था। पूर्वी पाकिस्तान में 90,000 सैनिकों ने समर्पण किया। भारत ने उन युद्धबंदियों को शीघ्र ही पाकिस्तान को लौटा दिया।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

(इकाई-2: भूगोल)

1. संसाधन व उनमें भेद

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (द) ये सभी 2. (ब) 3 3. (द) ये सभी 4. (स) (अ) व (ब) दोनों

ख. सही मिलान कीजिए–

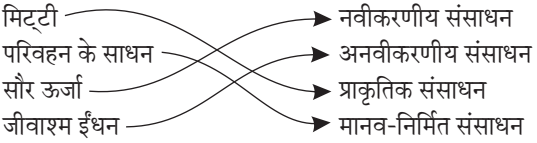

ग. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

1. मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तत्व संसाधन कहलाते है।
2. मनुष्य संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके करता है।
3. चार प्राकृतिक संसाधन हैं- वायु, जल मिट्टी व खनिज तथा चार मानव-निर्मित संसाधन है। मशीनें, उपकरण, मकान तथा परिवहन।
4. उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं- नवीकरणीय तथा अनवी करणीय।
5. तीन नवीकरणीय संसाधन हैं- फसलें, जल, वन।
   तीन अनवीकरणीय संसाधन हैं- खनिज, तेल, जीवाश्म ईंधन।

6. पर्यावरण से प्राप्त कोई भी पदार्थ या तत्व जो मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक संसाधन कहलाता है; जैसे- वायु, जल मिट्टी, खनिज, वनस्पति।
7. संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उनके नवीकरण में समय देना संसाधनों का संरक्षण कहलाता है।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. **नवीकरणीय संसाधन–** ऐसी सभी वस्तुएँ जो पुनरुत्पादन और वृद्धि करती हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाती हैं। निरन्तर प्रयोग के आधार पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा जल ऊर्जा को भी नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इन प्राकृतिक तत्त्वों को अक्षय संसाधन कहा जाता है। वनों तथा फसलों को भी इसी श्रेणी के संसाधनों में गिना जाता है। इसी प्रकार जंगली और घरेलू (पालतू) जानवर भी नवीकरणीय संसाधन हैं। परन्तु अधिक शिकार या उनके प्राकृतिक आवासों का लगातार किया जा रहा विनाश इनको नष्ट कर देगा।

   अनवीकरणीय संसाधन– अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं, जिनका उपयोग करने के पश्चात् हम उन्हें पुनः पहले की अवस्था में नहीं ला सकते। उदाहरण के लिए, खनिज और जीवाश्म ईंधन प्राप्त होने वाले संसाधन हैं; क्योंकि उनका आसानी से पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। सामान्यतः उन्हें दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। कुछ धातुओं को दोबारा प्रयोग में अवश्य लाया जा सकता है।
2. प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के वे उपहार हैं, जो उसने मनुष्यों को प्रदान किये हैं। इस प्रकार, चट्टानें (भूमि), मिट्टी, खनिज, जल, पवन, वनस्पति, जीव-जन्तु इत्यादि प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन्हें मनुष्य उपयोग में लाता है।

   इसके विपरीत, मानव निर्मित संसाधनों में यन्त्र, उपकरण, मशीनें, वाहन इत्यादि सम्मिलित हैं, जो मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाते हैं। मनुष्य इन संसाधनों का निर्माण प्राकृतिक संसाधनों के सहयोग से करता है। उदाहरणार्थ– मशीनें बनाने के लिए उसे कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जो वह लौह (खनिज) धातु से प्राप्त करता है। तत्पश्चात् वह इस्पात बनाता है और उससे विविध प्रकार की मशीनें तैयार करता है।
3. **मानव संसाधन-** मनुष्य प्रकृति के संसाधनों का तभी उपयोग कर सकते हैं, जब उनके पास उनका दोहन करने की तकनीकी क्षमता हो। अर्थात् वे उनका कुशलता से उपयोग करने में सक्षम हों। यह कुशलता उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य से ही प्राप्त हो सकती है। यदि मनुष्य अच्छी तरह से शिक्षित और पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो, तो वह मानव संसाधन की श्रेणी में आता है। अतः संसाधनों का उपयोग करने और उनका निर्माण करने में मनुष्य की कुशलता मानव संसाधन विकास कहलाता है।
4. संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उनके नवीकरण में समय देना संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनका संतुलित संरक्षण सतत पोषणीय विकास कहलाता है।

   संसाधनों की माँग बढ़ने के कारण अनेक मूल्यवान संसाधन समाप्तप्राय अथवा क्षीण हो गये हैं। अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टियाँ अनुपजाऊ हो गयी हैं। वनों की व्यापक कटाई, वन्य जन्तुओं तथा पक्षियों के आखेट के कारण अनेक क्षेत्रों में जैव-विविधता का ह्रास हो रहा है। अनेक पौधों व जीव-जन्तुओं की प्रजातियाँ लुप्त हो गयी हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। बहुत से प्राणियों व पौधों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यदि हम इनके संरक्षण के उपाय नहीं करते हैं तो वे शीघ्र ही विलुप्त हो जाएँगे। संसाधनों के अत्यधिक उपयोग व

दुरुपयोग के कारण वायु, जल तथा भूमि की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उद्योगजनित वायु-प्रदूषण ने मनुष्यों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला है। पर्यावरण प्रदूषण ने मनुष्यों और जीव-जन्तुओं के जीवन को अस्त-व्यस्त किया है। हमें अपने संसाधनों के दुरुपयोग को बन्द कर देना चाहिए। हमें अपनी पृथ्वी के जीवनदायक तन्त्र की रक्षा करनी चाहिए और उसे बनाये रखने के लिए उपयुक्त प्रयास करने चाहिए।

इन सभी कारणों से पृथ्वी ग्रह का पारितन्त्र असन्तुलित हो गया है। पृथ्वी पर समस्त प्रकार के जीवन (मानव, पेड़-पौधें, जीव-जन्तु) का अस्तित्व पारितन्त्र की सुरक्षा तथा संरक्षण से जुड़ा है। अतः सभी संसाधनों के उपयोग को सतत पोषणीय बनाने की आवश्यकता है, जिससे आवश्यक संसाधन हमें दीर्घकाल तक उपलब्ध हो सकें। यह भी आवश्यक है कि पृथ्वी पर जैविक विविधता का संरक्षण किया जाए तथा प्राकृतिक पर्यावरण-तन्त्र को न्यूनतम हानि पहुँचायी जाय।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. **संसाधन की परिभाषा-** भोजन, वस्त्र और आवास स्थान मनुष्य की आवश्यकताओं में सर्वोपरि हैं। ये सब उसे प्रकृति-प्रदत्त हैं। पर्वत, मिट्टियाँ, खनिज, नदियाँ, पेड़-पौधे ये सभी वस्तुएँ मनुष्य को प्रकृति से उपहार स्वरूप प्राप्त होती हैं। प्रकृति के इन्हीं तत्वों को संसाधन कहते हैं। वस्तुतः मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तत्व संसाधन कहलाते हैं।

   अतः कोई भी पदार्थ, वस्तु या तत्व संसाधन तब बनता है जब वह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो या उसके लिए लाभकारी हो। मनुष्य भी स्वयं एक संसाधन है और सम्भवतः सभी संसाधनों में उत्तम है; क्योंकि वह संसाधनों का उपभोग करके उन्हें मूल्य प्रदान करता है।

   प्रकृति ने मानव को उदारतापूर्वक संसाधनों के रूप में अनेक प्राकृतिक उपहार प्रदान किये हैं। ये उपहार तभी मूल्यवान संसाधन बन जाते हैं, जब उस क्षेत्र के निवासी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। मानव की आवश्यकताएँ एवं इच्छाएँ विभिन्न रूपों में भिन्न-भिन्न होती हैं। समाज की प्रगति के साथ उसकी आवश्यकताएँ जटिल होती जाती हैं। प्रारम्भिक मानव की आवश्यकताएँ अल्प तथा सीमित थीं, जो प्राकृतिक पर्यावरण से उपलब्ध संसाधनों द्वारा पूरी हो जाती थीं। दक्षिण भारत की पालियान जनजाति तथा अफ्रीका में काँगो बेसिन के पिग्मी लोग आज भी वनों से खाद्य पदार्थों के संग्रह तथा जन्तुओं के आखेट द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं।

   संसाधनों का वर्गीकरण- संसाधन तीन प्रकार के होते हैं– प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन तथा मानव-निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के वे उपहार हैं, जो उसने मनुष्यों को प्रदान किये हैं। इस प्रकार, चट्टानें (भूमि), मिट्टी, खनिज, जल, पवन, वनस्पति, जीव-जन्तु इत्यादि प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन्हें मनुष्य उपयोग में लाता है।

   प्रकृति के संसाधनों का तकनीकी रुप से कुशलता से दोहन करने वाला मानव संसाधन की श्रेणी में आता है। उसका अच्छी तरह से शिक्षित तथा पूर्ण रूपेण स्वस्थ होना आवश्यक है। अतः संसाधनों का उपयोग करने और उनका निर्माण करने में मनुष्य की कुशलता मानव संसाधन का विकास कहलाता है।

   इसके विपरीत, मानव निर्मित संसाधनों में यन्त्र, उपकरण, मशीनें, वाहन इत्यादि सम्मिलित हैं, जो मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाते हैं। मनुष्य इन संसाधनों का निर्माण प्राकृतिक

संसाधनों के सहयोग से करता है। उदाहरणार्थ– मशीनें बनाने के लिए उसे कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जो वह लौह (खनिज) धातु से प्राप्त करता है। तत्पश्चात् वह इस्पात बनाता है और उससे विविध प्रकार की मशीनें तैयार करता है।

2. **प्राकृतिक संसाधन-** पर्यावरण से प्राप्त कोई भी पदार्थ या तत्त्व जो मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है; जैसे– वायु, जल, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, वन्य जीव आदि। हवा, पानी और पौधे, मानवीय जीवन के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक हैं, जबकि ईंधन और खनिज जैसे संसाधनों को अन्य पदार्थों की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए उपयोग में लाया जाता है।

प्राकृतिक संसाधनों को कई वर्गों में विभाजित किया गया है–

(अ) उत्पत्ति के स्त्रोतों के आधार पर इन्हें भूमि, मिट्टी, जल, पौधे, पशु (जानवर) खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों में वगीकृत किया गया है।

(ब) संसाधनों के विकास की अवस्था के अनुसार ये तीन प्रकार के होते हैं–

(i) सम्भाव्य संसाधन (ii) वास्तविक संसाधन (iii) संरक्षित संसाधन।

(i) सम्भाव्य संसाधन– किसी क्षेत्र विशेष में पाये जाने वाले संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है, सम्भाव्य संसाधन कहलाते हैं। भविष्य में उनका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अफ्रीका में विस्तृत जल संसाधन बारहमासी नदियों के रूप में विद्यमान हैं, परन्तु उनमें से अनेक अभी भी उपयोग में नहीं लाये जा सके हैं।

(ii) वास्तविक संसाधन – वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा मात्रात्मक रूप में उनका वास्तविक उपयोग निश्चित है; ऐसे संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और पूँजी की सहायता से किया जाएगा।

(iii) संरक्षित संसाधन– वे संसाधन जिन्हें उपलब्ध प्रौद्योगिकी की सहायता से उपयोग की आवश्यकता के आधार पर विकसित किया जाता है, संरक्षित कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, निम्न कोटि का लौह-अयस्क पृथ्वी के नीचे इसलिए दबा पड़ा है, क्योंकि इसके निष्कासन में बहुत लागत आती है। ये संसाधन संरक्षित बने पड़े हैं जबकि विश्व में इन धातुओं के मूल्य में बहुत वृद्धि हुई है।

(स) नवीकरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को भी 'नवीकरणीय' तथा 'अनवीकरणीय' संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। अधिकांश प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय है; जैस– जल, पवन, वनस्पति आदि। विभिन्न प्रकार के संसाधन निर्धारित समय में एक निश्चित चक्र से गुजरते हैं। इन चक्रों में समयावधि भिन्न-भिन्न है। चट्टान चक्र पूरा होने में कई मिलियन वर्ष लग जाते हैं जबकि जल चक्र अल्प संमय में ही पूरा हो जाता है।

उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं–(i) नवीकरणीय संसाधन (ii) अनवीकरणीय संसाधन।

(i) नवीकरणीय संसाधन – ऐसी सभी वस्तुएँ जो पुनरुत्पादन और वृद्धि करती हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाती हैं। निरन्तर प्रयोग के आधार पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा जल ऊर्जा को भी नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इन प्राकृतिक तत्त्वों को अक्षय संसाधन कहा जाता है। वनों तथा फसलों को भी इसी श्रेणी के संसाधनों में गिना जाता है। इसी प्रकार जंगली और घरेलू (पालतू) जानवर भी नवीकरणीय संसाधन हैं। परन्तु अधिक शिकार या उनके प्राकृतिक आवासों का लगातार किया जा रहा विनाश इनको नष्ट कर देगा।

(ii) अनवीकरणीय संसाधन– अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं, जिनका उपयोग करने के पश्चात् हम उन्हें पुनः पहले की अवस्था में नहीं ला सकते। उदाहरण के लिए, खनिज और जीवाश्म ईंधन प्राप्त होने वाले संसाधन हैं; क्योंकि उनका आसानी से पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। सामान्यतः उन्हें दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। कुछ धातुओं को दोबारा प्रयोग में अवश्य लाया जा सकता है।

3. निर्मित संसाधनों को सांस्कृतिक संसाधन भी कहा जाता है। इन संसाधनों के निर्माण में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों को प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा सांस्कृतिक संसाधनों में बदलता है। इस दृष्टि से मशीनें, उपकरण, मकान, परिवहन के साधन आदि मानवीय संसाधन हैं। आर्थिक विकास में मानव संसाधनों की निर्णायक भूमिका है। इस दृष्टि से मानव का स्वास्थ्य, शिक्षा, निपुणता या दक्षता भी संसाधन कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये तत्व उत्पादकता की वृद्धि में सहायक होते हैं। पूँजी, प्रौद्योगिकी, यहाँ तक कि राजनीतिक संस्थान भी मानव-निर्मित संसाधन हैं।

   मानव-निर्मित संसाधन मनुष्यों द्वारा निर्मित होते हैं; जैसे– मशीन, औजार, प्रौद्योगिकी, पूँजी, मकान तथा इमारतें, यातायात और संचार के साधन, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएँ आदि सभी मानव-निर्मित संसाधन ही हैं।

   किसी भी देश के आर्थिक विकास का मूल्यांकन उसके मानव संसाधनों एवं मानव-निर्मित संसाधनों के द्वारा ही किया जाता है। यूरोप, उत्तरी, अमेरिका, जापान, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया आदि देशों की सम्पन्नता और विकास वहाँ की कुशल जनता द्वारा संभव हुए हैं। वे ऊँचे जीवन-स्तर का आनन्द उठाते हैं, अधिक-से-अधिक उपभोक्ता पदार्थों का उपभोग करते हैं तथा पोषक तत्त्वों को प्राप्त कर लम्बा जीवन जीते हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण ही उनका आर्थिक विकास हुआ है।

   आर्थिक विकास मानव संसाधनों की निर्णायक भूमिका निभाता है, क्योंकि यह उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य उत्पादकता की वृद्धि में सहयोग प्रदान करता है। यदि किसी देश की उत्पादकता ऊँची है तो देश अधिकाधिक सामान का उत्पादन करेगा तथा सेवाएँ उपलब्ध कराएगा। इसमें देश का आर्थिक विकास सम्भव होता है। जनसंख्या किसी देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। जनसंख्या का घनत्व देश के विकास को बना भी सकता है और नष्ट भी कर सकता है। बहुत कम और बहुत अधिक दोनों ही जनसंख्या का देश के आर्थिक विकास से नकारात्मक सम्बन्ध होता है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश के आर्थिक विकास पर दुष्प्रभाव डालती है।

   मानव-निर्मित संसाधनों में पूँजी, मशीनें, उपकरण तथा प्रौद्योगिकी उत्पादकता को बढ़ाती हैं और आर्थिक विकास का कारण बनती हैं। शक्तिशाली राजनीतिक संस्थाएँ भी उत्पादकता में सहायक हैं। कानून का कठोरता से पालन अनिश्चितता को कम करता है। कानून और व्यवस्था लोगों को व्यापार करने की स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं। इसीलिए उत्पादकता की वृद्धि होती है। किसी देश की आर्थिक नीति भी उत्पादकता को प्रभावित करती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बाजारों की उपलब्धता प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ता है। पदार्थों की गुणवत्ता भी देश को प्रभावित करती है।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

2. प्राकृतिक संसाधन- भूमि, मृदा एवं जल

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (द) ये सभी 2. (अ) आठ 3. (स) काली मिट्टी कों 4. (ब) 70 प्रतिशत

ख. सही मिलान कीजिए–

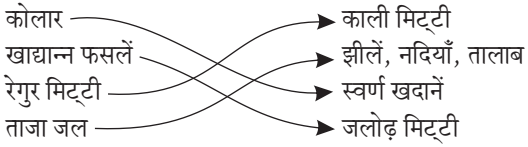

ग. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

1. भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 33 करोड़ हेक्टेयर है, लेकिन इसमें से केवल 30.5 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल पर भू-उपयोग के आँकड़े उपलब्ध हैं।
2. वह मृदा जिसमें पेड़-पौधे भली-भाँति नहीं उग पाते हैं, अनुपजाऊ या अनुर्वर कहलाती है।
3. लाल-पीली मिट्टी भारतीय प्रायद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों; जैसे- केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा असम की उच्च भूमि, मेघालय एवं त्रिपुरा में पाई जाती है।
4. मनुष्य घरेलु कार्यों, कृषि कार्यों, परिवहन, उद्योगों, जल-विद्युत बनाने आदि में जल का उपयोग करता है।
5. भारत में बाँधों की संख्या 4,291 है।
6. जल में अवांछित तत्वों का मिलना जल-प्रदूषण कहलाता है।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमि, मृदा, जल, पेड़-पौधे, जीव-जन्तु आदि प्राकृतिक संसाधन हैं। कोई भी प्राकृतिक वस्तु जब तक संसाधन का स्रोत नहीं बन सकती, जब तक वह मनुष्य के उपयोग में न हो। प्राकृतिक संसाधनों में से एक 'भूमि' तब तक संसाधन नहीं है, जब तक उसका प्रयोग फसलों का उत्पादन करने या किसी अन्य उपयोग में न किया जाए। यदि किसी संसाधन का उपयोग करने में व्यय अधिक और आय कम है, तो उस संसाधन को प्रयोग में लाना आर्थिक दृष्टि से अनुचित होता है। उदाहरणस्वरूप भारत में पहले कोलार की खदानों से स्वर्ण प्राप्त किया जाता था परन्तु अब ये खदानें इतनी गहराई तक पहुँच चुकी हैं कि अब इनका प्रयोग सोना निकालने के लिए बंद कर दिया गया है। अतः प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हमें बुद्धिमता से करना चाहिए चाहे किसी प्राकृतिक संसाधन के स्रोत कम या ज्यादा हों।
2. **काली मिट्टी-** इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी काले रंग एवं इसमें मिले ह्यूमस एवं आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण काली मिट्टी कहलाती है। इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। लावा पठारों की बेसाल्ट शैलों के विघटन एवं टूट-फूट से काली मिट्टियों का निर्माण हुआ है, अतः यह मिट्टी अपनी मूल चट्टानों से मिलती-जुलती है। अत्यधिक नमी के कारण यह मिट्टी अत्यधिक कठोर एवं रंध्रहीन तथा भारी होती है, लेकिन मौसम के शुष्क एवं गर्म होने पर इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। भारत में काली मिट्टी महाराष्ट्र के दक्कन के पठार, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कर्नाटक के भागों, आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं तमिलनाडु में पाई जाती है।

3. **मृदा अपरदन-** जल एवं पवन जैसे प्राकृतिक कारकों तथा मानव एवं पशुओं के हस्तक्षेप द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा निर्माण में सैकड़ों से हजारों वर्ष लग जाते हैं, जबकि इसके नष्ट होने में कुछ मिनट ही लगते हैं। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, तीव्र औद्योगिकरण, तीव्र गति से विकसित तकनीकी, खनिज एवं धातुओं के लिए अत्यधिक खुदाई, मानव अधिवास के लिए चरागाह भूमि का विनाश, रासायनिक उर्वरकों, जीवाणुनाशकों, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, सघन कृषि एवं चरागाह भूमि पर अत्यधिक पशुचारण तथा मानव क्रिया-कलापों द्वारा तीव्र गति से मृदा अपरदन तथा मरुस्थलीकरण हुआ है।

4. बर्फ के पिघलने एवं वर्षा के जल से नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है। यह जल ताजा जल कहलाता है तथा इसका केवल कुछ अंश ही मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। इसके साथ-साथ ताजा जल संपूर्ण पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित है। कुछ देशों में ताजा जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जबकि कुछ देशों में ताजे जल का अभाव है। यहाँ तक कि एक देश के ही भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में ताजे जल की कुल मात्रा का वितरण असमान है। कुल जल का 97 प्रतिशत क्षारीय है, जो महासागरों में उपस्थित है, 2 प्रतिशत ध्रुवीय हिमशिखरों में तथा केवल 1 प्रतिशत ताजा जल नदियों, झीलों, जलधाराओं, जलाशयों तथा भू-जल के रूप में मानव के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए उपलब्ध है।

   भू-जल एक अन्य महत्वपूर्ण जल स्रोत है तथा यह अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। भू-जल को कुएँ खोदकर, नलकूप तथा भूमि के नीचे से पानी ऊपर खींचने अथवा निकालने वाली युक्तियों से प्राप्त किया जाता है।

5. जल में अवांछित तत्वों का मिलना जल-प्रदूषण कहलाता है। आज मनुष्य जानते हुए भी बिना सोचे-विचारे जल के स्रोतों (नदी, कुआँ, झील, तालाब आदि) में ऐसे पदार्थ मिला रहा है, जिससे जल दूषित हो रहा है। औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि, नदियों, तालाबों में पशुओं को नहलाना, घरेलु अपशिष्टों को नदियों, तालाबों में डालना आदि कुछ जल प्रदूषण के कारण हैं।

   जल-प्रदूषण से जलीय पारिस्थितिक सन्तुलन बिगड़ता है। इस जल का प्रयोग करने से मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है। प्रदूषित जल पीने से मानव में हैजा, पेचिस, क्षय आदि भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

   हमें जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। हमें इस तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. भारत में मिट्टियों को उनकी प्रकृति एवं स्वभाव के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति, रंग, संघटन एवं स्थिति के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई0सी0ए0आर0) ने भारतीय मिट्टियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है–

   (i) जलोढ़ मिट्टी- चट्टानी पदार्थों के वे कण जो मिट्टी में निलंबित रहते हैं अथवा नदी द्वारा भूमि पर लाकर निक्षेपित किए जाते हैं, दोमट अथवा जलोढ़ कहलाते हैं। जलोढ़ से युक्त मृदा को दोमट मिट्टी कहते हैं। भारत में यह मिट्टी सर्वाधिक उत्पादक है। यद्यपि इसमें नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, लेकिन पोटैशियम, कैल्सियम तथा फॉस्फेट लवणों की अधिकता होती है। यह मिट्टी भारतीय मैदानी क्षेत्रों, नदी घाटियों, तटीय मैदानों एवं डेल्टाई भागों में पाई जाती है। खाद्यान फसलें गेहूँ, चावल, मक्का, दालें आदि इस मिट्टी में ही उगाई जाती हैं।

   (ii) काली मिट्टी- इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी काले रंग एवं इसमें

मिले ह्यूमस एवं आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण काली मिट्टी कहलाती है। इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। लावा पठारों की बेसाल्ट शैलों के विघटन एवं टूट-फूट से काली मिट्टियों का निर्माण हुआ है, अतः यह मिट्टी अपनी मूल चट्टानों से मिलती-जुलती है। अत्यधिक नमी के कारण यह मिट्टी अत्यधिक कठोर एवं रंध्रहीन तथा भारी होती है, लेकिन मौसम के शुष्क एवं गर्म होने पर इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। भारत में काली मिट्टी महाराष्ट्र के दक्कन के पठार, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कर्नाटक के भागों, आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं तमिलनाडु में पाई जाती है।

(iii) लाल-पीली मिट्टी- इस मिट्टी का निर्माण उच्च एवं औसत वर्षा क्षेत्रों में ग्रेनाइट एवं नीस शैलों के अपक्षय से हुआ है। अपने लाल-भूरे अथवा पीले रंग के कारण ही यह मिट्टी लाल-पीली मिट्टी कहलाती है। इसमें लौह यौगिकों की अधिकता होती है। इसलिए यह मिट्टी लाल-पीली होती है। इस मिट्टी में कैल्सियम होता है, परंतु इस मिट्टी में फॉस्फोरस, चूना, पोटैशियम तथा कार्बनिक पदार्थ (ह्यूमस) की कमी होती है। इसमें ज्वार, गेहूँ, कपास, आलू एवं मोटे अनाज अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों, जैसे–केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा असम की उच्च भूमि, मेघालय एवं त्रिपुरा में यह मिट्टी पाई जाती है।

(iv) लैटेराइट मिट्टी- इस मिट्टी का निर्माण शुष्क व तर मौसम वाले क्षेत्रों में होता है। यह लैटेराइट चट्टानों की टूट-फूट से बनती है। यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इस मिट्टी में लोहा, ऐल्युमिनियम और चूना अधिक होता है। गहरी लैटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक होती है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण प्रायः सभी लैटेराइट मृदाएँ जंग का रंग लिए हुए होती हैं।

लैटेराइट मिट्टी में चावल, कपास, गेहूँ, मोटे अनाज तथा दाल, चाय, कहवा अदि फसलें उगाई जा सकती हैं। यह मिट्टी भारत में तमिलनाडु के निचले तथा पहाड़ी क्षेत्रों, कर्नाटक (कुर्ग जिला), केरल राज्य के समुद्री तट, महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले, पश्चिमी बंगाल के बेसाइट तथा ग्रेनाइट पहाड़ियों के मध्य और उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों पर पाई जाती है।

(v) मरुस्थलीय अथवा बलुई मिट्टी- मरुस्थलीय मिट्टी बलुई, क्षारीय एवं सरंध्र होती है। यह मिट्टी रंग में लाल एवं भूरी होती है। कुछ क्षेत्रों में इस मिट्टी में अत्यधिक लवणीय पदार्थ होते हैं। शुष्क जलवायु, अत्यधिक तापमान एवं तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इस मिट्टी में नमी एवं ह्यूमस का अभाव मिलता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन पदार्थ का अभाव होता है। पश्चिमी राजस्थान, कच्छ का रन तथा हरियाणा एवं पंजाब के भागों में शुष्क मिट्टी पाई जाती है।

(vi) क्षारीय मिट्टी- इसे ऊपरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम, पोटैशियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने के कारण यह मिट्टी कमजोर एवं अनुपजाऊ होती है तथा इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उग पाती है। यह मिट्टी शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तटीय डेल्टा एवं पश्चिमी बंगाल के सुंदर वन क्षेत्र में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है।

(vii) दलदल और कार्बनिक मिट्टी- यह मिट्टी भारी वर्षा एवं उच्च आर्द्रता वाले भागों में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में वनस्पति में अच्छी वृद्धि होती है। इस मिट्टी में मृत कार्बनिक पदार्थ अत्यधिक मात्रा में होते हैं। अतः इन मिट्टियों को कार्बनिक मिट्टियाँ

कहते हैं। यह मिट्टी बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग एवं पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा एवं तमिलनाडु में अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है।

(viii) वन्य मिट्टी- पर्याप्त वर्षा वाले पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ वन अधिक होते हैं, यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में रंग एवं बनावट के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। घाटी क्षेत्र में यह मिट्टी चिकनी एवं तलछटीय होती है, जबकि ऊपरी ढालों में यह मोटे कणों से युक्त होती है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इस मिट्टी में अनाच्छदन की प्रक्रिया घटित होती है। घाटी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टियाँ चावल एवं गेहूँ की कृषि के लिए बहुत उर्वर होती है।

2. मृदा संरक्षण के कुछ प्रमुख साधन एवं विधियाँ निम्नवत् हैं–

(i) तटबंदी करना- पत्थर, घास तथा मिट्टी द्वारा तटबंदी की जाती है। जल एकत्र करने हेतु इन अवरोधों के सम्मुख गर्त बनाए जाते हैं।

(ii) सीढ़ीनुमा कृषि- धरातल के तीव्र ढालों पर सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, ताकि फसलोत्पादन हेतु चपटी एवं समतल मृदा सतह उपलब्ध हो सके। इन सीढ़ियों से सतह की ढाल एवं मृदा अपरदन में कमी आ जाती है।

(iii) छोटे पौधे लगाना- पौधों के मध्य नग्न भूमि को कार्बनिक पदार्थ की सतह, जैसे घास द्वारा ढकी जा सकती है। इससे मृदा में नमी को बनाए रखने में सहायता मिलती है।

(iv) समोच्च खेती- धरातल ढाल पर जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक अवरोधक बनाने हेतु पहाड़ी ढाल पर लहरों के समांतर जुताई करके मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जाता है।

(v) शिला बाँध बनाना- जल की प्रवाह गति को धीमा करने हेतु चट्टानों के ढेर बनाए जाते हैं। ऐसा करने से परतदार अपरदन और अधिक मृदा की क्षति होने पर नियंत्रण होता है।

(vi) सुरक्षा पेटी बनाना- तटीय एवं शुष्क क्षेत्रों में वृक्षों की पंक्तियों के रोपण द्वारा मृदा के आवरण को सुरक्षा प्रदान करने हेतु वायु की गति को नियंत्रित किया जाता है।

(vii) खेत में अनेक फसलों को बोना- भिन्न पंक्तियों और भिन्न समय में फसलों की बुआई द्वारा वर्षा की धुलाई से होने वाले मृदा अपरदन को रोका जा सकता है।

3. **जल चक्र-** जल की एक निश्चित मात्रा वायुमण्डल में सदैव उपस्थित रहती है। उसी से जल चक्र की प्रक्रिया वातावरण में अनवरत रूप से चलती रहती है। जल चक्र में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला जल-रूप पानी (द्रव) है, जो वाष्प बनकर वायुमण्डल में चला जाता है और फिर संघनन क्रिया द्वारा बादल बनता है।

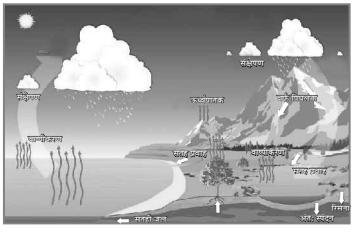

जल-चक्र

तत्पश्चात् बादल बनकर ठोस (हिम) या द्रव रूप में वर्षा द्वारा बरसता है। हिम पिघलकर पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस सारी प्रक्रिया में जल की कुल मात्रा स्थिर रहती है।

जलीय परिसंचरण द्वारा निर्मित एक चक्र जिसके अन्तर्गत जल महासागर से वायुमंडल में, वायुमंडल से भूमि (भूतल) पर और भूमि से पुनः महासागर में पहुंच जाता है। महासागर से वाष्पीकरण द्वारा जलवाष्प के रूप में जल वायुमंडल में ऊपर उठता है, जहाँ जलवाष्प के संघनन से बादल बनते हैं तथा वर्षण द्वारा वर्षा अथवा हिम के रूप में जल नीचे धरातल पर आता है और नदियों से होता हुआ पुनः महासागर में पहुँच जाता है। इस तरह एक जल-चक्र पूरा हो जाता है।

4. **जल संसाधनों का संरक्षण-** जल की कमी, इसके स्थान एवं समय में इसका समान वितरण, ताजे जल की बढ़ती हुई माँग, जल गुणवत्ता में ह्रास आदि तथ्यों को देखते हुए वैश्विक स्तर पर जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक हो गया है।

जल के उपभोग में कमी करना- (i) सिंचाई की कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु सिंचाई के परंपरागत साधनों एवं विधियों के स्थान पर श्रेष्ठकर तकनीकों को अपनाया जाना अत्यावश्यक है।

(ii) साधारण जनता में जल संकट के खतरों के विषय में चेतना जागृत करनी चाहिए। यह जागरूकता घरेलू जल के अपव्यय को कम करने में सहायक होगी। उचित ज्ञान एवं प्रबंधन की कुशलता से ताजे जल की एक बड़ी मात्रा की बचत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बागवानी, वस्त्रों की धुलाई, स्वच्छता के उद्देश्यों तथा कृषि प्रयोग के लिए नगर निगम के अपशिष्ट एवं प्रदूषित जल को स्वच्छ करके पुनः प्रयोग किया जा सकता है।

(iii) अनावश्यक रूप से प्रवाहित जल तथा वाष्पीकरण की प्रक्रिया में होने वाली क्षति को कम करना आवश्यक है।

(iv) मानव अधिवासों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अपशिष्ट द्रव पदार्थ जल को प्रदूषित कर रहे हैं। किसी औद्योगिक संयंत्र में अनेक प्रक्रियात्मक इकाइयों में प्रयुक्त एवं निस्तारित जल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए उद्योगों में प्रभावशाली जल संरक्षण एवं प्रबंधन किया जाना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्टों को पृथककर स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए उसका शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। अपशिष्ट जल सहित नगर निगम द्वारा प्रयुक्त जल को स्वच्छ करके पुनः प्रयोग करने पर बल दिया जाना चाहिए।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

3. खनिज, ऊर्जा संसाधन एवं पेड़-पौधे

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) 2 2. (स) लोहा 3. (द) ग्रेफाइट 4. (स) (अ) व (ब) दोनों

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. खनिज संसाधन 2. असमान 3. विद्युत 4. भविष्य 5. पृथ्वी 6. संरक्षण

ग. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. चार धात्विक खनिजों के नाम है- लोहा, मैंगनीज, ताँबा, बॉक्साइट।
   चार अधात्विक खनिजों के नाम हैं- ईधन, खनिज, जैव कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस।
2. धातुओं को इनके अयस्क से प्राप्त करने के लिए गलनांक बिंदु से अधिक गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं।
3. खनन की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 1,00,000 ई0पू0 हुआ था।
4. चीन विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है।
5. ऊर्जा का तात्पर्य कार्य करने की क्षमता से है।
6. कोयले, तेल एवं प्राकृतिक गैस आदि ईंधनों की उत्पत्ति पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेषो द्वारा हुई हैं, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईधन कहा जाता है।
7. समान जलवायु वाले क्षेत्रो में निश्चित समुदायो के रूप मे पेड़-पौधे होते है। विशिष्ट जीव-जंतु वहाँ विकसित होते हैं। जीवों एवं पौधों के समुदाय वाले इन क्षेत्रों को जीवोम कहते है।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. **धात्विक खनिज-** इन खनिजों में एक या अधिक धातुएँ रहती हैं। ये प्रायः अधात्विक तत्वों के साथ संयुक्त रहते हैं। ये धातु मूल रूप से अयस्क रूप में पाये जाते हैं। धात्विक खनिज वे खनिज हैं जिन्हें इन धातुओं के अयस्क से उपयोगी धातु निकाल लेते हैं। इन धातुओं के अयस्क उच्च या निम्न श्रेणी के हो सकते हैं। धातुओं को इनके अयस्क से प्राप्त करने के लिए ग्लनांक बिंदु से अधिक गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं।
   उदाहरण के लिए– ताँबा, लोहा, चाँदी तथा सोना
   अधात्विक खनिज- धातुओं के अतिरिक्त अन्य खनिज अधात्विक खनिज कहलाते हैं। उनमें धातु नहीं होती है। अधिकांश खनिजों की प्रकृति अकार्बनिक होती है। कोयले एवं पेट्रोल की उत्पत्ति पौधों एवं जीवों के अवशेषों से हुई है। अतः इन दोनों की प्रकृति कार्बनिक है। इन खनिजों का प्रयोग ईंधन के रूप में किए जाने के कारण इन्हें जीवाश्म ईंधन अथवा खनिज ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। अधात्विक धातुओं के अन्य उदाहरण– गंधक, नाइट्रेट, अभ्रक, पेट्रोलियम, लवण, पोटाश आदि हैं।
2. ऊँचाई से गिरते जल की शक्ति से चलने वाले टरबाइनों द्वारा प्राप्त ऊर्जा को जल-विद्युत कहते हैं। ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से जलशक्ति का प्रयोग जल मिलों, शक्ति खाद्यान्न मिलों, लकड़ी की आरा मिलों तथा अन्य मशीनों के संचालन हेतु निरंतर किया जा रहा है। उस समय जल-प्रपातों के निकट उद्योग-धंधों की स्थापना की जाती थी।
   जल-विद्युत उत्पादन के लिए दो आवश्यक स्थितियाँ निम्न हैं–
   (i) जल की प्रचुर एवं नियमित आपूर्ति।
   (ii) ऊँचाई से जल गिराने हेतु तीव्र ढाल पर मुक्त शीर्ष स्थापित करना।
   अतः पर्वतीय क्षेत्रों में भारी एवं अपेक्षानुरूप वर्षा के फलस्वरूप जल-विद्युत शक्ति का अत्यधिक विकास हुआ है। यहाँ वर्षा का वितरण समान है तथा यहाँ नदियाँ ऊँचे ढालों से बहती हैं। जल को ऊपर से गिराने के लिए घाटी पर ऊँचे बाँध का निर्माण करके एकत्र कर लिया जाता है। बाँध का कार्य जल स्तर ऊँचा उठाना, जल प्रवाह को नियमित करना तथा जल को कृत्रिम रूप से ऊँचाई से गिराना है। लेकिन बाँधों के निर्माण पर अत्यधिक धन व्यय होता है।
   जल-विद्युत निर्माण संस्थानों की स्थापना में बहुत अधिक व्यय होने के कारण केवल अत्यधिक विकसित देशों ने ही अपने शक्तिशाली जल ऊर्जा संसाधनों का अत्यधिक सदुपयोग किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड तथा कनाडा ने अपने जल संसाधनों का सफलतापूर्वक दोहन किया है। इसके विपरीत अफ्रीका के पास अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा अधिक विशाल जल संसाधन हैं। भारत में जल ऊर्जा विकास के लिए दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नाँगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, सरदार सरोवर बाँध परियोजना, नागार्जुन सागर आदि अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाओं की स्थापना की गई है।
3. **ऊर्जा का संरक्षण-** तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या एवं औद्योगिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ऊर्जा की माँग उत्पादन की अपेक्षा अधिक बढ़ती जा रही है। आज हमारे सामने ऊर्जा का विकराल संकट आ खड़ा हुआ है, जिसके संबंध में आज हमें ऊर्जा संरक्षण पर निम्नलिखित उपायों द्वारा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है–
   (i) ऊर्जा के प्रयोग, उत्पादन, प्रबंधन एवं वितरण में अपेक्षाकृत अधिक कुशलता होनी चाहिए।

(ii) जीवाश्म ईंधन, कोयले एवं तेल के अनावश्यक उपभोग से बचा जाए।

(iii) उच्च तकनीकी, संशोधित संचालन एवं रखरखाव द्वारा कार्यकुशलता में सुधार किया जाए।

(iv) ऊर्जा बचत वाले उपकरणों, प्रणालियों तथा तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाए।

4. **प्राकृतिक वनस्पति-** प्राकृतिक वनस्पति स्वयं उगने वाली वनस्पति है। इसके अंतर्गत वन, घास, झाड़ियों, पौधें और लताएँ शामिल हैं। वन इनमें सबसे अधिक व्यापक हैं।

तापमान एवं आर्द्रता पर पेड़-पौधों की वृद्धि निर्भर है। जहाँ भारी वर्षा होती है वहाँ सघन और ऊँचे वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्षों की समानता एवं आकार वर्षा की कमी के साथ घटता जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे वृक्ष, झाड़ियाँ एवं घास पाई जाती हैं। शुष्क इलाकों में वनस्पति की जड़ें लंबी होती हैं जिससे वे भूमिगत नमी को प्राप्त कर सकें। वाष्पोत्सर्जन के कारण आर्द्रता की हानि को कम करने के लिए गिरा देते हैं। शीतकाल में ठंड़े क्षेत्रों के वृक्ष भी अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं।

सभी पौधों के अंकुरण, वृद्धि एवं प्रजनन के लिए अनुकूल तापमान जरूरी होता है। पेड़-पौधों की वृद्धि 60 सेल्सियस कम तापमान पर नहीं हो पाती है। ऊँचे पर्वतों और ठंड़े ध्रुवीय प्रदेशों में वर्धनकाल छोटा होता है, ऐसे क्षेत्रों में पेड़-पौधे झुरमुट के रूप में पाए जाते हैं।

समान जलवायु वाले क्षेत्रों में निश्चित समुदायों के रूप में पेड़-पौधे होते हैं। विशिष्ट जीव-जंतु वहाँ विकसित होते हैं। जीवों एवं पौधों के समुदाय वाले इन क्षेत्रों को 'जीवोम' कहते हैं। विश्व में प्रमुख रूप से चार प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं– वन, घास, भूमि, झाड़ियाँ एवं टुंड्रा। भूमंडलीय तापमान के प्रतिरूप और उपलब्ध आर्द्रता पर इन वनस्पतियों का वितरण निर्भर करता है।

5. **सदाहरित या सदाबहार वन–** जिन वनों के वृक्ष किसी एक ऋतु में अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, वे सदाहरित या 'सदाबहार वन' कहे जाते हैं।

सदाबहार वन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं-

(i) उष्ण कटिबंधीय सदाहरितवन- ये वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों उष्णकटिवंधीय एवं विषुवत रेखीय प्रदेशें में मिलते हैं। यहाँ तापमान वर्ष भर ऊँचा रहता है। सघन वनों में नीचे लताएँ एवं छोटे पौधे उगते है। अधिक घने व दुर्गक्ष होने के कारण इन वनों का व्यावसायिक शोषण नही होता।

(ii) मध्य भक्षांशीय सदाहरित वन- ये महादीपों के पूर्वी भागो 'मे' पाए जाते है। दक्षिण-पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी-चीन, दक्षिण-पूर्वी औस्ट्रेलिया, दक्षिणी ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तय पर इनकी बनों का विस्तार है। इन वनों के वृक्षों की लकड़ी कठोर व पत्तियॉ चौड़ी होती है। वैटल, पुकेलिप्सस व ओक इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष है।

6. वृक्ष शंकुधारी वन एवं शीतोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। कागज, लुगदी आदि उद्योगों में इनका उपयोग किया जाता है। कनाड़ा, स्वीडन, नार्वे तथा फिनलैंड आदि कागज, लुगदी और अखबारी कागज के निर्माण में ये देश अग्रणी हैं। भारत में पाए जाने वाले चंदन, महोगनी, सागौन, एवं रोजवुड़ आदि के वृक्ष भी अधिक महत्व रखते हैं।

अनेक प्रकार की गौण वनोपजें भी वनों से प्राप्त होती हैं जिनसे अनेक उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। शहद, गोंद, बिरोजा, राल, औषधियाँ, कपूर, जड़ी-बूटियाँ, सुंगधित घासें तथा तेल आदि इन वनों से प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त वनों में अनेक जीव-जंतुओं के प्राकृतिक आवास और बहुत-सी आदि जातियों का निवास स्थान होता है।

भौगोलिक दृष्टि से भी वनों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। वन जलवायु के नियंत्रक तथा वर्षा कराने में सहायक होते हैं।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. पृथ्वी पर खनिजों का वितरण बहुत असमान है। विश्व में कोई भी देश सभी खनिजों के संबंध में आत्म-निर्भर नहीं है। वाणिज्यिक रूप से बहुमूल्य खनिज भंडार केवल कुछ निश्चित एवं प्रमुख चुनिंदा स्थानों पर पाए जाते हैं। लोहा, मैंगनीज, सीसा एल्युमिनियम (बॉक्साइट), ताँबा, निकिल, टिन एवं जस्ता आदि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं। उद्योगों में इन खनिज पदार्थों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है।

   (i) लोहा- यह विश्व की सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु है। इसका कारण है कि यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा इसे निम्न लागत पर उत्पादित किया जा सकता है। इसे हथौड़े से मोड़ा, ढाला तथा तार के रूप में खींचने के साथ-साथ वेल्ड द्वारा जोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग अन्य धातु के साथ करके इसे मिश्रधातु में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे विभिन्न प्रकार की धातुओं– मैंगनीज, निकिल तथा क्रोमियम इत्यादि के साथ मिश्रित करके विभिन्न मिश्रधातुएँ तैयार की जाती हैं। लौह अयस्क के तीन प्रकार– मैगनेटाइट, हेमेटाइट तथा लिमोनाइट हैं।

   विश्व में लौह अयस्क के भंडार प्रमुख रूप से आग्नेय चट्टानों की संरचना के साथ संबद्ध पाए जाते हैं। यह रूस, यूक्रेन, चीन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील, भारत एवं आस्ट्रेलिया में पाया जाता है।

   संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह अयस्क के भंडार हैं, जबकि चीन विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है। इसके बाद ब्राजील, आस्ट्रेलिया एवं भारत का स्थान है।

   (ii) ताँबा- ताँबा एक अलौह धातु है। यह बहुत मुलायम कत्थई रंग की धातु है। इसमें आधातवर्धनीयता तथा घर्षण प्रतिरोधकता का गुण है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से विद्युत उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह एक सुचालक है। हाल के वर्षों में काँच के तंतुओं के प्रयोग की बढ़त से ताँबे की अत्यधिक माँग में गिरावट है। इसका प्रयोग प्रमुख रूप से विद्युत प्रेषण तथा पीतल, कांसा, जर्मन चाँदी आदि मिश्रधातु बनाने में किया जाता है। चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, जंबिया, पोलैंड, पेरू तथा मैक्सिको प्रमुख ताँबा उत्पादक देश हैं।

   (iii) बॉक्साइट- बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइट से प्रथमतः एल्यूमिना बनाया जाता है और फिर एल्यूमिना को एल्युमिनियम में परिवर्तित किया जाता है। इसके हल्केपन, मजबूती, विद्युत चालकता तथा जंग से प्रतिरोध के कारण इसकी अधिक माँग है। बॉक्साइट का अनेक प्रकार से अधिक प्रयोग किया जाता है– मशीनों के उपकरण, विद्युत यंत्र, बर्तन, वायुयान, पैकिंग तथा निर्माण आदि में इसका प्रयोग होता है। इसे ताँबे, मैंगनीज एवं मैग्नीशियम के साथ मिश्रित करके मिश्रधातु तैयार की जा सकती है।

   उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु संबंधी दशाओं में रासायनिक अपक्षय के कारण बॉक्साइट के अवशिष्ट भंडार पाए जाते हैं। अतः बॉक्साइट के सर्वाधिक भंडार आस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका, ब्राजील, सुरीनाम तथा भारत के उष्ण कटिबंधीय भागों में पाए जाते हैं। आस्ट्रेलिया बॉक्साइट का अग्रणी उत्पादक है। आस्ट्रेलिया विश्व के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 38 प्रतिशत उत्पादन करता है। वेस्टइंडीज में जमैका बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

2. **ऊर्जा के संसाधन**- ऊर्जा का तात्पर्य कार्य करने की क्षमता से है। पृथ्वी पर होने वाली सभी

क्रियाओं के लिए ऊर्जा अत्यंत आवश्यक है। सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएँ ऊर्जा द्वारा चालित होती हैं। जल-चक्र, तूफान, आकाशीय बिजली, पर्वतों का निर्माण, नदी घाटियाँ, पौधों की वृद्धि एवं क्षय सभी किसी न किसी रूप में ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इसे निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है–

(i) अग्नि, सूर्य तथा गर्म झरनों आदि से ऊष्मा प्राप्त होती है।

(ii) बैट्री के रूप में ऊर्जा संचित की जाती है।

(iii) विद्युत ऊर्जा विद्युत धारा के प्रवाह से संबद्ध है; जैसे–जीवाश्म ईंधन जलाना।

इन सभी साधनों में विद्युत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विशाल ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख संसाधन कोयला, प्राकृतिक गैस, गिरता हुआ जल तथा खनिज हैं। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस को ईंधन के रूप में जलाकर भाप के इंजन तथा उत्पादन के लिए वाष्प की टरबाइनों को चलाने के लिए भाप बनाई जाती है। कोयले एवं प्राकृतिक गैस से उत्पादित विद्युत को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इनके ज्वलन से उत्पन्न वाष्प से टरबाइन चलाई जाती हैं। जो ऊर्जा पानी द्वारा चलाई गई टरबाइनों से पैदा होती है, वह जल-विद्युत कहलाती है। रेडियोधर्मी खनिज विशेषकर यूरेनियम का प्रयोग विद्युत अथवा परमाणु शक्ति प्राप्त करने हेतु परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा जल-विद्युत को ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही इनका प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैस से बनती है, इनके भंडार समाप्त होने वाले हैं। अतः इन खनिज साधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि ये भंडार भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रह सकें।

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे संयंत्र हैं, जिनमें वायु, सूर्य, भूगर्भीय ऊष्मा, जैवमंडल के साथ-साथ पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों तथा मानव के मल से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। जिसे ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ये सभी नवीकरणीय हैं तथा इनसे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं फैलता है। पावर ग्रिड प्रणाली द्वारा विभिन्न साधनों से प्राप्त विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेक्षण कर दिया जाता है। विभिन्न स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा को क्षेत्रीय ग्रिड में प्रेषित कर दिया जाता है। वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन कोयले, तेल एवं प्राकृतिक गैस के प्रयोग द्वारा किया जा रहा है। इन ईंधनों की उत्पत्ति पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेषों द्वारा हुई है, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कोयले की उत्पत्ति प्राचीन वनों के पौधों एवं वृक्षों से हुई है। पृथ्वी के गर्भ में हलचलों के फलस्वरूप बालू एवं मिट्टी की परतों के नीचे दलदल में ये वन डूब गए। धीरे-धीरे पौधों के अवशेष विघटित होकर समृद्ध कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो गए। पेट्रोलियम अथवा कच्चा तेल प्राकृतिक गैस एवं क्षारीय जल के साथ मिले हुए पाए जाते हैं। जलकुंड शैलों के उद्वलन पर तेल एवं गैस एकत्रित हो जाती है।

3. **कोयला-** कोयला लाखों-करोड़ों वर्षों पूर्व पृथ्वी की परतों के नीचे दबे पेड़-पौधों का परिवर्तित रूप है। कोयले की गुणवत्ता उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। जितनी अधिक कार्बन की मात्रा होगी उतनी अधिक कोयले की गुणवत्ता उच्च होगी। सामान्यतः पृथ्वी का तापमान एवं दाब जितना अधिक उच्च होगा, भूगर्भ में उतनी ही अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होगा। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के आधार पर कोयले को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है–

1. एंथ्रासाइट (कार्बनिक मात्रा 85 से 95 प्रतिशत), 2. बिटुमिनस (कार्बनिक मात्रा 70 से 90 प्रतिशत),

3. लिग्नाइट (कार्बनिक मात्रा 45 से 70 प्रतिशत) 4. पीट (कार्बनिक मात्रा 40 प्रतिशत से कम)।

भारत, अमेरिका, चीन, रूस, आस्ट्रेलिया आदि देशों में विश्व का 90 प्रतिशत कोयला पाया जाता है। भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र हैं। तृतीय अवस्था का कोयला मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एवं जम्मू तथा कश्मीर में पाया जाता है।

पेट्रोलियम- पेट्रोलियम संपूर्ण विश्व में दूसरा प्रमुख जीवाश्म ईंधन अथवा ऊर्जा का स्रोत है। यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। इसके अनेक नाम हैं; जैसे– खनिज तेल, चट्टानी तेल, कच्चा तेल आदि। आधुनिक विनिर्माण एवं परिवहन क्षेत्र में खनिज तेल का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह वजन में हल्का है। अंटार्कटिका महाद्वीप के अतिरिक्त विश्व के समस्त महाद्वीपों में तेल निकाला जाता है। विश्व के कुल तेल भंडार का लगभग दो-तिहाई भंडार मध्य-पूर्व में स्थित है। पेट्रोलियम की उत्पत्ति जीवों के सड़ने-गलने एवं चट्टानों में दबने से हुई है। इसीलिए यह जीवाश्म-ईंधन कहलाता है।

प्रमुख तेल उत्पादक देश कुवैत, सऊदी अरब, ईरान, इराक एवं संयुक्त अरब अमीरात हैं, लेकिन वर्तमान में उत्पादन की मात्रा के आधार पर प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र संयुक्त राज्य (29 प्रतिशत), रूस (16 प्रतिशत), तथा वेनेजुएला (13 प्रतिशत) हैं।

भारत में वाणिज्यिक आधार पर खनिज तेल निकालने के चार प्रमुख क्षेत्र हैं–

(i) उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र– आसाम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड।

(ii) गुजरात क्षेत्र– खंभात बेसिन तथा गुजरात के मैदान।

(iii) मुंबई हाई– तटीय क्षेत्र के आसपास के उत्पादक क्षेत्र।

(iv) पूर्वी तटीय क्षेत्र– कृष्णा, कावेरी तथा गोदावरी नदी के बेसिन में नवीन तेल धारक क्षेत्र।

4. **ऊर्जा का संरक्षण-** पृथ्वी के नीचे उपस्थित कोयला एवं तेल के भंडार हमेशा के लिए आपूर्ति नहीं कर सकते हैं, अतः ऊर्जा उत्पादन के अनेक साधनों का पता लगाया जा रहा है। पृथ्वी के निःशुल्क ऊर्जा संसाधनों सूर्य, पवन, ज्वार-भाटा तथा भूगर्भीय ऊष्मा से ऊर्जा उत्पादन करने पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है। ये कभी समाप्त न होने वाले स्रोत हैं। जैसे ही इन स्रोतों के प्रयोग में तकनीकी सफलता मिल जाती है, प्रदूषण रहित सस्ती एवं प्रचुर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी।

(i) सौर ऊर्जा- यह भविष्य की ऊर्जा है जब जीवाश्म ईंधन घट जाएँगे अथवा समाप्त हो जाएँगे। सूर्य संपूर्ण विश्व में है तथा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जो प्रचुर एवं निःशुल्क है। लेकिन इस ऊर्जा पर केंद्रित होना तथा इसका प्रयोग करना बहुत कठिन है, ग्राही की ओर सूर्य की रोशनी प्रतिबिंबित करने के लिए टावर के शिखर पर विशाल दर्पण लगाए जाते हैं। यहाँ ऊष्मा से जल उबलता है तथा जनित्र को चलाकर विद्युत उत्पन्न करता है। रेडिएटर से होकर गर्म जल प्रवाहित होता है, जिससे घर गर्म हो जाता है। उपग्रह एवं अंतरिक्षयान फोटो इलेक्ट्रिक बैट्री (सैल) के किनारों का प्रयोग करते हैं, जिससे सूर्य की रोशनी प्रत्यक्ष से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र 'सौर बैट्री (सैल)' कहलाती है। फोटो वोल्टेइक सैल एक ऐसा यंत्र है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है।

(ii) पवन ऊर्जा- वायु के गतिशील रूप को पवन कहते हैं। वायु के तापमान में अंतर के

कारण इसकी उत्पत्ति होती है। पवन से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन से 'पवन मिल' चलाई जाती हैं जिसके द्वारा जनित्र चलाने से शक्ति का प्रयोग होता है। एक पवन मिल द्वारा उत्पादित विद्युत इतनी कम मात्रा में प्राप्त होती है कि इसे वाणिज्यिक उद्देश्यों में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

(iii) भू-तापीय ऊर्जा- पृथ्वी अंदर से अत्यधिक गर्म है। अनुकूल परिस्थितियों में पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊष्मा का ऊर्जा के स्रोत के रूप में सदुपयोग किया जा सकता है। पृथ्वी (भू) के आंतरिक भाग की ऊष्मा (ताप) के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को भू-तापीय ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित गर्म चट्टानों से प्राप्त ऊर्जा को भू-तापीय ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप क्षेत्रों में सर्वाधिक समृद्ध भू-तापीय ऊर्जा पायी जाती है, लेकिन अभी भू-तापीय ऊर्जा का उत्पादन सीमित मात्रा में हो रहा है। आइसलैंड, फिलिपिन्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, न्यूजीलैंड तथा जापान देश भू-तापीय ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं।

(iv) ज्वारीय ऊर्जा- सागर की सतह का जल दिन में लगभग दो बार ऊपर उठता है तथा नीचे गिरता है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा उत्पन्न इसको ज्वार-भाटा कहते हैं। समुद्र की विशाल जल की हलचल के फलस्वरूप सस्ते एवं कभी क्षीण न होने वाले ऊर्जा स्रोत की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है।

भारत में कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थितियाँ हैं। इसके अतिरिक्त समुद्र तट के साथ-साथ पश्चिमी बंगाल के सुंदर वन क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

(v) जैवीय ऊर्जा- जब समस्त पादपों एवं जंतुओं के मल-मूत्र को ऊर्जा संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो इन्हें जैव पदार्थ कहते हैं। घटिया गुणवत्ता की लकड़ी, जैविक गैस, नगरीय अपशिष्ट पदार्थ तथा पशुओं के मल-मूत्र आदि महत्वपूर्ण जैव पदार्थ हैं। दिल्ली नगर में पहले से ही नगरीय अपशिष्ट पदार्थों से प्रतिवर्ष 400 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। नगरों में मल-मूत्र तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों के प्रयोग से गैस एवं ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है।

5. वनों के वितरण विश्व में निम्न प्रकार हैं–

(i) उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन– ये वन उष्णकटिबंधीय एवं विषुवतरेखीय प्रदेशों में मिलते हैं जहाँ भारी वर्षा होती है। यहाँ तापमान वर्ष भर ऊँचा रहता है। सघन वनस्पति के लिए ऐसी दशाएँ अनुकूल होती हैं। सघन-वनों में नीचे लताएँ एवं छोटे पौधे उगते हैं। जो इन वनों को अधिक घना और दुर्गम बना देते हैं। एक विशेष प्रजाति के वृक्षों का दूर-दूर तक पाया जाना इन वृक्षों की विशेषता है। अधिक दुर्गम होने के कारण इन वनों का व्यावसायिक शोषण करना मुश्किल होता है।

(ii) मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन – ये वन महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्षों की लकड़ी कठोर और पत्तियाँ चौड़ी होती है। इनका विस्तार दक्षिण-पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी-चीन, दक्षिण-पूर्वी आस्ट्रेलिया, दक्षिणी ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर है। इन वनों में अधिक महत्व के वृक्ष वैटल, युकेलिप्टस एवं ओक हैं।

(iii) भूमध्यसागरीय वन– मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ऐसे वन पाए जाते हैं जहाँ शीतकाल में सामान्य वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। इन वृक्षों की पत्तियाँ चिकनी, छोटी एवं काँटेदार होती हैं जिस कारण वाष्पोत्सर्जन कम होता है तथा इन

वृक्षों की छाल मोटी होती है। इन वनों में झाड़ियाँ भी उगती हैं। इन वनों में वृक्षों की प्रमुख किस्में जैतून, कार्क और चेस्टनट हैं।

(iv) शंकुधारी वन– इन वनों के वृक्ष शंक्वाकार होते हैं। इस प्रकार के वन उत्तरी गोलार्द्ध में एशिया से यूरोप होते हुए अमेरिका तक फैले हुए हैं। इनका वर्धनकाल छोटा होता है तथा ये वृक्ष अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। इनकी पत्तियाँ नुकीली एवं मोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम होता है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष देवदार, चीड़ और फर हैं।

(v) उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन – इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसूनी वन एशिया, उत्तरी आस्ट्रेलिया, ब्राजील तथा मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में वृक्ष अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इन वनों में उत्पन्न सागौन, साल और शीशम आदि वृक्षों की कठोर लकड़ी आर्थिक रूप से बहुत मूल्यवान है।

(vi) मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन– शीतोष्ण कटिबंध के तटीय भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार जापान, उत्तर-पूर्वी चीन, न्यूजीलैंड, दक्षिणी चिली, पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका तक पाया जाता है। शीत ऋतु में इन वनों के वृक्ष अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

4. कृषि

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) स्थानांतरण कृषि 2. (द) ये सभी 3. (द) सहकारी कृषि 4. (द) ये सभी

ख. सही मिलान कीजिए–

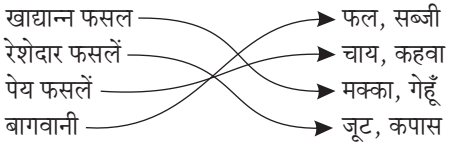

ग. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

1. कांगो-बेसिन में स्थानांतरण कृषि को मासोल कहते हैं।
2. फलों और सब्जियों के उत्पादन को बागवानी कहा जाता हैं
3. चावल के लिए 27°C औसत वार्षिक तापमान, गर्म और आर्द्र जलवायु आवश्यक है।
4. कपास की खेती नील नदी घाटी तथा सिंधु नदी घाटी की सभ्यता के समय से की जा रही है।
5. भारत में पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा में जूट का उत्पादन होता है।
6. ब्राजील विश्व का 'कहवा का कटोरा' माना जाता है।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. गहन कृषि की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं–
   (i) जोत छोटे हैं।
   (ii) मानव श्रम की एक बड़ी मात्रा कार्यरत है।
   (iii) बीज की अधिक उपज देने वाली किस्मों का इस्तेमाल किया जाता है।
   (iv) बहुत अधिक मशीनों का प्रयोग नहीं होता है।

(v) रासायनिक उर्वरकों और हरी खाद का व्यापक रूप से प्रयोग होता है।
(vi) जल-आपूर्ति मुख्यतया सिंचाई के माध्यम से होता है।
(vii) कीटनाशकों और जीवनाशकों का उपयोग फसलों की रक्षा के लिए किया जाता है।
(viii) इसका उद्देश्य बाजार से अधिक मूल्य प्राप्त करना है।

2. डेयरी फार्म के निम्नलिखित गुण हैं–
(i) यह बाजार केंद्रित गतिविधि है।
(ii) पशुओं की देखभाल के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती है।
(iii) भारी पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है।
(iv) फार्म में पशुओं को खिलाने, दुहने और उनकी साफ-सफाई के लिए बड़े पैमाने पर मशीनों का उपयोग होता है।
(v) चूँकि उत्पाद जल्दी खराब हो जाते हैं इसलिए प्रशीतन का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है।

3. **बागवानी-** फलों और सब्जियों के उत्पादन को बागवानी कहा जाता है। इनका उत्पादन नगरों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। परिवहन की तेज और कुशल प्रणाली ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई क्षेत्रों में बागवानी को प्रोत्साहित किया है।

4. **सहकारी कृषि-** इस प्रणाली में, किसान एक संस्था के रूप में कार्य करते हैं। पदाधिकारियों को सदस्यों द्वारा चुना जाता है। सदस्यों की भूमि को जोड़ लिया जाता है और हर सदस्य सहकारी खेत पर कार्य करता है। इसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं–
(i) सहकारी खेत आकार में बहुत बड़े होते हैं।
(ii) मशीनों का व्यापक रूप से विभिन्न कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है।
(iii) सदस्यों को खेतों में सामूहिक कार्य का लाभ मिलता है।
(iv) समिति कृषि उत्पादों की बिक्री की देखरेख करती है।

5. **जूट–** जूट सबसे सस्ता, लेकिन मजबूत एवं टिकाऊ रेशा है। इससे बुनाई करके टाट नामक एक मोटा एवं भद्दा कपड़ा प्राप्त किया जाता है। जूट का रेशा इस पौधे के तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग बोरे तथा दरियाँ बनाने में किया जाता है।
विश्व में जूट का पौधा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक सीमित है। यह इस क्षेत्र में अधिक उगता है। यहाँ उच्च एवं आर्द्र तापमान 25°C के आस-पास, 200 सेमी वर्षा, अत्यधिक उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी उपस्थित है। जूट भारत का सुनहरा रेशा है।
दक्षिण पूर्व एशिया में अत्यधिक सघन रूप में उगाई जाने वाली यह एक प्रमुख रेशा फसल है। भारत, बांग्लादेश एवं चीन विश्व के कुल जूट का 85 प्रतिशत उत्पादन करते हैं। इनके अतिरिक्त, नेपाल, म्यांमार, थाइलैंड एवं ब्राजील में भी थोड़ा जूट उगाया जाता है।
भारत में आसाम, बिहार तथा उड़ीसा में जूट का उत्पादन होता है। बांग्लादेश जूट की वस्तुओं का अग्रणी उत्पादक तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अग्रणी है।

ङ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. कृषि अंग्रेजी के एग्रीकल्चर, तथा लैटिन के दो शब्दों एगर- भूमि का टुकड़ा तथा कल्चरा जुताई करना से बना है। कृषि के अन्तर्गत फसलें उगाना, पशुपालन, बागवानी करना, रेशम-कीट पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि आते हैं। कृषि मनुष्य का प्राचीनतम तथा प्राथमिक व्यवसाय है। आज भी संसार की 50 प्रतिशत आबादी कृषि का कार्य करती है। सिन्धु घाटी सभ्यता के लोगों से लेकर प्राचीन चीन की सभ्यता तक तथा आधुनिक युग तक

कृषि प्रमुख व्यवसाय रहा है। परंतु नई-नई तकनीकों के विकसित होने से आधुनिक युग में कृषि-कार्य करना पहले की अपेक्षा सरल हो गया है।

कृषि करने के प्रकार- विश्व में अत्यधिक चल पर्यावरण की स्थिति के कारण, कृषि की कई पद्धतियाँ विकसित हुई हैं। ये पद्धतियाँ स्थायी नहीं हैं और अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों या ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि के कारण इनमें परिणाम के रूप में संशोधन या सुधार हो सकता है। कृषि के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार नीचे दिए गए हैं–

(क) गहन कृषि- 'कृषि के इस प्रकार में, किसान भूमि के एक छोटे टुकड़े से अधिकतम संभव उत्पादन प्राप्त करने के प्रयास करता है। यह विधि अधिकतर घनी आबादी वाले देशों में प्रचलित है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं–

(i) जोत छोटे हैं।

(ii) मानव श्रम की एक बड़ी मात्रा कार्यरत है।

(iii) बीज की अधिक उपज देने वाली किस्मों का इस्तेमाल किया जाता है।

(iv) बहुत अधिक मशीनों का प्रयोग नहीं होता है।

(v) रासायनिक उर्वरकों और हरी खाद का व्यापक रूप से प्रयोग होता है।

(vi) जल-आपूर्ति मुख्यतया सिंचाई के माध्यम से होता है।

(vii) कीटनाशकों और जीवनाशकों का उपयोग फसलों की रक्षा के लिए किया जाता है।

(viii) इसका उद्देश्य बाजार से अधिक मूल्य प्राप्त करना है।

(ख) निर्वाह कृषि- इस प्रकार की खेती कृषक के परिवार की आवश्यकताएँ जुटाने हेतु की जाती हैं। इसमें किसान परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता है। वह इन फसलों के लिए मृदा की अनुकूलता नहीं देखता। उपज कम होती है और किसान प्रायः गरीब होता है। वह कृषि के लिए प्राचीन तरीके प्रयोग करता है।

(ग) गतिहीन कृषि- प्रारम्भिक दौर में, मानव एक शिकारी, चरवाहे या एक स्थानांतरण कृषक के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता था। जब उसने मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने की विधि सीखी, वह एक ही स्थान पर बस गया। उसने मिट्टी की उर्वरता के संरक्षण के लिए फसलों के चक्र जैसे विभिन्न तरीकों को अपनाया। उसने सरल कृषि उपकरण विकसित किए और पशुधन पालन आरम्भ कर दिया। अपने खाली समय में, कुछ कुटीर उद्योग, जो स्थानीय कच्चे माल पर निर्भर थे, विकसित किए गए। ये गतिविधियाँ एक स्थायी किसान के रूप में उसकी पूरक आय थे।

(घ) स्थानांतरण कृषि- उष्णकटिबंधीय जंगलों में कुछ लोग भूमि के टुकड़े से झाड़ियों को काट और जलाकर साफ कर लेते हैं। वे दो या तीन वर्ष तक प्राचीन उपकरणों और तरीकों के साथ भूमि के इस टुकड़े पर खेती करते हैं। मृदा क्षारीय और अनुत्पादक हो जाती है। घासफूस और अवांछित वनस्पति तेजी से ऐसी भूमि पर अतिक्रमण करते हैं। इसलिए किसान वन में एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित होते रहते हैं जहाँ वे भूमि के नए टुकड़े को साफ करते हैं।

स्थानांतरण खेती बहुत विनाशकारी होने के बाद भी विश्व के कई भागों में प्रचलित है और विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती है। यह उत्तर-पूर्व भारत में झूम, मलेशिया प्रायद्वीप में लदांग, फिलिपीन्स में चेंगिन, मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में न्यूक, ब्राजील में रोका और कांगो बेसिन में मासोल के नाम से जानी जाती है।

2. **(i) चावल –** उत्तर-पूर्व भारत में पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों, हिंद-चीन तथा दक्षिण-पश्चिम

चीन में चावल का उत्पादन किया जाता है। पूरे विश्व में चावल की 65,000 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं।

चावल मुख्य रूप से मानसूनी प्रदेश की फसल है, लेकिन इसे अन्य उपोष्ण और पहाड़ी क्षेत्रों में भी उगाया जाता है जहाँ इसकी खेती के लिए उचित जल और तापमान मिलता है। चावल के लिए 27°C औसत वार्षिक तापमान, गर्म और आर्द्र जलवायु आवश्यक है। इसकी खेती के लिए 100 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई आवश्यक है।

ऐसा अनुमान है कि चावल उत्पादन के कुल क्षेत्र का 90 प्रतिशत से अधिक भाग एशिया में संकेंद्रित है। प्रमुख चावल उत्पादक देश भारत, चीन, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश तथा मलेशिया हैं। भारत में प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र निम्न एवं मध्य गंगा डेल्टा, ब्रह्मपुत्र घाटी तथा केंद्रीय निम्न भूमि में स्थित है। डेल्टा प्रमुख क्षेत्र हैं, जहाँ पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी डेल्टा में चावल का उत्पादन किया जाता है। हाल के कुछ वर्षों में सिंचाई सुविधाओं के फलस्वरूप पंजाब एवं हरियाणा प्रमुख चावल उत्पादक राज्य बनाए गए हैं।

(ii) गेहूँ – यह समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों की प्रमुख फसल है, लेकिन गेहूँ में सभी जलवायु स्थितियों में अनुकूलन का गुण होने से यह अभी अन्य खाद्यान फसलों की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। यही कारण है कि साइबेरिया के समशीतोष्ण क्षेत्रों से लेकर एशिया एवं अफ्रीका के उष्ण क्षेत्रों में गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। गेहूँ में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है। यह सर्वाधिक पौष्टिक अनाजों में से एक है। विश्व के अधिकांश भाग के व्यक्तियों का यह एक मुख्य भोजन है। इसे पकाते समय 16°C औसत तापमान तथा स्वच्छ आसमान की आवश्यकता पड़ती है। चावल की अपेक्षा गेहूँ के लिए कम वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि गेहूँ का उत्पादन सभी प्रकार की मिट्टियों में किया जाता है, लेकिन दोमट एवं चर्नोजम मिट्टियाँ गेहूँ उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त हैं।

भारत में गेहूँ का उत्पादन भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण देश में किया जाता है। गेहूँ शीत ऋतु में उगाया जाता है।

3. **पेय पदार्थ फसलें-** चाय एवं कहवा दो महत्वपूर्ण पेय पदार्थ फसलें हैं। इन्हें नकदी फसलें भी कहते हैं। इन दोनों का संपूर्ण विश्व में सेवन किया जाता है। इनका विशेषकर यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में उपयोग किया जाता है, जहाँ इनका उत्पादन नहीं होता है।

(i) चाय- पहले चाय की झाड़ियों की बुआई कर दी जाती है। बुआई के चार अथवा पाँच वर्षों पश्चात् चाय तोड़ने हेतु तैयार हो जाती है। चाय का पौधा एक झाड़ी की पत्तियों से प्रकीर्णन के पश्चात् चाय की पत्तियाँ प्रदान करता है, जो उष्ण मानसून क्षेत्रों के ढालू पहाड़ी क्षेत्रों में खूब उगती है।

चाय के पौधे के लिए 25°C औसत तापमान तथा 125 से 250 सेमी के बीच वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। यह वर्षा वर्ष भर सुवितरित होनी चाहिए। पौधों की जड़ों के निकट जल नहीं रुकना चाहिए। अतः चाय के बागान पहाड़ी ढालों पर पाए जाते हैं। चाय के लिए मिट्टी गहरी, उर्वर तथा ह्यूमस से पूर्ण होनी चाहिए।

पहाड़ी ढालों पर चाय के बागान सीढ़ीनुमा खेतों में उगाए जाते हैं, ताकि मृदा अपरदन को कम किया जा सके। इन बागानों से नियमित रूप से खरपतवार निकाले जाते हैं। चाय के चुनने तथा प्रकीर्णन में मानव श्रम की अधिक आवश्यकता पड़ती है। चाय की पत्तियों को बीनने तथा

चुनने का कार्य स्त्री श्रमिकों द्वारा कराया जाता है। अतः चाय बागान एक श्रम केंद्रित कृषि है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और कीनिया अन्य प्रमुख चाय उत्पादक देश हैं। क्षेत्रफल के आधार पर चीन का प्रथम स्थान है। उसके बाद क्रमशः भारत व चीन चाय के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं।

(ii) कहवा- कुछ व्यक्तियों का विचार है कि कहवा समाज के प्रतिष्ठित वर्ग का पेय पदार्थ है, जबकि अन्य व्यक्ति धार्मिक आधार पर इसे एक मादक पेय पदार्थ कहते हैं। यह द्वितीय सर्वाधिक पेय पदार्थ फसल है। कहवा उष्ण कटिबंधीय जलवायु दशाओं का पौधा है, जो समुद्र तल से 500 से 1500 मीटर की ऊँचाई के मध्य उच्च भूमि ढालों पर सफलतापूर्वक उगाया जाता है।

कहवा की दो प्रमुख किस्में–अरेबिका एवं रोबस्टा हैं। अन्य प्रजातियों में लाइबेरिका एवं ऐस्लियाका सम्मिलित हैं।

कहवा का पौधा उच्च आर्द्र जलवायु दशाओं में पनपता है तथा इसके लिए 160 से 250 सेमी के मध्य की वर्षा आवश्यक है। कहवा उत्पादन के लिए 15°C से 25°C तक के उच्च तापमान वाली गर्म जलवायु तथा समृद्ध गहरी, सरंध्र तथा जल से सुप्रवाहित लैटराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कहवा का पौधा सूर्य की सीधी किरणों तथा पाले को सहन नहीं कर सकता है। अतः इन्हें छायादार वृक्षों, विशेषकर केले के पौधों के नीचे उगाया जाता है।

ब्राजील प्रमुख कहवा उत्पादक देश है। ब्राजील विश्व का 'कहवा का कटोरा' माना जाता है। कहवा उत्पादन में ब्राजील का प्रथम स्थान है। कोलंबिया दूसरा सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। वेनेजुएला, जमैका, वेस्टइंडीज तथा दक्षिण-पूर्व एशिया भी प्रमुख कहवा उत्पादक देश हैं। भारत में ब्रिटिशों ने कहवा का उत्पादन किया था। श्रेष्ठतर गुणवत्ता के कारण भारत के कहवा की विदेशों में बहुत माँग है। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में कहवा का उत्पादन किया जाता है।

रचनात्मक कार्य

स्वंय करो

5. उद्योग

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (ब) औद्योगिक गतिविधि से 2. (द) (अ) व (स) दोनों 3. (अ) 480 ई0 पू0 4. (अ) अहमदाबाद को

ख. सत्य और असत्य लिखिए–

1. सत्य 2. असत्य 3. सत्य 4. असत्य 5. असत्य

ग. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

1. कुछ उद्योग उत्पाद की प्रकृति की दृष्टि से आधारभूत होते हैं, इन्हे कुँजी उद्योग कहते हैं।
2. कच्चा माल उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ईंट-टाइल, सीमेंट, काँच, चीनी आदि अनेक उद्योग पूर्ण रूप से कच्चे माल की उपलब्धता पर ही निर्भर रहते हैं।
3. कठोर इस्पात बनाने के लिए इस्पात में अनेक लौह-पूरक धातुओं; जैसे- मैगनीप, टंगस्टन, क्रोमियम, निकिल, कोबाल्ट, बैकेडिम, मोलिब्डेनम तथा डोलोमाइट एवं चूना आदि को मिलाया जाता है।

4. भारत में सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र है- मुंबई, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, गुजरात तथाा तमिलनाडु।
5. भारत में सूती वस्त्र तीन क्षेत्रों मे बनाए जाते हैं- हथकरघे, विद्युत चालित करघे तथा कारखाना।
6. भारत में मोटरगाड़ी निर्माण मुख्यतः गुड़गाँव में हो रहा है।
7. भारत में वायुयान संबधी उपकरण कानपुर, बंगलुरू, नासिक, हैदराबाद, कोरापुर एवं लखनऊ में बनाए जाते हैं।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. **(i) कच्चा माल–** कच्चे माल का उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण स्थान है। खनिज पदार्थ और कृषिय पदार्थों से कच्ची सामग्री प्राप्त होती है। अनेक उद्योग; जैसे– ईंट एवं टाइल, सीमेंट, काँच, चीनी आदि के उद्योग की स्थापना कच्चे माल की प्राप्ति के पास ही की जाती है।

   (ii) ऊर्जा– ऊर्जा (शक्ति) के अभाव में कच्ची सामग्री को तैयार वस्तुओं में बदलना संभव नहीं है। कारखानों को चलाने के लिए विद्युत या कोई अन्य शक्ति की जरूरत होती है जोकि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस से निर्मित तापीय ऊर्जा या जल विद्युत द्वारा प्राप्त की जाती है। कुछ बड़े उद्योगों; जैसे– लोहा, इस्पात, ऐल्युमीनियम, सीमेंट आदि में भारी मात्रा में शक्ति की आवश्यकता पड़ती है।
2. ओसाका जापान का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र है। यह एक बहुत व्यस्त पत्तन है। ओसाका किंकी क्षेत्र में स्थित है। यह जापान के वस्त्र उद्योग का प्रमुख केन्द्र है। इसलिए इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका के चारों ओर विस्तृत मैदान है, जहाँ सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना की गई है। इसके दक्षिण की ओर की स्थिति कच्चे माल के आयात तथा तैयार माल का निर्यात करने के लिए सुविधाजनक है। यहाँ वस्त्र उद्योग के विकास के प्रमुख कारण यहाँ उपलब्ध सस्ते श्रमिक तथा इसकी आर्द्र जलवायु है। यहाँ सूती वस्त्र के अतिरिक्त लौह-इस्पात, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, सीमेंट, जहाजरानी आदि उद्योग भी विकसित हैं।
3. **पोत-निर्माण उद्योग-** ग्रेट ब्रिटेन पोत निर्माण में अग्रणी रहा है। परन्तु 1950 ई0 के बाद ग्रेट ब्रिटेन में पोत-निर्माण उद्योग में भारी कमी आई। यहाँ पोत-निर्माण के चार मुख्य केंद्र हैं– क्लायटु नदी के तट पर, टाइन, रटीज, वियर एवं वेस्ट हार्टल पूल नदियों के निचले भाग में, इंग्लैंड-बर्किनहेड के उत्तर पश्चिमी तट पर तथा बलेफास्ट।

   संयुक्त राज्य अमेरिका में अटलांटिक तट, न्यू इंग्लैंड प्रदेश, झील प्रदेश प्रशांत तट और खाड़ी तट, रूस में ब्लाडीवोस्ट, आर्कोजिल्स्क, कोम्सोमोलस्क, सेंट पीटसबर्ग, वोल्गो ग्राह, मुरमांस्क आदि, जापान में हिरोशिमा, ओसाका, इमाबारी, कुरे, नागासाकी, याकोहामा, कोबे, शिमोनोसेकी और शिमोदर तथा भारत में काँची, मुंबई, विशाखापत्तनम एवं गोवा पोत निर्माण के महत्त्वपूर्ण केंद्र हैं।
4. **पेट्रो रसायन-उद्योग-** इस उद्योग का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। अनेक प्रकार के पेट्रो रसायन-उत्पादनों का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। कोयले के उपजात पदार्थों एवं पेट्रोलियम पदार्थों पर यह उद्योग आधारित है। इनका प्रयोग वस्त्र, चमड़ा, काँच, उर्वरक, साबुन और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योगों में किया जाता है। तेल-शोधनशालाओं के पास ही ये उद्योग स्थापित हो गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, जापान एवं भारत में अनेक पेट्रोरसायन-उद्योग स्थापित किए गए हैं।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. **उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक-** उद्योगों की स्थापना के स्थान का चुनाव करते समय अनेक भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों पर ध्यान दिया जाता है।

भौगोलिक कारकों में मुख्य हैं– कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति (ऊर्जा) के साधन, श्रम की आपूर्ति परिवहन और संचार के साधन, जल की प्राप्ति और बाजार। भूमि, पूँजी, प्रबंध व्यवस्था, संगठन और उद्यमिता मुख्य हैं। सरकारी नीतियाँ एवं संरक्षण तथा विज्ञान एवं तकनीक (प्रौद्योगिकी) में दक्षता भी उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं।

(i) कच्चा माल – कच्चे माल का उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण स्थान है। खनिज पदार्थ और कृषिय पदार्थों से कच्ची सामग्री प्राप्त होती है। अनेक उद्योग; जैसे– ईंट एवं टाइल, सीमेंट, काँच, चीनी आदि के उद्योग की स्थापना कच्चे माल की प्राप्ति के पास ही की जाती है।

(ii) ऊर्जा– ऊर्जा (शक्ति) के अभाव में कच्ची सामग्री को तैयार वस्तुओं में बदलना संभव नहीं है। कारखानों को चलाने के लिए विद्युत या कोई अन्य शक्ति की जरूरत होती है जोकि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस से निर्मित तापीय ऊर्जा या जल विद्युत द्वारा प्राप्त की जाती है। कुछ बड़े उद्योगों; जैसे– लोहा, इस्पात, ऐल्युमीनियम, सीमेंट आदि में भारी मात्रा में शक्ति की आवश्यकता पड़ती है।

(iii) परिवहन के साधन– कारखानों को कच्चा माला मँगाने एवं निर्मित माल को भेजने के लिए परिवहन के साधनों की जरूरत होती है। इसके लिए सड़कों, रेलमार्गों एवं पाइप लाइनों आदि का होना आवश्यक है।

(iv) श्रम– स्वचालन की उद्योगों में वृद्धि होने से कुशल अथवा दक्ष श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसीलिए संसार में मुख्य विनिर्माणी उद्योग घने आबाद क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ कुशल श्रमिक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो जाते हैं।

(v) पूँजी बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। उद्योगों के लिए कारखानों, गोदामों, इमारतों के निर्माण व मशीनों के लिए पूँजी का विनियोग बड़ी मात्रा में करना होता है। अतः प्रति व्यक्ति कम आय वाले देशों में बड़े उद्योगों की स्थापना असंभव होती है। किसी उद्योग के लिए पूँजी तथा बैंकिग की सुविधाएँ जरूरी हैं।

(vi) सरकारी नीतियाँ– कर, अनुदान, सरकारी संरक्षण आदि नीतियाँ भी उद्योगों की स्थापना के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। इसके उदाहरण कपूरथला में रेल कोच, मथुरा में तेल-शोधन, जगदीशपुर में उर्वरक के कारखाने हैं। ऐतिहासिक एवं व्यक्तिगत आदि कारण भी उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं।

(vii) बाजार– किसी उद्योग के लिए बाजार का होना आवश्यक है। अधिकतर उद्योग बाजारोन्मुख होते हैं। कहवा, चाय, चीनी आदि के उद्योग ऐसे ही उद्योग हैं। बाजारों के निकट ही भारी मशीनों की स्थापना की जाती है। आइसक्रीम तथा बेकरी जैसे उपभोक्ता उद्योग भी बाजारों के पास ही स्थापित किए जाते हैं।

(viii) जल-आपूर्ति– अनेक उद्योग में जल बहुत महत्त्वपूर्ण होता है इसलिए जल उपलब्ध होना आवश्यक है। कागज- उद्योग, वस्त्र उद्योग एवं इस्पात-उद्योग ऐसे ही उद्योग हैं।

2. **लौह-इस्पात उद्योग-** प्रत्येक औद्योगिक स्थान की आधारशिला लौह-इस्पात उद्योग है। इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। लौह-इस्पात उद्योग आधुनिक सभ्यता का आधार स्तम्भ है। सभी प्रकार की मशीनें, यंत्र एवं उपकरण आदि लौह-इस्पात से ही बनाए जाते हैं। पुलों, इमारतों, कारखानों परिवहन, संचार के माध्यमों आदि के निर्माण में इस्पात का ही प्रयोग किया जाता है। आज से लगभग 2,000 वर्ष पूर्व भी मनुष्य को लोहे का ज्ञान था। लोहे के आधार पर ही 'लौह सभ्यताएँ' विकसित हुई थी। आज से लगभग 480 ई0 पू0 भारत में लौह-इस्पात का प्रयोग करना आरम्भ हुआ था।

लौह अयस्क (लोहे की कच्ची धातु) से इस्पात बनाया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार का कठोर इस्पात बनाने के लिए इसमें अनेक लौह-पूरक धातुओं; जैसे– मैंगनीज, टंगस्टन, क्रोमियम, निकिल, कोबाल्ट, बैकेडिम, मोलिब्डेनम तथा डोलोमाइट एवं चूना आदि को मिलाया जाता है। इन सभी को भट्‌टी में पिघलाकर इस्पात बनाया जाता है। कोयला और जल भी इस्पात के निर्माण के लिए जरूरी हैं।

आधुनिक इस्पात संयंत्र प्रकार्य में समेकित एवं आकार में बड़े होते हैं। ये घने आबाद क्षेत्रों में स्थापित होते हैं जहाँ इनके लिए पर्याप्त श्रमिक और बाजार (माँग) हो। इस्पात बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री भारी (वजनी) तथा सस्ती होती है। इसके लिए परिवहन के सस्ते साधनों का होना आवश्यक है। अधिकतर कच्चा लोहा प्राप्त होने वाले स्थान के पास ही इस्पात के कारखाने स्थापित किए जाते हैं। प्रौद्योगिकी का विकास से 1960 ई0 के बाद इस्पात के कारखानों की स्थापना में किसी एक कारक की ही भूमिका नहीं रही हैं। अब बाजार का उपलब्ध होना इसकी स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गया है।

लोहा इस्पात के उत्पादन में महत्वपूर्ण देश क्रमशः चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, दक्षिणी कोरिया, ब्राजील, इटली, जर्मनी, यूक्रेन, फ्रांस, भारत, टर्की, कनाड़ा, स्पेन, ब्रिटेन, बेल्जियम तथा पौलैंड आदि हैं।

भारत का लोहा इस्पात उद्योग अधिकतर दामोदर घाटी में विकसित है। यहाँ जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी एवं आसनसोल में इस्पात कारखाने स्थित हैं। इस्पात कारखाने भिलाई (छत्तीसगढ़), सलेम (तमिलनाडु), भद्रावती (कर्नाटक), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) तथा राउरकेला (उड़ीसा) में भी स्थित हैं। जमशेदपुर का इस्पात कारखाना निजी क्षेत्र में तथा शेष सभी कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र (सरकारी क्षेत्र) में हैं। भारत में लौह-इस्पात उद्योग विकसित अवस्था में है और उन्नतिशील है।

3. **वस्त्र उद्योग-** मनुष्य की आवश्यक आवश्यकताओं में भोजन के बाद वस्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य द्वारा सूती, रेशमी, ऊनी और कृत्रिम रेशों से बने वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। सूती वस्त्रों का प्रयोग सबसे पहले अधिक होता था। सूती वस्त्र रुई (कपास) से बनाए जाते हैं।

सूती वस्त्र उद्योग- सूती वस्त्र उद्योग सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। सूती वस्त्रों का प्रयोग सिंधु घाटी काल में भी पाया जाता है। उस समय सूती वस्त्र-उद्योग कुटीर स्तर पर था। औद्योगिक क्रांति के बाद ही सूती वस्त्रों का उद्योग कारखाना स्तर पर आरंभ हुआ। इंग्लैंड में कपास ओटने, धागा लपेटने आदि मशीनों का आविष्कार होने से सूती-वस्त्र-उद्योग को नई दिशा मिली। 19वीं सदी में अमेरिका, यूरोप और एशिया के देशों में भी सूती भारत, जापान एवं चीन एशिया के तीन मुख्य भारतीय सूती वस्त्र-उद्योग ब्रिटिश शासन के आरंभ होने तक अपनी उत्तमता के लिए प्रसिद्ध था। कालीकट की केलिको, मछलीपट्‌नम की छींट, ढाका की मलमल तथा सूरत, बुरहानपुर एवं बड़ौदरा के जरीदार वस्त्र अपने डिजाइनों के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। लेकिन वे ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते वस्त्रों के सामने टिक नहीं सके। भारत में सूती वस्त्र का आधुनिक प्रकार का पहला कारखाना 1854 में मुबंई में स्थापित किया गया। इसके बाद अहमदाबाद में भी अनेक सूती वस्त्रों की मिलें लगाई गईं। आज भारत के 80 नगरों में सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। इस उद्योग का संकेंद्रण मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात एवं तमिलनाडु में मिलता है।

भारत में सूती वस्त्र तीन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं– हथकरघे, विद्युत चालित करघे तथा कारखाना। सूती-वस्त्र-उद्योग में धागा बनाने के कारखाने शामिल हैं। धागा और वस्त्र एक साथ बनाने

वाले कारखाने को 'समेकित' कहते हैं। क्रमानुसार सूती वस्त्र बनाने वाले देशों में चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, ब्राजील, टर्की, दक्षिण कोरिया, इटली, मिस्र, जापान, यूनान, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, इंडोनेशिया आदि महत्वपूर्ण हैं। चीन विश्व में सबसे अधिक सूती वस्त्र तैयार करता है जो विश्व उत्पादन का 40% से भी अधिक उत्पादन करता है। भारत में 25% से अधिक सूती वस्त्र निर्मित होता है।

भारत में सूती वस्त्रों के सबसे अधिक कारखाने महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य में स्थित हैं। ये दोनों राज्य मुख्य कपास उत्पादक हैं। हालाँकि कृत्रिम रेशों के आविष्कार के कारण सूती-वस्त्र उद्योग की उत्पादन क्षमता में कमी आई है। कारखानों की अपेक्षा अब विकेंद्रित या असंगठित क्षेत्र (करघा क्षेत्र) में भारत का 75% से भी अधिक वस्त्र बनता है। यह प्रवृत्ति कारखानों की घिसी-पिटी मशीनों, श्रमिकों की हड़तालों, कच्चे माल की समस्या तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कड़ी प्रतिस्पर्धा आदि कारणों से विकसित हुई है।

अहमदाबाद भारत का दूसरा बड़ा वस्त्र उत्पादक केन्द्र है। यह साबरमती नदी के किनारे अवयस्थित गुजरात राज्य का प्रमुख शहर है। इसे 'भारत का मैनचेस्टर' कहा जाता है। यहाँ कभी कताई-बुनाई का पेशा जोरो-शोरों पर था, परंतु अब इसने उद्योग का आकार ले लिया है। यह स्थान कपास उत्पादन क्षेत्रों से चारों ओर से घिरा है। इस कारण इसे कच्चा माल सरलता से सुलभ हो जाता है।

ओसाका जापान का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र है। यह एक बहुत व्यस्त पत्तन है। ओसाका किंकी क्षेत्र में स्थित है। यह जापान के वस्त्र उद्योग का प्रमुख केन्द्र है। इसलिए इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका के चारों ओर विस्तृत मैदान है, जहाँ सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना की गई है। इसके दक्षिण की ओर की स्थिति कच्चे माल के आयात तथा तैयार माल का निर्यात करने के लिए सुविधाजनक है। यहाँ वस्त्र उद्योग के विकास के प्रमुख कारण यहाँ उपलब्ध सस्ते श्रमिक तथा इसकी आर्द्र जलवायु है। यहाँ सूती वस्त्र के अतिरिक्त लौह-इस्पात, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, सीमेंट, जहाजरानी आदि उद्योग भी विकसित हैं।

रेशमी वस्त्र-उद्योग में चीन का प्रथम स्थान है। यहाँ विश्व का 60% से भी अधिक कच्चा रेशम तथा 85% रेशम वस्त्र तैयार किए जाते हैं। भारत कच्चे रेशम के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। चीन के रेशमी वस्त्रों के निर्माण में क्रमानुसार महत्वपूर्ण देश रूस, जापान, रोमानिया, लिथुआनिया, उजबेकिस्तान, बुल्गारिया आदि हैं। रेशमी वस्त्र-उद्योग में भी सूती वस्त्रों की भाँति सिंथेटिक वस्त्रों का मिश्रण अधिक किया जाने लगा है।

ऊनी वस्त्र-उद्योग के लिए ऊनी धागों के निर्माण में चीन, जापान, इटली, टर्की, रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चीन विश्व के ऊनी वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करता है। चीन के बाद उत्पादन में क्रमानुसार इटली, जापान, टर्की, जर्मनी, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा पोलैंड देश हैं।

भारत के उत्तरी भागों में शीतकाल होने पर ही ऊनी वस्त्रों का कम उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मुंबई एवं राजस्थान में ऊनी वस्त्रों के कारखाने स्थित हैं। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों में करघों द्वारा ऊनी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है।

4. भारी इंजीनियरिग उद्योग के अंतर्गत औद्योगिक मशीनरी उपकरण, मोटर-कार, रेल के इंजन, वायुयान एवं जलपोत निर्माण, कृषि के उपकरण, विद्युत उपकरण आदि आते हैं। इन सभी के निर्माण में लोहा इस्पात और अन्य धातुएँ प्रयोग की जाती हैं। इन वस्तुओं के निर्माण में विद्युत की खपत कम होती है। विनिर्मित वस्तुओं के परिमाण में वृद्धि होने के कारण इनको एक स्थान

से दूसरे स्थान पर ले जाने एवं रख-रखाव तथा उत्पादन में लागत अधिक आती है।

मोटर कार उद्योग- 1865 ई0 में मोटर-कार उद्योग का आरंभ आस्ट्रिया के सिग फ्रीड मार्कस ने गैसोलिन से चलने वाली कार के निर्माण से किया। जर्मनी के नाथ आटो, कार्ल वेंज और गॉटफ्रीड डायमलर द्वारा 1880 के दशक में तथा फ्रांस में एमिली लेवासर द्वारा मोटर गाड़ी में विभिन्न सुधार किए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1892-94 ई0 में हेनरी, फोर्ड, चार्ल्स टूरिया रैंसम ओल्डस, एलवुड हेंज और एमर्सन भाइयों ने गैसोलिन से चलने वाली गाड़ी बनाने के सफल प्रयत्न किए। मोटर गाड़ी निर्माण एक असेम्बल उद्योग है जिसमें गाड़ी के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। इसका आधार लोहा तथा इस्पात ही है।

मोटर-गाड़ी निर्माण में संयुक्त राज्य अमेरिका अग्रणी देश है। इस उद्योग का मुख्य केंद्र डेट्रायट है, जहाँ हेनरी फोर्ड ने अपना कारखाना स्थापित किया था। ओहायों राज्य में एक्रन नगर डेट्रायट का 'उपग्रह नगर' है, यहाँ रबड़ के टायर-टयूब बनते हैं। फोर्ड, फिसलर और जनरल मोटर्स, ये तीन बड़ी कंपनियाँ डेट्रायट में मोटर गाड़ी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। बफैलों, टोलैडो एवं शिकागो मोटर गाड़ी उद्योग के अन्य प्रमुख केंद्र हैं।

विश्व में मोटरगाड़ी-निर्माण में ब्रिटेन का तीसरा स्थान है। ग्रेटर लंडन, कवेंट्री, आक्सफोर्ड, बर्मिघंम आदि मोटर-गाड़ी निर्माण के मुख्य केन्द्र हैं।

मोटरगाड़ी-निर्माण के जर्मनी में वुल्फवर्ग, फ्रांस में पेरिस, रूस में गोर्की, इटली में मिलान एवं त्यूरिन महत्त्वपूर्ण स्थान हैं।

भारत में मोटरगाड़ी-उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इटली और कोरिया की कंपनियाँ मोटरगाड़ी-निर्माण में सहयोग कर रही हैं। गुडगाँव स्थित मारूति उद्योग लिमिटेड इसका अच्छा उदाहरण है।

एशिया में जापान विश्व का सबसे बड़ा कार-निर्माता देश है। टोकियो, याक, कावागुजी, हिरोशिमा, ओसाका एवं कोरोमा कार निर्माण के मुख्य केंद्र है।

रेल-इंजन कोच वैगन निर्माण-उद्योग- रेल संबंधी उद्योगों में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का अग्रणी देश है। रेल के इंजन, शेनेक्टाडी, लैंगरेंज, पिट्सबर्ग, बेलोइट, एडिस्टोन लीमा एवं स्क्रेंटन में बनाए जाते हैं। वैगन, अल्तूना, मैकीजराक शिकागो, बरबिक, बटलर, सेंट लुई, एवं मिशिगन सिटी में तथा कोच पुलमेन एवं शिकागों में बनाए जाते हैं।

ग्रेट ब्रिटेन में कैब्रे, स्वीडन, यार्क, बर्मिघम, एशफोर्ड, डर्बी, प्रीस्टले, हार्विच, प्रेस्टन, मैनचेस्टर आदि मुख्य केंद्र हैं।

रूस में सेंट पीट्सबर्ग, निझनीतागिल, ब्रियांस्क स्वर्डलोवस्क, गोर्की, नाप्रोझेरझिंस्क चीता आदि में रेल वैगन बनाए जाते हैं।

जापान में नगोया, टोकियो, ओसाका, हिरोशिमा, कोने, निगाता, मितो, हिताची, शिगा एवं क्वोटो मुख्य केंद्र हैं।

भारत में रेल इंजन चितरंजन, जमशेदपुर एवं वाराणसी में; वैगन और कोच पैरांबूर एवं कपूरथला में बनाए जाते हैं।

पोत-निर्माण उद्योग- ग्रेट ब्रिटेन पोत निर्माण में अग्रणी रहा है। परन्तु 1950 ई0 के बाद ग्रेट ब्रिटेन में पोत-निर्माण उद्योग में भारी कमी आई। यहाँ पोत-निर्माण के चार मुख्य केंद्र हैं– क्लायटु नदी के तट पर, टाइन, रटीज, वियर एवं वेस्ट हार्टल पूल नदियों के निचले भाग में, इंग्लैंड-बर्किनहेड के उत्तर पश्चिमी तट पर तथा बलेफास्ट।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अटलांटिक तट, न्यू इंग्लैंड प्रदेश, झील प्रदेश प्रशांत तट और खाड़ी तट, रूस में ब्लाडीवोस्ट, आर्कोजिल्स्क, कोम्सोमोलस्क, सेंट पीटसबर्ग, वोल्गो ग्राह, मुरमांस्क आदि, जापान में हिरोशिमा, ओसाका, इमाबारी, कुरे, नागासाकी, याकोहामा, कोबे, शिमोनोसेकी और शिमोदर तथा भारत में काँची, मुंबई, विशाखापत्तनम एवं गोवा पोत निर्माण के महत्त्वपूर्ण केंद्र हैं।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

6. मानव-संसाधन

अभ्यास

क. निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (द) ये सभी 2. (अ) धार्मिक केन्द्र 3. (स) 1/6 4. (स) 940

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. संसाधन 2. असमान 3. जनसंख्या 4. जनसंख्या 5. साक्षरता

ग. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

1. मनुष्य की कुशलता व योग्यता किसी भी संसाधन को यदि सम्पत्ति में परिवर्तित करे, तो माना जाना चाहिए कि वह दक्ष है।
2. भारत के औद्योगिक नगर हैं- मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली तथा बंगलुरू।
3. देश की लगभग आधी जनसंख्या पाँच राज्यों- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा मध्य प्रदेश में निवास करती है।
4. जनसंख्या के घनत्व से आशय प्रति इकाई क्षेत्र (प्रतिवर्ग किलो-मीटर) में निवास करने वाले लोगों की औसतन संख्या से है।
5. लिंगानुपात (लिंग सघटन) से तात्पर्य प्रति 100 पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या से है।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. देश और व्यक्ति दोनों के विकास के लिए मानव संसाधनों का बहुत अधिक महत्त्व है। किसी भी देश के पर्याप्त संख्या में उच्च शिक्षित एवं प्रशिक्षित लोग अधिक और कुशलता से दुर्लभ संसाधनों को बरबाद किये बिना उत्पादन कर सकते हैं। मानव संसाधन प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं; क्योंकि वे अन्य लोगों को अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने तथा उनका अधिकाधिक उपयोग करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार किसी देश की स्वस्थ व शिक्षित जनसंख्या उसके लिए उपयोगी संसाधन बन जाती है। अपनी कुशलता को लगातार विकसित करने की प्रवृत्ति ही व्यक्ति को अनेक बाधक तत्त्वों को दूर करने में प्रवीण बना देती है। बहुत-से ऐसे तरीके हैं जो मनुष्यों को अपने देश के लिए मूल्यवान संसाधन बना देते हैं।

   गैर-वेतनभोगी व्यक्ति भी देश के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमारे देश की बहुत-सी स्त्रियाँ कार्य करने के लिए घर से बाहर नहीं जातीं, वे प्रायः घर के भीतर ही कार्य करती हैं। वे घरेलू कार्य, बच्चों का लालन-पालन और बुजुर्गों की देखभाल करती हैं। जब स्त्रियाँ शिक्षित होंगी तो वे अपने घरेलू कार्य; जैसे– बच्चों की शिक्षा आदि; को अपने अशिक्षित होने की तुलना में अच्छी तरह से कर सकेंगी। बच्चों का ध्यान रखकर और उनको पढ़ाने का कार्य करके भी स्त्रियाँ देश के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं, क्योंकि वही बच्चे आगामी वर्षों में देश के लिए महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन बनते हैं।

2. **लिंग-अनुपात-** लिंग संघटन या लिंगानुपात से तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से है। यदि किसी देश का लिंग-अनुपात 1000 है तो इसका तात्पर्य है कि देश में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या समान है। यदि यह लिंग-अनुपात 1100 है तो इसका आशय यह है कि उस देश में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है। यह आँकड़ा प्रदर्शित करता है कि महिलाओं की दशा अच्छी है। यदि लिंग-अनुपात 1000 की बजाय 980 हो तो यह आँकड़ा स्त्रियों की हीन दशा का सूचक है।

   दिए गए ग्राफ-चित्र के अनुसार, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका व कैरेबियाई और यूरोपीय देशों में लिंग-अनुपात स्त्रियों की उन्नत दशा का सूचक है। इसके विपरीत एशिया महाद्वीप में जो प्रमुख रूप से विश्व की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, लिंग-अनुपात कुछ नीचा है, जो स्त्रियों की हीन दशा का सूचक है।

3. **आयु-संरचना-** जनसंख्या का आयु अनुसार वितरण सरकार के अनेक विकास-कार्यक्रमों की तैयारी में सहयोग प्रदान करता है। आयु की दृष्टि से जनसंख्या को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है– (i) 0-14 वर्ष, (ii) 15-64 वर्ष, (iii) 65 वर्ष से ऊपर

   निम्नांकित तालिका में सन् 2011 में आयु-संरचना (प्रतिशत में) को प्रदर्शित किया गया है–

   कार्यशील आयु-वर्ग (15-64) हमेशा अन्य आयु-वर्गों से बड़ा रहा है। यह वर्ग सभी भागों में प्राकृतिक और सामान्य है। मध्यम और उच्च आय वाले देशों में कार्यशील आयु-वर्ग अधिक बड़ा है। मध्यम तथा निम्न आय वाले देशों में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। विकसित और धनी देशों में वृद्धों की संख्या बहुत अधिक है। वृद्धों का प्रतिशत ऊँचा होने से फैक्ट्री, फार्मों और कार्यालयों में कामगारों की संख्या कम हो जाएगी। सरकार को उन्हें बनाये रखने हेतु अच्छे स्वास्थ्य और देखभाल के लिए प्रबन्ध करने होंगे।

   भारत की स्थिति निम्न-मध्यम आय वर्ग वाले देशों के मध्य है। इसमें 30.76% लोग युवा तथा 5.5% लोग वृद्ध हैं। इसका अर्थ है कि 36.26% आश्रित जनसंख्या 63.74% कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर करती है। सरकार को युवा-वर्ग के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ मुहैया कराने का प्रयास करना चाहिए।

4. **जनसंख्या की वृद्धि एवं आर्थिक विकास**- किसी भी देश की जनसंख्या की वृद्धि उसके आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। विकासशील देशों में प्रायः जनसंख्या की वृद्धि दर ऊँची मिलती है। इसमें खाद्यान्नों की आपूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अनेक अफ्रीकी देशों में भोजन की कमी की समस्या मौजूद है। इस कारण लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो निम्न उत्पादकता का कारण बनता है। यही नहीं, जनसंख्या की वृद्धि-दर ऊँची रहने पर आवास (मकान) की भी समस्या पैदा होती है। भूमि तथा भवन के किराये बढ़ जाते हैं तथा वहाँ के लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहने को मजबूर हो जाते हैं, जहाँ जलापूर्ति तथा सफाई की सामान्य सुविधाएँ भी नहीं हैं। इससे बीमारियाँ फैलती हैं तथा लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता है। बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, व रोजगार की कमी से सामाजिक अपराधों में वृद्धि जैसी अनेक समस्याएँ पैदा होती हैं। निवासियों का जीवन-स्तर निम्न हो जाता है। जनसंख्या की वृद्धि होने से प्राकृतिक या अन्य संसाधनों की माँग में वृद्धि हो जाती है। परिणामस्वरूप वनों तथा अन्य संसाधनों का तेजी से विनाश होता है। इससे पर्यावरण का अवनयन होता है तथा पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएँ पैदा हो जाती हैं।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी होते हैं–

भौगोलिक कारक-(i) जलवायु– जलवायु भी जनसंख्या वितरण के महत्त्वपूर्ण कारकों में से एक है। लोग ज्यादा गर्म और ज्यादा ठण्डी जलवायु वाले भागों में बसना पसन्द नहीं करते। इसीलिए अफ्रीका के भूमध्यरेखीय भाग तथा रूस, कनाड़ा और अण्टार्कटिक के ध्रुवीय क्षेत्र जनसंख्याविहीन हैं। मरुस्थलों में भी बहुत कम जनसंख्या पायी जाती है। मानसूनी जलवायु तथा उचित वर्षा वाले भाग सघन बसे होते हैं; जैसे– पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोपीय देश।

(ii) मिट्टी– मिट्टी लोगों को भोजन, वस्त्र और आवास प्रदान करती है। भारत में गंगा-ब्रहमपुत्र, चीन में ह्वांगहों व यांग्त्सीक्याँग तथा मिस्र में नील नदियों के उर्वर मैदान सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं।

(iii) स्थलाकृति – जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में स्थलाकृति सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है। लोग अपने निवास के लिए पर्वतों और पठारों की अपेक्षा मैदानों को अधिक पसन्द करते हैं, क्योंकि खेती, विनिर्माण तथा सेवाओं जैसी गतिविधियों को मैदानी क्षेत्रों में आसानी से विकसित किया जा सकता है। मैदानों (विश्व के लगभग आधा भू-भाग) में विश्व की 90% से अधिक जनसंख्या बसती है।

(iv) खनिज– विश्व के विभिन्न भागों में पाये जाने वाले खनिज संसाधन भी लोगों के लिए आकर्षक होते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खदानों तथा मध्य-पूर्व में तेल-क्षेत्रों की खोज ने जनसंख्या को यहाँ आकर्षित किया है।

(v) जल– जल मानसूनी भूमियों, विशेषकर नदी-घाटी तथा उनके डेल्टाओं में बहुतायत से पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है। इसके विपरीत मरूस्थलों और पर्वतों पर जल-संसाधनों की कमी होती है, इसलिए वे कम आबाद होते हैं।

सामाजिक एवं आर्थिक कारक- धार्मिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और व्यापारिक केन्द्र संसार के सभी भागों से लोगों को आकर्षित करते हैं। भारत में वाराणसी (उत्तर प्रदेश), पुरी (ओडिशा), काँचीपुरम (तमिलनाडु), तिरूपति (आन्धप्रदेश); जेरुसलम (इजराइल); वैटिकन सिटी (इटली) तथा मक्का (सऊदी अरब) धार्मिक केन्द्रों के उदाहरण हैं। मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, बँगलुरू, न्यूयॉर्क, टोकियो, लन्दन आदि नगर औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्र सघन जनसंख्या घनत्व वाले नगरों के उदाहरण हैं।

अनेक यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीकी तथा एशियाई देशों से गुलामों तथा मजदूरों को अपने उपनिवेशों में खदानों तथा बागानों में काम करने के लिए बसाया। ब्रिटिश शासन-काल में भारतीय श्रमिकों को मलाया (मलेशिया), फिजी तथा मॉरीशस में बागानों में काम करने के लिए भेजा गया। इसमें इन देशों की जनसंख्या में वृद्धि हुई।

2. जनसंख्या के घनत्व से आशय प्रति इकाई क्षेत्र (प्रति वर्ग किलोमीटर) में निवास करने वाले लोगों की औसतन संख्या से है। पूरे विश्वभर में जनसंख्या का औसत घनत्व 50 व्यक्ति/वर्ग किमी है। दक्षिण मध्य एशिया में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, जबकि इसके बाद पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया में दक्षिण मध्य एशिया की अपेक्षा कम है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 383 व्यक्ति प्रति किमी के औसत घनत्व के साथ भारत विश्व की सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले देशों में से एक है। नीदरलैण्ड (410),

बांग्लादेश (964) तथा दक्षिण कोरिया (487) भारत की अपेक्षा उच्च जनसंख्या घनत्व वाले देश हैं। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, फिर भी वह भारत की अपेक्षा कम औसत घनत्व वाला है। वर्ष 1901 के बाद भारत का जनसंख्या-घनत्व लगातार बढ़ रहा है। भारत का जनसंख्या घनत्व वर्ष 1901 में 77 था और वर्ष 1951 में यह बढ़कर 117 हो गया और सन् 2011 में 383 पहुँच गया।

सन् 2011 ई0 की जनगणना के अनुसार दिल्ली और चण्डीगढ़ संघशासित प्रदेशों का जन-घनत्व क्रमशः 11,297 तथा 9,252 व्यक्ति प्रति-वर्ग किमी है जबकि अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में जन-घनत्व क्रमशः 17 तथा 52 व्यक्ति प्रति वर्ग-किमी है। बिहार (1102), पश्चिमी बंगाल (1030), केरल (859) तथा उत्तर प्रदेश (828) में जनसंख्या का अधिकतम घनत्व पाया जाता है। अतः जनसंख्या का घनत्व हर क्षेत्र में परिवर्तित रूप में है।

3. **जनसंख्या की वृद्धि-** किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या हमेशा स्थिर नहीं होती। बच्चों के जन्म के साथ-साथ उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती जाती है। सभी बच्चे जीवित नहीं बच पाते, कुछ छोटी आयु में ही मर जाते हैं, जबकि कुछ लम्बी आयु तक जीते हैं। किसी देश की दो लगातार वर्षों की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि जनसंख्या बढ़ी, घटी या स्थिर रही। जनसंख्या के बढ़ने, घटने या स्थिर रहने की प्रक्रिया के ज्ञान को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन का कारण प्राकृतिक वृद्धि और प्रवास होता है।

अनुमान है कि आज से 6000 वर्ष पूर्व विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 8 मिलियन थी। सन् 1750 ई0 के दौरान 750 मिलियन अनुमानित थी। हमें यह भली-भाँति ज्ञात है कि 1750 ई0 औद्योगिक क्रान्ति की अवधि थी।

निम्नांकित तालिका से विश्व में जनसंख्या की वृद्धि स्पष्ट होती है–

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 1750 ई0 में विश्व की जनसंख्या 750 मिलियिन थी जो 1850 ई0 में यानि 100 वर्ष बाद 1000 मिलियन हो गयी। स्पष्ट है कि 100 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि 250 मिलियन हुई। इसके 80 वर्ष बाद 1930 ई0 में यह बढ़कर दोगुनी अर्थात् 2000 मिलियन हो गई। सन् 1975 ई0 में यानि मात्र 45 वर्षों के बाद यह पुनः दोगुनी होकर 4000 मिलियन का आँकड़ा पार कर गयी। इसके बाद के मात्र 25 वर्षों में यानि 2000 ई0 में 2000 मिलियन जनसंख्या बढ़कर 6000 मिलियन हो गयी। इसके बाद माह 12 वर्षों यदि 2012 ई0 में यह 6000 मिलियन से बढ़कर 7000 मिलियन हो गयी। अनुमान है कि 2024 ई0 तक विश्व जनसंख्या 8000 मिलियन का आँकड़ा पार कर लेगी।

इस तरह से विश्व की जनसंख्या की वृद्धि होती रही है। भारतीय जनगणना के अनुसार बीसवी शताब्दी के दौरान जनसंख्या (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) की वृद्धि तालिकानुसार निम्नलिखित रही है–

भारत की जनसंख्या में भी विश्व की जनसंख्या के समान वृद्धि हुई। वर्ष 1961-2011 के दौरान जनसंख्या वक्र के ढाल को देखिए और विचार कीजिए कि जनसंख्या तेजी से क्यों बढ़ रही है?

प्राचीन काल में भी जनसंख्या की वृद्धि होती थी, परन्तु मनुष्यों की औसत आयु वर्तमान की अपेक्षा बहुत कम थी। उस समय उचित स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी, पर्याप्त भोजन

नहीं मिल पाता था तथा किसान सभी लोगों की भोजन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते थे। प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त और पोषक भोजन के अभाव में भी कठिन काम करना पड़ता था। इसीलिए वे दीर्घायु नहीं होते थे।

आज हमारे पास अच्छे अस्पताल और विभिन्न किस्मों की अनाज-फसलें उगाने के लिए प्रशिक्षित किसान हैं। आज हम आवश्यक मात्रा में भोजन प्राप्त करने में भी समर्थ हैं।

जनसंख्या में परिवर्तन जन्म-दर, मृत्युदर तथा प्राकृतिक वृद्धि-दर के कारण होता है। 'जन्म-दर' प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के बराबर है, जबकि 'मृत्यु-दर' 1000 प्रति जनसंख्या पर मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या है। जन्म-दर तथा मृत्यु-दर में अन्तर को जनसंख्या की प्राकृतिक-वृद्धि दर' कहते हैं। विश्व की जनसंख्या-वृद्धि का मुख्य कारण तेजी से बढ़ती हुई प्राकृतिक वृद्धि-दर ही है।

पुराने समय में जन्म-दर तथा मृत्यु-दर में अधिक अन्तर नहीं होता था, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि मन्द थी। विश्व के अनेक देशों में विगत 250 वर्षों में आयी औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् जीवन-स्तर उन्नत होने, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा-सुविधाओं में सुधार होने, रोगों पर नियन्त्रण आदि कारणों से मृत्यु-दर तो अत्यधिक घट गयी, किन्तु जन्म-दर पर अपेक्षित नियन्त्रण नहीं हो सका। इसलिए जनसंख्या की प्राकृतिक दर में वृद्धि हुई।

4. देश के मानव संसाधनों का संघटन सम्पूर्ण जनसंख्या की मौलिक विशेषताओं की व्याख्या करता है। आयु, लिंग, साक्षरता, व्यवसाय, वंश, जाति, भाषा तथा धर्म जनसंख्या संघटन के अनेक मापदण्ड हैं। जनसंख्या के तीन प्रमुख घटकों (लिंगानुपात, आयु-संरचना तथा साक्षरता) के स्तरों का विवेचन आगे किया जा रहा है।

लिंग-अनुपात- लिंग संघटन या लिंगानुपात से तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से है। यदि किसी देश का लिंग-अनुपात 1000 है तो इसका तात्पर्य है कि देश में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या समान है। यदि यह लिंग-अनुपात 1100 है तो इसका आशय यह है कि उस देश में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है। यह आँकड़ा प्रदर्शित करता है कि महिलाओं की दशा अच्छी है। यदि लिंग-अनुपात 1000 की बजाय 980 हो तो यह आँकड़ा स्त्रियों की हीन दशा का सूचक है।

दिए गए ग्राफ-चित्र के अनुसार, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका व कैरेबियाई और यूरोपीय देशों में लिंग-अनुपात स्त्रियों की उन्नत दशा का सूचक है। इसके विपरीत एशिया महाद्वीप में जो प्रमुख रूप से विश्व की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, लिंग-अनुपात कुछ नीचा है, जो स्त्रियों की हीन दशा का सूचक है।

भारत में लिंगानुपात 940 है, अर्थात् यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियाँ हैं। विभिन्न राज्यों और संघशासित प्रदेशों में मात्र केरल (1084) तथा पुडुचेरी (1037) में लिंग-अनुपात 1000 से अधिक है। इसके विपरीत अन्य संघशासित प्रदेश; जैसे– दमन और दीव (618), चण्डीगढ़ (818), दादरा-नगर हवेली (774), दिल्ली (868) तथा राज्यों; जैसे– हरियाणा (879), पंजाब (895) एवं सिक्किम (890) में 900 से भी कम लिंग-अनुपात है।

भारत में प्रतिकूल लिंगानुपात के अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं–

1. उपेक्षा या अन्य कारणों से बालिकाओं की मृत्यु अधिक होती है। कन्या का जन्म होते ही उसे मार दिया जाता है। इसे कन्या-शिशु-हत्या कहते हैं। जन्म के पूर्व भ्रूण का लिंग ज्ञात होने

पर गर्भस्थ कन्या की हत्या कर दी जाती है। इसे कन्या-भ्रूण-हत्या कहते हैं। ये अमानवीय क्रियाएँ अनेक विकासशील देशों में प्रचलित हैं।

2. प्रसव काल में भी अनेक स्त्रियाँ मर जाती है।

3. बालकों के लालन-पालन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि बालिकाओं की उपेक्षा की जाती है।

4. जीव विज्ञान की दृष्टि से बालिकाओं की अपेक्षा बालक अधिक जन्म लेते हैं।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो

(इकाई-3: नागरिक शास्त्र)

1. भारत का सविधान

अभ्यास

क. निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) 22 जनवरी, 1947 को 2. (स) 42 वें संशोधन द्वारा 3. (स) (अ) व (ब) दोनों

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. प्रशासनिक 2. 9 दिसंबर, 1946 ई0 3. कानूनों 4. प्रवर्तनीय 5. प्रतिनिधित्व संसदीय प्रजातांत्रिक प्रारूप

ग. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. डॉ0 राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए।
2. डॉ0 बी0 आर0 अंबेडकर प्रारूप समिति के सभापति बने।
3. 26 नवंबर, 1949 ई0 को भारतीय संविधान का प्रारूप स्वीकार किया गया।
4. प्रस्तावना हमारे संविधान के आरम्भ में लिखी हुई संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पणी है।
5. संविधान नियमों का एक दस्तावेज है, जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. 22 जनवरी, 1947 ई0 को संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरु द्वारा प्रारूपित उद्देश्य संकल्प स्वीकार कर लिए। इस संकल्प के मुख्य सिद्धांत थे–

(i) भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा।

(ii) यह सभी घटक भागों में समान स्तर पर स्वशासन वाला प्रजातांत्रिक संघ होगा।

(iii) केंद्र सरकार और संवैधानिक भागों की सरकारों की सभी शक्तियाँ और अधिकार लोगों से प्राप्त किए जाएँगे।

(iv) संविधान द्वारा लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समानता पर न्याय प्राप्त करने और समान समक्ष अवसर और कानून के समक्ष समानता के प्रयास किए जाने चाहिएँ और आश्वासन दिया जाना चाहिए।

(v) विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, व्यवसाय, संगठन और कार्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

(vi) संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए और पिछड़े और आदिवासी इलाकों के लोगों को समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिएँ।

(vii) ऐसे संविधान का निर्माण हो जिससे अन्य राष्ट्रों के बीच भारत के लिए एक उचित स्थान सुरक्षित हो सके।

2. **न्याय-** जैसा कि प्रस्तावना में लिखा गया है, हमारे संविधान का लक्ष्य सभी के लिए सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय सुलभ करवाना है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि जन्म, जाति, वर्ण, लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। इस छोर पर, भारत की कल्याणकारी राज्य के रूप में कल्पना की गई है। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम किया जाए। यह सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर किया जा सकता है। राजनैतिक न्याय बताता है कि राज्य के कार्यों में भागीदारी प्रत्येक का अधिकार है।

3. **स्वतंत्रता-** प्रजातंत्र स्वतंत्रता के विचार से निकटता से जुड़ा है जहाँ समाज में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र और सभ्य अस्तित्व के लिए उसे न्यूनतम अधिकार मिले हैं। यह अधिकार प्रस्तावना में विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता के रूप में दर्शाए गए हैं। यह स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में परिभाषित होते हैं जिसके विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। हालाँकि जैसा हम जानते हैं कि इसके साथ कुछ पाबंदियाँ और कुछ कर्त्तव्य भी जोड़े गए हैं।

   समानता- हमारे संविधान का एक उद्देश्य यह भी था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान स्तर और समान अवसर मिले। समानता व्यक्तियों में धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव को मिटाने के लिए है। कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं और कानून की भूमि पर सभी को समान संरक्षण मिला हुआ है।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. किसी भी सामाजिक इकाई को संगठित रहने तथा संयमित जीवन जीने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों व सिद्धान्तों की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा ऐसे समाज में अराजकता, विसंगतियाँ आदि फैल जाती हैं और वह समाज पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इसी तरह किसी देश को चलाने के लिए कुछ निश्चित कानूनों की आवश्यकता पड़ती है।

   वस्तुतः संविधान उन नियमों तथा कानूनों का दस्तावेज है, जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है।

   बहुत पहले 1928 ई0 में मोतीलाल नेहरु और आठ अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था। 1931 ई0 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने भारतीय संविधान के गुणों की चर्चा की। इन दोनों प्रयासों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा पर ध्यान था। अतः भारतीय शासकों ने संविधान समिति के बनने से पहले ही कुछ मूल गुणों को अपना लिया था।

   जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निर्णय किया तो स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए संविधान समिति बनाने का निर्णय हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत को कई प्रशासनिक इकाईयों में जिन्हें प्रांत कहा जाता था, बाँटा हुआ था। इन प्रांतों के मतदाता प्रांतीय विधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते थे। बदले में इन प्रांतीय विधान सभा के सदस्य अपने प्रतिनिधि चुनते थे जो संविधान सभा बनाते थे। सभा में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े नेताओं का दबदबा था और जिनमें डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, डॉ0 अंबेडकर, पं0 जवाहरलाल नेहरु, सरदार पटेल और मौलाना आजाद सम्मिलित थे। सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित संविधान सभा की महिला सदस्याएँ थीं।

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ई0 को हुई। डॉ0 राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए और डॉ0 बी0 आर0 अंबेडकर प्रारूप समिति के सभापति बने। संविधान के लेखन में प्रत्येक खंड पर अधिक विचार-विमर्श किया गया। संविधान के वास्तविक प्रारूप में व्यापक रूप से

बदलाव किए गए। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ई0 को भारतीय संविधान का प्रारूप अंत में स्वीकार कर लिया लेकिन यह 26 जनवरी, 1950 ई0 को प्रभाव में आया। इस दिन के लिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।

2. **प्रजातांत्रिक गणराज्य-** भारत के लोग संविधान को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ है कि वे शासन के आधार के रूप में प्रजातंत्र को स्वीकार करते हैं।

जिस प्रजातांत्रिक गणराज्य के विचार को प्रस्तावना प्रस्तुत करती है जो न केवल राजनैतिक अपितु सामाजिक दृष्टि से भी प्रजातांत्रिक है। दूसरे शब्दों में, यह न केवल शासन में प्रजातंत्र देखती है बल्कि प्रजातांत्रिक समाज में न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का मिश्रण देखती है।

प्रजातंत्र के सभी रूपों में लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी रहती है। भारत ने सरकार का ''प्रतिनिधित्व संसदीय प्रजातांत्रिक प्रारूप'' अपनाया है। संविधान में लोगों के हाथ में सीधे नियंत्रण का कोई प्रावधान नहीं है।

हालाँकि लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा लोग केंद्र में संसद और प्रत्येक राज्य में विधान सभा चुनाव में भाग लेकर अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करते हैं। देश के प्रमुख के साथ प्रत्येक कार्यालय के लिए चुनाव होता है।

प्रस्तावना में भी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की परिकल्पना की गई। राजनैतिक क्षेत्र में समानता प्रत्येक वयस्क नागरिक को स्वतंत्र रूप से मतदान करने की शक्ति देती है। सामाजिक प्रजातंत्र सुनिश्चित करने के लिए गरीबी, स्वास्थ्य और असमानताओं जैसी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को संविधान द्वारा हल करने की कोशिश की जा रही थी।

न्याय- जैसा कि प्रस्तावना में लिखा गया है, हमारे संविधान का लक्ष्य सभी के लिए सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय सुलभ करवाना है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि जन्म, जाति, वर्ण, लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। इस छोर पर, भारत की कल्याणकारी राज्य के रूप में कल्पना की गई है। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम किया जाए। यह सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर किया जा सकता है। राजनैतिक न्याय बताता है कि राज्य के कार्यों में भागीदारी प्रत्येक का अधिकार है।

स्वतंत्रता- प्रजातंत्र स्वतंत्रता के विचार से निकटता से जुड़ा है जहाँ समाज में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र और सभ्य अस्तित्व के लिए उसे न्यूनतम अधिकार मिले हैं। यह अधिकार प्रस्तावना में विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता के रूप में दर्शाए गए हैं। यह स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में परिभाषित होते हैं जिसके विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। हालाँकि जैसा हम जानते हैं कि इसके साथ कुछ पाबंदियाँ और कुछ कर्त्तव्य भी जोड़े गए हैं।

समानता- हमारे संविधान का एक उद्देश्य यह भी था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान स्तर और समान अवसर मिले। समानता व्यक्तियों में धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव को मिटाने के लिए है। कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं और कानून की भूमि पर सभी को समान संरक्षण मिला हुआ है।

बंधुत्व अथवा भाईचारा- प्रजातांत्रिक प्रणाली तभी स्वस्थ रूप से कार्य कर सकती है जब देश के लोगों में भाईचारे और एकता की भावना हो। भारत विभिन्नताओं की भूमि है इसलिए लोगों में भाईचारे की भावना होना आवश्यक है। आम नागरिकता का सिद्धांत इस एकता की भावना को मजबूती की ओर निर्देशित करता है। सभी को समान अधिकार देकर भी बंधुत्व को लागू किया जा सकता है।

3. 1976 ई0 के 42 वे संशोधन के बाद प्रस्तावना में इन दो शब्दों को जोड़ा गया।

समाजवाद- 1976 ई0 के 42 वें संशोधन के बाद प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया जबकि मूल संविधान में ऐसी किसी विचारधारा का उल्लेख नहीं था। यह सभी नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करता है। यह शब्द आज भी संविधान में परिभाषित नहीं है। भारत में समाजवाद अपनाने के बाद भी व्यक्तिगत संपत्ति दूर नहीं की जा सकी है। न ही उत्पादन के सभी प्रकार के साधनों में इसे लागू किया जा सका है जबकि यह अन्य स्थानों पर हो चुका है। भारत में समाजवाद का वास्तविक अर्थ सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समानता है। इसका लक्ष्य अमीर और गरीब के अंतर को समाप्त करना है और गरीब तथा पिछड़े लोगों की सहायता करना है। समाजवाद भारत में कृषि के साथ औद्योगिकरण मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास की कल्पना करता है। एक समाजवादी राज्य वह होता है जिसमें सभी को देश पर समान अधिकार तथा लाभ प्राप्त करने के समान अधिकार प्राप्त हों।

धर्मनिरपेक्षता- धर्मनिरपेक्षता शब्द 1976 ई0 के 42वें संशोधन के बाद प्रस्तावना में जोड़ा गया जिसमें भारत को सदा ही धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया है। भारत जैसे बहुलतावादी देश की एकता और भाईचारा केवल धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही बनाया जा सकता है।

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि धर्म पर आधारित भेदभाव की न तो अनुमति ही है और न ही देश इसका पालन करता है। धर्म की परवाह किए बगैर सभी के लिए समानता सुरक्षित की जाती है। आस्था, पूजा और विश्वास की स्वतंत्रता की सभी को अनुमति है। यह देश सभी धर्मों के प्रति निरपेक्ष है। इससे आगे बढ़कर देश किसी धर्म को राष्ट्र धर्म के रूप में नहीं अपना सकता है। यह सभी धर्मों की सामान रूप से रक्षा करता है। राजनैतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं के खिलवाड़ निषिद्ध है।

हमारे संविधान द्वारा निर्धारित विभिन्न उद्देश्यों को विभिन्न साधनों के माध्यम से व्यवहार में अनुवादित किया गया है। मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, धर्म, संस्कृति और शिक्षा की स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार, संवैधानिक उपचार के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के विचार को सुनिश्चित करता है। इनमें से प्रत्येक अधिकार संविधान द्वारा किए गए प्रावधानों को सुनिश्चित करता है। संविधान यह भी सुझाव देता है कि सरकार को महिलाओं और बच्चों के कल्याण की योजनाएँ बनानी चाहिए और प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका संबंधी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए।

2. मौलिक अधिकार व कर्त्तव्य

अभ्यास

क. निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) छः 2. (द) संपत्ति का अधिकार 3. (अ) ग्यारह

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. तीन 2. विषमताएँ 3. छः 4. धर्मनिरपेक्ष

ग. अति लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. संविधान द्वारा प्रदत मौलिक अधिकार छः हैं- (i) समानता का अधिकार (ii) स्वतन्त्रता का अधिकार (iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार (iv) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (v) सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
2. 1978 ई0 में सविधान के संशोाधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में से 'सम्पत्ति के अधिकार' को हटा दिया गया।
3. न्यायालयों को 'नागरिकों' के अधिकारों का संरक्षक माना जाता है।
4. स्वतंत्रता के अधिकार कुछ विशेष परिस्थितियों; जैसे- आपातकाल (इमरजेन्सी), युद्ध का संकट या आन्तरिक उथल-पुथल में कुछ समय के लिए निलम्बित किए जा सकते हैं।
5. दो मौलिक कर्तव्य हैं- (i) प्रत्येक नागरिक को संविधान और उसके आदर्श तथा सम्बन्धित संस्थाओं, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए।
   (ii) सभी नागरिकों को भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखना चहिए।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. **समानता का अधिकार-** समानता का अधिकार भारतीय लोकतंत्र का प्रमुख घटक माना जाता है। भारतीय संविधान निम्न तीन तरह की समानताओं की गारण्टी प्रदान करता है—वैधानिक (कानूनी), नागरिक तथा सामाजिक।

   (i) कानूनी समानता– इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिक, चाहे वे धनी हों या निर्धन, कानून की दृष्टि में समान हैं। कानून धर्म, जाति, पन्थ, लिंग, जन्म-स्थान या सामाजिक स्तर के आधार पर दो व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं करता है।

   (ii) नागरिक समानता– इसके अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को मत देने, चुनाव लड़ने तथा सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसके पास किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने की या सरकारी नौकरी करने की उल्लेखित योग्यताएँ हैं, बिना किसी भेदभाव के वैसा कर सकता है। संविधान में राज्य द्वारा लोगों को ऐसी पदवियाँ दिये जाने का निषेध है, जो देश में विषमताएँ पैदा करती हों। किन्तु भारत-रत्न, पद्मभूषण, पद्मश्री आदि सम्मान इसके अपवाद हैं। ये पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिये जाते हैं।

   (iii) सामाजिक समानता– इसके अंतर्गत भारत के नागरिक को शिक्षा, रोजगार तथा जीवन में प्रगति के समान अवसर प्रदान किये गए हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों को शिक्षा तथा रोजगार में आरक्षण के रूप में विशेष संरक्षण प्रदान किये गये हैं। उनको समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के लिए ऐसा किया गया है। अस्पृश्यता सदियों से समाज के लिए अभिशाप रही इसे अब मानवता के विरुद्ध अपराध घोषित कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी रूप में अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो वह अपराध है। किसी भी नागरिक को प्रजाति या जाति के आधार पर मन्दिरों या सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जा सकता है।
2. भारतीय संविधान अपने नागरिकों को छः प्रकार की स्वतन्त्रताएँ प्रदान करता है— (1) भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, (2) किसी स्थान पर शान्तिपूर्वक, बिना शस्त्रों के, एकत्रित होने की स्वतन्त्रताएँ, (3) संघों तथा संगठनों के निर्माण की स्वतन्त्रता, (4) देश के किसी भी भाग में रहने या बसने की स्वतन्त्रता, (5) देश भर में स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण करने (घूमने) की स्वतन्त्रता तथा (6) किसी भी व्यवसाय, व्यापार या कार्य को करने की स्वतन्त्रता।

3. **शोषण के विरुद्ध अधिकार-** यह संविधान द्वारा प्रदत्त महत्त्वपूर्ण अधिकार है। ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत खर्चों तथा वस्तुओं के ऊँचे मूल्यों के कारण बहुत-से लोग ऊँचे ब्याज पर महाजनों से उधार लेते हैं। जब ऋणदाता देयराशि लौटाने में असमर्थ होता है तो उसे महाजन के लिए बिना वेतन के काम करने हेतु बाध्य किया जाता है, जिसे बेगार या बँधुआ मजदूरी कहते हैं। स्त्रियों और बच्चों का भी शोषण किया जाता है। निर्धन परिवारों के बच्चे बड़ी संख्या में अनेक खतरनाक उद्योगों (पटाखा बनाना, स्लेट बनाना, माचिस बनाना, खदानों आदि) में व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दशाओं में बहुत कम वेतन पर कई घण्टों तक काम करते हैं। संविधान द्वारा ऐसे शोषित वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया।

4. **मौलिक अधिकारों की प्रकृति**- मौलिक अधिकारों की प्रकृति निम्नलिखित हैं।

(i) मौलिक अधिकार पूर्णरूपेण शुद्ध नहीं हैं। इन पर अंकुश (नियन्त्रण) है। समाज के व्यापक हितों में प्रत्येक अधिकार की कुछ सीमाएँ भी हैं; जैसे—स्वतन्त्रता के अधिकार को उन स्थितियों में सीमित किया जाता है, जब वह दूसरे नागरिकों के लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है।

(ii) मौलिक अधिकार सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। ये अधिकार सभी नागरिकों को बिना किसी जाति, वर्ण, धर्म, पन्थ और लिंग-भेद के प्राप्त होते हैं।

(iii) स्वतन्त्रता का अधिकार कुछ विशेष परिस्थितियों; जैसे— आपातकाल (इमरजेन्सी), युद्ध का संकट या आन्तरिक उथल-पुथल में कुछ समय के लिए निलम्बित किया जा सकता है।

5. **कर्त्तव्यों का आकलन-** कुछ आलोचक मानते हैं कि इन कर्त्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने से कोई अर्थ सिद्ध नहीं होगा; क्योंकि कुछ कर्त्तव्यों को स्पष्ट नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ, 'वैज्ञानिक प्रवृत्ति' तथा 'मानवतावाद' ऐसे शब्द है, जिनकी व्याख्या अनेक प्रकार से की जा सकती है। आलोचकों के मतानुसार, संविधान के भाग IV-A में अधिक संशोधनों की आवश्यकता है। वस्तुतः मौलिक कर्त्तव्यों को संविधान में इसलिए लागू किया गया है कि नागरिकों में देशप्रेम तथा सौहार्द की भावना विकसित हो, जिससे राष्ट्र को मजबूती मिले।

ङ. विस्तृत उत्तरीय प्रश्न–

1. मौलिक अधिकार से आशय केवल कानून के अंतर्गत मिलने वाले स्वतंत्रता के अधिकार से न होकर उस स्वतंत्रता के अधिकार से है, जो किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हितों और पूरे समाज के हितों में उनकी सुविधाओं का विकास करने देता है।

भारतीय संविधान भी अपने नागरिकों को छः मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद तीन में वर्णित हैं, जिन्हें निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है—

(1) समानता का अधिकार, (2) स्वतन्त्रता का अधिकार, (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार, (4) धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार, (5) सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा (6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

यह उल्लेखनीय है कि 1978 ई0 में संविधान के संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में से 'सम्पत्ति के अधिकार' को हटा दिया गया है तथा इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया है।

(i) समानता का अधिकार- समानता का अधिकार भारतीय लोकतंत्र का प्रमुख घटक माना जाता है। भारतीय संविधान निम्न तीन तरह की समानताओं की गारण्टी प्रदान करता है—वैधानिक (कानूनी), नागरिक तथा सामाजिक।

(a) कानूनी समानता– इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिक, चाहे वे धनी हों या निर्धन, कानून की दृष्टि में समान हैं। कानून धर्म, जाति, पन्थ, लिंग, जन्म-स्थान या सामाजिक स्तर के आधार पर दो व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं करता है।

(b) नागरिक समानता– इसके अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को मत देने, चुनाव लड़ने तथा सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसके पास किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने की या सरकारी नौकरी करने की उल्लेखित योग्यताएँ हैं, बिना किसी भेदभाव के वैसा कर सकता है। संविधान में राज्य द्वारा लोगों को ऐसी पदवियाँ दिये जाने का निषेध है, जो देश में विषमताएँ पैदा करती हों। किन्तु भारत-रत्न, पद्मभूषण, पद्मश्री आदि सम्मान इसके अपवाद हैं। ये पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिये जाते हैं।

(c) सामाजिक समानता – इसके अंतर्गत भारत के नागरिक को शिक्षा, रोजगार तथा जीवन में प्रगति के समान अवसर प्रदान किये गए हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों को शिक्षा तथा रोजगार में आरक्षण के रूप में विशेष संरक्षण प्रदान किये गये हैं। उनको समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के लिए ऐसा किया गया है। अस्पृश्यता सदियों से समाज के लिए अभिशाप रही इसे अब मानवता के विरुद्ध अपराध घोषित कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी रूप में अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो वह अपराध है। किसी भी नागरिक को प्रजाति या जाति के आधार पर मन्दिरों या सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(ii) स्वतन्त्रता का अधिकार- भारतीय संविधान अपने नागरिकों को छः प्रकार की स्वतन्त्रताएँ प्रदान करता है— (1) भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, (2) किसी स्थान पर शान्तिपूर्वक, बिना शस्त्रों के, एकत्रित होने की स्वतन्त्रताएँ, (3) संघों तथा संगठनों के निर्माण की स्वतन्त्रता, (4) देश के किसी भी भाग में रहने या बसने की स्वतन्त्रता, (5) देश भर में स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण करने (घूमने) की स्वतन्त्रता तथा (6) किसी भी व्यवसाय, व्यापार या कार्य को करने की स्वतन्त्रता।

(iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार- यह संविधान द्वारा प्रदत्त महत्त्वपूर्ण अधिकार है। ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत खर्चों तथा वस्तुओं के ऊँचे मूल्यों के कारण बहुत-से लोग ऊँचे ब्याज पर महाजनों से उधार लेते हैं। जब ऋणदाता देयराशि लौटाने में असमर्थ होता है तो उसे महाजन के लिए बिना वेतन के काम करने हेतु बाध्य किया जाता है, जिसे बेगार या बँधुआ मजदूरी कहते हैं। स्त्रियों और बच्चों का भी शोषण किया जाता है। निर्धन परिवारों के बच्चे बड़ी संख्या में अनेक खतरनाक उद्योगों (पटाखा बनाना, स्लेट बनाना, माचिस बनाना, खदानों आदि) में व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दशाओं में बहुत कम वेतन पर कई घण्टों तक काम करते हैं। संविधान द्वारा ऐसे शोषित वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया।

(iv) धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार- भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। देश में किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्राप्त नहीं है। धर्म व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वेच्छा का मामला है तथा राज्य को व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारे संविधान ने नागरिकों को अपनी पसन्द के किसी भी धर्म को मानने, इसके अन्तर्गत अपनाने तथा प्रचार करने की स्वतन्त्रता प्रदान की है। सभी नागरिक अपनी धार्मिक संस्थाओं का प्रबन्ध करने के लिए स्वतन्त्र हैं। विभिन्न धार्मिक समुदाय अपनी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं।

(v) सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार- भारत में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। विभिन्न परम्पराएँ (रीति-रिवाज) तथा विभिन्न जीवन-शैली अपनाने वाले तथा विभिन्न संस्कृतियों का पालन करने वाले लोग रहते हैं। संविधान सभी लोगों को अपनी

प्रादेशिक भाषाओं, लिपियों तथा साहित्य के विकास की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करता है। देश में वर्नाक्यूलर (प्रादेशिक भाषा) स्कूल तथा विद्यालय खोले जा सकते हैं। राज्य ऐसी संस्थाओं को बिना किसी भेदभाव के वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सरकार द्वारा विभिन्न समुदायों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने का प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

(vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार- यह सबसे महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त अन्य सभी अधिकारों की रक्षा करता है। यदि किसी नागरिक के किसी संवैधानिक अधिकार का हनन होता है तो वह उसकी स्थापना के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है।

मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। संविधान ने न्यायालयों को ऐसे आदेश देने की व्यवस्था की है जिससे नागरिकों द्वारा मुकदमा करने पर उनके अधिकारों को वापस दिलाया जा सके। इसलिए न्यायालयों को 'नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक' माना जाता है।

2. हमारे संविधान में मूल अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। ये कर्तव्य समाज के प्रति तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य को स्पष्ट करते हैं। संविधान के 42वें संशोधन (1976) द्वारा संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान में नागरिकों के निम्नलिखित ग्यारह कर्त्तव्य उल्लिखित है- (i) प्रत्येक नागरिक को संविधान और उसके आदर्श तथा सम्बन्धित संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए।

(ii) व्यक्तियों को उन आदर्शों की कदर व उनका अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने हमारी स्वतन्त्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया था।

(iii) सभी नागरिकों को भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखना चाहिए।

(iv) नागरिकों से यह आशा की जाती है कि वे देश की रक्षा करें तथा आवश्यकता के समय राष्ट्र की सेवा करें।

(v) सभी नागरिकों का यह पवित्र कर्त्तव्य है कि वे देश की सम्पूर्ण जनता में समरसता और भाई-चारा बनाये रखें।

(vi) देश की संयुक्त संस्कृति तथा समृद्ध विरासत का मूल्य समझना तथा उसको सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है।

(vii) नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण; जिसमें वन, झीलें, नदियाँ, वन्य जीवन आदि सम्मिलित हैं, की रक्षा एवं संवर्द्धन करना चाहिए तथा सभी प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना चाहिए।

(viii) सभी नागरिकों को स्वयं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवीयता, जिज्ञासा तथा सुधार की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए।

(ix) सभी नागरिकों को सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करनी चाहिए तथा राजनीतिक हथियार के रूप में हिंसा का परित्याग करना चाहिए।

(x) सभी नागरिकों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक क्रिया-कलापों में उत्कृष्टता हासिल करने का प्रयास करना चाहिए जिससे राष्ट्र की लगातार उन्नति हो तथा ऊँची उपलब्धियाँ प्राप्त हों।

(xi) सभी नागरिकों को यदि वे माता-पिता या संरक्षक हैं तो छः वर्ष से चौदह वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए।

3. संसदीस सरकार

अभ्यास

क. निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (द) ये सभी 2. (ब) राज्यसभा 3. (ब) दो 4. (अ) 5 वर्ष

ख. सही कथन पर (3) का तथा गलत कथन पर (7) का चिह्न लगाइए–

1. (7) 2. (7) 3. (3) 4. (3)

ग. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

1. लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं।
2. संसद में अपनाई जाने वाली कुछ निश्चित औपचारिकताओं को संसदीय कार्यवाही कहा जाता है।
3. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं।
4. राज्य सभा संघीय संसद का उच्च (ऊपरी) सदन है।
5. राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. लोकसभा सदस्य के निर्वाचन में भाग लेने हेतु निम्नलिखित योग्यताएँ होनी आवश्यक हैं–
   (i) उस व्यक्ति को सरकार से प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए तथा उसे सरकार के अधीन लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए।
   (ii) वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
   (iii) उसका नाम देश के किसी भाग में निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होना चाहिए।
   (iv) वह अपराधी नहीं होना चाहिए।
   (v) उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
2. संसद में अपनाई जाने वाली कुछ निश्चित औपचारिकताओं को संसदीय कार्यवाही कहा जाता है। ये सामान्य कार्यप्रणालियाँ निम्नलिखित हैं–
   (i) कार्यपालिका विधानमंडल का ही एक भाग होता है, जिससे संघर्ष की बहुत कम संभावना रहती हैं।
   (ii) प्रत्येक राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचन के उद्देश्य से निर्धारित एवं परिसीमित क्षेत्र को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं।
   (iii) कानून द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार संसदीय शासन-प्रणाली में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
   (iv) संसद-सदस्यों को वाद-विवाद एवं विचार-विमर्श के समय हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा बोलने का समान रूप से अधिकार है।
   (v) सदन में सर्वसम्मति अथवा बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।
   संसदीय शासन-प्रणाली को अध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली की अपेक्षा अधिक नम्र एवं लचीला समझा जाता है। इसका कारण यह है कि अध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली में निर्धारित कार्यकाल का प्रावधान नहीं है।
3. राज्यसभा के अधिकतम सदस्यो की संख्या 250 है। इनमें से 238 सदस्यों का चुनाव राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से तथा 12 सदस्यों को कला, साहित्य, तकनीकी आदि विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त करने पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है।

4. **लोकसभा का निर्वाचन-** लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है अर्थात जनता स्वंय स्वेच्छापूर्वक अपने प्रत्याशियो का गुप्त मत पत्रों द्वारा चुनाव करती है।
राज्यसभा का निर्वाचन- राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्ववारा आनुपातिक प्रति निधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।

5. **संसद के अधिवेशन व अध्यादेश-** एक वर्ष में कम-से-कम तीन बार संसद के अधिवेशन होते हैं। इन अधिवेशनों के मध्य छः महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ये अधिवेशन भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते है। संसद में प्रथम अधिवेशन पर संबोधन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो और किसी विशेष कानून की आवश्यकता हो तो ऐसे में राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है। इस अध्यादेश को छः माह की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। संसद का सत्र चलने पर इसका संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है।

6. **कार्यपालिका पर नियंत्रण-** इस अध्याय में पूर्व में ही बताया जा चुका है कि संसद का संघीय अथवा केंद्रीय शासन पर पूर्ण नियंत्रण है। संसद के दोनों सदनों को प्रश्न पूछने एवं अनेक प्रकार के विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है। इस विषय में लोकसभा का महत्वपूर्ण स्थान है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है। लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद् को अपदस्थ किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत द्वारा मंत्रिपरिषद् की नीतियों को अस्वीकृत करने के बावजूद भी राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. सरकार के अनेक कार्य होते हैं; जैसे- कानून-व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना, बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना, नागरिकों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना तथा विकास में वृद्धि करना। भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है। अतः ऐसे देश में शासन-व्यवस्था को सुचारू रूप से रखना कठिन कार्य होता है। इसके लिए उचित प्रबन्धन आवश्यक होता है। ये कार्य केन्द्र तथा राज्य स्तर पर किए जाते है।
संसदीय सरकार को 'कैबिनेट सरकार' भी कहते है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका अपने कार्यों तथा सत्ता में प्रयोग के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्री कार्यपालिका की शक्तियों का उपयोग करते है, वे संसद द्वारा चुने जाते है। संसद में अपनाई जाने वाली कुछ निश्चित औपचारिकताओं को संसदीय कार्यवाही कहा जाता है। ये सामान्य कार्यप्रणालियाँ निम्नलिखित हैं–
(i) कार्यपालिका विधानमंडल का ही एक भाग होता है, जिससे संघर्ष की बहुत कम संभावना रहती हैं।
(ii) प्रत्येक राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचन के उद्देश्य से निर्धारित एवं परिसीमित क्षेत्र को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं।
(iii) कानून द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार संसदीय शासन-प्रणाली में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
(iv) संसद-सदस्यों को वाद-विवाद एवं विचार-विमर्श के समय हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा बोलने का समान रूप से अधिकार है।
(v) सदन में सर्वसम्मति अथवा बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।
संसदीय शासन-प्रणाली को अध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली की अपेक्षा अधिक नम्र एवं लचीला

समझा जाता है। इसका कारण यह है कि अध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली में निर्धारित कार्यकाल का प्रावधान नहीं है।

संसद का गठन- भारत की संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन राज्यसभा 'राज्य परिषद्' एवं लोकसभा 'जनता का सदन' सम्मिलित हैं।

2. **गठन-** लोकसभा 'जनता का सदन' है। यह ससंद का निचला सदन है। यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है जिसमें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। संविधान में प्रारम्भ में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी। 1961 ई0 की जनगणना के पश्चात् यह संख्या बढ़कर 525 हो गई तथा इसके पश्चात् 1971 ई0 में 545 हो गई। वर्तमान में लोकसभा में निर्धारित अधिकतम सदस्य संख्या 545 है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा दो सदस्य आंग्ल-भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं।

सदस्यों की योग्यताएँ- लोकसभा सदस्य के निर्वाचन में भाग लेने हेतु निम्नलिखित योग्यताएँ होनी आवश्यक हैं–

(i) उस व्यक्ति को सरकार से प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए तथा उसे सरकार के अधीन लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए।

(ii) वह भारत का नागरिक होना चाहिए।

(iii) उसका नाम देश के किसी भाग में निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होना चाहिए।

(iv) वह अपराधी नहीं होना चाहिए।

(v) उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

लोकसभा का निर्वाचन एवं कार्यप्रणाली- लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है अर्थात् जनता स्वयं स्वेच्छापूर्वक अपने प्रत्याशियों का चुनाव करती है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय निर्वाचन प्रणाली का महत्त्वपूर्ण आधार है। भारत के किसी भी नागरिक को लिंग, जाति, मूल, वंश अथवा धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण तरीके से मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

चुनाव गुप्त मतपत्रों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इस निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से मतदाता भयरहित होकर अपने इच्छित प्रत्याशी को गुप्त रूप से मतदान करते हैं।

4. कार्य-काल- संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार लोकसभा का निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष है। परन्तु प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पूर्व भी इसे राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है।

राष्ट्र में आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के पाँच वर्ष के कार्यकाल को एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्र में आपातकाल समाप्त होने के पश्चात् लोकसभा के कार्यकाल को 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र बुलाए जाते हैं। संविधान के अंतर्गत व्यवस्था है कि लोकसभा के दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक समयांतराल नहीं होना चाहिए।

सदन में वाद-विवाद अथवा बहस के समय लोकसभा के सदस्यों को हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा के प्रयोग का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। लोकसभा अथवा राज्यसभा के अध्यक्ष को अधिकार है कि संबंधित सदन के किसी सदस्य द्वारा हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त न कर पाने की स्थिति में, अध्यक्ष उसे अपनी मातृभाषा में विचार प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

लोकसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य अपना पद भार ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा इस

आशय हेतु उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर प्रेषित करने मात्र से अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। संविधान की अनुसूची 10 के अंतर्गत दल-बदल विरोधी कानून के आधार पर किसी संसद सदस्य को पदच्युत किया जा सकता है। सदन से निरंतर 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने के कारण भी उसे पद से हटाया जा सकता है।

3. राज्यसभा अथवा 'राज्यों की परिषद्' संघीय संसद का उच्च (ऊपरी) सदन है। इसमें 28 संघ राज्यों एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में राज्यों का स्थान उनकी जनसंख्या के आधार पर एक-दूसरे से भिन्न होता है। उत्तर प्रदेश में विशाल जनसंख्या के कारण यहाँ राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है, जबकि मिजोरम में कम जनसंख्या के कारण केवल 1 राज्यसभा सदस्य नियुक्त होता है।

गठन- राज्यसभा के अधिकतम सदस्यो की संख्या 250 है। इनमें से 238 सदस्यों का चुनाव राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से तथा 12 सदस्यों को कला, साहित्य, तकनीकी आदि विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त करने पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है।

सदस्यों की योग्यताएँ- राज्यसभा सदस्य के लिए चुनाव में भाग लेने हेतु एक प्रत्याशी को निम्नलिखित योग्यताएँ रखनी चाहिएँ–

(i) उसे सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए।

(ii) वह भारत का नागरिक होना चाहिए।

(iii) उसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होना चाहिए।

(iv) वह सजायाफ्ता अपराधी नहीं होना चाहिए।

(v) उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

निर्वाचन- राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।

कार्यकाल- राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई प्रति दो वर्ष पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप रिक्तियों को पूरा करने हेतु नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जो पूर्ण रूप से कभी भी भंग नहीं होता है।

राज्यसभा के सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। वर्ष में राज्यसभा के कम से कम दो सत्र निश्चित रूप से आयोजित हो जाने चाहिएँ। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा में लगभग वही सब कार्य करता है, जो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में करता है।

राज्यसभा में भी उपसभापति का चुनाव किया जाता है। उपसभापति ही सभापति की अनुपस्थिति में सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि राज्यसभा सदस्य के रूप में उपसभापति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो उसे अपना पद रिक्त करना पड़ता है।

4. **संसद के अधिकार एवं कार्य-** संसद देश की कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। इसके द्वारा बनाए गए कानून पूरे देश पर लागू होते है। कानून बनाने के अलावा संसद अन्य अनेक कार्य भी करती है।

संसद के सबसे महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है-

(i) कानून-निर्माण संबंधी कार्य- संसद का मुख्य कार्य विधानमंडल से संबंधित मामलों को देखना अथवा कानून-निर्माण करना है। संसद एवं विधानमंडल दोनों को समवर्ती सूची के 52 विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है।

(ii) संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। यद्यपि कुछ विशेष मामलों में राज्य के बहुमत द्वारा इन संशोधनों में सुधार किया जाता है। राज्य संविधान में संशोधन की पहल नहीं कर सकता है।

(iii) राष्ट्रपति द्वारा जारी समस्त अध्यादेश संसद का सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् छह सप्ताह में सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाने चाहिए, अन्यथा वे निष्प्रभावी हो जाते हैं।

(iv) संसद को अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। ये विषय संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में वर्णित नहीं है।

(v) संसद राज्य सूची से संबंधित 61 विषयों पर कानून राज्यों पर लागू होंगे।

(vi) राज्य सूची पर विशेष विषयों से संबंधित मामलों में परस्पर सहमति के आधार पर दो अथवा अधिक राज्य एक कानून पारित करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थना के माध्यम से पारित कानून तत्संबंधी राज्यों पर लागू होंगे।

4. संघीय कार्यपालिका

अभ्यास

क. निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) राष्ट्रपति 2. (अ) अप्रत्यक्ष रूप से 3. (स) 63 वें 4. (द) प्रधानमंत्री

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. संसदीय 2. पाँच 3. कार्यकारी 4. मंत्रिपरिषद

ग. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

1. भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह ₹5,00,000 स्थायी वेतन (नवीनतम् प्रावधानों के अनुसार) तथा अन्य भत्ते मिलते हैं।
2. राष्ट्रपति की दो शक्तियाँ हैं- वित्तीय शक्तियाँ तथा कार्यपालक शक्तियाँ।
3. राष्ट्रपति को आपातकाल के समय विशेष शक्तियाँ मिली हुई हैं।
4. संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की इच्छा से अपने पद पर बने रहते हैं किंतु व्यवहार में, वे तब तक पदासीन रहते हैं, जब तक कि उन्हें निम्न सदन (लोकसभा) में बहुमत प्राप्त होता है।
5. मंत्रिपरिषद में तीन स्तर के मंत्री होते हैं- कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री तथा उपमंत्री।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. राष्ट्रपति पद के लिए अभ्यर्थी में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी आवश्यक हैं—

   (i) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।

   (ii) उसकी आयु चुनाव के समय कम-से-कम 35 वर्ष की होनी चाहिए।

   (iii) उसमें लोकसभा का सदस्य होने की सभी योग्यताएँ होनी चाहिए।

   (iv) उसे केंद्र या राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर आसीन न होना चाहिए। यदि ऐसा है, तो चुनाव से पूर्व उसे अपने पद से त्याग-पत्र दे देना चाहिए।

   राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन (उच्च या निम्न) या राज्य विधान सभा का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो उसे राष्ट्रपति पद पर चयनित किए जाने के पूर्व अपना पद-त्याग करना पड़ेगा।

2. **वित्तीय शक्तियाँ-** राष्ट्रपति चुनावों के बाद संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। संसद के सत्र वही आहूत करता है तथा समाप्ति की घोषणा भी करता है। वह संसद को भंग भी कर सकता है। उसकी अनुमति के बिना कोई भी विधेयक (बिल) कानून नहीं बन सकता। जब संसद का सत्र जारी नहीं होता, उस समय वह 'अध्यादेश' जारी कर सकता है। युद्ध की घोषणा के लिए भी उसकी सहमति आवश्यक है।

   राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना कोई भी व्यक्ति संसद में पेश नहीं किया जा सकता। वह विशेष खर्चों के लिए आपातकालीन कोष से अग्रिम धन दिला सकता है।

3. **चुनाव-** भारत का उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है। राज्यों के विधायक उसके चुनाव में भाग नहीं लेते। उसके चुनाव की प्रक्रिया गुप्त मतदान विधि द्वारा, समानुपातिक प्रतिनिधत्व तथा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए स्पष्ट बहुमत का होना बहुत आवश्यक है।

   कार्य- उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष अथवा पीठासीन अधिकारी की भाँति कार्य करता है तथा इसकी कार्यवाहियों को संचालित करता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने की स्थिति में वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। सन् 1969 ई0 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात् श्री वी0 वी0 गिरि ने तथा 1977 ई0 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के पश्चात् श्री वी0 डी0 जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उपराष्ट्रपति छः माह से अधिक अवधि के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इस अवधि में ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक होता है।

   वेतन एवं भत्ते- भारत के उपराष्ट्रपति की वर्तमान आय 450000 रु0 है। उसमें वेतन व भत्ते राज्यसभा के नियमानुसार निर्धारित किए जाते हैं।

4. **मंत्रिपरिषद्-** मंत्रिपरिषद् में तीन स्तर के मंत्री होते हैं- कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री तथा उपमंत्री। इनमें कैबिनेट स्तर के मंत्री उच्चतम स्तर पर होते हैं तथा उन्हें वित्त, रक्षा, गृह, उद्योग, रेलवे आदि महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते हैं। राज्य स्तर के मंत्री को भी किसी विभाग का स्वंतत्र प्रभार दिया जा सकता है। उपमंत्री, कैबिनेट मंत्री तथा राज्यमंत्री की सहायता करते हैं।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. **राष्ट्रपति-** राष्ट्रपति का पद देश में सर्वोच्च होता है। वह भारतीय संघ का मुख्य कार्यकारी या प्रधान होता है। चूँकि भारत एक गणतन्त्र देश है; अतः राष्ट्रपति भी एक चुना गया व्यक्ति होता है।

   राष्ट्रपति पद के लिए अभ्यर्थी में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी आवश्यक हैं—

   (i) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।

   (ii) उसकी आयु चुनाव के समय कम-से-कम 35 वर्ष की होनी चाहिए।

   (iii) उसमें लोकसभा का सदस्य होने की सभी योग्यताएँ होनी चाहिए।

   (iv) उसे केंद्र या राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर आसीन न होना चाहिए। यदि ऐसा है, तो चुनाव से पूर्व उसे अपने पद से त्याग-पत्र दे देना चाहिए।

   राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन (उच्च या निम्न) या राज्य विधान सभा का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो उसे राष्ट्रपति पद पर चयनित किए जाने के पूर्व अपना पद-त्याग करना पड़ेगा।

   चुनाव- राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडलके द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल मत संक्रमणीय प्रणाली से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक राज्य के निर्वाचकों

के वोटों की संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। सभी निर्वाचकों के कुछ मतों का योग देश की लगभग सम्पूर्ण जनसंख्या के बराबर होता है।

पद का कार्यकाल- भारत का राष्ट्रपति प्रायः 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। वह दूसरी बार भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है। उसका पद मृत्यु, त्याग-पत्र तथा महाभियोग के कारण भी रिक्त हो सकता है। संविधान के विरुद्ध आचरण करने पर भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह की अवधि के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होना अनिवार्य है।

वेतन एवं भत्ते- भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह ' 5,00,000 स्थायी वेतन (नवीनतम प्रावधानों के अनुसार) तथा अन्य भत्ते मिलते हैं। उसे राष्ट्रपति भवन में मुफ़्त निवास की सुविधा प्राप्त होती हैं कार्यमुक्त होने पर उसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं; जिनमें सम्मिलित है जो संसद द्वारा निश्चित की जाती है।

भारतीय संघ के राष्ट्रपति की शक्तियाँ अत्यधिक हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं—

(i) वित्तीय शक्तियाँ- राष्ट्रपति चुनावों के बाद संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। संसद के सत्र वही आहूत करता है तथा समाप्ति की घोषणा भी करता है। वह संसद को भंग भी कर सकता है। उसकी अनुमति के बिना कोई भी विधेयक (बिल) कानून नहीं बन सकता। जब संसद का सत्र जारी नहीं होता, उस समय वह 'अध्यादेश' जारी कर सकता है। युद्ध की घोषणा के लिए भी उसकी सहमति आवश्यक है।

राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना कोई भी व्यक्ति संसद में पेश नहीं किया जा सकता। वह विशेष खर्चों के लिए आपातकालीन कोष से अग्रिम धन दिला सकता है।

(ii) कार्यपालक शक्तियाँ- राष्ट्रपति भारतीय संघ का मुख्य कार्यकारी है। वह कार्यपालिका के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता हैं। वह प्रधानमंत्री तथा उसकी संस्तुति पर मंत्रि-परिषद् की नियुक्ति करता है। वह राज्य के राज्यपालों (गवर्नरों), एटॉर्नी जनरल, कॉण्ट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल, लेफ्निेंट गवर्नर तथा केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्तों, संघीय लोक सेवा आयोग के चेयरमैन तथा सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। वह सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है तथा सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह राजदूतों को भेजता है तथा स्वागत करता है। विदेशों से की गयी सभी संधियाँ उसके द्वारा हस्ताक्षरित होती हैं।

(iii) आपातकालीन शक्तियाँ- राष्ट्रपति को आपातकाल के समय विशेष शक्तियाँ मिली हुई हैं। वह निम्नलिखित स्थितियों में आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

(a) संवैधानिक आपातकाल- अनुच्छेद 356 के अनुसार जब देश में संवैधानिक व्यवस्था समाप्त हो जाए या राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

(b) राष्ट्रीय आपातकाल- संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्र पर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या देश के अंदर शस्त्र विद्रोह, गृहयुद्ध या बगावत जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, जो देश की सुरक्षा और शांति के लिए खतरा हो, तो राष्ट्रपति संपूर्ण देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

(c) वित्तीय आपातकाल- अनुच्छेद 360 के अनुसार जब देश में वित्तीय अस्थिरता से आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए। संकटकाल के समय नागरिकों के कुछ मूलाधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है तथा वित्तीय संकट के समय राष्ट्रपति सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में कमी कर देता है।

किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था समाप्त होने पर राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। यह पहले 6 माह तक होता है, परंतु विशेष परिस्थिति होने पर इसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति- वस्तुतः राष्ट्रपति को अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं, परन्तु वास्तव में वह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करता है। उसे प्रदत्त शक्तियों का सही अर्थों में प्रयोग प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद् ही करती है। राष्ट्रपति केवल नाममात्र के वैधानिक प्रधान की तरह कार्य करता है क्योंकि हमारे संविधान ने देश में संसदीय सरकार की स्थापना की है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद् संसद के प्रति उत्तरदायी है। वे संसद में बहुमत की इच्छा होने तक ही अपने पदों पर बने रहते हैं।

राष्ट्रपति का पद गरिमा युक्त तथा श्रेष्ठ होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है तथा वह सभी राष्ट्रीय उत्सवों पर देश का प्रतिनिधित्व भी करता है।

2. लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तब दो या अधिक दल मिलकर अपना नेता चुनते हैं। ऐसी सरकार को 'साझा सरकार' या 'गठबंधन सरकार' कहा जाता है। इस प्रकार चुने गए नेता को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।

प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद् संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्रधानमंत्री को विधि एवं वित्त दोनों शक्तियाँ मिली हुई हैं। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक 'प्रधान' होता है। वह सभी मंत्रियों को नियुक्त व पदच्युत करता है तथा उनके काम में तालमेल रखता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति और जनसामान्य के बीच कड़ी का कार्य करता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट का ही नहीं, वरन् संसद का भी नेता होता है। संसद में राष्ट्रीय नीति के विषय में की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण घोषणाएँ प्रधानमंत्री द्वारा की जाती हैं। सरकार की सफलता या विफलता प्रधानमंत्री पर निर्भर करती है।

कार्यकाल- संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति की इच्छा से अपने पद पर बने रहते हैं किंतु व्यवहार में, वे तब तक पदासीन रहते हैं जब तक कि उन्हें निम्न सदन (लोकसभा) में बहुमत प्राप्त होता है।

कार्य- सरकार के प्रधान के तौर पर प्रधानमंत्री देश के सभी आंतरिक एवं बाह्य (विदेशी) मामलों का प्रबंध करता है। वह निम्नलिखित कार्य करता है-

(i) वह सरकार का प्रमुख प्रवक्ता तथा लोकसभा का नेता होता है।

(ii) वह राष्ट्रपति को प्रमुख नियुक्तियों; जैसे- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, अन्य न्यायाधीशों, राजदूतों, आदि के विषय में सलाह देता है।

(iii) वह राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद् के बीच कड़ी का कार्य करता है।

(iv) वह गलती करने वाले मंत्रियों से कारण पूछ सकता है।

(v) वह राष्ट्रपति को लोकसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने या भंग करने के विषय में भी सलाह देता है।

(vi) वह सभी मंत्रियों के कार्य की देखभाल करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सलाह भी देता है। इस प्रकार प्रशासन को सहज बनाने के लिए वह विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल रखता है।
(vii) वह मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की सूची बनाता है तथा उनके विभागों का आवंटन करता है।
(viii) वह मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

3. **सामूहिक दायित्व का सिद्धांत-** मंत्रिपरिषद् प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। यह सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के लिए उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद् (सम्मिलित रूप से) सरकार के सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो यह (अविश्वास प्रस्ताव) समस्त मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध होता है। इसी प्रकार, यदि किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत बिल (प्रस्ताव) लोकसभा द्वारा अस्वीकृत हो जाता है, तो इसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का मत माना जाता है और संपूर्ण मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रियों में विचारों, की भिन्नता हो सकती है, किंतु वे उसे खुले तौर पर प्रकट नहीं कर सकते। उन सभी से परस्पर सहयोगपूर्वक कार्य करने की आशा की जाती है। इसी तथ्य को 'सामूहिक दायित्व का सिद्धांत' कहा जाता है।

5. न्याय-पालिका

अभ्यास

क. निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (अ) सर्वोच्च न्यायालय 2. (ब) 10 वर्ष 3. (स) सर्वोच्च न्यायाल्य

ख. सत्य और असत्य लिखिए–

1.असत्य 2. सत्य 3. सत्य 4. असत्य

ग. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

1. सर्वोच्च न्यायालय भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है।
2. वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं।
3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवामुक्त होते हैं, किन्तु यदि वे अपने पद और गरिमा का दुरूपयोग करते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें पहले भी पदमुक्त कर सकता है।
4. देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं।
5. मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएँ हैं।- (i) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। (ii) उसे किसी जिला न्यायालय में वकालत करने का कम-से-कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अथवा उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए अथवा प्रसिद्ध विधिवेत्ता होना चाहिए।
6. सूचना- प्राथमिकी (FIR) वह सूचना होती है जिसे पुलिस अधिकारी किसी अपराध के घटित होने पर प्राप्त करता है।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. न्यायपालिका सरकार का वह अंग है, जो व्यक्तियों के आपसी विवादों का कानून के अनुसार निर्णय करती है तथा जो कानून को तोड़ते हैं व शान्ति एवं व्यवस्था को भंग करते हैं, उन्हें कानून के अनुसार सजा देती है। न्यायपालिका व्यक्तियों तथा सरकार के मध्य, राज्यों के मध्य तथा राज्य एवं केन्द्र के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों को भी सुलझाती है।
   लोकतन्त्र में एक स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है। यह न केवल लोगों के अधिकारों एवं स्वतन्त्रता की अपितु लोकतान्त्रिक व्यवस्था की भी रक्षा करती है। यह

संविधान की संरक्षिका तथा देश का सर्वोच्च कानून है। यह अपने समक्ष विचार के लिए लाये गये विवादों के सम्बन्ध में कानूनों को लागू करती है, उनकी व्याख्या करती है तथा वर्तमान कानूनों का नया अर्थ व विस्तार प्रदान करती है।

भारतीय न्यायिक प्रणाली समेकित है, जिसकी संरचना पिरामिडाकार है। पिरामिड के शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। राज्यों में सबसे ऊँचे उच्च न्यायालय हैं। राज्य के जिलों के निचले न्यायालय उच्च न्यायालयों के अधीन होते हैं। केन्द्र तथा राज्यों में क्रमशः अपने कानून लागू करने के लिए पृथक् न्यायालयों की व्यवस्था नहीं है।

2. क्षेत्राधिकार से आशय न्याय करने की शक्ति से है। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित तीन प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं–

(i) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार– कुछ मामलों का न्याय केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही करने का अधिकार होता है। उदाहणार्थ– (ग) दो अथवा अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद, (गग) संघीय सरकार एवं एक या अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद तथा (गग) संविधान के हनन (अवहेलना) के मामले (विवाद)।

(ii) अपीलीय क्षेत्राधिकार– सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायिक निकाय है। यह उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को सुनता है तथा अपने स्वयं के निर्णय पर भी पुनर्विचार कर सकता है। यह निम्नलिखित मामलों में अपीलें सुनता है–

(a) जब कोई उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि उक्त मामला सर्वोच्च न्यायालय में ही विचार करने योग्य है।

(b) जब कोई उच्च न्यायालय किसी आपराधिक मामले में निचले न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड की सजा के निर्णय को बदल देता है।

(iii) परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार– राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक महत्त्व के मामले को सर्वोच्च न्यायालय के पास उसके परामर्श हेतु भेज सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राष्ट्रपति को इस संबंध में परामर्श देने की कोई संवैधानिक विवशता नहीं है।

3. जिला स्तर या इससे नीचे के न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों में शामिल हैं। एक जिले में दीवानी तथा फौजदारी के मुकदमों (वाद) के लिए भिन्न-भिन्न न्यायालय होते हैं।

'दीवानी' के मुकदमे जिला न्यायाधीश की अदालत में तय होते हैं। ये अदालतें (न्यायालय) निचली अदालतों के मुकदमों के विरुद्ध अपीलें सुनती हैं। छोटे दीवानी मुकदमे निचली अदालत के मुंसिफों तथा उपन्यायाधीशों द्वारा सुने जाते हैं। 'फौजदारी' के मुकदमे सत्र न्यायाधीश (सेशन जज) की अदालत में सुने जाते हैं। जिला न्यायाधीश जिला एवं सेशन जज के रूप में कार्य करता है। फौजदारी के मुकदमे निचली अदालतों में भी सुने जाते हैं। सत्र न्यायाधीश निचली अदालतों के फैसलों के विरुद्ध की गयी अपीलों की सुनवायी करता है।

अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायाधीशों को छोड़कर, राज्यपाल द्वारा राज्य न्यायिक सेवाओं द्वारा चयनित न्यायाधीशों में से नियुक्त किये जाते हैं। इनकी संस्तुति राज्य सिविल सेवा आयोग द्वारा की जाती है। उनके वेतन तथा भत्ते राज्य सरकारों द्वारा निश्चित किये जाते हैं।

4. **लोक अदालत-** लोक अदालत जनता की वह विशिष्ट अदालत होती है, जो विशेष प्रकार के विवादों को न्यायालयों की भ्रमित जटिलताओं से पृथक् कर उनके समाधान का विकल्प खोजती है। इन न्यायालयों में समाज-सेवकों, कर्मचारियों एवं विधि शास्त्र के विद्यार्थियों की कानूनी सहायता ली जाती है।

लोक अदालतें जनसाधारण को त्वरित एवं सस्ता न्याय प्रदान करने में बहुत प्रभावी सिद्ध हुई हैं। प्रथम लोक अदालत 1985 ई0 में दिल्ली में लगी थी, जिसने एक ही दिन में 150 वादों का निर्णय कर डाला। इस प्रकार, लोक अदालतों ने न्यायालयों के बोझ को भी कम कर दिया है।

लोक अदालतें पंचायत की भाँति होती हैं। ये विवाद में लिप्त दलों में आपसी समझौता तथा स्वीकृति बनाने का प्रयास करती हैं। निम्नलिखित प्रकार के मामले इन अदालतों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होते हैं–

(i) दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले विवादों में क्षतिपूर्ति के वाद।

(ii) परिवार में अलगाव, तलाक, बच्चों की संरक्षता, ऋण, परिवार-विभाजन, विवाह के समय दी गयी सम्पत्ति (दहेज), पारिवारिक भत्ता आदि के वाद (मामले)।

(iii) मकान मालिक-किरायेदार के वाद, किराया-वृद्धि, मकान खाली कराना, किरायेदार द्वारा किसी अन्य को मकान किराये पर देना, किराया न देना, किराये की सम्पत्ति का संरक्षण आदि।

5. न्यायिक वादों को दो प्रमुख श्रेणियों में रखा जाता है– दीवानी तथा फौजदारी। दोनों प्रकार के वादों में कुछ भिन्नताएँ हैं, जिन्हें निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है)

(i) दीवानी वाद निजी अधिकारों से सम्बन्धित होते हैं, जबकि फौजदारी वाद सम्पूर्ण समुदाय के विरुद्ध किये गये गलत व्यवहार हैं।

(ii) दीवानी वादों में बिना अधिकार प्रवेश, उपेक्षा, संविदा भंग करना, विवाह सम्बन्धी वाद आदि सम्मिलित हैं, जबकि हत्या, आपराधिक षड्यन्त्र, धोखा देना, खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधों को फौजदारी वादों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

(iii) दीवानी तथा फौजदारी वादों का उपचार तथा प्रक्रिया भिन्न होती है। दीवानी वादों के उपचारों में क्षतिपूर्ति के दावे, विशिष्ट उपचार, निषेधाज्ञा आदि ऐसे ही अन्य उपचार सम्मिलित हैं। इसके विपरीत फौजदारी वादों के उपचारों में दोषी व्यक्ति को दण्डित करना तथा पीड़ित व्यक्ति को उसके कष्ट की दशा के अनुसार क्षतिपूर्ति दिलाना सम्मिलित है।

(iv) अनेक दीवानी वाद न्यायालय के बाहर, सम्मिलित दलों द्वारा आपस में सुलझा लिये जाते हैं, किन्तु फौजदारी वादों में ऐसा करना सम्भव नहीं होता, क्योंकि उसमें राज्य भी सम्मिलित होता है।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. **भारत का सर्वोच्च न्यायालय**- सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय व्यवस्था है। इसका कार्य संविधान की व्याख्या करना है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय देश का अन्तिम न्यायालय है। यह संविधान के संरक्षण तथा देश के उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त देश में लोगों के अधिकारों एवं स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए उत्तरदायी है। यह नई दिल्ली में स्थित है।

संगठन- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निश्चित की जाती है। इसे संसद के अधिनियम द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश- सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान मुख्य न्यायाधीश होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश से उचित सलाह करने के पश्चात् की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए निम्नलिखित विशेष योग्यताओं का होना आवश्यक है–

(i) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ii) उसे कम-से-कम 10 वर्ष का अधिवक्ता होने का अनुभव होना चाहिए, अथवा 5 वर्ष का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, अथवा राष्ट्रपति के मत में विशिष्ट विधिवेत्ता होना चाहिए।

कार्यकाल- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवामुक्त होते हैं, किन्तु यदि वे अपने पद और गरिमा का दुरुपयोग करते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें पहले भी पदमुक्त कर सकता है। इसके लिए संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है।

वेतन तथा भत्ते- मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह वेतन तथा नियमानुसार अन्य भत्ते एवं अनेक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं (जैसे– मुफ्त आवास तथा सेवामुक्त होने के बाद पेन्शन)। अन्य न्यायाधीशों को भी प्रतिमाह वेतन एवं भत्ते मिलते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र- क्षेत्राधिकार से आशय न्याय करने की शक्ति से है। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित तीन प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं–

(i) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार– कुछ मामलों का न्याय केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही करने का अधिकार होता है। उदाहणार्थ– (i) दो अथवा अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद, (ii) संघीय सरकार एवं एक या अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद तथा (iii) संविधान के हनन (अवहेलना) के मामले (विवाद)।

(ii) अपीलीय क्षेत्राधिकार– सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायिक निकाय है। यह उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को सुनता है तथा अपने स्वयं के निर्णय पर भी पुनर्विचार कर सकता है। यह निम्नलिखित मामलों में अपीलें सुनता है–

(i) जब कोई उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि उक्त मामला सर्वोच्च न्यायालय में ही विचार करने योग्य है।

(ii) जब कोई उच्च न्यायालय किसी आपराधिक मामले में निचले न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड की सजा के निर्णय को बदल देता है।

(iii) परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार– राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक महत्त्व के मामले को सर्वोच्च न्यायालय के पास उसके परामर्श हेतु भेज सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राष्ट्रपति को इस संबंध में परामर्श देने की कोई संवैधानिक विवशता नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय के कार्य- (i) सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। एक भारतीय नागरिक अपने अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय सरकार के ऐसे आदेशों को अवैध भी घोषित कर सकता है, जो भारतीय नागरिकों के अधिकारों का हनन करते हों।

(ii) सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान का संरक्षक है। यह उन सभी मामलों पर निर्णय देता है, जो संवैधानिक कानून के किसी भी बिन्दु से सम्बन्धित होते हैं। यह संविधान की व्याख्या करता है। यह ससंद अथवा राज्य विधानसभा द्वारा बनाये गये किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, यदि वह कानून संविधान के विरुद्ध हो।

(iii) सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के कार्यों पर भी नियन्त्रण तथा नजर रखता है। इसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण देश में विस्तृत है।

(iv) सर्वोच्च न्यायालय भारत में अभिलेख न्यायालय भी है। यह अपने निर्णयों का अभिलेख (रिकॉर्ड रखता है तथा उन्हें प्रकाशित करता है। ये निर्णय निचली अदालतों के वकीलों द्वारा दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं।

2. **उच्च न्यायालय**- राज्यों में उच्च न्यायालय ही सर्वोच्च न्यायालय होता है। कुछ राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय होता है। उदाहरणार्थ, हरियाणा तथा पंजाब राज्यों एवं चण्डीगढ़ केन्द्रशासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय एक ही है; किन्तु इसके विपरीत, केन्द्रशासित क्षेत्र दिल्ली का पृथक् उच्च न्यायालय है। देश में कुल 25 उच्च न्यायालय है।

संगठन- उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या राज्य के आकार पर निर्भर करती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के द्वारा होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्शानुसार होती है।

योग्यताएँ- (i) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ii) उसे किसी जिला न्यायालय में वकालत करने का कम-से-कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अथवा उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए, अथवा प्रसिद्ध विधिवेत्ता होना चाहिए।

वेतन और कार्यकाल- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह वेतन मिलता है। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं, किन्तु इससे पूर्व भी संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

शक्तियाँ एवं कार्य- राज्य में उच्च न्यायालय को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं–

(i) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार– उच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार मौलिक अधिकारों तथा राज्य चुनावों के विवादों से सम्बन्धित होता है।

(ii) अपीलीय क्षेत्राधिकार– उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के दीवानी तथा फौजदारी के मामलों (मुकदमों) की अपीलों को सुनता है।

(iii) परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार– उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख देखता है तथा उनके कार्यों पर नियन्त्रण रखता है। यह अपने सभी निर्णयों तथा कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखता है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालयों के वकील दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

3. **न्यायालयों की भूमिका-** न्यायालय न्याय के प्रशासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लोगों को न्याय दिलाते हैं तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित करते हैं। निम्नतम (जिला न्यायालय) से उच्चतम न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय) स्तर तक ये न्यायालय सूक्ष्मता से तथ्यों को प्रमाणित करते हैं तथा दोनों दलों (वादी एवं प्रतिवादी) के तर्कों को साक्ष्यों के आधार पर सुनते हैं।

सम्पूर्ण वाद की गहराई से जाँच करने के बाद वे (न्यायालय) अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि उस निर्णय से कोई दल सन्तुष्ट नहीं होता है तो वह जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय तक तथा उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक अपील कर सकता है।

व्यक्तियों के निजी वादों के निर्णय के अतिरिक्त, न्यायालय देश की प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नवत् महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं–

(i) वे केन्द्र तथा राज्यों के विवादों को दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य उठने वाले विवादों का निर्णय कर सकते हैं।

(ii) वे संविधान के संरक्षक होते हैं।

(iii) वे राष्ट्रपति या राज्यपालों को कानूनी मामलों में परामर्श देते हैं।

(iv) वे विधायिका तथा कार्यपालिका की शक्तियों पर नियन्त्रण रखते हैं। वे कुछ कानूनों को असंवैधानिक तथा अवैध घोषित कर सकते हैं।

(v) वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं।

4. सूचना-प्राथमिकी वह सूचना होती है जिसे पुलिस अधिकारी किसी अपराध के घटित होने पर प्राप्त करता है। सूचना-प्राथमिकी के निम्नलिखित कानूनी तथ्य उल्लेखनीय हैं–

(i) सूचना-प्राथमिकी किसी संज्ञेय अपराध के विषय में, पीड़ित व्यक्ति द्वारा पुलिस के पास दर्ज करायी जाने वाली शिकायत होती है।

(ii) यह आवश्यक नहीं है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही सूचना-प्राथमिकी दर्ज कराये। कोई भी व्यक्ति जो संज्ञेय अपराध की घटना के बारे में जानता हो, इसे दर्ज करा सकता है।

(iii) इसे देश के किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराया जा सकता है। यह सम्बन्धित पुलिस अधिकारी का कर्त्तव्य है कि वह घटना के क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने को उक्त सूचना भेजे।

(iv) सूचना-प्राथमिकी में घटना-स्थल, तिथि एवं समय का उल्लेख करना आवश्यक होता है।

(v) सूचना-प्राथमिकी लिखित रूप में दर्ज करके उचित रूप से हस्ताक्षरित करके, उसकी एक प्रतिलिपि सूचना देने वाले को देनी चाहिए।

(vi) एक पुलिस अधिकारी, जो स्वयं किसी संज्ञेय अपराध के बारे में जानता हो, उसे दर्ज करा सकता है।

(vii) सूचना-प्राथमिकी दर्ज कराने का कोई निश्चित समय नहीं है, किन्तु इसे घटना के तुरन्त बाद ही दर्ज कराया जाना चाहिए।

(viii) प्रत्येक शिकायतकर्त्ता को सूचना-प्राथमिकी की एक प्रतिलिपि मुफ्त में प्राप्त करने का अधिकार है।

(ix) जब किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मौखिक रूप से दी जाती है, तो पुलिस अधिकारी को इसे लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए।

(x) घटना का विस्तृत विवरण देना भी आवश्यक है।

(इकाई-4: आपदा प्रबंधन)

1. आपदा प्रबंधन

अभ्यास

क. निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए–

1. (द) ये सभी 2. (द) ये सभी 3. (स) उड़ीसा 4. (ब) तटीय-प्रदेशों में

ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. मानवजनित 2. तटीय क्षेत्रों 3. अकाल 4. भूकंप

ग. अतिलघु उत्तरीय प्रश्न–

1. बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाएँ हैं।
2. देश में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित बेसिन उड़ीसा में वैतरणी, ब्राहमणी एवं स्वर्ण रेखा नदियों के बेसिन हैं। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एवं गुजरात में भी कभी-कभी बाढ़ आ जाती है।
3. गर्म महासागरीय जल में चक्रवातों की उत्पत्ति होती है।
4. किसी निश्चित क्षेत्र में लंबे समय तक जल की कमी अथवा अभाव को सूखे के रूप में परिभषित किया जाता है।

5. पृथ्वी के आंतरिक भाग में उष्मीय प्रभाव के कारण घटित होने वाले विवर्तनिक बलों के शक्ति प्रदर्शन को भूकंप कहते हैं।

घ. लघु उत्तरीय प्रश्न–

1. **बाढ़ के प्रभाव को कम करना-** सन् 1940 के दशक में बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए एकमात्र साधन तटबंधों का निर्माण था। बाँधों एवं जलाशयों को बाढ़-नियत्रण के लिए उपयोगी समझा गया। बाढ़ की भयावहता को कम करने के लिए अब अनेक साधन एवं उपाय उपलब्ध हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए पर्वतीय ढालों एवं जलमग्न क्षेत्र में वृक्षों एवं जंगलों को काटकर गिराने पर नियंत्रण करने की अत्यधिक आवश्यकता है। नियमित समय पर मौसम भविष्यवाणी एवं बाढ़ चेतावनी के लिए व्यवस्था करना आवश्यक है।
2. **चक्रवात आने से पहले की तैयारी-** चक्रवातों पर रोकथाम एवं नियंत्रण असंभव है, लेकिन उपयुक्त उपायों को अपनाकर हम मानव जीवन की क्षति एवं संपत्ति के विनाश को अवश्य कम कर सकते हैं। ये उपाय निम्नवत् हैं—चक्रवातीय चेतावनी प्रणाली अथवा तंत्र। चक्रवात आश्रयों का निर्माण।

   तटबंधों एवं भित्तियों का निर्माण, जलाशयों का निर्माण, तटीय वृक्षारोपण अथवा आश्रय क्षेत्र वृक्षारोपण कार्यक्रम, चक्रवात द्वारा होने वाली क्षति से बचाने के लिए फसल एवं पशुओं का बीमा कराकर व्यक्तियों की सहायता।

   चक्रवातीय विपत्ति से पहले एवं बाद में जीवन की सभी आवश्यकताओं; जैसे-भोजन तथा जल आदि का उचित प्रबंधन कर लेना चाहिए। प्रभावित क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या को समय से सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। व्यक्तियों को समुद्र के किनारे जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
3. सूखा तीन प्रकार का होता है

   (i) मौसम संबंधी सूखा– जल वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है।

   (ii) जल संबंधी सूखा– जब जल की दुर्लभता के कारण जलाशयों में जल की मात्रा में कमी आ जाती है।

   (iii) कृषि संबंधी सूखा– जब जल की दुर्लभता से आंशिक अथवा पूर्ण उपज क्षति होती है तथा उसका कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
4. भूकंप भी आकस्मिक घटित होने वाली प्राकृतिक आपदा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मीय प्रभाव के कारण घटित होने वाले विवर्तनिक बलों के शक्ति प्रदर्शन को भूकंप कहते हैं। भूकंप पृथ्वी के धरातल की वह गति है, जिसमें हल्के झटकों के साथ इतने तीव्र झटके आते हैं कि मकान हिलने लगते हैं और जमीन में भी दरारें आ जाती हैं। भूकंप बिना किसी चेतावनी के आते हैं। भूकंप सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में आपदा का बड़ा कारण बन जाता है। भूकंप द्वारा प्रकृति में भी अनेक परिवर्तन हो जाते हैं।

ङ. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

1. **बाढ़-** धाराओं, झीलों तथा नहरों में जल प्रवाह अधिक बढ़ जाता है तथा खेत, मानव बस्तियाँ एवं सड़कें तथा निम्न क्षेत्र में निर्मित सभी प्रतिष्ठान कई दिनों तक निरंतर जलमग्न रहते हैं। बाढ़ का प्रकोप संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, लेकिन इससे सर्वाधिक गंभीर परिणाम दक्षिण-पूर्व एशिया में विशेषकर भारत एवं बांग्लादेश में देखे जाते हैं। देश में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित बेसिन एवं उड़ीसा में वैतरणी, ब्राह्मणी एवं स्वर्ण रेखा नदियों के बेसिन हैं। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एवं गुजरात में भी कभी-कभी बाढ़ आ जाती है।

बाढ़ नियंत्रण- भारत में बाढ़ें आना कोई नई बात नहीं है। बाढ़ से सुरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले उपायों को दो भागों में विभाजित किया जाता है—

(i) दीर्घकालीन उपाय (ii) अल्पकालीन उपाय

दीर्घकालीन उपाय–इस प्रकार के उपायों में राष्ट्रस्तरीय बाढ़ सुरक्षा के उपाय सम्मिलित हैं, ये निम्नलिखित हैं—

(क) गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी डेल्टा एवं इंडो-गंगा मैदान में बाँधों, जलाशयों तथा तटबंधों का निर्माण।

(ख) बाढ़ के धारा प्रवाह में परिवर्तन करना।

(ग) अतिरिक्त जल को कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करना।

अल्पकालीन उपाय –

(क) विद्यमान तटबंधों को ऊँचा करके शक्तिशाली बनाना तथा नवीन तटबंधों का निर्माण करना।

(ख) बाढ़ की भविष्यवाणी एवं चेतावनी कार्यक्रमों में सुधार करना।

(ग) बेहतर संचार एवं पर्यवेक्षण कार्यक्रम।

(घ) अपरदनरोधी एवं नगर/ग्राम सुरक्षा कार्य करना।

(ङ) बाढ़ संप्रभावित क्षेत्र कार्यक्रमों का सूत्रपात करना।

(च) शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जागरूकता उत्पन्न करके गैर-संरचनात्मक बाढ़ संभावित क्षेत्र कार्यक्रमों में भागीदारी करना।

2. **सूखा**- किसी निश्चित क्षेत्र में लंबे समय तक जल की कमी अथवा अभाव को सूखे के रूप में परिभाषित किया जाता है। विकट सूखे की स्थिति में कई वर्षों तक एक विशाल भू-भाग में बहुत थोड़ी अथवा बिल्कुल वर्षा नहीं होती है। ये दशाएँ अर्थव्यवस्था में कभी क्षतिपूर्ति न होने वाले परिवर्तन तथा

क्षेत्र के सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण जनहानि एवं बहुत अधिक संख्या में मनुष्यों एवं पशुओं का सुरक्षित स्थान को पलायन होता है। अकाल एवं सूखा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

सूखा तीन प्रकार का होता है

(i) मौसम संबंधी सूखा— जल वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है।

(ii) जल संबंधी सूखा— जब जल की दुर्लभता के कारण जलाशयों में जल की मात्रा में कमी आ जाती है।

(iii) कृषि संबंधी सूखा— जब जल की दुर्लभता से आंशिक अथवा पूर्ण उपज क्षति होती है तथा उसका कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

सन् 1987 में विकट सूखे ने तेरह प्रदेशों आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश तथा दो केन्द्रशासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं दिल्ली को प्रभावित किया। इसने 2.6 लाख ग्रामों, 4.54 करोड़ हेक्टेयर कृषि फसल क्षेत्र एवं 2.85 करोड़ व्यक्तियों को प्रभावित किया। सन् 2002 में मानसून की असफलता ने अधिकांश मध्यवर्ती, पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत में सूखे के हालात उत्पन्न कर दिए थे।

सूखे के प्रभाव को कम करना- सूखे के प्रभाव को कम करने की योजनाबद् स्तर पर तैयारी की जानी चाहिए। अनेक दूरसंवेदी उपग्रह, मानचित्र युक्तियों एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का प्रयोग भू-विज्ञानी चट्टान में जल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। सूखे का मुख्य कारण अपर्याप्त एवं असमान वर्षा वितरण है। सूखे में खाद्यानों, जल तथा चारा तीनों का अभाव हो जाता है। कभी-कभी कृषि की अवैज्ञानिक पद्धतियाँ, भू-जल संसाधन से जल का दुरुपयोग तथा वृक्षों का कटान सूखे के कारण बनते हैं।

सूखे की भयावहता से सफलतापूर्वक निपटने के उपाय- सूखे की भयावहता से सफलतापूर्वक निपटने हेतु संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक रणनीतियों की आवश्यकता है। ये निम्नलिखित हैं—

सक्रिय जनसहभागिता द्वारा समेकित जल संचयन कार्यक्रम— नदियों के जल का अतिशय क्षेत्र से अभावग्रस्त क्षेत्र में स्थानांतरण। जल-संचयन के लिए छोटे बाँधों का निर्माण, वृक्षारोपण, सूखा रोधी फसलों की बुवाई करना, कृषि एवं पशुपालन पर अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए तथा जीविका के अन्य साधनों का प्रादुर्भाव करना चाहिए। बीज एवं फसल बीमा योजनाओं हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिनके माध्यम से अकाल की विकट स्थिति से सफलतापूर्वक निपटने के लिये बेहतर साधन अपनाए जा सकें।

रचनात्मक कार्य

स्वयं करो